vol 5

3801 सहीह मुस्लिम 4700

हदीस नं.

तालीफ़

इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापुरी (रह.)

उर्दू तर्जुमा

फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अब्दुल अ़ज़ीज़ अ़ल्वी

तख़रीज

मौलाना अदनान दुर्वेश

तक़रीज़

मौलाना इरशादुल हक़ असरी

मिलने के पते

मकतबा तर्जुमान, 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली
फोन: 011-23273407

तौफिक बुक डिपो, 2241/41 कुचा चैलान,
दरियागंज, नई दिल्ली 98732-96944

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल
जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

मदरसा दारूल उलूम सलफिया,
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती,
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-13602

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद,
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.)

कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70148-98515

नईम कुरैशी, 2 सी.एच.ए. 18 हाउसिंग बोर्ड,
शास्त्री नगर, भट्टा बास, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर
(राज.) 82091-64214

अब्दुर्रहीम मुतवल्ली, मर्कजी मस्जिद अहले हदीस,
जोधपुर (राज.) 93143-66303

अल कौसर ट्रेडर्स,
जोधपुर 94141-920119

मकतबा अस्सून्नह,
मुम्बई 08097-44448

उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन,
अशोक नगर, हिल नं. 3 कुर्ला, मुम्बई 82918-33897

दारूल इल्म,
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 23082231

मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन,
खजराना, इन्दौर 95846-51411

शैफुल्लाह खालिद,
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी,
जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी,
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056

शैख सुहैल सल्फ़ी,
मकतबा सलफिया, वाराणासी 094519-15874

आई.आई.सी.
नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार, भुज, कच्छा
(गुजरात) 094291-17111

मकतबा अलफहीम, मऊनाथ, भंजन (यूपी)
0547-2222013

नसीम खलीली, नीमू डायमण्ड फुट वियर, 87 बोधा
नगर, भूतला रोड़, आगरा (यूपी) 084497-10271

ALL INDIA DISTRIBUTOR
AL KITAB INTERNATIONAL
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25
PH: 26986973 M. 9312508762

SOLE DISTRIBUTOR
POPULAR BOOK STORE
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.]
9460768990, 9664159557

सहीह मुस्लिम

तालीफ़

इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापुरी (रह.)

उर्दू तर्जुमा

फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अब्दुल अ़ज़ीज़ अ़ल्वी

तख़रीज

मौलाना अदनान दुर्वेश

तक़रीज़

मौलाना इरशादुल हक़ असरी

ज़िल्द नम्बर

हदीस नं. 3801 से 4700 तक

नाम किताब	**सहीह मुस्लिम जिल्द - 5**
तालीफ़	**इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापुरी (रह.)**
उर्दू तर्जुमा	**फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ अ़ल्वी**
हिन्दी तर्जुमा	**दारुत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)**
तख़रीज	**मौलाना अदनान दुर्वेश**
तक़रीज़	**मौलाना इरशादुल हक़ असरी**
तस्हीह व नज़्रे सानी	**मौलाना जमशेद आलम सल्फ़ी (97857-69878)**
लेज़र टाइपसेटिंग	**मुहम्मद गुफ़रान अन्सारी**
मेनेजिंग डायरेक्टर	**अली हम्ज़ा, (82338-55857)**
प्रिण्टिंग	**आदर्श आफसेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 92144-85741**
बाइंडिंग	**कमाल बाईण्डिंग हाउस, यादगार मास्टर जहुरुद्दीन साहब मो. शाहिद भाई 93516-68223 0291-2551615**
प्रकाशन (प्रथम संस्करण)	जमादिल आख़िर 1441 हिजरी (जनवरी 2020 इस्वी)

तादादा कॉपी : 500	तादाद पेज: 704	क़ीमत: रु. 600/- जिल्द (रु. 4500 आठ जिल्द सेट)

प्रकाशक	**मर्कज़ी अन्जुमन खुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर**
जेरे निगरानी	**शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान**

फेहरिस्ते-मजामीन

ارشاد باری تعالیٰ

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

"اور اللہ تعالیٰ نے بیع (خرید وفروخت) کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔"

(البقرۃ ۲:۲۷۵)

‘और अल्लाह तआला ने बैअ (ख़रीद व फ़रोख़्त) को हलाल किया और सूद को हराम किया है।’

(अल बक़र: 2/275)

किताब अल बुयू का तआरुफ़

तिजारत इन्सानी मुआशरे की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। इन्सानों को हर वक़्त मुख़्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत रहती है। वह ऐसी तमाम चीज़ों को बैक वक़्त (एक वक़्त में) हासिल करके उन तमाम का ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। कुछ चीज़ों को ज़्यादा मिक़्दार (मात्रा) में ज़ख़ीरा किया ही नहीं जा सकता, इसलिये ऐसे लोगों की मौजूदगी जो मुख़्तलिफ़ चीज़ों को लायें, रखें और ज़रूरतमन्दों को क़ीमतन मुहैया करें नागुज़ीर है।

ख़रीद व फ़रोख़्त के मामलात अगर इन्साफ़ पर मबनी, धोखे और फ़रेब से पाक और ज़रर से महफ़ूज़ हों तो ये बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं। इन्सानी मुआशरे में तिजारत की तारीख़ जितनी पुरानी है, तिजारत की आड में लोगों के इस्तिहसाल की तारीख़ भी तक़रीबन उतनी ही पुरानी है। इस्लाम का मिशन यही है कि इन्सानी ज़िन्दगी के तमाम मामलात अदल व इन्साफ़, इन्सानों के बुनियादी हुक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इज्तेमाई और इन्फ़ेरादी फ़लाह व बहबूद पर उस्तवार किये जायें। इन्सानी तारीख़ में तिजारत को सबसे पहले इन बुनियादों पर उस्तवार करने का सहरा इस्लाम के सर है।

बिअ्सत से पहले अरब समेत पूरी दुनिया में ऐसे सौदों, ख़रीद व फ़रोख़्त की ऐसी सूरतों की भरमार थी जिनमें किसी न किसी फ़रीक़ को शदीद नुक़सान उठाना पड़ता था। ख़रीद व फ़रोख़्त के तरीक़ों में धोखा शामिल था। इस हवाले से किये गये मुआहिदों में फ़रेब मौजूद था। क़ीमत और चीज़े, अज्नास, मुन्फ़अत या ख़िदमात जिनका लेन देन होता था, इन सब में फ़रेब शामिल था। अरब में फ़रेब पर मबनी बैअ की जो सूरतें राइज थीं उनमें मुलामसा और मुनाबज़ा भी थीं। अगर ख़रीदार ग़ौर किये बग़ैर कपड़े को छू ले तो बैअ पक्की हो गई, जैसे: 'तुम अपना कपड़ा मेरी तरफ़ फैंक दो, मैं अपना कपड़ा तुम्हारी तरफ़ फैंक देता हूँ।' सौदा पक्का हो गया, जिसकी जो क़िस्मत उसे मिल जायेगा। 'मैं एक कंकरी फैंकूँगा जिस कपड़े की जिस लम्बाई तक जायेगी, वह तुम्हारा।' इसमें सोचने समझने की गुंजाइश न सही पैमाइश की। वह ऐसी चीज़ों की बैअ भी कर लेते थे जो अभी वजूद में नहीं आयें, इसका देखना मुमकिन न परखना, जैसे: ये कि ये ऊँटनी बच्चा देगी, वह हामला होकर फिर बच्चा देगी वह तुम्हारा होगा। ये हबलुल हबला की बैअ कहलाती थी।

मसनूई तरीक़े से क़ीमत बढ़ाने के हीले किये जाते थे। अब भी किये जाते हैं। फ़र्ज़ी ग्राहक खड़े करके ज़रूरत की चीज़ों की क़ीमतें बढ़ाई जाती थीं। इसे नजश कहा जाता था। अब इश्तेहार बाज़ी के

ज़रिये बावर कराया जाता है कि फुलां चीज़ आपकी शदीद ज़रूरत है। मस़नूई क़िल्लत पैदा करके क़ीमतों में इज़ाफ़ा किया जाता है। ख़रीदने में भी फ़रेब का चलन था। रास्ते में जाकर, मण्डी के भाव बेख़बर माल लाने वालों से चीज़ें ख़रीदना, जो शख़्स मण्डी की रेट पर अपनी चीज़ें फ़रोख़्त करना चाहता है, उसे ज़्यादा क़ीमत का लालच देकर फ़रोख़्त की ज़िम्मेदारी लेना और क़ीमतें बढ़ा कर ख़ुद फ़ायदा उठाना और महंगाई पैदा करना। दूध देने वाले जानवर के थनों में दूध रोक कर ज़्यादा क़ीमत पर बेचना, चीज़ों को तोले या नापे बग़ैर उनका सौदा कर लेना, बाग़ के दरख़्तों पर बोर लगते ही या उससे भी पहले उनके फल का सौदा कर देना चाहे बोर ही न लगे, या लगे तो आँधी या बीमारी वग़ैरह का शिकार होकर ज़ाया हो जाये। फ़सल पकने के बाद अनाज इकट्ठा करके वज़न या माप से बेचने की बजाये खड़ी फ़सल को अनाज की मुतय्यन मिक़्दार के ऐवज़ बेच देना, चीज़ का ऐब छुपाकर धोखे से बेच देना, ग़ैर मुन्सिफ़ाना तरीक़े से ज़मीन को उजरत पर देना, ये सब धोखे और फ़रेब की सूरतें मुआशरे में राइज थीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रेब पर मबनी लेन देन की तमाम सूरतों को हराम क़रार दिया। देख भाल कर, परख कर और तसल्ली से क़ीमत चुका कर सौदा करने के तरीक़े राइज फ़रमाये। लेन देन करने वाले फ़रीक़ों को सौदा हो जाने के बाद भी मुनासिब वक़्फ़े तक उसकी वापसी का इख़्तियार दिया। ऐब और धोखे की बिना पर पता लगने तक वापसी को यक़ीनी बनाया। ग़र्ज़ चीज़, क़ीमत, ख़रीदार, फ़रोख़्त करने वाले, ख़रीद व फ़रोख़्त की सूरत और शराइत, तमाम सौदे के लवाज़मात के हवाले से दयानत व अमानत, शफ़ाफ़ियत, हुक़ूक़ की पासदारी ओर किसी भी ग़लती के इज़ाले को यक़ीनी बनाया। इन इस्लाहात के बाद दुनिया भर में मुसलमानों का अन्दाज़े तिजारत इन्तेहाई मक़बूल हो गया। मुसलमान ताजिर इस्लामी मुआशरे के नक़ीब बन गये और आलमी तिजारत को फ़रोग़ हासिल हुआ। पूरी दुनिया ने इनमें से अक्सर उसूलों को तिजारत की बुनियाद के तौर पर अपना लिया। कुछ मुआशरों ने अलबत्ता सूद और हराम चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख़्त को नई से नई सूरतों में न सिर्फ़ जारी रखा बल्कि उनके ज़रिये से दुनिया भर का इस्तेहसाल किया और अभी तक जारी रखे हुये हैं। लेन देन के पूरे निज़ाम का बग़ौर जायज़ा लिया जाये तो इन्साफ़ और इज्तेमाई फ़लाह की ज़मानत उन्हीं उसूलों पर अमल करने से हासिल हो सकती है जो इस्लाम ने राइज किये हैं। अफ़सोस कि ख़ुद मुसलमान इन्साफ़ और फ़लाह के इन उसूलों को छोड़ कर ज़ालिमाना तरीक़ों पर अमल पैरा हो गये और तिजारत में भी शदीद पस्मान्दगी का शिकार हो गये। दूसरे मुआशरों ने जिस हद तक दयानत व अमानत के इस्लामी उसूलों को अपनाया इसी निस्बत से वह आगे बढ़ गये। सहीह मुस्लिम की किताब अलबुयू के बाद किताब अल मुसाक़ात वल मुज़ारिअ भी लेन देन के उसूलों पर मुहीत है।

كتاب البيوع

ख़रीद व फ़रोख़्त

बाब : 1
बैअ़े मुलामसा और बैअ़े मुनाबज़ा का इब्ताल

(1)باب إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

(3801) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैअ़े मुलामसा और बैअ़े मुनाबज़ा से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : बुख़ारी: 2146, नसाई: 4521.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ، حَبَّانَ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : बुयू: बैअ़ की जमा है और अ़रबी ज़बान की रू से बैअ़ और शरा का लफ़्ज़ ख़रीद व फ़रोख़्त दोनों के लिये इस्तेमाल होता है और मौक़ा व महल की मुनासिबत से एक मानी मुतय्यन किया जाता है।

फ़ायदा : शरई मानी की रू से चूंकि बैअ़ मुबादलतुल माल बिलमाल बित्तराज़ी का नाम है, यानी बाहमी रज़ामंदी से माल के बदले माल देना, बैअ़ है, इसलिए हर वह बैअ़ नाजायज़ होगी जिसमें रिबा (सूद) ग़रर व ग़बन धोखा व फ़रेब और नुक़सान हो। जहालत, यानी क़ीमत, माल या मुद्दत मज्हूल हो, तनाज़ा बाहमी इख़्तिलाफ़ और झगड़ा का ख़तरा हो, बैअ़े मुलामसा और मुनाबज़ा में ग़रर और ग़बन का ख़तरा है।

मुलामसा की तारीफ़ में चार क़ौल हैं: **(1)** बायअ (बेचने वाला) या मुश्तरी (खरीदने वाला) कहे, मैं ये कपड़ा बेचता या ख़रीदता हूँ, इसकी क़ीमत ये है जब ख़रीदार इसको हाथ लगा देगा, तो बैअ पक्की हो जायेगी, इमाम अबू हनीफ़ा ने यही तारीफ़ की है। **(2)** इमाम शाफ़ेई के नज़दीक, कोई शख़्स लिपटा हुआ कपड़ा लाये या अंधेरे और तारीकी में लाये और ख़रीदार से कहे मैं तुम्हें ये कपड़ा इस शर्त पर बेचता हूँ कि तुम्हारा इसको हाथ लगाना ही देखने के क़ाइम मक़ाम (बराबर) होगा और देखने के बाद तुम इसको वापस नहीं कर सकोगे। **(3)** बायअ और मुश्तरी हर एक, दूसरे से इसका कपड़ा बग़ैर देखे बग़ैर ख़रीद ले, और कहे जब मैंने तेरे कपड़े को हाथ लगा दिया और तूने मेरे कपड़े को छू लिया तो बैअ लाज़िम हो जायेगी, रावियें हदीस़ हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने यही तारीफ़ की है जैसा कि आगे आ रहा है। **(4)** बायअ ने एक चीज़ फ़रोख़्त की और ख़रीदार को कहा, जब तुमने इसको छू लिया, तो तुम्हारा ख़्यारे मज्लिस यानी सौदे की जगह तब्दील हुए बग़ैर जो इख़्तियार रहता है, वह ख़त्म हो जायेगा।

बैअे मुनाबज़ा की भी चार तारीफ़ें की गई हैं: **(1)** महज़ किसी चीज़ को फैंकने से बैअ लाज़िम हो जाये। बग़ैर इसके कि ख़रीदार उसको उलट पलट कर देखे। **(2)** बायअ और मुश्तरी में से हर एक अपना अपना कपड़ा एक दूसरे की तरफ़ फैंक दें, और बग़ैर देखे और बग़ैर रज़ामंदी के बैअ हो जाये। या एक दूसरे को कहें जो तेरे पास है मेरी तरफ़ फैंक दे और जो मेरे पास है मैं तेरी तरफ़ फैंक देता हूँ। **(3)** सामान फैंकना, इख़्तियार को ख़त्म कर दे। **(4)** मैं कंकर फैंकता हूँ जिस चीज़ पर गिर जायेगा उसकी बैअ हो जायेगी, यानी बैअे हसात वाला मानी मुराद।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

(3802) इमाम स़ाहब ऊपर दी गई हदीस़ अपने दो और उस्ताद से बयान करते हैं।

तख़रीज : बुख़ारी: 368, जामेअ तिर्मिज़ी 1310.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(3803) इमाम स़ाहब तीन और उस्ताद की सनदों से ऊपर दी गई हदीस़ बयान करते हैं।

तख़रीज : बुख़ारी: 584, 588, 5819, 5820, नसाई: 4529, सुनन इब्ने माजा: 1248, 2169, 3560.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ سُهَيْلِ، بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. مِثْلَهُ

(3804) इमाम साहब एक और उस्ताद की सनद से ऊपर दी गई हदीस बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ . أَمَّا الْمُلاَمَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ.

(3805) अता, बिन मीना, हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से बयान करते हैं कि उन्होंने बताया, दो बैओं से मना किया गया है, मुलामसा और और मुनाबज़ा से, बैअे मुलामसा ये है कि बायअ और मुश्तरी में से हर एक दूसरे के कपड़े को ग़ौर व फ़िक्र किये बग़ैर छू ले, और बैअे मुनाबज़ा ये है कि इनमें से हर एक अपना कपड़ा दूसरे की तरफ़ फ़ेंक दे और उनमें से किसी ने दूसरे का कपड़ा देखा नहीं है। (दोनों सूरतों में बैअ वाजिब हो जाये)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ، وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ . وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يَقْلِبُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ

(3806) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें दो बैओं और दो लिबासों से मना फ़रमाया, बैअे मुलामसा से और बैअे मुनाबज़ा से और बैअे मुलामसा ये है कि एक शख़्स दूसरे का कपड़ा, दिन या रात को अपने हाथ से छू ले और यही पलटना तसव्वुर हो, और बैअे मुनाबज़ा ये है कि एक शख़्स अपना कपड़ा दूसरे की तरफ़ फैंक दे और दूसरा शख़्स अपना कपड़ा उसकी तरफ़ फैंक दे और इस तरह बग़ैर देखे और बग़ैर रज़ामंदी के ही बैअ (सौदा) हो जाये।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2144, 5820, 3379, नसाई: 4522, 4523, 4526.

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, जो चीज़ मौजूद नहीं उसकी बैअ़ जायज़ नहीं है, अइम्मा के इस बैअ़ के बारे में तीन नज़रियात हैं: (1) ग़ायब चीज़ की बैअ़ (सौदा) जायज़ नहीं है। इमाम शाफ़ेई का क़ौल यही है। (2) ग़ायब चीज़ की बैअ़ जायज़ है और देखने के बाद ख़रीदार को रखने या छोड़ने का इख़्तियार होगा। अहनाफ़ अइम्मा का क़ौल यही है और इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई की तरफ़ भी ये क़ौल मन्सूब किया गया है। (3) जब ग़ायब चीज़ की सही सही सूरते हाल यानी उसकी कैफ़ियत व हालत बयान कर दी जाये तो बैअ़ जायज़ है और अगर चीज़ बयान करदा सिफ़त और हालत के मुताबिक़ न हो तो फिर ख़रीदार को रखने या छोड़ने का इख़्तियार होगा, इमाम अहमद और इस्हाक़ का यही क़ौल है। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई का एक क़ौल भी यही है और यही क़ौल सही मालूम होता है क्योंकि इसमें ग़रर और क़िमार का ख़तरा नहीं है।

وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(3807) इमाम स़ाहब ऊपर दी गई हदीस़ एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

तख़रीज : हदीस़: 3785 में देखें।

(2)باب بُطْلاَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ

बाब : 2
बैअ़े अलहस़ात (कंकर फैंकना) और जिस बैअ़े में धोख़ा है बातिल है

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .

(3808) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कंकरी फैंकने की बैअ़ और धोखे वाली बैअ़ से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3376, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1230, नसाई: 4530, सुनन इब्ने माजा: 2194.

फ़ायदा : बैउ़ल हस़ात, इसकी तीन सूरतें हैं: (1) कपड़ों के ढेर या थानों पर मैं कंकर फैंकता हूँ, जिस पर वह गिरे वह इतनी क़ीमत में तेरा होगा या मैं यहाँ से कंकर फैंकता हूँ जहाँ गिरेगा वहाँ तक

ज़मीन, इस क़ीमत पर तेरी होगी। (2) ये चीज़ मैं तुम्हें इतने में फ़रोख़्त करता हूँ, जब मैं ये कंकर फैंक दूंगा। तो बैअ पुख़्ता हो जायेगी और तुम्हारा इख़्तियार ख़त्म हो जायेगा। (3) जब मैं इस चीज़ पर कंकर मार दूंगा, तो ये तेरी होगी। बहरहाल इन तीनों सूरतों में ग़रर और धोखा और जुवा है, इसलिए मना है। इमाम शाफ़ेई ने बैअ़े मुलामसा, बैअ़ मुनाबज़ा और बैअ़ (सौदा) हसात को इसलिए मना क़रार दिया है कि इनमें ईजाबो क़बूल नहीं है, यानी बायअ़ (बेचने वाला) कहे मैंने बेच दी और मुश्तरी (खरीदार) कहे मैंने ख़रीद ली, इस पर क़ियास करते हूए वह कहते हैं बैअ़े तआती भी जायज़ नहीं है जिसकी सूरत ये है कि बायअ कहे मैं ये चीज़ इतने में देता हूँ, मुश्तरी रक़म अदा कर के वह चीज़ ले ले, या ख़रीदार बायअ को कहता है, मैं इस चीज़ की इतनी रक़म देता हूँ, तो वह उठा कर चीज़ उसको दे दे। तो यहाँ ज़बान से ईजाबो क़बूल नहीं हुआ, कि मैं देता हूँ, मैं लेता हूँ, हालांकि अमलन तो यहाँ ईजाबो क़बूल हो गया है और इसमें जहालत और ग़रर की कोई सूरत भी नहीं है, इसलिए बाक़ी अइम्मा के नज़दीक ये जायज़ है और लोगों का यही उर्फ़ और रिवाज है जो हर जगह जारी है।

बैअ़े ग़ररः जिसमें धोखा और फ़रेब हो, ये एक ऐसा उसूल और ज़ाबता है जिसके तहत बेशुमार सूरतें आ जाती हैं जैसे भगोड़े गुलाम की बैअ़, भगोड़ जानवर की बैअ़, हैवान के पेट के हमल की बैअ़, हवा में उड़ने वाले परिन्दों के शिकार की बैअ़, पानी में मछलियों के लिये जाल लगाने की बैअ़, हाँ मामूली ग़रर नज़र अन्दाज़ कर दिया जाता है।

जैसे हम्माम में नहाना और एक मुअय्यन रक़म अदा करना, एक माह के लिये कोई चीज़ किराया पर देना, हालांकि माह में एक दिन की कमी व बेशी होती है। और होटल में फ़ी आदमी के खाने पर एक जैसी रक़म अदा करना वग़ैरह।

बाब : 3
हबलुल हबला की बैअ़ मना है

(3)
باب تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

(3809) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने हामला जानवर के हमल की बैअ़े से मना फ़रमाया है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ، سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

तख़रीज : नसाई: 4638.

मुफ़रदातुल हदीस़ : हबला: हबल की जमा है, जिस तरह ज़ालिम की जमा ज़ुलमा है या कातिब की जमा कुतबा है, कुछ के नज़दीक ये मस्दर है और मज्हूल के मानी में है और बक़ौल अल्लामा

नववी, हबल का लफ़्ज़ औरतों के लिये ख़ास है और हैवानात के लिये हमल का लफ़्ज़ है, इसलिए बकरी या ऊँटनी को हामला कहते हैं, हैवानात के लिये हाबला का लफ़्ज़ सिर्फ़ इस हदीस में आया है। और बक़ौल इमाम नववी इस पर अहले लुग़त का इत्तेफ़ाक़ है, लेकिन अल्लामा ऐनी ने लिखा है कि हाबला का लफ़्ज़ हर मुअन्नस के लिये इस्तेमाल होता है।

हबलुल हबला: की तफ़्सीर में मुख़्तलिफ़ अक़वाल हैं: (1) किसी चीज़ की क़ीमत उस वक़्त अदा करना जब हामला ऊँटनी बच्चा जनेगी और वह बच्चा बड़ा होकर, बच्चा दे, बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत की इब्ने उमर (ﷺ) ने ख़ुद यही तफ़्सीर की है। **(2)** किसी चीज़ की क़ीमत उस वक़्त अदा करना, जब मख़सूस ऊँटनी अपना हमल वज़अ करेगी, इमाम नाफ़ेअ ने यही तफ़्सीर की है, इब्ने अलमुसय्यब, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और फ़ुक़हा की एक जमाअत का यही क़ौल है। **(3)** किसी चीज़ की क़ीमत उस वक़्त अदा करना, जब हामला ऊँटनी बच्चा दे और फिर वह बच्चा बड़ा होकर हामला हो जाये। लेकिन उसके हमल के वज़अ होने की शर्त नहीं है, अगली रिवायत से यही मालूम होता है और इमाम अबू इस्हाक़ ने इसको इख़्तियार किया है, इन तीनों सूरतों में मुमानिअत का सबब ये है, क़ीमत की अदायगी का वक़्त व मुद्दत मज्हूल है। **(4)** हामला ऊँटनी के पेट के बच्चा की या पेट के बच्चे के बच्चा की बैअ करना, इमाम तिर्मिज़ी ने इसको इख़्तियार किया है। इमाम अबू उबैद, अहमद और इस्हाक़ का यही नज़रिया है और इसके मना होने का सबब मुबीअ यानी जो चीज़ बेची गई है का मज्हूल होना है क्योंकि मालूम नहीं है ऊँटनी का बच्चा पैदा होता है या नहीं, दूसरे बच्चा की पैदाइश तो बाद की बात है, इस तरह इसमें ग़रर (धोखा) भी है, इसलिए इमाम बुख़ारी ने, इसको बैअे अलग़रर के तहत बयान किया है। और कुछ हज़रात ने इसका मानी अंगूरों का उनके पकने की सलाहियत को पहुँचने से पहले बेचना बयान किया है।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ . وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ .

(3810) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं जाहिलीयत के दौर में लोग ऊँटों का गोश्त, हामला जानवर के हमल तक के उधार पर फ़रोख़्त करते थे और हबलुल हबला की तफ़्सीर ये है कि ऊँटनी बच्चा जने फिर उसका ये बच्चा बड़ा होकर हामला हो, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने लोगों को इससे मना फ़रमा दिया।

तख़रीज:सहीह बुख़ारी: 3843, सुनन अबूदाऊद 3381

बाब : 4
भाई की बैअ के बाद बैअ करना, और उसके नर्ख़ (भाव) के बाद नर्ख़ लगाना, धोखा देने के लिये बोली बढ़ाना और थनों में दूध रोकना नाजायज़ है

(4)
باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ

(3811) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **तुममें से कोई दूसरे की बैअ़ पर बैअ़ न करे।**
तख़रीज : हदीस: 3440 में देखें।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " .

फ़ायदा : एक इंसान दूसरे इंसान को कोई चीज़ फ़रोख़्त करता है या उससे ख़रीदता है लेकिन उन्हें बैअ के फ़स्ख़ का इख़्तियार है तो दूसरा आदमी आकर कहता है ये बैअ फ़स्ख़ कर दो, मैं तुम्हें यही चीज़ इससे सस्ती देता हूँ, या इससे बेहतर और उम्दा इस क़ीमत पर देता हूँ या बायअ (बेचने वाले) को कहे मैं तुमसे इससे ज़्यादा क़ीमत पर ख़रीदता हूँ, ये तमाम सूरतें नाजायज़ हैं क्योंकि ये चीज़ एक फ़रीक़ के लिये नुक़सान का बाइस है, जिससे आपस में दंगा व फ़साद पैदा हो सकता है।

(3812) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) नबी अकरम(ﷺ) से रिवायत बयान करते हैं कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया: **इंसान अपने भाई की बैअ़ पर बैअ़ न करे और न अपने भाई की मंगनी पर मंगनी करे, मगर ये कि वह उसे इजाज़त दे दे।**
तख़रीज : हदीस: 3441 में देखें।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ " .

फ़ायदा : कुछ हज़रात ने अख़ीहि के लफ़्ज़ से ये बात निकाली है कि मुसलमान की बैअ़ पर बैअ़ जायज़ नहीं है। लेकिन काफ़िर की बैअ़े पर बैअ़ जायज़ है। लेकिन जुम्हूर के नज़दीक ये क़ैद अग़्लबी

या इत्तेफ़ाक़ी है, वरना जो काफ़िर मुसलमान मुल्क में रहते हैं या जिनसे मुआहिदा होता है उनका भी यही हुक्म है, और इजाज़त का ताल्लुक़ बैअ और मंगनी दोनों से है, क्योंकि जब ख़ुद इजाज़त दे दी तो फिर बाहमी हसद व इनाद और लड़ाई झगड़े का ख़तरा नहीं रहेगा।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ "

(3813) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: कोई मुसलमान अपने भाई के नर्ख़ पर नर्ख़ न लगाये।

तख़रीज : हदीस: 3446 में देखें।

फ़ायदा : अगर फ़रीक़ैन में नर्ख़ तै हो चुका है, फिर नर्ख़ लगाना जायज़ नहीं है लेकिन अगर नर्ख़ तै नहीं हुआ तो फिर नर्ख़ बढ़ाने या नीलाम करने के बारे में तीन क़ौल हैं: (1) जब एक ने नर्ख़ लगा दिया है तो फिर दूसरे के लिये इस पर इज़ाफ़ा करके चीज़ लेना जायज़ नहीं है। इब्राहीम नख़ई का यही मौक़िफ़ है। (2) ग़नाइम और मवारीस़ में नर्ख़ बढ़ाना जायज़ है, इनके सिवा जायज़ नहीं है। इमाम ओज़ाई और इमाम इस्हाक़ का यही नज़रिया है। (3) जब नर्ख़ तै नहीं हुआ, बोली हो रही है, और कोई इंसान वाक़ेई तौर पर वह चीज़ ख़रीदना चाहता है, महज़ धोखा देने के लिये नर्ख़ नहीं बढ़ाता, तो फिर जुम्हूर के नज़दीक ये जायज़ है। और यही मौक़िफ़ दुरूस्त है क्योंकि आप (ﷺ) ने नजश की सूरत में इज़ाफ़ा करने से मना फ़रमाया है।

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلاَءِ، وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح. وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي، صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ،

(3814) इमाम स़ाहब अपने मुख़्तलिफ़ उस्ताद से अबू हुरैरह (ﷺ) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस बात से मना फ़रमाया है कि कोई शख़्स़ अपने भाई के नर्ख़ पर नर्ख़ लगाये, इमाम स़ाहब के उस्ताद दोरक़ी, सौम की बजाये सीमा का लफ़्ज़ बयान करते हैं, मानी एक ही है।

حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ . وَفِي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ .

फ़ायदा : इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) इमाम शाफ़ेई के नज़दीक ऐसा करने वाला मुजरिम और गुनाहगार होगा, लेकिन बैअ़ हो जायेगी, और इमाम दाऊद ज़ाहरी के नज़दीक ये बैअ़ नाफ़िज़ नहीं होगी, मालकिया और हनाबिला से दोनों क़ौल मनक़ूल हैं।

(3815) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: ख़रीदने के लिये तिजारती क़ाफ़िला को रास्ते में न मिलो, और तुममें से कोई दूसरे की बैअ़ पर बैअ़ न करे, और ख़रीदार को न भडकाओ, न उभारो, और शहरी बदवी के माल की फ़रोख़्त न करे, और ऊँटों और बकरियों के थनों में दूध न जमा करो, और जो इंसान ऐसा जानवर ख़रीद लेगा, तो वह दूध दूहने के बाद दो चीज़ों में से एक को इख़्तियार कर सकेगा, अगर उसे जानवर पसन्द है तो रख ले और अगर नापसन्द है तो वापस कर दे और उसके साथ खजूरों का एक साअ़ दे।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2150, सुनन अबू दाऊद: 3443, नसाई: 4508.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ " .

फ़ायदा : क़ाफ़िले को रास्ते में मिलना, शहरी का बदवी की चीज़ बेचना और जानवर के थनों में दूध जमा करना, ये तीनों मसाइल आगे मुस्तक़िल अबवाब में आ रहे हैं, इसलिए इनका मफ़हूम वहीं बयान होगा और नजश का मानी है जोश दिलाना, भडकाना, या धोखा और फ़रेब देना या किसी चीज़ की तारीफ़ व मदह में मुबालग़ा करना और यहां मक़सद ये है कि किसी शख़्स का नर्ख़ में इसलिए इज़ाफ़ा

करना ताकि दूसरा शख़्स जोश में आकर या बर अंगेख़्ता (आपे से बाहर) होकर, क़ीमत बढ़ा दे और उससे धोखा खा जाये, अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक बिल इत्तेफ़ाक़ ये काम नाजायज़ है और अगर ये काम मालिक की मिली भगत से हुआ तो दोनों मुजरिम हैं, अगर उसके इल्म के बग़ैर हुआ तो सिर्फ़ भड़काने वाला मुजरिम है, लेकिन अगर मक़सद दूसरे को फंसाना नहीं है बल्कि चीज़ की सही और मुनासिब क़ीमत तक ले जाना है तो फिर मालकिया और अहनाफ़ के नज़दीक सही है, इमाम शाफ़ेई और अहनाफ़ के नज़दीक नाजायज़ होने के बावजूद ये बैअ हो जायेगी, लेकिन अहले हदीस और अहले ज़ाहिर के नज़दीक बातिल होगी (अगर इल्म हो जाये) इमाम मालिक और इमाम अहमद का एक क़ौल यही है और दूसरा क़ौल ये है कि इस सूरत में मुश्तरी को अगर नुक़सान ज़्यादा हो तो बैअ को फ़स्ख़ (तोड़ने) का इख़्तियार है, और कुछ शवाफ़ेअ के नज़दीक अगर बायअ की मर्ज़ी से ये काम हुआ है तो फिर ख़रीदार को बैअ तोड़ने का इख़्तियार होगा, वरना नहीं और इस इख़्तिलाफ़ का असल सबब ये है कि अहनाफ़ के नज़दीक किसी काम से मना करना, उसके जुर्म और गुनाह होने का तक़ाज़ा करता है, इसके फ़ासिद और बातिल होने का नहीं, जब कि जुम्हूर के नज़दीक नह्य फ़साद का तक़ाज़ा करती है, जैसा कि इमाम शौकानी ने इरशाद अलफ़हूल: सफ़ा: 97, 98 में साबित किया है।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا وَعَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

(3816) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने क़ाफ़िला से रास्ते में मिलने से और इस बात से कि शहरी बदवी के लिये ख़रीद व फ़रोख़्त करे और इससे कि औरत अपनी बहन की तलाक़ का सवाल करे और बैअ पर बरअंगेख़्ता करने और थनों में दूध जमा करने से और इससे कि इंसान अपने भाई के नर्ख़ (भाव) पर नर्ख़ लगाये, मना फ़रमाया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2727, नसाई: 4503.

फ़ायदा : किसी औरत के लिये ये जायज़ नहीं है कि वह शादी शुदा मर्द को ये कहे कि तुम अपनी बीवी को तलाक़ दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, या कोई शादी शुदा मर्द किसी औरत से कहे मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो वह आगे से कहे मैं इस शर्त पर तुमसे शादी करती हूँ कि तुम पहली बीवी को तलाक़ दे दो।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ، بْنُ

(3817) इमाम साहब अपने तीन और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं, फ़र्क़

جَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالُوا، جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَوَهْبٍ نُهِيَ . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى . بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ.

ये है कि गुन्दर और वहब की रिवायत में नुहिया मज्हूल का स़ेग़ा है और अ़ब्दुस्समद की रिवायत में नहा मारूफ़ का स़ेग़ा है।

तख़रीज : हदीस़: 3795 में देखें।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ .

(3818) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नजश से मना फ़रमाया।

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 2142, 6963, नसाई: 4517, सुनन इब्ने माजा: 2173.

(5)
باب تَحْرِيمِ تَلَقِّي الْجَلَبِ

बाब : 5
तिजारती क़ाफ़िला को आगे बढ़ कर मिलना नाजायज़ है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ . وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ . وَقَالَ الآخَرَانِ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّلَقِّي .

(3819) इमाम स़ाहब अपने तीन उस्तादों की सनदों से, हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस बात से मना फ़रमाया कि तिजारती सामान बाज़ार में पहुँचने से पहले (उसके मालिकों से) मिला जाये, ये इब्ने नुमैर के अल्फ़ाज़ हैं और दूसरे दो उस्तादों ने कहा, नबी अकरम (ﷺ) ने तलक़्क़ी (मुलाक़ात) से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : नसाई: 4510.

फ़ायदा : तलक़्क़ियुल जलब, तलक़्क़ियुल बुयू, तलक़्क़ियुर रूकबान, तलक़्क़ियुस सिलअ़ और तलक़्क़ी, सबका मक़स़द एक ही है कि तिजारती क़ाफ़िला को आगे बढ़कर, शहर से बाहर, पेशतर इसके कि उन्हें

शहर का नर्ख़ मालूम हो, उनसे तिजारती सामान ख़रीद लेना, क्योंकि इसमें दो नुक़सान हो सकते हैं, व्यापारी या बाहर से आने वाले ताजिर को शहर के भाव का इल्म नहीं है, इसलिए वह सामान असल क़ीमत से जो बाज़ार में मिल सकती है सस्ता फ़रोख़्त कर देगा, शहरियों को ये नुक़सान होगा कि शहर से बाहर ख़रीदने वाला ताजिर, अब उस चीज़ को बेचने में मनमानी करेगा, लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है लेकिन वह बेचता नहीं है या बहुत महंगा बेचता है और अगर सामान शहर में आकर बिकता तो दूसरे लोग भी ख़रीद सकते थे। इस बात पर अइम्म–ए–अरबआ का इत्तेफ़ाक़ है कि तिजारती क़ाफ़िला को शहर से बाहर, सामान ख़रीदने के लिए मिलना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर क़ाफ़िला वालों को शहर के नर्ख़ का इल्म हो और अहले शहर का नुक़सान भी न हो, तो फिर इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक जायज़ है, कुछ शवाफ़ेअ और कुछ मालकिया का क़ौल भी यही है जैसा कि बुख़ारी शरीफ़ की इब्ने उमर (ﷺ) ही की हदीस से मालूम होता है कि हम क़ाफ़िला वालों को मिलते और उनसे ग़ल्ला ख़रीद लेते,तो नबी अकरम (ﷺ) ने हमें उसको ग़ल्ला मंडी में लाये बग़ैर फ़रोख़्त करने से मना फ़रमा दिया, और इसकी तौजीह इमाम बुख़ारी ने ये फ़रमाई है कि शहर से बाहर तलक़्क़ी मना है और बाज़ार के आग़ाज़ में आकर, बाज़ार में लाये बग़ैर, भाव मालूम होने की बिना पर ख़रीद लेना जायज़ है और आगे बाज़ार में लाकर उसको फ़रोख़्त कर दिया जायेगा इससे मालूम हुआ अगर ज़रर (नुकसान) शहर वालों के लिये न हो और क़ाफ़िला वाले नर्ख़ (भाव) से बेख़बर न हों। तो तलक़्क़ी में कोई हर्ज नहीं है।

(3820) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से, इब्ने नुमैर की तरह यही हदीस़ बयान करते हैं।

तख़रीज : हदीस़: 3440 में देखें।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(3821) हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने सामाने तिजारत वाले से बाहर जाकर मिलने से मना फ़रमाया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2149, 2164, जामेअ तिर्मिज़ी: 1220, सुनन इब्ने माजा: 2180.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي، عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ .

फ़ायदा : बुयू, बैअ की जमा है लेकिन बैअ क़ाबिले फ़रोख़्त चीज़ के मानी में है।

(3822) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सामान लाने वालों से बाहर जाकर मिलने से मना फ़रमाया है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ

फ़ायदा : जलबन: अगर मस्दर हो तो फिर मफ़ऊल के मानी में होगा, यानी वह सामान जो फ़रोख़्त करने के लिये लाया जाता है और अगर जालिब की जमा हो जैसा कि ख़दम, ख़ादिम की जमा है तो फिर सामान लाने वाले ताजिर मुराद होंगे।

(3823) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: सौदागरों को शहर से बाहर न मिलो, और जो उनको बाहर जाकर मिला (और सामान ख़रीद लिया) तो फिर जब सामान का मालिक बाज़ार में आ गया (और भाव मालूम कर लिया) तो उसको (बैअ तोड़ने और न तोड़ने) का इख़्तियार है।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، الْقُرْدُوسِيُّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ . فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ" .

तख़रीज : नसाई: 4513.

फ़ायदा : तलक़्क़ी की सूरत में जो बैअ होती है वह जुम्हूर के नज़दीक नाफ़िज़ होगी और तलक़्क़ी करने वाला मुजरिम होगा। लेकिन अहले ज़ाहिर के नज़दीक वह बैअ बातिल होगी, मुनअक़िद नहीं होगी, इमाम अहमद का भी एक क़ौल यही है लेकिन इस हदीस़ से साबित होता है, मालिके सामान जब बाज़ार में आकर भाव मालूम करेगा, तो उसको बैअ के तोड़ने या रखने का इख़्तियार होगा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद का यही क़ौल है और यही दुरूस्त है कि मालिक को बैअ के रद्द का हक़ हासिल है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मालिक को ये हक़ हासिल नहीं है, अहनाफ़ ने इमाम अबू हनीफ़ा के मौक़िफ़ को सही साबित करने के लिये इस हदीस़ के मुख़्तलिफ़ जवाबात देने की ला हासिल कोशिश की है, इसलिए अ़ल्लामा इब्ने हम्माम ने यहां इमाम अबू हनीफ़ा के मौक़िफ़ को सही हदीस़ के ख़िलाफ़ होने की वजह से छोड़ दिया है, तक़ी उस्मानी साहब और गुलाम रसूल सईदी साहब ने भी इब्ने हम्माम की ताईद की है। (तकमिला फ़तहुल मुल्हिम: जिल्द: 1, सफ़ा: 333, शरह सही मुस्लिम, सईदी: जिल्द: 4, सफ़ा: 143)

बाब : 6
शहरी का बदवी के लिये ख़रीद व फ़रोख़्त करना हराम है

(6)
باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ " . وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

(3824) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) मरफ़ूअ हदीस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमायाः शहरी देहाती का माल फ़रोख़्त न करे, ज़ुहैर की रिवायत में है नबी अकरम (ﷺ) से मनक़ूल है कि आपने इस बात से मना फ़रमाया कि शहरी देहाती के लिये बैअ करे।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . قَالَ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا۔

(3825) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है इससे कि तिजारती क़ाफ़िला को शहर से बाहर मिला जाये और इससे कि शहरी बदवी के लिये बैअ करे। ताऊस कहते हैं, मैंने इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से पूछा, हाज़िर लिबादिन का क्या मक़सद है? तो उन्होंने जवाब दिया उसका दलाल न बने।

तख़रीज : सहीह बुख़ारीः 2158, 2163, 2274, सुनन अबू दाऊदः 3439, नसाईः 4512, सुनन इब्ने माजाः 2177.

फ़ायदा : देहाती अपना माल फ़रोख़्त के लिये मंडी में लाता है और उसका मक़सद ये है कि मैं अपना माल फ़रोख़्त करके चला जाऊं और उस सामान की शहर वालों को ज़रूरत है, इसलिए माल फ़ौरन बिक जायेगा, लेकिन शहरी उसको कहता है, अपना सामान मेरे सुपुर्द कर दो, मैं ये माल मौजूदा नर्ख़ से बाद में महंगा फ़रोख़्त कर दूंगा, इस तरह जो चीज़ शहरियों को सस्ती मिल सकती थी, वह बाद में महंगी मिलेगी

या उसका ख़तरा होगा, शवाफ़ेअ और हनाबिला ने इसकी हुरमत के लिये चार शर्तें लगाई हैं: (1) शहरी ख़ुद पेशकश करे कि सामान की फ़रोख़्त के लिये मुझे वकील या दलाल बना लो। (2) जंगली या बदवी को नर्ख़ का इल्म न हो, अगर भाव का पता हो तो फिर हराम नहीं है। (3) वह सामान फ़ौरन फ़रोख़्त के लिए लाया हो और उस दिन के भाव पर बेचना चाहता हो। (4) उस सामान की लोगों को ज़रूरत हो, और देर से बेचने से तंगी और परेशानी का ख़तरा हो। अगर इन शर्तों की मौजूदगी में शहरी बेचेगा तो ये जुर्म और गुनाह है और बैअ सही है। और अहनाफ़ का मौक़िफ़ ये है अगर इस बैअ से शहरियों को नुक़सान पहुँचता हो तो फिर ये काम नाजायज़ है।

लेकिन बैअ गुनाह के बावजूद अहनाफ़, शवाफ़ेअ और मालकिया के नज़दीक हो जायेगी, और अहनाफ़ के नज़दीक दयानतन फ़स्ख़ होना चाहिए क्योंकि बैअे मुक़र्रर का यही हुक्म है, इमाम इब्ने हज़्म के नज़दीक ये बैअ मुनअक़िद नहीं होगी और इमाम अहमद का भी एक क़ौल यही है और एक क़ौल दूसरे अइम्मा के मुताबिक़ है और हज़रत इब्ने अब्बास के नज़दीक शहरी दलाली (उजरत) लेकर फ़रोख़्त करे तो नाजायज़ है, अगर बिला उजरत फ़रोख़्त करे तो जायज़ है क्योंकि ये हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही है, इमाम बुख़ारी का भी यही मौक़िफ़ है। लेकिन जुम्हूर के नज़दीक हर सूरत में ममनूअ (मना) है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ" . غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى " يُرْزَقُ " .

(3826) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: शहरी देहाती की चीज़ फ़रोख़्त न करे, लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो, अल्लाह उनको एक दूसरे से रिज़्क़ इनायत फ़रमाता है। यहया की रिवायत में युर्ज़कु मज्हूल का सेग़ा है।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3442.

फ़ायदा : बायअ और मुश्तरी दोनों एक दूसरे के लिये रिज़्क़ और नफ़ा का बाइस हैं, इसलिए किसी तीसरे फ़र्द को इसमें दख़ल नहीं देना चाहिए,क्योंकि वास्ता या सालिसी में चीज़ महंगी होगी और जितने वास्ते बढ़ते जायेंगे उतनी ही चीज़ों की क़ीमतें चढ़ती जायेंगी,जैसा कि चंद अफ़राद अगर सारा माल अपने पास स्टॉक करके मनमानी क़ीमतें लगाकर महंगाई का सबब बनते हैं, रसद और तलब में तअत्तुल पैदा करना या दख़लअंदाज़ी करना मज़हब्रे इस्लाम में पसन्दीदा नहीं है, देहाती के लिये माल ख़रीदना, इमाम अहमद, ओज़ाई के नज़दीक जायज़ है। नख़ई और इब्ने सीरीन के नज़दीक नाजायज़ है, इमाम मालिक के दोनों क़ौल हैं।

(3827) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : जामेअ तिर्मिज़ी: 1223, सुनन इब्ने माजा: 2176.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(3828) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि हमें इस बात से मना फ़रमाया गया कि शहरी देहाती, जंगली या ख़ानाबदोश के लिये बैअे करे, अगरचे वह उसका भाई या बाप ही क्यूँ न हो।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2440, 3440, नसाई: 4504, व हदीस: 4505, 4506.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ، بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ، حَاضِرٌ لِبَادٍ . وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ .

(3829) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि हमें इस बात से मना किया गया कि शहरी बदवी का सामान फ़रोख़्त करे।

तख़रीज : हदीस: 3807 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ،ح . وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نُهِينَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

बाब : 7 मुसर्रात (जिसके थनों में दूध जमा किया गया हो उस) के बेचने का हुक्म

(7)باب حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

(3830) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: जिसने मुसर्रात जानवर ख़रीदा वह उसे घर लाये और उसका दूध निकाले, अगर उसका निकाला हुआ दूध पसन्द हो तो अपने पास

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً

فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَإِنْ رَضِيَ حِلاَبَهَا أَمْسَكَهَا وَإِلاَّ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ "

रख ले, वरना वह जानवर वापस कर दे और उसके साथ खजूरों का एक साअ दे।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2148, नसाई: 4500.

मुफ़रदातुल हदीस : मुसर्रात: तसरीया का मानी होता है रोकना, बंद करना, तो मानी ये हुआ दूध वाले जानवर का दूध उसके थनों में रोक दिया जाये ताकि थन भरे भरे नज़र आयें कि ख़रीदार समझे कि ये जानवर बहुत दूध देता है, इसलिए ख़रीद ले।

फायदा : इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम अबू यूसुफ़ और जुम्हूर उलमा के नज़दीक, तसरीया करना धोखा और ऐब है, इस वजह से मुश्तरी को ये सौदा फ़स्ख़ करने का हक़ हासिल है और इमाम अहमद, इमाम शाफ़ेई के नज़दीक रद्द करने की सूरत में खजूरों का साअ वापस करना होगा। इमाम मालिक के नज़दीक अपने अपने इलाक़े के ग़ल्ला का साअ देना होगा और एक क़ौल शाफ़ेई के मुताबिक़ है।

और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक जो दूध निकाला है उसकी क़ीमत अदा करनी होगी। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद के नज़दीक तसरीया ऐब नहीं है, इसलिए बैअे फ़स्ख़ नहीं हो सकती, हाँ मुश्तरी जानवर की क़ीमत कम कर सकता है। सवाल ये है कि अगर तसरीया ऐब नहीं है तो क़ीमत में कमी क्यों? मौलाना अनवर शाह ने इस हदीस को दयानत पर महमूल किया है कि तसरीया धोखा है, इसलिए बायअ के दीन का तक़ाज़ा यही है कि अगर मुश्तरी जानवर वापस करना चाहे तो उसको वापस ले ले, और मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी ने इसको इमामे वक़्त की राय पर छोड़ा है, और तक़ी उस्मानी साहब ने साअ की वापसी को तो इमामे वक़्त पर छोड़ा है और जानवर की वापसी को शरई उसूल तस्लीम किया है और इस बात को भी तस्लीम किया है कि ये हदीस उसूले सहीहा के मुनाफ़ी नहीं है जैसा कि अहनाफ़ का दावा है, क्योंकि तसरीया धोखा है। इसलिए मुश्तरी को इख़्तियार मिलना चाहिए। (तकमिला फ़तहुल मुल्हिम: जिल्द 1/सफ़ा: 343 से 345)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ " .

(3831) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: जिसने मुसर्रात बकरी ख़रीदी तो उसे तीन दिन तक इख़्तियार है, चाहे तो उसको रख ले और चाहे तो उसे वापस कर दे और उसके साथ खजूरों का एक साअ दे।

फ़ायदा : तीन दिन तक जानवर का दूध निकालने से सही सूरते हाल का तअय्युन हो जाता है, इसलिए शरीयत ने तीन दिन की मोहलत दी है, अगर पहले यक़ीन हो जाये तो पहले वापस कर सकता है।

(3832) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: जिसने मुसर्रात बकरी ख़रीदी तो उसे तीन दिन तक इख़्तियार है, अगर वह उसे रद्द करे तो उसके साथ ख़ूराक का एक साअ दे, गेहूँ नहीं।

तख़रीज : जामेअ तिर्मिज़ी: 1252.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، - يَعْنِي الْعَقَدِيَّ - حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ " .

(3833) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: जिसने मुसर्रात बकरी ख़रीदी तो उसे दो चीज़ों में इख़्तियार है, चाहे तो उसे रख ले और चाहे तो वापस कर दे और एक साअ खजूर दे, गेहूँ नहीं।

तख़रीज : नसाई.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ " .

(3834) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: जिसने बकरी ख़रीदी तो उसे इख़्तियार है।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ " .

(3835) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: जब तुममें से कोई एक मुसर्रात ऊँटनी या मुसर्रात बकरी ख़रीदे तो वह दूध दूहने के बाद दो चीज़ों का इख़्तियार रखता है जानवर को

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "

إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلاَّ فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ " .

रख ले या उसको वापस कर दे और साथ एक स़ाअ खजूर दे।

फायदा : आम रिवायात में खजूर का स़ाअ वापस करने का हुक्म है और कुछ में तआम का तज़किरा है, लेकिन गेहूँ की नफ़ी है, इसलिए या तो आम रिवायात के मुताबिक़ खजूरों को तर्जीह दी जायेगी, जैसा कि अइम्म-ए-सलास़ा का मौक़िफ़ है या फिर ये मानी करना होगा कि अपने अपने इलाक़ा का ग़ालिब अनाज मुराद है, खजूर और गेहूँ ज़रूरी नहीं है, जैसा कि इमाम मालिक का दूसरा क़ौल है। स़ाअ की तअय्युन शरीयत ने इसलिए की है कि थनों में रोका गया दूध मज्हूल है, पता नहीं वह कितना था इस तरह आपस में इख़्तिलाफ़ हो सकता था। तो शरीयत ने इख़्तिलाफ़ ख़त्म करने के लिए तअईन कर दी।

(8)

باب بُطْلاَنِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

बाब : 8

ख़रीदा हुआ सामान क़ब्ज़ा में लेने से पहले बेचना जायज़ नहीं है या दुरूस्त नहीं है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلَهُ .

(3836) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: जिसने ग़ल्ला, अनाज ख़रीदा तो वह उसे पूरा पूरा लेने से पहले फ़रोख़्त न करे। इब्ने अ़ब्बास कहते हैं, मेरे नज़दीक हर चीज़ का हुक्म ऐसा ही है।

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 2135, सुनन अबू दाऊद, 3497, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1291, नसाई: 4612, सुनन इब्ने माजा: 2227.

मुफ़रदातुल हदीस़ : हत्ता यस्तौफ़ियहु: यहाँ तक कि उसको माप या तौल या गिन ले, लेकिन उसका क़ब्ज़ा में लेना, इस मानी की रू से शर्त नहीं है, लेकिन यहाँ ये लफ़्ज़ क़ब्ज़ा के मानी में ही है, जैसा कि अगली हदीस़ में इसकी जगह हत्ता यक़्बिज़हु, यहाँ तक कि क़ब्ज़ा में ले ले का लफ़्ज़ मौजूद है।

फायदा : (1) क़ब्ज़ा का मफ़हूम: क़ब्ज़ा ये है कि चीज़ मुश्तरी की हिर्ज़े तहफ़्फ़ुज़ व पनाह और

ज़मानत (ज़िम्मेदारी) में आ जाये, इसलिए इमाम मालिक और अहनाफ़ के यहाँ क़ब्ज़ा, तख़्लीया यानी बायअ का चीज से दस्तबरदार हो जाना और मुश्तरी को अपने तहफ़्फ़ुज़ में लेने का मौक़ा देने का नाम है और शवाफ़ेअ व हनाबिला के यहाँ ग़ैर मनक़ूला चीज़ों में क़ब्ज़ा, तख़्लीया का नाम है और मनक़ूला चीज़ों में नक़ल व तहवील (ख़रीदी हूई जगह से नक़ल करना है) और इमाम बुख़ारी के नज़दीक हक़्क़े तसर्रूफ़ तस्लीम कर लेना है, लेकिन सही बात यही है कि मनकूल चीज़ों में क़ब्ज़ा नक़ल व तहवील का नाम है, जैसा कि हज़रत ज़ैद बिन साबित की हदीस है कि नबी अकरम (ﷺ) ने जहां सामान ख़रीदा है वहाँ बेचने से मना किया, जब तक कि ताजिर उसे अपनी जगह में महफ़ूज़ नहीं कर लेता। **(2)** इमाम शाफ़ेई और इमाम मुहम्मद बिन अलहसन के नज़दीक हज़रत इब्ने अब्बास(ؓ) की तरह क़ब्ज़ा से पहले किसी चीज़ की ख़रीद व फ़रोख़्त जायज़ नहीं है, क्योंकि ख़रीदार जब तक सामान पर क़ब्ज़ा नहीं कर लेता, बायअ का हक़्क़े तसर्रूफ़ पूरी तरह ख़त्म नहीं होता और वह अगर उसे ज़्यादा मुनाफ़ा मिले तो सौदा फ़स्ख़ कर सकता है या क़ब्ज़ा देने से टाल मटोल कर सकता है, और आज कल बक़ौल अल्लामा तक़ी ये हिकमत भी ज़ाहिर हूई है कि इससे सट्टा को फ़रोग़ मिल रहा है जिससे चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं, जैसे एक बहरी जहाज़ जापान से किसी ताजिर का सामान ला रहा होता है और सामान अभी रास्ते में ही होता है कि वह मंगवाने वाला ताजिर वह सामान दूसरे ताजिर को बेच देता है और दूसरा ताजिर तीसरे ताजिर को बेच देता है इस तरह जहाज़ के लंगर अंदाज़ होने से पहले पहले सामान कई दफ़ा बिक जाता है, इस तरह वह चीज़ जो जापान से दस रूपये में चली थी, रास्ते में ही बार बार बिकने से वह चीज़ सौ दौ सौ तक पहुँच जाती है और अभी किसी के क़ब्ज़ा में नहीं आई और न वह सामान किसी ने देखा है, हालांकि ये सामान रास्ते में तबाह भी हो सकता है (तक्मिला फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द: 1, सफ़ा: 354) लेकिन इस पर सवाल ये है कि क़ब्ज़ा का मतलब, अहनाफ़ के नज़दीक बायअ का सामान से दस्तबरदार हो जाना ही मुश्तरी को तसर्रूफ़ का हक़ दे देना है, और यहां हर ताजिर दूसरे के हक़ में दस्तबरदार हो गया है और उसके हक़्क़े मिल्कियत को तस्लीम कर लिया है, इसलिए उसने आगे बेचा है, इसलिए सही बात ये है कि ये तरीक़ा इस हदीस के ख़िलाफ़ है जिसे हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (ؓ) ने बयान किया है, आपने फ़रमाया: ला तबिअ मा लैस इन्दक, जो चीज़ तेरे पास नहीं है उसको फ़रोख़्त न करे, या हज़रत इब्ने अब्बास (ؓ) का क़ौल सादिक़ आता है कि जब एक चीज़ ख़रीदी है, लेकिन वह अपने क़ब्ज़े में नहीं ली, और वह आगे बेच दी, तो ये तो रक़म का रक़म से सौदा हुआ है, क्योंकि सामान आया नहीं है, न देखा है तो एक ताजिर ने उसको जैसे बीस रूपये में ख़रीद लिया, दूसरे को पच्चीस में दिया है, उसने तीसरे को तीस में बेच दिया है, इस तरह हर ताजिर, रक़म का रक़म से सौदा कर रहा है, सामान तो अभी ग़ायब है और ग़रर का भी एहतिमाल है कि माल रास्ते में ज़ाया हो जाये। इमाम अहमद का भी एक क़ौल इमाम शाफ़ेई वाला है, और अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी ने इस मौक़िफ़ को सही तस्लीम किया है। (शरह सही मुस्लिम: जिल्द: 4/सफ़ा: 162) **(3)** इमाम अहमद और इस्हाक़ के नज़दीक माप व तौल

से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों का क़ब्ज़े से पहले बेचना जायज़ नहीं है, बाक़ी चीज़ें बेचना जायज़ है, और बक़ौल अल्लामा इब्ने क़ुदामा नह्य का ताल्लुक़ इमाम अहमद के नज़दीक सिर्फ़ अनाज और ग़ल्ला से है। (4) इमाम मालिक के नज़दीक ग़ल्ला कैली हो या वज़नी। उसका क़ब्ज़े से पहले बेचना जायज़ नहीं है और क़ाज़ी अयाज़ मालिकी ने हर उस चीज़ की क़ब्ज़े से पहले बेचना जायज़ क़रार दी है जिसका ताल्लुक़ नाप–तौल या अ़दद से हो, और बहनून और इब्ने हबीब ने इसके साथ ग़ल्ला होने की शर्त लगाई है और इब्ने वहब ने कहा इसका ताल्लुक़ रिब्ई (सूदी) चीज़ों से है। (5) इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक मना का ताल्लुक़ मनक़ूल चीज़ों से है, ग़ैर मनक़ूल चीज़ों से नहीं है।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ، أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، - وَهُوَ الثَّوْرِيُّ - كِلاَهُمَا عَنْ عَمْرِو، بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(3837) इमाम स़ाहब अपने चार और उस्तादों से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : हदीस़: 3815 में देखें।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ .

(3838) इमाम स़ाहिब अपने तीन उस्तादों से हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: जिसने ग़ल्ला ख़रीदा तो वह उसे क़ब्ज़ा में लेने से पहले फ़रोख़्त न करे। इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) कहते हैं मेरे ख़याल में हर चीज़ का हुक्म ग़ल्ला वाला है, हर चीज़ ग़ल्ला के क़ायम मक़ाम है।

तख़रीज : हदीस़: 3817 में देखें।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ

(3839) इमाम स़ाहब अपने तीन और उस्तादों से हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: जिसने अनाज ख़रीदा तो वह उसे नाप लेने तक फ़रोख़्त न करे। तावुस कहते हैं

طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " . فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَقَالَ أَلاَ تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ مُرْجَأٌ .

मैंने इब्ने अब्बास (ﷺ) से पूछा, मुमानअत का क्या सबब है? इब्ने अब्बास (ﷺ) ने जवाब दिया क्या तुम देखते नहीं हो कि लोग सोने के ऐवज़ अनाज फ़रोख़्त करते हैं हालांकि वह बाद में मिलना होता है, अबू कुरैब की रिवायत में मुरजा का लफ़्ज़ नहीं है।

तख़रीज : हदीस: 3817 में देखें।

फायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) का मक़सद ये था, एक इंसान ने ग़ल्ला ख़रीदा लेकिन अभी वह मिला नहीं है, और उसे आगे फ़रोख़्त कर दिया, तो ये दर हक़ीक़त सोने की सोने से बैअ हुई है और इसमें कमी व बेशी जायज़ नहीं है हालांकि उसने जैसे सौ रूपये में ख़रीद कर, उसको एक सौ बीस के ऐवज़ फ़रोख़्त कर दिया, और ये रक़म का रक़म से तबादला हुआ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ"

(3840) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: जिसने अनाज ख़रीदा वह पूरा पूरा लिये बग़ैर फ़रोख़्त न करे।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2126, 2136, सुनन अबू दाऊद: 3492, नसाई: 4609, सुनन इब्ने माजा: 2226.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ .

(3841) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में अनाज ख़रीदते तो आप हम पर ऐसे आदमी मुक़र्रर करते जो हमें उसको जहां हमने ख़रीदा, वहाँ से दूसरी जगह मुन्तक़िल कर लेने का हुक्म देते।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3493, नसाई: 4619.

फायदा : हाफ़िज़ इब्ने हजर और अल्लामा ऐनी ने इस हदीस का ये मक़सद बयान किया है कि मुश्तरी अनाज को अपने क़ब्ज़े में लिये बग़ैर फ़रोख़्त न करे, दूसरी जगह मुन्तक़िल करने की क़ैद, अग़लबी है कि उमूमन ख़रीद कर चीज़ दूसरी जगह मुन्तक़िल कर ली जाती है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ، عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" .

(3842) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: जिसने अनाज ख़रीदा वह तौल या नाप किये बग़ैर फ़रोख़्त न करे।

तख़रीज : सुनन इब्ने माजा, 2229.

قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ .

(3843) और उन्होंने कहा हम क़ाफ़िला वालों से नाप तौल किये बग़ैर अन्दाज़ा से ग़ल्ला ख़रीद लेते थे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस जगह से नक़ल किये बग़ैर बेचने से मना फ़रमाया।

तख़रीज : इसकी तख़रीज।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ " .

(3844) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: जिसने ग़ल्ला ख़रीदा तो वह उसे फ़रोख़्त न करे, यहाँ तक कि उसका नाप तौल कर ले और क़ब्ज़ा में ले ले।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَقَالَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " .

(3845) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: जिसने अनाज ख़रीदा वह उसे क़ब्ज़े में लिये बग़ैर फ़रोख़्त न करे।

मुफ़रदातुल हदीस़ : जिज़ाफ़: ये बाब मुफ़ाअला जाज़फ़ का मस्दर है, इसलिए जीम पर कसरा (ज़ेर) पढ़ना ज़्यादा फ़सीह है। अगरचे ज़बर और पेश भी पढ़ा गया है और ये गज़ाफ़ से अरबी बनाया गया है। यानी अन्दाज़े से लेना।

फायदा : जिस तरह अन्दाज़ा से ख़रीदी गई चीज़ में क़ब्ज़ा ज़रूरी है, उसके बग़ैर बेचना जायज़ नहीं है, जुम्हूर अइम्मा के नज़दीक कैल व औज़ान से ली गई चीज़ का भी यही हुक्म है। और जुम्हूर के नज़दीक नाप और तौल वाली चीज़ के ढेर को अन्दाज़न ख़रीदना जायज़ है वहाँ अगर चीज़ का बाहमी तबादला है तो फिर अगर एक ही जिन्स की चीज़ हैं और रिबा (सूद) अल फ़ज़ल का (कमी व बेशी) का एहतिमाल है तो फिर जायज़ नहीं है। अगली हदीस़ से ये भी साबित होता है कि नाजायज़ ख़रीद व फ़रोख़्त करने वालों को ताज़ीर लगाना दुरूस्त है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ .

(3846) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में मार पड़ती थी जब वह अन्दाज़न ग़ल्ला ख़रीद कर उसी जगह फ़रोख़्त कर देते और उसे वहाँ से मुन्तक़िल न करते।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6852, सुनन अबू दाऊद: 3498, नसाई: 4622.

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ وَذَلِكَ حَتَّى يُئْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ .

(3847) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में लोगों को देखा कि जब वह अनाज का ढेर ख़रीदते और उस जगह बेच देते, तो उन्हें मार पड़ती यहाँ तक कि वह उसे अपने घर मुन्तक़िल कर लेते, इब्ने शिहाब कहते हैं, मुझे उबैद और इब्ने उमर (ﷺ) ने बताया, उसके अब्बा जान जब ग़ल्ला का ढेर ख़रीदते तो उसे अपने घर उठा ले जाते।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2137.

(3848) इमाम साहब अपने तीन उस्ताद से हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: जिसने अनाज ख़रीदा, उसका नाप लिये बग़ैर फ़रोख़्त न करे। अबू बक्र की रिवायत में इश्तरा की जगह इब्ताअ है, दोनों का मानी ख़रीदना है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ " مَنِ ابْتَاعَ

(3849) सुलैमान बिन यसार हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) से बयान करते हैं कि उन्होंने हज़रत मरवान बिन हकम (ﷺ) को कहा, तूने सूद को जायज़ क़रार दे दिया है, तो मरवान (ﷺ) ने पूछा, मैंने क्या किया है? तो हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) ने कहा, तूने दस्तावेज़ (हुण्डी) की बैअ को जायज़ क़रार दिया है। हालांकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अनाज को क़ब्ज़ा में लिये बग़ैर फ़रोख़्त करने से मना फ़रमाया है, तो मरवान ने लोगों को ख़िताब किया और दस्तावेज़ की बैअ से रोक दिया, सुलैमान कहते हैं मैंने सिपाहियों (मुहाफ़िज़ों) को देखा, वह दस्तावेज़ लोगों के हाथों से छीन रहे थे।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا . فَقَالَ مَرْوَانُ مَا فَعَلْتُ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى . قَالَ فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا . قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ .

मुफ़रदातुल हदीस : सिकाक: सक की जमा है जो फ़ारसी लफ़्ज़ चैक की तारीब (अरबी बनाना) है, तहरीर, नविश्ता इससे मुराद क़र्ज़े की अदायगी के दस्तावेज़ है। जैसे आज कल ज़मींदार, काश्तकार मिल वालों को गन्ना फ़रोख़्त करते हैं, तो वह उन्हें एक रसीद दे देते हैं जिसमें ये लिखा होता है, ये गन्ना इतने मन है इस भाव पर इसकी इतनी क़ीमत बनती है और ये एक माह बाद फ़ुलां तारीख़ को अदा कर दी जायेगी, काश्तकार या ज़मींदार वह रक़म फ़ौरन लेना चाहता है। इसलिए वह रसीद किसी

और इंसान को कम क़ीमत पर फ़रोख़्त कर देता है, उस दौर में बैतुलमाल की तरफ़ से लोगों का ग़ल्ला या रक़म के लिये तहरीर मिलती थी कि फुलां माह उसको इतना ग़ल्ला या रक़म मिल जायेगी और लोग उसको वक़्ते मुक़र्रहा के आने से पहले किसी दूसरे के हाथ फ़रोख़्त कर देते थे, हज़रत अबू हुरैरह ने इस कमी व बेशी को सूद क़रार दिया है। और उसकी मुमानिअत की वजह यही बयान की है कि ये क़ब्ज़े से पहले फ़रोख़्त करना है।

फायदा : दस्तावेज़ या चैक किसी दूसरे शख़्स को नक़द कम क़ीमत पर फ़रोख़्त करना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये क़ब्ज़े से पहले बैअ है। फिर रक़म का रक़म से कमी व बेशी के साथ मुआवज़ा और उसमें नस्या उधार भी है, हालांकि एक करेन्सी का मुबादला हाथों हाथ और बराबर होना चाहिए, नीज़ इसमें ग़रर (धोखा) भी है, मालूम नहीं वह रक़म उस वक़्त मिले या न मिले, जैसा कि आज कल मिलों वाले करते हैं, लोगों के करोड़ों रूपये उनके ज़िम्मे हैं, उन्हें दस्तावेज़ की बैअ के तहत, उलमा हुक़ूक़े मुजर्रदा की बहस करते हैं। अल्लामा तक़ी उस्मानी ने उनकी चार क़िस्में बनाई हैं:

(1) हुक़ूक़े शरइया: जो शरीयत से साबित हैं, जैसे शुफ़आ का हक़, हक़्क़े वला (निस्बत का हक़) हक़्क़े नसब, हक़्क़े क़िसास, हक़्क़े तलाक़, ये हुक़ूक़ किसी की तरफ़ मुन्तक़िल नहीं हो सकते इसलिए उनकी ख़रीद व फ़रोख़्त भी जायज़ नहीं है।

(2) माल या रक़म की वसूली का हक़, जैसे एक आदमी ने अपना कोई सामान या चीज़ फ़रोख़्त की, तो उसको क़ीमत की वसूली का हक़ मिल गया, या किसी ने दूसरे इंसान को क़र्ज़ा दिया, तो उसे अपने क़र्ज़े की वसूली का हक़ मिल गया, या हुकूमत ने किसी इंसान के लिए इनाम देने का या किसी इदारा को गरांट देने का ऐलान किया, तो उसको अपना इनाम और गरांट लेने का हक़ मिल गया, अब इन सब सूरतों में कोई इंसान अपने हक़ वसूली को दूसरे को फ़रोख़्त कर देता है। क्योंकि ये रक़म उसे कुछ अर्सा बाद मिलनी है और उसे फ़ौरी ज़रूरत है तो क्या ये जायज़ है? ज़ाहिर है इसकी सूरत चैक या दस्तावेज़ की फ़रोख़्त वाली है इसके तहत बिल एक्सचेंज़ (Bill Exchange) आते हैं, जिसको उर्दू में हुण्डी और अरबी में कम्बीलात कहते हैं। जैसे एक इंसान अपना सामान तीन माह के उधार पर बेच देता है और ख़रीदार उसको चैक दे देता है, जो वह तीन माह बाद वसूल कर सकेगा या एक दस्तावेज़ तहरीरन लिख दी, चैक की सूरत में माल फ़रोख़्त करने वाला चैक एक बैंक के पास ले जाता है और उसे जाकर कम रक़म पर फ़रोख़्त कर देता है, जिसको कमीशन का नाम दिया जाता है, रक़म की अदायगी की मियाद जितनी ज़्यादा होगी कमीशन उतना ही ज़्यादा होगा और मियाद जिस क़द्र कम होगी,उस मुनासिबत से कमीशन कम होगा और एक बैंक, बसा औक़ात ये चैक दूसरे बैंक को फ़रोख़्त कर देता है, ज़ाहिर है उसका हुक्म भी ऊपर दिये गये दस्तावेज़ वाला है।

(3) दस्तावेज़ या वसीक़ा की बुनियाद पर फ़ायदा उठाना, जैसे एक कम्पनी ने किसी को शख़्सी तौर पर, हवाई जहाज़ का टिकट दिया है या किसी इदारा ने अपने मुलाज़िम को रेल या बस का टिकट दिया है, जिस पर वह मुलाज़िम ही सफ़र कर सकता है तो ऐसे टिकट फ़रोख़्त करना भी जायज़ नहीं है, हाँ अगर उसको आगे देने की इजाज़त हो तो फिर वह आगे फ़रोख़्त कर सकता है या हिबा कर सकता है, यही हाल इम्पोर्ट और रूट परमिट की है, अगर किसी इंसान ने ख़ास तौर पर हुकूमत से अपने लिये हासिल किया है, और सिर्फ़ ये ग़र्ज़ है कि उसको आगे फ़रोख़्त करके पैसा कमाया जाये तो उसका मक़सद तिजारत या कारोबार करना और बसें चलाना नहीं है, तो ये रिश्वत है जो जायज़ नहीं है। और इससे उन लोगों का हक़ मारा जाता है जो ये काम कर सकते हैं।

(4) किसी से कोई मुआहिदा करे या तोड़ने का हक़, जैसे मकान या दूकान जो किराये पर हैं, उनकी पगड़ी कि दूकान या मकान का मालिक जब ये चीज़ें किराये पर देता है तो उससे किराये के सिवा पेशगी कुछ रक़म वसूल कर लेता है, जिसकी बिना पर वह उससे मकान या दूकान छुड़ा नहीं सकता और तै शुदा शर्त के मुताबिक़ किराया वसूल करता रहेगा,और किरायेदार ये मकान या दूकान आगे किसी और को किराये पर देता है और उससे पगड़ी वसूल करता है, तो ये भी क़ब्ज़ा देने की रक़म वसूल करता है और क़ब्ज़ा देना भी हुक़ूक़े मुजर्रदा में आता है ये कोई हिस्सी या माद्दी चीज़ नहीं है इसलिए जायज़ नहीं है, कुछ हज़रात ने हुक़ूक़े इशाअत को भी इसके तहत दाख़िल किया है, अल्लामा तक़ी उस्मानी ने अपने वालिद मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी के हवाला से लिखा है कि मुसन्निफ़ अपना मसौदा किसी नाशिर को फ़रोख़्त कर सकता है, लेकिन नाशिर एक दफ़ा तबअ करने के बाद हक़्क़े इशाअत अपने लिये मख़सूस नहीं कर सकता, लेकिन ज़ाहिर बात है कि एक नाशिर ने तो मुसन्निफ़ को उसका हक़ अदा करके किताब छपा ली है, तो अब दूसरा नाशिर बग़ैर मुआवज़ा के अगर किताब शाया करेगा या किताब का फ़ोटो लेकर शाया कर देगा तो उसका ख़र्च पहले नाशिर के मुक़ाबले में बहुत कम आयेगा, इसलिए वह किताब सस्ती फ़रोख़्त करेगा, इससे पहले नाशिर को नुक़सान होगा। क्योंकि पहले नाशिर ने मुसन्निफ़ को रॉयल्टी दी, किताब की किताबत कराई और उसकी उजरत अदा की, फिर नज़रे सानी या नक़ीह करने वाले को रक़म दी और फिर इन्तेहाई मेहनत करके किताब को मार्केट में मुतआरफ़ कराया, इस पर उसका ख़र्चा उठाया, अब दूसरा नाशिर महज़ फ़ोटो लेकर उसको शाया कर देता है तो क्या पहले नाशिर को नुक़सान नहीं होगा? इसलिए असल नाशिर की इजाज़त के बग़ैर उसको जायज़ क़रार देना या हुक़ूक़े तबाअत को नाजायज़ क़रार देना दुरूस्त नहीं है, हाँ अगर असल नाशिर ने उसकी इशाअत बंद कर दी है या उसको इसकी इशाअत पर कोई ऐतराज़ नहीं है तो फिर दूसरे नाशिर को इजाज़त होनी चाहिए।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ " .

(3850) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे जब तुम अनाज ख़रीदो तो उसे नाप तौल किये बग़ैर यानी क़ब्ज़ा में लिये बग़ैर आगे फ़रोख़्त न करो।

(9)
باب تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِتَمْرٍ

बाब : 9
खजूर का वह ढेर जिसकी मिक़्दार मालूम नहीं है, उसको खजूरों के ऐवज़ बेचना जायज़ नहीं है

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ .

(3851) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसे मना फ़रमाया है कि खजूरों का ढेर जिसके नाप का इल्म नहीं है, उसको खजूरों के मुअय्यन (मालूम) नाप के ऐवज बेचा जाये।

तख़रीज : नसाई: 4561, 4562.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ التَّمْرِ . فِي آخِرِ الْحَدِيثِ .

(3852) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही हदीस़ बयान करते हैं, लेकिन इसमें हदीस़ का आख़िरी लफ़्ज़ मिनत्तमर (खजूरों से) बयान नहीं किया।

तख़रीज : हदीस़: 3829 में देखें।

फ़ायदा : चूंकि दोनों खजूरें हैं और एक जिन्स की चीज़ में बराबर, बराबर होना ज़रूरी है और जब एक ढेर की खजूरों की मिक़्दार मालूम नहीं है और उसके ऐवज़ में मुतअय्यन मिक़्दार की खजूरें दी जा रही हैं, तो इस सूरत में इसमें कमी बेशी का ख़तरा है और एक जिन्स की चीज़ में जब वह खाने के क़ाबिल हों, तो बिल इत्तेफ़ाक़ कमी बेशी सूद है और ये जायज़ नहीं है।

(10)باب ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ

बाब : 10 बायअ और मुश्तरी को ख़्यारे मज्लिस हासिल है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ " .

(3853) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: मामला बैअ के दोनों फ़रीक़ों को एक दूसरे के अक़्द के फ़स्ख़ करने का इख़्तियार है, जब तक वह अलग अलग न हों, सिवाए इख़्तियार वाली बैअ के।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3111, सुनन अबू दाऊद: 3454, नसाई: 4477.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ، اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - وَهُوَ ابْنُ

(3854) इमाम साहब सात सनदों से अपने ग्यारह उस्तादों से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : नसाई: 4478, व हदीस: 8180, 7987, 8097, सहीह बुख़ारी: 2109, सुनन अबू दाऊद: 3455, नसाई: 4481, 4482, 7512, जामेअ तिर्मिज़ी: 1245, नसाई: 4485, 4486, 8522.

زَيْدٍ - جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى، بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ " .

(3855) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: जब दो आदमी बाहमी बैअ कर लें, तो उनमें से हर एक को बैअ को फ़स्ख़ करने का इख़्तियार हासिल है, जब तक वह अलग अलग न हों और दोनों इकट्ठे हों, या उनमें से एक दूसरे को इख़्तियार दे दे, अगर उनमें से एक ने दूसरे को इख़्तियार दे दिया और उसके बाद उन्होंने बैअ कर ली तो बैअ लाज़िम होगी, और अगर बैअ करने के बाद दोनों जुदा हो गये और उनमें से किसी ने बैअ को ख़त्म न किया (न छोड़ा) तो भी बैअ साबित व लाज़िम हो गई।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2112, नसाई: 4483, व हदीस: 4484, सुनन इब्ने माजा: 2181.

फ़ायदा : अगर दो आदमी किसी चीज़ की ख़रीद व फ़रोख़्त करते हैं, और उनका मामला बाहमी तै हो जाता है तो वह जब तक जिस जगह बैअ हूई है वहीं मौजूद हैं, तो उन दोनों (फ़रोख़्त करने वाला और

ख़रीदने वाला) को उस सौदा को फ़स्ख़ करने का (तोड़ने और ख़त्म करने का) हक़ हासिल है। इसको ख़्यारे मज्लिस का नाम दिया जाता है, हदीस़ के लफ़्ज़ काना जमीअन मालम यतफ़र्रक़ा की तौज़ीह व तफ़्सीर करते हैं कि तफ़रीक़ से मुराद, तफ़रीक़ बिल अब्दान है, यानी दोनों उस जगह से अलग अलग नहीं हुए। इस हदीस़ के रावी हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने इसका यही मानी समझा है और इसके दूसरे रावी हज़रत अबू बरज़ा (ﷺ) हैं, उन्होंने भी यही मानी लिया है। अहनाफ़ का उसूल ये है कि रावी की राय और फ़हम मुक़द्दम है, इसी उसूल का तक़ाज़ा भी यही है कि यहाँ तफ़रीक़ बिल अब्दान मुराद है क्योंकि हज़रत इब्ने उमर सौदा पुख़्ता करने के लिये मज्लिसे बैअ़ से अलग हो जाते थे। नीज़ हदीस़ के अल्फ़ाज़ औ युख़य्यिरू अहदुहुमल आख़र, इनमें से एक दूसरे को इख़्तियार दे, और इन तफ़र्रक़ा बअ़द अन तबायअ़ा व लम यत्रूक वाहिदुम् मिन्हा अल बैअ़, अगर बैअ़ के बाद वह दोनों अलग हो गये और उनमें से किसी ने भी बैअ़ को ख़त्म नहीं किया, फ़क़द वजब अलबैअ़े, तो बैअ़ लाज़िम हो गई से भी उसकी ताईद होती है, नीज़ हदीस़ में इख़्तियार, बैअ़ के बाद दिया गया है, और बैअ़ इजाबो क़बूल दोनों के बाद होती है, इसलिए फ़रीक़ैन को मामला बैअ़, फ़स्ख़ करने का उस वक़्त तक इख़्तियार रहता है, जब तक वह दोनों उसी जगह मौजूद रहें जहाँ सौदा तै पाया है, लेकिन अगर कोई एक भी उस जगह से हट जाये और चला जाये या अलग हो जाये तो फ़स्ख़ का इख़्तियार ख़त्म हो जायेगा। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, अहले ज़ाहिर और मोहद्दिसीन का यही मौक़िफ़ है लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा (अहनाफ़) इमाम मालिक (मालकिया) के नज़दीक, तफ़रीक़ से मुराद तफ़रीक़ बिल अक़वाल है, यानी जब बायअ़ (फ़रोख़्त करने वाला) ने कहा, मैं ये चीज़ इतने में फ़रोख़्त करता हूँ, तो अब मुश्तरी (ख़रीदार) को इख़्तियार है। वह उस क़ौल को क़बूल करे या न करे, हालांकि जब तक सौदा तै न हुआ तो बैअ़ हूई ही नहीं है, फिर इख़्तियार का क्या मतलब है? मालकिया कहते हैं तफ़रीक़ बिल अब्दान वाला मानी, अ़मल अहले मदीना के ख़िलाफ़ है, तो क्या इब्ने उमर, अबू बरज़ा, इमाम ज़ोहरी, इब्ने अबी ज़ुऐब सब मदनी नहीं हैं, अहनाफ़ ने इस हदीस़ की तीन तावीलें की हैं: **(1)** इस हदीस़ का ये मानी है कि जब मज्लिस में एक फ़रीक़ ने बैअ़ का मामला पेश किया, तो जब तक मज्लिस बरक़रार रहे, वह अलग अलग नहीं होते तो दूसरे फ़रीक़ को बैअ़ के क़बूल करने का इख़्तियार रहे, मज्लिस ख़त्म होने के बाद क़ौल करने का इख़्तियार ख़त्म हो जाये, तो जब तक दूसरे फ़रीक़ ने सौदा क़बूल ही नहीं किया तो ये बैअ़ कैसे हो गई? **(2)** तफ़रीक़ बिल अब्दान से मुराद, तफ़रीक़ बिल अक़वाल है, क्योंकि जब सौदा तै हो गया, तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अगर अलग अलग न हों तो क्या तफ़रीक़ बिल अब्दान होगा? **(3)** ख़्यारे मज्लिस से मुराद, इक़ाला है, यानी जब बैअ़ का मामला तै पा गया और उसके बाद किसी फ़रीक़ ने अपनी मसलिहत से मामला फ़स्ख़ करना चाहा तो दूसरा फ़रीक़ अगरचे क़ानूने शरीयत के तहत, मज्बूर नहीं है कि वह उसके लिये रज़ामंद हो जाये, लेकिन उसको अख़लाक़ी तौर पर उस पर

राज़ी हो जाना चाहिए, ज़ाहिर है यहां पर एक फ़रीक़ को इख़्तियार नहीं है, क्योंकि वह दूसरे फ़रीक़ की रज़ामंदी का पाबन्द है, इसलिए अल्लामा तक़ी उस्मानी अहनाफ़ के तमाम दलाइल लिखने के बाद कहते हैं कि अहनाफ़ ने इस हदीस़ के सिलसिले में जितने उज़्र पेश किये हैं, हक़ीक़त ये है दिल उन पर मुतमइन नहीं है। उनके तमाम दलाइल और तावीलात मेरे नज़दीक महल्ले नज़र हैं, क्योंकि ख़ुद इब्ने उमर (ﷺ) ने इस हदीस़ से तफ़रीक़े अब्दान और ख़्यारे मज्लिस मुराद लिया है। (तकमिला फ़तहुल मुल्हिम: जिल्द: 1/स़फ़ा: 373)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَمْلَى عَلَىَّ نَافِعٌ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ " . زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلاً فَأَرَادَ أَنْ لاَ يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ .

(3856) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: जब बायअ और मुश्तरी दोनों बैअ कर लें, तो दोनों में से हर एक को अपनी बैअ के फ़स्ख़ का हक़ हास़िल है, जब तक कि अलग अलग न हों या उनकी बैअ ख़्यार से हुई हो, तो जब उनकी बैअ ख़्यार से हुई है, तो बैअ लाज़िम हो गई है। नाफ़े कहते हैं, इस बिना पर इब्ने उमर जब किसी आदमी से बैअ करते और उसमें इक़ाला (वापसी) न करना चाहते, तो वहां से उठ खड़े होते, और कुछ देर इधर उधर चल फिर लेते (ताकि मज्लिस ख़त्म हो जाये) फिर वापस आ जाते।

तख़रीज : नसाई: 4480.

फ़ायदा : इस हदीस़ में इक़ाला से मुराद, बैअ का फ़स्ख़ है, क्योंकि इक़ाला का मदार तो फ़रीक़ैन की रज़ामंदी पर है, और ये इक़ाला मज्लिस के ख़ात्मा के बाद भी हो सकता है, इसलिए इक़ाला से बचने के लिये मज्लिस को ख़त्म करना नहीं है, और ये भी मुमकिन हो कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) को इस हदीस़ का पता न हो कि इक़ाला से बचने के लिये मज्लिस ख़त्म नहीं करनी चाहिए और एक फ़रीक़ इक़ाला करना चाहे तो दूसरे फ़रीक़ को उस पर राज़ी हो जाना चाहिए।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، و يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

(3857) इमाम स़ाहब अपने तीन उस्तादों से, इब्ने उमर (ﷺ) की हदीस़ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: फ़रोख़्त

أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ، عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعُ الْخِيَارِ " .

करने वाले और ख़रीदने वाले की बैअ उस वक़्त तक लाज़िम नहीं होती, जब तक वह अलग अलग न हो जायें मगर ये कि बैअ ख़यार पर हुई हो।

तख़रीज : नसाई: 4487.

फ़ायदा : अल बैअ अलख़यार: का मानी जुम्हूर के नज़दीक ये है कि एक फ़रीक़ दूसरे को कहे, इख़्तर, एक चीज़ का इन्तेख़ाब कर लो, यानी बैअ को फ़स्ख़ कर लो या लाज़िम कर लो, क्योंकि दूसरी अहादीस़ से इस मानी की ताईद होती है, एक हदीस़ में गुज़रा है, अगर एक ने दूसरे को इख़्तियार दिया। फ़तबायआ अला ज़ालिक, इस पर बैअ हो गई तो फ़क़द वजब अलबैअ, बैअ लाज़िम हो गई।

दूसरी हदीस़ में है: इज़ा कान बैअहुमा अन ख़ियार, फ़क़द वजब अलबैअ, अगर दोनों ने ख़ियार से बैअ की है तो बैअ लाज़िम हो गई है। और अहनाफ़ ने इसका ये मानी लिया है कि बैअे ख़ियार शर्त पर हुई हो यानी एक फ़रीक़ ने दूसरे को इख़्तियार दिया हो कि तुम्हें तीन दिन तक वापसी का इख़्तियार है, तो इस सूरत में, मज्लिस के ख़ात्मा के बाद भी मुद्दते मुक़र्ररा तक इख़्तियार हासिल होगा।

और शवाफ़ेअ के नज़दीक जुम्हूर वाला मानी है कि अगर मज्लिस में इख़्तियार दे दिया गया है और दूसरे फ़रीक़ ने बैअ की तौसीक़ कर दी है, तो बैअ लाज़िम हो गई है और अब ख़ियारे मज्लिस ख़त्म हो गया है और कुछ ने ये मानी किया है, तफ़रीक़े अब्दान का इख़्तियार इस सूरत में ख़त्म हो जायेगा, जब मज्लिस में एक फ़रीक़ ने दूसरे को मज्लिस के बाद भी सौदा फ़स्ख़ करने का इख़्तियार दिया है, जिसको ख़ियारे शर्त कहते हैं तो शवाफ़ेअ और अहनाफ़ के नज़दीक इसकी मुद्दत तीन दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती।

इमाम अहमद, इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद, इस्हाक़ के नज़दीक फ़रीक़ैन अपनी मर्ज़ी से जितनी मुद्दत चाहें मुक़र्रर कर सकते हैं। अगर ख़ियार शर्त की सूरत में मुद्दत मुक़र्रर नहीं की, तो शवाफ़ेअ और अहनाफ़ के नज़दीक बैअ बातिल हो गई, इमाम ओज़ाई के नज़दीक ये शर्त बातिल हो गई और बैअ दुरूस्त हो गई, मालकिया के नज़दीक चीज़ की मुनासिबत से मुद्दत की ताईन कर दी जायेगी। और इमाम अहमद और इस्हाक़ के नज़दीक इख़्तियार हमेशा के लिये हासिल हो जायेगा।

बाब : 11
बैअ़ में सच बोलना और हक़ीक़ते हाल बयान कर देना

(11)
باب الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ

(3858) इमाम स़ाहब अपने दो उस्तादों से हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (ﷺ) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: फ़रोख़्त करने वाले और ख़रीदने वाले को इख़्तियार हासिल है, जब तक वह अलग न हों अगर वह दोनों सच बोलेंगे और अपनी अपनी चीज़ के ऐब को बयान कर देंगे तो दोनों की बैअ़ में बरकत होगी और अगर दोनों झूठ बोलेंगे और ऐब को छुपायेंगे, तो उनकी बैअ़ की बरकत मिटा दी जायेगी।

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 2079, 2082, 2108, 2110, 2114, सुनन अबू दाऊद: 3459, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1246, नसाई: 4469, 4476.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ، عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا" .

(3859) इमाम स़ाहब अपने उस्ताद अ़म्र बिन अ़ली की दूसरी सनद से भी ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं। और इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज फ़रमाते हैं, हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (ﷺ) काबा में पैदा हुए थे और एक सौ बीस साल तक ज़िन्दा रहे।

तख़रीज : 3836 में देखें।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ . قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وُلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً .

फ़ायदा : सामान की ख़रीद व फ़रोख़्त में अगर बायअ़ और मुश्तरी दोनों सच बोलें, बायअ़ मुश्तरी को सामान की स़ही सूरत व कैफ़ियत और क्वालिटी से आगाह करे और मुश्तरी, क़ीमत स़ही स़ही

अदा करे और दोनों अगर सामान या क़ीमत (नक़दी) में कोई ऐब व नुक़्स हो तो उसको बयान कर दें, तो ये सौदा उनके लिए बरकत का बाइस होगा, इसके बरअक्स अगर वह झूठ बोलेंगे और अपनी अपनी चीज़ के ऐब व नुक़्स को छुपायेंगे तो सौदे में बरकत नहीं रहेगी। इस हदीस़ के रावी हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (ﷺ), हज़रत ख़दीज़ा (ﷺ) के भतीजे हैं जो अब्रहा के वाक़िये से तैरह साल पहले काबा के अन्दर पैदा हूए थे और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की बिअ़सते नबुवत से पहले ही से आपसे ताल्लुक़ ख़ातिर रखते थे, जो आपके दाव-ए-नबुवत के बाद भी बरक़रार रहे, लेकिन वह मुसलमान फ़तहे मक्का के साल हूए, और वह कुरैश की पॉर्लियामेंट हाऊस के मुन्तज़िम थे।

बाब : 12
जो शख़्स सौदा करने में धोखा खा जाये

(12)
باب مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

(3860) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को बताया कि उसे सौदों में धोखा दिया जाता है, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: तुम जिससे बैअ़ करो, उससे कह दो, धोखा नहीं होना चाहिए, तो वह जब सौदा करता तो कह देता, धोखा नहीं करोगे।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ، عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ " . فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِيَابَةَ.

(3861) इमाम स़ाहब अपने दो और उस्तादों से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, लेकिन इसमें ये ज़िक्र नहीं है कि वह सौदा करते वक़्त ला ख़ियाबा कहता था।

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 2407.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ، الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِيَابَةَ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : ला ख़िलाबा: ख़दीआ: और धोखा नहीं होना चाहिए, मक़सद ये है कि इस सौदा में, धोखा नहीं होना चाहिए वरना वह उसका पाबन्द नहीं होगा, क्योंकि दीन ख़ैरख़्वाही का नाम है, वह धोखे की इजाज़त नहीं देता।

फ़ायदा : हज़रत हिब्बान बिन मुन्क़िज़ या मुन्क़िज़ बिन अम्र (ﷺ) कुछ कम अक़्ल थे और ज़बान भी साफ़ नहीं थी, इसलिए आप (ﷺ) ने उनको ये अल्फ़ाज़, ला ख़िलाबा बता दिये ताकि दूसरा फ़रीक़ उनकी ख़ैरख़्वाही और हमदर्दी मल्हूज़ रखते हूए, उनसे सौदा करे, लेकिन वह ज़बान की लकुनत की वजह से ख़िलाबा या ख़दीआ का लफ़्ज़ बोलने की बजाये कभी ख़ियाबा कह देते कभी, ख़िज़ाबा या ख़ियाना, मक़सूद ख़िलाबा होता, इस हदीस़ की बिना पर, एक ऐसा इंसान जो ना तजुर्बाकार या ख़रीद व फ़रोख़्त में अनाड़ी है, भाव ताव नहीं करता, बायअ़ जो माँगे दे देता है, अगर बायअ़ उसको बहुत महँगी चीज़ दे, तो क्या उसको सौदा फ़स्ख़ करने का हक़ हासिल होगा या नहीं? अइम्मा का इख़्तिलाफ़ है, हनाबिला और कुछ मालकिया के नज़दीक अगर ना तजुर्बाकार को चीज़ आम मामूल से ज़्यादा महंगे दामों में बेची है तो उसे ख़ियारे फ़स्ख़ हासिल होगा, जैसे एक चीज़ आम तौर पर दस रूपये की है वह उसे पन्द्रह में देता है, तो उसे सौदा फ़स्ख़ करने का हक़ हासिल होगा, लेकिन शवाफ़ेअ, अहनाफ़ और अकस़र मालकिया के नज़दीक तजुर्बाकार, अक़्लमंद की तरह ना तजुर्बाकार और कम अक़्ल को भी सौदा महंगा होने की बिना पर, फ़स्ख़ करने का हक़ हासिल नहीं है और ये हदीस़ या तो हुब्बान बिन मुन्क़िज़ (ﷺ) के साथ ख़ास है या इसका ताल्लुक़ ख़ियार शर्त के साथ है, ख़ियार शर्त की सूरत में, उसको सौदा फ़स्ख़ करने का हक़ हासिल हुआ, और ख़ियार शर्त की वज़ाहत बैअे अलख़्यार के तहत गुज़र चुकी है, लेकिन बक़ौल अल्लामा सईद, मुताख़िख़रीन अहनाफ़ ने इस सूरत में फ़स्ख़ का इख़्तियार दिया है। अल्लामा तक़ी उस्मानी ने भी यही बात लिखी है (तकमिला, जिल्द: 2/सफ़ा: 180) सही बात ये मालूम होती है, उसको इक़ाला के तहत अख़लाक़ी तौर पर वापस करने का हक़ होना चाहिए।

बाब : 13
तोड़ने की शर्त लगाये बग़ैर, फलों की फ़सल तैयारी से पहले (पकने की सलाहियत के ज़हूर से पहले) ख़रीदना और बेचना जायज़ नहीं है

(13)
باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

(3862) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है फलों की बैअ से यहाँ तक कि उनमें पकने की सलाहियत नुमायाँ हो जाये यानी पुख़्तगी आ जाये, आप (ﷺ) ने बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों को मना फ़रमाया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2194, सुनन अबू दाऊद: 3367.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(3863) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

फ़ायदा : जिस तरह हमारे मुल्क में आजकल ये रिवाज है कि फलों के बाग़, फ़सल तैयार होने से बहुत पहले फ़रोख़्त कर दिये जाते हैं, इसी तरह अरब में खजूर और अंगूर के बाग़ और दरख़्तों के फल तैयारी से पहले फ़रोख़्त कर दिये जाते थे। इसी तरह खेतियों में पैदा होने वाला ग़ल्ला भी, तैयारी से पहले ही फ़रोख़्त कर दिया जाता था, और जब तेज़ आँधी चलती या ज़ोरदार बारिश होती या ओले गिरते तो फलों और ग़ल्ला को बहुत ज़्यादा नुक़सान पहुँचता या उनमें किसी ख़राबी व फ़साद या बीमारी के पैदा होने की बिना पर फ़सल न पकती, तो फ़रीक़ैन में तनाज़ा और झगड़ा पैदा हो जाता, क्योंकि मुश्तरी को क़ीमत अदा करना मुश्किल हो जाता। इसलिए नबी अकरम (ﷺ) ने पुख़्ता होने से पहले फल या ग़ल्ला बेचने से मना फ़रमाया।

बदू या बद्वे सलाह की तफ़्सीर: अहनाफ़ के नज़दीक इसका मानी है कि पैदावार आफ़त और फ़साद व बिगाड़ से महफ़ूज़ हो जाये और शवाफ़ेअ के नज़दीक इसका मानी है पकने के आसार और

हलावत व शरीनी पैदा हो जाये और मुख़्तलिफ़ अहादीस़ को सामने रखने से मालूम होता है ये दोनों चीज़ें मतलूब हैं, क्योंकि कुछ फलों में ये दोनों चीज़ें लाज़िम व मल्ज़ूम हैं कि जब तक वह फल ज़र्दी या सुर्ख़ी माइल न हों या उनमें मिठास पैदा न हो तो वह आफ़त से महफ़ूज़ नहीं होते।

बद्वे स़लाह से पहले बैअ़ करने का हुक्म अगर फल अभी ज़ाहिर ही नहीं हुआ तो बिल इत्तेफ़ाक़, मअ़दूम चीज़ की बैअ़े होने की बिना पर ये बैअ़ बातिल है, लेकिन अगर बद्वे स़लाह से पहले फल की पैदाइश के बाद बैअ़ हूई है तो उसकी तीन सूरतें हैं: **(1)** बायअ़ ने मुश्तरी को फ़ौरी तौर पर कच्चा फल तोड़ लेने की शर्त पर बेचा है, तो जुम्हूर उ़लमा और अइम्म–ए–अरबआ़ के नज़दीक बिल इत्तेफ़ाक़ जायज़ है क्योंकि यहां फल का पकाना मतलूब ही नहीं है। **(2)** मुश्तरी इस शर्त पर ख़रीदे कि मैं दरख़्तों पर पकाऊंगा तो ये बिल इत्तेफ़ाक़ नाजायज़ है। **(3)** बैअ़ बग़ैर किसी शर्त के होती है, यानी फ़ौरी तोड़ने या पकाने की शर्त नहीं लगाई गई, इस सूरत में इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक नाजायज़ है, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक जायज़ है, लेकिन बायअ़ मुश्तरी को फ़ौरी तौर पर तोड़ने पर मजबूर कर सकेगा, और बक़ौल हाफ़िज़ इब्ने हजर, इमाम बुख़ारी का रूझान इसी तरफ़ है। (फ़तहुलबारी: जिल्द: 4/सफ़ा: 503, मकतबा दारूस्सलाम) और इमाम ज़ोहरी का नज़रिया यही है लेकिन आफ़त की सूरत में बायअ़ ज़िम्मेदार होगा।

बद्वे स़लाह के बाद बैअ़ करने का हुक्म:

इसकी भी तीन सूरतें हैं: **(1)** बायअ़ ने फ़रोख़्त करते वक़्त, फ़ौरी तौर पर तोड़ने की शर्त लगाई। **(2)** मुश्तरी ने दरख़्तों पर पकाने की शर्त लगाई। **(3)** बिला शर्त फ़रोख़्त किया गया।

अइम्म–ए–सलास़ा के नज़दीक तीनों सूरतें जायज़ हैं और आख़री सूरत में मुश्तरी पकाने के बाद फल तोड़ेगा, पहले तोड़ना चाहे तो ये उसकी मर्ज़ी है, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक पहली और तीसरी सूरत जायज़ है और दूसरी सूरत में बैअ़ फ़ासिद है, यानी बैअ़ फ़ी नफ़्सिही सही है लेकिन शर्त लगाना दुरूस्त नहीं है और तीसरी सूरत में जब बायअ़ कहेगा तो मुश्तरी को फ़ल तोड़ना पड़ेगा गोया कि इमाम अबु हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक बद्वे स़लाह से पहले हो या बाद में फ़रोख़्त करने का एक ही हुक्म है, दोनों में कोई फ़र्क़ नहीं है, हालांकि हदीस़ से वाज़ेह तौर पर फ़र्क़ साबित हो रहा है, इमाम मुहम्मद के नज़दीक अगर फल अपनी पूरी मिक़्दार व जसामत तक पहुँच जाये, तो फिर फल पकाने की शर्त लगाना, उर्फ़ को मल्हूज़ रखते हूए, इस्तिहसानन जायज़ है, अगर अहनाफ़ का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया जाये तो बाग़ात के फलों को दरख़्तों के बेचने की कोई सूरत भी आज कल जायज़ सूरत में मौजूद नहीं, क्योंकि बद्वे स़लाह से पहले बैअ़ अइम्म–ए अरबआ़ के नज़दीक बिल इत्तेफ़ाक़ जायज़ नहीं है, और बद्वे स़लाह के बाद दरख़्तों पर पकाने की शर्त पर

अहनाफ़ के नज़दीक जायज़ नहीं है, हालांकि अगर बद्वे सलाह के बाद भी बाग़ात फ़रोख़्त किये जाते हैं तो पकाने की शर्त पर ही फ़रोख़्त किये जाते हैं, इसलिए उनको इस मसला के लिए हीले बहाने तलाश करने की ज़रूरत है। जबकि हदीस की रू से, अइम्मा सलासा के नज़दीक बद्वे सलाह के बाद बेचना जायज़ है, किसी तकल्लुफ़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हाँ ये हीला आसान है कि बद्वे सलाह के बाद बाग़ बिला शर्त फ़रोख़्त किया जाये और बायअ मुश्तरी को अपने तौर पर पकने तक इजाज़त दे दे।

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .

(3864) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खजूरों के बैअ से मना फ़रमाया है यहाँ तक कि उसका फल ज़ाहिर हो जाये और बालियों की बैअ से यहाँ तक कि उसका दाना सख़्त हो जाये और वह आफ़त से महफ़ूज़ हो जाये, बायअ और मुश्तरी दोनों को मना फ़रमाया।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3368, जामेअ तिर्मिज़ी: 1227, नसाई: 4565.

मुफ़रदातुल हदीस : इब्ने आराबी के नज़दीक जहन्नख़्लु यज़्हू का मानी होगा उसका फल ज़ाहिर हो गया, और अज़हा युज़ही का मानी होगा उसमें सुर्ख़ी या ज़र्दी पैदा हो गई और जोहरी के नज़दीक, ज़हा और अज़हा दोनों का मानी सुर्ख़ी या ज़र्दी का ज़ाहिर होना है। मक़सद पकने की सलाहियत का ज़ाहिर होना है। अनिस्सुम्बुलि हत्ता यबीज़ा, बाली का दाना सख़्त हो जाये और पकने की सलाहियत के ज़ाहिर होने की बिना पर आफ़त से निकल जाये।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ قَالَ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ

(3865) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया कि फल न बेचो कि जब तक उसमें पकने की सलाहियत पैदा न हो और आफ़त का ख़तरा टल जाये, मुराद उसकी सुर्ख़ी और ज़र्दी है (ये इब्ने उमर का क़ौल है)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ،

(3866) इमाम साहब ऊपर दी गई रिवायत अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं,

قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يَحْيَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ

लेकिन सिर्फ़ यब्दु व सलाहहू पकने की सलाहियत ज़ाहिर हो जाने तक बयान करते हैं, उसके बाद वाला हिस्सा बयान नहीं करते।

حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ.

(3867) इमाम साहब एक और उस्ताद से, बद्वे सलाह तक हदीस बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ .

(3868) इमाम साहब एक और उस्तादों से हदीस नम्बर 49 की तरह बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ "

(3869) इमाम साहब अपने चार उस्ताद से बयान करते हैं, हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: फल पकने की सलाहियत के ज़ाहिर होने तक न बेचो।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ مَا صَلاَحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ .

(3870) इमाम साहब ऊपर दी गई रिवायत दो और उस्तादों से बयान करते हैं, जिसमें ये इज़ाफ़ा है कि इब्ने उमर (ﷺ) से सवाल किया गया, ज़ुहूरे सलाहियत से क्या मुराद है? उन्होंने जवाब दिया, उसकी आफ़त का ख़तरा ख़त्म हो जाये।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 1486.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى - أَوْ نَهَانَا - رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ .

(3871) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया या हमें फलों को पुख़्ता होने से पहले फ़रोख़्त करने से मना फ़रमाया।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ .

(3872) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से बयान करते हैं, अल्फ़ाज़ मुहम्मद बिन हातिम के हैं, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पकने की सलाहियत के ज़हूर से पहले फल फ़रोख़्त करने से मना फ़रमाया है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ . قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْزَرَ .

(3873) अबूल बख़्तरी (रह.) बयान करते हैं, मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से खजूरों की बैअ के बारे में पूछा? तो उन्होंने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खजूरों को बेचने से मना फ़रमाया, यहाँ तक कि वह खा सके या खिला सके और वज़न के क़ाबिल हो जायें, तो मैंने पूछा, वज़न के क़ाबिल होने से क्या मुराद है? तो उनके पास बैठे हूए एक आदमी ने कहा, दरख़्त पर उसका अन्दाज़ा लगाया जा सके।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2246, 2247, 2248, 2249 व 2250.

फ़ायदा : हत्ता यहज़र का मक़सद है उसका अन्दाज़ा लगाया जा सके कि वह कितनी होगी, दरख़्तों पर फल का अन्दाज़ा लगाया जाता था कि वह पकने के बाद कितना होगा, और कुछ ने उसका ये मानी किया है कि उसकी हिफ़ाज़त व सयानत की जाये, बहरहाल असल मक़सद पकने की सलाहियत का ज़हूर है, क्योंकि उसके बाद ही मालिक उसकी हिफ़ाज़त का एहतिमाम करता है और उसकी मिक़्दार का अन्दाज़ा लगाया जाता है।

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي، نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَبْتَاعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا " .

(3874) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: फल पकने की सलाहियत के ज़हूर (ज़ाहिर होने) से पहले न ख़रीदो।

(14)
باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ فِي الْعَرَايَا

बाब : 14
ताज़ा खजूरों को ख़ुश्क खजूरों के ऐवज़ बेचना अराया के सिवा जायज़ नहीं

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ، نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ .

(3875) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फल फ़रोख़्त करने से मना फ़रमाया है यहाँ तक कि उनके पकने की सलाहियत ज़ाहिर हो जाये और ताज़ा खजूर, ख़ुश्क खजूर के ऐवज़ बेचने से मना फ़रमाया।

तख़रीज : नसाई: 4532.

फ़ायदा : अगर दरख़्त पर खजूर, तोड़ी हुई ख़ुश्क खजूर के ऐवज़ फ़रोख़्त की जाये तो उसको बैअे मुज़ाबना कहते हैं और ये अराया की सूरत के सिवा बिल इत्तेफ़ाक़ नाजायज़ है, लेकिन अगर ताज़ा

खजूर तोड़ कर ख़ुश्क खजूर के ऐवज़ फ़रोख़्त की जाये तो ये अइम्म–ए–सलासा और साहबैन (अबू यूसुफ़, मुहम्मद) के नज़दीक नाजायज़ है, और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक नक़द ब'नक़द और बराबर–बराबर हो तो जायज़ है, कमी व बेशी हो या उधार हो तो नाजायज़ है। अल्लामा सईद ने इमाम अबू हनीफ़ा के मौक़िफ़ को सही हदीस के ख़िलाफ़ तस्लीम किया है और साहबैन के मस्लक को इख़्तियार किया है। (शरह सहीह मुस्लिम: जिल्द: 4/सफ़ा: 204)

قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا . زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ أَنْ تُبَاعَ .

(3876) हज़रत इब्ने उमर, हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बैअे अराया की रूख़सत दी है, यानी फ़रोख़्त करने की अराया की तफ़्सीर अगले बाब में आ रही है।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ سَوَاءً .

(3877) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: फल पकने की सलाहियत के ज़ाहिर होने से पहले न ख़रीदो और न ताज़ा खजूर, ख़ुश्क खजूर से ख़रीदो।

तख़रीज : नसाई: 4533, सुनन इब्ने माजा: 2215.

फ़ायदा : इमाम लैस के नज़दीक जब एक इलाक़ा के बाग़ात में से किसी एक बाग़ में पकने की सलाहियत नुमायाँ हो गई है तो उस इलाक़ा के तमाम बाग़ात को बेचना जायज़ है, मालकिया के नज़दीक अगर दूसरे बाग़ात भी साथ ही पकने शुरू हो जायें तब जायज़ है। इमाम अहमद के नज़दीक हर बाग़ का अपना लिहाज़ होगा, जिस बाग़ में बद्वे सलाह हो जाये उसको बेचा जा सकेगा, शवाफ़ेअ के नज़दीक हर क़िस्म के फल का अलग अलग लिहाज़ होगा, जिस क़िस्म में बद्वे सलाह हो जाये उसको बेचा जा सकेगा और कुछ का ख़्याल है हर दरख़्त का अलग लिहाज़ होगा, सही बात ये है अगर बाग़ फ़रोख़्त किया है तो जब कुछ दरख़्तों का फल पकना शुरू हो गया है तो बाग़ बेचा जा

सकता है, क्योंकि फल एक साथ नहीं पकता, एक के बाद दीगर पकता है, अगर दरख़्त अलग अलग बेचे हैं तो फिर जिस दरख़्त का फल पकने लगा है, उसको बेचा जा सकेगा।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْقَمْحِ . قَالَ وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ " . وَقَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ .

(3878) हज़रत सईद बिन अलमुस्सयब (रह.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैअे मुज़ाबना और मुहाक़ला से मना फ़रमाया है, मुज़ाबना ये है कि दरख़्तों का फल, ख़ुश्क खजूरों के ऐवज बेचा जाये और मुहाक़ला ये है कि खेती, गेहूँ के ऐवज फ़रोख़्त की जाये या ज़मीन गेहूँ के ऐवज़ बटाई पर दी जाये, और इब्ने शिहाब कहते हैं मुझे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बताया कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया: फल पकने की सलाहियत के ज़ाहिर होने से पहले न ख़रीदो, न ताज़ा खजूर ख़ुश्क खजूर के ऐवज़ ख़रीदो। और हज़रत सालिम बयान करते हैं (मेरे बाप) अ़ब्दुल्लाह ने मुझे हज़रत ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) के वास्ते से नबी अकरम (ﷺ) का ये फ़रमान बयान किया कि आप (ﷺ) ने बाद में अरिया की सूरत में ताज़ा और ख़ुश्क खजूरों का बाहमी तबादला जायज़ क़रार दिया इसके सिवा की रूख़सत नहीं दी।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2173, 2184, 2188, 2192, 2380, जामेअ तिर्मिज़ी: 1300, 1302 नसाई: 4546, 4550, 4552, 4553, 4554 सुनन इब्ने माजा: 2268, 2269.

फ़ायदा : ये रिवायत हज़रत सईद बिन अलमुस्सयब से मुर्सलन यानी सहाबी के वास्ते के बग़ैर बराहे रास्त नबी अकरम (ﷺ) से मरवी है और सईद बड़े ताबेइन में से हैं, और उनकी मुर्सल रिवायत क़बूल है क्योंकि मरफ़ूअ़ रिवायात से उसकी तईद होती है। बैअे मुज़ाबना, दरख़्त का फल, तोड़ी हुई खजूरों से बेचना, ये इसलिए नाजायज़ है कि ये एक जिन्स का फल है, जिसमें कमी व बेशी जायज़ नहीं है,

लेकिन दरख़्त का फल, उसका नाप या तौल नहीं हो सकता, महज़ अन्दाज़ा लगाया जायेगा। जिसमें कमी व बेशी का इम्कान है, इमाम शाफ़ेई के नज़दीक सूदी चीज़ों में मज्हूल की मज्हूल मिक़्दार से बैअे मुज़ाबना है और इमाम मालिक के नज़दीक हर क़िस्म की चीज़ की मज्हूल मिक़्दार की मालूम नाप, वज़न या गिनती से बैअे मुज़ाबना है।

मुहाक़लाः हक़्ल खेती से है, इसकी तफ़्सीर में मुख़्तलिफ़ अक़्वाल हैं: (1) गेहूँ के ख़ोशों और बालियों की गेहूँ से बैअ़। (2) तिहाई या चौथाई पर ज़मीन बटाई पर देना, जिस को मुख़ाबरा कहा जाता है और बक़ौल कुछ ज़मीन, मुतय्यन पैदावार के ऐवज़ बटाई पर देना। जैसे एक एकड़ तीस मन गेहूँ के ऐवज़ बटाई पर देना। (3) कच्ची खेती फ़रोख़्त करना।

जुम्हूर अइम्मा और साहबैन के नज़दीक ज़मीन मुज़ारात पर देना कि उससे जो पैदावार निकलेगी उसका इतना हिस्सा मालिके ज़मीन का होगा और इतना किसान और काश्तकार का जायज़ है, और अहनाफ़ का फ़तवा इसके मुताबिक़ है, ज़राअ़त की ये सूरत नाजायज़ है कि मालिक ये कहे मैं फ़ी एकड़ बीस मन गेहूँ या बीस मन चना लूंगा। पैदावार कितनी होती है इससे मुझे ग़र्ज़ नहीं है।

अ़रियाः अइम्मा फ़ुक़हा के नज़दीक मुज़ाबना बिल इत्तेफ़ाक़ नाजायज़ है और अ़रिया बिल इत्तेफ़ाक जायज़ है, लेकिन अ़रिया की तफ़्सीर में शदीद इख़्तिलाफ़ है, इसमें पाँच अक़्वाल हैं: (1) इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक, अ़रिया, बैअे मुज़ाबना ही है जबकि वह पाँच वस्क़ से कम हो या तीन सौ साअ़ से कम हो तो जायज़ है, अगर पाँच वस्क़ या उससे ज़्यादा हो तो नाजायज़ है, कुछ हनाबिला का भी यही नज़रिया है। (2) इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक अ़रिया ये है कि कोई बाग़ का मालिक किसी आदमी को, फलदार दरख़्त का फल अ़तिया और मदद के तौर पर देता है तो वह मालिक के सिवा किसी और को फल, तोड़े हूए फल के ऐवज़ बेच देता है बशर्ते कि वह पाँच वस्क़ से कम हो। (3) इमाम मालिक के नज़दीक, अ़रिया ये है कि बाग़ का मालिक एक दरख़्त या चंद दरख़्तों का फल किसी को इनायत कर देता है, लेकिन उसकी आमद व रफ़्त से उसके अहल व अ़याल को परेशानी और तकलीफ़ पहुँचती है, क्योंकि उनकी रिहाइश बाग़ के अंदर है तो बाग़ के मालिक के लिये ये जायज़ है कि वह उस फल का अन्दाज़ा लगा कर उसके ऐवज़ ख़ुश्क फल दे दे। लेकिन इसमें शर्त ये है कि:

- फल पकना शुरू हो जाये।
- फल पाँच वस्क़ या उससे कम हो।
- ख़ुश्क फल छूहारे है, फल तोड़ने के बाद दे, फ़ौरन न दे।
- दोनों की क़िस्म या नोअ़ एक हो।

(4) इमाम अबू हनीफ़ा का क़ौल भी इमाम मालिक वाला है, लेकिन उनके नज़दीक ये बैअ़ नहीं है

बल्कि ये मालिके बाग़ की राय की तब्दीली है कि उसने ताज़ा फल की बजाये ख़ुश्क फल देने का इरादा कर लिया, इसलिए इसमें इमाम मालिक वाली किसी शर्त की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अ़रिया को बैअ़े मजाज़न क़रार दिया गया है, हक़ीक़तन ये हिबा के बारे में राय की तब्दीली है, और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक हिबा जब तक क़ब्ज़ा में न दिया जाये वह मुकम्मल नहीं होता, इसलिए क़ब्ज़ा में देने से पहले उसमें तब्दीली जायज़ है। (5) अबू उबैद क़ासिम बिन सलाम के नज़दीक, अ़रिया से मुराद वह खजूरों के दरख़्त हैं जो सदक़ा की वसूली के लिये दरख़्तों के फलों का अन्दाज़ा लगाते वक़्त, मालिके बाग़ के लिये छोड़ दिये जाते हैं, इनका अन्दाज़ा नहीं लगाया जाता, तो ज़रूरतमंद और फ़क़ीर व मोहताज लोग जो ताज़ा खजूर नक़दी के ऐवज़ हासिल नहीं कर सकते। वह छूहारों के ऐवज उन दरख़्तों का फल अन्दाज़ा से ख़रीद सकते हैं।

लुग़वी तौर पर अ़रिया से मुराद वह खजूर का दरख़्त है जिसका फल किसी मोहताज और ज़रूरतमंद को दे दिया गया है, और बक़ौल अ़ल्लामा उस्मानी अहले लुग़त के नज़दीक बिल इत्तेफ़ाक़, अ़रिया, हिबतु समरतिन्नख़्ला, (दरख़्त का फल हिबा करना) का नाम है। (फ़तहुल मुल्हिम: जिल्द: 1/210) अब जब फ़क़ीर व मोहताज को कोई दरख़्त का फल हिबा हुआ है और उनको उसके बेचने की इजाज़त दी गई है जैसा कि आगे आ रहा है कि अ़रिया उस दरख़्त का नाम है जो किसी को दिया जाता है और वह उसे आगे अन्दाज़ा से छूहारों के ऐवज बेच देते हैं, अब इस बेचने में कोई पाबन्दी नहीं है कि वह मालिक को अन्दाज़ा से बेच दें या किसी और को इस तरह रिवायात में ख़र्स (अन्दाज़ा) करके छूहारों के ऐवज़ फ़रोख़्त करने की तसरीह मौजूद है और ये काम मूहब लहू, जिसको दरख़्त का फल हिबा किया गया है की तरफ़ मन्सूब किया गया इसके बावजूद, उसको मालिके बाग़ की राय की तब्दीली का नाम देना और उन अहादीस़ का सही मानी यही क़रार देना सीना ज़ोरी नहीं है तो और क्या है? और अहले बैत से मुराद वाहिब को क़रार देना, इन्तेहाई ताज्जुब अंगेज़ है क्योंकि लफ़्ज़ तो ये हैं: याकुलु अहलुहा रूतबा, ताकि उसके अहल ताज़ा खजूरें खा सकें, तो क्या, बाग़ वालों के पास, अ़रिया के दरख़्त के सिवा कोई और दरख़्त नहीं है जिसका ताज़ा फल वह खा सकें? इस हदीस़ का तक़ाज़ा तो ये है कि ये दरख़्त उनको फ़रोख़्त किया गया, जिनके पास बाग़ नहीं है जिससे वह ताज़ा फल खा सकें, और हुज़ूर अकरम (ﷺ) बाग़ का अन्दाज़ा लगाते वक़्त मालिक को कुछ छूट दे देते ताकि ताज़ा फल खाने या किसी को खिलाने में उसे दिक़्क़त न आये।

(3879) हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अ़रिया के मालिक को इजाज़त दी है कि वह उसे

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ، بْنِ ثَابِتٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ.

अन्दाज़ा कर के छूहारों के ऐवज़ बेच दे।

तख़रीज : इसकी तख़रीज।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا .

(3880) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अ़रिया के बारे में इजाज़त दी है कि कोई घराना उसको अन्दाज़ा लगा कर छूहारों के ऐवज़ ले ले और ताज़ा खजूरें खा लें।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3855 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(3881) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3855 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا.

(3882) यहया बिन सईद इसी सनद से बयान करते हैं, हाँ इसमें ये है कि अ़रिया वह खजूर है, जो किसी क़ौम को दी जाती है तो वह उसे अन्दाज़ा करके ख़ुश्क खजूरों के ऐवज़ बेच देते हैं।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3855 में देखें।

फ़ायदा : इस हदीस से सराहतन फ़रोख़्त करने की निस्बत, उन लोगों की तरफ़ की गई है, जिन्हें वह खजूर हिबा की गई है। इसके बावजूद इसको हिबा की तब्दीली की दलील क़रार देना, मालूम नहीं किस मन्तिक़ की रू से जायज़ क़रार दिया जा सकता है। और इसमें ख़रीदारी की भी ताईन नहीं है कि वह ख़ुद मालिक है या कोई और है, मालिक तो सिर्फ़ इसी सूरत में ख़रीदार हो सकता है जब वह घर वालों समेत बाग़ में रिहाइश पज़ीर हो, और दूसरों की आमद व रफ़्त तकलीफ़ का बाइस हो, अगर वह बाग़ में रिहाइश नहीं रखता या आमद व रफ़्त से तकलीफ़ नहीं होती, तो फिर उसको ख़रीदने की क्या ज़रूरत है।

(3883) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) बयान करते हैं, अरिया के फ़रोख़्त करने की रूख़सत दी है कि उसको अन्दाज़ा करके ख़ुश्क खजूरों के ऐवज़ बेच दिया जाये, यहया बिन सईद कहते हैं अरिया, ये है कि एक आदमी खजूर के दरख़्तों का फल, अपने घर वालों के लिये ताज़ा खाने के लिए ख़रीद ले, और अन्दाज़ा करके उसके ऐवज़ ख़ुश्क खजूरें दे दे।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3855 में देखें।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا . قَالَ يَحْيَى الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلاَتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا .

(3884) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अराया को, उनके फल का अन्दाज़ा करके छूहारों के नाप के ऐवज़ बेचने की रूख़सत दी है।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3855 में देखें।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً .

(3885) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं जिसमें तुबाअ की जगह तूख़ज़ है कि छूहारों के ऐवज़ हासिल कर ली जायें।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3855 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ أَنْ تُؤْخَذَ بِخَرْصِهَا .

(3886) इमाम साहब अपने तीन और उस्तादों से बयान करते हैं कि आपने (रसूलुल्लाह (ﷺ) ने) अराया को अन्दाज़ा करके बेचने की रूख़सत दी है।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3855 में देखें।

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا .

(3887) बुशैर बिन यसार अपने मुहल्ला के कुछ सहाबा से बयान करते हैं, उनमें हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (ﷺ) भी दाख़िल हैं, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ताज़ा फल को ख़ुश्क फल के ऐवज़ बेचने से मना फ़रमाया, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये सूद है, ये मुज़ाबना है।' मगर आपने अरिया बेचने की रूख़सत दी, ये एक दो खजूरें हैं यानी उनका फल जिसे कोई घराना, अन्दाज़ा करके ख़ुश्क खजूरों के ऐवज़ ले लेता है ताकि ताज़ा खजूरें खा सकें।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2191, 2384, सुनन अबू दाऊद: 3363, जामेअ तिर्मिज़ी: 1303, नसाई: 4556, 4557, 4558.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ " ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ " . إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا .

फ़ायदा : आप (ﷺ) ने बैअे मुज़ाबना की हुरमत का सबब सूद क़रार दिया है और ज़ाहिर बात है अगर ताज़ा खजूरें ख़ुश्क खजूरों के ऐवज़ बराबर–बराबर भी दी जायें तो ताज़ा खजूरों को ख़ुश्क होकर कम होना है। इस तरह कमी व बेशी हो जायेगी जो सूद है।

(3888) बुशैर बिन यसार (रह.) नबी अकरम(ﷺ) के सहाबा से बयान करते हैं कि उन्होंने बताया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अरिया को अन्दाज़न छूहारों के ऐवज़ बेचने की रूख़सत दी है।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3864 में देखें।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَصْحَابِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ قَالُوا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا .

(3889) बुशैर बिन यसार (रह.) अपने मुहल्ला के कुछ सहाबा किराम (ﷺ) से बयान करते हैं, आगे हदीस नम्बर 67 बयान की, फ़र्क़ ये है कि वह इमाम साहब के उस्ताद

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي

बُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ دَارِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى غَيْرَ أَنَّ إِسْحَاقَ وَابْنَ الْمُثَنَّى جَعَلاَ مَكَانَ الرِّبَا الزَّبْنَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ الرِّبَا .

इस्हाक़ और इब्ने अल मुसन्ना ने रिबा की जगह ज़बन कहा, और तीसरे उस्ताद इब्ने अबी अम्र ने रिबा कहा।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3864 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस़ : ज़बन का मानी है ज़ोर से धक्का देना, क्योंकि बैअे मुज़ाबना में हर फ़रीक़ दूसरे को उसके हक़ से दूर करता है या उसमें ग़रर और धोखा होने की बिना पर, वह बैअ को फ़स्ख़ करके या नाफ़िज़ करने के लिये धकम–पेल तक पहुँच सकते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ، سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

(3890) इमाम स़ाहब अपने दो और उस्तादों से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 2190, 2382, सुनन अबू दाऊद: 3364, जामेअ तिर्मिज़ी: 1301, नसाई: 4555.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ، بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ

(3891) बुशैर बिन यसार बनू हारिस़ा के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत राफ़े बिन ख़दीज और सहल बिन अबी हस्मा (ﷺ) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़ाबना, खजुरों के फल की ख़ुश्क खजूरों से बैअ से मना फ़रमाया मगर अराया वालों को इसकी इजाज़त दी।

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 2171, 2185, नसाई: 4548.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ

(3892) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अराया की बैअ की अन्दाज़ा करके रूख़सत दी। बशर्ते कि पाँच

لَهُ - قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، - مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ - يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ - قَالَ نَعَمْ .

वस्क़ से कम या पाँच वस्क़ हो। ये शक हदीस़ के रावी दाऊद बिन अलहुसैन को है।

फ़ायदा : बैअे अराया में मिक़्दार की ताईन भी उसके बैअ होने की दलील है जो अहनाफ़ को भी क़बूल है। इसलिए इसको हिबा की तब्दीली बनाना महज़ हीले बहाने हैं। इसलिए कोई इस मिक़्दार को क़बूल करता है, और कोई कहता है, इस हदीस़ से इस मिक़्दार से ज़्यादा की बैअ (हिबा की वापसी) की नफ़ी साबित नहीं होती।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً .

(3893) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैअे मुज़ाबना से मना फ़रमाया, और मुज़ाबना खजूरों के फल को ख़ुश्क खजूरों के नाप से और अंगूरों को मुनक़्क़ा से नाप कर बेचना है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2171, 2185, नसाई: 4548.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ، بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً وَبَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً

(3894) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने मुज़ाबना से मना फ़रमाया है, खजूरों के फल को ख़ुश्क खजूर के नाप से बेचना, अंगूरों को मुनक़्क़ा के नाप से बेचना, गेहूँ की खेती को गेहूँ के नाप से बेचना।

(3895) इमाम साहब एक और उस्ताद से ऊपर दी गई हदीस बयान करते हैं।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3361.

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(3896) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैअे मुज़ाबना से मना फ़रमाया और मुज़ाबना, खजूर का फल छूहारों से नाप कर बेचना, अंगूरों को मुनक्क़ा के ऐवज़ नाप कर बेचना और हर फल को अन्दाज़ा कर के (उसकी जिन्स से) बेचना है।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلاً وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ .

फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि तमाम क़िस्म के फलों को जो अभी हासिल नहीं हूए, उसको ख़ुश्क फल के नाप से बेचना जायज़ नहीं है। इसलिए बैअे अराया की रूख़सत में इख़्तिलाफ़ है कि क्या उसका ताल्लुक़ हर क़िस्म के फल से है या नहीं? इमाम अहमद, लैस और अहले हिजाज़ के नज़दीक रूख़सत का ताल्लुक़ सिर्फ़ खजूरों से है, मगर ये कि वह फल रिबवी (जिसमें सूद का एहतिमाल है) न हो। इमाम शाफ़ेई के नज़दीक खजूर और अंगूर दोनों में रूख़सत है, इमाम मालिक के नज़दीक हर वह फल जो ज़ख़ीरा हो सके, इमाम ओज़ाई के नज़दीक हर क़िस्म के फल में रूख़सत है, और अहनाफ़ के नज़दीक ये हिबा की तब्दीली है इसलिए हर फल में जायज़ होना चाहिए और ज़ाहिर ये है कि इसका ताल्लुक़ हर उस फल से है जिसमें ताज़ा और ख़ुश्क होने की सूरत में फ़र्क़ है।

(3897) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़ाबना से मना फ़रमाया है और मुज़ाबना ये है कि खजूर के दरख़्त पर फल को मुतय्यन नाप के ऐवज़ बेचा जाये कि अगर दरख़्त का फल ज़्यादा हो तो मेरा होगा, कम होगा तो मेरा नुक़सान होगा।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2172, नसाई: 4547.

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَىَّ.

फ़ायदा : कमी व बेशी मेरे लिए है। ये बात बायअ और मुश्तरी दोनों की तरफ़ से हो सकती है। बायअ के ऐतबार से इसका ताल्लुक़ ख़ुश्क फल से होगा और मुश्तरी के ऐतबार से ताज़ा यानी दरख़्त पर मौजूद फल से।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(3898) इमाम साहब ऊपर दी गई रिवायत दो और उस्तादों से बयान करते हैं।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3874 में देखें।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ . نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ . وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ أَوْ كَانَ زَرْعًا .

(3899) हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया, यानी अपने बाग़ के दरख़्त पर फल को, अगर खजूर है तो छूहारे के नाप से बेचना, और अगर अंगूर है तो मुनक़्क़ा के नाप से बेचना और अगर खेती है तो ग़ल्ला के नाप से बेचना, इन तमाम सूरतों से मना फ़रमाया, क़ुतैबा की रिवायत में, इनका ज़रअन की जगह औ का—न ज़रअन है (मानी में कोई फ़र्क़ नहीं है)

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2205, नसाई: 4563, सुनन इब्ने माजा: 2265.

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ، ح وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

(3900) इमाम साहब ऊपर दी गई रिवायत अपने तीन और उस्तादों की सनदों से बयान करते हैं।

बाब : 15
फलदार खजूर का दरख़्त बेचना

(15)
باب مَنْ بَاعَ نَخْلاً عَلَيْهَا ثَمَرٌ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".

(3901) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने पेवंद करदा खजूर का दरख़्त फ़रोख़्त किया, तो उसका फल फ़रोख़्त करने वाले का है मगर ये कि ख़रीदार फल लेने की शर्त लगा ले।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2204, 2716, सुनन अबू दाऊद: 3434, सुनन इब्ने माजा: 2210.

मुफ़रदातुल हदीस़ : ताबीर: दरख़्त या खेती को दुरूस्त और बारआवर करना। ताबीर का मानी आम तौर पर पेवन्दकारी किया जाता है जिससे ज़हन आम पौदों की पेवंदकारी की तरफ़ मुन्तक़िल हो जाता है, जब कि ताबीर क़लम या शगूफ़ा लगाने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह तआला ने खजूर के नर और मादा दरख़्त अलग अलग बनाये हैं। नर का बोर मादा के बोर से हवा या कीड़ों मकोड़ों के ज़रिये मिलता है तो वह हामला हो जाता है और फल बन जाता है, अगर ये अमल बिलकुल न हो तो मादा के फुल बारआवर नहीं होते, अगर कम बोर पहुँचे तो कम फल लगता है, इसलिए अरब के लोग नर और मादा दरख़्तों पर फल का गाभा निकलने के साथ नर के गाभे का बोर लेकर मादा के गाभे का ग़िलाफ़ चाक करके उसमें झिडक देते थे जिससे अमले तल्क़ीह मुकम्मल हो कर फल ज़्यादा और मोटा लगता था।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है: अगर ताबीर के बाद फलदार दरख़्त फ़रोख़्त किया जाये तो उसका फल मालिक का है मगर ये कि ख़रीदार ख़रीदते वक़्त फल लेने की शर्त लगा ले। इस पर तक़रीबन तमाम फ़ुक़हा का इत्तेफ़ाक़ है। अगर ताबीर नहीं की, तो जुम्हूर के नज़दीक वह फल ख़रीदार का होगा। मगर ये कि बायअ ख़ुद रखने की शर्त लगा ले। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम ओज़ाई के नज़दीक फल हर सूरत में बायअ का होगा। मगर ये कि मुश्तरी शर्त लगा ले। अगर कुछ दरख़्त ताबीर शुदा हों और कुछ को ताबीर न किया गया हो, तो शवाफ़ेअ के नज़दीक सारा फल बायअ का होगा और अहमद के नज़दीक ताबीर शुदा दरख़्त का फल बायअ का और ग़ैर ताबीर शुदा दरख़्त का फल मुश्तरी का होगा। और इमाम मालिक के नज़दीक अग़लब और अक्स़र के मुताबिक़ फ़ैसला होगा। और इस हदीस़ से ये भी स़ाबित हुआ जो शर्त, अक़्द के मुनाफ़ी नहीं है। वह शर्त लगाई जा सकती है वह नह्य अन बैअ व शर्त के मुनाफ़ी नहीं है। अल्लामा तक़ी उस्मानी ने तस्लीम किया है। इन्नश्शर्ता लम यकुन

मुख़ालिफ़न लिमुक़्तज़ल अक़्दि ला यफ़्सुद बिहिल बैअ। अगर शर्त, अक़्द के तक़ाज़ा के मुनाफ़ी नहीं है तो वह बैअ पर असर अन्दाज़ नहीं होगी। (तकमिला, जिल्द: 1, सफ़ा: 425)

इसलिए अगर सवारी के जानवर पर फ़ौरी सवारी की ज़रूरत नहीं है तो सवारी का मालिक, उस पर कुछ मसाफ़त सवार रहने की शर्त लगा सकता है। इसलिए हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने हज़रत जाबिर (ؓ) को सवार रहने की शर्त लगाने की इजाज़त दी थी तो उसकी तावील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हुज़ूर के पास सवारी मौजूद थी, आप (ﷺ) को जाबिर के ऊँट पर सवार होने की ज़रूरत न थी।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا" .

(3902) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से रिवायत बयान करते हैं, अल्फ़ाज़ अबूबक्र बिन अबी शैबा के हैं कि हज़रत इब्ने उमर (ؓ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने पूरा खजूर का दरख़्त ताबीर के बाद ख़रीदा, तो उसका फल ताबीर करने वाले का होगा मगर ये कि ख़रीदने वाला उसके लेने की शर्त लगा ले।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ"

(3903) हज़रत इब्ने उमर (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने खजूरों को पेवन्द लगाया, फिर दरख़्त बेच डाला तो दरख़्त का फल, पेवन्द करने वाले का होगा मगर ये कि ख़रीदार लेने की शर्त लगा ले।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2206, नसाई: 4649, सुनन इब्ने माजा: 2210

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(3904) इमाम साहब अपने तीन और उस्तादों से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ، سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .

(3905) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से बयान करते हैं। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना: 'जिसने पेवन्दकारी के बाद खजूर के दरख़्त ख़रीदे तो उनका फल बायअ का है, मगर ये कि मुश्तरी शर्त लगा ले और जिसने मालदार ग़ुलाम ख़रीदा तो उसका माल, बायअ का है। मगर ये कि मुश्तरी शर्त लगाये।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2379, जामेअ तिर्मिज़ी: 1244, सुनन इब्ने माजा: 2211.

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(3906) इमाम साहब ऊपर दी गई रिवायत तीन और उस्तादों से बयान करते हैं।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3433, नसाई: 4650, सुनन इब्ने माजा: 2211.

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِمِثْلِهِ .

(3907) इमाम साहब एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

फ़ायदा : इस बात पर फ़ुक़हा का इत्तेफ़ाक़ है कि अगर आक़ा मालदार ग़ुलाम फ़रोख़्त करे, तो उसका माल, मालिक का होगा। शवाफ़ेअ और अहनाफ़ के नज़दीक, वह माल दर हक़ीक़त मालिक का ही है। क्योंकि ग़ुलाम किसी चीज़ का मालिक नहीं होता। उसकी तरफ़ निस्बत महज़ इस बिना पर कर दी गई है कि वह उसके पास है और वह उससे फ़ायदा उठा रहा है। इमाम मालिक के नज़दीक, अगर आक़ा, ग़ुलाम को माल दे दे तो वह उसका मालिक बन जायेगा, अगर मुश्तरी माल लेने की शर्त लगा ले तो

माल भी मुश्तरी का होगा। इमाम मालिक के नज़दीक मुश्तरी की शर्त हर सूरत में जायज़ है, माल क़ीमत की जिन्स से हो या ग़ैर जिन्स से, और वह माल क़ीमत से ज़्यादा हो या कम, लेकिन इमाम शाफ़ेई के नज़दीक अगर माल दिरहम हैं तो क़ीमत दीनारों की सूरत में अदा करना होगी और माल दीनार हैं तो क़ीमत दिरहम की सूरत में होगी। और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक अगर क़ीमत और माल की जिन्स अलग अलग है तो हर सूरत में जायज़ है और अगर जिन्स एक है तो क़ीमत, उस माल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर क़ीमत और माल बराबर है गुलाम के पास, पाँच सौ दिरहम हैं और क़ीमत भी यही है, या माल क़ीमत से ज़्यादा है, माल हज़ार दिरहम है और क़ीमत आठ सौ दिरहम है, तो इन दोनों सूरतों में जायज़ नहीं है, अगर क़ीमत हज़ार दिरहम हो और गुलाम के पास पाँच सौ या आठ सौ दिरहम हों तो फिर जायज़ है।

बाब : 16
बैअे मुहाक़ला, मुज़ाबना, मुख़ाबरा पकने की सलाहियत ज़ाहिर होने से पहले फलों की बैअे मुआवमा यानी चंद सालों के लिये बैअ। ये तमाम बुयूअ मना हैं

(16)
باب النَّهْىِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلاَّ الْعَرَايَا .

(3908) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (﵁) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहाक़ला, मुज़ाबना, मुख़ाबरा और पकने की सलाहियत के ज़ाहिर होने से पहले फलों को बेचने से मना फ़रमाया। उन्हें दीनार और दिरहम के ऐवज़ ही बेचा जाये, मा सिवा अराया के।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2189, 2381, नसाई: 3888, 4536, 4537, 4564.

फायदा : मुख़ाबरा के सिवा हदीस के बाक़ी मबाहिस गुज़र चुके हैं, इब्ने आराबी के नज़दीक मुख़ाबरा, मुज़ारअत को कहते हैं, चूंकि ये मामला आपने सबसे पहले ख़ैबर वालों के साथ किया था। इसलिए इसको मुख़ाबरा का नाम दिया गया। बक़ौल कुछ अगर बीज मालिके ज़मीन दे तो मुज़ारअत है और अगर बीज काश्तकार और किसान डाले तो मुख़ाबरा है। लेकिन सही बात ये है कि दोनों एक हैं। यानी किसी को ज़मीन हिस्सा पर या बटाई पर काश्त के लिये देना। इसकी जायज़ और नाजायज़ सूरतों की तफ़्सील अगले बाब में आ रही है।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي، الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

(3909) इमाम साहब ने एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत बयान की है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ، جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ وَلاَ تُبَاعُ إِلاَّ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلاَّ الْعَرَايَا ‏.‏ قَالَ عَطَاءٌ فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ ‏.‏ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً ‏.‏ وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلاً ‏.‏

(3910) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुख़ाबरा, मुहाक़ला और मुज़ाबना से मना फ़रमाया है और फलों को उनके खाने के क़ाबिल होने से पहले बेचने से मना फ़रमाया। उन्हें अराया के सिवा सिर्फ़ दिरहम या दीनारों के ऐवज फ़रोख़्त किया जाये। हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) ने इस हदीस की तशरीह करते हूए अपने तलामिज़ा को बताया, मुख़ाबरा से मुराद है एक साफ़ ज़मीन जिसमें कोई चीज़ काश्त नहीं की गई। एक आदमी दूसरे आदमी के हवाला करता है। और उसमें मेहनत और बीज वग़ैरह ख़र्च करता है और वह उससे पैदावार में से हिस्सा लेता है। मुज़ाबना की सूरत ये है कि खजूर के दरख़्त पर फल (अन्दाज़ा करके) ख़ुश्क खजूर के नाप के ऐवज़ देना। इस क़िस्म की सूरत मुहाक़ला में खेती की है कि खेत में खड़ी फ़सल को ग़ल्ला के नाप के साथ देता है।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3885 में देखें।

फायदा : आपका ये फ़रमान कि फल सिर्फ़ दिरहम और दीनार के ऐवज़ फ़रोख़्त किये जायें। तो ये इसलिए है कि उस वक़्त बैअ की आम सूरत यही थी। वरना असल मक़सद ये है कि एक जिन्स का बाहमी तबादला कि एक तरफ़ अन्दाज़ा और दूसरी तरफ़ तौल या नाप हो दुरूस्त नहीं है। अगर दोनों की जिन्स अलग अलग हो और मामला नक़द ब'नक़द हो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दिरहम और दीनार की सूरत में उधार भी जायज़ है, फ़ौरी तबादला ज़रूरी नहीं है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، كِلاَهُمَا عَنْ زَكَرِيَّاءَ، قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقِهَ - وَالإِشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَىْءٌ - وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَالْمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ . قَالَ زَيْدٌ قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ .

(3911) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहाक़ला, मुज़ाबना और मुख़ाबरा से मना फ़रमाया और इस बात से भी कि खजूरें, रंगत में तब्दीली से पहले फ़रोख़्त की जायें, और इश्क़ाह का मानी है वह सुर्ख़ या ज़र्द हो जायें या उनमें से कोई खाने के क़ाबिल हो जाये, और मुहाक़ला ये है कि खेती, ग़ल्ला के मुतय्यन नाप के ऐवज़ बेची जाये, और मुज़ाबना ये है कि दरख़्त पर खजूरें, खजूरों के मुतय्यन नाप (औसाक़) के ऐवज़ बेची जायें। और मुख़ाबरा ये है कि ज़मीन, तिहाई या चौथाई वग़ैरह पर दी जाये, अता के शागिर्द, ज़ैद कहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपने हज़रत जाबिर(ﷺ) से इस हदीस को रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते सुना है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ، مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى

(3912) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़ाबना, मुहाक़ला और मुख़ाबरा से मना फ़रमाया है, और इससे भी कि फल रंगत के

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ . قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشْقِحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا .

तब्दील होने से पहले बेचे जायें।

सईद बिन मीना के शागिर्द ने उनसे पूछा इश्क़ाह का क्या मतलब है? उन्होंने कहा, सुर्ख़ और ज़र्द हो जायें और उनको खाया जा सके।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2196, सुनन अबू दाऊद: 3370.

मुफ़रदातुल हदीस : भात्ता तुश्क़िह और हत्ता तुश्किह दोनों का असल मानी रंगत की तब्दीली है, पूरी तरह सुर्ख़ और ज़र्द होना मुराद नहीं है। रावी ने बात समझाने के लिये इसको सुर्ख़ी और ज़र्दी से ताबीर कर दिया है।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، - وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ، عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ - قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ - وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .

(3913) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहाक़ला, मुज़ाबना, मुआवमा और मुख़ाबरा से मना फ़रमाया। हज़रत जाबिर के दो शागिर्दों में से एक ने कहा, मुआवमा का मतलब है कई साल के लिये बाग़ बेच देना, और आपने इस्तिसना से मना फ़रमाया और अ़राया की फ़रोख़्त की इजाज़त दी।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3375, सुनन इब्ने माजा: 2218.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَذْكُرُ بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ .

(3914) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से यही रिवायत हज़रत जाबिर (ﷺ) के शागिर्द अबू ज़ुबैर से बयान करते हैं। और उसमें मुआवमा की तशरीह बयान नहीं की गई।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3404, जामेअ तिर्मिज़ी: 1313, नसाई: 4648, सुनन इब्ने माजा: 2266.

फ़ायदा : मुआवमा, आम या साल से है, जिसका मक़सद किसी फलदार दरख़्त या बाग़ को चंद साल के लिये फ़रोख़्त करना, और उसको (इस सौदे को) मना करने का सबब ग़रर का एहतिमाल है, क्योंकि मालूम नहीं अगले साल फल आयेगा या नहीं, और अगर आयेगा तो बाक़ी रहेगा या किसी नागहानी आफ़त का शिकार हो जायेगा, जिस से ख़रीदार को नुक़सान पहुँचेगा और वह क़ीमत की अदायगी में पस व पेश करेगा, जिससे आपस में तनाज़ा और झगड़ा पैदा होगा।

सुन्या: इससे मुराद बाग़ के किसी दरख़्त को फ़रोख़्त करने से मुस्तसना (अलग) क़रार देना है, अगर बायअ अपना बाग़ फ़रोख़्त करता है, या कोई और चीज़ फ़रोख़्त करता है और एक ग़ैर मुतय्यन दरख़्त या चीज़ का इस्तिसना कर लेता है, जैसे कहे कि दो दरख़्त या एक दरख़्त मेरा होगा। या कुछ चीज़ मेरी होगी तो ये बिल इत्तेफ़ाक़ मना है। लेकिन अगर दरख़्तों की तादाद मालूम है या चीज़ की मिक़्दार मालूम है फिर वह एक मख़्सूस और मुअय्यन फ़रोख़्त को मुस्तसना कर लेता है या चीज़ की मुअय्यन मिक़्दार का इस्तिसना कर लेता है तो फिर बिल इत्तेफ़ाक़ जायज़ है। लेकिन अगर सामान की मिक़्दार मालूम नहीं है, जैसे गेहूँ का ढेर पड़ा है मालूम नहीं है कि गेहूँ कितनी है फिर अगर वह मुअय्यन मिक़्दार का इस्तिसना करता है, जैसे इस ढेर से दो साअ मैं रखूंगा। तो फिर इमाम अबू हनीफ़ा, शाफ़ेई और जुम्हूर के नज़दीक जायज़ नहीं है। लेकिन इमाम मालिक के नज़दीक जायज़ है। सही बात यही मालूम होती है कि अगर बहुत कम चीज़ का इस्तिसना आता है, जिसमें तनाज़ा और झगड़े का ख़तरा नहीं है, तो जायज़ होना चाहिए, जिस तरह इस सूरत में जायज़ है, जब ये कहता है, उसका आधा हिस्सा मेरा होगा या चौथा हिस्सा मेरा होगा।

बाब : 17
ज़मीन किराया (उजरत) पर देना

(17)
باب كِرَاءِ الأَرْضِ

(3915) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन किराये पर देने से मना फ़रमाया है और उसको चंद साल के लिये बेचने से भी, और फल को पुख़्ता (शीरीं) होने से पहले बेचने से।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ، أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ .

(3916) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन किराया पर देने से मना फ़रमाया है।
तख़रीज : नसाई: 3887.

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ .

फ़ायदा : ज़मीन किसी को किराया पर देने का मक़सद है किसी को काश्त के लिये उजरत और मज़दूरी पर देना। ज़मीन काश्त के लिये देने की चार सूरतें बन सकती हैं।

(1) ज़मीनदार, मुज़ारिअ या काश्तकार को ज़मीन इस शर्त पर देता है, कि मैं इस ज़मीन के ऐवज़, पैदावार में से बीस मन या सौ मन लूंगा, ये सूरत फ़ुक़हा के नज़दीक बिल इत्तेफ़ाक़ नाजायज़ है। क्योंकि मालूम नहीं है किस क़द्र पैदावार हासिल होगी या हासिल भी होगी या किसी आफ़त का शिकार हो जायेगी। इस तरह इसमें ग़रर और धोखा है।

(2) ज़मीनदार, काश्तकार को ज़मीन इस शर्त पर देता है कि फ़ुलां फ़ुलां एकड़ की पैदावार मेरी होगी और बाक़ी तेरी होगी, इस तरह बेहतरीन हिस्सा अपने लिये रखता है, ये भी बिल इत्तेफ़ाक़ ममनूअ है, क्योंकि इसमें भी ग़रर का ख़तरा है। मालूम नहीं, ज़मीन का कौनसा हिस्सा, किस आफ़त का शिकार हो जाये और इससे पैदावार हासिल न हो सके, या किस हिस्से में कितनी पैदावार होगी।

(3) ज़मीनदार मुज़ारिअ (खेती करने वाले) को ज़मीन ठेके पर दे, ठेका सोना, चाँदी, किसी करेन्सी या किसी और चीज़ की मुतय्यन और तै शुदा मिक़्दार की सूरत में होगा। बहरहाल ये तै है कि ये ठेका ज़मीन से हासिल होने वाली पैदावार का मुअय्यना मिक़्दार में नहीं होगा। अइम्म–ए–अरबआ और जुम्हूर फ़ुक़हा के नज़दीक ये सूरत जायज़ है, लेकिन इमाम रबीआ अर्राय के नज़दीक ठेका सिर्फ़ सोने, चाँदी के ऐवज़ होगा और किसी सूरत में जायज़ नहीं है, और इमाम मालिक के नज़दीक ग़ल्ला व अनाज के सिवा हर चीज़ के ऐवज़ जायज़ है, इमाम शाफ़ेई, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद, साहबैन (अबू युसूफ़, मुहम्मद) और जुम्हूर के नज़दीक, हर चीज़ के ऐवज़ जायज़ है। इसकी मिक़्दार या मालियत तै होगी, लेकिन हसन बसरी, इमाम ताऊस के नज़दीक ज़मीन ठेका पर देना जायज़ नहीं है। इमाम इब्ने हज़्म का मौक़िफ़ भी यही है, और उसने ये मौक़िफ़ अता, इक्रिमा, मुजाहिद, शअबी, इब्ने सीरीन, क़ासिम बिन मुहम्मद और मसरूक़ (रह.) का क़रार दिया है। लेकिन इन ताबेईन के बाद के तमाम अइम्मा और फ़ुक़हा का ठेका के जवाज़ पर इत्तेफ़ाक़ है। इसलिए इमाम इब्ने क़ुदामा ने अपनी किताब अलमुग़नी में इसको इज्माई मसला क़रार दिया है। (अलमुग़नी, जिल्द: 5, सफ़ा: 429, मतबूआ इदारतुल बुहूसिल इल्मिया वल फ़तावा सऊदी अरब)

(4) ज़मीनदार, किसान को ज़मीन बटाई या हिस्सा पर दे जिसको मुज़ारअत का नाम दिया जाता है कि इससे जो पैदावार हासिल होगी उसका आधा हिस्सा लूंगा। इसमें कमी व बेशी भी हो सकती है, जिसका दारोमदार, ज़मीनदार की तरफ़ से किसान को फ़राहम करदा सहूलतों पर है। इसके बारे में अइम्मा के नीचे दिये गये अक़वाल हैं:-

- मुज़ारअत पर ज़मीन देना बिला क़ैद जायज़ है, इमाम अहमद, इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद का यही नज़रिया है। इब्ने हज़्म का भी यही मौक़िफ़ है। बहुत से सहाबा और ताबेईन से इसका जवाज़ साबित है।
- बटाई पर ज़मीन देना किसी सूरत में जायज़ नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा और ज़ुफ़र का यही मौक़िफ़ है। इक्रिमा, नख़ई और मुजाहिद भी इसके क़ाइल थे, और इमाम साहब मुसाक़ात को भी जायज़ नहीं समझते।
- इमाम शाफ़ेई के नज़दीक मुज़ारअत चंद शर्तों के साथ जायज़ है। पहली शर्त ये है कि ये मुसाक़ात (बाग़बानी) के ज़िम्न में हो। यानी असल में बाग़ हिस्सा पर दिया है और उसके अन्दर कुछ ज़मीन भी है जिसको काश्त किया जाता है।
- मुज़ारअत और मुसाक़ात एक ही किसान कर रहा हो।
- मामला एक साथ और मुश्तरका तै हुआ हो, अलग अलग नहीं।
- बाग़ के अन्दर की ज़मीन किसी और को देना मुमकिन न हो।
- ज़मीन में बीज, ज़मीनदार डालेगा, वग़ैरह।

(5) मुज़ारअत, मुसाक़ात की ज़िम्न में होगी और बाग़ की ज़मीन दो तिहाई होगी और काश्त के लिए ज़मीन एक तिहाई या उससे कम होगी। ये इमाम मालिक का नज़रिया है।

सही बात ये है कि मुज़ारअत और मुसाक़ात दोनों जायज़ हैं। अहनाफ़ का फ़तवा भी साहबैन के क़ौल के मुताबिक़ है और उम्मत हुज़ूर अकरम (ﷺ) के दौर से लेकर आज तक इस पर अमल पैरा है। और मुज़ारअत से जिन हदीसों में मना किया गया है वह मख़्सूस सूरतें हैं जिनमें ग़रर है, जिनको हमने, मुज़ारअत की पहली और दूसरी सूरत में बयान किया है। और कुछ मौक़ों पर आप (ﷺ) ने बड़े बड़े ज़मीनदारों को, जिनके पास फ़ालतू ज़मीन थी, उनको आपने उन लोगों के साथ जिनके पास ज़मीन नहीं थी हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही और ईसारो क़ुर्बानी का हुक्म दिया कि तुम फ़ालतू ज़मीन काश्त के लिये इन्हें दे दो, जब ज़रूरत हो तो अपनी ज़मीन वापस ले लेना, ये दोनों बातें कि मुज़ारअत की मख़्सूस सूरतें मना हैं। और हमदर्दी व ख़ैरख़्वाही मतलूब है, आने वाली हदीसों से साबित हो जायेगी।

(3917) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: जिसके पास ज़मीन है वह ख़ुद काश्त करे या (फ़ालतू होने की सूरत में) अगर वह ख़ुद काश्त न कर सके (तो अपने भाई को एहसान के तौर पर दे दे) ताकि उसका भाई काश्त कर ले।

तख़रीज : नसाई: 3886, सुनन इब्ने माजा: 2454.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، - لَقَبُهُ عَارِمٌ وَهُوَ أَبُو النُّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ " .

(3918) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के कुछ साथियों के पास ज़रूरत से ज़्यादा, फ़ालतू ज़मीनें थीं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा फ़ालतू ज़मीन हो वह उसे ख़ुद काश्त करे, या अपने मुसलमान भाई को अ़तिया व बख़्शिश के तौर पर दे दे, अगर वह उसके लिये तैयार नहीं है तो फिर अपने पास ही रखे।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2340, 2632, नसाई: 3885, सुनन इब्ने माजा: 2451.

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِقْلٌ، - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि इस्लामी नुक़्त—ए—नज़र से ज़मीन का बे'आबाद पड़े रहना, कि उसमें खेती बाड़ी न की जाये या किसी और मस़्रफ़ में उसे न लाया जाये दुरूस्त नहीं है, ज़मीन से फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसे वैसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। इसलिए नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: जिस इंसान के पास फ़ालतू ज़मीन है और वह उसे काश्त नहीं कर सकता, तो उसे अपने किसी भाई को बतौर एहसान दे दे, अ़रबी ज़बान में मनीहा अस़ल में उस दूध देने वाली बकरी या ऊँटनी को कहते हैं जो किसी भाई को दूध पीने के लिये दे दी जाये, और जब दूध बंद हो जाये तो वह मालिक को वापस कर दे। (मोजम मक़ाइसुल्लुग़ा: जिल्द: 5, स़फ़ा: 278, ताजुल उरूस: जिल्द: 2, स़फ़ा: 233)

इसलिए नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अलमनहा मरदूदा' दूध देने वाला जानवर वापस किया

जायेगा। एक जलीलुलक़द्र मुफ़स्सिर, मोहद्दिस, फ़क़ीह और लुग़वी इमाम अबू उबैद अल क़ासिम बिन सलाम, इस हदीस़ का ये मानी करते हैं: यद्फ़ उहा इला अख़ीहि कि फ़ालतू ज़मीन अपने भाई को काश्त के लिए दे दे, जब वह उससे पैदावार उठा ले, तो ज़मीन मालिक को वापस कर दे। (लिसानुल अ़रब, जिल्द: 3, स़फ़ा: 446)

और इस हदीस़ से ये भी स़ाबित होता है कि इंसान शख़्सी तौर पर अपनी ज़मीन का मालिक है, इसलिए आपने फ़रमाया: अगर ज़मीन उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है और वह ख़ुद काश्त भी नहीं कर सकता है, इस तरह आपने उसको ज़मीन का मालिक क़रार दिया है। इसके बाद फ़रमाया, अगर वह काश्त नहीं कर सकता तो किसी भाई को आ़रज़ी तौर पर पैदावार हास़िल करने के लिए दे दे और फिर ज़मीन वापस ले ले। और आख़िर में फ़रमाया, अगर हमदर्दी व ख़ैरख़्वाही के लिए या ईसारो क़ुर्बानी के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अपने पास ही रखे। तो हर सूरत में मालिक वही है, लेकिन तीसरी सूरत में जबकि उसने ज़मीन काश्त नहीं करनी वैसे ही रखनी है तो उसको क्या फ़ायदा होगा। अगर आ़रज़ी तौर पर मुसलमान भाई को दे देता, तो वह उससे फ़ायदा उठाता, वह और उसके बाल बच्चे उसको दुआएँ देते और आख़िरत में बेशुमार अज्र व स़वाब हास़िल होता, इसलिए बड़े बड़े जागीरदारों और ज़मीनदारों को चाहिए कि वह ज़रूरत से ज़्यादा फ़ालतू ज़मीनों से ज़रूरतमंद और मोहताज किसानों को आ़रज़ी तौर पर फ़ायदा उठाने का मौक़ा दें। अगर चे ज़मीन अपनी ही मिल्कियत में रखें या कम अज़ कम उनको मराआ़त और सहूलतें ही फ़राहम करें जिससे वह भी आसूदा और ख़ुशहाल हो सकें, और उनके दिलों में उनके ख़िलाफ़ बुग़्ज़ व नफ़रत के जज़्बात पैदा न हों और न ही कोई ख़ुद ग़र्ज़ लीडर उन्हें इस्तेमाल कर सके और ज़मीनें छीनने का ख़तरा भी न रहे।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ .

(3919) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन का किराया और मुतय्यन हिस्स़ा लेने से मना फ़रमाया।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ

(3920) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसके पास ज़मीन हो वह उसे ख़ुद काश्त करे, अगर

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ " .

(ज़्यादा होने की वजह से) काश्त न कर सकता हो और उसकी काश्त से बेबस हो तो किसी मुसलमान भाई को अ़तिया कर दे, और उससे उजरत व मज़दूरी न ले।'

तख़रीज : नसाई: 3883, 3884.

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ أَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِهَا " . قَالَ نَعَمْ.

(3921) सुलैमान बिन मूसा ने अ़ता (रह.) से सवाल किया, क्या हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) ने आपको ये हदीस़ सुनाई कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसके पास ज़मीन हो, वह उसको काश्त करे या भाई को काश्त करने के लिए दे दे (कि वह पैदावार हासिल कर ले) और उसको किराया या उजरत पर न दे?' अ़ता ने कहा, जी हाँ। सुनाई है।

तख़रीज : नसाई: 3890.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ .

(3922) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने मुख़ाबरा से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : नसाई: 3931.

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ، حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ تَبِيعُوهَا " . فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا قَوْلُهُ وَلاَ تَبِيعُوهَا يَعْنِي الْكِرَاءَ . قَالَ نَعَمْ.

(3923) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसके पास फ़ालतू ज़मीन हो तो वह उसे काश्त करे (बे'आबाद न छोड़े) या काश्त के लिए अपने भाई को दे दे (ताकि वह पैदावार उठा सके) उसको किराया पर न दे।' हज़रत जाबिर(ﷺ) के शागिर्द, सईद कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, ला तबीऊहा? क्या इससे मुराद किराया व उजरत पर देना है? उन्होंने कहा, हाँ।

(3924) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में, ज़मीन बटाई पर देते थे, और उनसे क़सारा और फ़ुलां ज़मीन का हिस्सा लेते थे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसके पास ज़मीन हो वह ख़ुद काश्त करे या उसका भाई उसको काश्त करे, वरना उसको पड़ी रहने दे।'

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِلاَّ فَلْيَدَعْهَا" .

फ़ायदा : क़िस्री से मुराद ये है कि गेहूँ गाहने के बाद, ख़ोशों, बालियों में जो दाने रह जाते हैं। जिनको क़सारा कहते हैं वह मालिक के ज़मीन के होंगे और मिन कज़ा से मुराद ये है, जदावल या नालियों पर जो ज़मीन है उसकी पैदावार भी हम लेंगे, और ये तरीक़ा नाजायज़ है क्योंकि इसमें ग़रर है, और मुज़ारिअ का नुक़सान है जिसको अगली हदीस में माज़ियानात से ताबीर किया गया है।

(3925) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में, नालों के किनारे वाली ज़मीन की पैदावार और तिहाई या चौथाई हिस्सा पर ज़मीन लेते थे। इस सिलसिले में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़िताब फ़रमाया: 'जिसके पास ज़मीन हो वह ख़ुद काश्त करे, और अगर काश्त न कर सके तो अपने भाई को आरज़ी तौर पर दे दे। और अगर अपने भाई को न दे सके, तो अपने पास रोके रखे।'

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، - قَالَ ابْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، - حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ، حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَالَ " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا " .

फ़ायदा : ज़मीन का मालिक अपने लिये ज़मीन का वह टुकड़ा रख लेता जो खाल के किनारे पर होने की वजह से ज़्यादा ज़रख़ैज़ होता और ज़्यादा पैदावार देता और काश्तकार को ज़मीन का वह टुकड़ा देता जो पानी से दूर होता और कम पैदावार देता और उसके साथ बसा औक़ात काश्तकार के हिस्से की

ज़मीन का भी, तिहाई या चौथाई हिस्सा लेता जब खाल पर ज़मीन कम होती, और ज़ाहिर है इसमें ग़रर भी है कि काश्तकार की ज़मीन तक पानी पहुँच ही न सके या मालिक वाला हिस्सा ग़रक़ाब हो जाये, माज़ियानात, माज़ियान की जमा है। खाल को कहते हैं जिसमें पानी ख़ूब बहता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرْهَا " .

(3926) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसके पास (फ़ालतू) ज़मीन हो तो वह उसे हिबा कर दे या आरयतन (कुछ वक़्त के लिये) दे दे।'

وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا رَجُلاً "

(3927) इमाम साहब ऊपर दी गई रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं मगर इसमें ये है आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे ख़ुद काश्त करे या किसी आदमी को काश्त के लिये दे दे।'

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ . قَالَ بُكَيْرٌ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ .

(3928) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन बटाई पर देने से मना फ़रमाया। बुकैर कहते हैं, मुझे नाफ़े ने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से बयान किया कि हम ज़मीन बटाई पर देते थे। फिर जब हमने राफ़े बिन ख़दीज (ﷺ) की हदीस सुनी तो हमने उसे तर्क कर दिया।

फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) ने महज़ इस ख़ातिर ज़मीन ठेका पर देनी शुरू कर दी कि शायद, हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने कोई नया फ़रमान जारी किया हो जिसका मुझे पता न चल सका हो, जैसा कि आगे आ रहा है, हालांकि आपने सिर्फ़ मख़्सूस सूरत से मना फ़रमाया था। हर एक सूरत से नहीं।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا .

(3929) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ाली ज़मीन को दो तीन साल के लिये फ़रोख़्त करने से मना फ़रमाया।

फ़ायदा : इस ज़मीन से मुराद फलदार दरख़्तों की बैअ़ है जैसा कि अगली हदीस में आ रहा है।

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ .

(3930) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कई सालों की बैअ़ से मना फ़रमाया। इब्ने अबी शैबा की रिवायत में है, फलों की कई साल के लिये बैअ़ करने से मना फ़रमाया।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3374, नसाई: 4544, 4641, सुनन इब्ने माजा: 2218.

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ، أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ "

(3931) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसकी मिल्कियत में ज़मीन हो वह उसे काश्त करे या अपने भाई को पैदावार लेने के लिये दे दे, अगर उसके लिये आमादा न हो (इंकार करे) तो अपनी ज़मीन रोके रखे।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2341, सुनन इब्ने माजा: 2452.

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ نُعَيْمٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

(3932) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़ाबना और मुहाक़ला से मना फ़रमाया। मुज़ाबना, दरख़्त के फल को (तोड़े फल से) ख़रीदना है और मुहाक़ला ज़मीन का किराया लेना है।

وسلم يَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ . فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَابَنَةُ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ . وَالْحُقُولُ كِرَاءُ الأَرْضِ .

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2186, सुनन इब्ने माजा: 2455.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .

(3933) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहाक़ला और मुज़ाबना से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : जामेअ तिर्मिज़ी: 1224.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ . وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الأَرْضِ

(3934) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि उन्होंने नबी अकरम (ﷺ) को मुज़ाबना और मुहाक़ला (हुक़ूल) से मना करते सुना, जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) ने बताया, मुज़ाबना, ताज़ा खजूर की ख़ुश्क खजूर से बैअ़ है और हुक़ूल, ज़मीन हिस्सा पर देना है।

तख़रीज : नसाई: 3891.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا وَقَالَ، يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ كُنَّا لاَ نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلَ فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ .

(3935) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि हम मुख़ाबरा में कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे यहाँ तक कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की हुकूमत का पहला साल आ गया। तो राफ़ेअ (ﷺ) कहने लगे नबी अकरम (ﷺ) ने इससे मना फ़रमाया है।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3389, नसाई: 3927, 3928, सुनन इब्ने माजा: 2450.

(3936) इमाम साहब अपने चार उस्तादों की सनदों से अम्र बिन दीनार की सनद ही से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, उनके शागिर्द इब्ने उयय्ना की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है कि हमने उनके ख़याल का लिहाज़ करके मुख़ाबरा को तर्क कर दिया।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3912 में देखें।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ، بْنُ دِينَارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ .

(3937) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि राफ़ेअ ने हमें, हमारी ज़मीन के नफ़ा से महरूम कर दिया।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3912 में देखें।

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا .

(3938) हज़रत नाफ़ेअ (रह.) से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ), अपनी ज़मीनों को नबी अकरम (ﷺ) के अहद, हज़रत अबूबक्र, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान (ﷺ) के दौरे खिलाफ़ात में और हज़रत मुआविया की ख़िलाफ़त के इब्तेदाई दौर में, बटाई पर दिया करते थे, यहाँ तक कि हज़रत मुआविया की ख़िलाफ़त के आख़िर में उन्हें ये बात पहुँची कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज(ﷺ) इसके बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुमानिअत नक़ल करते हैं, तो इब्ने उमर (ﷺ) उनके पास गये, मैं भी उनके साथ था और उनसे दरयाफ़्त

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْيٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ . فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ . وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا .

किया, तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह(ﷺ) खेतों के किराया से मना करते थे। बाद में जब इब्ने उमर (رضي الله عنه) से पूछा जाता तो जवाब देते, राफ़ेअ बिन ख़दीज का ये ख़्याल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इससे मना फ़रमाया है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2285, 2343, 2344, सुनन अबू दाऊद: 3394, नसाई: 3921, 3922, 3923, 3924, सुनन इब्ने माजा: 2453.

फ़ायदा : हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने हज़रत अली (رضي الله عنه) की ख़िलाफ़त के दौर का तज़किरा नहीं किया, क्योंकि उनकी ख़िलाफ़त पर इत्तेफ़ाक़ नहीं हो सका। इसलिए इब्ने उमर ने उनकी बैत नहीं की थी। उनका मौक़िफ़ ये था बैत उस ख़लीफ़ा की हो सकती है, जिस पर सब लोग मुत्तफ़िक़ हो जायें। इसलिए उन्होंने यज़ीद बिन मुआविया की बैत तो कर ली थी लेकिन उसकी वफ़ात के बाद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर या मरवान की बैत नहीं की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की शहादत के बाद अब्दुल मलिक की बैत कर ली, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की ज़िन्दगी में उसकी बैत भी नहीं की थी, नीज़ इतना तवील अर्सा तक उनका मुज़ारअत पर ज़मीन देना किसी सहाबी का उन पर ऐतराज़ न करना इस बात की दलील है कि मुज़ारअत की हर सूरत नाजायज़ नहीं है। इसलिए वह ये कहते थे कि ये राफ़ेअ बिन ख़दीज का ज़अम या गुमान है। इसलिए वह कुछ दफ़ा फ़रमाते कि राफ़ेअ ने हमें, हमारी ज़मीनों के नफ़ा से महरूम कर दिया है। लेकिन आख़िरकार उन्होंने एहतियात के तौर पर उसको छोड़ दिया और दूसरे तरीक़ा से फ़ायदा उठाया।

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ لاَ يُكْرِيهَا

(3939) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, इब्ने उलय्या (इस्माईल) की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, इसके बाद इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने इस मामला को छोड़ दिया, और वह ज़मीन बटाई पर नहीं देते थे।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3915 में देखें।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى

(3940) नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं, मैं हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) के साथ हज़रत राफ़ेअ

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ .

बिन ख़दीज (ﷺ) के पास गया, वह उन्हें मस्जिदे नबवी के पास फ़र्श (बलात) पर मिले, और उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बटाई पर ज़मीन देने से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3915 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस़ : बलात: उस जगह को कहते हैं जहाँ पत्थर बिछाये गये हों, या ईंटें लगाई गई हों।

وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

(3941) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि वह हज़रत राफ़ेअ के पास आये, तो उन्होंने उन्हें ऊपर दी गई हदीस़ सुनाई।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3915 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، - يَعْنِي ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارٍ - حَدَّثَنَا ابْنُ، عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَأْجُرُ الأَرْضَ - قَالَ - فَنُبِّئَ حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - قَالَ - فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ - قَالَ - فَذَكَرَ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ . قَالَ فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُرْهُ .

(3942) नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं कि इब्ने उमर (ﷺ) ज़मीन बटाई पर देते थे तो उन्हें हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रह.) की एक हदीस़ सुनाई गई। वह मुझे लेकर उनकी तरफ़ गये। उन्होंने अपने किसी चचा से हदीस़ सुनाई, जिसमें ये बयान था कि नबी अकरम (ﷺ) ने ज़मीन के किराया से मना फ़रमाया तो इब्ने उमर (ﷺ) ने ज़मीन बटाई पर देनी छोड़ दी।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3915 में देखें।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فَحَدَّثَهُ عَنْ بَعْضِ، عُمُومَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(3943) इमाम स़ाहब अपने एक और उस्ताद से मामूली लफ़्ज़ी फ़र्क़ से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3915 में देखें।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُكْرِي أَرَضِيهِ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كِرَاءِ الأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَمَّىَّ - وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا - يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ .

(3944) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि (मेरे वालिद) अब्दुल्लाह बिन उमर अपनी ज़मीनें बटाई पर देते थे। यहाँ तक कि उन्हें पता चला कि राफ़ेअ बिन ख़दीज अन्सारी (ﷺ) ज़मीन बटाई पर देने से मना करते हैं। तो अब्दुल्लाह उसे मिले और पूछा: ऐ इब्ने ख़दीज! आप रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़मीन की बटाई के बारे में क्या बयान करते हैं? हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) ने अब्दुल्लाह को जवाब दिया, मैंने जंगे बद्र में शिर्कत करने वाले अपने दो चचों से सुना, वह महल्ला वालों को बताते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन बटाई पर देने से मना फ़रमाया है। अब्दुल्लाह (ﷺ) कहते हैं मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहद में अच्छी तरह इल्म था कि ज़मीन बटाई पर दी जाती है, फिर अब्दुल्लाह (ﷺ) को अन्देशा लाहिक़ हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसके बारे में कोई नया हुक्म जारी किया हो जिसका उन्हें इल्म न हो सका हो। इसलिए ज़मीन बटाई पर देनी छोड़ दी।

तख़रीज : नसाई: 3913.

फ़ायदा : हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज के दो चचाओं में से एक का नाम आगे ज़ुहैर बिन राफ़ेअ आ रहा है, और दूसरे का नाम बक़ौल इब्ने हजर (रह.) मुहैर बरवज़न ज़ुहैर है (तसग़ीर का वज़न है) कुछ ने नाम मज़हर लिखा है।

बाब : 18
ज़मीन अनाज के ऐवज बटाई पर देना

(18)
باب كِرَاءِ الأَرْضِ بِالطَّعَامِ

(3945) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में हम ज़मीन बटाई पर देते थे, हम उसका किराया, तिहाई या चौथाई और मुतय्यन मिक़्दार में अनाज लेते थे, तो एक दिन हमारे पास मेरे चचाओं में से एक आदमी आया, तो उसने कहा, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें एक ऐसे मामला से रोक दिया है जो हमारे लिये नफ़ा बख़्श था, और अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की इताअत हमारे लिये ज़्यादा नफ़ा बख़्श है, आपने हमें इससे मना फ़रमाया कि हम अपनी ज़मीनों को तिहाई या चौथाई और मुतय्यन मिक़्दार अनाज के ऐवज़ दें, और आपने ज़मीन वाले को हुक्म दिया, वह उसे ख़ुद काश्त करे या काश्त के लिये दे दे, और आपने उसके किराया वग़ैरह को नापसन्द फ़रमाया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2346, 2347, सुनन अबू दाऊद: 3395, 3396, नसाई: 3904, 3905, 3906, 3907, 3918, 3919, सुनन इब्ने माजा: 2465.

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ.

फ़ायदा : इस हदीस की सही सूरते हाल, आगे राफ़ेअ (ﷺ) के चचा ज़ुहैर की रिवायत से मालूम हो जायेगी।

(3946) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) बयान करते हैं कि हम खेत बटाई पर देते थे तो हम उनका किराया (हिस्सा) तिहाई और

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ يَعْلَى بْنُ

चौथाई पैदावार की सूरत में लेते थे, आगे ऊपर दी गई रिवायत है।
तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3922 में देखें।

حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ بِالأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ .

(3947) इमाम स़ाहब अपने तीन उस्तादों की सनदों से लैला बिन हकीम की सनद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।
तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3922 में देखें।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ .

(3948) इमाम स़ाहब ऊपर दी गई रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं लेकिन इसमें अ़न बअ़ज़ उ़मूमतिहि का लफ़्ज़ नहीं है।
तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3922 में देखें।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ، حَكِيمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ .

(3949) हज़रत राफ़ेअ (ﷺ) से रिवायत है कि ज़ुहैर बिन राफ़ेअ (जो उसके चचा हैं) उनके पास आये, और बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें एक ऐसे मामले से रोक दिया है, जो हमारे लिये सहूलत और आसानी का बाइस़ था, मैंने कहा, वह क्या है? जो बात रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाई है, वही बरहक़ है, उन्होंने बताया, आपने मुझसे दरयाफ़्त फ़रमाया, कि तुम अपने खेतों का क्या करते हो? मैंने अ़र्ज़ किया, हमें उसे

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ، مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعٍ، أَنَّ ظُهَيْرَ بْنَ رَافِعٍ، - وَهُوَ عَمُّهُ - قَالَ أَتَانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا . فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ مَا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ . قَالَ سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ فَقُلْتُ نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبِيعِ أَوِ الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ . قَالَ " فَلاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا " .

उजरत (किराया) पर देते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल! हम खाल के किनारे की ज़मीन की पैदावार लेते हैं, या खजूर या जौ के मुतय्यन मिक़्दार में वस्क़ लेते हैं, आपने फ़रमाया: 'ऐसा न करो, काश्त करो, या काश्त के लिये दे दो या अपने पास रोके रखो।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2339, नसाई: 3933, सुनन इब्ने माजा: 2459.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ، عَنْ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ .

(3950) इमाम साहब एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, लेकिन इसमें राफ़ेअ के चचा ज़ुहैर का ज़िक्र नहीं है।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3394, 3932.

(19) باب كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

बाब : 19 ज़मीन, सोने और चाँदी के ऐवज़ किराया (ठेका) पर देना

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ قَالَ فَقُلْتُ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ .

(3951) हज़रत हन्ज़ला बिन क़ैस (रह.) कहते हैं, मैंने हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (رضي الله عنه) से ज़मीन के किराया के बारे में सवाल किया? तो उन्होंने जवाब दिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन का किराया लेने से मना फ़रमाया है, तो मैंने पूछा, क्या सोने और चाँदी के ऐवज़? तो उन्होंने कहा, सोने और चाँदी के ऐवज़ देने में कोई हर्ज नहीं है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 27, 2327, 2332, 2722, सुनन अबू दाऊद: 3392, 3393, नसाई: 3907, 3909, 3910, 3911, सुनन इब्ने माजा: 2458.

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम हुआ कि हज़रत राफ़ेअ के नज़दीक, ज़मीन ठेका के ऐवज देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुज़ारअत की कुछ ख़ास़ सूरतें नाजायज़ हैं, जैसा कि अगली रिवायत में आ रहा है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي، عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ . فَأَمَّا شَىْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ .

(3952) हज़रत हन्ज़ला बिन क़ैस अन्सारी बयान करते हैं कि मैंने हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज(ﷺ) से ज़मीन सोने, चाँदी के ऐवज़ ठेका पर देने के बारे में दरयाफ़्त किया, तो उन्होंने जवाब दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है, नबी अकरम (ﷺ) के दौर में तो लोग सिर्फ़ माज़िनायात के किनारे वाली ज़मीन, खाल के शुरू वाली ज़मीन (जहाँ पानी ख़ूब लगता है) और कुछ मुअय्यन खेती के ऐवज़ ज़मीन उजरत पर देते थे, कभी मालिक का हिस्सा तबाह हो जाता और मुज़ारिअ का हिस्सा महफ़ूज़ रहता और कभी उसके बरअक्स मालिक का हिस्सा महफ़ूज़ रहता और मुज़ारिअ का तबाह हो जाता, लोगों में उजरत की शक्ल यही थी, इसलिए आपने उससे रोक दिया, अगर किराया कोई मुअय्यन चीज़ हो, जिसके तल्फ़ न होने की ज़मानत हो,तो उसमें कोई हर्ज नहीं।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3928 में देखें।

फ़ायदा : इस हदीस़ में ज़मीन किराया (उजरत, बटाई) पर देने की मुमानिअत की अस़ल वजह और सबब बयान कर दिया गया है कि जिस सूरत में एक फ़रीक़ का नुक़सान हो और दूसरा फ़रीक़ नुक़सान हैं महफ़ूज़ रहे, ज़ाहिर है एक साल के ठेके में तो उसका एहतिमाल है, लेकिन मुज़ारअत में उसका एहतिमाल नहीं है, क्योंकि नफ़ा और नुक़सान में दोनों फ़रीक़ शरीक होते हैं, लेकिन (ठेका) की सूरत में अगर फ़सल आफ़त का शिकार हो गई तो ठेकेदार का नुक़सान होगा और मालिक तो अपना ठेका पहले वसूल कर चुका होगा, इसलिए वह नुक़सान से महफ़ूज़ रहेगा, और मुज़ारअत की सूरत में नुक़सान में दोनों शरीक होंगे।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلاً - قَالَ - كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا .

(3953) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) बयान करते हैं कि अन्सार में सबसे ज़्यादा खेत हमारे ख़ानदान के थे, और हम ज़मीन इस शर्त पर किराया या बटाई पर देते थे कि ज़मीन के उस हिस्सा की पैदावार हमारी होगी, और इस हिस्सा की पैदावार काश्तकार की होगी, बसा औक़ात हमारे हिस्सा की ज़मीन से पैदावार हासिल हो जाती और दूसरे हिस्सा से पैदावार हासिल न होती, तो आपने हमें इस सूरत से मना फ़रमा दिया, लेकिन चाँदी के ऐवज़ देने से मना नहीं फ़रमाया।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3928 में देखें।

फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि अगर ज़मीन का मालिक ख़ुद काश्त न करे या न कर सके, तो ज़मीन उसकी मिल्कियत से निकल नहीं जायेगी, वह ठेका पर ज़मीन दे सकता है, या बटाई की ऐसी सूरत में जिसमें सिर्फ़ एक फ़रीक़ का नुक़सान न हो, दे सकता है।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(3954) इमाम साहब ऊपर दी गई रिवायत अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3928 में देखें।

(20)
باب فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ

बाब : 20
बटाई और ठेका का बयान

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي، شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، كِلاَهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ

(3955) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब बयान करते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन माक़िल(ﷺ) से मुज़ारअत के बारे में दरयाफ़्त किया तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे साबित बिन ज़हहाक (ﷺ) ने बताया कि रसूलुल्लाह

سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَهَى عَنْهَا . وَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ . وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللَّهِ .

(ﷺ) ने मुज़ारअत से मना किया है, इब्ने अबी शैबा की रिवायत में है, इससे मना किया है, और इसमें इब्ने माक़िल है, अब्दुल्लाह का नाम नहीं है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ " لاَ بَأْسَ بِهَا"

(3956) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब बयान करते हैं कि हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन माक़िल(رضي الله عنه) के यहाँ गये और उनसे मुज़ारअत के बारे में दरयाफ़्त किया, तो उन्होंने जवाब दिया, साबित का ख़्याल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़ारअत से रोका है, और ठेके का हुक्म दिया है और फ़रमाया: 'इसमें कोई हर्ज नहीं है।'

फ़ायदा : मुज़ारअत से मुराद यहाँ भी साबिक़ा मख़्सूस शक्ल ही मुराद है, जिसमें ज़मीनदार का हिस्सा पहले मुतय्यन हो जाता है, और इसमें एक फ़रीक़ का नुक़सान हो जाता है।

(21) باب الأَرْضِ تُمْنَحُ

बाब : 21 ज़मीन का अतिया

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، أَنَّ مُجَاهِدًا، قَالَ لِطَاوُسٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - قَالَ - فَانْتَهَرَهُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ

(3957) इमाम मुजाहिद ने, इमाम ताऊस से कहा, राफ़ेअ बिन ख़दीज (رضي الله عنه) के बेटे के यहाँ मेरे साथ चलो, इससे उसकी नबी अकरम (ﷺ) से रिवायत सुनो! तो ताऊस ने उसे झिड़क कर, कहा, अल्लाह की क़सम! अगर मैं ये जान लूं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बटाई पर ज़मीन देने से मना फ़रमाया है, तो मैं

لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا " .

ये काम न करूं, लेकिन मुझे उस शख़्सीयत (इब्ने अ़ब्बास) ने जो इन सबसे ज़्यादा इस मसला से आगाह हैं ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई आदमी अपने भाई को ज़मीन काश्त के लिये दे दे, तो उसके लिए बेहतर है कि उससे मुतय्यन मिक़्दार में पैदावार ले।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2330, 2342, 2634, सुनन अबू दाऊद: 3389, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1385, नसाई: 3882 में देखें।

फ़ायदा : फ़स्मअ़् मिन्हुल हदीस़ में फ़स्मअ़् को अम्र का सेग़ा बनाया जाये, क्योंकि इमाम ताऊस बटाई पर ज़मीन देते थे, इसलिए इमाम मुजाहिद ने उन्हें रोकने के लिये ये हदीस़ सुनने के लिये कहा और उन्होंने जवाबन उनको सरज़निश की, कि मुझे मालूम है, मुज़ारअ़त की कौन सी क़िस्म ममनूअ़ है, जिस सूरत में, मैं बटाई पर ज़मीन देता हूँ वह ममनूअ़ नहीं है, क्योंकि मुअ़य्यन मिक़्दार में पैदावार नहीं लेता हूँ जो कि ममनूअ़ सूरत है।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، وَابْنُ، طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرٌو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ . فَقَالَ أَىْ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ " يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا " .

(3958) इमाम तावुस मुख़ाबरा पर ज़मीन देते थे, तो उन्हें अ़म्र बिन दीनार ने कहा, ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! ऐ काश! आप मुख़ाबरा को तर्क कर दें, क्योंकि लोग समझते हैं कि नबी अकरम(ﷺ) ने मुख़ाबरा से मना फ़रमाया है, तो उन्होंने जवाब दिया, ऐ अ़म्र! मुझे इस मसला को सबसे बेहतर तौर पर जानने वाले यानी इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बताया है कि नबी अकरम(ﷺ) ने इससे मना नहीं फ़रमाया, आपने तो बस ये फ़रमाया था, 'तुममें से कोई पैदावार उठाने के लिये अपने भाई को दे दे तो उसके लिये, इस पर मुअ़य्यन मिक़्दार में पैदावार लेने से बेहतर है।'

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3934 में देखें।

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का मक़सद ये है कि आपने महज़ ख़ैरख़्वाही और हमदर्दी के जज़्बात पैदा करने के लिये ये बात फ़रमाई है कि मुअय्यन आमदनी लेने से बेहतर है कि भाई को पैदावार लगाने का मौक़ा दिया जाये और ये भी उस सूरत में है कि जब इन्सान के पास फ़ालतू ज़मीन हो, जिसे वह ख़ुद काश्त न करता हो, या कर ना सकता हो, अपनी ज़रूरत की ज़मीन के बारे में नहीं है, जैसा कि पीछे गुज़र चुका है।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

(3959) इमाम साहब अपने पाँच उस्तादों की सनदों से अम्र बिन दीनार की ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : इसकी तख़रीज: 3934 में देखें।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا " . لِشَىْءٍ مَعْلُومٍ . قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ.

(3960) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारा अपनी ज़मीन अपने भाई को पैदावार उठाने के लिये देना, तुम्हारे हक़ में इससे बेहतर है कि उस पर इतना इतना (मुअय्यन मिक़्दार में) हिस्सा लो।' इब्ने अब्बास (ﷺ) कहते हैं, यही सूरत हक़्ल है, अन्सार इसे मुहाक़ला कहते हैं।

तख़रीज : सुनन इब्ने माजा: 2457, 5718 में देखें।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ، عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ " .

(3961) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसके पास ज़मीन है, तो उसका अपने भाई को पैदावार हासिल करने के लिये देना बेहतर है।'

फ़ायदा : इब्ने अब्बास (ﷺ) की हदीस से साबित होता है ज़मीन मालिक ही की रहेगी, दूसरे को वह सिर्फ़ ख़ैरख़्वाही करते हुए पैदावार हासिल करने का मौक़ा होगा।

فرمان رسول اکرم (ﷺ)

" لاَ يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلاَ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ شَىْءٌ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ "

"جو مسلمان درخت لگاتا ہے یا کاشت کاری کرتا ہے' پھر اس میں سے انسان' چوپایا یا کوئی بھی (جانور) کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔"
(صحیح مسلم' حدیث: ٣٩٦٩)

'जो मुसलमान दरख़्त लगाता है या काश्तकारी (खेतीबाड़ी) करता है, फिर उसमें से इन्सान, चौपाया या कोई भी (जानवर) खाता है तो वह उसके लिये स़दक़ा होता है।'

(स़हीह मुस्लिम: 3969)(1552)

किताबुल मुसाक़ात वल मुजारिअ का तआरुफ़

ये हक़ीक़त में किताब अल बुयू ही का तस्लसुल है। किताब अल बुयू के आख़री हिस्से में ज़मीन को बटाई पर देने की मुख़्तलिफ़ जायज़ और नाजायज़ या मुख़्तलफ़ फ़ीह सूरतों का ज़िक्र था। मुसाक़ात (सैराबी और निगेहदाश्त के ऐवज़ फल वग़ैरह में हिस्सेदारी) और मुज़ारअत का मामला इमाम अबू हनीफ़ा और ज़ुफ़र के अलावा तमाम फ़ुक़हा के यहाँ जायज़ है। यही मामला है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर की फ़तह के बाद ख़ुद यहूद के साथ किया। इस हवाले से इमाम अबू हनीफ़ा और ज़ुफ़र के नुक़्त-ए-नज़र को उनके अपने अहम तरीन शागिर्दों इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद ने क़बूल नहीं किया। ये मुआहिदा दरख़्तों, मुल्हक़ा खेतों, मालिकान और निगेहदाश्त करने वालों तमाम के मफ़ादात को महफ़ूज़ रखने का ज़ामिन है। मुसाक़ात और मुज़ारअत के लिये मख़्सूस बाब के बाद दरख़्त लगाने और ज़राअत की फ़ज़ीलत बयान की गई है, इसी पर इन्सान के रिज़्क़ और उसकी फ़लाह का सबसे ज़्यादा इन्हेसार है।

ज़मीन पर मेहनत और पैदावार के इश्तेराक के इन्तेहाई मुन्सिफ़ाना मुआहिदों की तमाम सूरतों में, जिन्हें इस्लाम ने राइज किया है, इन्साफ़ के तमाम तर तक़ाज़े मल्हूज़ रखने के बावजूद नागहानी मसला ये पैदा हो सकता है कि कोई ग़ैर मुतवक़्क़अ क़ुदरती आफ़त पैदावार को तबाह कर दे। इसके लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) का वाज़ेह हुक्म है कि ऐसे नुक़्सान के बाद हिस्से का मुतालबा साक़ित हो जाता है। जब किसी क़ुदरती आफ़त की बिना पर फल हासिल ही नहीं हुआ तो मुतालबा किस बुनियाद पर? इसके साथ ही तिजारती लेन देन की सूरत में जबकि क़ब्ज़ा और मिल्कियत दूसरे फ़रीक़ को मुन्तक़िल हो चुकी हो और अदायगी बाक़ी हो तो किसी नुक़्सान की सूरत में मोहलत और अगर मुमकिन हो तो तख़्फ़ीफ़ की गई है। इसके साथ ही तफ़लीस (क़र्ज़ अदा करने की सलाहियत के फ़ुक़दान) के हवाले से तरीक़ेकार वाज़ेह किया गया है। दूसरी तरफ़ जिसके पास अदायगी की सलाहियत मौजूद हो उसकी तरफ़ से लैत व लअलल (टाल-मटोल) को ज़ुल्म क़रार दिया गया है और इसकी सख़्ती से मुमानिअत की गई है।

अब तक लेन देन के मुआहिदों का ज़िक्र था। इसके बाद उन चीज़ों का बयान है जिनकी तिजारत ममनूअ (मना) है। वह ग़सब की हुई चीज़ें या ऐसी ख़िदमात या चीज़ें हैं जो हराम हैं, जैसे: नापाक जानवर, जैसे कुत्ते वग़ैरह को पालना या नशावर चीज़ें जैसे शराब वग़ैरह को इस्तेमाल करना।

फिर उन चीज़ों के लेन देन में जो बिल्कुल हलाल हैं उन सूरतों का ज़िक्र है जिनमें सूद शामिल हो जाता है ये रिबा अलफ़ज़ल है। एक ही जिन्स का उसी जिन्स से कमी बेशी के साथ तबादला, मिलती जुलती चीज़ों का उधार तबादला, जैसे सोने चाँदी का, गन्दूम और जौ का लेन देन जिस में एक चीज़ उधार

हो। याद रहे कि ऐसी चीज़ों की क़ीमतों में मौसम के साथ या मुत्लक़न वक़्त और तिजारती हालात की बिना पर बहुत जल्द फ़र्क़ पड़ता है। अगरचे क़ीमत (सोने, चाँदी या सिक्के या करेन्सी नोट वग़ैरह) के साथ चीज़ों के तबादले में उधार लेन देन की इजाज़त दी गई है क्योंकि अगर इक़्तेसादी मामलात इन्साफ़ के साथ चलाये जायें तो नक़दी की क़ीमत ज़्यादा अर्से तक मुस्तहकम रहती है, दूसरा सबब ये है कि नक़दी के ऐवज़ उधार ख़रीद व फ़रोख़्त के बग़ैर तिजारती मामलात चलने मुमकिन नहीं जबकि तिजारत के जारी रहने ही से इन्सानों के बुनियादी इक़्तेसादी मफ़ादात हासिल भी होते हैं और महफ़ूज़ भी रहते हैं।

हैवानात की बैअ अज्नास और चीज़ों की बैअ से मुख़्तलिफ़ है। बदवी मुआशरों में उनका लेन देन बहुत ज़्यादा होता है बल्कि किसी न किसी मवेशी को ख़ुद नक़दी से मिलती जुलती हैसियत हासिल होती है। उनके लेन देन को आसान बनाने के लिये उसमें जिन मुराआत (रिआयतों) की ज़रूरत थी, इस्लाम ने उन मुराआत का एहतिमाम किया है, फिर तिजारती लेन देन के मुआहिदों में रहन के मसाइल को वाज़ेह किया गया है।

इसके बाद बैअे सलम या सल्फ़ के मसाइल को वाज़ेह किया गया है, फिर ज़ख़ीरा अन्दोज़ी की मुमानिअत बयान हूई है, फिर शुफ़आ के मसाइल हैं कि लेन देन अपनी जगह दुरूस्त हो सकता है लेकिन एक चीज़ में शराकत रखने वाले का पहला हक़ है कि वह बाज़ार की क़ीमत पर उस चीज़ का बाक़ी हिस्सा ख़रीद सके। आख़िर में ज़मीन या जायदाद के हवाले से हुस्ने सुलूक, किसी की ज़मीन दबाने की मुमानिअत और इख़्तिलाफ़ की सूरत में मुश्तरका रास्ते की चौड़ाई मुतय्यन करने के हवाले से शरीयत के हुक्म का बयान है।

मुसाक़ात और मुज़ारआ

बाब : 1
मुसाक़ात और मुज़ारआ (मुआमला फ़ल और पैदावार के हिस्से पर देना)

(1) باب
الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ .

(3962) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अहले ख़ैबर से वहाँ की ज़मीन से हासिल होने वाले फलों और खेती का निस़्फ़ पर मामला कर लिया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2329, सुनन अबू दाऊद: 3408, सुनन इब्ने माजा: 2467.

फायदा : आपने अहले ख़ैबर को अपने बाग़ात और खेत दोनों ही निस़्फ़ हिस्सा पर दिये थे, इस वजह से जुम्हूर फ़ुक़हा के नज़दीक मुसाक़ात जायज़ है, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद (रह.) का यही मौक़िफ़ है, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई का क़ौले क़दीम, इमाम अहमद और स़ाहबैन के नज़दीक, हर क़िस्म के बाग़ात हिस्सा पर देना जायज़ है, इमाम शाफ़ेई के क़ौले जदीद और इमाम अहमद के एक क़ौल के मुताबिक़ मुसाक़ात सिर्फ़ अँगूर या खजूर के बाग़ात मं जायज़ है बाक़ी बाग़ात में जायज़ नहीं, और इमाम दाऊद ज़ाहिरी के नज़दीक सिर्फ़ नख़िलस्तान में जायज़ है, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम ज़ुफ़र के नज़दीक मुसाक़ात और मुज़ारअत दोनों किसी सूरत में जायज़ नहीं है।

(3963) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर की ज़मीन, उससे हासिल होने वाले फलों और पैदावार के आधे हिस्से पर दी, और आप हर साल अज़वाजे मुतहहरात को सौ (100) वस्क़ देते थे, अस्सी (80) वस्क़, खजूर और बीस (20) वस्क़ जौ, और जब ख़ैबर की ज़मीन की तक़सीम हज़रत उमर के सुपुर्द हुई, तो उन्होंने अज़वाजे मुतहहरात को इख़्तियार दिया कि वह ज़मीन और पानी का एक हिस्सा ले लें, या वह उनके लिये हर साल औसाक़ मुहैया करने के ज़िम्मेदार होंगे, तो अज़वाज में इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया, उनमें से कुछ ने ज़मीन और पानी को पसन्द किया, और कुछ ने अपने हिस्से के सालाना वस्क़ लेने को पसन्द किया, हज़रत आयशा (ﷺ) और हज़रत हफ़्सा (ﷺ) उनमें से थीं, जिन्होंने ज़मीन और पानी को इख़्तियार किया।

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، - وَهُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ، اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الأَرْضَ وَالْمَاءَ أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الأَرْضَ وَالْمَاءَ

फ़ायदा : हज़रत उमर (ﷺ) ने जब यहूदियों को ख़ैबर से निकाल दिया, जिसकी वजह आगे आ रही है, तो ज़मीन मुसलमानों में तक़सीम कर दी, अज़वाजे मुतहहरात नान व नफ़क़ा की हक़दार थीं, आपकी विरासत उनमें तक़सीम नहीं हो सकती थी,और इस हदीस से ये भी साबित हुआ, साल भर के लिये अनाज या ग़ल्ला रखना तवक्कल के मुनाफ़ी नहीं है और न ही ये ज़ख़ीरा अन्दोज़ी है।

(3964) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अहले ख़ैबर से वहाँ की खेती और फलों के निस्फ़ हिस्से पर मामला किया, आगे ऊपर दी गई हदीस बयान की, लेकिन हज़रत आयशा (ﷺ) और हज़रत हफ़्सा (ﷺ) के ज़मीनऔर

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ

ثَمَرٍ . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الأَرْضَ وَالْمَاءَ وَقَالَ خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الأَرْضَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَاءَ .

पानी को पसन्द करने का ज़िक्र नहीं किया, और ये कहा कि अज़वाजे मुतह्हरात को ज़मीन लेने का इख़्तियार दिया, पानी का तज़किरा नहीं किया।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا " . ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَابْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْخُمُسَ .

(3965) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि जब ख़ैबर फ़तह कर लिया गया तो यहूदीयों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरख़्वास्त की कि उन्हें वहीं रहने दें, और वह इस शर्त पर ज़मीन पर काम काज करेंगे, जो उससे फल और ग़ल्ला हासिल होगा, आधा उनका होगा, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हम इस शर्त पर जब तक चाहेंगे तुम्हें यहाँ रहने देंगे।' आगे ऊपर दी गई रिवायत बयान की, और उसमें ये इज़ाफ़ा है कि ख़ैबर के निस्फ़ हिस्से को मुसलमानों में उनके हिस्से के मुताबिक़ तक़सीम कर लिया जाता था, और रसूलुल्लाह (ﷺ) इसमें से पाँचवां हिस्सा रख लेते थे।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3008.

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि ख़ैबर की ज़मीन मुसलमानों की मिल्कियत में आ गई थी, लेकिन चूंकि यहूदी वहाँ के बाशिन्दे थे, इसलिए वह उसको बेहतर तौर पर काश्त कर सकते थे, इसलिए ज़मीन निस्फ़ पैदावार या आमदनी पर उनके पास रहने दी गई, और आपने फ़रमाया, जब तक हमारी मन्शा होगी या तुम्हारे साथ उलझाव पैदा नहीं होगा, ये ज़मीन तुम्हारे पास रहने देंगे, जब हम कोई ख़राबी महसूस करेंगे, तो ज़मीन तुमसे वापस ले लेंगे, जिससे मालूम होता है, मुज़ारअत या

मुसाक़ात के लिये मुद्दत मुअय्यन करना ज़रूरी नहीं, हालात की साज़गारी के मुताबिक़ ये मामला चलता रहेगा जब किसी फ़रीक़ को कोई दिक़्क़त या परेशानी होगी, तो इस मामला को ख़त्म कर दिया जायेगा, इसलिए जुम्हूर ने इस हदीस़ की जो तावीलें की हैं, वह दुरूस्त नहीं हैं।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمَرِهَا .

(3966) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर के यहूदीयों को ख़ैबर के नख़्लिस्तान और ज़मीन इस शर्त पर दे दी थी कि वह अपने माल (हैवानात, बीज वग़ैरह) से इसमें काम करेंगे और इसकी आधी पैदावार या आमदनी रसूलुल्लाह(ﷺ) की होगी।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3409, नसाई: 3939, 3940.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ

(3967) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने यहूदीयों को हिजाज़ की सरज़मीन से जलावतन कर दिया, और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब ख़ैबर पर ग़ल्बा पाया तो यहूदीयों को वहाँ से निकालना चाहा, और उस पर ग़ल्बा की बिना पर ज़मीन, अल्लाह उसके रसूल और मुसलमानों की मिल्कियत में आ गई थी, इसलिए आपने यहूदीयों को उससे निकालना चाहा, तो यहूदीयों ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से दरख़्वास्त की कि वह उन्हें इसमें इस शर्त पर रहने देंगे वह उनकी जगह उसमें काम काज करेंगे, और उन्हें आधा हिस्सा मिल जायेगा, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया: 'हम तुम्हें इस शर्त पर जब तक हमारी मर्ज़ी होगी, रहने देंगे।' तो वहाँ रहने लगे, यहाँ तक कि

صلى الله عليه وسلم " نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا " . فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ .

हज़रत उमर (ﷺ) ने उन्हें तैमा और अरीहा के इलाक़ा की तरफ़ जलावतन कर दिया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2338, 2338, 3152.

फ़ायदा : (1) हज़रत उमर (ﷺ) ने यहूदीयों को मुख़्तलिफ़ असबाब जमा हो जाने की बिना पर ख़ैबर से निकाल दिया था, क्योंकि मुसलमानों के पास गुलाम और ख़िदमत गुज़ार वाफ़िर मिक़्दार (बड़ी मात्रा) में जमा हो गये थे, जो ये कामकाज कर सकते थे। **(2)** यहूदीयों ने बद अ़हदी करते हूए हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) को जो वहाँ किसी ज़रूरत से गये थे, धोखे से एक मकान की छत से गिरा दिया था, जिससे उनकी हाथों और पाँव के जोड़ निकल गये थे। **(3)** रसूलुलाह (ﷺ) ने फ़रमाया था: जज़ीरतुल अ़रब में दो दीन (धर्म) जमा नहीं रहेंगे, यानी दो मिल्लतों के अफ़राद नहीं रहेंगे, और इससे मुराद हिजाज़ की ज़मीन थी, क्योंकि तैमा जज़ीरतुल अ़रब में ही वाक़ेअ़ है। **(4)** इनमें फ़िस्क़ व फ़ुजूर और बेहयाई फ़ैल गई थी।

(2) باب
فضلِ الغرسِ والزَّرعِ

बाब : 2
शजरकारी (पेड़ पौधे लगाना) और काश्तकारी की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ " .

(3968) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान भी कोई पौधा उगाता है, तो उस फलदार दरख़्त से जो कुछ खाया जाता है, वह उसके लिए सदक़ा बन जाता है और उससे जो कुछ चोरी किया जाता है, वह भी उसके लिए सदक़ा होता है, और उससे जो दरिन्दे खाते हैं, वह उसके लिए सदक़ा होता है, और जो परिन्दे खायें, वह भी सदक़ा है, जो चीज़ या फ़र्द भी उसमें कमी करेगा, वह उसके लिए सदक़ा ही बनेगा।'

मुफ़रदातुल हदीस : ला यर्जउहू : इसमें कमी नहीं करेगा, उससे नहीं लेगा।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि हर वह काम या अ़मल जो दूसरों के लिये नफ़ा और ख़ैर का सबब या बाइस़ बनता है, और दूसरे लोग उससे, उसकी इजाज़त या मर्ज़ी के बग़ैर फ़ायदा उठाते हैं, और वह उनको बुरा भला नहीं कहता, तो उनका उसके काम या अ़मल से फ़ायदा उठाना उसके लिये अज्र व स़वाब का बाइस़ बनता है, अगर कोई इंसान अपने लिये फलदार दरख़्त लगाता है, या खेती बाड़ी करता है, तो उसके दरख़्तों और उसकी खेती पर उसकी मर्ज़ी के अ़लर्रग़्म, इंसान, हैवान, दरिन्दे, और परिन्दे फ़ायदा उठाते हैं, तो ये उसके लिए स़वाब का बाइस़ है, इसलिए शजरकारी और काश्तकारी बाइस़े फ़ज़ीलत है, बशर्ते कि इन कामों में मशग़ूल और मस़रूफ़ होकर इंसान अपने दीनी फ़राइज़ व वाजिबात से ग़ाफ़िल न हो जाये या इन कामों में दिलचस्पी हद से न बढ़ जाये, जिसकी बिना पर उमूरे दीन से दिलचस्पी कम हो जाये, और तमाम दुनियावी मशग़ले व मस़रूफ़ियात का यही हुक्म है, कि अगर उनमें लग कर इंसान अपने दीनी फ़राइज़ व वाजिबात से ग़ाफ़िल नहीं होता, उनमें बक़द्रे ज़रूरत दिलचस्पी लेता है तो ये मशग़ला और मस़रूफ़ियात उसके लिए अज्र व स़वाब का बाइस़ है, इस बिना पर इसमें इख़्तिलाफ़ है, कि कौन सा मशग़ला और अ़मल इंसान के लिए सबसे बेहतर और अफ़ज़ल है, कुछ के नज़दीक कमाई या कस्ब का सबसे बेहतर ज़रिया ज़राअ़त काश्तकारी है, कुछ के नज़दीक दस्तकारी स़नअ़त व हिरफ़त है, जिसमें हाथ से ज़्यादा मेहनत की जाती है, वरना हाथ तो हर जगह ही इस्तेमाल होता है, कुछ ने तिजारत को अफ़ज़ल क़रार दिया है, आपसे सवाल हुआ था कि सबसे अफ़ज़ल कस्ब या पाकीज़ा तरीन कस्ब कौन सा है? तो आपने फ़रमाया: 'इंसान का हाथ से काम करना और जायज़ तरीक़ा से ख़रीद व फ़रोख़्त करना। हक़ीक़त ये है कि अफ़ज़लियत का दारो मदार, उस अ़मल के नफ़ा और फ़ायदा से है, जिस काम में भी दूसरों का नफ़ा और फ़ायदा ज़्यादा है, या जिसमें लोगों की हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही ज़्यादा है, वही अफ़ज़लियत का बाइस़ है, क्योंकि कोई काम ऐसा नहीं है जिससे लोग बेन्याज़ और मुस्तग़नी हो सकें, ज़राअ़त हो या तिजारत, स़नअ़त व हिरफ़त हो या मुलाज़िमत, इसलिए मुख़तलिफ़ अहादीस़ में इनके नफ़ा का तनासुब बदल सकता है, इस ऐतबार से महल्ले फ़ज़ीलत भी बदल जायेगा, ग़ल्ला की कमी के दिनों में ग़ल्ला उगाना और उसके लिए आलाते ज़राअ़त तैयार करना, जंग के दिनों जंगी साज़ो सामान तैयार करना, आ़म इस्तेमाल या रोज़ मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कमी के दिनों में उनकी तरसील और फ़राहमी का कारोबार करना, सब अपने अपने मौक़े पर अफ़ज़ल हैं, इस तरह नज़्म व नस्क़ में बद इन्तेज़ामी को रद्द करने या अमन व अमान क़ायम करने के लिए या तालीमी मैयार को बलन्द और आ़ला व अरफ़अ़ करने के लिए उनमें दिलचस्पी लेना अफ़ज़ल होगा।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ " . فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ . فَقَالَ " لاَ يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلاَ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ شَىْءٌ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ " .

(3969) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक अन्सारी औरत उम्मे मुबश्शिर नामी के पास उसके नख़िलस्तान में तशरीफ़ ले गये, और आपने उससे दरयाफ़्त फ़रमाया: 'ये खजूर के दरख़्त किसने लगाये हैं? क्या वह मुसलमान था या काफ़िर? 'उसने जवाब दिया, कि वह मुसलमान था, तो आपने फ़रमाया: 'जो मुसलमान भी पौधा लगाता है, या कोई पैदावार काश्त करता है, फिर उससे कोई इंसान या कोई हैवान, जानदार या कोई चीज़ खाती है तो वह उसके लिये सदक़ा बनता है।'

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلاَ زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ سَبُعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَىْءٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ " . وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ طَائِرٌ شَىْءٌ .

(3970) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना: 'जो मुसलमान भी कोई पौधा लगाता है, या कोई खेती बोता है और उससे कोई दरिन्दा या परिन्दा या कोई और चीज़ खाती है, तो उसके लिये ये चीज़ अज्र व सवाब का बाइस बनती है।' इब्ने अबी ख़ल्फ़ की रिवायत में ताइर शय (कोई परिन्दा) के दरम्यान औ नहीं है, यानी ताइर के बाद शय से पहले औ नहीं है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى

(3971) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उम्मे माबद के पास उसके बाग़ में गये और पूछा: 'ऐ उम्मे माबद! ये खजूर के दरख़्त किसने लगाये हैं?' क्या मुसलमान ने या काफ़िर ने?' तो उसने जवाब दिया, मुसलमान

أُمِّ مَعْبَدٍ حَائِطًا فَقَالَ " يَا أُمَّ مَعْبَدٍ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ " . فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ . قَالَ " فَلاَ يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ طَيْرٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .

ने, आपने फ़रमाया: 'जो मुसलमान कोई पौधा लगाता है, फिर उससे कोई इंसान या जानदार या परिन्दा खाता है, तो वह क़यामत तक उसके लिये सदक़ा बनता है।

फ़ायदा : उम्मे माबद, उम्मे मुबश्शिर ही की दूसरी कुन्नियत है, और ये ज़ैद बिन हारिसा की बीवी हैं। इस हदीस से मालूम होता है, किसी इंसान के बोए हूए बाग़ या खेती से जब तक लोग फ़ायदा उठाते रहते हैं, चाहे उसकी मिल्कियत तब्दील होती रहे, उसको उसके मरने के बाद सवाब मिलता रहता है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ، بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، . زَادَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَمَّارٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، فَقَالاَ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنِ امْرَأَةِ، زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ رُبَّمَا قَالَ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْ وَكُلُّهُمْ قَالُوا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

(3972) इमाम साहब ने ऊपर दी गई रिवायत चार मुख़्तलिफ़ सनदों से बयान की है, किसी ने जाबिर के बाद अम्मार का नाम लिया, और किसी ने अबी मुआविया का, इन दोनों ने अन उम्मे मुबश्शिर कहा, लेकिन इब्ने फ़ुज़ैल ने अन इम्रात ज़ैद बिन हारिसा: (ज़ैद बिन हारिसा की बीवी कहा) और उसने अबू मुआविया के बाद कुछ दफ़ा उम्मे मुबश्शिर कहा और कुछ दफ़ा उम्मे मुबश्शिर का नाम नहीं लिया, जाबिर अनिन्नबी (ﷺ) कहा, बहरहाल सबने हज़रत जाबिर के ऊपर दिये गये तीनों शागिर्दों (अता, अबू अज़्ज़ुबैर और अम्र बिन दीनार) की तरह रिवायत बयान की है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ " .

(3973) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान कोई दरख़्त लगाता है, या अनाज बोता है और उससे कोई परिन्दा या इंसान या चौपाया या मवेशी खाता है, तो उसके सबब उसे अज्र व सवाब मिलता है, (उनका खाना, उसके लिये सदक़ा बनता है।)

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2320, 6012, जामेअ तिर्मिज़ी: 1382.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ نَخْلاً لأُمِّ مُبَشِّرٍ - امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ " . قَالُوا مُسْلِمٌ . بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

(3974) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) एक अन्सारी औरत उम्मे मुबश्शिर (ﷺ) के बाग़ में तशरीफ़ ले गये, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा: 'ये खजूर के दरख़्त किसने लगाये हैं? क्या मुसलमान ने या काफ़िर ने?' उन्होंने (उम्मे मुबश्शिर) ने कहा मुसलमान ने, आगे ऊपर दी गई रिवायत है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2320.

फ़ायदा : इन तमाम अहादीस में ये सवाल मौजूद है कि दरख़्त काफ़िर ने लगाये या मुसलमान ने, फिर आपने सराहतन मुसलमान के लिये अज्र व सवाब बयान किया, जिससे मालूम होता है, ये अज्र व सवाब ईमान की बरकत से हासिल हुआ है और काफ़िर उससे महरूम है, इसलिए वह अज्र व सवाब से भी महरूम होगा, हाँ दुनिया में उसको इससे फ़ायदा हासिल होगा।

बाब : 3
कुदरती आफ़त से पहुँचने वाले नुक़सान का इज़ाला करना

(3) باب
وَضْعِ الجوَ ائِحِ

(3975) इमाम साहब अपने दो उस्तादों की सनद से इब्ने जुरैज के वास्ता से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) की रिवायत बयान करते हैं, एक उस्ताद कहते हैं, इन बिअ्-त दूसरा कहता है, लौ बिअ्-त, मानी एक ही है, कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमायाः 'अगर तू अपने भाई को फल फ़रोख़्त करे और वह कुदरती आफ़त का शिकार हो जाये तो तेरे लिये ये जायज़ नहीं है कि तू उससे कुछ वसूल करे, तू नाहक़ अपने भाई का माल क्यों कर लेगा?'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3470, नसाई: 4540, 4541, सुनन इब्ने माजा: 2219.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا " . ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ " .

(3976) इमाम साहब एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस बयान हो चुकी है: 3952 में देखें।

وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

मुफ़रदातुल हदीस : हाइजाः कुदरती आफ़त जो फल को तबाह व बर्बाद कर दे।

फ़ायदा : वह बाग़ जिसका फल फ़रोख़्त किया गया है, और फल आफ़त के नतीजा में ज़ाया हो गया है, इसकी नीचे दी गई सूरतें हैं:—

☆ फल पकने की सलाहियत के ज़ाहिर होने के बाद पकाने के लिये फ़रोख़्त किया गया, फिर वह आफ़त का शिकार हो गया, तो इस सूरत में बिल इत्तेफ़ाक़, बायअ (बेचने वाला), मुश्तरी (ख़रीदार) से क़ीमत वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि बिल इत्तेफ़ाक़ ये बैअ बातिल और नाजायज़ है, कलअदम है।

☆ बाग़ का फल इस शर्त पर फ़रोख़्त किया गया कि उसको फ़ौरन तोड़ लेना है, दरख़्तों पर पकाना

नहीं है, बद्वे सलाह से चाहे पहले फ़रोख़्त किया गया, या बाद में, लेकिन अभी मुश्तरी को क़ब्ज़ा नहीं दिया गया था कि वह आफ़त का शिकार हो गया, इस सूरत में भी बिल इत्तेफ़ाक़ फ़रोख़्त करने वाला ज़िम्मेदार है, वह क़ीमत वसूल नहीं कर सकता, हाँ अगर मुश्तरी को क़ब्ज़ा दे दिया, और कहा अपना फल फ़ौरन तोड़ ले, लेकिन उसने लैत व लअल्ल (लेट-सेट) से काम लिया, (आज तोड़ता हूँ, कल तोड़ लूंगा) और वक़्त गुज़रता गया, और बाग़ आफ़त का शिकार हो गया, तो इस सूरत में बिल इत्तेफ़ाक़ मुश्तरी ज़िम्मेदार है, उसे क़ीमत अदा करनी होगी।

☆ बाग़ फ़रोख़्त किया, (बद्वे सलाह से पहले या बाद) और फल तोड़ने के क़ाबिल हो गया, लेकिन तोड़ने से पहले आफ़त का शिकार हो गया, इस सूरत में मुश्तरी ज़िम्मेदार है, और बिल इत्तेफ़ाक़ बायअ उससे क़ीमत वसूल कर सकता है, अगर वह छोड़ देता है, या कम कर देता है तो ये उसकी नेकी और एहसान होगा, उस पर लाज़िम नहीं है।

बाग़ बद्वे सलाह के बाद फ़रोख़्त किया है, तोड़ने या पकाने की शर्त नहीं लगाई, और मुश्तरी के हवाला कर दिया, फिर वह आफ़त का शिकार हो गया, इसमें अइम्मा का इख़्तिलाफ़ है, (1) जुम्हूर सलफ़, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम लैस बिन सअद, और इमाम शाफ़ेई का क़ौले जदीद और इमाम दाऊद का यही मौक़िफ़ है कि इस सूरत में मुश्तरी ज़िम्मेदार है। (2) अहले मदीना, इमाम मालिक और यहया बिन सईद अन्सारी के नज़दीक, अगर माल फल का तिहाई हिस्सा या उससे कम ज़ाया हुआ है तो मुश्तरी ज़िम्मेदार है, और अगर एक तिहाई से ज़्यादा नुक़सान हुआ है, तो फिर बायअ ज़िम्मेदार है। (3) जितना फल ज़ाया हुआ है, मगर ये कि मामूली हो, उसका ज़िम्मेदार मालिक है, इमाम अहमद, अबू उबैद और इमाम शाफ़ेई का क़ौले क़दीम यही है, मुसलमान की हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही का तक़ाज़ा यही है, लेकिन इसकी तर्ग़ीब और तहरीस ही दिलाई जा सकती है, उसको लाज़िम या फ़र्ज़ क़रार नहीं दिया जा सकता।

(3977) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, कि नबी अकरम (ﷺ) ने खजूरों का फल रंगत की तब्दीली से पहले फ़रोख़्त करने से मना फ़रमाया, हमने अनस (ﷺ) से पूछा, ज़हव से क्या मुराद है? उन्होंने जवाब दिया, सुर्ख़ व ज़र्द रंग होना, बताओ, अगर अल्लाह तआला ने फल से महरूम कर दिया, तो अपने भाई का माल तुम्हारे लिये कैसे हलाल हो गया?

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2208.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ . فَقُلْنَا لأَنَسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ . أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ .

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ، بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ قَالُوا وَمَا تُزْهِيَ قَالَ تَحْمَرُّ . فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ .

(3978) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़हव से पहले फल बेचने से मना फ़रमाया है, लोगों ने पूछा, अज़हा से क्या मुराद है? तो जवाब दिया, सुर्ख़ हो जाये, और फ़रमाया: जब अल्लाह ने फल से महरूम कर दिया, तो अपने भाई का माल तुम्हारे लिये कैसे हलाल होगा?
तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2179, 1488, नसाई: 4539.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللَّهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ " .

(3979) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर अल्लाह तआला ने फल न लगाया तो तुम अपने भाई के माल को अपने लिये कैसे हलाल क़रार दोगे।'

फ़ायदा : इमाम दारकुतनी (रह.) का ख़्याल है कि ये कलाम हज़रत अनस (ﷺ) का है, नबी अकरम (ﷺ) की तरफ़ उसकी निस्बत रावी का वहम है, और उससे मालूम होता है, ये बद्वे सलाह से पहले बेचने की मुमानिअत के सबब की तरफ़ इशारा है।

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، - وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّوسلم أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ - وَهُوَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا .

(3980) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने आफ़त से पहुँचने वाले नुक़सान को वज़अ करने का हुक्म दिया, इमाम साहब के शागिर्द सही मुस्लिम की रिवायत करने वाले अबू इस्हाक़ (इब्राहीम बिन मुहम्मद) बयान करते हैं, ये रिवायत हमें अब्दुर्रहमान बिन बिश्र ने सुफ़ियान से सुनाई, (इस तरह इमाम मुस्लिम के वास्ते के बग़ैर, इनके बराबर होकर एक ही वास्ते से सुफ़ियान से रिवायत की है, इमाम मुस्लिम से बयान करने की सूरत में, दो वास्ते बन जाते हैं।
तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3374, नसाई: 4542.

फ़ायदा : वज़अ अलजवाइह का मानी ये है कि क़ुदरती आफ़त के नतीजा में अगर फल ज़ाया हो जाये, तो बायअ उसकी क़ीमत वसूल न करे।

बाब : 4
क़र्ज़ा छोड़ देना पसन्दीदा अमल है या कुछ क़र्ज़ माफ़ कर देना बेहतर है

(4)باب
اِستِحبابِ الوَ ضعِ مِنَ الدَّينِ

(3981) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में एक आदमी को उन फलों की बिना पर जो उसने ख़रीदे थे, नुक़सान पहुँच गया और उस पर काफ़ी क़र्ज़ चढ़ गया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसको सदक़ा दो।' तो लोगों ने उसको सदक़ा दिया, और उससे उसका क़र्ज़ अदा न हो सका, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके क़र्ज़ ख़्वाहों से फ़रमाया: 'जो तुमने पा लिया है वह ले लो, और तुम्हारे लिये बस यही है।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3469, जामेअ तिर्मिज़ी: 655, नसाई: 4543, 4692, सुनन इब्ने माजा: 2356.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي، سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ " . فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِغُرَمَائِهِ " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ " .

(3982) इमाम साहब एक और उस्ताद की सनद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस बयान हो चुकी है: 3958 में देखें।

حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है, कि अगर किसी को घाटा पड़ जाये, जिसका बरदाश्त करना उसकी ताक़त से बाहर हो तो उसको सदक़ा व ख़ैरात देना जायज़ है, बल्कि बाहमी हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही का तक़ाज़ा यही है, इसलिए इसकी तर्ग़ीब और तशवीक़ दिलाना चाहिए, अगर उसके बावजूद भी क़र्ज़ा अदा न हो सके, तो क़र्ज़ा का मुतालबा करने वालों को, उसको माफ़ कर देने पर आमादा करना चाहिए, या कम अज़ कम उसको सहूलत और आसानी के साथ अदा करने की मोहलत देनी चाहिए।

(3983) मुझे बहुत सारे उस्तादों ने हज़रत आयशा(ﷺ) की ये हदीस सुनाई है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दरवाज़ा पर झगड़ने वालों की आवाज़ सुनी, जो बलन्द हो रही थी, उनमें से एक दूसरे से नुक़सान वज़अ करने की इस्तिदआ कर रहा था, और उससे असल रक़म में कुछ कमी का मुतालबा कर रहा था और दूसरा कह रहा था, अल्लाह की क़सम! मैं ये नहीं करूंगा, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) घर से निकल कर उसके पास आये, और फ़रमाया: 'कहाँ है वह जो अल्लाह की क़सम उठा रहा था, कि मैं नेकी और भलाई का काम नहीं करूंगा? उसने कहा, मैं हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं उसकी पसन्द का काम करने के लिये तैयार हूँ।'

وَحَدَّثَنِي غَيْرُ، وَاحِدٍ، مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، - وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أُمَّهُ، عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَىْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَفْعَلُ . فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمَا فَقَالَ " أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ " . قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَهُ أَىُّ ذَلِكَ أَحَبَّ .

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2705.

फ़ायदा : वज़अ से मुराद ये है कि असल रक़म में कमी कर दो, और उसका मुतालबा करने में नर्मी, और सहूलत से काम लो, या ये है कि जो मुझे नुक़सान हो गया है, उसको छोड़ दो और जो बाक़ी बचा है, उसकी क़ीमत भी कम कर दो, जब फ़रीक़ैन की आवाज़ सुन कर हुज़ूर तशरीफ़ लाये और फ़रमाया, मक़रूज़ का मुतालबा मन्ज़ूर न करने की क़सम उठाना, नेकी न करने की क़सम उठाना है, जो मुसलमान के लिये ज़ैबा नहीं है, तो हज़रत कअब बिन मालिक (ﷺ) आपकी बात समझ गये, और अब्दुल्लाह बिन अबी हद्‌रद का मुतालबा मन्ज़ूर करने के लिये आमादा हो गये कि वह जो पसन्द करें, मैं वही करने के लिये तैयार हूँ, फिर आपके कहने पर आधा क़र्ज़ा माफ़ कर दिया, इस हदीस से मालूम हुआ, मक़रूज़, क़र्ज़ ख़्वाह से क़र्ज़ के कुल या जुज़ की माफ़ी की दरख़्वास्त कर सकता है, और उसको माफ़ कर देना पसन्दीदा अमल है, और इस सिलसिले में सिफ़ारिश करना भी दुरूस्त है।

(3984) हज़रत अब्दुल्लाह बिन कअब बिन मालिक, अपने बाप (कअब) से बयान करते हैं, कि मैंने अपना क़र्ज़ जो इब्ने अबी हद्‌रद के

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

ज़िम्मे था, नबी अकरम (ﷺ) के दौर में, उसका उससे मस्जिद में मुतालबा किया, हम दोनों की (तकरार की वजह से) आवाज़ें बलन्द हो गईं, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने घर में वह सुन लीं, आपने उन तक आने के लिये अपने हुजरे का पर्दा उठाया और कअ़ब बिन मालिक को आवाज़ दी, फ़रमाया: 'ऐ कअ़ब! उसने कहा, हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल! तो आपने हाथ से उसे इशारा फ़रमाया, अपना आधा क़र्ज़ा छोड़ दो, कअ़ब ने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने कर दिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक़रूज़ को फ़रमाया, 'उठ और उसका क़र्ज़ अदा कर।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 457, 471, 2418, 2424, 2706, 2710, सुनन अबू दाऊद: 3595, नसाई: 5423, 5429, सुनन इब्ने माजा: 2429.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ " يَا كَعْبُ " . فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ . قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قُمْ فَاقْضِهِ " .

(3985) अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब बिन मालिक से रिवायत है कि उसे कअ़ब बिन मालिक (رضي الله عنه) ने बताया कि मैंने इब्ने अबी हद्रद से अपने क़र्ज़ का मुतालबा किया, आगे ऊपर दी गई हदीस़ है।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 3961 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، تَقَاضَى دَيْنًا لَهُ عَلَى ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ .

(3986) इमाम मुस्लिम बयान करते हैं कि लैस़ बिन सअ़द ने अपनी सनद से कअ़ब बिन मालिक(رضي الله عنه) की रिवायत बयान की, कि मेरा, अ़ब्दुल्लाह इब्ने अबी हद्रद के ज़िम्मे माल था, वह मुझे मिल गये तो मैंने उन्हें पकड़

قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ، هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ

लिया, दोनों में तकरार हुआ, जिससे उनकी आवाज़ें बलन्द हो गयीं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके पास से गुज़रे, और फ़रमाया: 'ऐ कअब! आपने अपने हाथ से इशारा फ़रमाया, गोया कि आप फ़रमा रहे हैं, आधा ले लो, तो उन्होंने आधा क़र्ज़ उनसे ले लिया और आधा छोड़ दिया।

اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَا كَعْبُ " . فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا .

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है।

फ़ायदा : इमाम स़ाहब ने लैस़ बिन सअ़द से ये रिवायत तालीक़न बयान की है, आग़ाज से सनद हज़फ़ कर दी है, इमाम बुख़ारी ने इस रिवायत को लैस़ से मुत्तस़िल सनद से बयान किया है, इस तरह इमाम मुस्लिम ने हदीस़ नम्बर 19 में उस्ताद का नाम नहीं लिया, इस तरह मज्हूल उस्ताद से रिवायत बयान की है, लेकिन बुख़ारी में यही रिवायत इस्माईल बिन अबी उवैस के वास्ते से बयान की, इसलिए मुमकिन है, इमाम मुस्लिम की मुराद इमाम बुख़ारी है इमाम मुस्लिम इस्माईल बिन अबी उवैस से बिला वास्ता भी रिवायत करते हैं और बिलवास्ता भी।

इस हदीस़ से मालूम हुआ कि मस्जिद में ज़रूरत के तहत, ज़रूरत के मुताबिक़, आवाज़ को बलन्द करना जायज़ है और मस्जिद में किसी से अपने क़र्ज़ा का मुतालबा किया जा सकता है, और हुज़ूर अकरम (ﷺ), फ़रीक़ैन के पास से गुज़रे थे, और आपने ख़्याल किया, ये मामला हल कर लेंगे, लेकिन जब तकरार बढ़ा तो आप आवाज़ सुन कर बाहर तशरीफ़ लाये, तो आपने इस ऐतमाद और वुसूक़ पर सिफ़ारिश कर दी कि उसको क़बूल कर लिया जायेगा, और आपके ऐतमाद के मुताबिक़ झगड़े के जोश के दौरान ही हज़रत कअ़ब (رضي الله عنه) ने आपकी बात को अपने जज़्बात पर क़ाबू पाते हूए ग़ौर से सुना और आपके इशारे को समझ कर फ़ौरन! उस पर अ़मल किया और अपना क़र्ज़ जो अस्सी (80) दिरहम था, उसमें से आधा माफ़ कर दिया, और इससे ये भी मालूम हुआ, मक़रूज़ को जब कुछ हिस्स़ा माफ़ कर दिया जाये, तो उसे बाक़ी हिस्स़ा फ़ौरन अदा करना चाहिए, सकत होते हूए टाल मटोल से काम नहीं लेना चाहिए, और इस हदीस़ में मर्रा बिहिमा का मानी ये भी हो सकता है कि इब्तेदा (शुरू) में तो आपने उनके झगड़े की तरफ़ तवज्जोह नहीं दी और मुरूरे मअ़नवी भी मुराद हो सकता है, कि आपको घर में उसका बलन्द आवाज़ों से इल्म हो गया, तो फिर आप बाहर निकले, जिससे मालूम हुआ, जो इख़्तिलाफ़ ख़त्म करवा सकता हो, उसको इख़्तिलाफ़ ख़त्म कराने के लिये अपना किरदार अदा करना चाहिए, इस सिलिसिले में सुस्ती और काहिली नहीं करना चाहिए।

बाब : 5

जिसने अपना सामान मुश्तरी (खरीदार) के पास पड़ा हुआ पा लिया जबकि वह दीवालिया हो चुका हो, तो वह अपना सामान वापस ले सकता है

(5) باب

مَن أدرکَ مَابَاعَهُ عِندَ المُشتَرِی وَقَد أَفلَسَ فَلَهُ الرُّ جُوعُ فِيه

(3987) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: या मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना 'जिसने अपना हू ब हू माल उस इंसान के पास पाया जो मुफ़्लिस हो चुका है या उसे दीवालिया क़रार दे दिया गया है, तो वह दूसरों से उसका ज़्यादा हक़दार है।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2402, सुनन अबू दाऊद: 3519, 3520, 3521, 3522, जामेअ तिर्मिज़ी: 1262, नसाई: 4690, 3691, सुनन इब्ने माजा: 2358, 2359.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ - " مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ - أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ " .

फ़ायदा : इफ़्लास ये है कि इंसान पैसे पैसे का मोहताज हो गया है, क्योंकि उसके पास कोई फ़ल्स (पैसा) नहीं रहा है, और क़ाज़ी ने उसको दीवालिया क़रार दे दिया है, कि वह अपने माल में तसर्रूफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसका सारा माल बेच कर भी उसका क़र्ज़ा उतारा नहीं जा सकता, इस हदीस़ से स़ाबित होता है, अगर कोई इंसान दूसरे से कोई चीज़ ख़रीदता है, और क़ीमत नक़द अदा नहीं करता, फिर क़ीमत की अदायगी से पहले टके टके का मोहताज हो जाता है, लेकिन जो सामान उसने ख़रीदा था, वह बग़ैर किसी रद्दो बदल के अस़ल हालत में उसके पास मौजूद है, तो वह सामान फ़रोख़्त करने वाले का होगा, दूसरे क़र्ज़ ख़्वाहों का इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा, जुम्हूर अइम्मा, मालिक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ वग़ैरहुम का यही मौक़िफ़ है, लेकिन अइम्म–ए–अहनाफ़ का इसके बरअक्स नज़रिया है, कि इसमें तमाम क़र्ज़ ख़्वाह हिस्सेदार होंगे, और इस हदीस़ को उन्हांने, गस़ब,

आरिया, और अमानत वग़ैरह की वापसी पर महमूल किया है, हालांकि अगली रिवायत में ये तसरीह मौजूद है, (अन्नहू लिसाहिबिहिल्लज़ी बाअहू) ये सामान, उसके मालिक का है, जिसने उसे फ़रोख़्त किया था, और अल्लामा अनवर शाह ने इस हदीस से जान छुड़ाने के लिए इसको दयानत का मसला क़रार दिया है कि मुश्तरी को फ़ैसला अदालत में जाने से पहले पहले, ये माल, उसके मालिक, बायअ के हवाला कर देना चाहिए, क्योंकि अगर फ़ैसला अदालत में चला गया, तो फिर बायअ भी दूसरे क़र्ज़ ख़्वाहों की तरह एक क़र्ज़ ख़्वाह होगा। (फ़ैज़ुलबारी, जिल्द: 3, सफ़ा: 313)

लेकिन अल्लामा तक़ी उस्मानी साहब ने अहनाफ़ के दलाइल नक़ल करने के बाद लिखा है: 'हर चंद इमाम अबू हनीफ़ा का नज़रिया, क़यास और दिरायत के ऐतबार से ज़्यादा क़वी है, लेकिन रसूलुल्लाह(ﷺ) की सही और सरीह अहादीस मुक़द्दम हैं।' (शरह मुस्लिम, जिल्द: 4, सफ़ा: 284) मालूम नहीं, अहनाफ़ को सही अहादीस को क़यास और दिरायत के मुख़ालिफ़ साबित करके क्या मिलता है, कि ऐसे क़यास और दिरायत को ग़लत क्यों क़रार नहीं देते, और इसको लोगों को गुमराह करने के लिए सही अहादीस के मुक़ाबला में पेश करते हैं, और इमाम साहब के ग़लत मौक़िफ़ को सही साबित करने के लिए ऐड़ी चोटी का ज़ोर लगाते हैं, हालांकि सीधी सादी बात है कि इमाम साहब को इस सही हदीस का इल्म न हो सका, इसलिए उन्होंने क़यास व राय का सहारा लिया।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ . بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي رِوَايَتِهِ أَيُّمَا امْرِئٍ فُلِّسَ .

(3988) इमाम साहब पाँच सनदों से सात उस्तादों से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, सिर्फ़ इब्ने रूम्ह की रिवायत में ये अल्फ़ाज़ हैं, जिस इंसान को दीवालिया क़रार दिया गया है।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 3963 में देखें।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، - وَهُوَ ابْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ " أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ " .

(3989) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ), नबी अकरम(ﷺ) से बयान करते हैं कि जो आदमी माल से महरूम हो जाता है, जब उसके पास ऐसा सामान पाया जाये, जिसमें उसने तसर्रुफ़ नहीं किया है, तो वह उसके उस मालिक का है, जिसने उसे फ़रोख़्त किया था।'

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 3963 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस : लम युफ़र्रिक़हू: उसने इसमें तसर्रुफ़ नहीं किया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " .

(3990) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो इंसान दीवालिया हो जाये, और दूसरा इंसान उसके पास अपना माल वैसे के वैसे पाये, तो वही उसका हक़दार है।'

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، أَيْضًا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي كِلاَهُمَا، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ وَقَالاَ " فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ " .

(3991) इमाम क़तादा के दो शागिर्द, ऊपर दी गई सनद से, ऊपर दी गई रिवायत में ये बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'वह क़र्ज़ ख़्वाहों के मुक़ाबला में उसका ज़्यादा हक़दार है।'

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، الْخُزَاعِيُّ - قَالَ حَجَّاجٌ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .

(3992) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब आदमी दीवालिया हो जाये, और कोई आदमी उसके पास अपना सामान हू ब हू पाये, तो वही उसका हक़दार है।'

(6) باب
فضلِ إنظارِ الْمُعْسِرِ

बाब : 6
तंगदस्त को मोहलत देने की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ، حِرَاشٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لاَ . قَالُوا تَذَكَّرْ . قَالَ كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ - قَالَ - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَجَوَّزُوا عَنْهُ " .

(3993) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम से पहले लोगों में से एक आदमी की रूह का फ़रिश्तों ने इस्तेक़बाल किया, यानी उसकी रूह क़ब्ज़ की, और उससे पूछा, क्या तूने कोई नेक काम, अच्छा अमल किया है? उसने कहा, नहीं, फ़रिश्तों ने कहा, याद कर, उसने कहा, मैं लोगों को क़र्ज़ देता था और अपने नौकरों को ये हिदायत देता था कि तंगदस्त को मोहलत देना और मालदार से वसूली में आसानी और सहूलत का रवैया इख़्तियार करना, आपने फ़रमाया, अल्लाह तआला ने फ़रिश्तों को उससे दरगुज़र करने का हुक्म दिया।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2077, 2391, 3451, सुनन इब्ने माजा: 2420.

फ़ायदा : मुअ्सिर तंगदस्त को इन्ज़ार ढील और मोहलत देने का मतलब ये है कि तुम जब आसानी और सहूलत के साथ अदा कर सको, उस वक़्त अदा कर देना, या उससे आसान क़िस्तों के ज़रिये क़र्ज़ वसूल करना, और तंगदस्त मालदार से, दरगुज़र और चश्म पोशी से काम लेना, इसका मक़सद ये है कि उससे क़र्ज़ वसूल करने में तल्ख़ और सख़्त रवैया इख़्तियार न करना, नक़द अदायगी की सकत व ताक़त के बावजूद या वक़्ते मुक़र्ररा की आमद के बावजूद एक आध दिन की ढील दे देना, रक़म में कुछ कमी या नुक़्स हो तो उससे दरगुज़र करना, और मुकम्मल अदायगी का तक़ाज़ा छोड़ देना।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حُجْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ " رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّهُ فَقَالَ مَا عَمِلْتَ قَالَ مَا عَمِلْتُ مِنَ الْخَيْرِ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ رَجُلاً ذَا مَالٍ فَكُنْتُ أُطَالِبُ بِهِ النَّاسَ فَكُنْتُ أَقْبَلُ الْمَيْسُورَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمَعْسُورِ . فَقَالَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي " . قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ .

(3994) हज़रत रिब्ई बिन हिराश बयान करते हैं कि हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत अबू मसऊद(ﷺ) इकट्ठे हूए, तो हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) ने बताया, एक आदमी अल्लाह तआला के हुज़ूर पेश हुआ, अल्लाह तआला ने पूछा, तूने क्या अमल किया? उसने जवाब दिया, मैंने कोई अच्छा अमल नहीं किया, सिवाए इसके कि मैं मालदार था, और लोगों से अपने क़र्ज़ का मुतालबा करता था, मक़रूज़ आसानी से जो दे सकता मैं वसूल कर लेता, और जो उसे देना मुश्किल होता, उससे दरगुज़र करता, तो अल्लाह तआला ने फ़रमाया, मेरे बंदे से दरगुज़र करो, (उसके गुनाह माफ़ कर दो) हज़रत अबू मसऊद(ﷺ) ने कहा, मैंने भी नबी करीम (ﷺ) को यही फ़रमाते हूए सुना है।

तख़रीजः ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 3969 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " أَنَّ

(3995) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) नबी अकरम(ﷺ) से नक़ल करते हैं, 'एक आदमी मर कर जन्नत में दाख़िल हो गया, उससे पूछा गया, तुम क्या अमल करते थे? रावी ने बताया, उसे ख़ुद याद आ गया या उसे

رَجُلاً مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ فَقِيلَ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ قَالَ فَإِمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكِّرَ . فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فَكُنْتُ أُنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَأَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ أَوْ فِي النَّقْدِ . فَغُفِرَ لَهُ " . فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(फ़रिश्तों ने) याद दिलाया, उसने कहा, मैं लोगों को सौदा बेचता था, (और उसमें) मैं तंगदस्त को मोहलत देता था, और सिक्का दीनार व दिरहम, या नक़दी की वसूली में दरगुज़र करता था, यानी नक़दी के ऐब या मामूली कमी से दरगुज़र करता था, तो उसे माफ़ कर दिया गया', हज़रत अबू मसऊद(ﷺ) ने बताया, मैंने भी ये रिवायत रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है।

तख़रीज: ये हदीस बयान हो चुकी है: 3969 में देखें।

फ़ायदा : जन्नत में दाख़िला का फ़ैसला सवाल व जवाब के नतीजा में माफ़ी मिलने के बाद होगा, चूंकि ये वाक़िया एक क़तई हक़ीक़त है, जिसे पेश आना है, इसका उसे यूँ बयान कर दिया गया है, गोया कि ये पेश आ चुका है, या मौत के बाद ही अपने अमलों के मुताबिक़, जन्नत और दोज़ख़ के हालात का आग़ाज हो जाता है, इसलिए उसको जन्नत में दाख़िल होने से ताबीर कर दिया है, क्योंकि पहली रिवायत में यही सवाल व जवाब फ़रिश्ते, रूह के क़ब्ज़ करने के बाद कर चुके हैं, और वहाँ माफ़ी मिल चुकी है।

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ رِبْعِيِّ، بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ " أُتِيَ اللَّهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا - قَالَ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا - قَالَ يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ . فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي "

(3996) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) बयान करते हैं कि अल्लाह तआला के पास उसके बंदों में से एक बंदा लाया गया, जिसे अल्लाह तआला ने माल से नवाज़ा था, तो अल्लाह तआला ने उससे पूछा, 'दुनिया में तूने क्या काम किया? (रावी ने कहा, लोग अल्लाह तआला से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे) उसने जवाब दिया, ऐ मेरे आक़ा! तूने मुझे अपने माल से नवाज़ा और मैं लोगों से ख़रीद व फ़रोख़्त करता था, और मेरा रवैया दरगुज़र वाला था, मैं मालदार को आसानी और सहूलत देता और तंगदस्त को मोहलत देता, तो अल्लाह तआला ने

. فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ وَأَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

फ़रमाया, मैं तुझसे ज़्यादा उसका हक़दार हूँ, मेरे बंदे से दरगुज़र करो।' तो उक़्बा बिन आमिर जुहनी (ﷺ) और अबू मसऊद(ﷺ) ने कहा, हमने भी रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुँह से ऐसे ही सुना है।

तख़रीज: ये हदीस बयान हो चुकी है: 3969 में देखें।

फ़ायदा : इमाम दारक़ुतनी फ़रमाते हैं, ये रिवायत अबू मसऊद (ﷺ) से मरवी है, जिनका नाम उक़्बा बिन अम्र है, अबू ख़ालिद अहमद को वहम लाहिक़ हुआ, उसने, इसे उक़्बा बिन आमिर बना दिया, उसे यूँ कहना चाहिए था, (फ़क़ाल उक़्बा बिन अम्र व अबू मसऊद अन्सारी) और अक्सर मोहद्दिसीन के नज़दीक ये ग़ज़्व–ए–बद्र में शरीक नहीं हूए, लेकिन चश्म–ए–बद्र पर रिहाइश इख़्तियार कर ली थी, इसलिए बद्री के नाम से मशहूर हो गये।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَىْءٌ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ "

(3997) हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुमसे पहले लोगों में से एक आदमी का मुहासबा किया गया, तो उसके पास कोई नेकी न पाई गई, सिवाए इसके कि वह लोगों के साथ घुल मिलकर रहता था और मालदार था, और अपने नोकरों को ये हिदायत देता था कि वह तंगदस्त से दरगुज़र करें, अल्लाह तआला ने फ़रमाया, हम दरगुज़र करने के इससे ज़्यादा हक़दार हैं, इससे दरगुज़र करो।'

तख़रीज : जामेअ तिर्मिज़ी: 1307.

फ़ायदा : लम यूजद लहू मिनल ख़ैरि शैउन: में अल्ख़ैर से मुराद आमाले सालेहा हैं, ऐसे वह ईमानदार था, क्योंकि ईमान के बग़ैर माफ़ी मुमकिन नहीं है और न कोई अमल उसके बग़ैर निजात का बाइस बन सकता है, जैसा कि अगली रिवायत में आ रहा है।

(3998) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक आदमी लोगों से उधार लेन–देन करता था, लोगों को उधार सामान देता था, और अपने ख़ादिम से कहता था, जब तू तंगदस्त के पास जाये तो उससे दरगुज़र करना, उम्मीद है, अल्लाह तआला हमसे दरगुज़र फ़रमायेगा, तो जब वह अल्लाह से मिला, अल्लाह तआला ने उससे (उसके गुमान के मुताबिक़) दरगुज़र फ़रमाया।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2078, 3480, नसाई: 4709.

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، - قَالَ مَنْصُورٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا . فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ " .

फ़ायदा : तंगदस्त से दरगुज़र करने की मुख़्तलिफ़ (कई) सूरतें हैं, जैसे उसको रक़म कुल्ली तौर पर छोड़ देना, क़र्ज़ा का कुछ हिस्सा माफ़ कर देना, उसको सहूलत और आसानी के साथ क़र्ज़ अदा करने की मोहलत देना, रक़म क़िस्तों की सूरत में लेना।

(3999) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से, हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 3974 में देखें।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ . بِمِثْلِهِ.

(4000) अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से रिवायत है कि अबू क़तादा (ﷺ) ने अपने एक मक़रूज़ को तलाश किया, तो वह उनसे छुप गया, फिर उन्होंने उसे पा लिया, तो उसने कहा, मैं तंगदस्त हूँ, अबू क़तादा (ﷺ) ने

حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ، خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجْلاَنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ

فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّي مُعْسِرٌ . فَقَالَ آللَّهِ قَالَ آللَّهِ . قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ "

कहा, अल्लाह की क़सम, (वाक़ेई तुम तंगदस्त हो?) उसने जवाब दिया, अल्लाह की क़सम (मैं वाक़ेई तंगदस्त हूँ) उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हूए सुना है, 'जिस शख़्स को ये पसन्द हो कि अल्लाह तआला उसे क़यामत के दिन की तकलीफ़ और घुटन से निजात दे, तो वह तंगदस्त को आसानी या गुंजाइश दे या उसे छोड़ दे।'

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(4001) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से, अय्यूब की ऊपर दी गई सनद से इसके हम मानी अल्फ़ाज़ बयान करते हैं।

(7) باب

تحريم مَطلِ الغَنِيِّ وَ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَاستِحبَابِ قَبُولِهَاإِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ

बाब : 7

मालदार का टाल मटोल करना हराम है और हवाला करना दुरूस्त है, अगर क़र्ज़ का इन्तेक़ाल, मालदार की तरफ़ हो तो इस इन्तेक़ाल और हवाला को क़बूल करना पसन्दीदा है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ " .

(4002) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(ग़नी का टाल मटोल करना हक़ तल्फ़ी है, और जब तुममें से किसी को मालदार के पीछे लगाया जाये (क़र्ज़ का इन्तेक़ाल मालदार की तरफ़ किया जाये), तो वह उसका पीछा करे, (उस इन्तेक़ाल और हवाला को क़बूल कर ले)'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2287, सुनन अबू दाऊद: 3345, नसाई: 4705.

फ़ायदा : एक इंसान को किसी का क़र्ज़ा देना है, और वह अपना क़र्ज़ा दूसरे की तरफ़ मुन्तक़िल कर देता है, जिसको हवाला का नाम दिया जाता है, क्योंकि उसको भी दूसरे इंसान से अपना क़र्ज़ा लेना है या दूसरा इंसान अपनी तरफ़ से उसका क़र्ज़ अदा करने के लिये तैयार है। इस तरह हवाला या इन्तेक़ाले क़र्ज़ा के चार अरकान हैं। (1) मुहील: जिसके ज़िम्मे दर हक़ीक़त क़र्ज़ा है, जिसको अस़ील भी कहते हैं, (2) दाइन क़र्ज़ ख़्वाह, जिसको क़र्ज़ा वसूल करना है, उसको मुहाल या मुहताल कहते हैं। (3) मुहताल अ़लैह या मुहाल अ़लैह, जिसको क़र्ज़ की अदायगी का ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है या जिसकी तरफ़ क़र्ज़ा मुन्तक़िल किया जा रहा है। (4) मुहाल बिही या मुहताल बिही, दैन या क़र्ज़ जो अदा करता है, एक इंसान क़र्ज़ा अदा करने की स़लाहियत रखता है, लेकिन अदायगी की क़ुदरत रखने के बावजूद, क़र्ज़ा अदा नहीं करता, ये ज़ुल्म और ज़्यादती है, लेकिन क़र्ज़ा का स़ाहबे हैस़ियत की तरफ़ इन्तेक़ाल या हवाला ये ज़ुल्म और ज़्यादती नहीं है, शर्त सिर्फ़ ये है कि वह मिल्ली यानी अदायगी की क़ुदरत और इस्तेताअ़त रखता हो, जुम्हूर (अहनाफ़, शवाफ़ेअ, मवालिक) के नज़दीक इस हवाला और इन्तेक़ाल को क़बूल करना फ़र्ज़ नहीं है, बेहतर और अफ़ज़ल है, इसलिए हवाला के लिये क़र्ज़ ख़्वाह का क़बूल करना शर्त है, लेकिन इमाम अहमद और अहले ज़ाहिर के नज़दीक इस हदीस़ की रू से, क़र्ज़ ख़्वाह पर हवाला क़बूल करना लाज़िम है, इस तरह हवाला की दुरूस्तगी के लिये मुहताल अ़लैह का क़र्ज़ की अदायगी के हवाला को क़बूल करना, कि मैं ये क़र्ज़ा अपने ज़िम्मे लेता हूँ, अहनाफ़ के नज़दीक शर्त है, लेकिन बाक़ी अइम्मा के नज़दीक शर्त नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है, अगर वह अदायगी को तस्लीम ही नहीं कर रहा तो मुहाल उससे वसूल कैसे कर सकता है, मगर ये कि अ़दालत उसको पाबन्द करे, इस तरह हवाला की तकमील के बाद मुहील (मक़रूज़) क़र्ज़ की अदायगी से बरीउज़्ज़िम्मा या सुबुकदोश हो जायेगा, और अइम्म–ए–सलास़ा के नज़दीक अब क़र्ज़ ख़्वाह किसी स़ूरत में भी मक़रूज़ से मुतालबा नहीं कर सकता, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक अपने हक़ या क़र्ज़ा के ज़ाया की स़ूरत में जैसे मुहताल अ़लैह अदायगी से इंकार कर दे या दीवालिया हो जाये तो क़र्ज़ ख़्वाह, मक़रूज़े अस़ली से मुतालबा कर सकता है, ज़ाहिर है ये इस स़ूरत में तो मुमकिन है, जब मदयून (मक़रूज़) ने मुहताल अ़लैह से रक़म न लेनी हो, उसने महज़ तबर्रोअ़न नेकी करते हुए, क़र्ज़ा की अदायगी की ज़िम्मेदारी क़बूल की हो और अब वह इंकार कर रहा है या अदायगी के क़ाबिल नहीं रहा, और अस़ली मक़रूज़, रक़म अदा करने की ताक़त रखता है, लेकिन अगर उसने क़र्ज़ा वसूल करना था, और उसे मुन्तक़िल कर दिया है या उसमें अदायगी की सकत ही नहीं है, तो फिर रूजू या वापसी का सवाल कैसे पैदा हो सकता है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(4003) इमाम साहब ने अपने दो और उस्तादों की सनद से भी हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से ऊपर दी गई रिवायत नक़ल करते हैं।

(8) باب

تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل

बाब : 8

जंगलात का ज़रूरत से ज़्यादा पानी, ज़रूरतमंद चरवाहों को पहुँचाना या उनको इस्तेमाल करने से रोकना मना है, और नर (सांड) की जुफ़्ती (मेल–मिलाप) की उजरत लेना हराम है

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ .

(4004) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़रूरत से ज़्यादा पानी को फ़रोख़्त करने से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : सुनन इब्ने माजा: 2477.

फ़ायदा : इस हदीस से बज़ाहिर ये साबित होता है कि पानी फ़रोख़्त करना जायज़ नहीं है, जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने हज़्म और इमाम शौकानी का रूझान मालूम होता है, लेकिन जुम्हूर उम्मत के नज़दीक दूसरी अहादीस़ की रोशनी में पानी पर मिल्कियत साबित है, इसलिए इसकी ख़रीद फ़रोख़्त भी जायज़ है, और जिस पानी को फ़रोख़्त करने से मना किया गया है, वह, वह पानी है जो उन नहरों या चश्मों का है, जिस पर किसी की मिल्कियत नहीं है, अगर कोई वहाँ से अपने बर्तन में भर लाया है, तो वह बेच सकता है, इमाम शौकानी ने इस हदीस से इस्तेदलाल किया है, जिसमें है, नहा अन बैइलमाइ, आपने पानी फ़रोख़्त करने से मना फ़रमाया, इसमें फ़ज़ल (लज़ाइद) की क़ैद नहीं है।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتُحْرَثَ . فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .

(4005) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऊँट की जुफ़्ती को बेचने से, पानी फ़रोख़्त करने, ज़मीन बटाई पर देने से मना फ़रमाया है, इन चीज़ों से नबी अकरम (ﷺ) ने रोका है।

तख़रीज : नसाई: 4684.

फ़ायदा : अइम्म-ए-सलासा (इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद, इमाम शाफ़ेई और जुम्हूर के नज़दीक नर को जुफ़्ती के लिये उजरत और किराया पर देना जायज़ नहीं है लेकिन इमाम मालिक के नज़दीक ये नस्से तहरीमी (हुरमत के लिये नहीं है) बल्कि नस्से तन्ज़ीही है, यानी अच्छा और पसन्दीदा तर्ज़े अमल नहीं है, बटाई का मसला पीछे गुज़र चुका है, मालूम होता है, नर की जुफ़्ती को आमदनी का ज़रिया बनाना जायज़ नहीं है, अगर वह नर को चारा डालने या ख़ूराक मुहैया करने के लिये कहता है ताकि बार बार जुफ़्ती करने से जो कमज़ोरी पैदा होती है, उसका इज़ाला हो सके तो ये बेचना नहीं होगा।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ " .

(4006) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़रूरत से ज़्यादा पानी को घास की हिफ़ाज़त व बंदिश की ख़ातिर न रोका जाये।'

तख़रीज : सहीह बुखारी: 2353, जामेअ तिर्मिज़ी: 1272.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأَ " .

(4007) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़रूरत से ज़्यादा पानी न रोको, जिसका नतीजा ये निकले कि तुम इस तरह घास को रोक सको, (वह तुम्हारे लिये महफ़ूज़ हो जाये)'

फ़ायदा : एक इंसान का ऐसे इलाक़े में कुँवा है, जहाँ मुश्तरका घास मौजूद है, जिससे सब लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, और उस घास के क़रीब कोई और पानी नहीं है, जिससे मवेशियों को पिलाया जा सके, और मवेशियों को पानी पिलाये बग़ैर कोई चारा नहीं है, ऐसी सूरत में अगर कूँए में, मालिक की ज़रूरत से ज़्यादा पानी है तो उस पानी से मवेशियों को रोकना, दर हक़ीक़त इस मुश्तरका घास से रोकना है, और ये जायज़ नहीं है।

इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा, और इमाम शाफ़ेई का यही मौक़िफ़ है, लेकिन काश्तकारी और ज़राअत के लिये फ़ालतू पानी देना पसन्दीदा है, लाज़िम नहीं है, लेकिन इमाम मालिक के नज़दीक दोनों का हुक्म यकसाँ है, हदीस़ की रू से शवाफ़ेअ और अहनाफ़ का मौक़िफ़ राजेह है, क्योंकि जानवरों और ज़मीन का हुक्म यकसाँ नहीं है।

(4008) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़रूरत से ज़्यादा फ़ालतू पानी न बेचा जाये कि उससे घास को फ़रोख़्त किया जा सके।'

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُسَامَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि फ़ालतू पानी, पीने और मवेशियों को पिलाने से रोकना जिस तरह मना है, इस तरह उसको बेचना भी मना है, इसलिए उन लोगों का मौक़िफ़ दुरूस्त नहीं है, जो कहते हैं कि रोकना मना है, बेचना मना नहीं है, क्योंकि पानी पीने से रोकना या उसको बेचना ही घास बेचने का वास्ता और ज़रिया है, नीज़ उससे ये भी मालूम हुआ कि ज़रूरत और काश्तकारी के लिये पानी बेचना मना नहीं है, क्योंकि इससे घास बेचना लाज़िम नहीं ठहरता, और पानी की तीन क़िस्में हैं।

(1) नहरों और दरयाओं का पानी, जिस पर किसी की मिल्कियत नहीं है, ये सबके लिये आम है, इसको बेचना दुरूस्त नहीं है, हाँ ज़मीनदार या काश्तकार, जो नहरों का पानी हुकूमत से अपने लिए हासिल करते हैं, वह उनकी मिल्कियत में आ जाता है, इसका फ़रोख़्त करना जायज़ होगा।

(2) वह पानी जो इंसान अपनी मिल्कियती ज़मीन में, जमा करता है, वह उसका हक़दार है, लेकिन

इंसानों या मवेशियों को अगर फ़ालतू हो तो पीने से रोक नहीं सकता, और न ही बेच सकता है, हाँ खेती या बाग़ को पिलाने से रोक सकता है, और बेच भी सकता है।

(3) वह पानी जो इंसान घरेलू इस्तेमाल के लिये घर में बर्तनों या टंकी और हौज़ में जमा करता है, वह उसका मालिक है, और दूसरों को उससे रोक सकता है, हाँ ज़रूरत से ज़्यादा हो तो लाचार और मजबूर इंसान जिसको पानी कहीं से दस्तयाब न हो रहा हो, उसको पिलाने का पाबन्द होगा।

बाब : 9
कुत्ते की क़ीमत, काहिन का नज़राना, फ़ाहिशा की उजरत और बिल्ली की बैअ (फ़रोख़्त) हराम है

(9) باب
تَحرِيمِ ثَمَنِ الكَلبِ وَحُلوَانِ الكَهِنِ وَمَهرِ البَغِيِّ وَالنَّهيِ عَن بَيعِ السِّنَّورِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ"

(4009) हज़रत अबू मसऊद अन्सारी (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने, कुत्ते की क़ीमत, ज़ानिया की उजरत और काहिन के नज़राना से मना फ़रमाया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2237, 2282, 3946, 5761, सुनन अबू दाऊद: 3428, 3481, जामेअ तिर्मिज़ी: 1133, 1276, नसाई: 4303, सुनन इब्ने माजा: 2159.

मुफ़रदातुल हदीस़ : अर्राफ़: मौजूदा पोशीदा चीज़ की ख़बर देने वाला यानी चोरी शुदा या गुम शुदा चीज़ों की मारफ़त का दावा करने वाला और नुजूमी भी काहिन के हुक्म में हैं।

फायदा : (1) जुम्हूर फ़ुक़हा ने इस हदीस़ की रोशनी में कुत्तों की ख़रीद व फ़रोख़्त को मना क़रार दिया है, ख़्वाह कुत्ते शिकारी हों यानी टेरेन्ड याफ़्ता हों या आम, उनका रखना जायज़ हो या नाजायज़, हर सूरत में उनकी क़ीमत लेना नाजायज़ है, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम रबीआ अर्राय, इमाम इस्हाक़, मुहम्मद बिन सीरीन, हसन बसरी, ओज़ाई, हम्माद बिन अबी सुलैमान, (इमाम अबू हनीफ़ा के उस्ताद) वग़ैरहुम का यही मौक़िफ़ है, और इमाम मालिक का एक क़ौल यही है, लेकिन अइम्मा-ए-अहनाफ़ और नख़ई के नज़दीक, जिन कुत्तों को रखना और उनसे फ़ायदा उठाना जायज़ है, उनकी क़ीमत लेने की गुंजाइश है, लेकिन ये पसन्दीदा काम नहीं है, दलील की रू से जुम्हूर का मौक़िफ़ सही है, क्योंकि कुत्तों की ख़रीद व फ़रोख़्त एक नापसन्दीदा काम है, इसकी हौसला शिक्नी करनी चाहिए।

(2) ज़िना चूंकि नाजायज़ काम है इसलिए इसकी उजरत व मज़दूरी को महर से ताबीर किया गया है, बिल इत्तेफ़ाक़ हराम है। (3) काहिन जो आइन्दा ज़माने के बारे में ख़बरें देता है और ग़ैबदानी का दावा करता है, उसका नज़राना जिसको वह बग़ैर मेहनत व मशक़्क़त के हासिल कर लेता है, इस वजह से उसको शीरीनी और मिठास से ताबीर किया गया है, ये भी बिल इत्तेफ़ाक़ नाजायज़ है।

(4010) इमाम साहब अपने मुख़्तलिफ़ उस्तादों की सनद से ऊपर दी गई रिवायत, ज़ोहरी ही की सनद से बयान करते हैं।

तख़रीज:ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 3985 में देखें।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ . وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ

(4011) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बदतरीन कमाई फ़ाहिशा की उजरत, कुत्ते की क़ीमत और सैंगी लगाने वाले की उजरत है।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3421, जामेअ तिर्मिज़ी: 1275, नसाई: 4305.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है, कि सैंगी लगाने की उजरत लेना और उसको पेशा बनाना, पसन्दीदा काम नहीं है, अगली हदीस़ में इसको ख़बीस़ से ताबीर किया गया है, जिससे मालूम होता है, किसी शरीफ़ और बा'वक़ार को ये पेशा इख़्तियार नहीं करना चाहिए, कुछ हज़रात ने इस हदीस़ की बिना पर, इसको हराम क़रार दिया है, लेकिन आगे इस सिलसिले में एक मुस्तक़िल बाब आ रहा है, उसकी अहादीस़ से साबित होता है, इसकी उजरत लेना हराम नहीं है, जुम्हूर उ़लमा, जिनमें अइम्मए–अरबआ भी दाख़िल हैं, उन्हीं अहादीस़ की बिना पर इसके जवाज़ के क़ायल हैं।

(4012) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कुत्ते की क़ीमत ख़बीस़ (पलीद) है, ज़ानिया

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ،

حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ " .

की उजरत ख़बीस़ है और सैंगी लगाने वाले की कमाई ख़बीस़ है।'

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي، كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(4013) इमाम स़ाहब अपने एक और उस्ताद की सनद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान हो चुकी है।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ

(4014) इमाम स़ाहब एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान हो चुकी है।

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ .

(4015) अबू ज़ुबैर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर (ﷺ) से कुत्ते और बिल्ली की क़ीमत के बारे में सवाल किया? उन्होंने जवाब दिया, नबी अकरम (ﷺ) ने इससे ज़जर व तौबीख़ फ़रमाई है।

फ़ायदा : कुछ स़हाबा व ताबेइन और इब्ने हज़्म ने इस हदीस़ की रोशनी में बिल्ली की क़ीमत से रोका है। और जुम्हूर, जिनमें अइम्मा-ए-अरबआ भी दाख़िल हैं, के नज़दीक ये भी नह्ये तन्ज़ीही है कि आला सिफ़ात या अख़्लाक़े हसना के ये मुनाफ़ी हरकत है, वैसे जायज़ है।

बाब : 10
कुत्तों के क़त्ल करने का हुक्म और उसका मन्सूख़ होना, शिकार, खेत की हिफ़ाज़त या जानवरों की रखवाली वग़ैरह के सिवा कुत्ता रखना हराम है

(10) باب
الأَمرِ بِقَتلِ الكِلَابِ وَبَيَانِ نَسخِهِ وَبَيَانِ تَحرِيمِ اقتِنَآ ئِهَا إِلَّالِصَيدٍأَو زَرعٍ أَو مَاشِيَتِه وَنَحوِذٰلِكَ

(4016) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्तों को मारने का हुक्म दिया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3323, नसाई: 4288, सुनन इब्ने माजा: 3202.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ .

(4017) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्तों को मार डालने का हुक्म दिया और उसके लिये मदीना मुनव्वरा के अतराफ़ में क़त्ल करने के लिये आदमी रवाना फ़रमाये।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ .

(4018) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कुत्तों को मार डालने का हुक्म देते थे, तो हम मदीना के अन्दर और उसके अतराफ़ में आदमी भेजते और हम कोई कुत्ता क़त्ल किये बग़ैर न छोड़ते, यहाँ तक कि हम किसी गाँव की औरत के पीछे आने वाला कुत्ता भी क़त्ल कर देते।

وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلاَ نَدَعُ كَلْبًا إِلاَّ قَتَلْنَاهُ حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا .

मुफ़रदातुल हदीस़ : मुरय्या: मुर्अतुन की तसग़ीर है, यानी औरत।

(4019) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शिकारी कुत्ते, बकरियों या मवेशियों की हिफ़ाज़त करने वाले कुत्ते के सिवा कुत्तों को मार डालने का हुक्म दिया, हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से पूछा गया, हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) खेत की रखवाली करने वाले कुत्ते को भी मुस्तसना (अलग) क़रार देते हैं तो इब्ने उमर (ﷺ) ने कहा, अबू हुरैरह (ﷺ) खेत का मालिक है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ . فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا .

तख़रीज : जामेअ तिर्मिज़ी: 1488, नसाई: 4290.

फ़ायदा : बावले या काटने वाले कुत्ते को बिल इत्तेफ़ाक़ क़त्ल कर दिया जायेगा, और जो कुत्ते बेज़रर हैं, उनके क़त्ल करने में इख़्तिलाफ़ है, और जो कुत्ते मुस्तसना हैं, उनके इस्तिसना पर इत्तेफ़ाक़ है, चूंकि आग़ाज में आप (ﷺ) ने क़त्ल का उमूमी हुक्म दिया था, इसलिए इमाम मालिक, मुस्तसना कुत्तों के सिवा सब के क़त्ल करने को जायज़ क़रार देते हैं, और दूसरे अइम्मा क़त्ल के उमूमी हुक्म को मन्सूख़ क़रार देते हैं, जैसा कि आगे आ रहा है, इसलिए उनके नज़दीक बेज़रर कुत्तों को क़त्ल नहीं किया जायेगा। इमाम अहमद, कुछ शवाफ़ेअ, हसन बसरी और इब्राहीम नख़ई के नज़दीक स्याह कुत्ते का शिकार भी मकरूह है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई के नज़दीक जायज़ है।

तम्बीह : इस हदीस में है कि हज़रत इब्ने उमर से पूछा गया कि हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) खेत की हिफ़ाज़त करने वाले कुत्ते का भी इस्तेसना करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, (इन्न लि अबी हुरैरह) क्योंकि अबू हुरैरह का खेत है, इसलिए कुछ बद दीनों ने ये मतलब निकाला है कि हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की रिवायत पर शक का इज़हार किया, और नऊज़ूबिल्लाह उन पर फ़ब्ती कसी कि ये टुकड़ा उनका तराशीदा है, हालांकि उनका मतलब ये था कि अबू हुरैरह का खेत है, इसलिए उन्होंने उसका हुक्म भी याद रखा, क्योंकि इंसान को जिस चीज़ से वास्ता पड़ता रहता है, उसका हुक्म भी उसको ख़ूब याद रहता है, नीज़ ये हुक्म तो ख़ुद इब्ने उमर भी बयान करते हैं, जैसा कि आगे उनकी रिवायत आ रही है, और ये बात दूसरे सहाबा की रिवायत में भी आ रही है, इसलिए इब्ने उमर, हज़रत अबू हुरैरह पर तन्ज़ किस तरह कर सकते हैं?

(4020) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا

رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ " عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ " .

हमें कुत्तों को मार डालने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि कोई औरत देहात से अपने कुत्ते को साथ लेकर आती तो हम उसे भी क़त्ल कर देते, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके क़त्ल करने से रोक दिया, और फ़रमाया: 'तुम स्याह काले कुत्ते को जिसकी आँखों पर दो नुक़्ते हो, उसे क़त्ल करो, क्योंकि वह शैतान है।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 2846.

फ़ायदा : आग़ाज में कुत्तों से नफ़रत दिलाने के लिये उनके क़त्ल का उमूमी हुक्म दिया गया, आहिस्ता आहिस्ता, जब उनसे नफ़रत पुख़्ता हो गई, तो फिर वह कुत्ते जो तकलीफ़ और ज़रर का बाइस नहीं बनते थे, उनके क़त्ल करने से रोक दिया, इन्तेहाई स्याह कुत्ता ख़ौफ़नाक होता है और उससे लोग ख़तरा और डर महसूस करते हैं, इसलिए उसको क़त्ल करने की इजाज़त बरक़रार रखी, और उसकी मज़र्रत (नुक़्सान) व ख़तरा की बिना पर उसको शैतान से ताबीर किया, या स्याह कुत्ता जिसकी आँखों पर दो नुक़्ते हों वाक़ेई शैतान है और इस बात की हक़ीक़त अल्लाह बेहतर जानता है।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، سَمِعَ مُطَرِّفَ، بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ " مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ " . ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ.

(4021) हज़रत इब्ने अल मुग़फ़्फ़ल (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्तों को क़त्ल कर डालने का हुक्म दिया, फिर फ़रमाया, लोगों को कुत्तों से क्या ग़र्ज़ है, उनका पीछा क्यों करते हैं?' फिर आप (ﷺ) ने शिकारी कुत्ते और बकरियों के मुहाफ़िज़ कुत्ते की इजाज़त दे दी।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है।

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ، حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا

(4022) इमाम स़ाहब छः उस्तादों से शोबा की ऊपर दी गई सनद से यही हदीस़ बयान करते हैं, और इब्ने हातिम की हदीस़ में है कि आपने बकरियों के मुहाफ़िज़, शिकारी और खेत की रखवाली करने वाले कुत्ते की

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى، وَرَخَّصَ، فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ .

रूख़सत दे दी।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِي نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ " .

(4023) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने मवेशियों के कुत्ते और शिकारी कुत्ते के सिवा कोई कुत्ता रखा, उसके अ़मलों में हर रोज़ दो क़ीरात कम हो जायेंगे।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 5482.

मुफ़रदातुल हदीस़ : अल्कल्बुज़्ज़ारी: से मुराद शिकार करने का आ़दी कुत्ता है, कहते हैं—ज़रियल कल्बु: कुत्ता आ़दी बन गया।

फ़ायदा : बग़ैर किसी मस़लिहत और हिकमत के बिला ज़रूरत व फ़ायदा कुत्ता रखना जायज़ नहीं है, और जो इंसान जल्बे मनफ़अ़त या नुक़्सान के दिफ़ा की ग़र्ज़ के सिवा कुत्ता रखता है, उसके अ़मलों में हर रोज़ एक या दो क़ीरात की कमी होगी।

अगर कुत्ता ज़्यादा नुक़सानदेह है या उससे ज़्यादा अफ़राद को ख़तरा है, जैसे एक कुत्ता ऐसे इलाक़े में रखा गया, जहाँ आमद व रफ़्त ज़्यादा है या आबादी ज़्यादा है, तो वह क़ीरात कम होंगे, अगर ऐसे इलाक़ा में रखा गया है जहाँ आमद व रफ़्त कम है या आबादी कम है, तो एक क़ीरात कम होगा, या एक कुत्ता काटता है और एक महज़ भौंकता है या आपने पहले एक क़ीरात फ़रमाया, और बाद में दो क़ीरात, और क़ीरात से क्या मुराद है, इसकी किसी हदीस़ में स़राहत मौजूद नहीं है, इस हरकत से बाज़ रखने के लिये आपने इस मिक़्दार को मुब्हम रखा है, इसकी वज़ाहत नहीं की, जनाज़ा के स़वाब में आपने एक क़ीरात, उहुद पहाड़ के बराबर क़रार दिया है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

(4024) हज़रत सालिम अपने बाप (अ़ब्दुल्लाह बिन उमर) (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया:

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ " .

'जिसने शिकार या मवेशियों के कुत्ते के सिवा कुत्ता रखा, उसके अज्र व सवाब से हर रोज़ दो क़ीरात कम हो जायेंगे।'

तख़रीज : नसाई: 4298.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ " .

(4025) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने कुत्ता रखा, मगर ये कि वह शिकार के लिये या मवेशियों के लिये हो, उसके अमल से हर रोज़ दो क़ीरात कम हो जायेंगे।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ، اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ " أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ"

(4026) हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने कुत्ता रखा, मगर मवेशियों का कुत्ता या शिकारी कुत्ता, उसके अमल से हर रोज़ एक क़ीरात कम हो जायेगा।' हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) ने कहा, और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने कहा: 'या खेती का कुत्ता।'

तख़रीज : नसाई: 4302.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ ضَارٍ

(4027) हज़रत सालिम अपने बाप (अब्दुल्लाह) (ﷺ) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(जिसने कुत्ता रखा, सिवाए शिकारी और मवेशियों के कुत्ते के, उसके अमल से हर रोज़ दो क़ीरात कम

أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ " . قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ " أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ " . وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ .

होंगे।' हज़रत सालिम (ﷺ) उस पर ये इज़ाफ़ा करते थे, 'या खेती का कुत्ता,' और वह खेती के मालिक थे, (इसलिए इस मसला से ख़ूब आगाह थे)

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 5481, नसाई: 4295.

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَائِدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ" .

(4028) हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस घर वालों ने कुत्ता रखा, मगर मवेशियों का कुत्ता या शिकार करने वाला कुत्ता, उनके अमल से हर रोज़ दो क़ीरात कम होंगे।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ صَيْدٍ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " .

(4029) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने कुत्ता रखा, मगर खेती, बकरियों या शिकार का कुत्ता, उसके अज्र से हर रोज़ दो क़ीरात कम होंगे।

फ़ायदा : इस हदीस़ में हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) खेती के कुत्ते का इस्तिस़ना बयान करते हैं, जिससे मालूम होता है कि उन्हें जब हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की हदीस़ सुनाई गई, तो उन्हें भी याद आ गया, इसलिए बाद में उन्होंने उसको बयान करना शुरू कर दिया, या उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) पर ऐतमाद करते हूए, उसको बयान करना शुरू कर दिया, जिससे स़ाबित होता है कि उन्होंने जो ये कहा था कि अबू हुरैरह (ﷺ) खेती का मालिक है, तो उसका ये मक़सद न था कि उसने अपने मफ़ाद में ये बात गढ़ ली है, बल्कि तौस़ीक़ व ताईद मक़सूद थी, चूंकि वह खेती के मालिक हैं, इसलिए वह उसको बेहतर तौर पर जानते हैं।

(4030) इमाम साहब अपने दो उस्ताद अबू ताहिर और हरमला से हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने कुत्ता रखा, जो शिकारी या मवेशियों के लिये या ज़मीन के लिये नहीं है, तो उसके अज्र से दो क़ीरात हर दिन कम होंगे।' अबू ताहिर की हदीस में, ज़मीन का ज़िक्र नहीं है।

तख़रीज : नसाई: 4301.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ " . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي الطَّاهِرِ " وَلاَ أَرْضٍ "

(4031) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने कुत्ता रखा, मगर ये कि वह मवेशियों या शिकार या खेती के लिये हो, उसके अज्र से हर दिन एक क़ीरात कम होगा।'

इमाम ज़ोहरी बयान करते हैं, हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) की हदीस, हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) को बताई गई, तो उन्होंने कहा, अल्लाह तआला अबू हुरैरह (ﷺ) पर रहम फ़रमाये, वह खेती के मालिक थे, (और जिसको किसी चीज़ से वास्ता पड़ता है, वह उसके मसाइल को भी ख़ूब याद रखता है)

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 2844, जामेअ तिर्मिज़ी: 1490, नसाई: 4300.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " . قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذُكِرَ لاِبْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ .

(4032) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने कुत्ता रखा, तो उसके अमल में से हर

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى

بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ" .

दिन एक क़ीरात कम होगा, मगर ये कि वह खेती या मवेशियों के लिये हो।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2322.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(4033) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद की सनद से अबू हुरैरह (ﷺ) की ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : सुनन इब्ने माजा: 3204.

फ़ायदा : इक़्तना, इत्तख़ज़, अम्सका: तीनों हम मानी अल्फ़ाज़ हैं, और तीनों का मक़सद एक ही है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(4034) इमाम साहब एक और उस्ताद की सनद से यहया बिन अबी कसीर की ऊपर दी गई सनद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بْنِ سُمَيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلاَ غَنَمٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ "

(4035) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने कुत्ता रखा, जो शिकार या बकरियों के लिये नहीं है, उसके अमल से हर दिन एक क़ीरात कम होगा।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ السَّائِبَ، بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ،

(4036) हज़रत सुफ़ियान बिन अबी ज़ुहैर (ﷺ) शनूआ क़बीला से रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबी हैं,बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हूए सुना, 'जिसने कुत्ता

- وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " . قَالَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ

रखा, जो उसे खेती या मवेशियों से किफ़ायत नहीं करता, उसके अमल से हर दिन एक क़ीरात कम होगा।' शागिर्द ने पूछा, क्या आपने बराहे रास्त ये रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है? उन्होंने कहा, हाँ, इस मस्जिद के रब की क़सम!

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2323, 3325, नसाई, 4296 में देखें।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ، خُصَيْفَةَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَئِيُّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ

(4037) हज़रत साइब बिन यज़ीद (रह.) बयान करते हैं कि उनके यहाँ सुफ़ियान बिन अबी ज़ुहैर शनई (ﷺ) आये, तो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ऊपर दी गई रिवायत बयान की।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान हो चुकी है।

(11) باب
حِلِّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ

बाब : 11
सैंगी लगाने की उजरत की हिल्लत व जवाज़

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ "

(4038) हुमैद (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से सैंगी लगाने वाले की कमाई के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सैंगी लगवाई, आपको अबू तैबा (ﷺ) ने सैंगी लगाई, तो आपने उसे दो स़ाअ ग़ल्ला देने का हुक्म दिया, और उसके मालिकों से गुफ़्तगू की, उन्होंने उससे महसूल लेने में कमी कर दी और आपने फ़रमाया: 'जिन चीज़ों से

إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ " .

तुम इलाज करते हो, उनमें से बेहतरीन चीज़ सैंगी लगवाना है या वह तुम्हारी बेहतरीन दवाओं में से है।'

तख़रीज : जामेअ तिर्मिज़ी: 1278.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) ख़राज: वह रक़म जो रोज़ाना मालिक ग़ुलाम से वसूल करता है, जिसको ख़रीबा भी कहते हैं। **(2)** अफ़ज़ल, अमस़ल और ख़ैर तीनों का मफ़हूम यकसाँ है।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي الْفَزَارِيَّ - عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَلاَ تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ " .

(4039) हुमैद (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अनस (ﷺ) से सैंगी लगाने वाले की कमाई के बारे में सवाल किया गया? तो उन्होंने ऊपर दिया गया वाक़िया सुनाया, और बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारी दवाओं में बेहतरीन दवा सैंगी लगवाना है, और ऊदे बहरी भी है और तुम गला दबा कर बच्चों को तकलीफ़ न दो।'

फ़वाइद : (1) क़ुस्त या कस्त की दो क़िस्में हैं, **(अ)** हिन्दी जो स्याह होती है, **(ब)** बहरी जो सफ़ेद होती है, और हिन्दी का मिज़ाज ज़्यादा गर्म है, और बहरी कम गर्म है, इसलिए ज़्यादा गर्म दवा मतलूब हो तो हिन्दी खिलाई जायेगी वरना बहरी, ये गर्म ख़ुश्क दवा है, इसलिए बहुत ज़्यादा सर्द बीमारियों में ज़्यादा मुफ़ीद है। **(2)** जब बच्चा का हलक दर्द करता है, जिसे उज़्रा (गले पड़ना) कहते हैं, औरतें आम तौर पर इस बीमारी में गला दबाती हैं, जिससे बच्चे को तकलीफ़ होती है, इसलिए आपने फ़रमाया, इस अमल की बजाये उसे ऊद खिलाओ।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غُلاَمًا لَنَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ عَنْ ضَرِيبَتِهِ .

(4040) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमारे एक सैंगी लगाने वाले ग़ुलाम को बुलवाया, और उसने आप (ﷺ) को सैंगी लगाई, तो आपने उसे एक स़ाअ या एक दो मुद (अनाज) देने का हुक्म दिया, और उसके बारे में (उसके मालिकों से) गुफ़्तगू की, तो उसके ख़राज में तख़फ़ीफ़ कर दी गई।

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 2281.

फ़ायदा : ग़ुलाम के मालिक रोज़ाना उससे दो स़ाअ वसूल करते थे, आप (ﷺ) ने उन्हें दो स़ाअ की बजाये एक स़ाअ लेने के लिये कहा, और उन्होंने आप (ﷺ) का एक स़ाअ, दो स़ाअ ही तसव्वुर किया, और आइन्दा एक स़ाअ ही उससे वसूल किया, इसलिए कुछ हदीसों में एक स़ाअ देने का तज़किरा है, और कुछ में दो का, और आप (ﷺ) के इस अमल ही से जुम्हूर फ़ुक़हा ने नापसन्दीदा होने के बावजूद, हजामत (सैंगी लगाना) की उजरत को जायज़ क़रार दिया है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، كِلاَهُمَا عَنْ وُهَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ.

(4041) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सैंगी लगवाई और सैंगी लगाने वाले को उसकी उजरत दी, और आपने नाक में दवाई डाली।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2278, 5691, सुनन इब्ने माजा: 2162.

फ़ायदा : इस्तअ़त का मानी है सऊ़त का तरीक़ा इस्तेमाल किया, यानी पुश्त (पीठ) पर लेट कर, सर नीचे करके नाक के ज़रिये दवाई इस्तेमाल की, ताकि वह दिमाग़ में पहुँचे और छींक आये, जिससे बीमारी निकल जाये।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ، الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجْرَهُ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .

(4042) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को बनू बयाज़ा के एक ग़ुलाम ने सैंगी लगाई, तो आपने उसे उसकी उजरत दी, और आपके आक़ा से गुफ़्तगू की, तो उसने उससे आमदनी लेने में तख़फ़ीफ़ कर दी, और अगर ये उजरत हराम होती, नबी अकरम(ﷺ) उसे न देते।

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ग़ुलाम के मालिक से, उसके ख़राज के बारे में गुफ़्तगू की, तो अगर सैंगी लगाने की उजरत हराम होती, तो आप उसे फ़रमाते इसको कोई काम सिखाओ और आपने

उसको ख़बीस क़रार देकर अपनी सवारी या गुलामी को खिलाने का हुक्म दिया, सवारी और गुलाम को हराम खिलाना तो जायज़ नहीं है, या ऐसे ही ख़बीस़ है, जैसा कि आपने लहसुन और प्याज़ के खाने को ख़बीस़ क़रार दिया है, मक़सद ये है सैंगी लगवाने वाले को तो उजरत देनी ही होगी, लेने वाले के लिये ये पसन्दीदा नहीं है।

बाब : 12
शराब की ख़रीद व फ़रोख़्त हराम है

(12) باب
تَحرِيمِ بَيعِ الخَمرِ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَىْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ " . قَالَ فَمَا لَبِثْنَا إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَىْءٌ فَلاَ يَشْرَبْ وَلاَ يَبِعْ " . قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا .

(4043) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मदीना मुनव्वरा में ख़ुत्बा देते हुए ये फ़रमान सुनाः 'ऐ लोगो! बिलाशुब्हा अल्लाह तआ़ला शराब की हुरमत का इशारा दे रहे हैं, और शायद अल्लाह तआ़ला जल्दी इसके बारे में कोई (क़तई) हुक्म नाज़िल फ़रमायेगा, तो जिसके पास कुछ शराब हो, वह उसे बेच कर उससे फ़ायदा उठा ले।' वह बयान करते हैं, थोड़ा ही वक़्त गुज़रा था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'अल्लाह तआ़ला ने शराब को हराम क़रार दे दिया है, तो अब इस आयत के नुज़ूल के बाद, जिसके पास कुछ शराब हो, तो वह न पीये और न फ़रोख़्त करे।' तो वह बयान करते हैं, तो जिन लोगों के पास कुछ शराब थी, वह उसे मदीना की गलियों या रास्तों में ले आये और उसे बहा दिया।

फ़ायदा : अ़रब शराब के बहुत रसिया थे, और इससे बहुत कम अफ़राद बचे हूए थे, इसलिए क़ुर्आन मजीद में उसे आहिस्ता आहिस्ता तद्रीजन हराम ठहराया गया है, सबसे पहले सूरह नहल की आयतः 67 उतरी 'कि खजूरों और अंगूरों के फलों से तुम नशावर चीज़ें बनाते हो और खाने की अच्छी चीज़ें

भी,' तो इस आयत में रिज़्क़ (ग़िज़ा) के साथ हसन पाकीज़ा और अच्छाई की क़ैद (सिफ़त) लाकर इस हक़ीक़त की तरफ़ इशारा कर दिया कि खजूर और अंगूर से नशावर चीज़ें तैयार करना, उनका सही इस्तेमाल नहीं है, उनका सही इस्तेमाल यही है कि उनसे ऐसी ग़िज़ा ही हासिल की जाये, जिससे जिस्म और अक़्ल को ताक़त व तवानाई हासिल हो, न कि वह ग़िज़ा जो जिस्म को सुस्त व काहिल और अक़्ल व बदन को माउफ़ कर दे, फिर हज़रत उमर (ﷺ) ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल, शराब माल को बर्बाद करती है और अक़्ल को नाकारा कर देती है, आप (ﷺ) अल्लाह तआला से दुआ फ़रमायें, वह उसके बारे में हुक्म नाज़िल फ़रमाये, इसलिए ये उसूल है कि जब तक किसी चीज़ के बारे में शरीयत का हुक्म नाज़िल न हो, उसका इस्तेमाल जायज़ है, क्योंकि इंसान पाबंद या मुकल्लफ़ शरीयत के नुज़ूल के बाद ठहरता है, और उस पर सवाब व एक़ाब या मुवाख़िज़ा शुरू होता है, इसके बाद सूरह बक़र: की आयत नम्बर 219 उतरी, 'वह आपसे शराब और जूए के बारे में सवाल करते हैं, आप फ़रमा दीजिए, इन दोनों के अंदर बड़ा गुनाह है, और लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन उनका गुनाह उनके फ़ायदे से बढ़कर है।' अरबों के यहाँ एक दस्तूर ये भी था, कि क़हत के ज़माने में मालदार लोग शराब पी कर जूवा खेलते और उसमें जो कुछ जीतते, वह ग़रीबों में बाँट देते, इस तरह इसमें एक अख़्लाक़ी और इंसानी ख़ूबी पैदा हो जाती थी, इसलिए यहाँ उसके तबई और माद्दी फ़वाइद की तरफ़ इशारा मक़सूद नहीं है, इसलिए यहाँ नफ़ा का मद्दे मुक़ाबिल, इस्म लाया गया है, जो अख़्लाक़ी मफ़ासिद और गुनाहों के लिये इस्तेमाल होता है ज़रर का लफ़्ज़ नहीं लाया गया जो माद्दी मफ़ासिद के लिये आता है, गोया इस तरफ़ इशारा मक़सूद है, कि जो चीज़ अख़्लाक़ी तौर पर मुज़िर है, अगर उससे कोई माद्दी फ़ायदा भी पहुँचता हो या पहुँचाया जा सकता हो, तब भी उसके अख़्लाक़ी नुक़सान के ग़ल्बा की बिना पर, उससे रोका जायेगा, कोई सूद लेकर इससे मस्जिद तामीर कर दे, या लॉटरी की स्कीमों में हिस्सा लेकर, उसकी रक़म से दीनी मदरसा तामीर कर दे, फ़िल्म स्टार इम्दादी शो मुन्अक़िद करके मस्जिद फ़ण्ड में डाल दें, तो क्या उनको जायज़ क़रार दिया जा सकेगा, इस आयत के नुज़ूल के बाद कुछ लोग शराब और जूए से बाज़ आ गये, लेकिन कुल्ली तौर पर ये सिलसिला रूका नहीं, इसलिए हज़रत उमर (ﷺ) ने फिर दुआ की, तो सूरह निसा की आयत नम्बर 43 उतरी कि 'ऐ ईमान वालो! नशा की हालत में नमाज़ के क़रीब न जाया करो, यहाँ तक कि जो कुछ तुम ज़बान से कहते हो उसको समझने लगो, और जनाबत की हालत में भी,' यहाँ नशा को जनाबत के साथ लाकर इशारा कर दिया कि नशा भी एक क़िस्म की नजासत है, नशा अक़्ल की नजासत है और जनाबत जिस्म की, इस तरह शराब की हुरमत का इशारा कर दिया, इसलिए आयत के नुज़ूल के बाद आपने फ़रमाया: (या अय्यूहन नास! इन्नल्लाह यअ्रिज़ु बिलख़मर) ऐ लोगो! अल्लाह शराब की हुरमत की तरफ़ इशारा फ़रमा रहा है। (जामेअ अलउसूल लि इब्ने असीर: जिल्द, 5 सफ़ा: 113) इसके थोड़ा अर्सा बाद

सूरह मायदा की क़तई हुरमत की आयत नम्बर 90–91 नाज़िल हुई, और सहाबा किराम ने तामीले हुक्म करते हुए शराब को बहा दिया, और इस हदीस से ये भी मालूम हुआ, जिस चीज़ का इस्तेमाल जायज़ नहीं है, उसकी ख़रीद व फ़रोख़्त भी हराम है, और शराबे ख़मर किसे कहते हैं, इसकी तफ़सीलात मशरूबात के बाब में आयेगी, जिसको ख़मर कहा जाता है, इसके पीने और ख़रीद व फ़रोख़्त के हराम होने में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है।

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ وَعْلَةَ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ح . وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ، - مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَجُلاً أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا قَالَ لاَ فَسَارَّ إِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ سَارَرْتَهُ فَقَالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا

(4044) इमाम साहब अपने दो उस्तादों की सनदों से बयान करते हैं कि एक मिस्री शख़्स अ़ब्दुर्रहमान बिन वअ़ला सबाई ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) से पूछा, कि अंगूर के शीरा (जूस) का क्या हुक्म है? तो हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने जवाब दिया कि एक आदमी ने शराब का मशकीज़ा रसूलुल्लाह(ﷺ) को हदिया किया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे पूछा, 'क्या तुम जानते हो, कि अल्लाह तआ़ला ने उसे हराम क़रार दे दिया है?' उसने कहा, नहीं, तो उसने एक इंसान से सरगोशी की, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे पूछा, 'तूने उससे क्या सरगोशी की है?' उसने जवाब दिया, मैंने उसे उसको फ़रोख़्त करने के लिये कहा है, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने उसे पीना हराम ठहराया है, उसने उसे फ़रोख़्त करना भी हराम क़रार दिया है।' हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं, इस पर उसने मशकीज़े का मुँह खोल दिया और उसमें जो कुछ था, वह बह गया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 7/308.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) को तोहफ़ा देने वाला आदमी अबू आमिर सक़फ़ी था, वह फ़तहे मक्का के साल, आप (ﷺ) को मिला और आपको शराब का मशकीज़ा हदिया के तौर पर पेश किया, उसको शराब की हुरमत का पता न था, और आपसे सवाल ये मालूम करने के लिये किया, ताकि पता चल जाये, वह इस हुक्म से आगाह है या नहीं, क्योंकि अगर इल्म के बाद उसने ये काम किया तो उसको सरजनिश व तौबीख़ हो सकती है, अगर नावाक़िफ़ हो तो फिर उसे माज़ूर समझा जा सकता है, और इससे भी मालूम होता है कि शराब की हुरमत फ़तहे मक्का से थोड़ा अर्सा पहले हुई थी और अभी इसकी हुरमत मशहूर नहीं हुई थी, और उसके सरगोशी करने पर आपने महसूस फ़रमाया, उसने, उस शराब के बारे में, सरगोशी की है, इसलिए आपने उससे सवाल किया, ताकि अगर सरगोशी ग़लत मक़सद के लिये हो तो उसको सही बात बताई जा सके। इसलिए ये तजस्सुस या कसरते सवाल के फ़ेहरिस्त में नहीं आता, और आप (ﷺ) का ये फ़रमाना, 'कि जिसने उसका पीना हराम ठहराया है, उसको बेचना भी हराम ठहराया है।' इसे मालूम होता है, कुछ दफ़ा हराम और नजिस को बेचना जायज़ हो सकता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल किसी तौर पर मुमकिन होता है।'

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ، سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ

(4045) इमाम साहब ने अपने उस्ताद अबू ताहिर की एक और सनद से अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) की ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ، إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ.

(4046) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान फ़रमाती हैं कि जब सूरत बक़रः के आख़री हिस्सा की आयत उतरीं तो रसूलुल्लाह (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाये और उन्हें लोगों को सुनाया, फिर आपने शराब की तिजारत से मना फ़रमाया।

तख़रीज: सहीह बुख़ारी: 459, 2084, 2226, 4540, 4541, 4542, 4543, सुनन अबू दाऊद: 3490, 3491, नसाई: 7/308, सुनन इब्ने माजा: 3382.

फ़ायदा : शराब पीने और उसके बेचने की हुरमत फ़तहे मक्का से पहले नाज़िल हो चुकी थी, और आपने उसकी बैअ की हुरमत का ऐलान फ़तहे मक्का के मौक़े पर मक्का में कर दिया था, जैसा कि आगे

हज़रत जाबिर (ﷺ) की रिवायत आ रही है, और हज़रत आयशा (ﷺ) ने जिन आयात की तरफ़ इशारा फ़रमाया है, उससे मुराद सूद के बारे में उतरने वाली आयात हैं, जैसा कि अगली रिवायत में तसरीह मौजूद है, और ये आयात अहकाम के बारे में उतरने वाली आयात में से सबसे आख़री हैं, जो हज्जतुल विदा के क़रीब उतरी हैं, इसलिए आपने रिबा की हुरमत का ऐलान हज्जतुल विदा में फ़रमाया था। इससे मालूम होता है, आयाते रिबा के नुज़ूल के बाद आप (ﷺ) ने हुरमते शराब का ऐलान दोबारा फ़रमाया, जिससे मालूम होता है, इन दोनों का आपस में ख़ुसूसी ताल्लुक़ है, और एक दूसरे का पेश ख़ैमा बनते हैं।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا - قَالَتْ - خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ .

(4047) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान फ़रमाती हैं, जब सूद के बारे में आयात सूरह बक़रा के आख़िर में नाज़िल हुईं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ लाये, और शराब की तिजारत की हुरमत को भी बयान फ़रमाया।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है।

(13) باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ

बाब : 13 शराब, मुरदार, ख़िन्ज़ीर और बुतों की ख़रीद व फ़रोख़्त (बैअ) हराम है

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي، رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ " . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ

(4048) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से फ़तहे मक्का के साल मक्का में सुना, आप फ़रमा रहे थे, 'अल्लाह और उसके रसूल ने, शराब, मुरदार, ख़िन्ज़ीर और बुतों की बैअ को हराम क़रार दिया है', पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल! मुरदार की चर्बी के बारे में फ़रमायें, इसका क्या हुक्म है, क्योंकि इससे कश्तियों को रोग़न किया जाता है, और इससे

فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ " لاَ هُوَ حَرَامٌ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ " .

चमड़ों को चिकना किया जाता है, और लोग इससे चराग़ रोशन करते हैं? आपने फ़रमाया: 'नहीं, वह हराम है,' फिर उस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला यहूदीयों को ग़ारत करे, जब अल्लाह तआला ने उन पर मुरदार की चर्बी को हराम कर दिया, तो उन्होंने उसे पिघला कर बेचना शुरू कर दिया, और उसकी क़ीमत इस्तेमाल करने लगे।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2236, 4633, 4296, सुनन अबू दाऊद: 3486, 3487, जामेअ तिर्मिज़ी: 1297, नसाई: 4267, सुनन इब्ने माजा: 2167.

फ़वाइद : (1) मुरदार से मुराद वह जानवर हैं, जो अपनी मौत आप मर जाये, या शरई तरीक़ा के मुताबिक़ उसको ज़बह न किया जाये, मुरदार का गोश्त बिल इत्तेफ़ाक़ हराम है, और मछली और टिड्डी हदीस की रोशनी में इससे मुस्तसना (अलग) हैं। बाक़ी अज्ज़ा (अंगों) के बारे में इख़्तिलाफ़ है, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक जिन अज्ज़ा (अंगों) में ज़िन्दगी नहीं होती, जैसे बाल, नाख़ून, ख़ुर और सींग वग़ैरह, इनसे फ़ायदा उठाना और बेचना जायज़ है, लेकिन इमाम शाफ़ेई और अहमद (रह.) ने लिखा है, लेकिन हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) के बक़ौल, जिन अज्ज़ा में ज़िन्दगी नहीं है, वह मुरदार नहीं हैं, इसलिए जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक ताहिर हैवान के ये अज्ज़ा मुरदार होने की सूरत में ताहिर होंगे। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम लैस, इमाम दाऊद वग़ैरहुम (रह.) का यही मौक़िफ़ है, सिर्फ़ इमाम शाफ़ेई, इनको नजिस क़रार देते हैं। (ज़ादुल मआद, जिल्द: 5, सफ़ा: 668)

हड्डियों के बारे में इख़्तिलाफ़ है, जिन हज़रात के नज़दीक वह नजिस नहीं हैं, जैसे इमाम अबू हनीफ़ा, कुछ हनाबिला और इब्ने वहब मालिकी, इनके नज़दीक इनकी तिजारत (बैअ) जायज़ है, हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) ने इसको तर्जीह दी है। (जिल्द: 5, सफ़ा: 674) इमाम मालिक हड्डियों को नजिस समझते हैं, इसलिए उनके नज़दीक मुरदार की हड्डियों की ख़रीद व फ़रोख़्त जायज़ नहीं है, इसलिए वह हाथी दाँत (आज व अनयाब) की ख़रीद व फ़रोख़्त और उनके इस्तेमाल को जायज़ नहीं समझते।

इस हदीस की रू से मय्यत इंसान की ख़रीद व फ़रोख़्त भी जायज़ नहीं है, वह मुसलमान हो या काफ़िर, इसलिए जब नोफ़िल बिन अब्दुल्लाह बिन मुग़ीरा, ख़न्दक़ में गिरा और मुसलमानों ने उसको

क़त्ल कर के, उस पर क़ब्ज़ा कर लिया, और काफ़िरों ने उसकी लाश के ऐवज़ दस हज़ार दिरहम की पेशकश की, तो आप (ﷺ) ने उसे क़बूल नहीं फ़रमाया, और उसकी लाश उनके हवाले कर दी। (उम्दतुल क़ारी: जिल्द: 12, सफ़ा: 56, मतबूआ मुनीरिया,शरह मुस्लिम, जिल्द: 2, नववी, सफ़ा: 23) **(2)** ख़िन्ज़ीर की बैअ की हुरमत पर इत्तेफ़ाक़ है, इसके किसी जुज़ को भी नहीं बेचा जा सकता, मुरदार, शराब और ख़िन्ज़ीर की हुरमत की इल्लत बक़ौल इब्ने हजर (रह.) जुम्हूर उलमा के नज़दीक नजासत है, इसलिए हर नजिस चीज़ की बैअ हराम है, फ़तहुल बारी, जिल्द: 4, सफ़ा: 537 मक्तबा दारूस्सलाम, लेकिन इमाम नववी (रह.) ने इस क़ौल को शवाफ़ेअ की तरफ़ मन्सूब किया है, मुस्लिम: जिल्द: 2, सफ़ा: 23, इसलिए अइम्म–ए–सलासा के नज़दीक, अरड़ी और अज़रा गन्दगी का बेचना जायज़ नहीं है, लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक इल्लत, मुरदार, ख़िन्ज़ीर और शराब से फ़ायदा उठाने की मुमानिअत है, इसलिए जिन चीज़ों से फ़ायदा उठाना जायज़ है, उनकी बैअ भी जायज़ है। **(3)** सनम, बुत की बैअ की हुरमत की इल्लत, इससे जायज़ नफ़ा का न होना है, इस ऐतबार से अगर उसे तोड़ फोड़ कर नफ़ा उठाना मुमकिन हो, तो फिर उसके अज्ज़ा (अंगों) का बेचना, कुछ अहनाफ़ और कुछ शराफ़ेअ के नज़दीक जायज़ है, और सनम की बैअ की हुरमत से मालूम होता है, वह तमाम आलात और चीज़ें जिनकी परस्तिश होती है, उनकी बैअ नाजायज़ है, बल्कि बक़ौल हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) शिर्क की प्रचार करने वाली किताबों की बैअ भी जायज़ नहीं है। (ज़ादूल मआद, जिल्द: 5, सफ़ा: 675)**(4)** ला, हुवा, हराम, हुवा का मरजअ शवाफ़ेअ के नज़दीक और हाफ़िज़ इब्ने तैमिया और हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) के नज़दीक बैअ है, कि चर्बी से इन फ़वाइद और मुनाफ़ा के हुसूल के बावजूद इसकी बैअ हराम है, इसलिए इससे ये मुनाफ़ा हासिल करना जायज़ है, लेकिन ख़रीद व फ़रोख़्त जायज़ नहीं है, ख़ुलास–ए–कलाम के तौर पर हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम लिखते हैं: लैसा कुल्लु मा हर्रम बैअहू हर्रम अलइन्तेफ़ाअ, बल ला तलाज़ुमा बैनहुमा, फ़ला यू ख़ज़ तहरीम अलइन्तेफ़ाअ मिन तहरीमिल बैइ' (ज़ादूल मआद, जिल्द: 5, सफ़ा: 668)

हर चीज़ जिसका बेचना हराम है, उससे फ़ायदा उठाना हराम नहीं है, बैअ की हुरमत और इन्तेफ़ाअ की हुरमत आपस में लाज़िम व मल्ज़ूम नहीं हैं, इसलिए बैअ की हुरमत से इन्तेफ़ाअ (फ़ायदा उठाना की हुरमत साबित नहीं होती, लेकिन जुम्हूर उलमा जिनमें अहनाफ़ भी दाख़िल हैं, इनके नज़दीक मुरदार की चर्बी से फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है, गोया ज़मीर का मरज़अ बैअ नहीं बल्कि नफ़ा उठाना है, और कुछ अहादीस में ज़मीर हिया या हुन्ना है, इससे जुम्हूर की ताईद होती है, और शवाफ़ेअ की दलील ये है कि आपने फ़रमाया: 'उन्होंने चर्बी को बेचा और उसकी क़ीमत को इस्तेमाल किया तो हुरमत उसकी बैअ है, क्योंकि जिस चीज़ का खाना हराम है, उसका बेचना भी हराम है।

(4049) इमाम साहब अपने मुख़्तलिफ़ उस्तादों की सनद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, लेकिन इमाम साहब के उस्ताद मुहम्मद बिन मुसन्ना की सनद से मालूम होता है कि ये रिवायत यज़ीद बिन अबी हबीब ने बराहे रास्त, इमाम अता से सुनी नहीं है, बल्कि अता ने उसे लिख कर भेजी है।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ - عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ .

(4050) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने बताया, हज़रत उमर (ﷺ) को ख़बर मिली कि हज़रत समुरा (ﷺ) ने शराब फ़रोख़्त की है, तो उन्होंने कहा, अल्लाह तआला समुरा (ﷺ) को समझ दे, क्या उसे मालूम नहीं है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया है: 'अल्लाह तआला यहूद पर लानत भेजे, उन पर चर्बियाँ हराम क़रार दी गईं, तो उन्होंने उसे पिघला कर बेचना शुरू कर दिया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2223, 3460, सुनन इब्ने माजा: 3383.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ، بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا "

फ़ायदा : हज़रत उमर (ﷺ) ने हज़रत समुरा (ﷺ) के बारे में (क़ातलल्लाह) का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है, तो ये महज़ कलाम में ज़ोर और ताकीद पैदा करने के लिये, उसका असली मानी या बद दुआ मक़सूद नहीं, जैसा कि अरब कहते हैं, तरिबत यदाका, राग़म अन्फुक, वैहक, वैलक, अक़री हलक़ी, ज़ाहिर है, इनका मानी या बद दुआ मक़सूद नहीं होती, और हज़रत समुरा के शराब फ़रोख़्त करने की अता ने चार वजह बयान की हैं। (1) उन्होंने ये शराब अहले किताब से जिज़्या में ली थी और उन्हें ही बेची थी, क्योंकि वह समझते हैं, ये आपस में इसकी बैअ करते हैं, इसलिए उनसे लेकर उनको बेचना

जायज़ है, (2) उन्होंने अंगूरों का शीरा, शराब बनाने वालों को बेचा था, और शीरा बेचना जायज़ है, (उन्हें ये मालूम न होगा कि ये शराब बनायेंगे) (3) उन्होंने शराब सिरका बनाकर बेचा था, वह सिरका बनाकर बेचना जायज़ समझते थे, जबकि हज़रत उमर (ﷺ) जायज़ नहीं समझते थे, और अहनाफ़ के नज़दीक भी सिरका बनाकर बेचना जायज़ है, जो एक नाजायज़ हीला है, शराब ख़ुद ब ख़ुद सिरका बन जाये तो जायज़ है, लेकिन सिरका बनाना दुरूस्त नहीं है। (4) उन्हें शराब की फ़रोख़्त की हुरमत का इल्म नहीं था।

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ .

(4051) इमाम साहब एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا" .

(4052) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला, यहूद को ग़ारत करे, अल्लाह तआला ने उन पर चर्बी को हराम क़रार दिया, तो उन्होंने उन चर्बियों को बेचा और उनकी क़ीमतें खाईं।'

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है।

फ़ायदा : यहूद ने चर्बी को इस्तेमाल करने के लिये ये हीला निकाला कि उसको पिघलाया ताकि वह शहम की बजाये वदक (चिकनाई) बन जाये, क्योंकि अरबों के यहाँ, पिघलाने से पहले उसको शहम कहते हैं, और पिघलाने के बाद वदक कहते हैं, इस तरह इस हीला के ज़रिये, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कि बेच कर उसकी रक़म खा लेते, या इस्तेमाल में ले आते, जिससे मालूम होता है कि शरई हुक्म से बचने के लिये हीला निकालना जायज़ नहीं है, हाँ शरई हुक्म के निफ़ाज़ के लिये या उसकी मुख़ालिफ़त से बचने के लिये हीला यानी तदबीर करना जायज़ है, फ़रेबकारी और धोखाधड़ी जायज़ नहीं है। इसलिए धोखधड़ी के लिए, कुर्आन की आयत, कि ख़ुज बियदिक ज़िग़्सा, तिन्कों का गड्डा लेकर मारिये या जअलस्सिकायता फ़ी रह्ले अख़ीहि, अपने भाई के बोरे में प्याला डाल दिया, से इस्तेदलाल दुरूस्त नहीं है, क्योंकि ये काम अल्लाह तआला के फ़रमान और नस़ से हुए हैं, हज़रत अय्यूब या हज़रत यूसुफ़ अलैहि. ने अपने तौर पर नहीं अपनाये, इस तरह आपने रद्दी खजूरें बेच कर क़ीमतन अच्छी खजूरें ख़रीदने का हुक्म दिया, तो इसमें कोई धोखा वाली बात नहीं है, बल्कि शारेअ

(क़ानून साज़) का हुक्म है, यहूद की तरह अपनी तरफ़ से ये काम नहीं किया, शराब को सिरका बनाना अपना अमल है जबकि शारेअ ने शराब को बेचने से मना फ़रमाया है, तो इंसान ने उस हुक्म से बचने के लिये उसमें तब्दीली कर ली, जैसा कि यहूद ने शहम को वदक बना कर बेचना शुरू कर दिया, इस तरह यहूद भी हफ़्ता के दिन मछलियाँ नहीं पकड़ते थे, हफ़्ता का दिन गुज़रने के बाद ही पकड़ते थे, हफ़्ता के दिन तो सिर्फ़ जाल ही लगाते थे, या गड्ढ़ों में धकेल देते थे, (सूराख़ों के ज़रिये) और ये चीज़ उनके लिये अज़ाब का बाइस बनी।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحْمُ فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ " .

(4053) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला यहूद को तबाह व बर्बाद करे, उन पर चर्बी हराम की गई, तो उन्होंने उसे बेच कर उसकी क़ीमत खानी शुरू कर दी।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2224.

फ़ायदा : शरई तौर पर कुछ चीज़ों का खाना हराम है,इसलिए खाने के लिए उनकी ख़रीद व फ़रोख़्त भी हराम है, लेकिन उसके दूसरे इस्तेमाल जायज़ हैं, इसलिए दूसरे मुनाफ़े की ख़ातिर उनकी बैअ (फ़रोख़्त) भी जायज़ है जैसे गधा, ख़च्चर और शिकारी परिन्दे, उनकी ख़रीद व फ़रोख़्त जायज़ है, इस तरह मुरदार के चमड़े को रंग कर बेचना जायज़ है।

باب (14)
الرِّبَا

बाब : 14
रिबा सूद (सूद के मसाइल)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ " .

(4054) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सोना सोने के ऐवज़ फ़रोख़्त न करो, मगर बराबर, बराबर और एक दूसरे से ज़्यादा न करो, और मौजूद को ग़ैर मौजूद के ऐवज़ फ़रोख़्त न करो।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2177, जामेअ तिर्मिज़ी: 2141, नसाई: 7/278, 7/279.

मुफ़रदातुल हदीस़ : रिबा: का मानी इज़ाफ़ा व ज़्यादती या बढ़ोतरी है, और अ़ल्लामा अबू बक्र जस्सास़ ने इसकी तारीफ़ यूँ की है, (अलक़र्ज़ अलमशरूत फीहि अलअजल वज़्यादतु माल अ़ला अलमुस्तक़रज़) यानी उधार की मीआ़द पर मक़रूज़ से इज़ाफ़ा वसूल करना, और एक मरफ़ूअ़ और मौक़ूफ़ हदीस़ है, (कुल्लु क़र्ज़िन जर्रा मन्फ़अतन फ़हुवा रिबन) क़र्ज़ पर नफ़ा वसूल करना सूद है। ला तुशिफ़्फ़ू: ये शफ़ से माख़ूज़ है, जिसका मानी, ज़्यादती और कमी दोनों आते हैं, तो मानी हुआ, एक दूसरे से कम या ज़्यादा न करो बराबर, बराबर हों।

फ़ायदा : रिबा की दो क़िस्में हैं: **(1)** रिबा अन्नसीआ: जिसकी हुरमत क़ुर्आन मजीद में बयान की गई है, इसलिए इसको रिबा अलक़ुर्आन भी कहते हैं, जिसमें उधार, रक़म देकर, उस पर नफ़ा या इज़ाफ़ा वसूल किया जाता है। **(2)** रिबा अलफ़ज़ल: जिसकी हुरमत अहादीस़ में बयान की गई है, इसलिए इसे रिबा अलहदीस़ भी कहते हैं, जिसमें एक जिन्स का बाहमी तबादला कमी व बेशी के साथ किया जाता है, जैसे एक तरफ़ चार किलो गेहूँ है और दूसरी तरफ़ 6 किलो गेहूँ है, या एक तरफ़ दो तौला सोना है और दूसरी तरफ़ तीन तौला या ढाई तौला सोना है तो ये जायज़ नहीं है और एक मुल्क की करेन्सी का हुक्म भी सोना, चाँदी वाला है, तबादला में कमी व बेशी जायज़ नहीं है, इस तरह तबादला का हाथो हाथ बनक़द होना ज़रूरी है, मौजूद का ग़ायब (ग़ैर मौजूद) से तबादला जायज़ नहीं है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَافِعٌ مَعَهُ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ قَالَ نَافِعٌ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْثِيُّ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4055) इमाम स़ाहब अपने दो उस्तादों से रिवायत करते हैं कि बनू लैस़ के एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) को बताया कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये हदीस़ बयान करते हैं, क़ुतैबा की रिवायत में है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) और नाफ़े (रह.) उसके साथ गये, और इब्ने रूम्ह की रिवायत है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह लैस़ी के साथ गये, और मैं भी उनके साथ था, यहाँ तक कि वह (इब्ने उमर) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) के यहाँ तशरीफ़ ले गये, और उनसे कहा, इस आदमी ने मुझे बताया है कि आप रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने चाँदी को चाँदी के ऐवज़, बराबर,

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ فَقَالَ أَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ وَسَمِعَتْ أُذُنَاىَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ " .

बराबर के सिवा, बेचने से मना फ़रमाया है और सोने की सोने के ऐवज़ बैअ से भी बराबर, बराबर सूरत के सिवा मना फ़रमाया है, तो हज़रत अबू सईद ने अपनी दो ऊंगलियों से, अपनी दोनों आँखों और दोनों कानों की तरफ़ इशारा करके कहा, मेरी दोनों आँखों ने देखा और मेरे दोनों कानों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना: 'सोना, सोने के ऐवज़ फ़रोख़्त न करो, और चाँदी, चाँदी के ऐवज़ मत बेचो, मगर बराबर, बराबर, और कुछ को कुछ पर ज़्यादा करके फ़रोख़्त न करो, और इसमें से जो ग़ायब हो तो उसको मौजूद के ऐवज़ फ़रोख़्त न करो, मगर हाथो हाथ फ़रोख़्त करो।'

तख़रीज:ये हदीस बयान हो चुकी है। हदीस:4030 में देखें

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ، أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، . بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(4056) इमाम साहब अपने दो उस्ताद की सनदों से, नाफ़ेअ की सनद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है। हदीस: 4030 में देखें।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنْ

(4057) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ " .

फ़रमाया: 'सोना, सोने के ऐवज़ और चाँदी, चाँदी के ऐवज़ फ़रोख़्त न करो, मगर दोनों का वज़न और नाप बराबर हो।'

फ़ायदा : सवाअन बिसवाइन, मिस्लन बिमिसलिन ये वज़नन बिवज़निन की ताकीद और मुबालग़ा के लिये हैं, और सोना और चाँदी में तफ़ाज़ुल कमी व बेशी की इल्लत या सबब उनका मौज़ूं और हम जिन्स होना है, ये इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद, इस्हाक़ बिन राहवे वग़ैरहुम का क़ौल है, और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक, उनका क़ीमत और हम जिन्स होना है, इमाम अहमद का एक क़ौल यही है, और इमाम मालिक का नज़रिया भी यही है, और सही नज़रिया यही है, इसलिए एक मुल्क की करेन्सी का तबादला, हाथों हाथ और बराबर, बराबर होगा, और अगर दूसरे मुल्क की करेन्सी तबादला हो, तो फिर जिन्स के बदलने की बिना पर कमी व बेशी जायज़ होगी लेकिन तबादला नक़द ब नक़द होगा।

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ، وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ، أَبِي عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ " .

(4058) हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक दीनार को दो दीनार के ऐवज़ न बेचो और न ही एक दिरहम को दो दिरहम के ऐवज़ फ़रोख़्त करो।'

फ़ायदा : आज कल बैनल अक़वामी तौर पर, काग़ज़ी करेन्सी को दीनार व दिरहम की तरह नक़दी ख़याल किया जाता है, इनसे दीनार व दिरहम की तरह हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है। इसलिए उनका हुक्म भी दीनार और दिरहम वाला होगा, और दीनार और दिरहम की तरह उनसे भी ज़कात वसूल की जायेगी, अगर किसी के पास साढ़े बावन तौला चाँदी की क़ीमत के बक़द्र करेन्सी होगी, तो साल गुज़रने पर उस पर ढाई फ़ीसद ज़कात अदा करना होगी।

باب (15)
الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا

बाब : 15
नक़दी का तबादला और सोने को चाँदी के ऐवज, नक़द (हाथो हाथ) फ़रोख़्त करना

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَلاَّ وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ" .

(4059) हज़रत मालिक बिन औस बिन हदसान(ﷺ) से रिवायत है कि मैं ये कहता हुआ आगे बढ़ा, कौन दिरहम फ़रोख़्त करना चाहता है, तो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह (ﷺ) जो हज़रत उमर बिन खत्ताब (ﷺ) के पास थे, कहने लगे, हमें अपना सोना दिखाओ, तो फिर हमारे पास उस वक़्त आना, जब हमारा ख़ादिम आ जाये, तो हम तुम्हें चाँदी दे देंगे, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने कहा, अल्लाह की क़सम! ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, अभी इसको चाँदी दो या उसका सोना, उसे लौटा दो, क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया है, 'चाँदी का सोने से तबादला सूद है, मगर ये कि हाथो हाथ हो (लो, दो) और गेहूँ का गेहूँ से तबादला सूद है, मगर ये कि नक़द ब नक़द हो और जौ का जौ से तबादला सूद है, मगर हाथो हाथ हो, और तमर का तमर से तबादला सूद है, अगर नक़द ब नक़द न हो।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2134, 2170, 2174, सुनन अबू दाऊद: 3348, जामेअ तिर्मिज़ी: 1243, नसाई: 7/272, सुनन इब्ने माजा: 2253, 2260.

(4060) इमाम साहब ऊपर दी गई रिवायत अपने तीन और उस्तादों से ज़ोहरी ही की सनद से बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(4061) अबू क़िलाबा बयान करते हैं कि मैं शाम में एक मज्लिस में था, जिसमें मुस्लिम बिन यसार भी मौजूद थे, तो अबू अशअस भी आ गये, लोगों ने कहा, अबू अशअस आ गये, अबू अशअस आ गये, वह बैठ गये तो मैंने उनसे कहा, हमारे भाई (मुस्लिम बिन यसार) को हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) की हदीस सुनायें, तो उन्होंने कहा, हाँ हम एक जंग में शरीक हुए, जिसमें हज़रत मुआविया (ﷺ) सिपहसालार थे, तो हमें बहुत सी ग़नीमतें हासिल हुई, इसमें एक चाँदी का बर्तन था, तो हज़रत मुआविया(ﷺ) ने एक आदमी को कहा, इसे लोगों को अतियात के हासिल होने के वक़्त की मुद्दत के उधार पर फ़रोख़्त कर दो, लोगों ने इसके लिए जल्दी की, हज़रत उबादा (ﷺ) को इसका पता चला, तो वह खड़े होकर कहने लगे, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप सोने की सोने से और चाँदी की चाँदी से और गेहूँ की गेहूँ से और जौ की जौ से, खजूर की खजूर से और नमक की नमक से बैअ से मना फ़रमा रहे थे, मगर ये कि बराबर, बराबर और नक़द ब नक़द हो, तो जिसने ज़्यादा दिया या ज़्यादा लिया तो उसने सूदी लेन-देन किया, तो लोगों ने जो कुछ लिया था, उसको वापस कर दिया, इसका

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الأَشْعَثِ قَالَ قَالُوا أَبُو الأَشْعَثِ أَبُو الأَشْعَثِ . فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ . قَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا

بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى . فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلاَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ . فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ - أَوْ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ - مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ . قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ .

पता हज़रत मुआविया (ﷺ) को चला, तो वह ख़िताब के लिये खड़े हो गये और कहा, लोगों को क्या हो गया है, रसूलुल्लाह (ﷺ) से अहादीस़ बयान करते हैं, हम भी आपकी मज्लिस में हाज़िर होते थे, और आपके साथ रहते थे, तो हमने तो वह अहादीस़ आपसे नहीं सुनीं, तो हज़रत उबादा(ﷺ) खड़े हो गये और वाक़िया दोहराया, और कहा, हम वह बातें बयान करेंगे, जो हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी हैं, ख़्वाह मुआविया को नापसन्द हो, या ये कहा, इन रग़म, ख़्वाह उनकी नाक ख़ालूद हो, या मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, कि मैं उनके साथ, उनके लश्कर में एक स्याह रात भी न रहूं, हम्माद कहते हैं, यही कहा, या इसका हम मानी।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3349, 3350, जामेअ तिर्मिज़ी: 1240.

फ़वाइद : (1) हज़रत मालिक बिन औस और हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) की हदीस़ से ये बात वाज़ेह होती है कि नक़दी (करेन्सी) के बाहमी तबादला में, अगर जिन्स एक हो तो मसावात और हाथो हाथ होना ज़रूरी है, एक तरफ़ नक़द हो और दूसरी तरफ़ नसीया हो यानी ताख़ीर हो तो ये तबादला जायज़ नहीं है। **(2)** हज़रत उबादा (ﷺ) के वाक़िया से ये बात भी साबित होती है, अगर सोने या चाँदी का बाहमी तबादला करना हो तो उसमें सोना, चाँदी करेन्सी दीनार व दिरहम की सूरत में हो या डली की सूरत में या ज़ैवरात व बर्तन की सूरत में, हर हालत में, उनका बराबर, बराबर और नक़द ब नक़द होना ज़रूरी है, लेकिन मुआविया (ﷺ) का नज़रिया ये था कि जब वह मुसव्वग़ है यानी ज़ैवरात या बर्तन वग़ैरह की सूरत में है, तो फिर उसके ऐवज़ ज़्यादा सोना या ज़्यादा चाँदी लेना जायज़ है, क्योंकि अब ये सोना या चाँदी नहीं है, क़ाबिले फ़रोख़्त सामान है, जिसमें उधार और कमी व बेशी दोनों जायज़ है, हज़रत अबू अद्दरदा (ﷺ) ने भी हज़रत मुआविया (ﷺ) के इस नज़रिया पर ऐतराज़ किया था, लेकिन हज़रत मुआविया (ﷺ) ने उनकी बात तस्लीम नहीं की थी, फिर हज़रत अबू दरदा ने, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को इसकी इत्तिला दी, तो हज़रत उमर (ﷺ) ने हज़रत मुआविया (ﷺ) को इससे रोक दिया,

जिससे मालूम होता है, ये हज़रात इस हदीस़ को आम मानी में लेते थे, और वह सोने, चाँदी की हर सूरत में तबादला में मसावात व बराबरी और नक़द ब नक़द ज़रूरी ख़्याल करते थे, और जुम्हूर अइम्मा का यही मौक़िफ़ है। (3) इब्ने असाकिर की रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत उबादा ने ये रिवायत नबी अकरम (ﷺ) से माहे रमज़ान 10 हिजरी में सुनी थी, और इसलिए ये भी साबित होता है, कि एक सहाबी जो रसूलुल्लाह (ﷺ) का हम नशीन और रफ़ीक़ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसने आप (ﷺ) से हर हदीस़ सुनी हो, जैसा कि हज़रत मुआविया(رضي الله عنه) ने ये हदीस़ नहीं सुनी थी, इसलिए हज़रत उबादा (رضي الله عنه) ने उनकी इस दलील को रद्द कर दिया कि मैं आपकी मज्लिस में हाज़िर होता था, और आपकी अहादीस़ सुनता था, लेकिन मैंने नहीं सुनी है, तुम क्यूँ बयान करते हो। (4) अतियातुन्नास से मुराद, लोगों को बैतुलमाल से मिलने वाले वज़ाइफ़ हैं, इस तरह गोया, लोगों ने चाँदी या सोने के बर्तन, उधार ख़रीदे या बेचे थे, कि जब हमें वज़ाइफ़ मिल जायेंगे, तो हम उनकी क़ीमत अदा कर देंगे, तो हज़रत उबादा (رضي الله عنه) ने इससे मना किया, क्योंकि तबादला में नक़द ब नक़द होना ज़रूरी है, सोने, चाँदी का बर्तन, सोने चाँदी के हुक्म में है, इसलिए अगर उसे ख़रीदा जायेगा, तो दोनों का वज़न बराबर होना चाहिए और नक़द ब नक़द हो, जबकि बर्तन ख़ालिस़ सोने या ख़ालिस़ चाँदी का हो। (5) ज़हब व फ़िज़्ज़ा (सोना, चाँदी) में सूद की इल्लत व सबब अइम्म–ए अरबआ के नज़दीक किया है, इसकी बहस़ गुज़र चुकी है, बाक़ी चीज़ें (गेहूँ, जौ, खजूर और नमक) के बारे में नीचे दिये गये अक़वाल हैं:–

(1) इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद और इमाम इस्हाक़ वग़ैरहुम (रह.) के नज़दीक नाप कैल और एक जिन्स होना है, इसलिए उनके नज़दीक हर कैली और वज़नी चीज़ का अगर उसकी मिस्ल हम जिन्स से तबादला होगा, तो बराबर, बराबर और नक़द ब नक़द होगा। चाहे, वह चीज़ तआम बने या न, जैसे रूई, ऊन, अनाज, लोहा, पीतल, सोना और चाँदी वग़ैरह। (2) इमाम शाफ़ेई के नज़दीक मतऊम (खाने की चीज़ें) और हम जिन्स होना है, और इमाम अहमद का एक क़ौल भी यही है, इस क़ौल की रू से रिबा अलफ़ज़ल का ताल्लुक़ तमाम तबादला बराबर होगा, मगर मतऊम (खाने की चीज़) नहीं हैं तो कमी व बेशी जायज़ है। (3) इमाम मालिक के नज़दीक ज़ख़ीरा के क़ाबिल चीज़ें, और हम जिन्स हों और कुछ मालकिया के नज़दीक इसके साथ क़ूत (ख़ूराक) होना भी शर्त है, यानी जख़ीरा, ख़ूराक और हम जिन्स हों। शाह वलीउल्लाह ने मालकिया के मौक़िफ़ को पसन्द किया है, हुज्जतुल्लाह, जिल्द: 2, सफ़ा: 107 और अल्लामा तक़ी ने लिखा है, कि मालकिया की इल्लत ज़्यादा वाज़ेह है और नज़री व फ़िक्री हैसियत से और अमली ऐतबार से भी ज़्यादा मुनासिब है, गोया रिबा अलफ़ज़ल का ताल्लुक़ ग़िज़ा बनने वाली चीज़ों से है, जबकि उनका ज़ख़ीरा करना मुमकिन हो, हर मतऊम चीज़ से नहीं है और इब्ने रूश्द मालकी ने हिदाया में अहनाफ़ के मौक़िफ़ को पसन्द किया है।

(4062) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4037 में देखें।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ ‏.‏

(4063) हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सोना, सोने के ऐवज़, चाँदी, चाँदी के ऐवज़, गेहूँ, गेहूँ के ऐवज, जौ, जौ के ऐवज़ खजूर, खजूर के ऐवज, नमक, नमक के ऐवज़, बराबर, बराबर और हाथों हाथ होगा और जब ये अक़साम मुख़्तलिफ़ हो जायें तो जैसे चाहो फ़रोख़्त करो, बशर्ते कि हाथों हाथ यानी नक़द ब नक़द हो।'

तख़रीज : ये हदीस बयान हो चुकी है: 4037.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ‏"‏

फ़ायदा : जिन्स के एक होने की सूरत में बाहम मसावात की सूरत में तबादला होगा, लेकिन अगर जिन्स बदल जाये, तो कमी व बेशी जायज़ है, लेकिन उधार दोनों सूरतों में नाजायज़ है, जबकि कोई चीज़ रक़म (पैसों) से ख़रीदनी है, तो फिर उधार चीज़ें फ़रोख़्त करना जायज़ है।

(4064) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सोना, सोने के ऐवज़, चाँदी, चाँदी के ऐवज़, गेहूँ, गेहूँ के ऐवज, जौ, जौ के ऐवज़, खजूर, खजूर के ऐवज़, बराबर और नक़द ब नक़द होंगे, जिसने ज़्यादा दिया, या ज़्यादा लिया, उसने सूदी मामला किया, इसमें लेने वाला और देने वाला दोनों बराबर हैं।'

तख़रीज : नसाई: 4579.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ ‏"‏ ‏.‏

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ " . فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ .

(4065) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'सोने का सोने से तबादला बराबर, बराबर होगा, आगे ऊपर दी गई रिवायत है।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान हो चुकी है: 4040.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلاَّ مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ " .

(4066) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'खजूर, खजूर के ऐवज़, गेहूँ, गेहूँ के ऐवज़, जौ, जौ के ऐवज़ और नमक, नमक के ऐवज़, बराबर, बराबर और नक़द ब नक़द होंगे, तो जिसने ज़्यादा दिया या ज़्यादा तलब किया, तो उसने सूदी लेन–देन किया, मगर ये कि उनकी अक़साम (जिन्स़ बदल जायें।'

तख़रीज : नसाई: 4573.

मुफ़रदातुल हदीस़ : अल्वानः लौन की जमा है, अनवाअ़ व अक़साम को कहते हैं।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَلَمْ يَذْكُرْ " يَدًا بِيَدٍ"

(4067) यही रिवायत इमाम स़ाहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन उसने नक़द ब नक़द का तज़किरा नहीं किया।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4042 में देखें।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا" .

(4068) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'सोना, सोने के ऐवज़ हम वज़न होंगे, बराबर, बराबर होंगे और चाँदी, चाँदी के ऐवज़, हम वज़न, बराबर, बराबर होंगे, तो जिसने ज़्यादा लिया, या ज़्यादा वसूल किया, तो उसने सूदी मामला किया।'

तख़रीज : नसाई: 7/278, सुनन इब्ने माजा: 2255.

(4069) हज़रत अबू हुरैरह (ﷻ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दीनार, दीनार के ऐवज़, इनमें इज़ाफ़ा नहीं होगा, और दिरहम, दिरहम के ऐवज़ दोनों में एक तरफ़ ज़्यादा नहीं होंगे।'

तख़रीज : नसाई: 4581.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ مُوسَى، بْنِ أَبِي تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا " .

(4070) यही रिवायत इमाम साहब एक और उस्ताद की सनद से, मूसा बिन अबी तमीम की ऊपर दी गई सनद ही से बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस बयान हो चुकी है: 4045 में देखें।

حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَقُولُ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

बाब : 16
सोने और चाँदी की बाहमी बैअ (सौदा) उधार जायज़ नहीं है

(16) باب
النَّهيِ عَن بَيعِ الوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَينًا

(4071) अबू मिन्हाल (रह.) बयान करते हैं कि मेरे एक शरीक (साझी) ने, चाँदी को हज के मौसम या हज तक उधार फ़रोख़्त की, फिर आकर मुझे उसकी इत्तिला दी, तो मैंने कहा, ये मामला दुरूस्त नहीं है, उसने कहा, मैंने उसे बाज़ार में फ़रोख़्त किया, तो उस पर किसी ने मुझ पर ऐतराज़ नहीं किया, तो मैं हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷻ) के पास आया, और उनसे, उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, नबी अकरम (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाये, तो हम इस क़िस्म की ख़रीद व फ़रोख़्त करते थे, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो नक़द ब नक़द

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي، الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَجَاءَ إِلَىَّ فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَصْلُحُ . قَالَ قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ . فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ " مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ

بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا " . وَائْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي . فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और जो उधार हो वह सूद है।' और तुम हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) के पास जाओ, क्योंकि उनका कारोबार मुझसे वसीअ था, तो मैं उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उनसे पूछा, तो उन्होंने भी इसी तरह बताया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2061, 2180, 2181, 2497, 3939, 3940, नसाई: 7/280.

फ़ायदा : हज़रत अबू मिन्हाल के साझी का मक़सद ये था, अगर सोने और चाँदी का बाहमी तबादला उधार की सूरत में जायज़ न होता, तो बाज़ार वाले लोग उस पर ऐतराज़ करते, उनका ऐतराज़ न करना, उसके जायज़ होने की दलील है, लेकिन इस वाक़िया से ये भी साबित हुआ, अगर बाज़ार के लोग वाक़फ़ियत के बावजूद ऐतराज़ न करें, तो ये जवाज़ की दलील नहीं है, इसका सबब कोई और भी हो सकता है।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَهُوَ أَعْلَمُ . فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالاَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا .

(4072) अबू मिन्हाल (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से करेन्सी के तबादले के बारे में सवाल किया? तो उन्होंने कहा हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) से पूछ, क्योंकि वह ज़्यादा जानते हैं, फिर उन दोनों ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चाँदी की सोने से उधार, बैअ करने से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : ये हदीस ऊपर गुजर चुकी है: 4047 में देखें।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4073) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चाँदी, चाँदी के ऐवज़ और सोना, सोने के ऐवज़ फ़रोख़्त करने से रोका है, मगर ये कि बराबर बराबर हों, और आपने हमें हुक्म दिया कि हम चाँदी, सोने के ऐवज़ जैसे चाहें ख़रीद लें और सोना,

عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا . قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ .

चाँदी के ऐवज़ जैसे चाहें ख़रीद लें, तो एक आदमी ने सवाल किया, नक़द ब नक़द हों? तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसे ही सुना है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2175, 2183, नसाई: 7/280, 7 281.

फ़ायदा : सोने और चाँदी के बाहमी तबादला में कमी व बेशी जायज़ है, लेकिन उनका नक़द ब नक़द होना ज़रूरी है।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(4074) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद की सनद से बयान करते हैं कि अबू बक्रा (ﷺ) ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें मना फ़रमाया, आगे ऊपर दी गई रिवायत बयान की।

तख़रीज : ये हदीस ऊपर बयान की जा चुकी है: 4049 में देखें।

(17) باب
بَيعِ القِلاَدَ فِيها خَرَزٌوَذَهَبٌ

बाब : 17
ऐसा हार फ़रोख़्त करना जिसमें पत्थर के नगीने और सोना हो

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُلَىَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلاَدَةٍ

(4075) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद अन्सारी(ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास जब कि आप ख़ैबर में थे, एक हार लाया गया, जिसमें पत्थर के नगीने और सोना था, और वह ग़नीमत के माल से था और फ़रोख़्त किया जा रहा था, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुक्म से हार से उसके

فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلاَدَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ "

सोने को अलग कर लिया गया, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'सोना, सोने के ऐवज़ हम वज़न होगा।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ، سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ، أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً بِاثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لاَ تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ " .

(4076) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने ख़ैबर के दिन एक हार बारह (12) दीनार में ख़रीदा, हार में सोना और पत्थर के नगीने थे, मैंने उनको अलग किया, तो मुझे इसमें बारह (12) दीनार से ज़्यादा मिल गये, तो मैंने उसका तज़किरा रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया, तो आप (ﷺ) ने फ़रमायाः 'उसे अलग किये बग़ैर फ़रोख़्त न किया जाये।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊदः 3351, 3352, 3353, जामेअ तिर्मिज़ीः 1255, नसाईः 7/279, 7/280.

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है, अगर किसी चीज़ के साथ सोने की आमेज़िश हो और उसे सोने के ऐवज़ बेचना हो तो सोने को अलग करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने अलग किये बग़ैर फ़रोख़्त करने से मना किया है, इस तरह सोना अलग करके उसके हम वज़न सोना लिया जायेगा, और बाक़ी चीज़ की क़ीमत अलग लगाई जायेगी, इस तरह कमी व बेशी का ख़तरा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर अलग न किया जाये, महज़ अन्दाज़ व तख़्मीना से काम लिया जाये तो कमी व बेशी का इम्कान मौजूद है, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और इमाम इस्हाक़ वग़ैरह, मोहद्दिसीन का यही नज़रिया है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक, अगर अलग सोना, चीज़ के साथ मिले हूए सोने से यक़ीनी तौर पर ज़्यादा हो, तो फिर जायज़ है, क्योंकि सोने से ज़्यादा दूसरी चीज़ की क़ीमत बन जायेगा, अगर मुफ़रिद (अलग) सोना, मुरक्कब (मिले हूए) सोना के बराबर हो या कम हो तो फिर जायज़ नहीं है, लेकिन सवाल ये है, अलग किये बग़ैर, इसका तअय्युन कैसे होगा, कि कम है या बराबर है, या ज़्यादा है। इमाम मालिक के नज़दीक अगर सोना, बित्तबअ और ज़िम्नी तौर पर मौजूद है, असल दूसरी चीज़ है, तो फिर वह सामान के हुक्म में होगा, तो फिर उसका हम वज़न सोने से बेचना जायज़ है, लेकिन

ज़ाहिर है इस मौक़िफ़ की तो इस हदीस़ की मौजूदगी में गुंजाइश नहीं, इस तरह हम्माद बिन अबी सुलैमान का मौक़िफ़ बिल्कुल बेवज़न है कि इसको हर तरह कम हो या मिक़्दारे सोना ज़्यादा हो, बेचना जायज़ है, क्योंकि ये नज़रिया हदीस़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है।

(4077) इमाम स़ाहब ऊपर दी गई रिवायत दो और उस्तादों से सईद बिन यज़ीद ही की सनद से बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4052 में देखें।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ، يَزِيدَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(4078) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद (ﷺ) से रिवायत है कि हम ख़ैबर के दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ थे, और सोने का एक औक़िया, यहूदियों को दो या तीन दीनार के ऐवज़ बेच रहे थे, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सोना, सोने के ऐवज़ फ़रोख़्त न करो, मगर ये कि दोनों हम वज़न हों।'

तख़रीज : हदीस़ ऊपर गुज़र चुकी है: 4052 में देखें।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْجُلاَحِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْوُقِيَّةَ الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ " .

(4079) हनश (रह.) से रिवायत है कि हम एक ग़ज़्वा में हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद (ﷺ) के साथ थे तो मेरे और मेरे साथियों के हिस्से में एक हार आया जिसमें सोना चाँदी और मोती थे तो मैंने उसके ख़रीदने का इरादा किया, इस सिलसिले में, मैंने हज़रत फ़ज़ाला (ﷺ) से पूछा, तो उन्होंने फ़रमाया: 'इसका सोना अलग कर लो, और इसको एक पलड़े में रखो और अपना सोना दूसरे पलड़े में रखो

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ، وَعَمْرِو، بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَنَشٍ، أَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي قِلاَدَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ

فَقَالَ انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ ثُمَّ لاَ تَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ " .

फिर उसको बराबर, बराबर सोना लो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हूए सुना है: 'जो अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखता है, वह बराबर, बराबर के सिवा हरगिज़ न ले।'

तख़रीज : ये हदीस ऊपर बयान की जा चुकी है: 4052 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस : तारत ली: मेरे हिस्सा में आया, या मुझे मिला।

फ़ायदा : हदीस के रावी ने भी हदीस का मफ़हूम वही लिया है, जो इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद वग़ैरहुम ने लिया है, और अहनाफ़ फ़हमे रावी को रिवायत पर भी तर्जीह देते हैं, रावी के फ़हम की बिना पर उसका ज़ाहिरी मानी छोड़ देते हैं, और यहाँ इसके फ़हम को नज़र अन्दाज़ कर रहे हैं।

(18) باب
بَيعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

बाब : 18
खाने की चीज़ों का तबादला या बैअ बराबर, बराबर होगी

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلاَمَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ فَقَالَ بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا . فَذَهَبَ الْغُلاَمُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلاَ تَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4080) मअमर बिन उबैदुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने अपने ग़ुलाम को गेहूँ का एक साअ देकर भेजा और उसे कहा, इसे बेच कर इसके ऐवज़ जौ ख़रीद लाओ, तो ग़ुलाम गया और उसके ऐवज़ साअ से कुछ ज़्यादा जौ ख़रीद लाया, और जब मअमर (ﷺ) के पास आया, तो उन्हें इसकी इत्तिला दी, तो मअमर (ﷺ) ने उससे पूछा, तूने बाहमी तबादला क्यों किया? जाओ, उसको वापस कर दो, और बराबर, बराबर के सिवा न लो, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) से ये सुनता रहा हूँ, तआम, तआम के बदले बराबर, बराबर होगा।' और उन दिनों हमारा तआम, खाना, जौ थे, उनसे कहा गया, इन दोनों की जिन्स

يَقُولُ " الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ " . قَالَ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ . قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ .

एक नहीं है, उन्होंने जवाब दिया, मुझे अन्देशा है कि ये इसके मुशाबा है।

फ़ायदा : अगर जिन्स अलग अलग हो तो कमी व बेशी करने में सही अहादीस़ की रू से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चूंकि गेहूँ और जौ की जिन्स, तआम होने के ऐतबार से मिलती जुलती है, इसलिए हज़रत मअमर (ﷺ) ने तवर्रोअ और एहतियात को तर्जीह दी, अगरचे शरई रू से गेहूँ और जौ अलग अलग जिन्स हैं, और इमाम मालिक (रह.) का दोनों को एक जिन्स क़रार देना दुरूस्त नहीं है, वरना तआम होने के ऐतबार से तो गेहूँ, जौ, खजूर सब एक जिन्स होंगे, हालांकि हज़रत उ़बादा (ﷺ) की हदीस़ में, तीनों को अलग अलग शुमार किया गया है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا " . قَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلاً بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ " .

(4081) हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत अबू सईद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनू अदी अन्सार के क़बीला के एक फ़र्द को ख़ैबर का आ़मिल (हाकिम) बनाकर भेजा, और वह खजूर की जनीब नामी आ़ला क़िस्म लाया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे पूछा: 'क्या ख़ैबर की तमाम खजूरें इस क़िस्म की हैं?' उसने कहा, नहीं, अल्लाह की क़सम! ऐ अल्लाह के रसूल! हम रद्दी या मिली जुली दो स़ाअ खजूरों के ऐवज़ एक स़ाअ अच्छी खजूरें ख़रीद लेते हैं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐसा मत करो, लेकिन बराबर, बराबर तबादला करो, या ये रद्दी खजूरें बेच कर, क़ीमत से अच्छी खजूरें ख़रीद लो, इस तरह माप की तरह तौल में भी बराबरी हो।'

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 2201, 2202, 2302, 2303, 4244, 4245, 4246, 4247, 7350, 7351, नसाई: 7/271, 7/272.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) जनीबः आला या मुन्तख़ब खजूरें। **(2) जम्अः** मख़्लूत, अच्छी और निकमी मिली जुली।

फ़ायदा : बनू अदी के जिस फ़र्द को आपने भेजा था, उसने अदमे इल्म और ना वाक़िफ़ियत व नादानी की बिना पर एक जिन्स की मुख़्तलिफ़ अनवाअ व अक़साम में माप में कमी व बेशी की, तो आप (ﷺ) ने उसको इस काम से रोका कि एक जिन्स की चीज़ जो ख़ूराक से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी आला और अदना क़िस्म का तबादला बराबरी की सूरत में जायज़ है, या फिर निकमी क़िस्म को बेच कर, उस क़ीमत से आला क़िस्म ख़रीदना होगा, ज़ाहिर है,दूसरी सूरत में माप या तौल के ऐतबार से कम ही होगी, लेकिन ये रिबा या सूदी मामला नहीं होगा।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ، الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا " . فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَلاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا " .

(4082) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक इंसान को ख़ैबर का हाकिम मुक़र्रर किया, (स़दक़ात की वसूली के लिये) वह आपके पास जनीब नामी खजूरें लाया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे पूछा: 'क्या ख़ैबर की तमाम खजूरें ऐसी हैं?' तो उसने कहा, नहीं, अल्लाह की क़सम! ऐ अल्लाह के रसूल! हम उनका एक स़ाअ, दो स़ाअ के ऐवज़ और दो स़ाअ तीन स़ाअ के ऐवज़ लेते हैं, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमायाः 'ऐसा मत करो, रद्दी और मख़्लूत को दिरहम के ऐवज़ फ़रोख़्त कर दो, फिर दिरहम देकर जनीब ख़रीद लो।'

तख़रीज : ये हदीस़ ऊपर बयान की जा चुकी है: 4057 में देखें।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ

(4081) इमाम स़ाहब अपने मुख़्तलिफ़ उस्तादों से बयान करते हैं कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी(ﷺ) बयान करते हैं, हज़रत बिलाल (ﷺ) बरनी खजूरें लाये, तो

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ، يَقُولُ جَاءَ بِلاَلٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مِنْ أَيْنَ هَذَا " . فَقَالَ بِلاَلٌ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ " أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا لاَ تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ " . لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ سَهْلٍ فِي حَدِيثِهِ عِنْدَ ذَلِكَ.

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे पूछा: 'कहाँ से लाये हो?' तो हज़रत बिलाल(ﷺ) ने अ़र्ज़ की, हमारे पास निकम्मी खजूरें थीं, तो मैंने उसके दो स़ाअ के ऐवज़ एक स़ाअ ख़रीद लिया ताकि रसूलुल्लाह (ﷺ) खा लें, तो उस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अफ़सोस है वह ख़ालिस़ सूद है, ऐसा मत करो, लेकिन जब ऐसी खजूरें ख़रीदना चाहो, तो (अपनी खजूरें) अलग तौर पर बेच दो, फिर उस (क़ीमत) से ख़रीद लो।' इब्ने सुहैल की रिवायत में इन्द ज़ालिका (उस पर, उस वक़्त) का लफ़्ज़ नहीं है।

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 2312, नसाई, 4571.

وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ فَقَالَ " مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا". فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا " .

(4084) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास खजूरें लाई गईं, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये हमारी खजूरों में से तो नहीं हैं, 'तो (लाने वाले) आदमी ने कहा, हमने अपनी दो स़ाअ खजूरें इसके एक स़ाअ के ऐवज़ बेच दी हैं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये सूदी मामला है, इसको वापस करो, फिर हमारी खजूरें बेचो और हमारे लिये उनको ख़रीद लो।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, जहालत और ना वाक़फ़ियत की बिना पर अगर ग़लत या ममनूअ लेन–देन कर लिया जाये तो उसको फ़स्ख़ (तोड़ना, कल्अदम (नथिंग) क़रार देना) होगा।

(4085) हज़रत अबू सईद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुबारक ज़माने में हमें जमा यानी मख़्लूत खजूरें दी जाती थी, तो हम दो स़ाअ, एक स़ाअ के ऐवज़ फ़रोख़्त कर देते, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) तक उसकी इत्तिला पहुँच गई, इस पर आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दो स़ाअ, खजूर एक स़ाअ के ऐवज़, और दो स़ाअ गेहूँ एक स़ाअ के ऐवज, और एक दिरहम, दो दिरहम के ऐवज़, सब नाजायज़ हैं।

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 2080, नसाई: 7/272, 7/272, 273, सुनन इब्ने माजा: 2256.

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لاَ صَاعَىْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلاَ صَاعَىْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ " .

(4086) अबू नज़रा (रह.) से रिवायत है कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से करेन्सी के बाहमी तबादला के बारे में सवाल किया? तो उन्होंने पूछा, क्या हाथों हाथ है? मैंने कहा, जी हाँ। कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैंने इस बात की ख़बर हज़रत अबू सईद (ﷺ) को दी, मैंने कहा, मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से नक़दी के तबादला के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने पूछा, क्या नक़द ब नक़द है? मैंने कहा, जी हाँ। उन्होंने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अबू सईद(ﷺ) ने कहा, क्या उन्होंने ये बात कही है? हम उन्हें अभी लिखते हैं तो तुम्हें ये फ़तवा नहीं देंगे, अबू सईद (ﷺ) ने बताया, अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह (ﷺ) के कुछ ख़ादिम आप(ﷺ) के पास खजूरें लाये, तो आप (ﷺ)

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي، نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ أَيَدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ . فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ أَيَدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ . قَالَ أَوَقَالَ ذَلِكَ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلاَ يُفْتِيكُمُوهُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ فَأَنْكَرَهُ فَقَالَ "

كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا " . قَالَ كَانَ فِي تَمْرِ أَرْضِنَا - أَوْ فِي تَمْرِنَا - الْعَامَ بَعْضُ الشَّىْءِ فَأَخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ . فَقَالَ " أَضْعَفْتَ أَرْبَيْتَ لاَ تَقْرَبَنَّ هَذَا إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَىْءٌ فَبِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ " .

ने उन पर ताज्जुब का इज़हार किया, और फ़रमाया, 'गोया ये हमारी सरज़मीन की खजूरें नहीं हैं।' ख़ादिम ने कहा, हमारे इलाक़े की खजूर या खजूरों में, इस साल कुछ ख़राबी थी, तो मैंने ये लेकर, कुछ ज़्यादा खजूरें दे दीं, तो आपने फ़रमाया: 'तूने इज़ाफ़ा किया, ज़्यादा दीं, तूने सूद दिया, इस मामला के क़रीब न जाना, जब तुम्हें अपनी खजूरों के बारे में कुछ ख़ल्जान हो, तो उन्हें फ़रोख़्त कर दो, फिर जो खजूरें चाहो ख़रीद लो।'

फ़ायदा : एक निकम्मी चीज़ बेच कर उस क़ीमत से अच्छी चीज़ ख़रीदना ताकि तबादला की सूरत में कमी व बेशी से बचा जा सके। ये हीला नहीं है, कि उसको बुनियाद बना कर, सूद के जवाज़ के लिये हीला निकाला जाये, जैसा कि शवाफ़ेअ ने इसके लिये बैअ ऐनिही का हीला निकाला है, और कुछ उलमा ने बैअ ऐनिही को बुनियाद बना कर बैंक के तमाम मुरव्वज (प्रचलित) खातों को जायज़ क़रार देने के लिये हीले निकालने शुरू किये हैं, या अहनाफ़ ने दारूल हरब के सूद के जवाज़ के लिये कहा है कि मुसलमान और हरबी के बीच रिबा नहीं है, लिहाज़ा जिन लोगों से हमारी जंग हो, उनसे सूद लेना जायज़ है, बैअ ऐनिही ये है कि एक चीज़ उधार दो सौ रूपये के ऐवज़ ख़रीद ले, फिर उसको सौ रूपये नक़द में वापस फ़रोख़्त कर दे, इस तरह इस सौ रूपये से फ़ायदा उठाये और वक़्ते मुक़र्ररा पर दो सौ रूपये अदा कर दे।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا . فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَّ مَا

(4087) अबू नज़रा (रह.) से रिवायत है कि मैंने हज़रत इब्ने उमर और हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से नक़दी के बाहमी तबादले के बारे में सवाल किया? तो उन्होंने इसमें कोई हर्ज नहीं समझा, मैं हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) के पास बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे भी सर्फ़ (नक़दी का बाहमी तबादला) के बारे में पूछ लिया, तो उन्होंने कहा, एक जिन्स की सूरत में जो इज़ाफ़ा है, वह सूद है, तो मैंने उन दोनों (इब्ने उमर, इब्ने अब्बास)(ﷺ) के क़ौल की बिना पर इसका इंकार किया, तो अबू सईद

سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا اللَّوْنَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَنَّى لَكَ هَذَا " . قَالَ انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ فَإِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا وَسِعْرَ هَذَا كَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَيْلَكَ أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَىَّ تَمْرٍ شِئْتَ " . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ - قَالَ - فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ فَكَرِهَهُ .

(ﷺ) ने कहा, मैं तो तुम्हें वही बात बता रहा हूँ, जो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है, आपकी खजूरों का निगरां, आपके पास एक अच्छी क़िस्म की खजूरों का एक स़ाअ लाया और नबी अकरम (ﷺ) की खजूरें (कम तर) क़िस्म की थीं, तो नबी अकरम (ﷺ) ने उससे पूछा: 'तुम ये कहाँ से लाये हो?' उसने जवाब दिया, मैं दो स़ाअ लेकर गया और उनके ऐवज़ ये एक स़ाअ ख़रीद लाया, क्योंकि उनका बाज़ार में भाव ये है, और उनका नरख़ ये (यानी अच्छी खजूरों का नरख़ ज़्यादा है और निकम्मी का कम है) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम पर अफ़सोस है, तुमने सूदी मामला किया है जब तुम अच्छी खजूरें लेना चाहो, तो अपनी खजूरें, एक सौदा की सूरत में फ़रोख़्त कर दो, फिर अपने सामान (क़ीमत) से जो भी खजूरें चाहे ख़रीद लो, अबू सईद (ﷺ) ने सवाल किया, खजूरों का खजूरों से तबादला पर सूद ज़्यादा स़ादिक़ आता है या चाँदी के चाँदी से तबादला पर? (यानी अगर खजूर की खजूर से तबादला में कमी व बेशी सूद है तो चाँदी के चाँदी से तबादला में कमी व बेशी बिल औला सूद है) अबू नज़रा कहते हैं, मैं बाद में हज़रत इब्ने उमर को मिला, तो उन्होंने मुझे इससे मना कर दिया, लेकिन मैं इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) को नहीं मिला, लेकिन मुझे अबू स़हबा ने बताया कि मैंने इस मामला के बारे में इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मक्का मुकर्रमा में सवाल किया, तो उन्होंने इसको नापसन्द क़रार दिया।

फ़ायदा : हज़रत अबू सहबा जो हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) के शागिर्द हैं, उनके क़ौल से साबित होता है कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने भी हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) की तरह अपने मौक़िफ़ से रूजू कर लिया था।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ، عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ عَبَّادٍ - قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ مِثْلاً بِمِثْلٍ مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى . فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا . فَقَالَ لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ أَشَىْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ " .

(4088) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं, दीनार, दीनार के ऐवज़, दिरहम, दिरहम के ऐवज़, बराबर, बराबर होंगे, जिसने ज़्यादा दिया या ज़्यादा लिया तो वह सूद होगा, अबू सालेह (रह.) कहते हैं, मैंने उनसे कहा इब्ने अब्बास (ﷺ) इसके ख़िलाफ़ बताते हैं, तो अबू सईद (ﷺ) ने कहा, मैं इब्ने अब्बास (ﷺ) को मिल चुका हूँ, मैंने उनसे पूछा, बताइये, ये जो कुछ आप बयान करते हैं, क्या आपने उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है या उसे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की किताब में पाया है? तो उन्होंने जवाब दिया, न मैंने ये रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है और न ही इसे अल्लाह की किताब में पाया है, (यानी न क़ुरआन से अख़्ज़ किया है) लेकिन मुझे तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सूद सिर्फ़ उधार में है।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2178, 2179, नसाई: 7/281, सुनन इब्ने माजा: 2257.

फ़ायदा : अर्रिबा फ़िन्नसीआ, का मक़सद ये था कि उधार हर सूरत में सूद है, चाहे, तफ़ाज़ुल और कमी व बेशी हो या न हो, लेकिन तफ़ाज़ुल यानी कमी व बेशी सिर्फ़ इस सूरत में हराम है जब एक जिन्स के तबादला में कमी व बेशी हो, अगर जिन्स बदल जाये, जैसे गेहूँ का खजूर से तबादला, दीनार का दिरहम से तबादला, तो फिर तफ़ाज़ुल जायज़ होगा, लेकिन उधार मामला करना सूद होगा। इसलिए ये मामला नक़द ब नक़द करना होगा, लेकिन हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने इसको आम समझ लिया,

कि उधार दुरूस्त नहीं, कमी व बेशी हर सूरत में दुरूस्त है, जबकि सूरतेहाल ये है कि कमी व बेशी जिन्स के बदलने की सूरत में जायज़ है, लेकिन उधार तबादला की सूरत में भी जायज़ नहीं है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ، اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ " .

(4089) इमाम साहब अपने चार उस्तादों से बयान करते हैं, अल्फ़ाज़ अम्र के हैं, हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मुझे उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) ने ख़बर दी कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सूद सिर्फ़ उधार में हैं।'

तख़रीज : हदीस बयान हो चुकी है: 4064 में देखें।

फ़ायदा : इस हदीस का मतलब ये भी हो सकता है कि कुर्आन मजीद में जिस रिबा (सूद) से शदीद वईद के साथ रोका गया है, उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ रिबा अन्नसीआ से है, रिबा अलफ़ज़ल से नहीं है, या ज़ाहिरिया के मौक़िफ़ के मुताबिक़ रिबा अलफ़ज़ल का ताल्लुक़ सिर्फ़ हदीस में बयान करदा छः चीज़ों से है, बाक़ी चीज़ों में कमी व बेशी जायज़ है, सिर्फ़ उधार नाजायज़ है, लेकिन हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने उसको आम ख़याल किया, इसलिए एक जिन्स की सूरत में भी तफ़ाज़ुल को जायज़ क़रार दिया।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ " .

(4090) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास(ﷺ), हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो तबादला नक़द ब नक़द हो वह सूदी मामला नहीं है।'

तख़रीज : हदीस बयान की जा चुकी है: 4064 में देखें।

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِقْلٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي، رَبَاحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ أَشَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْ

(4091) अता बिन अबी रबाह (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ), इब्ने अब्बास (ﷺ) को मिले, तो उनसे पूछा, आप बैअ सर्फ़ के बारे में जो कहते हैं, बताइये क्या वह ऐसी बात है जो आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है या वह बात आपने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की किताब से अख़ज़ की है?

شَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَلاَّ لاَ أَقُولُ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَأَمَّا كِتَابُ اللَّهِ فَلاَ أَعْلَمُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ " .

तो इब्ने अ़ब्बास (﵁) ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) के बारे में तो आप ज़्यादा जानते हैं, रहा अल्लाह की किताब का मामला, तो मैंने इससे भी ये मालूम नहीं किया, लेकिन मुझे तो उसामा बिन ज़ैद (﵁) ने बताया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़बरदार, सूद सिर्फ़ उधार में है।'

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4064 में देखें।

(19) باب
لَعنِ آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِهِ

बाब : 19
सूद खाने और खिलाने वाले पर लानत भेजना

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ سَأَلَ شِبَاكٌ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ . قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا

(4092) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (﵁) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूद खाने वाले पर, और सूद खिलाने वाले पर लानत भेजी है, अ़ल्क़मा कहते हैं कि मैंने कहा, और सूदी मामला लिखने वाले पर और उसके गवाहों पर? तो उन्होंने (अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद ने) कहा, हम उतनी ही बात बयान करते हैं, जो हमने सुनी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ .

(4093) हज़रत जाबिर (﵁) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने, सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, ये मामला लिखने वाले पर, और उसके दोनों गवाहों पर लानत भेजी है, और फ़रमाया, ये सब बराबर हैं।

फ़ायदा : जिस तरह सूद लेने वाला मुजरिम और गुनाहगार है, उसी तरह सूद देने वाला, और उसमें तआवुन करने वाला भी गुनाहगार है, इसलिए बैंक की मुलाज़िमत नाजायज़ है, क्योंकि बैंक का मुलाज़िम अगर सूदी लेन देन में तआवुन करता है, जैसे ये मामला तहरीर करता है, या उसका हिसाब किताब रखता है, तो ये गुनाह के काम में शरीक और तआवुन है, नीज़ उजरत में, सूदी माल लेता है, जो हराम माल है, अगर महज़ चौकीदार है या जारूब कश है, सूदी मामला में तआवुन नहीं करता है, तो उजरत माले हराम ही से लेगा, इसलिए ये सूरत भी पसन्दीदा नहीं है, इससे बचना बेहतर है, जैसा कि अगले बाब में आ रहा है।

बाब : 20
हलाल लेना, और शुब्हा वाली चीज़ों को छोड़ देना

(20) باب
أَخذِالحَلَالِ وتَركِ الشُّبُهَاتِ

(4094) हज़रत नोमान बिन बशीर (ﷺ) ने अपनी दो उंगलियाँ अपने दोनों कानों की तरफ़ उठाते हूए कहा, कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हूए सुना है: 'हलाल वाज़ेह है, और हराम वाज़ेह है, और इनके दरम्यान कुछ शुब्हा वाली चीज़ें हैं, जिनको बहुत लोग नहीं (यानी उनके हुक्म को) जानते (कि हलाल हैं या हराम) तो जो इंसान मुश्तबह् या शुब्हा वाली चीज़ों से बच गया, उसने अपने दीन और अपनी इज़्ज़त को बचा लिया, और जो शुब्हा वाली चीज़ों में पड़ गया, वह हराम में मुब्तला होगा, उस चरवाहे की तरह जो चरागाह के आस–पास जानवर चराता है, क़रीब है, वह उसमें डाल ले या उसमें घुस जाये, ख़बरदार हर बादशाह की एक चरागाह है, ख़बरदार, अल्लाह तआला की चरागाह, उसकी ज़मीन में, उसकी हराम

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ " إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى

يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ " .

करदा चीज़ें हैं और सुनो, बदने इंसानी में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वह दुरूस्त हो गया, तो सारा बदन ठीक हो गया, संवर गया, और जब वह बिगड़ गया, तो पूरा जिस्म बिगड़ गया, सुनो! वह टुकड़ा दिल है।'

तख़रीज:सहीह बुख़ारी: 2051, सुनन अबूदाऊद: 3329 3330, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1205, नसाई: 7/241, 242, 243, 7/327, सुनन इब्ने माजा: 3984.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अह्वा बिइस्बऐही इला उज़्नैहि : अपनी दो उंगलियाँ अपने दोनों कानों की तरफ़ उठा कर इशारा किया कि मैंने पूरे एहतिमाम और तवज्जोह से सुना है, इसलिए पूरे वसूक़ और ऐतिमाद से बयान करता हूँ। **(2) इस्तबरआ लिदीनिही व इर्ज़िही:** उसने अपने दीन को शरई मज़म्मत से और अपनी इज़्ज़त को लोगों की तअ़न व तशनीअ़ से महफ़ूज़ कर लिया, उसके दीन और इज़्ज़त पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, न उन पर कोई हर्फ़ आयेगा। **(3) अल्हिमा:** चरागाह, जिस में किसी इंसान को अपने मवेशी चराने की इजाज़त नहीं होती, यानी ममनूअ़ इलाक़ा (प्रतिबंधित एरिया), कि अगर उसके अंदर कोई घुस जाये तो हुकूमत की तरफ़ से वह सज़ा का हक़दार ठहरता है, इसलिए मोहतात लोग उस इलाक़े के क़रीब ही नहीं जाते, इस तरह अल्लाह तआला की हराम करदा चीज़ें ममनूअ़ इलाक़े हैं, जो उनका इरतेकाब करेगा, वह सज़ा का हक़दार होगा, और जो शक वाली चीज़ से परहेज़ नहीं करेगा, और उनमें गिरफ़्तार होने से अपने आपको नहीं बचायेगा, वह चरागाह के आस–पास चराने वाले की तरफ़, मुहर्रमात का भी मुर्तकिब होगा, इसलिए जिस तरह मोहतात लोग चरागाह के पास अपने जानवर नहीं चराते कि कहीं वह भाग कर चरागाह में न घुस जायें, इसी तरह मोहतात और परहेज़गार लोग गुनाहों में गिरफ़्तार करने वाली चीज़ों से दूर रहते हैं और इंसान की परहेज़गारी और एहतियात का दारोमदार, उसके दिल की इस्लाह व दुरूस्तगी पर है, क्योंकि तमाम जिस्म पर उसकी हुक्मरानी है, बाक़ी तमाम अज़्ज़ा व जवारेह उसके हुक्म के पाबन्द हैं, अ़ज़्म व हौसला और जुर्अत व हिम्मत का महल और मर्कज़ भी दिल है, अगर वही अ़ज़्म व हौसला और जुर्अत व हिम्मत से महरूम हो तो कोई काम नहीं हो सकता, अगर दिल के जज़्बात व एहसासात दुरूस्त होंगे, तो बाकी अ़ज़्ज़ा सही काम करेंगे, लेकिन अगर उसके जज़्बात व एहसासात ही में बिगाड़ और फ़साद पैदा हो जाये, तो अज़्ज़ा, ख़ुद ब ख़ुद ग़लत रास्ता पर चलेंगे।

फ़वाइद : (1) नज़री व फ़िक्री और अ़मली व अख़्लाक़ी ऐतबार से ये हदीस़, दीन में बहुत अहमियत और अ़ज़मत की हामिल है, जिस पर इंसान की सीरत व किरदार की उस्तवारी का इन्हेसार है, इसलिए कुछ उ़लमा ने इसको दीन का एक तिहाई हिस्सा क़रार दिया है, और बाक़ी दो हिस्से, 'अमलों का

दारोमदार नीयतों पर है।', 'इंसान के इस्लाम की ख़ूबी और हुस्न ग़ैर मुताल्लिक़ा या ग़ैर मतलूब चीज़ से परहेज़ करना है।' और इस अहमियत व अ़ज़मत का सबब ये है कि इसमें एक मुसलमान को ये हिदायत दी गई है कि वह तमाम मामलात में जायज़ और हलाल चीज़ों को क़बूल और इख़्तियार करे, जिसका आसान तरीक़ा ये है कि वह उन तमाम मामलात से बचे, जिनकी हिल्लत व हुरमत के बारे में शक व शुब्हा हो। या उनकी हिल्लत व हुरमत वाज़ेह न हो, और इसलिए दिल की इस्लाह व दुरूस्तगी ज़रूरी है, अगर इसमें ख़शियते इलाही (अल्लाह का डर) और फ़िक्रे आख़िरत मौजूद है, तो हर काम आसान है, अगर दिल अल्लाह के ख़ौफ़ और आख़िरत की जवाबदेही से ख़ाली है, तो जिस्म के आमाल व अहवाल भी सही नहीं होंगे। (2) अल हलाल बय्यिनुन, वल हराम बय्यिनुन, यानी हलाल का हुक्म भी वाज़ेह है, और हराम का हुक्म भी वाज़ेह है, जो हलाल है उसको करो और जो हराम है, उसको छोड़ दो, जिनकी हिल्लत व हुरमत की सराहत मौजूद है, उनका मामला बिल्कुल साफ़ है, अमल में कोई शक व तरद्दुद नहीं है, जैसा कि सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हराम क़रार दिया वह हराम हैं, लेकिन हलाल बय्यिन और हराम बय्यिन के दरम्यान दो चीज़ें हैं। **(अ)** जिन की हिल्लत व हुरमत में इश्तेबाह है, क्योंकि दलाइल में तआरूज़ है, या दलाइल के फ़हम में या उनके दरम्यान तर्जीह व तत्बीक़ देने में उलमा का इख़्तिलाफ़ है, इसलिए उनकी हिल्लत व हुरमत का क़ाबिले इत्मिनान फ़ैसला नहीं हो सकता, अवाम शक व शुब्हा में पड़ जाते हैं, या एक चीज़ एक ऐतबार व हैसियत से क़ाबिले क़बूल है, और दूसरी हैसियत व जहत से क़ाबिले तर्क है, या एक चीज़ हमारे नज़रिया के मुताबिक़ दुरूस्त है, लेकिन बाद में कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई जिससे हुरमत साबित हूई है जैसा कि हज़रत उक़्बा बिन हारिस (ﷺ) की बीवी का वाक़िया है कि निकाह के बाद एक औरत ने बताया, मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है, या अब्द बिन ज़मआ और हज़रत सअद (ﷺ) का एक बच्चे के बारे में झगड़ा है, कि आपने उसका ज़मआ से नसब भी साबित किया, लेकिन हज़रत सौदा बिन्ते ज़मआ (ﷺ) को इससे पर्दे का हुक्म भी दिया, इस तरह कुछ दफ़ा एक काम बिल्कुल जायज़ है, लेकिन दूसरों के लिये शुब्हा का बाइस बनता है, और काबिले तोहमत होने की बिना पर, इससे बचने की ज़रूरत है, जैसा कि आपने पास से गुज़रने वालों को फ़रमाया था, हाज़िही सफ़ीया, ये मेरी बीवी सफ़ीया है, इस तरह इस क़िस्म के मामलात में जब तक क़ाबिले इत्मिनान बात सामने न आये, उन उमूर से परहेज़ करना चाहिए और अगर क़ाबिले इत्मिनान बात सामने आ जाये, तो फिर उस पर अमल करना चाहिए, इसलिए आपने फ़रमाया, मुश्तबह् उमूर को बहुत लोग नहीं जानते, ये नहीं फ़रमाया, कोई भी नहीं जानता। **(ब)** वह चीज़ें जिनके बारे में शरीयत ख़ामोश है, जिनको सुनन अबी दाऊद की रिवायत में मा सक–त अन्हु फ़हुवा मअफ़ू, जिनसे शरीयत ख़ामोश है, क़ाबिले मुवाख़िज़ा नहीं हैं, इसलिए इनमें कोई हर्ज नहीं है। ख़ुलास–ए–कलाम ये है कि जहाँ किसी दलील या क़रीना की बिना पर, किसी चीज़ की हुरमत का शुब्हा

पैदा होता हो,उससे बचना चाहिए, लेकिन बग़ैर किसी बुनियाद के महज़ वस्वसे के पीछे नहीं लगना चाहिए, जिसको कहते हैं, अल यक़ीनु ला यज़ूलु बिश्शक, यक़ीनी चीज़ को महज़ शुब्हा और शक की बुनियाद पर तर्क नहीं किया जा सकता कि एक आदमी वुज़ू करके खड़ा हुआ है, फिर हवा निकलने की आवाज़ नहीं सुनता और न ही बदबू महसूस करता है, महज़ वस्वसे पैदा होता है तो उस पर नमाज़ नहीं तोड़ी जायेगी, क्योंकि बेवुज़ू होने का कोई क़रीना या दलील नहीं है, या एक मुसलमान के घर से गोश्त आता है, तो इंसान इस शुब्हा में पड़ जाये कि शायद उन्होंने बिस्मिल्लाह न पढ़ी हो, हाँ, अगर दलील या क़रीना मौजूद हो, तो फिर ये वस्वसा नहीं होगा, कि उसको नज़र अन्दाज़ कर दिया जाये।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالاَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(4095) इमाम साहब अपने तीन और उस्तादों की सनद से ज़करिया की सनद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज:ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4070 में देखें।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، وَأَبِي، فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ زَكَرِيَّاءَ أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْثَرُ

(4096) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों की सनद से यही रिवायत बयान करते हैं, लेकिन ज़करिया की रिवायत ज़्यादा कामिल और ज़ायद है।

तख़रीज:ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4070 में देखें।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي خَالِدُ، بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ، صَاحِبَ رَسُولِ

(4097) इमाम आमिर शअबी बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबी नोमान बिन बशीर बिन सअद (رضي الله عنه) से हिम्स में ख़ुत्बा देते हूए सुना कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है: 'हलाल वाज़ेह है और हराम वाज़ेह है', आगे ज़करिया की इमाम शअबी से यूशिका अन यक़अ फ़ीह, क़रीब है

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحِمْصَ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ " . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ " يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ " .

इसमें पड़ जाये, तक रिवायत बयान की।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4070 में देखें।

(21) باب
بَيعِ البَعِيرِوَاستِثنَآءِرُكُوْبِهِ

बाब : 21
ऊँट बेच कर उस पर सवारी का इस्तिस़्ना करना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قَالَ " بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ " . قُلْتُ لاَ . ثُمَّ قَالَ " بِعْنِيهِ " . فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَقَالَ " أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ " .

(4098) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि वह अपने ऊँट पर सफ़र कर रहे थे, जो चलते चलते थक चुका था, तो मैंने चाहा कि उसको छोड़ दूं, तो मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) आ मिले, आप (ﷺ) ने मेरे हक़ में, दुआ की और उसे मारा, तो वह इस क़द्र तेज़ चलने लगा, जिस क़द्र तेज़ कभी नहीं चला था, आपने फ़रमाया: 'मुझे ये एक औक़िया में बेच दो', मैंने कहा, नहीं, आपने फिर फ़रमाया, 'ये मुझे बेच दो' तो मैंने आपको वह एक औक़िया में बेच दिया, और मैंने अपने घर तक उस पर सवार होने को मुस्तस़्ना कर लिया, तो मैं जब घर पहुँच गया, आपकी ख़िदमत में ऊँट लेकर हाज़िर हुआ, तो आपने मुझे उसकी क़ीमत नक़द अदा कर दी, फिर मैं वापस पलटा, तो आपने मेरे पीछे

आदमी भेजा, और फ़रमाया, 'क्या तुम मेरे बारे में ये समझते हो कि मैंने तेरा ऊँट लेने के लिये तुम्हें कम क़ीमत लगाई है, अपना ऊँट और अपने दिरहम ले लो, वह तेरे ही हैं।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2385, 2718, 2967, सुनन अबू दाऊद: 3505, जामेअ तिर्मिज़ी: 1253, 2341, नसाई: 7/297, 7/298 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अरादा अय्युसय्यिबहू: इसे छोड़ देने और आज़ाद कर देने का इरादा किया। **(2) हुम्लानहू:** इस पर सवार होना। **(3) माकस्तुका:** क़ीमत कम लगाना।

फ़ायदा : हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने जब हज़रत जाबिर और उसके ऊँट के हक़ में दुआ फ़रमाई, और उसे कचोका भी लगाया, तो आपकी दुआ और कचोके की बरकत से ऊँट बहुत तेज़ चलने लगा, तो आपने हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) के साथ प्यारो मोहब्बत का इज़हार करने के लिये ऊँट ख़रीदने की ख़्वाहिश का इज़हार फ़रमाया, और उसकी क़ीमत भी लगा दी, हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) ने तोहफ़ा देने की पेशकश कर दी, आप (ﷺ) ने क़ीमतन लेने पर इसरार किया, और क़ीमत में इज़ाफ़ा फ़रमाते रहे, इसलिए इस क़ीमत में बहुत इख़्तिलाफ़ वाक़ेअ हुआ है, इमाम बुख़ारी (रह.) ने एक औक़िया (चालीस दिरहम) को तर्जीह दी है, क्योंकि अक्सर रावियों से यही मनकूल है, आख़िरकार हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) ऊँट फ़रोख़्त करने के लिये आमादा हो गये, और अर्ज़ की, कि मैं ही इस पर सवार होकर मदीना जाऊँगा, और वहीं जाकर क़ीमत वसूल करूंगा, आपने उनकी इस बात को क़बूल कर लिया। इस हदीस़ से इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़, इमाम ओज़ाई वग़ैरहुम मोहद्दिसीन ने इस क़िस्म की शर्त के जवाज़ पर इस्तेदलाल किया है, शर्त लगाना जायज़ है, जरा बिहत्तआमुल, लोगों में जिसका रिवाज हो, तकमिला: जिल्द1, सफ़ा: 629, और सफ़ा: 635 और ये शर्त ऐसी है, नीज़ ये शर्त मुक़्तज़ाए अक़्द (सौदे के तक़ाज़े) के मुनाफ़ी नहीं है, क्योंकि इसमें किसी क़िस्म का नुक़सान, धोखा या ज़ुल्म व ज़्यादती नहीं है, बल्कि इस हदीस़ के मुताबिक़ है, जिससे उसके मुख़ालिफ़ीन इस्तेदलाल करते हैं, (नहन्नबी (ﷺ) अनिस्सुन्या इल्ला अय्युअलम) 'कि नबी अकरम (ﷺ) ने ना मालूम या मज्हूल इस्तसना से मना फ़रमाया।' जिसका मतलब हुआ, मालूम इस्तिसना जायज़ है, इसलिए हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) की शर्त लगाने के बाद आपने फ़रमाया: अन्क़र्नाक ज़हरतन या तब्लुगु अलैहि इला अह्लिक, कि हमने तेरी शर्त को क़बूल कर लिया, हम तुम्हें इसकी पुश्त पर सवार होने या इस पर घर पहुँचने की इजाज़त देते हैं, बाक़ी रहा ये मसला कि आपका मक़सद सौदा करना था ही नहीं, तो ये बात आपके ज़हन में तो हो सकती है, हज़रत जाबिर को ये मालूम न था, अइम्म-ए-सलासा, इमाम अबू हनीफ़ा,

इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई ने, इस हदीस़ को तबर्रोअ और एहसान पर महमूल किया है, शर्त तस्लीम नहीं किया, हालांकि इस रिवायत में शर्त का तज़किरा मौजूद है, इसलिए आज कल इस पर अ़मल है, जैसा कि ख़ुद अ़ल्लामा तक़ी ने ऐतराफ़ किया है, इसलिए हम्बली मौक़िफ़ को क़बूल कर लेने की तल्क़ीन की है। (तकमिला जिल्द: 1, स़फ़ा: 636)

(4099) इमाम स़ाहब एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : ये रिवायत ऊपर गुज़र चुकी है: 4074 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ

(4100) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक ग़ज़्वा में शरीक हुआ, आप (ﷺ) मुझसे आ मिले, जबकि मैं पानी ढोने वाले ऊँट पर सवार था, जो थक चुका था, और तक़रीबन चलने से आ़जिज़ आ चुका था, तो आप (ﷺ) ने मुझे पूछा: 'तुम्हारे ऊँट को क्या हुआ?' मैंने अ़र्ज़ किया, वह बीमार है, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पीछे होकर उसको डाँटा और उसके लिये दुआ़ फ़रमाई, तो फिर वह मुसलसल ऊँटों के आगे चलने लगा, तो आपने मुझसे पूछा: 'अपने ऊँट को कैसा पा रहे हो?' मैंने अ़र्ज़ किया, बहुत बेहतर, इसे आपकी बरकत पहुँच चुकी है, आपने फ़रमाया, तो क्या इसे मुझे बेचोगे?' (आपके तकरार से) मुझे शर्म महसूस हुई, हालांकि हमारे पास इसके सिवा कोई पानी लाने वाला ऊँट न था, तो मैंने अ़र्ज़ किया, जी हाँ मैंने उसे आपको फ़रोख़्त कर दिया, इस शर्त पर कि मदीना पहुँचने तक मैं इस पर सवार होऊँगा, मरहमत फ़रमाइये, तो आपने मुझे इजाज़त

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَلاَحَقَ بِي وَتَحْتِي نَاضِحٌ لِي قَدْ أَعْيَا وَلاَ يَكَادُ يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِي " مَا لِبَعِيرِكَ " . قَالَ قُلْتُ عَلِيلٌ - قَالَ - فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ فَمَازَالَ بَيْنَ يَدَىِ الإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ . قَالَ فَقَالَ لِي " كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ " . قَالَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ . قَالَ " أَفَتَبِيعُنِيهِ " . فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ . فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ -

قَالَ - فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَرُوسٌ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى انْتَهَيْتُ فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلاَمَنِي فِيهِ - قَالَ - وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ " مَا تَزَوَّجْتَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا " . فَقُلْتُ لَهُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا . قَالَ " أَفَلاَ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُكَ وَتُلاَعِبُهَا " . فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوُفِّيَ وَالِدِي - أَوِ اسْتُشْهِدَ - وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ فَلاَ تُؤَدِّبُهُنَّ وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ - قَالَ - فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَىَّ .

इनायत फ़रमा दी, मैं मदीना तक लोगों के आगे रहा, यहाँ तक कि मैं अपने मन्ज़िल पर पहुँच गया, और मेरे मामू मुझे मिले, तो उन्होंने मुझसे ऊँट के बारे में पूछा, तो मैंने उसके बारे में जो कुछ किया, उन्हें बता दिया, उसके बारे में उन्होंने मुझे मलामत की, और जब मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इजाज़त तलब की थी, आपने मुझसे पूछा था, 'किस से शादी की है? दो शैज़ा (कुँवारी) से या शौहर दीदा से?' तो मैंने आपको बताया, मैंने शौहर दीदा (शादी शुदा) से शादी की है, आपने फ़रमाया, 'कुँवारी से शादी क्यों नहीं की! तुम उससे अठकेलियाँ करते, वह तुमसे अठकेलियाँ करती, 'मैंने आपसे अ़र्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे वालिद फ़ौत हो गये या शहीद हो गये, और मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, तो मैंने नापसन्द किया, कि उनके पास उन जैसी ब्याह कर ले आऊँ, जो न उनको अदब सिखाये और न उनकी निगहदाश्त कर सके, इसलिए मैंने बेवा से शादी कर ली ताकि वह उनकी देख भाल करे, और उन्हें सलीक़ा सिखाये, तो जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना पहुँच गये, मैं ऊँट लेकर आपके पास हाज़िर हो गया, तो आपने मुझे इसकी क़ीमत इनायत फ़रमाई, और उसे भी मुझे लौटा दिया।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4074 में देखें।

फायदा : आज कल मशीनी चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख़्त में ये शर्त लगाई जा रही है कि इतने अ़र्सा तक अगर इस मशीन (पंखा, फ्रीज़, कपड़े धोने की मशीन, एयर कंडीशन वग़ैरह) में ख़राबी पैदा होगी तो उसकी इस्लाह व दुरूस्ती या मरम्मत का ज़िम्मेदार दूकानदार होगा, और इस शर्त पर कोई ऐतराज़ नहीं होता, इसलिए सही बात यही है कि अगर किसी शर्त से एक फ़रीक़ को फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन

उसमें ग़रर, ज़रर, सूद या तनाज़ा का ख़तरा नहीं है, तो वह शर्त सही होगी, अल्लामा तक़ी (रह.) ने लिखा है कि (फ़इन्ना हाज़श्शर्त जाइज़ुन लिशुयूइत्तआमुलि बिहा) तो ये शर्त जायज़ है क्योंकि इस पर मामला करना रिवाज पा चुका है। (तकमिला, जिल्द: 1, सफ़ा: 635) ये वाक़िया जंगे तबूक या ग़ज़्व–ए–ज़ातुर रिक़ाअ में पेश आया था।

(4101) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मक्का से मदीना की तरफ़ बढ़े, तो मेरा ऊँट बीमार हो गया, आगे हदीस पूरा वाक़िया समेत सुनाई, जिसमें ये भी है, फिर आप (ﷺ) ने मुझे फ़रमाया: 'अपना ये ऊँट मुझे बेच दो', मैंने अर्ज़ किया, नहीं ये आपका ही तो है, आपने फ़रमाया: 'नहीं, बल्कि मुझे इसे बेचो।' मैंने अर्ज़ किया, तो मुझ पर एक आदमी का औक़िया सोना क़र्ज़ा है, इसके ऐवज़, ये आपको देता हूँ, आपने फ़रमाया, 'मैंने इसे ले लिया, तू इस पर मदीना तक पहुँच', तो जब मैं मदीना पहुँच गया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत बिलाल (ﷺ) को फ़रमाया: 'इसे सोने का एक औक़िया दो और ज़्यादा भी दो।' तो उसने मुझे सोने का औक़िया दिया, और मुझे एक क़ीरात ज़्यादा दिया, मैंने दिल में कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) का इज़ाफ़ा कभी मुझसे जुदा नहीं होगा, तो वह मेरे कीसा (थेली) में रहा, यहाँ तक कि हर्रा के दिन, अहले शाम ने वह मुझसे ले लिया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2718, नसाई: 7/298, 299.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَلَّ جَمَلِي . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَفِيهِ ثُمَّ قَالَ لِي " بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا " . قَالَ قُلْتُ لاَ بَلْ هُوَ لَكَ . قَالَ " لاَ بَلْ بِعْنِيهِ " . قَالَ قُلْتُ لاَ بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " لاَ بَلْ بِعْنِيهِ " . قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ لِرَجُلٍ عَلَىَّ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ فَهُوَ لَكَ بِهَا . قَالَ " قَدْ أَخَذْتُهُ فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ " . قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِبِلاَلٍ " أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزِدْهُ " . قَالَ فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزَادَنِي قِيرَاطًا - قَالَ - فَقُلْتُ لاَ تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ - فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ .

फ़ायदा : हर्रा का वाक़िया, यज़ीद के दौरे हुकूमत में 63 हिजरी में पेश आया।

(4102) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि एक सफ़र में हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ थे, तो मेरा पानी ढोने वाला ऊँट पीछे रह गया, और ऊपर दी गई रिवायत बयान की, और इसमें ये भी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कचोका लगाया, फिर मुझे फ़रमाया: 'बिस्मिल्लाह पढ़ कर इस पर सवार हो जा' और इसमें ये इज़ाफ़ा भी है, आप मुझे ज़्यादा की पेशकश करते रहे,और फ़रमाते: 'अल्लाह तुम्हें माफ़ फ़रमाये।'

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 3627 में देखें।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي، نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَتَخَلَّفَ نَاضِحِي . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَنَخَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ لِي " ارْكَبْ بِاسْمِ اللَّهِ " . وَزَادَ أَيْضًا قَالَ فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي وَيَقُولُ " وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ " .

(4103) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझ तक पहुँचे और मेरा ऊँट थक चुका था, आप (ﷺ) ने उसे कचोका लगाया, तो वह उछल पड़ा, उसके बाद मैं उसकी नकेल खींचता था ताकि मैं आपकी बात सुन सकूं, लेकिन वह मेरे क़ाबू नहीं आता था या उसकी तेज़ी से बात सुन नहीं सकता था, तो मुझ तक नबी अकरम (ﷺ) पहुँच गये, और फ़रमाया: 'इसे मुझे बेच दो।' तो मैंने उसे आपको पाँच औक़िया में बेच दिया, और मैंने कहा, इस शर्त पर कि मदीना तक इस पर मैं सवार होऊंगा, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, मदीना तक तुम ही इस पर सवार रहोगे।' तो जब मैं मदीना पहुँचा, इसे लेकर आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ, तो आपने मुझे एक औक़िया ज़्यादा दिया, फिर वह ऊँट भी मुझे हिबा कर दिया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2718.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَمَّا أَتَى عَلَىَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي - قَالَ - فَنَخَسَهُ فَوَثَبَ - فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْبِسُ خِطَامَهُ لأَسْمَعَ حَدِيثَهُ فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " بِعْنِيهِ " . فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ - قَالَ - قُلْتُ عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ . قَالَ " وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ " . قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ فَزَادَنِي وُقِيَّةً ثُمَّ وَهَبَهُ لِي .

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ - أَظُنُّهُ قَالَ غَازِيًا - وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ " يَا جَابِرُ أَتَوَفَّيْتَ الثَّمَنَ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ " .

(4104) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं, मैं आपके किसी सफ़र में आपके साथ शरीक था, रावी का ख़याल है, वह जंगी सफ़र था, आगे ऊपर दी गई हदीस़ बयान की, और इसमें ये इज़ाफ़ा किया, आपने फ़रमाया: 'ऐ जाबिर, क्या तूने पूरी क़ीमत वसूल कर ली है?' मैंने अ़र्ज़ किया, जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'क़ीमत भी तेरी, ऊँट भी तेरा, क़ीमत भी तेरी, ऊँट भी तुम्हारा।'

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 2470, 2761.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بِوُقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ - قَالَ - فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ فَأَرْجَحَ لِي .

(4105) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे ऊँट दो औक़िया और एक दिरहम या दो दिरहम में ख़रीदा, तो जब आप (मदीना के क़रीब) स़िरार नामी जगह पर पहुँचे, तो आपके हुक्म से गाय ज़बह की गई, सबने उसे खाया, तो जब हम मदीना पहुँचे, आपने मुझे, मस्जिद में पहुँच कर दो रकअ़त नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, और मुझे ऊँट की क़ीमत तौल दी और पलड़ा झुका कर दी।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 1653 में देखें।

फायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, सफ़र से वापसी पर, मस्जिद में दो रकअ़त पढ़ना बेहतर है, या मस्जिद में पहुँच कर दो रकअ़त पढ़ना चाहिए, क्योंकि, वह अपने घर पहुँचने के बाद आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूए थे, ये नहीं है कि अभी घर गये ही नहीं थे, नीज़ ये भी स़ाबित हुआ, अपने तौर पर किसी को क़ीमत से ज़्यादा अदा करना पसन्दीदा है।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا مُحَارِبٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذِهِ الْقِصَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوُقِيَّتَيْنِ وَالدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ ‏.‏ وَقَالَ أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَنُحِرَتْ ثُمَّ قَسَمَ لَحْمَهَا ‏.‏

(4106) इमाम साहब, हज़रत जाबिर (ﷺ) से ऊपर दिया गया वाक़िया बयान करते हैं, इसमें ये है, आप(ﷺ) ने मुझसे ऊँट मुतय्यन क़ीमत पर ख़रीदा, दो औक़िया और एक दिरहम या दो दिरहम का तज़किरा नहीं किया, और ये है कि आपके हुक्म से गाय नहर की गयी, फिर आपने उसका गोश्त तक़सीम कर दिया।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 1653 में देखें।

फ़ायदा : ज़बह और नहर का लफ़्ज़ एक दूसरे के मानी में आ जाते हैं, इसलिए ऊपर दी गई रिवायत में ज़बह का और इसमें नहर का लफ़्ज़ आया है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ ‏"‏ قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ‏"‏ ‏.‏

(4107) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने उसे फ़रमाया: 'मैंने तेरा ऊँट चार दीनार में ले लिया, और मदीना तक तुम इस पर सवार रहोगे।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2309, 2718.

(22) باب
مَنِ استَسلَفَ شَيئًافَقَضٰى خَيرًا مِنهُ وَخَيرُكُم أَحسَنُكُم قَضَآءً

बाब : 22
कोई चीज़ उधार लेकर, उससे बेहतर अदा करना, आप (ﷺ) का फ़रमान है, तुममें से बेहतर वह है, जो क़र्ज़ बेहतर तौर पर अदा करता है

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ، أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي

(4108) हज़रत अबू राफ़ेअ (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी से जवान ऊँट क़र्ज़ लिया, फिर आप (ﷺ) के पास सदक़ा के ऊँट आये तो आपने अबू राफ़ेअ (ﷺ) को हुक्म दिया कि उस

رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا . فَقَالَ " أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً " .

आदमी को उसके (जवान ऊँट के ऐवज़) जवान ऊँट दे दो, तो अबू राफ़ेअ(ﷺ) ने वापस आकर आपको बताया कि मुझे उन ऊँटों में इससे बेहतर सातवें साल का ऊँट ही मिलता है, तो आपने फ़रमायाः 'उसे वही दे दो, क्योंकि बेहतरीन लोग वही हैं, जो क़र्ज़ बेहतर अन्दाज़ में अदा करते हैं।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊदः 3346, जामेअ तिर्मिज़ीः 1318, नसाईः 7/291, सुनन इब्ने माजाः 2285.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) बकरः नौजवान ऊँट। **(2) रूबाईः** जो छः साल का हो चुका हो और सातवें में दाख़िल हो।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि ज़रूरत के तहत हैवान क़र्ज़ लेना जायज़ है, अइम्म-ए स़लास़ा इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) और जुम्हूर फ़ुक़हा का यही मौक़िफ़ है, लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक किसी क़िस्म का हैवान क़र्ज़ लेना कि हम इस क़िस्म का हैवान दे देंगे, जायज़ नहीं है, क्योंकि हैवान उनके नज़दीक मिस्ली चीज़ों में दाख़िल नहीं है, कि उसकी मिस्ल (उस जैसी चीज़) अदा की जा सके, बल्कि उन चीज़ों में से है जिनकी क़ीमत अदा करनी होती है, और इन स़रीह अहादीस़ की वह तावील करते हैं, जो दुरूस्त सोच नहीं है, क्योंकि बिला दलील किसी हदीस़ को मन्सूख़ क़रार देना, या इसमें तख़्सीस़ पैदा करना, या इसके मुक़ाबले में स़हाबा (ﷺ) के अक़्वाल पेश करना पसन्दीदा रविश नहीं है, तावील अहादीस़ की बजाये, स़हाबा के अक़्वाल में की जायेगी, नीज़ इस हदीस़ से ये भी स़ाबित होता है कि क़र्ज़ चुकाते वक़्त, अपनी तरफ़ से, अपनी मर्ज़ी से, बिला शर्त, बेहतर चीज़ या ज़्यादा चीज़ देना, अख़्लाक़े हसना में दाख़िल है और पसन्दीदा तर्ज़े अमल है।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَكْرًا . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً " .

(4109) रसूलुल्लाह (ﷺ) के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत अबू राफ़ेअ (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक जवान ऊँट क़र्ज़ लिया, आगे ऊपर दी गई हदीस़ है, इतना फ़र्क़ है कि आप (ﷺ) ने फ़रमायाः 'अल्लाह के बेहतरीन बंदे, वह हैं जो अदायगी में बेहतरीन हैं।'

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी हैः 4084 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً - فَقَالَ لَهُمْ - اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ " . فَقَالُوا إِنَّا لاَ نَجِدُ إِلاَّ سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ . قَالَ " فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ - أَوْ خَيْرَكُمْ - أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً " .

(4110) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि एक आदमी का रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़िम्मा हक़ (क़र्ज़) था, तो उसने आपसे सख़्त लहजा से तक़ाज़ा किया, जिस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबा ने उसे सबक़ सिखाने का इरादा किया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'साहबे हक़ को बात कहने का हक़ हासिल है', और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सहाबा को फ़रमाया: '(इसकी उम्र का) ऊँट ख़रीद कर इसे दे दो।' उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं इसके जानवर की उम्र से बेहतर उम्र का जानवर मिलता है, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वही ख़रीद कर इसे दे दो', क्योंकि तुममें से बेहतरीन, या तुम्हारे बेहतरीन अफ़राद वही हैं, जो क़र्ज़ अदा करने में बेहतरीन हैं।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2305, 2306, 2390, 2392, 2393, 2606, 2609, 2401, जामेअ तिर्मिज़ी: 1216, 1317, नसाई: 7/291, 7/318, सुनन इब्ने माजा: 2423.

फ़ायदा : मक़रूज़, अगर क़र्ज़ ख़्वाह का क़र्ज अदा करने में टाल मटोल या ताख़ीरी हरबे इख़्तियार करे, तो क़र्ज़ ख़्वाह सख़्त रवैया इख़्तियार कर सकता है, लेकिन अगर मक़रूज़ मुन्सिफ़ाना रवैया इख़्तियार करे, या जायज़ उज़्र पेश करे तो फिर बिला वजह शिद्दत बरतना जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मक़रूज़ को, क़र्ज़ ख़्वाह की सख़्त कलामी को जो बिला महल और नामुनासिब हो, हर मुमकिन बरदाश्त करना चाहिए, क्योंकि वह साहबे हक़ है, ग़ुस्से में आ सकता है, इसलिए रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़र्ज़ख़्वाह का जो बक़ौल इमाम क़ुर्तुबी, यहूदी था, या बक़ौल अल्लामा मुल्ला अली क़ारी बद्दू या कमज़ोर ईमान वाला था, उसका नामाक़ूल रवैया बरदाश्त किया, हालांकि आप (ﷺ) ने तो टाल मटोल या ताख़ीरी हरबे से काम नहीं लिया था और उसके बावजूद आपने सहाबा किराम को उसको कुछ कहने से रोक दिया।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ " خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً " .

(4111) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक कम उम्र जानवर क़र्ज़ लिया और उससे बड़ी उमर का दिया, और फ़रमाया: 'तुममें से बेहतरीन लोग वही हैं, जो क़र्ज़ अदा करने में बेहतरीन हैं।'

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4086 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस : महासिनः महसन या अहसन की जमा है, जिसको आम तौर पर इहासिन ही से ताबीर किया जाता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا فَقَالَ " أَعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ - وَقَالَ - خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً " .

(4112) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास अपने ऊँट का मुतालबा करने आया, तो आपने फ़रमाया, 'इससे ज़्यादा उम्र का इनायत करो।' और फ़रमाया: 'तुममें से ख़ैर (आली व उम्दा) वही हैं, जो क़र्ज़ चुकाने में अच्छे हैं।'

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4086 में देखें।

(23) باب
جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيْوَانِ مِن جِنسِهِ مُتَفَاضِلًا

बाब : 23
जानवर के ऐवज़, उस जिन्स का जानवर कमी व बेशी की सूरत में बेचना जायज़ है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَابْنُ، رُمْحٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنِيهِ قُتَيْبَةُ، بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه

(4113) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि एक ग़ुलाम आया, और उसने नबी अकरम (ﷺ) से हिजरत पर बैत की और आपको ये महसूस न हुआ कि ये ग़ुलाम है, तो उसका आक़ा उसे लेने के लिये आ गया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे कहा, 'इसे मुझे

وسلم عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " بِعْنِيهِ " . فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ " أَعَبْدٌ هُوَ " .

फ़रोख़्त कर दो' और आपने उसे दो स्याह गुलामों के ऐवज़ ख़रीद लिया, फिर उसके बाद आप (ﷺ) ने किसी से बैत नहीं ली, यहाँ तक कि आप उससे पूछ लेते: 'क्या वह गुलाम है?'

तख़रीज : जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1239, 1596.

फायदा : हुज़ूर अकरम (ﷺ) चूंकि, ग़ैब का इल्म नहीं रखते थे, इसलिए आप (ﷺ) ने गुलाम की हिजरत पर बैत क़बूल फ़रमा ली, हालांकि गुलाम, मालिक की इजाज़त के बग़ैर हिजरत नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि आपने बैत क़बूल फ़रमा ली थी, इसलिए आपने उसको उसके आक़ा की तरफ़ लौटाना मुनासिब ख़्याल न किया, और अख़्लाक़े करीमाना की बिना पर, उसके मालिक से उसे दो गुलामों के ऐवज़ ख़रीद लिया, हैवानात की नक़द ब नक़द कमी व बेशी के साथ बैअ बिल इत्तेफ़ाक़ जायज़ है, और उधार की सूरत में अइम्म–ए–हिजाज़ (मालिक, शाफ़ेई, अहमद) और जुम्हूर के नज़दीक जायज़ है, क्योंकि आपने एक ग़ज़्वा की तैयारी के लिये, एक ऊँट, दो ऊँट के ऐवज़ उधार लिया था, लेकिन अइम्म–ए–अहनाफ़ के नज़दीक हैवान के ऐवज़ उधार बैअ जायज़ नहीं है, और जिस हदीस़ से उन्होंने इस्तेदलाल किया है, उसका मानी है कि दोनों तरफ़ उधार हो, तो फिर जायज़ नहीं है।

(24) باب
الرَّهنِ وَجَوَازِهِ فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ

बाब : 24
सफ़र और हज़र में रहन (गिरवी रखना) जायज़ है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا .

(4114) इमाम स़ाहब अपने तीन उस्तादों से बयान करते हैं कि हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक यहूदी से ग़ल्ला (तआम) उधार ख़रीदा और उसे अपनी ज़िरह बतौर रहन (गिरवी) दे दी।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2068, 2096, 2200, 2251, 2252, 2386, 2509, 2513, 2916, 4467, नसाई: 7/288, 4664, सुनन इब्ने माजा: 2436.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ، يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .

(4115) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं कि हज़रत आयशा (ﷺ) ने बताया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक यहूदी से तआम (अनाज) ख़रीदा और उसके पास लोहे की ज़िरह गिरवी रख दी।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4090 में देखें।

حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَدِيدٍ.

(4116) इमाम आमश बयान करते हैं कि हमने इमाम नख़ई के सामने बैअे सलम में गिरवी रखने का ज़िक्र किया, तो उन्होंने हज़रत आयशा (ﷺ) की हदीस सुनाई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुद्दते मुतय्यना के उधार पर एक यहूदी से तआम ख़रीदा और उसके पास लोहे की ज़िरह गिरवी रख दी।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4090 में देखें।

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि ज़िम्मी काफ़िरों से लेन देन करना जायज़ है, और हज़र में भी सफ़र की तरह गिरवी रखना जायज़ है, क्योंकि इससे असल मक़सूद तो वसूक़ और ऐतमाद पैदा करना है, जिसकी ज़रूरत हज़र (इक़ामत) में भी पेश आ सकती है, अइम्म–ए–अरबआ और जुम्हूर फ़ुक़हा का यही नज़रिया है, लेकिन इमाम मुजाहिद और दाऊद ज़ाहिरी के नज़दीक मुक़ीम होने की सूरत में, गिरवी रखना जायज़ नहीं है, नीज़ इस हदीस से ये भी साबित हुआ कि बैअे सलम की सूरत में भी (जिसकी तफ़्सील अगले बाब में आ रही है) गिरवी रखना जायज़ है, और जंगी आलात भी गिरवी रखे जा सकते हैं, लेकिन जिन काफ़िरों से जंग है, उनके पास गिरवी रखना या उन्हें बेचना दुरूस्त नहीं है, बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत से मालूम होता है कि ये तआम, तीस साअ जौ थे, और इब्ने हिब्बान की रिवायत की रू से उनकी क़ीमत एक दीनार थी। (फ़तहुलबारी: जिल्द: 5, सफ़ा: 174)

बाब : 25
सलम (रक़म पहले दे देना और चीज़ कुछ मुद्दत के बाद लेना) (एडवांस)

(25) باب
السَّلَمِ

(4118) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷻ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाये तो लोग एक साल और दो साल के उधार पर फलों की बैअ़ करते थे, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने खजूरों की बैअ़े सलफ़ की, तो वह मुअ़य्यन माप, मुअ़य्यन तौल और वक़्ते मुक़र्ररा के लिये करे।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2239, 2240, 2241, 2253, सुनन अबू दाऊद: 3463, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1311, नसाई: 7/290, सुनन इब्ने माजा: 2280.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ " مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ".

मुफ़रदातुल हदीस़ : सलफ़ और सलम, दोनों हम वज़न और हम मानी हैं, अहले हिजाज़, सलम कहते हैं और अहले इराक़ सलफ़, चूंकि रक़म मज्लिसे बैअ़ में हवाले कर दी गई है, इसलिए ये सलम है और पहले रक़म देने की वजह से ये सलफ़ है, जिसमें क़ीमत नक़द अदा कर दी जाती है और चीज़ बाद में ली जाती है।

फ़ायदा : बैअ़े सलम के जवाज़ पर तमाम मुसलमानों का इत्तेफ़ाक़ है, लेकिन इमाम इब्ने हज़्म के नज़दीक इसका ताल्लुक़ कैली और वज़नी चीज़ों से है, जिन चीज़ों की पैमाइश की जाती है, या जिनको गिना जाता है, उनमें जायज़ नहीं है, और जुम्हूर फ़ुक़हा के नज़दीक हर सूरत में जायज़ है, लेकिन शर्त ये है, मामला हर ऐतबार से वाज़ेह हो, हर चीज़ का तअ़य्युन हो जाये, कोई ऐसी बात न रह जाये, जो इख़्तिलाफ़ या तनाज़ा का बाइस़ बनती है, जैसे मिक़्दार, मुद्दत, जिन्स (गेहूँ है, चावल है, जौ है) नौअ़ (क़िस्म), स़िफ़त व कैफ़ियत (आला क़िस्म या दरम्यानी) और क़ीमत हर चीज़ तफ़्सील से तै हो जाये, और अहनाफ़ के नज़दीक ये शर्त भी है कि वह चीज़, बैअ़ करते वक़्त मार्केट में मौजूद हो और मुद्दते मुक़र्ररा तक दस्तयाब हो लेकिन जुम्हूर के नज़दीक, मुद्दते मुक़र्ररा पर मौजूद होना ज़रूरी

है, बैअ के वक़्त मौजूद होना शर्त नहीं है, अ़ल्लामा तक़ी उस्मानी ने जुम्हूर के मौक़िफ़ को मुस्लिम के तक़ाज़ा और मक़सद के मुवाफ़िक़ क़रार दिया है। तकमिला, जिल्द: 1, सफ़ा: 655, इस तरह, ये भी तै होना चाहिए, कि वह चीज़ किस जगह वसूल की जायेगी, अगर फल या ग़ल्ला का ताल्लुक़ किसी मख़सूस बाग़ या खेत से हो, तो फिर बैअे सलम, पकने की सलाहियत के नुमायाँ होने के बाद हो सकेगी, पहले नहीं।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَسْلَفَ فَلاَ يُسْلِفْ إِلاَّ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ " .

(4119) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (﵁) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये और लोग बैअे सलफ़ करते थे, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया: 'जो बैअे सलफ़ करे, तो वह सिर्फ़ मालूम कैल और मालूम वज़न की सूरत में करे।'

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4094 में देखें।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ . وَلَمْ يَذْكُرْ " إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ " .

(4120) इमाम साहब अपने तीन और उस्तादों की सनद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, लेकिन इसमें वक़्त मालूम का ज़िक्र नहीं है।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4094 में देखें।

नोट : ऊपर दी गई रिवायत में अज्ले मालूम का लफ़्ज़ मौजूद नहीं है, लेकिन इब्ने उयय्ना की रिवायत में तो अज्ले मालूम का ज़िक्र मौजूद है, जैसा कि सबसे पहली हदीस में गुज़र चुका है, इसलिए यहाँ इब्ने उयय्ना की बजाये इब्ने उलय्या होना चाहिए, जैसा कि बुख़ारी शरीफ़ में है, और अगली रिवायत से भी यही मालूम होता है।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

(4121) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से, इब्ने उयय्ना की तरह रिवायत बयान करते

الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، بِإِسْنَادِهِمْ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ يَذْكُرُ فِيهِ " إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "

हैं, इसमें अज्ले मालूम का ज़िक्र मौजूद है।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4094 में देखें।

नोट : इस सनद में मौजूद सुफ़ियान, सुफ़ियान स़ौरी है, सुफ़ियान बिन उ़यय्ना नहीं है।

(26) باب
تَحرِيمِ الِاحتِكَارِ فِى الأَقْوَاتِ

बाब : 26
ग़िज़ाई चीज़ों का ज़ख़ीरा करना नाजायज़ है

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ " . فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ .

(4122) हज़रत मअ़मर (﵁) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने ज़ख़ीरा अन्दोज़ी की है, वह क़सूरवार है।' तो इस हदीस़ के रावी हज़रत सईद से पूछा गया, आप तो ज़ख़ीरा अन्दोज़ी करते हैं? सईद ने जवाब दिया, ये हदीस़ बयान करने वाले हज़रत मअ़मर(﵁) ख़ुद ज़ख़ीरा करते थे।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3447, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1267, सुनन इब्ने माजा: 2154.

मुफ़रदातुल हदीस़ : इह्तिकार, हकर, से माख़ूज़ है, जिसका मानी है जमा करना, रोक लेना, इसलिए हकरा का मानी होता है, महंगा बेचने के लिये रोक लेना, या जमा करना।

फ़ायदा : अइम्म-ए-अरबअ़ा के नज़दीक, ग़िज़ाई चीज़ों को ज़ख़ीरा करना, ताकि उनको महंगा बेचा जा सके, नाजायज़ है, और ग़िज़ाई चीज़ों के सिवा, दूसरी चीज़ों का ज़ख़ीरा करना, नाजायज़ नहीं है, और हज़रत मअ़मर और सईद, ज़ैतून के तेल का ज़ख़ीरा करते थे, इमाम इब्ने क़ुदामा हम्बली ने नाजायज़ इह्तिकार के लिये तीन शर्तें बयान की हैं– (1) चीज़ बाज़ार से ख़रीद कर ज़ख़ीरा करे, अपने खेत की चीज़ का स्टॉक कर लेना ज़ख़ीरा अन्दोज़ी नहीं है। (2) ऐसी चीज़ ज़ख़ीरा की जाये, जो ग़िज़ा के काम आती हो, इसलिए, सालन, शहद, हलवा, ज़ैतून का तेल और जानवरों का चारा इसमें दाख़िल नहीं है। (3) चीज़ पर मुकम्मल तौर पर क़ब्ज़ा कर लिया जाये, वह बाज़ार से दस्तयाब न हो, और लोगों को उसकी ज़रूरत हो, अगर चीज़ बाज़ार में दस्तयाब हो तो ये इह्तिकार नहीं हैं।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ " .

(4123) हज़रत मअमर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'गुनाहगार ही ज़ख़ीरा करता है।'

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4098 में देखें।

قَالَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ مُسْلِمٌ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ، أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ، بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى .

(4124) इमाम स़ाहब अपने एक मज्हूल साथी से, पहली हदीस़ की तरह रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4098 में देखें।

नोट : इमाम स़ाहब मुताबअ़त के तौर पर, कुछ जगह मज्हूल रावी की रिवायत ले आते हैं, कुछ उ़लमा के बक़ौल ऐसा चौदह मक़ामात पर हुआ है, लेकिन इसको मुन्क़तअ़ रिवायत क़रार देना दुरूस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ रावी का तज़किरा मौजूद है, लेकिन वह मज्हूल है, और दूसरी रिवायात से इसकी ताईन हो सकती है, जैसा कि इस रावी का नाम सुनन अबू दाऊद में वहब बिन बक़िया है, (शरह नववी, जिल्द: 2, स़फ़ा: 22) लेकिन इसमें ये इश्काल है कि वहब बिन बक़िया, तो ख़ालिद बिन अ़ब्दुल्लाह का शागिर्द है गोया अ़म्र बिन औ़न का साथी है, और यहाँ मज्हूल रावी, अ़म्र बिन औ़न का शागिर्द है।

बाब : 27
बैअ में क़सम उठाना, नाजायज़ है

(27) باب
النَّهيِ عَنِ الحَلِفِ فِى البَيعِ

(4125) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से हज़रत अबू हुरैरह (﵁) की रिवायत बयान करते हैं, कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हूए सुना, 'क़सम सामान को क़ाबिले पज़ीराई बनाने वाली है, और नफ़ा को मिटाने का सबब है।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2087, सुनन अबू दाऊद: 3335, नसाई: 7/273, 274.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الأُمَوِيُّ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كِلاَهُمَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ " .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) मनफ़क़ा: नफ़ाक़ से माख़ूज़ है, जिसका मानी रिवाज देना, ग्राहकों के लिये पुरकशिश बनाना, गोया मस्दर मीमी यहाँ फ़ाइल के मानी में है। **(2) ममहक़तुन:** महक़ से माख़ूज़ है, मिटाना, बर्बाद करना।

फ़ायदा : सौदे में बिला ज़रूरत क़सम उठाना जायज़ नहीं है, क्योंकि जो इंसान क़सम उठाने का आदी हो जाता है, उसके दिल से अल्लाह तआला की हैबत और अज़मत निकल जाती है, और वह लोगों को धोखा देने के लिए झूठी क़सम उठाने लगता है, इससे सौदा तो बिक जाता है, लेकिन बरकत ख़त्म हो जाती है।

(4126) हज़रत अबू क़तादा अन्सारी (﵁) की रिवायत, इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से बयान करते हैं, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम ज़्यादा क़समें उठाने से बचो, क्योंकि इससे सौदे को तो रिवाज मिल जाता है, लेकिन वह उसकी (बरकत को भी मिटाती है।)

तख़रीज : नसाई: 4472, सुनन इब्ने माजा: 2209.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ " .

बाब : 28
शुफ़्आ का बयान

(28) باب
الشُّفْعَةِ

(4127) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस इंसान का दूसरा इंसान, घर, मन्ज़िल या नख़लिस्तान में शरीक हो उसके लिये जायज़ नहीं है कि अपने शरीक को बताये बग़ैर किसी को बेच दे, अगर उसे पसन्द हो तो ख़रीद ले, और अगर नापसन्द हो तो छोड़ दे।'

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ"

मुफ़रदातुल हदीस़ : रब्अतुन या रब्उन: घर, मस्कन या ज़मीन है, अस़ल में उस घर को कहते हैं, जिसमें इंसान मौसमे बहार में रहता है, फिर हर घर पर इतलाक़ करने लगे, और कुछ दफ़ा ज़मीन को भी रब्उन कह देते हैं।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, शरीक (हिस्सेदार) अपना हिस्सा दूसरे हिस्सेदार को बताये बग़ैर फ़रोख़्त नहीं कर सकता, इत्तिला देने के बाद, अगर उसनेआगे फ़रोख़्त करने की इजाज़त दे दी है, तो फिर हक़्क़े शुफ़्आ साक़ित हो जायेगा, इमाम स़ौरी, अबू उबैद और मोहद्दिस़ीन का यही मौक़िफ़ है, और इमाम अहमद का एक क़ौल यही है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई के नज़दीक, बैअ से पहले की इजाज़ से हक़्क़े शुफ़्आ साक़ित नहीं होगा, और इमाम अहमद का दूसरा क़ौल यही है, और ये हज़रात इस हदीस़ की तावील करते हैं, जो क़ाबिले इत्मिनान नहीं है।

(4128) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हक़्क़े शुफ़्आ हर उस माल में रखा, जिसमें हिस्सेदारी हो, और तक़सीम न हुआ हो, मकान हो या बाग़, शरीक के लिये जायज़ नहीं है कि अपने हिस्सेदार को बताये बग़ैर फ़रोख़्त करे, अगर

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ نُمَيْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ

جَابِرٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ . لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

वह चाहे तो ले ले और अगर चाहे तो छोड़ दे और अगर उसको इत्तिला दिये बग़ैर बेच दिया, तो शरीक ही उसका हक़दार है।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3513, नसाई: 7/301, 302, 7/320.

मुफ़रदातुल हदीस़ : शुफ़्आ: शफ़अ (जोड़ा) से माख़ूज़ है, एक चीज़ को दूसरी के साथ मिलाना, क्योंकि स़ाहबे शुफ़्आ, हक़्क़े शुफ़्आ वाली चीज़ को अपनी मिल्कियत की चीज़ के साथ मिला लेता है।
फ़ायदा : अइम्म–ए–अरबअ और जुम्हूर फ़ुक़हा के नज़दीक हक़्क़े शुफ़्आ का ताल्लुक़ सिर्फ़ ग़ैर मनक़ूला जायदाद से है, जैसा कि हदीस़ में, ज़मीन, घर, और बाग़ की तस़रीह से मालूम होता है, लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हज़्म के नज़दीक हर मुश्तरका चीज़ में है, मनक़ूल हो या ग़ैर मनक़ूल हक़्क़े शुफ़्आ स़ाबित है, और अइम्म–ए–हिजाज़ (मालिक, शाफ़ेई, अहमद) के नज़दीक हक़्क़े शुफ़्आ, सिर्फ़ हिस्सेदार को हासिल है, अगर हिस्सेदार नहीं है, तो फिर हक़्क़े शुफ़्आ हासिल नहीं है, और जहाँ चार को हक़्क़े शुफ़्आ दिया गया है, वहाँ मुराद, चार (पड़ौसी) शरीक है, वरना अल्जारू अहक़्क़ु बिसक़्बिही, कि पड़ौसी अपने क़ुर्बत की वजह से ज़्यादा हक़दार है या जारूद्दार अहक़्क़ु बिजारिद्दार, पड़ौसी, पड़ौसी के घर का ज़्यादा हक़दार है, का मानी होगा कि वह हिस्सेदार से भी ज़्यादा हक़दार है, क्योंकि हिस्सेदार ज़रूरी नहीं है, पड़ौसी हो, हालांकि अहनाफ़ के नज़दीक सबसे ज़्यादा हक़दार, हिस्सेदार है, इसके बाद ख़लीत यानी मुबीअ के हुक़ूक़ में शरीक, जो रास्ता या पानी में शरीक है, आख़िर में पड़ौसी का दर्जा है, और इमाम शाह वलीउल्लाह के नज़दीक पड़ौसी, क़ानूनी रू से तो हक़दार नहीं है, लेकिन अख़्लाक़ी रू से हक़दार है, और अद्दीनु अन्नस़ीहा, दीन हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही के नाम का तक़ाज़ा यही है। हुज्जतुल्लाह, जिल्द: 2, स़फ़ा: 113.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ

(4129) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'शुफ़्आ हर मुश्तरका चीज़ में है, ज़मीन हो, या मकान या बाग़ (एक शरीक के लिये) जायज़ नहीं है, कि अपने शरीक पर पेश किये बग़ैर फ़रोख़्त कर दे, शरीक ले ले, या छोड़ दे, अगर वह शरीक को इत्तिला देने

أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ "

से इंकारी है, तो वही हक़दार है, जब तक उसको इत्तिला न दे।'

तख़रीज : ये हदीस ऊपर बयान की जा चुकी है: 4101 में देखें।

फ़ायदा : अश्शुफ़्अतु फ़ी कुल्लि शिर्किन: कि शुफ़आ, शिर्कत और हिस्सेदारी वाली चीज़ में है, इस बात की दलील है, अगर हिस्सेदारी न हो, तो हक़्क़े शुफ़आ क़ानूनी तौर पर हासिल नहीं होगा, हाँ मालिक अपनी मर्ज़ी से पड़ौसी को दे दे,तो बेहतर है।

(29) باب
غَرْزِ الخَشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

बाब : 29
पड़ौसी की दीवार में लकड़ी गाड़ना

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ " . قَالَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ .

(4130) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स अपने पड़ौसी को अपनी दीवार में लकड़ी गाड़ने से मना न करे।'

फिर हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़रमाते, क्या सबब है कि मैं तुम्हें इस हुक्म से ऐराज़ करते हुए देखता हूँ, अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हारे कंधों पर रखूंगा, या खुल कर ये हदीस तुम्हारे सामने बयान करूंगा।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2463, सुनन अबू दाऊद: 3634, जामेअ तिर्मिज़ी: 1353, सुनन इब्ने माजा: 2335.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ، الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(4131) इमाम साहब अपने पाँच और उस्तादों की इस्नाद से, ज़ोहरी की सनद ही से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4106 में देखें।

फ़ायदा : हमसाया, अपने पड़ौसी को अपनी दीवार में लकड़ी, शहतीर वग़ैरह गाड़ लेने दे, जबकि उसकी दीवार को उससे किसी क़िस्म का नुक़सान न पहुँचता हो, ये हुक्म इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई के क़ौले जदीद की रू से अख़्लाक़ी हक़ है, क़ानूनी हक़ नहीं है, मकारिमे अख़्लाक़ का तक़ाज़ा यही है, लेकिन इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़, और कुछ अहले ज़ाहिर और इब्ने हबीब मालकी के नज़दीक ये क़ानूनी हक़ है और लाज़िम है, और हज़रत अबू हुरैरह जब मदीना मुनव्वरा के गर्वनर थे, तो फ़रमाते थे, मैं ये काम जबरन करूंगा, जिससे मालूम होता है, अक्सर लोग इसको इस्तेहबाबी काम तसव्वुर करते थे, सही बात यही मालूम होती है कि ये अख़्लाक़ी हक़ है और मालिक बिला वजह हठधर्मी करते हुए अगर इजाज़त न दे, तो कुछ मौक़ो और मसालेह के तहत हाकिम इस पर जबरन अमल करवा सकता है।

बाब : 30
ज़ुल्म और किसी की ज़मीन वग़ैरह ग़सब करना हराम है

(30) باب
تَحرِيمِ الظُّلْمِ وَغَصبِ الأَرضِ وَغَيرِهَا

(4132) हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जिसने किसी की एक बालिश्त ज़मीन ज़ुल्म करते हुए क़ब्ज़ा में ले ली, अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसे सातों ज़मीनों से उस क़द्र तौक़ बनाकर पहनायेगा।**

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : इक़्ततआ: ग़सब कर लिया, नाजयज़ तौर पर क़ब्ज़ा कर लिया।

फ़ायदा : (1) इस हदीस़ से साबित होता है कि ज़मीन सात हैं, और उनका तौक़ बनाना इस बात की दलील है कि वह ऊपर नीचे हैं, और क़ुर्आन मजीद की आयत (व मिनल अर्ज़ि मिस्लुहुन्ना) ज़मीनें भी (आसमानों) जितनी हैं, इस का मूईद है, लेकिन इसकी हैसियत व कैफ़ियत को पूरी तरह क़ुर्आन व हदीस़ में बयान नहीं किया गया, असल मक़सद यहाँ ज़ुल्म व ज़्यादती से डराना और बाज़ रखना है कि मामूली ज़ुल्म के नताइज भी इन्तेहाई संगीन निकलेंगे। (2) इस हदीस़ की तशरीह और तौजीह में उलमा के

अक़वाल नीचे दिये गये हैं:– **(अ)** ज़मीन ग़सब करने वाले को इस चीज़ का मुकल्लफ़ ठहरा दिया जायेगा, कि उसने जितनी ज़मीन ग़सब की थी, उतनी ज़मीन, सातों ज़मीनों तक उठाकर मैदाने महशर में लायेगा, लेकिन वह ये काम नहीं कर सकेगा, और ये ज़िम्मेदारी उसके गले का हार बन जायेगी। **(ब)** उस शख़्स को इतनी ज़मीन, मैदाने महशर तक लाने का ज़िम्मेदार ठहराया जायेगा, और इसके लिए उसकी गर्दन को वसीअ करके, इतनी मिट्टी को उसके गले में तौक़ बनाकर डाल दिया जायेगा। **(स)** उस शख़्स को सात ज़मीनों तक ज़मीन में धँसा दिया जायेगा, और इस तरह सारी ज़मीन उसके गले का तौक़ होगी, (उस शख़्स को अल्लाह तआला की तरफ़ से हुक्म होगा कि इतनी ज़मीन गले का तौक़ बना, लेकिन ये काम कर नहीं सकेगा, इस तरह वह मुसलसल अज़ाब में मुब्तला रहेगा।) **(द)** इस ज़ुल्म व ज़्यादती का गुनाह, उसके गले का हार होगा, वह उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकेगा। (फ़तहुलबारी, जिल्द: 5, सफ़ा: 130, दारूस्सलाम) इस हदीस से साबित होता है, ज़मीन पर मिल्कियत हो सकती है, और दूसरा उस पर ग़ासिबाना क़ब्ज़ा कर सकता है, जिसकी सज़ा इन्तेहाई संगीन है।

(4133) हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल (ﷺ) से रिवायत है कि अर्वा नामी औरत ने, उनसे घर के कुछ हिस्से के बारे में झगड़ा किया, तो उन्होंने कहा, इस हिस्से को इस औरत के लिये छोड़ दो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है: 'जिसने एक बालिश्त ज़मीन नाहक़ ले ली, क़यामत के दिन, सातों ज़मीनों तक वह उसके गले का तौक़ बना दी जायेगी।' (फिर हज़रत सईद ने) दुआ की, ऐ अल्लाह! अगर ये औरत झूठी है, तो इस को अंधा कर दे और इसकी क़ब्र, इसके घर में बना दे, रावी बयान करता है कि मैंने उस औरत को देखा, अंधी हो चुकी थी, दीवारों को टटोलती फिरती थी, और कहती थी, मुझे सईद बिन ज़ैद की बद दुआ लग गई, इस दौरान कि वह घर में चल रही थी, घर के कूएँ के पास से गुज़री और उसमें गिर गई, और वही उसकी क़ब्र बना।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ أَرْوَى، خَاصَمَتْهُ فِي بَعْضِ دَارِهِ فَقَالَ دَعُوهَا وَإِيَّاهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا . قَالَ فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ تَقُولُ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ . فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ فَوَقَعَتْ فِيهَا فَكَانَتْ قَبْرَهَا .

फ़वाइद : (1) इस हदीस से उलमा ने ये भी इस्तेम्बात किया है कि ज़मीन का मालिक, उसके इन्तेहाई नीचे हिस्से का भी मालिक है और उसकी इजाज़त के बग़ैर, उसके नीचे हिस्से से दूसरा फ़ायदा नहीं उठा सकता, और अगर उसकी ज़मीन से कोई गैस, तेल या कान निकलती है, तो वह उससे फ़ायदा उठा सकता है। (2) हज़रत सईद ने बद दुआ की थी कि वह अंधी होकर, घर के कूएँ में गिरे और वही उसकी क़ब्र बने, अल्लाह तआला ने उनकी दुआ क़बूल फ़रमाई और सईद अशर-ए मुबश्शरा में से थे।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ، ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ . فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ " . فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لاَ أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا . فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا . قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ .

(4134) हज़रत उर्वा (रज़ि.) बयान करते हैं कि अर्वा बिन्ते उवैस ने हज़रत सईद बिन ज़ैद (रज़ि.) के ख़िलाफ़ ये दावा किया, कि उसने उसकी कुछ ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर लिया है और वह मुक़द्दमा, मरवान बिन अलहकम (रह.) के पास ले गई, तो हज़रत सईद (रज़ि.) ने कहा, क्या मैं इसकी कुछ ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर सकता हूँ, जबकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है? मरवान (रह.) ने पूछा, आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से क्या सुना है, तो उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हूए सुना है कि: 'जिसने ज़ुल्म करते हूए एक बालिश्त ज़मीन ले ली, तो वह ज़मीन, सातों ज़मीनों तक उसका तौक़ बनाई जायेगी।' तो मरवान (रह.) ने उनसे कहा, इसके बाद मुझे आपसे बय्यिना (शहादत) माँगने की ज़रूरत नहीं है, तो हज़रत सईद (रज़ि.) ने दुआ की, ऐ अल्लाह! अगर ये झूठी है, तो इसकी बीनाई ज़ायल (ख़त्म) कर दे और इसे इसकी ज़मीन में हलाक कर, रावी कहता है कि वह औरत उस वक़्त तक नहीं मरी, जब तक उसकी नज़र ख़त्म नहीं हूई, फिर इस दौरान कि वह अपनी ज़मीन में चल रही थी, एक गड्ढे में गिर कर फ़ौत हो गई। तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3198.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ " .

(4135) हज़रत सईद बिन ज़ैद (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना: 'जिसने ज़ुल्म करते हूए, एक बालिश्त ज़मीन ले ली, तो क़यामत के दिन वह ज़मीन, सातों ज़मीनों तक उसका तौक़ बना दी जायेगी।'

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4110 में देखें।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

(4136) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई शख़्स किसी की एक बालिश्त ज़मीन भी नाहक़ नहीं लेगा, मगर क़यामत के दिन अल्लाह तआला, उसे सातों ज़मीनों तक उसका (गले का) तौक़ बना देगा।'

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ - حَدَّثَنَا حَرْبٌ، - وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ، إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ وَكَانَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ " .

(4137) हज़रत अबू सलमा (रह.) बयान करते हैं कि उनके और उनकी क़ौम के दरम्यान ज़मीन के बारे में झगड़ा था, तो वह हज़रत आयशा(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और उसका तज़किरा उनसे किया, तो उन्होंने फ़रमाया: ऐ अबू सलमा, इस ज़मीन से किनारा कश हो जा, क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'जिसने एक बालिश्त बराबर ज़मीन दबा ली, उसे सातों ज़मीनों का तौक़ डाला जायेगा।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2453, 3195.

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، أَخْبَرَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

(4138) इमाम साहब एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4113 में देखें।

(31) باب
قَدرِ الطَّرِيقِ إِذَااختَلَفُوافِيْهِ

बाब : 31
रास्ता के बारे में इख़्तिलाफ़ की सूरत में इसकी मिक़्दार (पैमाइश)

حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ " .

(4139) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम्हारा रास्ते के बारे में इख़्तिलाफ़ हो जाये, तो उसकी चौड़ाई सात हाथ रखी जायेगी।'

फ़ायदा : जब किसी नई आबादी में रास्ते या सड़कें बनाने की ज़रूरत पेश आये, तो उसमें उस दौर की ज़रूरियात और हालात का ख़्याल रख कर सड़कें बनाई जायेगी, असल मक़सद आमद व रफ़्त के लिये आसानी पैदा करना है, इसलिए जहाँ से छोटी सवारी गुज़रनी है, वहाँ छोटा रास्ता काम दे सकेगा, और जहाँ बड़ी गाड़ियाँ आनी हैं, वहाँ बड़े रास्ते की ज़रूरत होगी, इसलिए हर गली या मुहल्ले की सड़क शहर की बड़ी बड़ी सड़कों की तरह तो नहीं रखी जा सकती, लेकिन मुहल्ला वालों या गली वालों की ज़रूरत का लिहाज़ होगा, शख़्सी और इन्फ़ेरादी ज़रूरत के लिये छोटा रास्ता भी काफ़ी होगा।

किताबुल फ़राइज़ का तआरुफ़

फ़राइज़ फ़रीज़ा की जमा है। फ़र्ज़ लुग़त में मिक़्दार, अन्दाज़े और मुक़र्रर करने के मानी में आता है। अल फ़राइज़ (अल की तख़सीस के साथ) से मुराद वारेसीन के वह हिस्से हैं जिनकी मिक़्दार अल्लाह तआला ने अपनी किताब में मुक़र्रर फ़रमाई है। अल्लाह तआला ने विरासत की अहमियत के पेशे नज़र क़ुर्आन मजीद में विरासत की तक़सीम के अहकामात को बित्तफ़्सील बयान किया है, नमाज़ जैसे उमूर में भी उसूली हिदायात दी गई हैं और तफ़्सीलात रसूलुल्लाह (ﷺ) के अमल और क़ौल के ज़रिये से वाज़ेह होती हैं। इस्लाम का निज़ामे मीरास एक मुकम्मल निज़ाम (सिस्टम) है जिसका मुक़ाबला किसी और दीन या मुआशरे का कोई निज़ामे मीरास नहीं कर सकता। ये इन्तेहाई दानाई पर मबनी निज़ाम है, इक़्तेसादी (डेवलपमेंट) में मददगार है। ख़ानदानों में जिन अफ़राद को माली ज़िम्मेदारियों का अमीन बनाया गया है, उनके फ़राइज़ से मुकम्मल तौर पर हम आहन्ग है। तक़सीमे दौलत को यक़ीनी बनाता है और इन्साफ़ और अदल के तक़ाज़ों के ऐन मुताबिक़ है।

इस्लाम ने नसबी और इज़्दवाजी ताल्लुक़ को विरासत की तक़सीम की बुनियाद बनाया है। औरतों का हिस्सा उनकी ज़िम्मेदारी के तनासुब से मुक़र्रर किया है। उम्र में कमी बेशी किसी वारिस को उसके हिस्से से महरूम नहीं करती। न किसी के हिस्से में कमी या इज़ाफ़े का सबब है, जब ग़ुलामी क़ानूनी तौर पर जायज़ थी तो ग़ुलामी से आज़ादी अता करने के ताल्लुक़ को भी मल्हूज़े ख़ातिर रखा गया है लेकिन नसब और इज़्दवाजी ताल्लुक़ की क़ीमत पर नहीं।

मीरास से महरूमी के नुमायाँ तरीन असबाब दो हैं: (1) क़ातिल चाहे कितना क़रीबी रिश्ता क्यूँ न रखता हो मक़्तूल के विरासत से महरूम होगा। ये उसूल इन्सानी जानों की हिफ़ाज़त के लिये नागुज़ीर (ज़रूरी) है। (2) दीन में फ़र्क़। मुसलमान ग़ैर मुस्लिम का वारिस हो सकता है न ग़ैर मुस्लिम मुसलमान का वारिस हो सकता है। अगर अल्लाह के साथ ईमान और बन्दगी का रिश्ता मौजूद नहीं तो नसबी और इज़्दवाजी क़राबत ग़ैर मुताल्लिक़ हो जाती है। इसके अलावा ग़ुलामी महरूमी का एक सबब है। कुछ फ़ुक़हा ने हरबी और ग़ैर हरबी के दरम्यान विरासत ममनूअ क़रार दी है। कुछ ने लिआन को महरूमी के असबाब में शुमार किया है। कुछ औक़ात ऐसी सूरते हाल भी विरासत से महरूमी का सबब बनती है कि किसी का वारिस बनना ही उसके लिये महरूमी का सबब बनता हो, जैसे ज़ाहिरी तौर पर कोई शख़्स किसी बेटे का बाप न हो तो उसका भाई उसका वारिस बनेगा। अगर उस भाई को मालूम हो कि हक़ीक़त में उस शख़्स का कोई बेटा भी है जिसका किसी को इल्म नहीं तो उसकी शहादत से उस बेटे को मरने वाले की वलदियत हासिल हो जायेगी मगर इस सूरत में भाई ख़ुद महरूम हो जायेगा। अब नसब के

तहफ़्फ़ुज़ के लिये बेटा होने के बारे में भाई की शहादत क़बूल कर ली जायेगी लेकिन ऐसे बेटे को विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, अलबत्ता शहादत देने वाले चचा का फ़र्ज़ है कि वह मिलने वाला सारा माल भतीजे को दे दे क्योंकि ये माल उसके लिये हलाल नहीं।

वारिसों के रिश्ते बहुत पेचीदा होते हैं। दो तरफ़ा और एक तरफ़ा रिश्तों के हवाले से ये सूरत मज़ीद पेचीदा हो जाती है। उसके बावजूद क़ुर्आन ने मुक़र्रर करदा हिस्सों के निज़ाम को इन्तेहाई सादा और आसान रखा है। विरासत के हिस्से (अल फ़राइज़) छः मुक़र्रर किये गये हैं:

निस्फ़ (1/2), रूबुअ (1/4), सुमुन (1/8), सुलुसान (2/3–दो तिहाई), सुलुस (1/3–एक तिहाई) और सुदुस (1/6–छठा हिस्सा) आधा हक़ीक़ी बेटी, पोती, सगी बहन, पेदरी बहन और ख़ाविन्द को मिलता है जब उनके साथ ऐसे वारिस मौजूद न हों जो उनके लिये रूकावट बनते हैं। चौथा हिस्सा क़रीबतर वारिस की मौजूदगी में ख़ाविन्द को या रूकावट बनने वाले वारिस की अदमे मौजूदगी में बीवी/बीवियों को मिलता है। दो तिहाई, रूकावट बनने वाले वारिस की अदमे मौजूदगी में दो या ज़यादा हक़ीक़ी बेटियों या पोतियों या हक़ीक़ी बहनों या पेदरी बहनों को मिलता है। तिहाई अपनी या बेटी की औलाद या दो या दो से ज़्यादा भाईयों को, बहनों की अदमे मौजूदगी में माँ को, या दो या ज़्यादा मादरी भाईयों को मिलता है। ये कुल तरके का सुलुस है, कुछ वारिसों का हिस्सा देने के बाद बक़िया का तिहाई (सुलुस) मा बक़िया हक़ीक़ी माँ को मिलता है, या दादा और भाईयों की मौजूदगी में किसी और हिस्सेदार को इस सूरत में मिलता है जब उसके लिये ये हिस्सा दूसरे मुक़र्ररा हिस्से से बेहतर हो। छठा हिस्सा (सुदुस) बाप, माँ, या अपनी या बेटे की औलाद के होते हुये दादे को दादी/दो दादियों को जब वह इकट्ठी हों और बेटी की मौजूदगी में पोतियों को और हक़ीक़ी बहन की मौजूदगी में पेदरी बहन को या अकेली होने की सूरत में मादरी भाई बहन को मिलता है। ये सब हिस्से क़ुर्आन ने मुक़र्रर किये हैं, अलबत्ता दादियों के हिस्से का तअय्युन सुन्नत से हुआ है। ये सब वारेसीन अहलुल फ़राइज़ कहलाते हैं। क्योंकि इनके हिस्से फ़र्ज़ कर दिये गये हैं। अहले फ़राइज़ के हिस्से अदा करने के बाद बाक़ी के वारिस असबात होते हैं। उनका बयान अगली अहादीस में आयेगा।

كتاب الفرائض

किताबुल फ़राइज़

फ़राइज़, फ़रीज़ा : की जमा है, फ़रज़ा से माख़ूज़ है, जिसका मानी है, तै करना, मुक़र्रर करना, विरासत में चूंकि वारिसों के हिस्से अल्लाह तआला ने तै या मुक़र्रर कर दिये हैं, इसलिए विरासत के मसाइल को फ़राइज़ या फ़ुरूज़ से ताबीर करते हैं, और ये क़ुर्आन मजीद की आयत नसीबम् मफ़रूज़ा (तै शुदा, और मुक़र्ररा हिस्से) से माख़ूज़ है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ، حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " .

(4140) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमान, काफ़िर का वारिस़ नहीं होगा, और काफ़िर मुसलमान का वारिस़ नहीं बनेगा।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6764, 4283, सुनन अबू दाऊद: 2909, जामेअ तिर्मिज़ी: 2108, सुनन इब्ने माजा: 2729.

फायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि मुसलमान और काफ़िर एक दूसरे के वारिस़ नहीं बन सकते। अइम्म-ए-अरबआ और जुम्हूर फ़ुक़हा-ए-उम्मत के नज़दीक मुसलमान काफ़िर का वारिस़ नहीं बनेगा, लेकिन हज़रत मुआज़ बिन जबल और हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) के नज़दीक अगर काफ़िर का काफ़िर वारिस़ मौजूद न हो और वह दारूल इस्लाम में रहता हो, तो फिर उसका माल, बैतुलमाल की

बजाये, उसके क़रीबी मुसलमान को दे दिया जायेगा, लेकिन ये मौक़िफ़ सरीह हदीस के मुनाफ़ी है, इसलिए उम्मत ने इसको क़बूल नहीं किया, तो अगर जलीलुलक़द्र सहाबा का क़ौल, सही हदीस की मौजूदगी में मोतबर नहीं है, तो किसी इमाम का क़ौल कैसे मोतबर हो सकता है, इस तरह काफ़िर मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता, फ़ुक़हा–ए–उम्मत का इस पर इत्तेफ़ाक़ है, हाँ इतनी बात है कि काफ़िर अगर तक़सीमे तर्का से पहले मुसलमान हो जाये, तो कुछ सहाबा और इमाम अहमद के नज़दीक, वह वारिस होगा, लेकिन ज़ाहिरन वारिसों का तर्का में हक़, मय्यत की मौत से साबित हो जाता है, इसलिए जो मरते वक़्त, वारिस नहीं बनेगा, वह बाद में वारिस नहीं बन सकेगा, इसलिए हदीस का यही तक़ाज़ा है कि उसको वारिस न माना जाये, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई (रह.) का यही मौक़िफ़ है, और इमाम अहमद का भी एक क़ौल यही है।

बाब : 1
हिस्सेदारों को (जिनके हिस्से मुक़र्रर हैं) उनके हिस्से दे दो, और जो बच जाये, वह सबसे क़रीबी मुज़क्कर यानी मर्द को मिलेगा

باب(1)
أَلحِقُوا الفَرَايِضَ بِأَهلِهَا فَمَابَقِىَ فَلِأَولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

(4141) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हिस्सा वालों को उनके हिस्से दे दो, फिर जो बच जाये, वह उस मर्द का हिस्सा है, जो मय्यत का सबसे ज़्यादा क़रीबी है।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6732, 6735, 6737, 6746, सुनन अबू दाऊद: 2898, जामेअ तिर्मिज़ी: 2740.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، - وَهُوَ النَّرْسِيُّ - حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " .

फ़ायदा : फ़राइज़ से मुराद, वह हिस्से हैं, जो क़ुरआन मजीद में तै कर दिये गये हैं, और ये छ: हैं: **(1)** आधा, **(2)** चौथाई, **(3)** आठवाँ, **(4)** दो तिहाई, **(5)**, तिहाई, **(6)** छठा, और असहाबुल फ़रूज़ से मुराद, वह अफ़राद हैं जिनको ये हिस्से मिलते हैं, और ये चार मर्द (बाप, दादा, ख़ाविन्द, अख़्याफ़ी भाई) और आठ औरतें (बेटी, पोती, हक़ीक़ी बहन, अल्लाती बहन, अख़्याफ़ी बहन, बीवी, माँ और दादी, नानी) हैं, हक़ीक़ी बहन भाई, शक़ीक़ कहलाते हैं, बाप में शरीक अल्लाती और माँ शरीक

अख़्याफ़ी कहलाते हैं, और अगर असहाबुल फ़रूज़ से बच जाये, तो वह अस्बात को मिलता है, और इससे मुराद, वह मर्द हैं, जो मय्यत के रिश्तेदार हैं, लेकिन इनका हिस्सा मुक़र्रर नहीं है, या वह मर्द रिश्तेदार, जो मय्यत के बाप के वास्ते से रिश्तेदार हैं, जैसे मय्यत का बेटा, पोता, भाई और चचा वग़ैरह। इनमें से जो क़रीबी है, वह दूर वाले को महरूम कर देगा, इसलिए हदीस़ में औला या अदना की क़ैद लगाई है, और रजुल के बाद ज़कर इसलिए कहा ताकि ये न समझा जाये कि रजुल, कबीर (बड़ा) के मानी में है और सग़ीर (छोटा) के मुक़ाबले में है, बल्कि यहाँ उन्सा (मुअन्नस) के मुक़ाबले में है, जैसे एक इंसान फ़ौत हो जाता है, उसके सिर्फ़ एक बेटी मौजूद है, और उसका एक भाई ज़िन्दा है और एक चचा, तो बेटी को तर्का का आधा हिस्सा मिलेगा, और बाक़ी आधा भाई को मिलेगा, चचा को कुछ नहीं मिलेगा, और अगर भाई न हो तो, फिर बाक़ी आधा चचा को मिलेगा।

(4142) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अहले फ़ुरूज़ (मुक़र्ररा हिस्से वाले) को उनके हिस्से दे दो, और अहले फ़राइज़ जो छोड़ें, तो वह उस मर्द का है जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है।'

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4117 में देखें।

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " .

फ़ायदा : रजुल के साथ, ज़कर (मुज़क्कर) की क़ैद लगाने का एक सबब ये भी है कि हिस्सेदारी का सबब, उसका मुज़क्कर होना है और असबात असल में अस्बा बिनफ़्सिही हैं, जो मुज़क्कर (मेल) होंगे।

(4143) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से, हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की रिवायत बयान करते हैं, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अहले फ़राइज़ में, अल्लाह के क़ानून के मुताबिक़ तक़सीम करो, और जो अहले फ़राइज़ छोड़ दें, वह उस मर्द का हिस्सा है, जो सबसे ज़्यादा क़रीबी हो।'

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4117 में देखें।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - قَالَ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " .

(4144) इमाम साहब ऊपर दी गई रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4117 में देखें।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يَحْيَى، بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ .

बाब : 2
कलाला (जिसका न वालिद हो और न औलाद) या वह वारिस़ जो न उसूल से हो और न फ़ुरूअ से

باب(2)
مِيرَاثِ الْكَلاَلَةِ

(4145) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं बीमार पड़ गया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) और अबू बक्र पैदल चल कर मेरी बीमारपुर्सी के लिये तशरीफ़ लाये, तो मुझ पर ग़शी तारी हो गई, इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वुज़ू किया, फिर अपने वुज़ू का पानी मुझ पर डाला, तो मुझे होश आ गया, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने माल के बारे में क्या फ़ैसला करूं, कैसे तक़सीम करूं, तो आप (ﷺ) ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि विरासत की आयत उतरी, वह आप (ﷺ) से फ़तवा पूछते हैं, आप फ़रमा दीजिये, अल्लाह तआ़ला तुम्हें कलाला के बारे में जवाब देता है।' (निसा, आयत नम्बर 176)

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 565, 6723, 7309, सुनन अबू दाऊद: 2886, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 2097, 3015, नसाई: 1/84, सुनन इब्ने माजा: 1436.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ، الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِيَيْنِ فَأُغْمِيَ عَلَىَّ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَبَّ عَلَىَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ}

फायदा : इस हदीस़ से हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की अपने साथियों से हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही और आपकी सादगी व बे तकल्लुफ़ी का पता चलता है, कि आप पैदल चल कर बीमार पुर्सी के लिये चले जाते थे, और ये भी पता चलता है कि बेहोश पर वुज़ू का पानी डाला जा सकता है, और आपके वुज़ू के पानी की बरकत से होश में आने से ये इस्तेदलाल करना कि आस़ारे स़ालेहीन से बरकत लेना दुरूस्त है, सही नहीं है, क्योंकि दूसरे स़ालेहीन को आप (ﷺ) पर क़ियास करना दुरूस्त नहीं है, अगर ऐसा होता तो स़हाबा किराम अशर-ए-मुबश्शरा के बरकात का एहतिमाम करते, मज़ीद बरां अहनाफ़ के यहाँ तो, नबी अकरम (ﷺ) के फ़ुज़लात भी पाक हैं, तो क्या बुर्ज़ुगों के फ़ुज़लात से भी बरकत हासिल की जायेगी।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ يَمْشِيَانِ فَوَجَدَنِي لاَ أَعْقِلُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَشَّ عَلَىَّ مِنْهُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَلَتْ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}

(4146) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ؓ) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) और अबू बक्र ने पैदल चल कर, बनू सलमा में मेरी बीमार पुर्सी की, और उन्होंने मुझे बेहोश पाया, तो आप(ﷺ) ने पानी मंगवा कर वुज़ू किया फिर उससे मुझ पर छिड़का, तो मैं होश में आ गया, तो मैंने पूछा, मैं अपने माल में क्या करूं? यानी कैसे तक़सीम करूं, ऐ अल्लाह के रसूल! तो ये आयत उतरी, 'अल्लाह तआ़ला तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें तल्क़ीन फ़रमाता है, कि मुज़क्कर के लिये मुअन्नस से दुगना है।'

अन्निसा: आयत नम्बर 11.

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 4577.

फायदा : हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) का नज़रिया ये है कि हज़रत जाबिर (ؓ) ने आयत की तअय्युन नहीं फ़रमाई, जैसा कि अगली रिवायत में आ रहा है, हत्ता नज़लत आयतुल मीरास़, विरास़त के बारे में आयत उतरी, फिर, अपने फ़हम के मुताबिक़, इब्ने जुरैज ने आयते विरास़त का मिस़दाक़, यूसीकुमुल्लाह को बनाया, और इब्ने उय्यना ने, कलालह् की मुनासिबत से यस्तफ़्तूनका को इस पर चस्पां किया, और स़ही बात इब्ने जुरैज की है, क्योंकि यस्तफ़्तूनका वाली आयत तो बहुत बाद में उतरी, जबकि हज़रत जाबिर (ؓ) का वाक़िया पहले पेश आ चुका है, और यूसीकुमुल्लाह वाली

आयत के बाद वाली आयत में कलाला की विरासत का हुक्म बयान किया गया है, जिससे मालूम होता, सूरह निसा की आयत नम्बर 11, और नम्बर 12, इकट्ठी उतरी हैं, लेकिन सुनन अबी दाऊद की रिवायत से मालूम होता है कि इब्ने उयय्ना वाली आयत की तअय्युन ख़ुद हज़रत जाबिर (ﷺ) ने फ़रमाई है, नीज़ आयत नम्बर 12 में जिस कलाला का हुक्म बयान किया गया है, वह अख़्याफ़ी भाई, बहन हैं, जबकि हज़रत जाबिर की बहनें शक़ीक़ा थीं, या अल्लाती थीं, इसलिए हज़रत जाबिर के शागिर्द मुहम्मद बिन मुन्कदिर ने भी, हज़रत शोबा (रह.) को जवाब देते हुए, इब्ने उयय्ना वाली आयत ही बयान की।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَىَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَبَّ عَلَىَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ ‏.‏

(4147) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरी एयादत फ़रमाई, जबकि मैं बीमार था, आपके साथ हज़रत अबूबक्र (ﷺ) थे, और दोनों पैदल चल कर आये, आपने मुझे बेहोशी की हालत में पाया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वुज़ू किया, फिर अपने वुज़ू का पानी मुझ पर छिड़का, तो मैं होश में आ गया, मेरे सामने रसूलुल्लाह (ﷺ) मौजूद थे, तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपना माल किस तरह तक़सीम करूं, तो आप (ﷺ) ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि विरासत के बारे में आयत उतरी।

फायदा : हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के सामने, जब कोई नया मसला आता, जिसके बारे में आपके सामने कोई इज्तेहादी बात न होती, या आप अल्लाह का सरीह फ़रमान चाहते, तो वह्य का इन्तेज़ार फ़रमाते, जब तक सरीह वह्य न उतरती, या आप (ﷺ) के ज़हन में कोई बात न डाली जाती, तो आप ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमाते, वह्य उतरने पर जवाब देते।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ

(4148) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि मेरे पास रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये, जबकि मैं बीमारी की

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ لاَ أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ فَصَبُّوا عَلَىَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلاَلَةٌ . فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ . فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ} قَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ.

वजह से कुछ शऊर न रखता था, (बेहोश था) तो आप(ﷺ) ने वुज़ू किया, तो लोगों ने मुझ पर आपके वुज़ू का पानी डाला, तो मुझे होश आ गया, और मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा वारिस कलाला होगा, इस पर मीरास के बारे में आयत उतरी, इमाम शोबा कहते हैं, मैंने अपने उस्ताद मुहम्मद बिन मुन्कदिर (रह.) से पूछा, (यस्तफ़तूनका कुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फ़िल कलाला), उसने कहा, यही आयत उतरी।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 5676, 7643.

फ़ायदा : यहाँ कलाला से मुराद, वह वारिस है जो असल है (बाप, दादा) और न फ़रअ (बेटा, पोता) क्योंकि उस वक़्त सिर्फ़ हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) की बहनें वारिस थीं।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ . وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ وَالْعَقَدِيِّ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ . وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ شُعْبَةَ لاِبْنِ الْمُنْكَدِرِ .

(4149) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से शोबा के तीन शागिर्दों से रिवायत करते हैं, इनमें से वहब बिन जरीर की रिवायत है कि फ़राइज़ की आयत उतरी, और नज़र और अक़दी की रिवायत है, आयतुल फ़र्ज़ उतरी, (फ़राइज़ और फ़र्ज़ का मानी व मक़सद एक ही है) लेकिन इनमें से किसी ने, शोबा का मुहम्मद बिन मुन्कदिर से सवाल करने का तज़किरा नहीं किया।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4124 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ

(4150) मअदान बिन अबी तलहा (रह.) से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) ने जुमा के दिन ख़ुत्बा दिया, उसमें नबी अकरम(ﷺ) और अबू बक्र (رضي الله عنه) का तज़किरा करने के बाद फ़रमाया, मैं अपने

بْنِ، أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لاَ أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلاَلَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَىْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلاَلَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَىْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ " يَا عُمَرُ أَلاَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ " . وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ .

बाद (पीछे) कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ रहा, जो मेरे नज़दीक कलाला के मसला से ज़्यादा अहमियत वाली हो, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से किसी चीज़ के बारे में, कलाला के मसला से ज़्यादा बार–बार नहीं पूछा, और आपने किसी चीज़ में मुझसे इस क़द्र सख़्त गुफ़्तगू नहीं की, जिस क़द्र उसके बारे में शिद्दत इख़्तियार की, यहाँ तक कि आप (ﷺ) ने अपनी उँगली से मेरे सीने में कचोका लगाया, और फ़रमाया, ऐ उमर! क्या तेरे लिये गर्मी के मौसम में उतरने वाली, सूरह निसा के आख़िर में आने वाली आयत काफ़ी नहीं है, (और हज़रत उमर ने कहा) अगर मैं ज़िन्दा रहा तो उसके बारे में ऐसा दो टूक फ़ैसला करूंगा, जिसके मुताबिक़ हर वह इंसान फ़ैसला कर सकेगा, जो क़ुर्आन पढ़ता है या क़ुर्आन नहीं पढ़ता है।

तख़रीज : ये हदीस ऊपर अगले सफ़ों में बयान की जा चुकी है।

फायदा : (1) हज़रत उमर (رضي الله عنه) कलाला के बारे में बड़े फ़िक्रमंद थे, क्योंकि कलाला के बारे में बहुत सी बातें ग़ौर तलब हैं, और बक़ौल इमाम नववी (रह.), रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसलिए सख़्ती की कि हज़रत उमर (رضي الله عنه) ग़ौर व फ़िक्र या मसला के इस्तेम्बात के बजाये सरीह नस चाहते थे, हालांकि कुछ जगह इस्तेम्बात के बग़ैर चाराकार नहीं है, कलाला के मानी में इख़्तिलाफ़ है, क्योंकि इसका इतलाक़ वारिस पर हो सकता है, और मूरिस पर भी, कुछ इसको विरासत के मानी में लेते हैं, और कुछ विरासत में आने वाले माल को मुराद लेते हैं, इस तरह कलाला का हुक्म दो आयतों में बयान हुआ है, पहली आयत अख़्याफ़ी बहन भाईयों के बारे में, और आख़िरी शक़ीक़ और अल्लाती बहन भाईयों के बारे में इस तरह इसमें इख़्तिलाफ़ है कि अगर मय्यत का दादा मौजूद हो, तो वह बाप के क़ाइम मुक़ाम होगा, मय्यत के भाईयों को विरासत से महरूम करेगा या नहीं, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक दादा, बाप के क़ाइम मुक़ाम होगा, लेकिन इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, और साहबैन के नज़दीक, दादा के साथ भाई भी वारिस होंगे, आगे इसमें भी इख़्तिलाफ़ है, उनको क्या मिलेगा, इस तरह अगर मय्यत

अपने पीछे, बेटी और बहन छोड़े, तो बहन की विरासत में इख़्तिलाफ़ है, इसलिए हज़रत उमर इसके बारे में फ़िक्रमंद थे, लेकिन आख़िर तक उनको ऐसा फ़ैसला करने का मौक़ा नहीं मिल सका, जिस पर हर आलिम और जाहिल मुतमइन हो जाता। कलाला की तफ़्सीर में अहले इल्म के दरम्यान इख़्तिलाफ़ है, जुम्हूर के नज़दीक कलाला उस मय्यत का नाम है जिसने अपने पीछे न औलाद छोड़ी और न बाप दादा, उससे उसके भाई वारिस होंगे। (2) कलाला वह वारिस हैं जो न औलाद और न बाप इसलिए भाई कलाला होंगे। (3) वह विरासत जो न औलाद के लिये और न बाप के लिये। (4) वह माल जिसका वारिस न औलाद है और न बाप।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ، رَافِعٍ عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(4151) इमाम साहब अपने मुख़्तलिफ़ उस्तादों से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस आगे बयान की जा चुकी है: 1258 में देखें।

باب(3)
آيَةِ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلاَلَةِ

बाब : 3
आख़िर में उतरने वाली आयत, आयते कलाला है

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ}

(4152) हज़रत बराअ (ﷺ) बयान करते हैं कुरआन मजीद की आख़िर में उतरने वाली आयत (यस्तफ़तूनक कुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फ़िल कलाला)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلاَلَةِ وَآخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ بَرَاءَةٌ.

(4153) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) बयान करते हैं, आख़िर में उतरने वाली आयत, आयते कलाला है, और आख़िर में उतरने वाली सूरह, सूरह बराअत है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 4605, 4654, सुनन अबू दाऊद: 2888.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، - وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ آخِرَ، سُورَةٍ أُنْزِلَتْ تَامَّةً سُورَةُ التَّوْبَةِ وَأَنَّ آخِرَ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلاَلَةِ ‏.‏

(4154) हज़रत बराअ (ﷺ) से रिवायत है कि आख़िर में जो मुकम्मल सूरत उतरी, वह सूरह तौबा है और आख़िर में उतरने वाली आयत, आयते कलाला है।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ آدَمَ - حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، - وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ كَامِلَةً ‏.‏

(4155) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, जिसमें ताम्मा की बजाये कामिला का लफ़्ज़ है।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي، السَّفَرِ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ يَسْتَفْتُونَكَ ‏.‏

(4156) हज़रत बराअ (ﷺ) बयान करते हैं, आख़िर में नाज़िल होने वाली आयत (यस्तफ़्तूनक) है।

तख़रीज : जामेअ तिर्मिज़ी: 3041.

फ़ायदा : आख़िर में उतरने वाली आयत के बारे में, सहाबा किराम के मुख़्तलिफ़ अक़वाल हैं। **(1)** हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़रमाते हैं: नबी अकरम (ﷺ) पर आख़िरी आयत जो उतरी है, वह आयते रिबा, (सूद के बारे में) है। **(2)** हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का दूसरा क़ौल ये है, आख़िरी आयत (वत्तक़ू यौमन ....) है, लेकिन इन दोनों में कोई तज़ाद नहीं है, क्योंकि ये टुकड़ा, आयते रिबा के आख़िर में है। **(3)** हज़रत उबय बिन कअब (ﷺ) कहते हैं, आख़िर में उतरने वाली आयत, (लक़द जाअ कुम रसूलुम मिन अन्फ़ुसिकुम ....) यानी सूरह तौबा की आख़री आयात। **(4)** हज़रत मुआविया (ﷺ) कहते हैं, आख़िरी आयत, सूरह कहफ़ की आख़िरी आयत, (फ़मन काना यर्जु लिक़ाआ रब्बिही ....) है। **(5)** हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) फ़रमाती हैं, आख़री आयत, (फ़स्तजाबा लहुम ....) है, जो आले इमरान के आख़री रुकू में है।

इस तरह हर सहाबी ने अपने अपने इज्तेहाद के मुताबिक़ बात की है, किसी ने अपने क़ौल की निस्बत हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की तरफ़ नहीं की, और ये भी मुमकिन है, हर एक ने आप (ﷺ) से जो सबसे आख़िर में आयत सुनी, उसको आख़री आयत बना दिया, हालांकि, इससे पहले उतर चुकी थी,

लेकिन आप (ﷺ) ने किसी मक़सद के तहत बाद में किसी वक़्त इसकी तिलावत फ़रमाई थी। इस तरह दो सूरतों के बारे में ये दावा किया गया है कि वह आख़िर में मुकम्मल नाज़िल होने वाली सूरत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) सूरह अन्नस्र, (इज़ा जाअ नसरूल्लाह) को आख़री सूरह ठहराते हैं, और हज़रत बराअ, सूरह तौबा यानी सूरह बरात को, और हज़रत आयशा (ﷺ) के नज़दीक सूरह मायदा सबसे आख़िर में उतरी है, हालंकि सूरह बरात और सूरह मायदा का एक साथ नुज़ूल इन सूरतों के उस्लूब और स्याक़ व सबाक़ की रू से मुश्किल है, और सूरह नस्र का मुमकिन है।

बाब : 4
मय्यत का माल उसके वारिसों को मिलेगा

باب(4)
مَن تَرَکَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ

(4157) इमाम साहब अपने दो उस्तादों की सनद से हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने ऐसे मर्द की मय्यत को लाया जाता, जिसके ज़िम्मे क़र्ज़ होता, तो आप (ﷺ) पूछते: 'क्या इसने क़र्ज़ की अदायगी के लिये कुछ माल छोड़ा है?' अगर आप (ﷺ) को बताया जाता, उसने क़र्ज़ को अदा करने का सामान छोड़ा है, तो आप उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ा देते, वरना फ़रमाते, 'अपने साथी का जनाज़ा पढ़ो।' और जब अल्लाह तआला ने आपको फ़ुतूहात से नवाज़ा, आप फ़रमाने लगे: 'मैं मुसलमानों का उनकी जानों से ज़्यादा हक़दार हूँ, तो जो इस हाल में फ़ौत हुआ कि उसके ज़िम्मे क़र्ज़ था, तो उसका अदा करना मेरे ज़िम्मे है, और जिसने माल छोड़ा, तो वह उसके वारिसों का है।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6731.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الأُمَوِيُّ، عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ، ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ " هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ " . فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلاَّ قَالَ " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " . فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि क़र्ज़े का मसला बड़ा संगीन (भारी) है, इंसान को क़र्ज़ की अदायगी में, ग़फ़लत और सुस्ती से काम नहीं लेना चाहिए, अगर किसी ज़रूरत या मजबूरी से क़र्ज़ा लेने की ज़रूरत पेश आये, तो उसकी अदायगी की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं कब मौत का पैग़ाम आ जाये, और अगर कोई अपने फ़क़्रो फ़ाक़ा से अपना क़र्ज़ा अदा न कर सके, तो हुकूमत को इसका इन्तेज़ाम करना चाहिए, या कम अ़ज़ कम उसके लवाहिक़ीन (अपनों) को ये ज़िम्मेदारी क़बूल करना चाहिए, और मालकिया व शाफ़ेइया के नज़दीक, हुकूमत इसका इन्तेज़ाम, ज़कात की मद से भी कर सकती है, और अहनाफ़ व हनाबिला के नज़दीक, ज़कात से इसकी अदायगी मुमकिन नहीं है, लेकिन बक़ौल अ़ल्लामा तक़ी, हनाबिला और अहनाफ़ का इस्तेदलाल, लाम तमलीक से है, यानी (लिल फ़ुक़राइ वलमसाकीन) में लाम, तमलीक के लिये है, कि उनके क़ब्ज़ा में दिया जाये, जबकि (फ़िरिक़ाब वल ग़ारिमीन), में लाम है, ही नहीं। इसलिए ज़कात में (मक़रूज़) के लिये ज़कात का माल ख़र्च के लिये तमलीक की शर्त नहीं है।

इसका मतलब तो ये है कि गर्दनों की आज़ादी और तावान में आये हुओं को निकालने में ख़र्च किया जाये, इसलिए यहाँ तमलीक का सवाल नहीं है, ये कहा जाये, मुर्दा की माल तमलीक नहीं हो सकता, इसलिए उसकी तरफ़ से क़र्ज़ा ज़कात की मद से अदा नहीं किया जा सकता। नीज़ जब इमामे (हुकूमत) ने ज़कात वस़ूल कर ली तो उसकी मिल्कियत में आ चुकी अब नई मिल्कियत की ज़रूरत नहीं। (तकमिला: जिल्द: 2, सफ़ा: 45)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثَ .

(4158) इमाम स़ाहब ऊपर दी गई रिवायत अपने तीन और उस्तादों की सनद से, ज़ोहरी ही के वास्ते से बयान करते हैं।

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 2298, 5371, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1070, नसाई: 1962, सुनन इब्ने माजा: 2415.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ،

(4159) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मुहम्मद (ﷺ) की जान है! ज़मीन पर जो भी मोमिन है, मैं सब

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلاَهُ وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالاً فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ " .

लोगों से, उसका ज़्यादा क़रीबी हूँ, (हक़दार हूँ) तो तुममें जिसने भी कोई क़र्ज़ छोड़ा या बाल बच्चे छोड़े, तो मैं उसका कारसाज़ या मददगार हूँ, और तुममें से जिसने माल छोड़ा, तो वह उसके वारिसों का है, जो भी हों।'

फायदा : इस हदीस से साबित होता है, जो लोग ख़ुद कमाई नहीं कर सकते, और अगर उनकी निगेहदास्त न की जाये तो वह हलाकत का शिकार हो सकते हैं, उनकी ज़रूरियात की फ़राहमी की ज़िम्मेदारी इस्लामी हुकूमत या मुसलमानों का बैतुलमाल है, और अब अगर ये काम हुकूमत नहीं कर रही, तो मुसलमान लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने मुहल्ला की सतह पर इसका इन्तेज़ाम करने की कोशिश करें, और ऐसे लोगों की किफ़ालत करें, जो फ़क़्रो फ़ाक़ा से तंग आकर ख़ुदकुशी करने लगते हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالاً فَلْيُؤْثَرْ بِمَالِهِ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانَ " .

(4160) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं किताबुल्लाह की रू से, सब लोगों से ज़्यादा, मोमिनों का मुआविन व मददगार हूँ, तो तुममें से जो क़र्ज़ा छोड़े, या ज़ाया होने वाले बच्चे छोड़े, तो मुझे बुलाओ, मैं उसका मुआविन हूँ, और तुममें से जो माल छोड़े, तो उसके माल के लिये उसके वारिसों को तर्जीह दी जाये, जो भी उसका वारिस हो।

फायदा : हदीस में अस्बा का तज़किरा है, तो जब अस्बा तर्का का हक़दार है,तो असहाबुल फुरूज़ तो बिल औला हक़दार होंगे, इसलिए मानी वारिसीन किया गया है।

(4161) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने माल छोड़ा तो वह वारिसों का है, और जिसने बोझ यानी बाल बच्चे छोड़े, तो उनके ज़िम्मेदार हम हैं।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِلْوَرَثَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا " .

(4162) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो और उस्तादों की सनद से शोबा ही के वास्ते से बयान करते हैं, इनमें गुन्दर की रिवायत में है, 'और जिसने बाल, बच्चे छोड़े, उनका वली (निगरां व मुहाफ़िज़) मैं हूँ।'

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4137 में देखें।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ، الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّ فِي، حَدِيثِ غُنْدَرٍ " وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ وَلِيتُهُ " .

किताबुल हिबात का तआरुफ़

विरासत में शरई इस्तेहक़ाक़ की बुनियाद पर बिला क़ीमत दौलत और चीज़ें वग़ैरह मिलती हैं। हिबा में बग़ैर किसी शरई इस्तेहक़ाक़ के ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। सदक़े में भी यही होता है लेकिन फ़र्क़ ये है कि सदक़ा किसी ज़रूरतमन्द को दिया जाता है। उसके पीछे रहम का जज़्बा होता है जबकि हदिया इकराम और इज़्ज़त व मोहब्बत के इज़हार के लिये दिया जाता है। अगर सही नियत से और सही सूरत में किसी को कुछ हिबा किया जाये तो ये इज्तेमाई तौर पर मुआशरे की बेहतरी का सबब है। दोस्त अहबाब और अज़ीज़ एक दूसरे के क़रीब आते हैं, इसलिये उससे ऐसी कोई सूरत पैदा नहीं होनी चाहिए कि मुस्बत के बजाये मनफ़ी नताइज सामने आयें। आप अपनी मर्ज़ी से किसी को अतिया न करें या सदक़े का मुस्तहिक़ न समझें तो कोई बहुत बड़ी ख़राबी पैदा नहीं होती लेकिन किसी को चीज़ दे कर वापस ले लें तो बना हुआ ताल्लुक़ भी बिगड़ जाता है। किसी को कुछ देना बहुत आला जज़्बात का मरहूने मिन्नत होता है। देकर ले लेना उसके बरअक्स है। ये लालच, ख़ुद ग़र्ज़ी और ख़ुद पसन्दी के ज़ुमरे में आता है।

इमाम मुस्लिम (रह.) ने सदक़ात वापस न लेने की अहादीस़ से आग़ाज़ किया है। हिबा की हूई चीज़ की तरह सदक़ात को वापस लेना भी इन्तेहाई नापसन्दीदा काम है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके लिये मिस़ाल भी ऐसी दी है जिससे उसकी इन्तेहाई क़बाहत वाज़ेह होती है। सदक़े में अस़ल मक़सूद अल्लाह को राज़ी करना है, वापसी यक़ीनी तौर पर उसकी रज़ा से महरूमी बल्कि नाराज़ी का सबब है। नताइज के ऐतबार से ये इन्तेहाई ग़लत काम है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अख़्लाक़े आलिया के तक़ाज़े पूरे करने के लिये सदक़े में दी हूई चीज़ को क़ीमतन वापस लेने से भी मना फ़रमाया है।

अगर किसी क़रीबी रिश्तेदार ख़ुसूसन औलाद में से कुछ को दिया जाये और कुछ को महरूम रखा जाये तो उससे भी बेपनाह ख़राबियाँ पैदा होती हैं। सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि सब बच्चे फ़ितरतन वालिदैन से एक जैसा मोहब्बत भरा तालल्लुक़ रखते हैं, हो सकता है उसके इज़हार में वह एक दूसरे से मुख़्तलिफ़ हों, लेकिन जिन्हें महरूम किया जायेगा वह यही समझेंगे कि उनके वालिदैन या वालिद उनसे मोहब्बत नहीं करते। इससे वह ख़ुद भी मनफ़ी कैफ़ियत का शिकार हो जायेंगे और उनमें वालिदैन के हवाले से अदमे मोहब्बत और अदमे ख़िदमत का भी जज्बा पैदा होगा। अगर वालिदैन समझते हैं कि

किसी बच्चे में इस हवाले से कमी है तो उसे महरूम करने से इस ख़राबी में इज़ाफ़ा होगा। मुन्सिफ़ाना सुलूक बच्चों की इस्लाह का सबब बनता है और अगर ऐसा न भी हो सके तो वालिदैन या दोनों में से एक, जो दे रहा है, कम अज़ कम ख़ुद अल्लाह के सामने जवाबदेही से महफ़ूज़ रहेगा।

उम्र भर के लिये किसी को चीज़ दें तो वह उस ख़ानदान के लिये अपनी चीज़ के मुतरादिफ़ होती है। इससे महरूमी अपनी चीज़ से महरूमी की तरह तल्ख़ (कड़वी) लगती है और अब तक जो मुस्बत जज़्बात मौजूद थे वह मनफ़ी जज़्बात में तब्दील हो जाते हैं। मुआशरे को इससे महफ़ूज़ रखने के लिये आप (ﷺ) ने ये हिदायत जारी फ़रमाई कि उम्र भर के लिये किसी को दें तो उनके बच्चों से भी वापस न लें, वापसी से बेहतर है दिया ही न जाये, अलबत्ता आरयतन देना इससे मुख़्तलिफ़ है। लेने वाला समझता है कि ये चीज़ उसकी नहीं, वह आरज़ी तौर पर उससे इस्तेफ़ादा कर रहा है तो ये देने वाले की नेकी है।

किताबुल हिबात में इन तमाम उमूर के हवाले से फ़रामीने रसूलुल्लाह (ﷺ) को पेश किया गया है।

كتاب الهبات

किताबुल हिबात (अत्यात व सदक़ात)

باب (1)

كَرَاهَةِ شَرَآءِ الْإِنْسَانِ مَاتَصَدَّقَ بِهِ مِمَّن تُصُدِّقَ عليه

बाब : 1

इंसान ने जो सदक़ा किया है, वह जिस पर सदक़ा किया है, उससे ख़रीदना नाजायज़ है

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

(4163) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने एक उम्दा घोड़ा अल्लाह की राह में यानी बतौर सदक़ा दिया, तो उसके मालिक ने उसे ज़ाया कर दिया, तो मैंने ख़याल किया, वह उसको सस्ता बेच देगा, मैंने उसके बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा? तो आपने फ़रमाया: 'उसे मत ख़रीदो, और अपना सदक़ा वापस न लो, क्योंकि, अपना सदक़ा वापस लेने वाला, उस कुत्ते की तरह है जो क़ै करके चाट लेता है।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 1490, 2623, 2636, 2980, 3003, नसाई: 2614, सुनन इब्ने माजा: 2390.

मुफ़रदातुल हदीस : (1) हमल्तु अला फ़रसिन: मैंने घोड़े पर सवार किया, यानी घोड़ा सदक़ा किया। **(2) अतीक़:** नफ़ीस और उम्दा। **(3) अज़ाअहु साहबुहू:** जिसको सदक़ा में दिया था, उसने उसकी देख भाल में कोताही की और ज़ाया कर डाला।

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि जो चीज़ सदक़ा में दे दी जाये, उसको ख़रीदना जायज़ नहीं है, और चूंकि जिसको सदक़ा दिया है, जब उससे ख़रीद लेंगे, तो वह सस्ते दामों में आपको वापस करेगा, इसलिए आपने उसको सदक़ा की वापसी से ताबीर फ़रमाया है, अइम्मा के नज़दीक सस्ता ख़रीदना तो नाजायज़ है, और सही क़ीमत पर ख़रीदना, नापसन्दीदा है, लेकिन हर दो सूरत में बैअ हो जायेगी, जबकि अहले ज़ाहिर के नज़दीक ये बैअ (सौदा) ही दुरूस्त नहीं है, जैसा कि हदीस़ का तक़ाज़ा है, लेकिन अगर सदक़ा करदा चीज़ विरासत में वापस आ जाये, तो अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक बिल इत्तेफ़ाक़ जायज़ है, अगरचे कुछ अहले इल्म इसको भी दुरूस्त नहीं समझते, लेकिन ये मौक़िफ़ दुरूस्त नहीं है, क्योंकि इसका जवाज़ हदीस़ से साबित है।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - عَنْ مَالِكِ، بْنِ أَنَسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ " لاَ تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ " .

(4164) यही हदीस़ इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं, इसमें ये इज़ाफ़ा है, 'उसे मत ख़रीदिये अगरचे वह तुम्हें एक दिरहम में दे।'

तख़रीजः ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4139 में देखें।

حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أُعْطِيتَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ " .

(4165) हज़रत उमर (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने एक घोड़ा अल्लाह की राह में दिया, बाद में उसके मालिक के पास इस तरह पाया कि उसने उसको ज़ाया कर दिया था, क्योंकि वह तंगदस्त या नादार था, तो हज़रत उमर (ﷺ) ने उसके ख़रीदने का इरादा कर लिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर आप (ﷺ) के सामने उसका ज़िक्र किया, तो आपने फ़रमायाः 'उसे मत ख़रीदिये, अगरचे वह तुम्हें एक दिरहम में मिले, क्योंकि सदक़ा करके, वापस लेने वाले की मिसाल, उस कुत्ते की मिसाल है, जो क़ै करके चाट लेता है।

तख़रीजः ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4139 में देखें।

(4166) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं लेकिन ऊपर दी गई हदीसें ज़्यादा मुकम्मल और जामेअ हैं।
तख़रीजः ये हदीस बयान की जा चुकी हैः 4139 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ مَالِكٍ وَرَوْحٍ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ .

(4167) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने एक घोड़ा अल्लाह की राह में दिया, बाद में उसे बिकते हूए पाया, तो उसे ख़रीदने का इरादा कर लिया, तो उसके बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा? तो आप (ﷺ) ने फ़रमायाः 'उसे मत ख़रीदो, और अपने सदक़ा में रूजूअ न करो।'
तख़रीज : सहीह बुख़ारीः 2971, 3002, सुनन अबू दाऊदः 1593.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ " .

(4168) इमाम साहब ऊपर दी गई रिवायत अपने छः उस्तादों की सनदों से बयान करते हैं, दो लैस बिन सअद से बयान करते हैं, और बाक़ी चार उबैदुल्लाह से, और दोनों नाफ़े की ऊपर दी गई सनद से बयान करते हैं।
तख़रीज : सही बुख़ारीः 2775.

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ، رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ، عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ .

(4169) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत उमर (ﷺ) ने अल्लाह की राह में एक घोड़ा दिया, फिर उसे बिकता हुआ देखा, तो उसे ख़रीदने का इरादा कर लिया, और रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा, तो रसूलुल्लाह

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ

رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ "

(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने सदक़ा में रूजूअ न कर, ऐ उमर!'

(2) باب
تَحرِيمَ الرُّجُوعِ فِى الصَّدَقَةِ و الهبةِ

बाब : 2
सदक़ा और हिबा क़ब्ज़ा में देने के बाद वापस लेना हराम है, (मगर वह चीज़ जो अपनी औलाद को दी है, औलाद ख़्वाह पोता, पड़ पोता ही क्यों न हो)

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسَى، بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ" .

(4170) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷻ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सदक़ा करके वापस लेने वाले की मिसाल, उस कुत्ते की तरह है जो क़ै करता है, फिर अपनी क़ै में मुँह डालता है, और उसे खा लेता है।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2621, सुनन अबू दाऊद: 3538, नसाई: 6/266, सुनन इब्ने माजा: 2385, 2391.

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، يَذْكُرُ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(4171) इमाम साहब यही रिवायत अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4146 में देखें।

وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ

(4172) इमाम साहब एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4146 में देखें।

- حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْأَهُ " .

(4173) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'उस इंसान की मिसाल जो सदक़ा करता है, फिर अपने सदक़ा को वापस ले लेता है उस कुत्ते की तरह है, जो क़ै करता है, फिर अपनी क़ै चाट लेता है।'

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4146 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ " .

(4174) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने हिबा (अतिया) में रूजूअ करने वाला जो अपनी क़ै की तरफ़ रूजूअ करने वाले की तरह है।'

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4146 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(4175) यही रिवायत इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4146 में देखें।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، بْنُ طَاوُسٍ عَنْ

(4176) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हिबा में रूजूअ करने वाला, उस कुत्ते की

أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ " .

तरह है जो क़ै करता है, फिर अपनी क़ै की तरफ़ लौटता है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2589, नसाई: 6/265, 3703.

फ़ायदा : जुम्हूर फ़ुक़हा–ए–उम्मत के नज़दीक सदक़ा और हिबा का एक ही हुक्म है, दोनों में रूजूअ करना जायज़ नहीं है, हाँ सही हदीस की बिना पर, हिबा की सूरत में बाप मुस्तसना है, वह औलाद को हिबा करदा चीज़ वापस ले सकता है, अहनाफ़ सदक़ा में जुम्हूर के साथ हैं और हिबा में, जुम्हूर के मुख़ालिफ़ हैं, अहनाफ़ के नज़दीक अगर हिबा किसी रिश्तेदार को किया है, वह औलाद हो या कोई और रिश्तेदार, तो फिर रूजूअ नहीं हो सकता, अगर किसी अजनबी को कोई चीज़ हिबा की है और उसने बदले में कोई चीज़ नहीं दी, और हिबा करदा चीज़ मौजूद है, तो फिर वह चीज़ वापस ले सकता है, अगरचे ये दयानतन मकरूह है, लेकिन अगर जिस अजनबी को चीज़ हिबा की, वह वापस करने पर राज़ी हो या क़ाज़ी ये फ़ैसला दे दे तो फिर नापसन्दीदा होने के बावजूद जायज़ है, हालांकि कुत्ते की हरकत से तश्बीह देने का मक़सद, उसकी इन्तेहाई क़बाहत को बयान करना है, जिस तरह नमाज़ में शदीद नफ़रत व हुरमत के इज़हार के लिये, कव्वे की तरह ठूंगें मारने या कुत्ते की तरह बैठने से मना किया गया है, नीज़ सदक़ा की वापसी में भी तो यही तश्बीह दी गई है, इसके बावजूद अहनाफ़ के नज़दीक सदक़ा की वापसी जायज़ नहीं है, नीज़ आप (ﷺ) ने बाप को वापस लेने की इजाज़त दी है और अहनाफ़ के नज़दीक वह वापस नहीं ले सकता, इसके बरअक्स अजनबी वापस ले सकता है।

(3) باب
كَرَاهَةِ تَفضِيلِ بَعضِ الْاَوْلَادِفِى الْهِبَةِ

बाब : 3
हिबा में औलाद में इम्तियाज़ (फ़र्क़) करना जायज़ नहीं है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ، الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِي . فَقَالَ رَسُولُ

(4177) हज़रत नोमान बिन बशीर (ﷺ) बयान करते हैं कि मेरा बाप मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लाया, और अर्ज़ किया, मैंने अपने इस बच्चे को अपना ग़ुलाम हिबा कर दिया है, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तूने अपनी तमाम औलाद को इसी क़िस्म का अतिया दिया है?' तो उसने कहा, नहीं इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया:

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا " . فَقَالَ لاَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَارْجِعْهُ " .

'उस (गुलाम) को वापस लो।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2586, जामेअ तिर्मिज़ी: 1367, नसाई: 6/258, 6/259, सुनन इब्ने माजा: 2376.

फ़ायदा : हज़रत नोमान (ﷺ) जब पैदा हूए, तो उनकी वालिदा अम्रा बिन्ते रवाहा (ﷺ) ने ये मुतालबा किया कि मेरे इस बच्चे को कोई अतिया दो, वरना मैं इसकी परवरिश व परदाख़्त नहीं करती, तो उनके वालिद बशीर बिन सअद (ﷺ) ने बीवी को राज़ी करने के लिए एक बेहतरीन बाग़, अपने बेटे को हिबा कर दिया, फिर बाद में वापस ले लिया, फिर टाल मटोल से काम लेते रहे, जब बीवी का इस्रार बढ़ा, तो उन्होंने एक ग़ुलाम देने का इज़हार किया, तो बीवी ने पहले वाक़िया के पेशे नज़र ये कहा कि इस पर नबी अकरम (ﷺ) को गवाह बनाओ ताकि फिर वापस न ले सको, इसलिए वह अपने बेटे को साथ लेकर नबी अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए, कुछ रावियों ने, गवाही के वाक़िया को बाग़ के हिबा के साथ ही बयान कर दिया है, जो वहम है, क्योंकि अगर पहले वह मसला सुन चुके थे, तो वह दोबारा ये काम न करते।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ أَتَى بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا . فَقَالَ " أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَارْدُدْهُ " .

(4178) हज़रत नोमान बिन बशीर (ﷺ) बयान करते हैं कि मेरा बाप मुझे लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, मैंने अपने इस बेटे को एक ग़ुलाम का अतिया दिया है, तो आप (ﷺ) ने पूछा: क्या तूने तमाम औलाद को अतिया दिया है?' उसने कहा, नहीं, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे वापस ले लो।'

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4153 में देखें।

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि तोहफ़ा, तहाइफ़ और हिबा में औलाद के दरम्यान बिला ज़रूरत और बिला वजह इम्तियाज़ करना दुरूस्त नहीं है, हाँ अगर कोई सबब या वजह या ज़रूरत हो, तो फिर दुरूस्त है, जैसे एक छोटा है, उसकी ज़रूरियात कम हैं, एक बड़ा है, उसकी ज़रूरियात ज़्यादा हैं, एक अनपढ़ है, दूसरा इल्मी कामों में मसरूफ़ है, इसलिए उसको ज़्यादा रक़म की ज़रूरत है, और ये चीज़ें दर हक़ीक़त अतिया या हिबा और तोहफ़ा नहीं हैं, बल्कि उनकी ज़रूरियात हैं, जिनमें बराबरी मुमकिन नहीं है। एक शादी शुदा है, एक ग़ैर शादी शुदा है, एक बाप के साथ रहता है और उसकी ख़िदमत करता है, दूसरा पूछता ही नहीं है, इन उमूर में कमी व बेशी को इम्तियाज़ या तफ़्ज़ील नहीं

समझा जाता, इसलिए जहाँ सहाबा किराम से कोई ऐसा वाक़िया मनक़ूल है, कि उन्होंने अपनी किसी औलाद को दिया और किसी को नहीं दिया, तो इसमें उसकी ज़रूरत का लिहाज़ रखा गया है, या दूसरों की रज़ामंदी से ऐसे हुआ है, इसलिए इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़, अइम्म–ए–मोहद्दिसीन और अहले ज़ाहिर के नज़दीक तोहफ़ा और अतिया में बराबरी ज़रूरी है, यहाँ तक कि इब्ने अब्बास (ﷺ) की एक दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस में इम्तियाज़ करना जायज़ नहीं है, लेकिन अक्सर फ़ुक़हा और जुम्हूर के नज़दीक बराबरी लाज़िम नहीं है, यानी क़ानूनी और फ़िक़ही फ़र्ज़ नहीं है, एक अख़लाक़ी फ़र्ज़ है, क्योंकि इससे औलाद के बाहमी ताल्लुक़ात और वालिदैन के साथ रवैया में ख़लल और बिगाड़ पैदा हो सकता है, इसलिए ये नापसन्दीदा हरकत है, अगरचे जायज़ है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम लैस़ वग़ैरहुम का यही मौक़िफ़ है, इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक अगर इम्तियाज़ किसी को नुक़सान पहुँचाने के लिये हो, तो फिर जायज़ नहीं है, और हसन बस़री के नज़दीक दयानतन जायज़ नहीं है, अगरचे क़ज़ा यानी क़ानूनी रू से जायज़ है, और इस हदीस़ से ये भी स़ाबित होता है, बाप, अतिया या हिबा करदा चीज़ वापस ले सकता है, जुम्हूर ने इस हदीस़ की तावील में तक़रीबन दस (10) अक़्वाल पेश किये हैं और स़ाहबे सुबुलुस्सलाम ने लिखा है कि वह सब नाक़ाबिले क़बूल हैं। (सुबुलुस्सलाम: जिल्द: 3, स़फ़ा: 109)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ، رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ، وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . أَمَّا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا " أَكُلَّ بَنِيكَ " . وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ " أَكُلَّ وَلَدِكَ " . وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَشِيرًا جَاءَ بِالنُّعْمَانِ .

(4179) इमाम स़ाहब अपने बहुत से उस्तादों की सनदों से इमाम ज़ोहरी ही के वास्ते से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, इमाम ज़ोहरी के शागिर्द मअमर और यूनुस कहते हैं (अ कुल्ला बनीक) क्या सब बेटों को, और लैस़ और इब्ने उयय्ना कहते हैं (अ कुल्ला वलदक) क्या सब औलाद को, इस तरह लैस़, मुहम्मद बिन नोमान और हुमैद बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत करते हैं, तो कहते हैं कि बशीर (ﷺ), नोमान को लेकर आये।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4153 में देखें।

(4180) हज़रत नोमान बिन बशीर (ﷺ) बयान करते हैं कि उसके बाप ने उसे एक गुलाम दिया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा: 'ये ग़ुलाम क्यों आया है?' मैंने कहा, मुझे मेरे बाप ने दिया है, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या सब भाईयों को भी इस तरह दिया है, जैसे तुम्हें दिया है?' उसने कहा, नहीं, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'गुलाम लौटा दो।'

तख़रीज:सुनन अबू दाऊद: 3543, नसाई: 6/259.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلاَمًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَا هَذَا الْغُلاَمُ " . قَالَ أَعْطَانِيهِ أَبِي . قَالَ " فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَرُدَّهُ " .

फ़ायदा : आप (ﷺ) के इन अल्फ़ाज़ से ये मालूम होता है, अगर बिला सबब व ज़रूरत औलाद में इम्तियाज़ बरता जाये, तो बाप के लिये ऐसे हिबा या अ़तिया की वापसी ज़रूरी है, और इसकी ये तावील करना दुरूस्त नहीं है कि हज़रत उ़मर (ﷺ) ने, इस हिबा को रसूलुल्लाह (ﷺ) की इजाज़त पर मौक़ूफ़ किया था, क्योंकि उसने तो आप (ﷺ) को वापसी के ख़तरा के पेशे नज़र गवाह बनाने के लिये कहा था, न कि आपसे इजाज़त लेने के लिये, जैसा कि अगली रिवायत में इसकी स़राहत आ रही है।

(4181) इमाम स़ाहब अपने दो उस्तादों की सनद से बयान करते हैं कि हज़रत नोमान बिन बशीर (ﷺ) ने बताया कि मेरे बाप ने कुछ माल मुझे इनायत किया, तो मेरी वालिदा अ़म्रा बिन्ते रवाहा (ﷺ) ने कहा, मैं उस वक़्त तक मुतमइन नहीं होती, जब तक कि आप रसूलुल्लाह (ﷺ) को गवाह नहीं बनाते, तो मेरा बाप मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ले गया, ताकि आप(ﷺ) को मेरे अ़तिया पर गवाह बनाये, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे पूछा: 'क्या तूने ये अ़मल अपनी तमाम औलाद के साथ किया है?' उसने कहा, नहीं,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ تَصَدَّقَ عَلَىَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى

الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ " . قَالَ لاَ . قَالَ " اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ " . فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .

आपने फ़रमाया: 'अल्लाह से डरो, और अपनी औलाद के दरम्यान इन्साफ़ से काम लो।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 8587, 2650, सुनन अबू दाऊद: 3542, नसाई: 6/259, 6/260, 6/261, सुनन इब्ने माजा: 2375.

फ़ायदा : अपनी औलाद के दरम्यान इन्साफ़ करो, इस अदल और बराबरी का मफ़हूम, इमाम अहमद, अता, शुरैह और इस्हाक़ के नज़दीक ये है, कि औलाद के साथ विरासत वाला सलूक करो, यानी मुज़क्कर (मेल) को मुअन्नस (फ़िमेल) से दुगना दो, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई वग़ैरहुम के नज़दीक इसका मानी ये है कि मुज़क्कर और मुअन्नस (मेल–फिमेल) को बराबर दो, और हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की रिवायत से इसकी ताईद होती है कि आपने फ़रमाया, अगर मैं औलाद को अतिया में एक दूसरे पर फ़ज़ीलत देता, तो औरतों को फ़ज़ीलत देता, इसलिए अगर बाप अपनी ज़िन्दगी में अपना माल और औलाद के दरम्यान तक़सीम करता है, तो उसे सबके दरम्यान बराबर तक़सीम करना होगा, क्योंकि ये अतिया और सिला रहमी है, अगर विरासत तक़सीम करनी है, तो फिर वसीयत करे कि मेरे मरने के बाद माल की तक़सीम इस तरह शरीयत के उसूलों के मुताबिक़ करना, क्योंकि मालूम नहीं है, कौन पहले फ़ौत होता है, बाप या औलाद में से कोई एक।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ، سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لاِبْنِهَا فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَقَالَتْ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4182) इमाम साहब अपने दो उस्तादों की सनदों से, हज़रत नोमान बिन बशीर (ﷺ) से बयान करते हैं, कि उनकी वालिदा रवाहा की बेटी ने उनके बाप से मुतालबा किया कि वह अपने माल से उसके बेटे (नोमान) को कोई चीज़ हिबा करे, तो उसने एक साल तक टाल मटोल से काम लिया, फिर उसे, इसका ख़याल आया, तो उसने (बिन्ते रवाहा ने) कहा, जब तक तुम मेरे बेटे को जो कुछ दो, उस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) को गवाह न बना लो, तो मैं उस पर मुतमइन नहीं हूँ, तो मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ा, क्योंकि मैं उस वक़्त नोख़ैज़ था, और

عَلَى مَا وَهَبْتَ لاِبْنِي ‏.‏ فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لاِبْنِهَا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ‏"‏ ‏.‏

वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! इसकी वालिदा, रवाहा की बेटी को ये पसन्द है कि मैंने इसके बेटे को जो कुछ दिया है, उस पर आप को गवाह बनाऊं, इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा: 'ऐ बशीर! इसके सिवा तेरी औलाद है?' उसने कहा, जी हाँ। तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या उन सब को इस जैसी चीज़ हिबा की है?' उसने जवाब दिया नहीं, आपने फ़रमाया: 'तब मुझे गवाह न बनाओ, क्योंकि मैं ज़ुल्म पर गवाह नहीं बनता।'

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4157 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) इल्तवा सना: एक साल तक टाल मटोल की। **(2) सुम्म बदआ लहू:** फिर उसके दिल में देने का ख़्याल पैदा हुआ, क्योंकि उनकी बीवी अपने इस़्रार पर क़ाइम थी। **(3) जौर:** ऐतदाल और राहे रास्त से हटी हुई चीज़, ज़ुल्म।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَلاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ‏"‏ ‏.‏

(4183) हज़रत नोमान बिन बशीर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या इसके सिवा, तेरे बेटे हैं?' उसने कहा, जी हाँ, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तो क्या सब को इसी तरह दिया है?' उसने कहा, नहीं, आपने फ़रमाया: 'तो मैं ज़ुल्म पर गवाह नहीं बनता।'

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4157 में देखें।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَبِيهِ ‏"‏ لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ ‏"‏ ‏.‏

(4184) हज़रत नोमान बिन बशीर (رضي الله عنه) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके बाप से फ़रमाया: 'मुझे ज़ुल्म पर गवाह न बना।'

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4157 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَعَبْدُ الأَعْلَى، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، - وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ - قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي . فَقَالَ " أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي - ثُمَّ قَالَ - أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً " . قَالَ بَلَى . قَالَ " فَلاَ إِذًا " .

(4185) इमाम साहब अपने मुख़्तलिफ़ उस्तादों की सनदों से बयान करते हैं कि हज़रत नोमान बिन बशीर (رضي الله عنه) ने बताया कि मेरा बाप मुझे उठा कर रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ रवाना हुआ और आप (ﷺ) से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! गवाह हो जाइये कि मैंने नोमान को अपने माल से, ये, ये दिया है, तो आपने फ़रमाया: 'क्या तुमने अपने सब बेटों को नोमान जैसा अतिया दिया है?' उसने कहा, नहीं, आपने फ़रमाया: 'तो इस पर मेरे सिवा, किसी और को गवाह बना ले।' फिर आपने फ़रमाया: 'क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगती है कि वह तेरे साथ वफ़ा करने में यकसाँ हों?' उसने कहा, क्यों नहीं, आपने फ़रमाया: 'तू तब, ऐसा न कर।'

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4157 में देखें।

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि नोमान के वालिद, उनको कुछ मसाफ़त उठाकर भी ले गये, जैसा कि कुछ फ़ासला हाथ पकड़ कर ले गये, नीज़ आप (ﷺ) का ये फ़रमाना, कि मेरे सिवा किसी और को गवाह बना लो, का ये मक़सद नहीं था कि किसी और को गवाह बना लो, क्योंकि ये मामला तो जायज़ है, लेकिन पसन्दीदा नहीं है, क्योंकि आगे आपका ये फ़रमाना, (फ़ला इज़न) तू तब ऐसा मत करो, इस बात की दलील है कि तेरी बीवी को मेरा गवाह बनाना मक़सूद है और मैं इस ज़ुल्म पर गवाह नहीं बनता, और मेरे इंकार पर और कोई गवाह कैसे बनेगा या तेरी बीवी कैसे मुतमइन होगी, और फिर ये बात भी समझा दी कि अगर तुम सब औलाद को यकसाँ नहीं समझते, तो उनसे यकसाँ सुलूक की उम्मीद कैसे रख सकते हो, और इस इल्लत से ये साबित हुआ, ये सिर्फ़ बशीर(رضي الله عنه) के अहवाल व ज़ुरूफ़ का लिहाज़ करके, सिर्फ़ उन्हीं के लिये हुक्म नहीं था, बल्कि सब बापों को ख़िताब है, क्योंकि ये इल्लत सब जगह मौजूद है, और ये भी मालूम हुआ, अतिया में मुज़क्कर और मुअन्नस में फ़र्क़ नहीं है, क्योंकि बहन से भी हुस्ने सुलूक और वफ़ा मतलूब है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ نَحَلَنِي أَبِي نُحْلاً ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ " أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمُ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا " . قَالَ بَلَى . قَالَ " فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ " . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا فَقَالَ إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قَالَ " قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ " .

(4186) हज़रत नोमान बिन बशीर (ﷺ) बयान करते हैं, कि मेरे बाप ने मुझे अतिया दिया, फिर वह मुझे लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया, ताकि आपको गवाह बनाये, तो आपने पूछा: 'क्या तूने अपनी सब औलाद को ये दिया है?' उसने कहा, नहीं, आपने फ़रमाया: 'क्या तू उनसे इस तरह का हुस्ने सुलूक नहीं चाहता, जैसा कि उससे चाहता है?' उसने कहा, क्यों नहीं, आपने फ़रमाया: 'तो मैं गवाह नहीं बनता' इब्ने औन (रह.) कहते हैं, मैंने ये रिवायत मुहम्मद बिन सीरीन को सुनाई, तो उसने कहा, हमें यूँ बताया गया है, कि आपने फ़रमाया: 'अपनी औलाद में मसावात रखो।'

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4157 में देखें।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ انْحَلِ ابْنِي غُلاَمَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ فُلاَنٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلاَمِي وَقَالَتْ أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَلَهُ إِخْوَةٌ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا . وَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ إِلاَّ عَلَى حَقٍّ " .

(4187) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं बशीर (ﷺ) की बीवी ने कहा, मेरे बेटे को अपना ग़ुलाम हिबा कर दो, और मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) को गवाह बना कर दो, तो वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और कहा, फ़ुलां की बेटी ने मुझ से मुतालबा किया है कि मैं उसके बेटे को अपना ग़ुलाम अतिया में दूं, और कहा है, मेरे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) को गवाह बनाओ, तो आप (ﷺ) ने पूछा: 'क्या उसके भाई हैं?' उसने कहा, जी हाँ, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तो क्या उन सब को वही चीज़ दी है, जो उसको दी है?' उसने कहा, नहीं, आपने फ़रमाया: 'तो ये दुरूस्त नहीं है, और मैं सिर्फ़ सही चीज़ पर ही गवाह बनता हूँ।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3545.

बाब : 4
ता'हयात (ज़िन्दगी भर के लिये) हिबा करना

(4) باب
الْعُمْرَى

(4188) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स को और उसकी औलाद को कोई चीज़ ज़िन्दगी भर के लिये दी गई, तो वह उसकी है, जिसको दी गई है, देने वाले की तरफ़ वापस नहीं लौटेगी, क्योंकि उसने ऐसा अतिया दिया है, जिसमें विरासत जारी हो चुकी है।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2625, सुनन अबू दाऊद: 3550, 3552, 3553, 3554, जामेअ तिर्मिज़ी: 3148, नसाई: 6/275, 276, सुनन इब्ने माजा: 2380.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ".

मुफ़रदातुल हदीस़ : उम्रा: किसी को कोई चीज़ ज़िन्दगी भर के लिये देना कि जब तक तुम ज़िन्दा हो, ये चीज़ तुम्हारी है।

फ़ायदा : उम्रा की तीन सूरतें हैं: (1) देने वाला कहता है, (हिया लक व लिअक़िबिक), ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का है, यानी तेरी ज़िन्दगी के बाद तेरे वारिसों का है, तो इस सूरत में जुम्हूर के नज़दीक ये चीज़ या मकान हमेशा के लिये जिसको दिया गया है, उसका होगा, और उसके बाद उसकी औलाद का, और अगर उसकी नसल ख़त्म हो जाये, तो ये बैतुल माल को मिलेगा, लेकिन इमाम मालिक और इमाम लैस़ के नज़दीक ये इंसान और उसकी औलाद, उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकती है, अगर घर है तो रिहाइश इख़्तियार कर सकती है, उनकी मिल्कियत में नहीं आयेगा, इसलिए अगर उसके वारिसीन ख़त्म हो जायें, तो ये देने वाले के वारिसों को मिल जायेगा, लेकिन ये मौक़िफ़ इस सरीह हदीस़ के मुनाफ़ी है। **(2)** घर देने वाला ये कहता है, मैं ये घर तुम्हें तुम्हारी ज़िन्दगी तक देता हूँ, तुम्हारी मौत के बाद मुझे वापस मिल जायेगा, इमाम मालिक के नज़दीक, जिस को दिया गया है, उसकी ज़िन्दगी तक उसके पास रहेगा, उसके मरने के बाद, देने वाले को अगर ज़िन्दा हो, वरना उसके वारिसों को वापस मिल जायेगा, इमाम ज़ोहरी, इमाम दाऊद वग़ैरहुम का मौक़िफ़ भी यही है, इमाम अहमद और इमाम शाफ़ेई का एक क़ौल भी यही है, और बक़ौल हाफ़िज़ इब्ने हजर कुछ शवाफ़ेअ ने

इस क़ौल को तर्जीह दी है, लेकिन अक्सर शवाफ़ेअ इसको क़बूल नहीं करते, शाह वलीउल्लाह भी इसको आरयतन ही क़रार देते हैं, लेकिन जुम्हूर के नज़दीक इसका हुक्म भी पहली सूरत वाला है, और ये शर्त साक़ित होगी, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई का क़ौले जदीद और इमाम अहमद का राजेह क़ौल यही है, लेकिन बक़ौल साहबे तैसीरूल अल्लाम हाफ़िज़ इब्ने तैमिया ने, (अलमुस्लिमून अला शुरूतिहिम) के तहत, इस शर्त को सही क़रार दिया है। (3) बग़ैर किसी क़ैद या शर्त के कहता है, कि ये घर उम्र भर के लिये तेरा है, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक इसका हुक्म पहली सूरत वाला है, ये हिबा होगा, आरयतन नहीं होगा, इमाम मालिक, इमाम लैस़ के नज़दीक ये आरयतन है, देने वाले या उसके वारिसों की तरफ़ लौट आयेगा, इमाम शाफ़ेई का एक क़ौल यही है, और इमाम शाफ़ेई का क़ौले क़दीम ये है कि ये सूरत दुरूस्त नहीं है। (फ़तहुलबारी, जिल्दः 5, सफ़ा 294, मकतबा दारूस्सलाम)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ " . غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى قَالَ فِي أَوَّلِ حَدِيثِهِ " أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ " .

(4189) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हूए सुना, 'जिस आदमी ने किसी इंसान और उसकी औलाद को ज़िन्दगी भर के लिये कोई चीज़ दी, (मकान वग़ैरह) तो उसके कलाम ने उसमें उसका हक़ ख़त्म कर दिया, और ये उसका है और उसकी औलाद का जिसको उम्र भर के लिये दिया गया है।'

तख़रीजः ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4164 में देखें।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْعُمْرَى، وَسُنَّتِهَا، عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ، اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً

(4190) इमाम इब्ने जुरैज बयान करते हैं कि मुझे इब्ने शिहाब ने, उम्रा और उसके तरीक़े के बारे में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) की रिवायत सुनाई, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जिस आदमी ने दूसरे आदमी को और उसकी औलाद को ज़िन्दगी भर के लिये मकान दिया, और कहा, मैंने तुझे और तेरी औलाद को दिया है, जब तक तुममें से कोई

عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ . فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا . وَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ " .

एक भी ज़िन्दा रहेगा, तो वह उसका है, जिसको दिया गया है, और वह उसके मालिक को वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने ऐसा अ़तिया दिया है, जिसमें विरासत जारी हो चुकी है।'

तख़रीज:ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4164 में देखें।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ، الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ . فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ . فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا . قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ .

(4191) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि वह उ़म्रा जिसको रसूलुल्लाह (ﷺ)ने जारी क़रार दिया है, वह इस तरह कहना है कि ये तेरा और तेरी नसल का है, लेकिन अगर ये कहता है कि ये तेरी ज़िन्दगी तक तेरा है, तो फिर वह (उसकी मौत के बाद) उसके मालिक की तरफ़ लौट आयेगा, मअ़मर (रह.) बयान करते हैं, ज़ोहरी इसके मुताबिक़ फ़तवा देते थे।

तख़रीज:ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4164 में देखें।

फ़ायदा : ये हदीस़ उन लोगों की दलील है, जो कहते हैं, इस सूरत में उ़म्रा, आ़रियतन के हुक्म में है, इस हदीस़ के रावियों अबू सलमा, ज़ोहरी का यही मौक़िफ़ है, इमाम मालिक, क़ासिम बिन मुहम्मद, इब्ने अबी ज़ुऐब, अबू स़ौर और दाऊद का भी यही मौक़िफ़ है, लेकिन जुम्हूर के नज़दीक ये इस्तेस़ना दुरूस्त नहीं है, क्योंकि आ़म रिवायतें मुत्लक़ हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلاَ

(4192) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने, उस इंसान के बारे में, जिसे ये कहा गया, ये चीज़ तेरी और तेरी औलाद की है, फ़ैसला दिया, ये क़तई तौर पर उसकी है, इसमें देने वाले के लिये कोई शर्त लगाना या इस्तेस़ना करना जायज़ नहीं है, हज़रत जाबिर (ﷺ) के शागिर्द अबू सलमा कहते हैं, क्योंकि उसने

ثُنْيَا . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ .

ऐसा अतिया दिया है, जिसमें विरासत जारी हो चुकी है, और विरासत ने उसकी शर्त को ख़त्म कर दिया है।

तख़रीज:ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4164 में देखें।

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है, इस सूरत में इस्तेसना या शर्त जायज़ नहीं है, जब उम्रा, उसके और उसकी औलाद के लिये हो, अगर उम्रा सिर्फ़ उसके लिए हो तो फिर उसमें विरासत जारी नहीं होगी, इसलिए शर्त या इस्तेसना दुरूस्त है।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ " .

(4193) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उम्रा (ता'हयात दिया गया मकान) उसका है, जिसको हिबा किया गया है।'

तख़रीज:ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4164 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي، كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بِمِثْلِهِ .

(4194) इमाम साहब ऊपर दी गई रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

तख़रीज:ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4164 में देखें।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

(4195) इमाम साहब एक और उस्ताद की सनद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "

(4196) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने मालों को अपने लिये रोक कर रखो, और उनको (अपने लिये) ख़राब न करो, क्योंकि

أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ " .

जिसने उम्र भर के लिये चीज़ हिबा की, वह उसकी है, ज़िन्दा हो या मुर्दा, और उसकी औलाद की है।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है, उम्रा अगर मुत्लक़ हो यानी इसमें कोई शर्त या इस्तेस़ना या क़ैद न हो, तो वह मालिक की मिल्कियत से निकल जायेगा, इसलिए उसे सोच समझ कर ये काम करना चाहिए।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي خَيْثَمَةَ وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ جَعَلَ الأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ " .

(4197) इमाम स़ाहब अपने मुख़्तलिफ़ उस्तादों की सनदों से, अबू ज़ुबैर ही से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, अय्यूब की हदीस़ में ये इज़ाफ़ा है कि अन्सार, मुहाजिरों को ता'हयात हिबा करने लगे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने लिये, अपने माल को रोक कर रखो।'

तख़रीज : नसाई: 3739.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا

(4198) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि एक औरत ने मदीना मुनव्वरा में अपने एक बेटे को अपना बाग़ ता'हयात दे दिया, फिर उसका बेटा फ़ौत हो गया, और उसके बाद माँ भी फ़ौत हो गई और उस बेटे की औलाद थी, और ता'हयात देने वाली के बेटे भी थे, तो ता'हयात हिबा करने वाली की औलाद ने

لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ وَتَرَكَتْ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ بَلْ كَانَ لأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ . فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ . فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ . فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمِ.

कहा, बाग़ हमारी तरफ़ लौट आया है, बेटे को ता'हयात दिया गया था, उसके बेटों ने कहा, वह उसकी ज़िन्दगी और मौत, दोनों सूरतों में हमारे बाप का है, तो वह झगड़ा हज़रत उस्मान (ﷺ) के आज़ाद करदा गुलाम तारिक़ के पास ले आये, तो उसने हज़रत जाबिर (ﷺ) को बुलाया, इस पर उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के बारे में गवाही दी कि ये इसका है, जिसको ता'हयात दिया गया, तारिक़ ने इसके मुताबिक़ फ़ैसला कर दिया, फिर ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक को इसकी इत्तिला लिख भेजी और उसे हज़रत जाबिर (ﷺ) की शहादत से भी आगाह किया, तो अब्दुल मलिक ने कहा, हज़रत जाबिर (ﷺ) ने सच कहा है, तो तारिक़ ने इस फ़ैसला को नाफ़िज़ कर दिया,तो वह बाग़ आज तक उस बेटे की औलाद के पास है।

तख़रीज : नसाई: 3737.

नोट : मिस्री नुस्ख़ा में यहाँ तरकत वलदा है यानी उस औरत की औलाद थी, लेकिन ये बात बेजोड़ है, क्योंकि आगे ता'हयात दिये गये कि औलाद का तज़किरा आ रहा है, जब कि ऊपर उनका तज़किरा भी नहीं है और औरत की औलाद का तज़किरा तो व लहू इख़वतुन में मौजूद है, इसलिए सही नुस्ख़ा हिन्दी है, जिसमें है, तरका वलदा, बेटे की औलाद थी, और उसके भाई भी थे, और वाक़िया से भी यही साबित होता है, इस हदीस़ के रावी हज़रत जाबिर (ﷺ) के नज़दीक अगर उम्रा मुतलक़ हो तो वह हमेशा हमेशा के लिये उसका हो जायेगा, जिसको दिया गया है, उसकी मौत के बाद देने वाले की तरफ़, या उसकी औलाद की तरफ़ वापस नहीं आयेगा।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طَارِقًا،

(4199) सुलैमान बिन यसार (रह.) से रिवायत है कि तारिक़ ने उम्रा का फ़ैसला, हज़रत जाबिर(ﷺ) की मरफ़ूअ हदीस़ की बिना पर, ता'हयात दिये गये वारिस़ों के हक़ में किया था।

قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " .

(4200) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उम्रा नाफ़िज़ होगा।' यानी सही वारिसों को मिलेगा।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6/673, 3762.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا " .

(4201) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उम्रा उसके वारिसों का है, जिसको दिया गया।'

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4176 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " .

(4202) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उम्रा सही है, नाफ़िज़ होगा।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2626, सुनन अबू दाऊद: 3548, नसाई: 3757, 3759.

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " مِيرَاثُ لأَهْلِهَا " . أَوْ قَالَ " جَائِزَةٌ " .

(4203) इमाम साहब एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, इसमें ये है कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह वारिसों की मीरास है।' या फ़रमाया: 'वह जायज़ यानी नाफ़िज़ है।'

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है।

किताबुल वसीयत का तआरुफ़

वसीया के मानी वसल के जैसे हैं, यानी मिलाना। ये लफ़्ज़ ज़्यादातर मौत से पहले के मामलात को मौत के बाद के अहद से मिलाने के लिये इस्तेमाल होता है। वसीयत की बुनियाद ये है कि मोमिन दुनियावी ज़िन्दगी की ख़ैर, ख़ूबी और नेकी को अगले मरहले के साथ जोड़ना चाहता है, जैसे: क़ुर्आन में हज़रत इब्राहीम और हज़रत याक़ूब (अलैहि.) की वसीयत का ज़िक्र इस सियाक़ में है: 'जब उन (इब्राहीम–अलैहि.) के रब ने उनसे कहा: ख़ुद को (अल्लाह के) सुपुर्द करो (इस्लाम में आओ), तो उन्होंने कहा: मैंने ख़ुद को सब जहानों के पालने वाले के सुपुर्द किया। और उन्होंने (इब्राहीम–अलैहि.) ने अपने बेटों को और याक़ूब ने भी यही वसीयत की कि मेरे बेटो! अल्लाह ने तुम्हारे लिये दीन (ज़िन्दगी गुज़ारने का तरीक़ा) चुन लिया है, इसलिये तुम न मरना मगर इस तरह कि तुमने ख़ुद को (अल्लाह के) सुपुर्द कर दिया हो।' (अलबक़र: 2/131, 132)

हज़रत इब्राहीम और हज़रत याक़ूब (अलैहि.) ने चाहा कि उनकी ज़िन्दगी का पूरा तरीक़ा उनके बाद उनकी औलाद में जारी व सारी हो। ये मक़सद उमूमन ज़बानी या लिख कर बाद वालों के ज़िम्मे लगाने से हासिल होता है, इसलिये वसीयत का लफ़्ज़ दूसरे को ज़िम्मेदार बनाने, पाबन्द करने या किसी को ताकीद करने के माना में भी इस्तेमाल होता है। अल्लाह ने क़ुर्आन मजीद में जहाँ वसीयत का लफ़्ज़ अपने लिये इस्तेमाल किया है वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ ताकीद करने और ज़िम्मेदारी लगाने या पाबन्द करने के मानी में है: 'और हमने इन्सान को अपने वालिदैन से हुस्ने सुलूक का ज़िम्मेदार ठहराया, या हुस्ने सुलूक की ताकीद की।' (अल अन्कबूत: 29/8)

अल्लाह ने इन्सान को इस बात का भी पाबन्द किया कि वह मौत से पहले अपने छोड़े हुये माल के हवाले से ज़िम्मेदारी का तअय्युन करे (ताकि उसकी मौत के बाद उसी तरह इस्तेमाल हो) 'तुम पर फ़र्ज़ किया गया है कि जब तुममें से किसी की मौत क़रीब आये, अगर वह कोई माल छोड़े, तो वह वालिदैन और अक़रबा के हक़ में वसीयत करे .....' (अलबक़र: 2/180) बाद में जब अल्लाह तबारक व तआला ने वारिसों के हिस्से मुक़र्रर फ़रमा दिये तो वसीयत, माल के एक तिहाई हिस्से तक बतौर इख़्तियार बाक़ी रखी गई, अलबत्ता जो शख़्स अपना ये इख़्तियार इस्तेमाल करना चाहे उसे पाबन्द किया गया कि इरादा पुख़्ता होते ही वह बिला ताख़ीर अपनी वसीयत को तहरीरी शक्ल में ले आये।

सहीह मुस्लिम की 'किताबुल वसाया' का आग़ाज़ वसीयत तहरीर करने के मसले से होता है, फिर इस हवाले से अहादीस बयान की गई हैं कि इन्सान अपने तरके (छोड़ हुए माल) में से एक तिहाई

हिस्से तक के बारे में वसीयत कर सकता है, फिर दीगर मुताल्लिक़ा मसाइल पर भी रोशनी डाली गई है, जैसे: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वसीयत फ़रमाई? क्या वह वसीयत अपने बाद किसी की जाँनशीनी के हवाले से थी जिस तरह से कुछ लोगों ने दावा किया? मुताल्लिक़ा बाब की अहादीस़ और उनके तहत दिये गये 'फ़वाइद' के ज़रिये से इस दावे की हक़ीक़त वाज़ेह हो जाती है। ये भी किताबुल वसाया का हिस्सा है कि अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा वक़्फ़ करने के बारे में क्या हुक्म है? फिर इसके साथ ये अहम मसला भी कि इन्सान के मर जाने के बाद उसे किस किस चीज़ का स़वाब पहुँचता है? अगर कोई दूसरा शख़्स़ मरने वाले के बाद उसकी तरफ़ से स़दक़ा करे तो क्या मरने वाले को इसका फ़ायदा पहुँचता है। इस मसले में अहले इल्म के यहाँ इख़्तिलाफ़ पाया जाता है। मुतकल्लिमीन में से मावरदी का नुक़्त–ए–नज़र ये है कि मौत के बाद इन्सान को किसी तरह का कोई स़वाब नहीं पहुँचता। इमाम नववी (रह.) एक मक़ाम पर लिखते हैं: हदीस़ से वाज़ेह हो जाता है कि जिस तरह मय्यत को दुआ का फ़ायदा होता है उसी तरह स़दक़े का भी स़वाब मिलता है। इस हवाले से स़हीह मुस्लिम की अहादीस़ के अ़लावा बुख़ारी की ये रिवायत भी वाज़ेह है: 'हज़रत इब्ने अ़ब्बास(ﷺ) ने ख़बर दी कि हज़रत सअ़द बिन उ़बादा (ﷺ) की वालिदा फ़ौत हूईं तो वह मौजूद न थे (रसूलुल्लाह (ﷺ) की मईयत में ग़ज़्व–ए–दूमतुल जन्दल में शरीक थे।) उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा: मेरी वालिदा फ़ौत हूईं तो मैं ग़ाइब था। अगर मैं उनकी तरफ़ से कोई चीज़ स़दक़ा करूं तो क्या उससे उन्हें फ़ायदा होगा? आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'हाँ' उन्होंने कहा: तो मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मेरा बाग़ मिख़्राफ़, उनके लिये स़दक़ा है।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 2762)

इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) लिखते हैं: बदनी इबादात, जैसे: नमाज़, रोज़ा, तिलावत और ज़िक्र के हवाले से उ़लमा में इख़्तिलाफ़ है। इमाम अहमद, इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द और जुम्हूर उ़लमा उनका स़वाब पहुँचने के क़ाइल हैं। मावरदी वग़ैरह ने क़ुर्आन की आयत: 'और इन्सान के लिये सिर्फ़ वही है जिसकी उसने कोशिश की' (अन्नज्म: 53/39) से अपने हक़ में इस्तेदलाल किया है। अहले सुन्नत ने इसका जवाब ये दिया है कि क़ुर्आन के उ़मूम की सुन्नत के ज़रिये से तख़्सीस़ होती है। हज़रत इमाम इब्ने तैमिया (रह.) ने अपने फ़तावे में कई जगह इस मौज़ूअ पर बहस़ की है वह फ़रमाते हैं: 'इन्सान के लिये उसकी काविश ही है।' ये बात दुरूस्त है, क्योंकि वह अपनी काविश ही का मालिक और मुस्तहिक़ है, रही दूसरों की कोशिश तो वह न उसका मालिक है न मुस्तहिक़ लेकिन ये बात मानेअ़ नहीं कि अल्लाह तआ़ला उसे दूसरों की काविशों के सबब से नफ़ा दे या उस पर रहम करे। (मजमूअ फ़तावा: 7/499) इसी तरह वह फ़रमाते हैं: (अन्नज्म: 53/39) 'लेकिन इस बारे में तहक़ीक़ शुदा जवाब ये है कि अल्लाह तआ़ला ने ये नहीं कहा कि इन्सान अपनी कोशिश के सिवा किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा

सकता बल्कि फ़रमाया है: 'इन्सान के लिये वही है जिसकी उसने कोशिश की' लिहाज़ा वह मालिक अपनी काविश ही का है। उसके अलावा किसी बात का इस्तेहक़ाक़ नहीं रखता। जहाँ तक किसी दूसरे की सई का ताल्लुक़ है तो वह उसी की है। जिस तरह इन्सान अपने ही माल का मालिक होता है और ख़ुद को ही फ़ायदा पहुँचा सकता है, इसी तरह दूसरे का माल और दूसरे का मुनाफ़ा उसी ग़ैर का है, लेकिन जब वह ग़ैर अपनी मर्ज़ी से उसको दे तो उसके लिये वह जायज़ है। इसी तरह अगर किसी दूसरे ने अपनी सई का समर अपनी मर्ज़ी से उसे दिया तो अल्लाह उसको उसका फ़ायदा पहुँचाता है, वह हर उस चीज़ से फ़ायदा उठाता है जो उस तक किसी भी मुसलमान की तरफ़ से पहुँचती है, चाहे वह उसके अक़ारिब में से हो, चाहे कोई दूसरा मुसलमान। जिस तरह वह अपने हक़ में दुआ करने वालों की दुआ से मुस्तफ़ीद होता है और अपनी क़ब्र के पास उनकी दुआ से फ़ायदा उठाता है।' (मजमूअ फ़तावा: 24/367)

उन्होंने हज़रत अबू ज़र (ﷺ) की हदीस की शरह में मुश्तमिल अपने रिसाले में तक़रीबन तीस शरई दलीलें इस बात के बारे में ज़िक्र की हैं कि इन्सान का हक़ अपनी सई (कोशिश) पर है लेकिन वह दूसरों की सई से मुस्तफ़ीद हो सकता है। (मजमूआ अर्रसाइलुल मुनीरिया: 3/209)

इस किताब में सहीह मुस्लिम की अहादीस का बग़ौर मुताला बहुत से मसाइल में इन्सानी ज़हन की गुत्थियाँ सुलझा सकता है।

كتاب الوصية

किताबुल वसीयत

वसीयत वसा यसी वक़ा यक़ी के वज़न पर है, ये बाब चूंकि लाज़िम और मुतअ़द्दिद दोनों तरह इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका मानी होगा, मिलना, मिलाना, मय्यत ने वसीयत के ज़रिये ज़िन्दगी के मामलात को ज़िन्दगी के बाद से मिला दिया है, इसलिए इसको वसीयत से ताबीर किया जाता है।

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ، عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ " .

(4204) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'ऐसे मुसलमान के लिये जिसके पास वसीयत के लायक़ चीज़ हो, जिसके बारे में वह वसीयत करना चाहता है, उसके लिये दुरूस्त नहीं है, कि वसीयत लिखे बग़ैर, दो रातें बसर करे।'
तख़रीज : सुनन अबू दाऊदः 2862.

मुफ़रदातुल हदीस : माहक्कु इम्रइन, यानी ला यहिक़्क़ु, उसके लिये दुरूस्त और सही रवैया नहीं है कि वह अपने पास वसीयत लिख कर न रखे।

फ़ायदा : हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) की रिवायात से ये बात साबित होती है कि अगर किसी के पास वसीयत के क़ाबिल चीज़ मौजूद हो, उस पर क़र्ज़ा हो, किसी की अमानत हो, या कोई और लाज़िम चीज़ हो, जिस को अब वह ख़ुद अदा नहीं कर सकता, तो उस पर इस सूरत में वसीयत करना लाज़िम है, जैसे उसके ज़िम्मे रोज़े रहते हैं, हज करना लाज़िम है, लेकिन कर नहीं सकता है, किसी ग़ैर वारिस

के हक़ में वसीयत करने की ज़रूरत है,जैसे उसके पोते, पोतियाँ हैं, जो अपने चचाओं की मौजूदगी में वारिस़ नहीं बन सकते, इन ज़रूरी सूरतों के बग़ैर जुम्हूर के नज़दीक जिसमें अइम्म-ए-अरबआ दाख़िल हैं, वसीयत ज़रूरी नहीं है, लेकिन इमाम दाऊद और कुछ ताबेईन के नज़दीक, ग़ैर वारिस़, रिश्तेदारों के हक़ में हर सूरत में वसीयत करना फ़र्ज़ है।

(4205) इमाम स़ाहब अपने दो और उस्तादों की सनद से उ़बैदुल्लाह की ऊपर दी गई सनद से ऊपर दी गई रिवायत, इस फ़र्क़ से बयान करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसके पास वसीयत के लायक़ कोई चीज़ मौजूद है' ये नहीं कहा, 'वह उसके बारे में वसीयत करना चाहता है।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي كِلاَهُمَا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالاَ " وَلَهُ شَىْءٌ يُوصِي فِيهِ " . وَلَمْ يَقُولاَ " يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ " .

तख़रीज: जामेअ तिर्मिज़ी: 974, सुनन इब्ने माजा: 2699.

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि वसीयत का ताल्लुक़ सिर्फ़ माल से नहीं है, जैसा कि दाऊद ज़ाहिरी, इब्ने अबी लैला और इब्ने सिब्रमा का नज़रिया है, बल्कि किसी चीज़ के मुनाफ़े के बारे में भी वसीयत की जा सकती है, जैसे कोई इंसान ये वसीयत करता है कि मेरे इस घर में फ़ुलां इंसान एक साल के लिये मुफ़्त रह सकेगा, या मेरे बाग़ की इस साल की आमदनी फ़ुलां को दी जायेगी, जुम्हूर के नज़दीक वसीयत की तहरीर पर गवाह बनाना भी दूसरे दलाइल की रू से ज़रूरी है, और इमाम अहमद के नज़दीक गवाह बनाना ज़रूरी नहीं है, और वसीयत का लिखा होना ज़रूरी नहीं है, गवाहों की मौजूदगी में ज़बानी वसीयत करना भी बिल इत्तेफ़ाक़ काफ़ी है।

(4206) इमाम स़ाहब अपने पाँच उस्तादों की सनदों से नाफ़े ही की सनद ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, इनमें से अय्यूब के सिवा सबके अल्फ़ाज़ यही है कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसके पास वसीयत के लायक़ कोई चीज़ है।' और अय्यूब कहते हैं, आपने फ़रमाया: 'वह उसके बारे में वसीयत करना चाहता है।' जैसा कि हदीस़ नम्बर 1 में है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ،

तख़रीज : जामेअ तिर्मिज़ी: 2118.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَالُوا جَمِيعًا " لَهُ شَىْءٌ يُوصِي فِيهِ " . إِلاَّ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ فَإِنَّهُ قَالَ " يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ " . كَرِوَايَةِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ .

(4207) हज़रत सालिम अपने बाप (इब्ने उमर) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी मुसलमान इंसान के लिये जायज़ नहीं है कि उसके पास क़ाबिले वसीयत चीज़ हो, और वह तीन रातें, वसीयत अपने पास लिखे बग़ैर बसर करे।' हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی الله عنه) कहते हैं, जब से मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये फ़रमान सुना है, मैंने एक रात भी वसीयत की तहरीर के बग़ैर नहीं गुज़ारी।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَىَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي .

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3621.

फ़ायदा : कुछ रिवायात से मालूम होता है कि हज़रत इब्ने उमर (رضی الله عنه) ने अपनी वसीयत को अपनी ज़िन्दगी में ही अमली जामा पहना दिया था, इसलिए मौत के वक़्त उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं रही थी। (फ़तहुलबारी, जिल्द: 5, सफ़ा: 441, मकतबा दारूस्सलाम) दो या तीन रातों की गुंजाइश पैदा करने से असल मक़सूद ये है कि वसीयत की ज़रूरत हो तो उनमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मौत का तो कोई पता नहीं है, इसलिए इस मामले में सुस्ती और ताख़ीर नहीं करनी चाहिए।

(4208) इमाम साहब अपने पाँच उस्तादों की तीन सनदों से ऊपर दी गई रिवायत ज़ोहरी ही की सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي،

तख़रीज : नसाई: 3620.

حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ .

باب(1) الوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ

बाब : 1 एक तिहाई के बारे में वसीयत करना

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِي قَالَ " لاَ " . قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ " لاَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ

(4209) हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) बयान करते हैं, कि हज्जतुल विदा के मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरी बीमार पुर्सी ऐसे मर्ज़ के सिलसिले में की, जिससे मैं क़रीबुल मौत हो गया था, तो मैंने आप (ﷺ) से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! बीमारी से मैं किस हालत को पहुँच गया हूँ, आप देख रहे हैं, और मैं मालदार हूँ, और मेरी वारिस़ सिर्फ़ एक बेटी है, तो क्या मैं, दो तिहाई माल का स़दक़ा कर सकता हूँ? आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'नहीं' मैंने अ़र्ज़ किया, तो क्या मैं इसका आधा हिस्सा स़दक़ा कर सकता हूँ? आप(ﷺ) ने फ़रमाया: नहीं, एक तिहाई स़दक़ा करो, और एक तिहाई बहुत है।' अगर तुम वारिस़ीन को मुस्तग़नी छोड़ो, तो इससे बेहतर है कि तुम उनको मोहताज छोड़ो, (यानी वारिस़ों को मालदार छोड़ो) वह लोगों के सामने हाथ फैलाएँ, और तुम जो कुछ ख़र्च भी अल्लाह तआ़ला की रज़ामंदी के हुसूल के लिये करोगे, तुम्हें उसका अज्र मिलेगा, यहाँ तक कि उस लुक़्मे का भी

أَصْحَابِي قَالَ " إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ " . قَالَ رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ .

जो अपनी बीवी के मुँह में डालते हो।' मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने साथियों के पीछे (मक्का में) छोड़ दिया जाऊंगा? (वह हज करके मदीना वापस चले जायेंगे) आपने फ़रमाया: 'तुम अपने साथियों के बाद उम्र नहीं दिये जाओगे कि उसमें अल्लाह की रज़ा के हुसूल के काम करो, मगर इससे तुम्हारा दर्जा बढ़ेगा और बलन्दी हासिल होगी, और उम्मीद है तुम्हें तवील उम्र मिलेगी, (अपने साथियों के बाद ज़िन्दा छोड़े जाओगे) यहाँ तक कि तुम से मुसलमानों को नफ़ा हासिल होगा, और उनके मुख़ालिफ़ों को तुमसे नुक़सान पहुँचेगा, ऐ अल्लाह! मेरे साथियों की हिजरत को पूरी फ़रमा, और उन्हें उलटे पाँव न लौटा, लेकिन सअद बिन ख़ौला (ﷺ) क़ाबिले रहम हैं।' हज़रत सअद (ﷺ) कहते हैं, आपने उस पर तरस का इज़हार इसलिए फ़रमाया कि वह मक्का में फ़ौत हो गये थे।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 1295, 3936, 4409, 5668, 6373, 6733, सुनन अबू दाऊद: 2864, जामेअ तिर्मिज़ी: 2116, नसाई: 6/241, 242, सुनन इब्ने माजा: 2708.

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अल आलतु: तुम अपने वारिसों को लोगों से बेन्याज़ छोड़ो, वह किसी के मोहताज न रहें कि अपनी एहतियाज व फ़क्र की बिना पर लोगों के सामने माँगने के लिये हाथ फैलाये। **(2) अल आलतु:** आइल की जमा है, फ़ुक़रा मोहताज **(3) उखल्लफ़ु बअ्द अस्हल्बी:** कि मेरे साथी हज करके वापस चले जायेंगे, और मैं बीमारी के सबब इधर ही मक्का में रह जाऊंगा, हालांकि मुहाजिर के लिये हज से फ़राग़त के बाद तीन दिन से ज़्यादा रहना जायज़ नहीं है, और ये भी मुमकिन है, मैं इधर ही फ़ौत हो जाऊं, तो आपने तसल्ली देते हूए, तख़ल्लुफ़ के मफ़हूम को बदल दिया, कि अल्लाह तआला तुम्हें तवील उम्र देगा, और तुम्हारी ज़िन्दगी से मुसलमानों को नफ़ा

हासिल होगा, क्योंकि इराक़ और ईरान के फ़ातेह हैं और इन फ़ुतूहात से काफ़िरों को नुक़सान पहुँचा, हुकूमते फारस के क़रीबन सारे ज़ेरे इक़्तेदार इलाक़े इन्हीं की क़यादत में फ़तह हूए, और अल्लाह के लाखों बंदों को इस्लाम की दौलत नसीब हूई, और ख़ास कर फ़तहे क़ादसिया में इनका बहुत बड़ा कारनामा है, और आपने तमाम मुहाजिरीन के हक़ में दुआ फ़रमाई, कि उनकी हिजरत में किसी क़िस्म की कमी या कोताही वाक़ेअ न हो और सअद बिन ख़ौला (ﷺ) पर इसलिए तरस का इज़हार फ़रमाया कि वह मक्का मुकर्रमा में फ़ौत हो गये थे, हज़रत सअद के बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) की पेशीनगोई पूरी हूई और इसका इस तरह ज़हूर में आना बिलाशुब्हा आपका मोजिज़ा है, हज़रत सअद 55 हिजरी से 58 हिजरी के बीच में फ़ौत हूए।

फवाइद : (1) अस्सुलुसु कसीरून से मालूम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तिहाई माल के बारे में वसीयत की गुंजाइश है और बेहतर है कि इसे कम के बारे में वसीयत की जाये, जैसा कि आगे हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का क़ौल आ रहा है, और अहनाफ़ व हनाबिला का यही मौक़िफ़ है, और इमाम शाफ़ेई का मौक़िफ़ ये है कि एक तिहाई बहुत है या कोई कम नहीं है, इसलिए तिहाई से ज़्यादा के बारे में वसीयत जायज़ नहीं है, और इस पर उम्मत का इत्तेफ़ाक़ है, हाँ अगर उसका कोई भी रिश्तेदार (असहाबुल फ़ुरूज़, अस्बा और ज़ूल अरहाम) मौजूद नहीं है, तो फिर इसके बारे में इख़्तिलाफ़ है, क्योंकि यहाँ वह इल्लत कि तुम अपने वारिसों को लोगों के सामने हाथ फैलाने से मुस्तग़नी छोड़ो मौजूद नहीं है, अहनाफ़ के नज़दीक इस सूरत में वह आज़ाद है, इस पर किसी क़िस्म की पाबन्दी नहीं है, कुछ सहाबा, हज़रत अली, इब्ने मसऊद और अबू मूसा (ﷺ) से भी ये क़ौल मनक़ूल है, इमाम अहमद का एक क़ौल यही है, लेकिन शाफ़ेइयों, और मालकियों के नज़दीक एक तिहाई से ज़्यादा की गुंजाइश किसी भी सूरत में नहीं है, अगर उसका कोई वारिस नहीं है, तो उसका माल, बैतुल माल में जमा होगा। (2) इस हदीस से साबित होता है, फ़र्ज़ नफ़्क़ात जिनका ख़र्च उसकी ज़िम्मेदारी है, इसमें अगर इंसान अल्लाह की ख़ूशनूदी की नियत कर ले तो उसके अज्र व सवाब में इज़ाफ़ा हो जाता है, अगर अल्लाह तआला की ख़ूशनूदी की नियत न हो तो फ़र्ज़ साक़ित हो जायेगा, और इससे ये भी साबित होगा, कि उमूरे मुबाह में हुस्ने नियत से सवाब हासिल होगा, जैसे इंसान खाते पीते वक़्त ये नियत करे, इससे मुझे इबादत करने की ताक़त हासिल होगी, नींद व इस्तेराहत में ये नियत करे, इससे मैं इबादत के लिये ताज़ा दम हो जाऊंगा, वह बीवी से ताल्लुक़ात इसलिए क़ाइम करे ताकि ज़िना और बदनज़री से बच सके, या बीवी का हक़ अदा हो सके, और नेक औलाद हासिल हो। (3) इंसान को अगर आमाले सालेहा की तौफ़ीक़ के साथ तवील उम्र मिले, तो ये इंसान के लिये अज्र व सवाब में इज़ाफ़ा और दर्जात की बुलन्दी का बाइस है।

(4210) इमाम साहब अपने छः उस्तादों की तीन सनदों से ज़ोहरी ही की सनद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4185 में देखें।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(4211) इमाम साहब अपने उस्ताद इस्हाक़ बिन मन्सूर की सनद से हज़रत सअद (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) मेरे पास, मेरी एयादत के लिये तशरीफ़ लाये, आगे ज़ोहरी की रिवायत की तरह है, और इसमें हज़रत सअद बिन ख़ौला (ﷺ) के बारे में नबी अकरम (ﷺ) के क़ौल का ज़िक्र नहीं है, हाँ ये इज़ाफ़ा है आप(ﷺ) उस जगह फ़ौत होने को नापसन्द करते थे, जहाँ से इंसान ने हिजरत की है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2742, 5354, नसाई: 6/242, 6/242.

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ، إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَىَّ يَعُودُنِي . فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا .

(4212) हज़रत सअद (ﷺ) बयान करते हैं, मैं बीमार पड़ गया, तो मैंने नबी अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में पैग़ाम भेजा, (आपकी आमद के बाद) मैंने अर्ज़ किया, मुझे इजाज़त दीजिये कि मैं जैसे चाहूँ अपना माल तक़सीम करूँ, आपने इंकार कर दिया, मैंने कहा, तो आधे की इजाज़त फ़रमायें, आपने इंकार कर

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ، بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ دَعْنِي أَقْسِمْ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ فَأَبَى . قُلْتُ

فَالنِّصْفُ فَأَبَى ‏.‏ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ فَسَكَتَ بَعْدَ الثُّلُثِ ‏.‏ قَالَ فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا ‏.‏

दिया, मैंने कहा, तिहाई ही सही, तो आप इस पर ख़ामोश हो गये, तो इसके बाद से तिहाई माल की वसीयत जायज़ ठहरी।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا ‏.‏

(4213) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से सिमाक ही की सनद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, लेकिन इसमें इसका ज़िक्र नहीं है, इसके बाद तिहाई की वसीयत जायज़ ठहरी।

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لاَ ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ فَالنِّصْفُ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لاَ ‏"‏ ‏.‏ فَقُلْتُ أَبِالثُّلُثِ فَقَالَ ‏"‏ نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

(4214) हज़रत सअद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरी एयादत के लिये तशरीफ़ लाये, तो मैंने पूछा, मैं अपने तमाम माल के बारे में वसीयत कर सकता हूँ आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नहीं' मैंने अर्ज़ की, तो आधे के बारे में, आपने फ़रमाया: 'नहीं' तो मैंने पूछा, क्या तिहाई के बारे में? आपने फ़रमाया: 'हाँ, तिहाई बहुत है।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو، بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ ثَلاَثَةٍ، مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَّةَ فَبَكَى قَالَ ‏"‏ مَا يُبْكِيكَ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(4215) हज़रत सअद (ﷺ) के तीन बेटे, अपने बाप से बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) सअद की एयादत के लिये मक्का में उनके पास आये, तो सअद रो पड़े, आपने फ़रमाया, 'क्यूँ रोते हो?' उन्होंने अर्ज़ की, मैं डर रहा हूँ, कि इस सरज़मीन में फ़ौत न हो जाऊं, जहाँ से मैंने हिजरत की है, जैसे सअद बिन ख़ौला (ﷺ) फ़ौत हो गये थे, तो नबी अकरम (ﷺ) ने दुआ फ़रमाई, ऐ अल्लाह! सअद को शिफ़ा बख़्श, ऐ अल्लाह, इसको सेहत दे।' तीन दफ़ा फ़रमाया, उन्होंने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास बहुत माल

" اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا " . ثَلاَثَ مِرَارٍ . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً كَثِيرًا وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَتِي أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ " لاَ " . قَالَ فَبِالثُّلُثَيْنِ قَالَ " لاَ " . قَالَ فَالنِّصْفُ قَالَ " لاَ " . قَالَ فَالثُّلُثُ قَالَ " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ - أَوْ قَالَ بِعَيْشٍ - خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ " . وَقَالَ بِيَدِهِ .

है, और मेरी वारिस़ मेरी एक बेटी है, तो क्या मैं अपने सारे माल के बारे में वसीयत कर सकता हूँ? आपने फ़रमाया: 'नहीं' मैंने कहा, दो तिहाई के बारे में? आपने फ़रमाया: 'तिहाई, और तिहाई बहुत है, तेरा अपने माल से स़दक़ा करना भी स़दक़ा है और तेरा अपने अहल व अ़याल पर ख़र्च करना भी स़दक़ा है, और तेरी बीवी जो तेरा माल इस्तेमाल करती है, वह भी स़दक़ा है, और तू अपने अहल को ख़ूशहाल या फ़रमाया: ख़ूश ऐश छोड़े, वह इससे बेहतर है कि तू उनको इस हाल में छोड़े, वह लोगों के सामने हथेलियाँ फैलायें' और आपने अपने हाथ से इशारा किया।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ ثَلاَثَةٍ، مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ قَالُوا مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُهُ . بِنَحْوِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ .

(4216) हज़रत सअ़द (ؓ) के तीन बेटे बयान करते हैं कि हज़रत सअ़द (ؓ) मक्का मुकर्रमा में बीमार हो गये, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके पास एयादत के लिये तशरीफ़ लाये, आगे हस्बे साबिक़ है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُمَيْدِ، بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي ثَلاَثَةٌ، مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُنِيهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ صَاحِبِهِ فَقَالَ مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ . بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ .

(4217) हज़रत सअ़द (ؓ) के तीन बेटे एक जैसी हदीस़ बयान करते हैं कि हज़रत सअ़द(ؓ) मक्का में बीमार पड़ गये, तो नबी अकरम (ﷺ) उनकी एयादत के लिये उनके पास आये, आगे ऊपर दी गई रिवायत की तरह है।

फ़ायदा : हज़रत सअ़द (ﷺ) को अल्लाह तआला ने इस बीमारी से जो सही मौक़िफ़ के मुताबिक़ हज्जतुल विदा में पेश आई थी, जैसा कि पहली हदीस में सराहत गुज़र चुकी है, सेहतयाब हो गये थे, और अल्लाह तआला ने इसके बाद आपको तवील उम्र और औलाद से नवाज़ा, उनके दस से ज़्यादा बेटे और बारह बेटियाँ थीं।

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ، غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ " . وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ " كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ " .

(4218) इमाम अपने तीन उस्तादों की तीन सनदों से, हिशाम बिन उ़र्वा के वास्ते से हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से बयान करते हैं कि अगर लोग तिहाई में कमी करके, चौथाई माल के बारे में वसीयत कर लें, (तो बहुत है) क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'तिहाई, और तिहाई बहुत है।' वकीअ़ की रिवायत में है, 'बड़ा है या बहुत है।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2743, नसाई: 6/644, सुनन इब्ने माजा: 2711.

फ़ायदा : कुछ सहाबा व ताबेईन से चौथाई से भी कम करने के अक़वाल मनक़ूल हैं, असल चीज़ ये है, कि वसीयत करने वाला अपने तर्का की मिक़्दार और अपने वारिसीन की तादाद और उनकी ज़रूरियात का लिहाज़ करते हूए, तिहाई से कम करेगा, लेकिन अपनी ज़िन्दगी में फ़ी सबीलिल्लाह या नेक कामों में जिस क़द्र चाहे सर्फ़ कर सकता है, इस पर कोई ख़राबी नहीं है।

(2) باب وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ

बाब : 2 सदक़ात के सवाब का मय्यत तक पहुँचना

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ " نَعَمْ " .

(4219) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी अकरम (ﷺ) से पूछा, मेरा बाप फ़ौत हो गया है, और उसने माल छोड़ा है, और वसीयत नहीं की, तो क्या उसके गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन सकेगा, अगर मैं उसकी तरफ़ से सदक़ा करूं? आपने फ़रमाया: 'हाँ।'

तख़रीज : नसाई: 3654.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ " نَعَمْ " .

(4220) हज़रत आयशा (﵂) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, मेरी माँ की जान अचानक निकल गई है, और मेरा ख़्याल है, अगर उसको गुफ़्तगू का मौक़ा मिलता तो वह सदक़ा करती, तो क्या अगर मैं उसकी तरफ़ से सदक़ा करूं, तो मुझे सवाब मिलेगा। आपने फ़रमाया: 'हाँ।'

तख़रीज:ये हदीस बयान की जा चुकी है: 2324 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ " نَعَمْ " .

(4221) हज़रत आयशा (﵂) से रिवायत है कि एक आदमी नबी अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी माँ अचानक फ़ौत हो गई है, और उसने वसीयत नहीं की, और मेरा ख़्याल है, अगर उसको बोलने का मौक़ा मिलता, वह सदक़ा करती, तो क्या उसको, अगर मैं उसकी तरफ़ से सदक़ा करूं, अज्र मिलेगा? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हाँ।'

तख़रीज:ये हदीस बयान की जा चुकी है: 2324 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ، بْنُ إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَمَّا أَبُو أُسَامَةَ وَرَوْحٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا فَهَلْ لِي أَجْرٌ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . وَأَمَّا شُعَيْبٌ وَجَعْفَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا أَفَلَهَا أَجْرٌ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ

(4222) इमाम साहब अपने चार उस्तादों की चार सनदों से हिशाम बिन उर्वा ही की सनद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, अबू उसामा और रौह तो हिशाम से ये नक़ल करते हैं कि क्या मुझे अज्र मिलेगा? जैसा कि यहया बिन सईद की हदीस नम्बर 12 में गुज़रा है, और शुऐब और जाफ़र की हदीस में, ऊपर की इब्ने बिश्र की रिवायत की तरह है, क्या उसको अज्र मिलेगा?

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है।

फ़ायदा : इन दोनों हदीसों से ये बात साबित होती है, अगर मय्यत की औलाद उसकी तरफ़ से सदक़ा करे, तो सदक़ा करने वाले की तरह मय्यत को भी सवाब मिलेगा, और बक़ौल हाफ़िज़ इब्ने तैमिया, ये बात इस आयत के मुनाफ़ी नहीं है कि (लैसा लिल इन्सानि इल्ला मा साआ) इंसान अपनी ही मेहनत और काविश का मालिक या हक़दार है, दूसरा कोई उसका हक़दार या मालिक नहीं है, क्योंकि अगर मालिक और हक़दार अपनी चीज़ दूसरे को अपनी ख़ुशी और मर्ज़ी से दे दे, तो दूसरा अगरचे उसका मालिक या हक़दार नहीं था, लेकिन वह उसके देने से अब उससे फ़ायदा उठा लेगा, जैसा कि हम नमाज़े जनाज़ा में उसके लिये दुआएँ करते हैं, या अत्तहिय्यात में सब नेक बंदों के लिये दुआएँ करते हैं, तो उनका फ़ायदा सबको पहुँचता है। ख़ुलासा ये है कि नफ़ी इस्तेहक़ाक़ और मिल्कियत की है, नफ़ा उठाने की नफ़ी नहीं है। (फ़तावा इब्ने तैमिया, जिल्द: 24, सफ़ा: 367—मजमूआ और मसाइलुल मुनीरिया, जिल्द: 3, सफ़ा: 209)

बाब : 3
इंसान की वफ़ात के बाद जो सवाब उसको मिलता है

باب(3)
مَايَلحَقُ الإِنسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعدَ وَفَاتِهِ

(4223) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इंसान जब फ़ौत हो जाता है, उसका अमल बंद हो जाता है, मगर तीन सूरतों में, जारी रहने वाला सदक़ा, इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जा रहा है, औलाद जो उसके हक़ में दुआ करती है।

तख़रीज : जामेअ तिर्मिज़ी: 1376, नसाई: 6/251.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ " .

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि इंसान अपनी ज़िन्दगी में नेक अमल करता है, वह अगरचे उसके मरने पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर उस अमल के असरात व समरात उसके बाद भी क़ाइम रहते हैं, तो उसको इसका अज्र व सवाब मिलता रहता है, ख़ास कर औलाद अगर वह उसकी सही दीन के मुताबिक़ तर्बीयत करता है, और उसके नतीजा में, वह उसके हक़ में दुआ या सदक़ा व ख़ैरात करती

है, तो उसका अज्र, उसको मिलता रहता है, या उसने कोई दीनी और इल्मी किताब छोड़ी, उसने तालीम व तदरीस के ज़रिये, अहले इल्म पैदा किये, कोई दीनी मदरसा या मस्जिद बनाई, वाज़ व तब्लीग़ के ज़रिये लोगों में दीन पर अमल करने का जज़्बा उभारा, गोया हर वह काम जिसके नताइज व समरात पायदार हैं, और उसके बाद क़ाइम रहेंगे, उनकी मौजूदगी तक उसको सवाब मिलता रहेगा।

बाब : 4
वक़्फ़

باب(4)
الوَقفِ

(4224) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत उमर (ﷺ) को ख़ैबर में ज़मीन मिली, तो वह नबी अकरम (ﷺ) के पास इसके बारे में मशवरा लेने के लिये हाज़िर हूए, और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे ख़ैबर में ज़मीन मिली है, मुझे कभी इससे ज़्यादा पसन्दीदा माल नहीं मिला, तो आप (ﷺ) मुझे इसके बारे में क्या मशवरा देते हैं? आपने फ़रमाया: 'अगर चाहो तो इसके असल को रोक रखो और इसके अलावा (मुनाफ़ा) सदक़ा कर दो।' हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) बयान करते हैं, हज़रत उमर (ﷺ) ने उसको सदक़ा कर दिया, इस शर्त के साथ कि उसके असल को बेचा या ख़रीदा नहीं जायेगा, और न उसका कोई वारिस बनेगा, और न उसे हिबा किया जा सकेगा, तो हज़रत उमर (ﷺ) ने उसे फ़ुक़रा रिश्तेदारों, अल्लाह की राह, मुसाफ़िरों और मेहमानों के लिये सदक़ा कर दिया, और कहा, जो शख़्स इस ज़मीन का इन्तेज़ाम करेगा, उस पर कोई तंगी या गुनाह नहीं है कि वह मारूफ़ तरीक़े के मुताबिक़ उससे खाये या

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " . قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُبْتَاعُ وَلاَ يُورَثُ وَلاَ يُوهَبُ . قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ . قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ

غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ . قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً .

दोस्त व अहबाब को खिलाये, हाँ उसको माल जमा करने का ज़रिया न बनाये, इब्ने औ़न कहते हैं, मैंने ये हदीस़ मुहम्मद बिन सीरीन को सुनाई तो जब मैं ग़ैर मुतमव्विल फ़ीह, उसको माल जमा करने का ज़रिया न बनाये पर पहुँचा, तो मुहम्मद ने कहा, ग़ैर मुतअस़्स़िलिन मालन, उसको अपना अस़ल माल न समझे और इब्ने औ़न कहते हैं, जिसने ये तहरीर पढ़ी थी, उसने मुझे बताया, इसमें ग़ैर मुतअस़्स़िलिन मालन है।

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 2737, 2772, 2773, सुनन अबू दाऊद: 2878, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1375, नसाई: 6/230, 231, 6/231, 6/231, सुनन इब्ने माजा: 2396.

फ़वाइद : (1) ये ज़मीन जो हज़रत उमर (ﷺ) को ख़ैबर में मिली थी, वह उनका ग़नीमत से हिस्सा था, और उसके साथ ही उन्होंने अपना समग़ नामी मदीना में नख़्लिस्तान भी वक़्फ़ कर दिया था, कुछ रावियों ने इस समग को ख़ैबर वाली ज़मीन क़रार दिया है, जो दुरूस्त नहीं है, ये दोनों अलग अलग ज़मीनें हैं। (तफ़्स़ील के लिये, वफ़ा अलवफ़ा, इमाम सम्हूदी, जिल्द: 4, स़फ़ा: 1122, तबअ़ मदीना मुनव्वरा देखिये) **(2)** इस हदीस़ से स़ाबित होता है, किसी अहम काम के लिये अहले इल्म और अहले फ़ज़ल से मशवरा करना अच्छा है, और मुशीर को भी अच्छा मशवरा ही देना चाहिए। **(3)** हज़रत उमर (ﷺ) ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के मशवरा देने वाले के मुताबिक़ अपनी ज़मीन वक़्फ़ कर दी, और ख़ुद ही उसके निगरां और मुतवल्ली रहे और अपनी ज़िन्दगी के आख़री अय्याम में, इस वक़्फ़ की सूरत को तहरीर कर दिया, जिसके लिये सुर्ख़ चमड़ा (अदीमे अहमर) इस्तेमाल किया गया। **(4)** वक़्फ़ की दो सूरतें हैं। **(अ)** आदमी अपनी चीज़ की अस़ल या ज़ात वक़्फ़ कर दे, जिससे जनता का काम लिया जाये, जैसे कोई ज़मीन मस्जिद या मदरसा या मुसाफ़िर ख़ाना के तौर पर वक़्फ़ कर दी, अब ये बिलइत्तेफ़ाक़ हमेशा के लिये वक़्फ़ हो जायेगी, वाक़िफ़ का रूजू या उसको फ़रोख़्त करना, किसी को हिबा करना, या किसी का उसका वारिस़ बनना जायज़ नहीं होगा। **(ब)** शै (किसी चीज़) की ज़ात और अस़ल वक़्फ़ न करे, उसके फ़वाइद और मुनाफ़ा वक़्फ़ कर दे, कि उस घर का किराया या उस ज़मीन की पैदावार फुलां मद में स़र्फ़ होगी, जुम्हूर फ़ुक़हा के नज़दीक ये चीज़ हमेशा के लिये

वक़्फ़ हो जायेगी, और इस हदीस़ के मुताबिक़, वाक़िफ़ का रूजू, या उसको बेचना या हिबा करना या विरासत का जारी होना जायज़ नहीं होगा, अइम्म-ए-सलासा और साहबैन का यही मौक़िफ़ है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक कुछ सूरतों में जैसे ये कहे कि मेरी इस ज़मीन की पैदावार फ़ुलां मद के लिये है, तो वाक़िफ़ का रूजू और उसका बेचना, हिबा करना, विरासत का जारी होना जायज़ होगा, लेकिन अगर क़ाज़ी इस वक़्फ़ को वक़्फ़े लाज़िम क़रार दे दे, तो वक़्फ़े लाज़िम हो जायेगा, या यूँ कहे, ये मेरी ज़िन्दगी में वक़्फ़ है, और मेरी मौत के बाद सदक़ा है, तो फिर वक़्फ़ लाज़िम होगा, लेकिन जुम्हूर के नज़दीक वक़्फ़ हर सूरत में लाज़िम और अबदी होगा, और इन शर्तों व मसारिफ़ की पाबन्दी की जायेगी, जो वक़्फ़ करने वाले ने तै की हैं और अक्सर हनफ़ी उलमा जुम्हूर के क़ौल के मुताबिक़ फ़तवा देते हैं। (तकमिला, जिल्द: 2, सफ़ा: 124) **(5)** वक़्फ़ का मुतवल्ली या मुन्तज़िम वक़्फ़ की आमदनी से दस्तूर के मुताबिक़ अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है, और घर में आने वाले दोस्त व अहबाब को भी उससे खिला सकता है।

حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَأَزْهَرَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ " أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ " . وَلَمْ يُذْكَرْ مَا بَعْدَهُ . وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ قَوْلَهُ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا . إِلَى آخِرِهِ .

(4225) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की सनदों से, इब्ने औन की ऊपर दी गई सनद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि इब्ने अबी ज़ायदा और अज़हर की हदीस़ इस पर ख़त्म हो गई है, 'या दोस्त को खिलाये लेकिन माल को जमा करने का ज़रिया न बनाये।' और बाद वाला हिस्सा बयान नहीं किया गया, और इब्ने अदी की रिवायत में सुलैम ने ये बयान किया है कि मैंने ये हदीस़ मुहम्मद को सुनाई, आख़िर तक मौजूद है।

तख़रीज : सहीह नसाई: 3599, 3600, 3607.

फ़ायदा : सुलैम से मुराद, सुलैम बिन अख़ज़र है जो इब्ने औन का शागिर्द है, और इब्ने अदी का साथी है, जिसकी रिवायत सबसे पहले बयान की गई है।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ

(4226) हज़रत उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि मुझे ख़ैबर में ज़मीन मिली, तो मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और मैंने अर्ज़ किया, मुझे ज़मीन मिली है,

أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ [illegible] وَلاَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا . [illegible] حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَحَدَّثْتُ [illegible]

मुझे कोई माल इससे ज़्यादा महबूब और मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा नफ़ीस़ और उ़म्दा नहीं मिला, आगे इब्ने औ़न के ऊपर बयान किये गये शागिर्दों की तरह हदीस़ बयान की, और ये नहीं बयान किया, मैंने ये हदीस़ मुहम्मद को सुनाई, और इसके बाद का हिस्सा।

तख़रीज : नसाई: 3599, 3600, 3607.

बाब : 5
उसका वस़ीयत न करना, जिसके पास लायक़े वस़ीयत कोई चीज़ नहीं है

(5) [illegible] لِمَنْ لَيْسَ [illegible]

[illegible] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ [illegible] مَالِكٌ [illegible] عَنْ طَلْحَةَ [illegible] عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى [illegible] رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [illegible] قُلْتُ [illegible] عَلَى الْمُسْلِمِينَ [illegible] بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى [illegible]

(4227) तलहा बिन मुसर्रिफ़ (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (ﷺ) से पूछा, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वस़ीयत फ़रमाई थी? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैंने पूछा, तो मुसलमानों पर वस़ीयत करना क्यूँ फ़र्ज़ क़रार दिया गया, या उन्हें वस़ीयत करने का क्यूँ हुक्म दिया गया? उन्होंने कहा, आप (ﷺ) ने अल्लाह की किताब के बारे में वस़ीयत फ़रमाई थी।

तख़रीज:सहीह बुख़ारी: 2740, 4460, 5022, जामेअ़ तिर्मिज़ी:2119, नसाई:6/240, सुनन इब्नेमाजा: 2696.

फ़ायदा : हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन औफ़ा (ﷺ) ने ये ख़्याल [illegible] ज़रत अ़ली (ﷺ) के बारे में ख़िलाफ़त की वस़ीयत या अहले बैत के [illegible] यत के मुताल्लिक़ पूछना है, क्योंकि शीआ इसका बहुत प्रचार करते थे, [illegible] ब दिया, वरना आपने बहुत सी चीज़ों के बारे में वस़ीयत फ़रमाई है, औ [illegible] सीयत से मुराद, आप (ﷺ) के इस फ़रमान की तरफ़ इशारा है, (तरक्तु [illegible] ल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती), मैं तुममें ऐसी दो ची [illegible] म उनको मज़बूती से पकड़ोगे, गुमराह नहीं होगे, यानी अल्लाह की किताब और [illegible]

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كِلاَهُمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قُلْتُ فَكَيْفَ أُمِرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ.

(4228) इमाम साहब ऊपर दी गई रिवायत दो उस्तादों की सनदों से, मालिक बिन मिग़्वल ही की सनद से बयान करते हैं, वकीअ की हदीस़ में है, मैंने पूछा, तो लोगों को वसीयत का हुक्म क्यों दिया गया? और इब्ने नुमैर की रिवायत है, मैंने पूछा, मुसलमानों पर वसीयत कैसे फ़र्ज़ कर दी गई?

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4203 में देखें।

फ़ायदा : जुम्हूर के नज़दीक वसीयत करना फ़र्ज़ नहीं है, इसका इन्हिसार ज़रूरत पर है, जैसा कि तफ़्सील गुज़र चुकी है, और मुमकिन है कि तलहा बिन मुसर्रिफ़ इसको फ़र्ज़ समझते हों।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلاَ شَاةً وَلاَ بَعِيرًا وَلاَ أَوْصَى بِشَىْءٍ .

(4229) हज़रत आयशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने न कोई दीनार छोड़ा और न दिरहम, न बकरी, न ऊँट, और न किसी (माली चीज़) के बारे में वसीयत की।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 2863, नसाई: 6/240, सुनन इब्ने माजा: 2695.

फ़ायदा : हज़रत आयशा (रज़ि.) का मक़सद माल के बारे में या ख़िलाफ़त के बारे में सरीह वसीयत का इंकार करना है, वरना हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के बारे में आपने इशारा और किनाया से वसीयत फ़रमाई है।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، - وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ .

(4230) इमाम साहब अपने चार उस्तादों की दो सनदों से, आमश से ही ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4205 में देखें।

(4231) अस्वद बिन यज़ीद बयान करते हैं, लोगों ने हज़रत आयशा (ﷺ) से बयान किया, कि हज़रत अली (ﷺ) के बारे में आप ने वसीयत फ़रमाई थी, तो उन्होंने कहा, इन्हें कब वसीयत की? मैंने आप (ﷺ) को अपने सीने का सहारा दिया हुआ था, या कहने लगीं, आप मेरी गोद में टेक लगाये हुए थे, तो आपने थाल मंगवाया और मेरी गोद में गिर गये, और मुझे पता न चल सका, कि आप फ़ौत हो गये हैं, तो आपने उन्हें कब वसीयत की?

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي - أَوْ قَالَتْ حَجْرِي - فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ.

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2741, 4459, नसाई: 3624, 3625, सुनन इब्ने माजा: 1626.

मुफ़रदातुल हदीस़ : इन्ख़नस: आपके अज़्ज़ा ढ़ीले पड़ गये, आप झुक गये।

फ़ायदा : राफ़ज़ी हज़रत अली (ﷺ) के वसीअ होने का प्रचार करते थे, इसलिए लोग, सहाबा किराम से इसके बारे में सवाल करते थे, तो सहाबा किराम इसकी तर्दीद फ़रमाते, यहाँ तक कि ख़ुद हज़रत अली (ﷺ) से इसकी तर्दीद मनक़ूल है, आप (ﷺ) ने जंगे जमल के मौक़े पर कहा, ऐ लोगो! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें इस इमारत के बारे में कोई वसीयत नहीं की। (फ़तहुल बारी, जिल्द: 5, सफ़ा: 444)

मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी ने तोहफ़ुल अह्वज़ी, जिल्द: 3, सफ़ा: 230 पर नक़ल किया, कि हज़रत अली(ﷺ) से लोगों ने कहा, आप हम पर ख़लीफ़ा क्यों मुक़र्रर नहीं करते? उन्होंने जवाब दिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़लीफ़ा मुक़र्रर नहीं फ़रमाया था, मैं कैसे ख़लीफ़ा मुक़र्रर करूं, तफ़्सील के लिए तकमिला जिल्द: 2, सफ़ा: 131,133 देखिये।

(4232) इमाम साहब अपने कई उस्तादों से, हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की हदीस़ बयान करते हैं, उन्होंने कहा, जुमेरात का दिन, जुमेरात का दिन किस क़द्र संगीन था, फिर वह रो पड़े, यहाँ तक कि उनके आँसू से कंकरियाँ तर हो गयीं, मैंने पूछा, जुमेरात के दिन से क्या मक़सद है? उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) की

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ

الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى . فَقُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ . فَقَالَ " ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدِي " . فَتَنَازَعُوا وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ . وَقَالُوا مَا شَأْنُهُ أَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ. قَالَ " دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ أُوصِيكُمْ بِثَلاَثٍ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ " . قَالَ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَهَا فَأُنْسِيتُهَا.قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْحَدِيثِ

बीमारी शिद्दत इख़्तियार कर गई, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दवात किताब लाओ, मैं तुम्हें तहरीर कर दूं, मेरे बाद तुम परेशान नहीं होगे, या ग़लती नहीं करोगे।' तो सहाबा किराम में इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया, और नबी के पास झगड़ा करना मुनासिब नहीं होता, और कहने लगे, आप का क्या मामला है? क्या आप हमें छोड़ रहे हैं,आपसे पूछ लो, आपने फ़रमाया: 'मुझे रहने दो,मैं जिस सोच व फ़िक्र में हूँ, बेहतर है, मैं तुम्हें तीन चीज़ों के बारे में वसीयत करता हूँ, मुश्रिकों को जज़ीरतुल अ़रब से निकाल देना, आने वालों को इस तरह तोहफ़े तहाइफ़ देना, जैसे में देता था, सईद बिन जुबैर, तीसरी चीज़ से ख़ामोश हो गये, या उन्होंने बताई मैं (सुलैमान अह्वल) वह भूल गया हूँ, इमाम मुस्लिम के शागिर्द अबू इस्हाक़ इब्राहीम कहते हैं, हमें ये रिवायत, हसन बिन बिश्र ने सुफ़ियान से सुनाई।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3053, 3168, 4431, सुनन अबू दाऊद: 3029.

मुफ़रदातुल हदीस़ : अहजर : क्या आप हमें दाग़े मुफ़ारक़त देना चाहते हैं, यानी ये लफ़्ज़ हजरून से माख़ूज़ है, हुज़रून से माख़ूज़ नहीं है, जिसका मानी होता है, बीमारी की हालत में ग़ैर शऊरी गुफ़्तगू करना और बे रब्त बातें करना, ज़ाहिर है अगर ये मक़सूद होता, तो फिर इस्तफ़हिमूहु आप से वज़ाहत करने की क्या ज़रूरत थी, और अगली रिवायत के अल्फ़ाज़, क़ालू इन्ना रसूलल्लाहि यह्जुरु : आप दाग़े मुफ़ारक़त देना चाहते हैं, में से भी इसकी ताईन होती है।

फ़ायदा : तीसरी चीज़ जिसे हज़रत सईद बिन जुबैर ने बयान नहीं किया, या सुलैमान भूल गया, इसके बारे में इख़्तिलाफ़ है, कुछ के बक़ौल वसीयत बिलक़ुर्आन है, कुछ के नज़दीक हज़रत उसामा के लश्कर की तैयारी और एहतिमाम है, कुछ के नज़दीक (ला तत्तख़िज़ू क़ब्री वसनन युअ्बदु) है, मेरी क़ब्र को इबादतगाह न बना लेना, और कुछ के नज़दीक नमाज़ और ग़ुलाम, लौण्डियों के बारे में ताकीद है (हदीस़ की तशरीह आख़िर में आ रही है)

(4233) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने कहा, जुमेरात का दिन, जुमेरात का दिन भी क्या ही अजीब था, फिर उनके आँसू जारी हो गये, सईद कहते हैं, मैंने आँसूओं को उनके रूख़सारों पर इस तरह देखा, गोया कि वह मोतियों की लड़ी है, इब्ने अब्बास ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे पास शाने की हड्डी और दवात या तख़्ती और दवात लाओ, मैं तुम्हें एक तहरीर लिखवा दूं, इसके बाद तुम हरगिज़ सरगरदान नहीं होगे।' तो सहाबा ने समझा, आप (ﷺ) दाग़े मुफ़ारक़त दे रहे हैं।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ . ثُمَّ جَعَلَ تَسِيلُ دُمُوعُهُ حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَّيْهِ كَأَنَّهَا نِظَامُ اللُّؤْلُؤِ . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ائْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ - أَوِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ - أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا " . فَقَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْجُرُ .

(4234) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात का वक़्त आ पहुँचा, और घर में बहुत से अफ़राद थे, जिनमें उमर बिन ख़त्ताब भी थे, तो नबी अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: 'आओ, मैं तुम्हें एक तहरीर लिखवा दूं, इसके बाद तुम हैरान नहीं होगे, तो हज़रत उमर (ﷺ) कहने लगे, रसूलुल्लाह (ﷺ) शदीद बीमार हैं, इसलिए आपको लिखवाने की ज़हमत नहीं देनी चाहिए, (और तुम्हारे पास क़ुरआन मजीद मौजूद है, हमारे लिये अल्लाह की किताब काफ़ी है, इसकी मौजूदगी में हम सरगरदान और हैरान नहीं होंगे) तो घर वालों में इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया, वह आपस में झगड़ने लगे, उनमें से कोई कह रहा था, मतलूबा चीज़ मुहैया करो, रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐसी तहरीर

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّونَ بَعْدَهُ " . فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ . فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ . فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالاِخْتِلاَفَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قُومُوا " . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنِ اخْتِلاَفِهِمْ وَلَغَطِهِمْ .

लिखवा दें, जिससे तुम बाद में परेशानी या ग़लती से बच सकोगे, और इनमें से कुछ हज़रत उमर की हमनवाई कर रहे थे, तो जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िरीन का शोर और इख़्तिलाफ़ बढ़ गया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उठ जाओ।' उबैदुल्लाह कहते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) कहते थे, मुसीबत, मुकम्मल मुसीबत, उनका वह इख़्तिलाफ़ और शोर है, जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के इस इरादे के दरम्यान हाइल हुआ, कि आप उन्हें एक तहरीर लिखवा दें।

तख़रीज: सहीह बुख़ारी: 114, 4432, 5669, 7366.

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अर्रज़िय्या: मुसीबत, **(2) लग़त:** शोर शराबा।

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का ख़्याल ये था कि आप बित्तर्तीब ख़ुल्फ़ा की ख़िलाफ़त तहरीर करवा देते, तो बाद वाले जो झगड़े खड़े हुए, और सहाबा में जंग तक नौबत पहुँची, हम उससे बच जाते, लेकिन किबारे सहाबा ने ये समझा कि दीन की तकमील के बाद, कोई नई बात तो आप(ﷺ) को लिखवानी नहीं है, पहली बातों की ताकीद और तौसीक़ ही होगी या हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने ये ख़्याल किया, आप अबू बक्र (رضي الله عنه) की ख़िलाफ़त के बारे में लिखवायेंगे और इसके बारे में हमारे अंदर कोई इख़्तिलाफ़ नहीं, क्योंकि इसका आपने पहले इज़हार फ़रमया था कि ऐ आयशा: उदउ ली अबाका अबा बक्र व अख़ाका। मेरे पास अपने बाप अबूबक्र और अपने भाई को बुलाओ, ताकि मैं उन्हें एक तहरीर लिख दूं, क्योंकि मुझे ख़दशा है, कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना करेगा, और कहने वाला कहेगा, मैं ज़्यादा लायक़ और हक़दार हूँ, और अल्लाह और मोमिन, अबूबक्र के सिवा किसी को क़बूल नहीं करेंगे। (मुस्लिम, जिल्द: 2, सफ़ा: 273, तबअ क़दीमी कुतुब ख़ाना)

नीज़ हज़रत उमर (رضي الله عنه) और उनके साथियों का ख़्याल था, आप (ﷺ) पहले ही शदीद बीमार हैं, इसलिए आपको मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करना चाहिए, फिर आपने भी तहरीर पर इसरार नहीं फ़रमाया, अगर लिखवाना ज़रूरी होता तो आप किसी मुख़ालिफ़त की परवाह न करते और लिखवा कर रहते, जैसा कि सुलह हुदैबिया, सब की मुख़ालिफ़त के बावजूद, कुफ़्फ़ार की शर्तों पर ही कर ली थी, नीज़ ये वाक़िया जुमेरात को पेश आया, और आपकी वफ़ात सोमवार के दिन हुई, अगर तहरीर

ज़रूरी होती, तो आपने उन दिनों और वसीयतें की हैं, बल्कि हफ़्ता के दिन, मिम्बर पर बैठ कर ख़िताब भी फ़रमाया है, तो आप उन दिनों में लिखवा देते, और फिर आम तौर पर मुख़ातब घर के अफ़राद होते हैं, तो हज़रत अली आगे पीछे ये काम करवा सकते थे, बल्कि मुसनद अहमद में तो है, हज़रत अली (ﷺ) बयान करते हैं, कि नबी अकरम (ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया, कि मैं एक तबक़ लेकर आऊं, जिस पर आप ऐसी चीज़ लिखवा दें, जिसके बाद आपकी उम्मत सरगरदान नहीं होगी। (मुसनद अहमद: जिल्द: 1, सफ़ा: 90 तबअ बैरूत)

बहरहाल हज़रत उमर ने ये बात आप (ﷺ) से मोहब्बत और आपको तकलीफ़ से बचाने के लिये कही, आपके हुक्म का इंकार मक़सूद नहीं था, जैसा कि सुलह हुदैबिया के मौक़े पर जब क़ुरैश ने आपके नाम के साथ, रसूलुल्लाह (ﷺ) लिखने पर ऐतराज़ किया, तो आपने हज़रत अली से फ़रमाया, रसूलुल्लाह (ﷺ) का लफ़्ज़ काट कर, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो, तो हज़रत अली कहने लगे, वल्लाहि ला अमहूक अब्दन, अल्लाह की क़सम मैं कभी रसूलुल्लाह (ﷺ) का लफ़्ज़ नहीं मिटाऊंगा, तो क्या ये इंकार ताज़ीम व मोहब्बत की बिना पर था या इनाद व इंकार की ख़ातिर, इसलिए इस वाक़िया को सहाबा किराम पर तअन व तशनीअ का ज़रिया बनाना, सहाबा से दुशमनी का शाख़साना है, वरना इसमें कोई क़ाबिले ऐतराज़ बात नहीं है।

ارشاد باری تعالیٰ

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

"وہ اپنی نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی۔"

(الدھر ۷۶:۷)

'वह अपनी नज़्र पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी मुसीबत बहुत ज़्यादा फैली हूई होगी।'

(अल दहर: 76/7)

किताबुन्नज़र का तआरुफ़

नज़्र ये है कि आदमी किसी नेकी को, जो उस पर वाजिब नहीं, ख़ुद अपने लिये वाजिब कर ले। उमूमन ये मशरूत होती है। अगर मेरा फ़ुलां काम हो गया तो मैं इतने नवाफ़िल पढूँगा, या इतने रोज़े रखूँगा। बअ़सत से पहले भी लोग नज़्र मानते थे, जैसे: काबा की तरफ़ पैदल जाने, काबे में ऐतकाफ़ करने, जानवर वहाँ ले जाकर कुर्बान करने या मुत्तलक़ किसी जानवर की कुर्बानी जैसी नज़्रें मानी जाती थीं। नेकी के सही कामों की नज़्रें जो लोगों ने इस्लाम लाने से पहले मानी थीं, इस्लाम लाने के बाद उन्हें पूरा करने का हुक्म दिया गया। शर्त उमूमन किसी काम के हो जाने, किसी तकलीफ़ के रफ़ा होने या किसी ख़दशे से महफ़ूज़ होने और किसी अच्छी ख़बर मिलने के हवाले से होती है। शवाफ़ेअ इसको नज़्रे लिजाज कहते हैं।

जब शर्त पूरी हो जाये तो नज़्र का अयफ़ा (पूरा करना) भी ज़रूरी होता है। शर्त के बग़ैर भी नज़्र मानी जाती है। इसे बहर सूरत पूरा करना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह (ﷺ) का अपना तरीक़ेकार ये था कि मुश्किल के वक़्त दुआ और इबादत के ज़रिये से अल्लाह तआला की तरफ़ रूजू फ़रमाते थे। बाद में अज़ ख़ुद सज्दा–ए–शुक्र का एहतिमाम फ़रमाते। यही सबसे अच्छा तरीक़ा है। आप (ﷺ) ने वाज़ेह फ़रमाया कि नज़्र के ज़रिये से तक़दीर नहीं बदल सकती है।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 2139) इसलिए आपने नज़्र न मानने की तल्क़ीन फ़रमाई और वाज़ेह किया कि नज़्र के ज़रिये से किसी बख़ील का माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च हो जाता है या न करने वाला इस तरह कोई अच्छा काम कर लेता है। यही वजह है कि आपने नज़्र को ममनूअ क़रार नहीं दिया बल्कि मानी हुई नज़्र को, अगर इसमें अल्लाह की नाफ़रमानी न हो, पूरा करने का हुक्म दिया। अगर किसी शख़्स ने ऐसा काम करने की नज़्र मानी जो गुनाह है तो वह नज़्र साक़ित है, गुनाह का काम हरगिज़ नहीं करना चाहिए।

ये भी इस्लाम की रहमत है कि अगर कोई शख़्स ऐसी नज़्र मान ले जो उसके इख़्तियार में नहीं, जैसे: कोई ऐसा काम करने की नज़्र जो उसकी इस्तेताअत से बाहर है, या कोई ऐसी चीज़ अल्लाह की राह में देने या कुर्बान करने की नज़्र जो उसकी मिल्कियत में ही नहीं, तो ऐसी नज़्र उससे साक़ित हो जाती है। अगर नज़्र मानने वाला ऐसे काम की नज़्र माने जिसे वह मुकम्मल तौर पर तो पूरा करने की सिकत नहीं रखता लेकिन जुज़वी तौर पर सिकत मौजूद है, उसे इस्तेताअत के मुताबिक़ पूरा करना ज़रूरी है।

' अगर उसकी नज़्र जायज़ या नेकी के हवाले से थी और उसने उस नज़्र को पूरा नहीं किया तो उस पर क्या कफ़्फ़ारा आइद होगा? इसके बारे में इख़्तिलाफ़ है। बहुत से उलमा कफ़्फ़ारे को लाज़िम क़रार नहीं देते बल्कि मुस्तहब गरदानते हैं। वह सहीह मुस्लिम की इस किताब की आख़री हदीस में कफ़्फ़ारे के हवाले से जो हुक्म है उसे इस्तेहबाब पर महमूल करते हैं। लेकिन एहतियात यही है कि नज़्र पूरी न करने की सूरत में क़सम तोड़ने का कफ़्फ़ारा दिया जाये। हज़रत उक़्बा बिन आमिर(ﷺ) ने अपनी बहन की नज़्र के हवाले से जो हदीस बयान की (हदीस: 4250), सुनन अबू दाऊद में उसी रिवायत के आख़िर में: 'वतुहदि हदया' (और क़ुर्बानी के जानवर साथ ले जाने) के अल्फ़ाज़ भी हैं। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3296) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) के अलावा हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने भी रसूलुल्लाह (ﷺ) से यही अल्फ़ाज़ रिवायत किये हैं। इसलिए नज़्र अयफ़ा न करने या अधूरी अयफ़ा करने की सूरत में क़सम वाला कफ़्फ़ारा देना ही क़रीने एहतियात है। इमाम शाफ़ेई (रह.), मशरूत नज़्र (नज़्र लिजाज) के मामले में कफ़्फ़ारा ज़रूरी ख़्याल करते हैं। अगर नज़्र ग़ैर मशरूत हो उसके अदमे अयफ़ा पर कफ़्फ़ारा देना ज़रूरी है, इस पर सबका इत्तेफ़ाक़ है।

كتاب النذر

किताबुन्नज़र

नज़्र (नसर, ज़रब) जो चीज़ इंसान के ज़िम्मे लाज़िम नहीं है, उसका अपने लिये लाज़िम ठहराना, लेकिन ये सिर्फ़ उन चीज़ों के बारे में हो सकता है, जो जायज़ हैं, ये नज़्र (मन्नत) मुत्लक़न भी हो सकती है, जैसे कोई इंसान, किसी दिन रोज़ा रखने की मन्नत मान ले, और किसी सबब और वाक़िया के पसे मन्ज़र में भी, जैसे कोई कहे, अगर अल्लाह हमारे बीमार को सेहत बख़्श दे, तो मैं हफ़्ता भर रोज़े रखूंगा, या एक बकरा या गाय सदक़ा में दूंगा।

باب (1)
الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ

बाब : 1
नज़्र पूरी करने का हुक्म

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ، عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَاقْضِهِ عَنْهَا "

(4235) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत सअद बिन उबादा (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से उस नज़्र के बारे में दरयाफ़्त किया, जो उनकी वालिदा के ज़िम्मे थी, और वह उसे पूरा करने से पहले फ़ौत हो गई, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम उसे उसकी तरफ़ से पूरा करो।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2761, 6698, 6959, सुनन अबू दाऊद, 3307, जामेअ तिर्मिज़ी: 1546, नसाई: 6/253, 254, 6/254, 7/20, 7/21, सुनन इब्ने माजा: 2132.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، . بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ .

(4236) इमाम साहब अपने उस्ताद की पाँच सनदों से, ज़ोहरी ही की ऊपर दी गई सनद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4211 में देखें।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि मूरिस़ ने अगर कोई नज़्र मानी हो, तो उसके नेक तीनत वारिस़, उसको पूरा करना अपनी ज़िम्मेदारी तस़व्वुर करते हैं, इस मक़सद के तहत, हज़रत सअद बिन उ़बादा (ﷺ) ने दरयाफ़्त किया था, और उन्हीं के तस़व्वुर के मुताबिक़ आपने उनको नज़्र पूरी करने का हुक्म दिया था, इसलिए सवाल के जवाब में अम्र (आर्डर) का स़ेग़ा फ़िक़्ही और क़ानूनी फ़र्ज़ियत पर दलालत नहीं करता, इसलिए जुम्हूर फ़ुक़्हा के नज़दीक वारिस़ पर नज़्र पूरी करना फ़र्ज़ नहीं है, बेहतर यही है कि उसको पूरा करे, और अगर नज़्र का ताल्लुक़ माल से हो और तर्का में माल मौजूद हो, तो फिर उसका पूरा करना फ़र्ज़ है, और क्या वारिस़ हर क़िस्म की नज़्र, उसका ताल्लुक़ माल से हो, या बदन से पूरी कर सकता है? या उसमें कोई क़ैद है? इसकी तफ़्सील नीचे दी गई है।

(1) अगर नज़्र का ताल्लुक़ ख़ालिस़ माल से है, जैसे स़दक़ा की नज़्र है, तो इमाम शाफ़ेई के नज़दीक, उसका पूरा करना फ़र्ज़ है, अगर तर्का के तिहाई से पूरी हो सकती है, वरना फ़र्ज़ नहीं है, और अहनाफ़ के नज़दीक, अगर मरने वाले ने वस़ीयत की हो और तिहाई तर्का से पूरा करना मुमकिन हो तो फिर फ़र्ज़ है, अगर वस़ीयत नहीं की, तो फिर फ़र्ज़ नहीं है, इमाम मालिक का भी यही मौक़िफ़ है।

(2) अगर नज़्र का ताल्लुक़ महज़ बदन से हो, जैसे नमाज़, तो बिलइत्तेफ़ाक़ उसको पूरा करना दुरूस्त नहीं, अगर रोज़ा है, तो इमाम अहमद के नज़दीक वारिस़ रोज़ा रख सकता है, लाज़िम नहीं है, हालांकि रिवायत का स़रीह तक़ाज़ा रोज़ा रखना है, लेकिन बाक़ी अइम्म–ए–स़लास़ा के नज़दीक इबादाते बदनिया में नयाबत जायज़ नहीं है, इसलिए वारिस़ रोज़ा नहीं रख सकता, फ़िद्या अदा करेगा, अ़ल्लामा तक़ी

लिखते हैं, नमाज़ और रोज़ा दोनों की जगह फ़िद्या देगा। (तकमिला, जिल्दः 2, स़फ़ाः 151) मालूम नहीं, इन हज़रात के नज़दीक नमाज़ का फ़िद्या किया है, और किस दलील की बिना पर मय्यत की तरफ़ से बिला नज़्र ही क़ुर्आन मजीद पढ़ने की इजाज़त ही नहीं तर्ग़ीब देते हैं, क्या वह इबादते बदनी नहीं है, रही तावील कि ये स़वाब है, तो उसके लिये दलील की ज़रूरत है, ये कोई नया काम तो है नहीं कि क़ियास चल सके।

(3) अगर इबादते बदनी माली हो, जैसे हज तो फिर जुम्हूर के नज़दीक यहाँ नयाबत दुरूस्त है, अगर तर्का छोटा है और उसके तिहाई से हज हो सकता है, और मय्यत ने वसीयत की हो, तो फिर उसका पूरा करना फ़र्ज़ है, वरना मुस्तहब है फ़र्ज़ नहीं, लेकिन इमाम मालिक के नज़दीक बक़ौल अल्लामा तक़ी जायज़ नहीं है, जबकि इमाम बाजी ने लिखा है, जायज़ है। (अलमुन्तक़ा, जिल्दः 3, स़फ़ाः 230) माली नज़्र, रोज़ा की नज़्र और हज की नज़्र का वारिस़ का पूरा करना, उनके दलाइल अहादीस़ में मौजूद हैं, लेकिन किसी ने नमाज़ पढ़ने की नज़्र मानी हो तो उसकी दलील मौजूद नहीं है, बल्कि कुछ स़हाबा से इसकी मुमानिअत मनक़ूल है, इसलिए जिस काम की दलील मिल जाये, वह क़ाबिले अमल है, कुछ क़ियास से काम लेना दुरूस्त नहीं है, क्योंकि वह काम जो इबादात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें स़रीह दलील की ज़रूरत है, महज़ क़ियास काफ़ी नहीं है, और अहदाये स़वाब वहीं हो सकता है जहाँ नयाबत मुमकिन हो, रोज़ा और हज में नयाबत स़ाबित है, नमाज़, क़िराअते क़ुर्आन में स़ाबित नहीं है।

बाब : 2
नज़्र से रोकना, और नज़्र किसी (मुसीबत को) नहीं लौटाती

باب(2)
النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ وَأَنَّهُ لاَيَرُدُّشَيئاً

(4237) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक दिन हमें नज़्र से रोकने लगे, आप कह रहे थेः 'वह किसी चीज़ को टालती नहीं है, उसके ज़रिये तो बस बख़ीलों और कन्जूसों से माल निकलवाया जाता है।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारीः 6608, 6691, सुनन अबू दाऊदः 3287, नसाईः 7/16, 3812, सुनन इब्ने माजाः 2122.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ وَيَقُولُ " إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ "

फ़ायदा : इस हदीस़ का मक़सद उस नज़्र से रोकना है, जो मशरूत होती है, जिसे नज़्रे मुअल्लक़ कहते हैं, जैसे: कोई कहे,अगर अल्लाह ने हमारे मरीज़ को शिफ़ा बख़्शी तो हम बकरा स़दक़ा करेंगे, या यूँ अक़ीदा रखे कि नज़्र से मुसीबत टल सकती है, और ये तक़दीरे इलाही पर अस़र अन्दाज़ होती है, इसलिए आपने फ़रमाया: 'ये किसी तक़दीर को नहीं टालती, बल्कि उसके ज़रिये कन्जूस से कुछ निकलवाया जाता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " النَّذْرُ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤَخِّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ " .

(4238) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नज़्र किसी चीज़ को मुक़द्दम या मुअख़्ख़र (आगे–पीछे) नहीं करती, उसके ज़रिये तो बस बख़ील से माल निकलवाया जाता है।'

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4213 में देखें।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ " إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ".

(4239) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने नज़्र से मना किया और फ़रमाया: 'वह ख़ैर के लाने का सबब नहीं है, इसके ज़रिये तो बस बख़ील से माल निकलवाया जाता है।'

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4213 में देखें।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ .

(4240) इमाम स़ाहब अपने तीन उस्तादों की दो सनदों से मनस़ूर के वास्ते ही से, जरीर की तरह हदीस़ बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4213 में देखें।

(4241) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मन्नत न माना करो, क्योंकि नज़्र, तक़दीर से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाती, इसके ज़रिये तो बस बख़ील से माल निकलवाया जाता है।'

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَنْذُرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि नज़्र मानने वाला उसको तक़दीर के टालने का ज़रिया तसव्वुर करता है, इसलिए सदक़ा व ख़ैरात की मन्नत मानता है, इस ग़लत नज़रिया की नज़्र से आप(ﷺ) ने मना फ़रमाया है।

(4242) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) नबी अकरम(ﷺ) से बयान करते हैं कि आप (ﷺ) ने नज़्र मानने से मना फ़रमाया और कहा: 'वह तक़दीर को नहीं टालती, और उसके ज़रिये तो सिर्फ़ बख़ील से कुछ निकलवाया जाता है।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ " إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ".

(4243) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नज़्र आदम के बेटे के क़रीब किसी ऐसी चीज़ को नहीं कर सकती, जो अल्लाह तआला ने उसके लिये मुक़द्दर न की हो, लेकिन नज़्र तक़दीर के मुवाफ़िक़ ही होती है, तो इस तरह बख़ील से वह कुछ निकलवा लिया जाता है, जिसे वह निकालना नहीं चाहता।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَمْرٍو، - وَهْوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَرِّبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدَّرَهُ لَهُ وَلَكِنِ النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ " .

फायदा : अल्लाह तआला कन्जूस से, अपनी तक़दीर के मुवाफ़िक़ मन्नत मनवाता है, और वह समझता है, ये कुछ नज़्र के सबब हासिल हुआ, हालांकि ऐसा नहीं होता है, तमाम मामलात अल्लाह की तक़दीर के मुताबिक़ सरअंजाम पाते हैं।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - وَعَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - كِلاَهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(4244) इमाम साहब एक और उस्ताद से अम्र बिन अबी अम्र की सनद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

باب(3)
لَاوَفَاءَلِنَذْرٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلَافِيْمَالَايَمْلِكُ الْعَبْدُ

बाब : 3
अल्लाह की मअसियत की नज़्र और जिस चीज़ का इंसान मालिक नहीं, उसके बारे में नज़्र को पूरा नहीं किया जा सकता

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ

(4245) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) बयान करते हैं कि बनू सक़ीफ़, बनू उक़ैल के हलीफ़ (दोस्त) थे, और बनू सक़ीफ़ ने रसूलुल्लाह(ﷺ) के दो साथियों को क़ैदी बना लिया, और रसूलुल्लाह (ﷺ) के सथियों ने एक बनू उक़ैल के आदमी को क़ैद कर लिया, और उसके साथ अज़बा नामी ऊँटनी भी पकड़ ली, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) उसके पास इस हाल में पहुँचे कि वह बँधा हुआ था, उसने कहा, ऐ मुहम्मद! आप (ﷺ) उसके क़रीब हो गये, और पूछा: 'तेरा क्या मामला है?' तो उसने कहा, आपने मुझे क्यों पकड़ा है? और सब हाजियों से सबक़त ले जाने वाली (अज़बा) को क्यों पकड़ा है, तो आपने उसकी बात को नागवार

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ . فَأَتَاهُ فَقَالَ " مَا شَأْنُكَ " . فَقَالَ بِمَ أَخَذْتَنِي وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ فَقَالَ إِعْظَامًا لِذَلِكَ " أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ " . ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَقِيقًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ " مَا شَأْنُكَ " . قَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ . قَالَ " لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاَحِ " . ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ . فَأَتَاهُ فَقَالَ " مَا شَأْنُكَ " . قَالَ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي . قَالَ " هَذِهِ حَاجَتُكَ " . فَفُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ - قَالَ - وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَىْ بُيُوتِهِمْ فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ فَأَتَتِ الإِبِلَ فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ فَلَمْ تَرْغُ قَالَ وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ

ख़याल करते हुए (कि वह समझता है, मैंने बद अहदी की है) फ़रमाया: 'मैंने तुझे तेरे हलीफ़ों बनू सक़ीफ़ के जुर्म में पकड़ा है।' फिर उसके पास से पलट गये, तो उसने आपको आवाज़ दी, और कहा, ऐ मुहम्मद! और रसूलुल्लाह (ﷺ) बहुत मेहरबान, नर्म दिल थे, तो आप उसकी तरफ़ लौट आये और उससे पूछा: 'तेरा क्या मामला है?' उसने कहा, मैं मुसलमान हूँ, आपने फ़रमाया: 'अगर तू ये बात उस वक़्त कहता जब तू अपना आप मालिक था, यानी गिरफ़्तार नहीं हुआ था, तो तू मुकम्मल तौर पर (दुनिया व आख़िरत में) कामयाब हो जाता।' फिर आप वहाँ से चल दिये, तो उसने आपको आवाज़ दी, ऐ मुहम्मद! ऐ मुहम्मद! आप उसके पास तशरीफ़ लाये, और उससे पूछा: 'क्या बात है?' उसने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे खिलाइये, और प्यासा हूँ, मुझे पिलाइये, आपने फ़रमाया: 'ये तेरी वाक़ेई ज़रूरत है?' (हम उसे पूरा करते हैं) फिर उसको दो सहाबा के ऐवज़ छोड़ दिया गया। हज़रत इमरान बयान करते हैं (बाद में) एक अन्सारी औरत गिरफ़्तार कर ली गई, और (दुशमन ने) अज़बा ऊँटनी भी पकड़ ली, वह औरत बँधी हुई थी, और ये लोग अपने ऊँटों को रात को आराम के लिये अपने घरों के सामने बाँधते थे, तो एक रात ये औरत बंधन से छूट गई और ऊँटों के पास आई (ताकि सवार होकर वहाँ से निकल भागे) तो वह जिस ऊँट के क़रीब होने लगती, वह बिलबिला उठता, तो वह उसे छोड़ देती, यहाँ

فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ - قَالَ - وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ . فَقَالُوا الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَتْ إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا . فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ " سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ " . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ " لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ " .

तक कि वह अ़ज़बा के पास पहुँच गई, तो वह न बिलबिलाई, और बक़ौल रावी सधाई हुई ऊँटनी थी, तो वह उसके पिछले हिस्से पर बैठ गई और उसे डाँटा तो वह चल पड़ी, लोगों को उसका पता चल गया, उन्होंने उसका तआ़कुब किया, लेकिन उसने उनको बेबस कर दिया, रावी कहते हैं, उस औरत ने अल्लाह के लिये ये नज़्र मानी, अगर अल्लाह तआ़ला ने उसे उस ऊँटनी पर निजात बख़्श दी तो वह उसे नहर कर देगी,तो जब वह मदीना पहुँची, लोगों ने उसे देखा, तो कहने लगे, ये तो अ़ज़बा रसूलुल्लाह (ﷺ) की ऊँटनी है, तो उस औरत ने कहा, मैंने नज़्र मानी है, अगर अल्लाह ने उसे उस पर ख़ुलासी बख़्शी, तो वह उसे नहर कर देगी, लोगों ने आकर उसका तज़किरा रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास किया, तो आपने फ़रमाया: 'सुब्हानल्लाह! उसने उसे बहुत बुरा बदला दिया है, कि अल्लाह के लिये नज़्र मानी है, अगर अल्लाह ने उसे उस पर नजात बख़्शी तो वह उसे नहर कर देगी, गुनाह के लिये मानी जाने वाली नज़्र पूरी नहीं की जा सकती, और न उस चीज़ की नज़्र जिसका इंसान फ़िलहाल मालिक नहीं है, और इब्ने हुज्र की रिवायत है,'अल्लाह की नाफ़रमानी की नज़्र की कोई हैसियत नहीं है।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3316.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) वस़ाक़: क़ैद, बँधन, सरिश्ता, जिससे बाँधा जाता है। **(2) साबिक़ा अलहाज:** सफ़रे हज में सबसे आगे रहने वाले। **(3) एज़ामन लिज़ालिका:** इस क़ैदी का ख़याल था, हमारा रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मुआहिदा है, हालांकि जब उनके हुल्फ़ा, बनू स़क़ीफ़ के दो

सहाबा को क़ैद कर लिया, तो अहद टूट गया, इसलिए आपने उनके हलीफ़ों बनू उक़ैल का आदमी पकड़ लिया, ताकि उसके ऐवज़ मुसलमान क़ैदियों को छुड़ाया जा सके और ऐसे ही हुआ, और उसके मुसलमान होने के दावा के बावजूद वापस कर दिया, क्योंकि सुलह हुदैबिया में ये शर्त भी थी, अगर हमारा कोई साथी मुसलमान होकर आप (ﷺ) के पास आ जायेगा, तो तुम मुसलमानों को उसे वापस करना होगा, और उसने तो इस्लाम का इज़हार भी ऐसे वक़्त में किया था, जब कि वह आज़ाद व ख़ुद मुख़्तार नहीं था, इसलिए आप (ﷺ) ने फ़रमाया था: 'अगर तू इस बात का इज़हार ख़ुद मुख़्तार और आज़ाद होने की सूरत में करता तो कामिल फ़लाह पाता।' और इस वाक़िया में अज़बा नामी ऊँटनी आप (ﷺ) ने अपने पास रख ली थी, और इस वाक़िया से साबित होता है, क़ैदी को खाना पीना मुहैया करना ज़रूरी है। **(4) युरीहून अनआमहुम:** मुराह, मवेशियों का बाड़ा, यानी वह रात को ऊँटों को अपने घरों के सामने बिठाते थे। **(5) फ़न्फ़लतत:** वह औरत उनकी क़ैद से ख़ुलासी पा गई, और बक़ौल इमाम इब्ने इस्हाक़ ये हज़रत अबू ज़र की बीवी थी, जिसका नाम लैला था, और ये वाक़िया 6 हिजरी जमादिल उख़्रा में पेश आया, इस सूरत में ऊपर दिया गया वाक़िया सुलह हुदैबिया से पहले का है, और बनू सक़ीफ़ और उनके हलीफ़ के साथ अलग मुआहिदा हुआ था, जिसको बनू सक़ीफ़ ने तोड़ डाला था, अब फिर दोबारा उन्होंने मदीना पर हमला किया, जिसमें अज़बा ऊँटनी भी ले गये और एक औरत को भी क़ैदी बना ली। **(6) नाक़तुन मुनव्वक़तुन:** रमशुदा, सधाई हूई ऊँटनी, जो सवार की इताअत गुज़ार होती है। **(7) नज़िरू बिहा (समिआ):** उनको इसके भागने का इल्म हो गया, बक़ौल कुछ इस मानी की रू से इस फ़ेअल का मस्दर इस्तेमाल नहीं होता, और बक़ौल कुछ, नज़ारा, नज़्रा और नज़्र मस्दर आते हैं।

फ़वाइद व मसाइल : (1) बिअ्समा जज़त्हा: वह ऊँटनी जो उसकी दुशमन से ख़ुलासी और निजात का सबब या बाइस बनी, उसने उसके इस एहसान व करम का ये सिला दिया कि उसकी क़ुर्बानी करने की नज़्र मान ली, और उसकी मौत व हलाकत का बाइस बनी, जब वह उसकी ज़िन्दगी का सबब भी थी। **(2) ला वफ़ाअ लिनज़्रिन फ़ी मअ्सियतिन:** गुनाह व मअसियत की नज़्र को पूरा करना बिलइत्तेफ़ाक़ जायज़ नहीं है, लेकिन इसमें इख़्तिलाफ़ है कि इस सूरत में कफ़्फ़ारा अदा करना होगा या नहीं, इसके बारे में तीन नज़रियात हैं:

(अ) बक़ौल इमाम नववी, जिस शख़्स ने मअसियत व गुनाह की नज़्र मानी जैसे शराब पियूँगा, या कोई और गुनाह करूंगा, उसकी नज़्र बातिल होगी, और मुन्अक़िद नहीं होगी, इसलिए उस पर किसी क़िस्म का कफ़्फ़ारा नहीं है, जुम्हूर फ़ुक़्हा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अबू हनीफ़ा और दाऊद ज़ाहिरी का यही नज़रिया है, लेकिन इमाम अहमद के नज़दीक इस पर कफ़्फ़ार-ए-यमीन, यानी

क़सम वाला कफ़्फ़ारा वाजिब होगा, इमाम अहमद का एक क़ौल ये भी है कि उस पर कफ़्फ़ारा नहीं है, इमाम मसरूक़ और इमाम शअबी का मौक़िफ़ भी यही है, और हदीस़ जो ऊपर दी गई है उसका तक़ाज़ा भी यही है।

(ब) मअ़सियत व गुनाह का इरतेकाब तो किसी सूरत में जायज़ नहीं है, लेकिन नज़्रे मअ़सियत मानने वाले पर क़सम का कफ़्फ़ारा वाजिब है,और बक़ौल इमाम इब्ने क़ुदामा, इब्ने मसऊद, इब्ने अ़ब्बास, इमरान बिन हुसैन, जाबिर, समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद और इमाम स़ौरी का यही नज़रिया है, इस तरह इमाम अहमद से दोनों क़ौल मनक़ूल हैं। मुग़नी, जिल्द: 9, स़फ़ा:3.

(स) इमाम इब्ने क़ुदामा के बक़ौल इमाम अबू हनीफ़ा, और उनके अस़हाब का नज़रिया, ये है कि नज़्रे मअ़सियत पर कफ़्फ़ार-ए-क़सम है, और बक़ौल अ़ल्लामा सईदी यही बात स़ही है, और अ़ल्लामा नववी की बात दुरूस्त नहीं है। (शरह मुस्लिम, जिल्द: 4, स़फ़ा: 547-548) लेकिन अ़ल्लामा तक़ी उस्मानी लिखते हैं, अगर नज़्रे मअ़सियत, फ़ी नफ़्सिही मअ़सियत है, जैसे क़त्ल करना, शराब नोशी, ज़िना और चोरी वग़ैरह तो ये नज़्र बातिल है, और मुन्अक़िद नहीं होगी, इसलिए इस पर किसी क़िस्म का कफ़्फ़ारा नहीं है, और इस हदीस़ का महमुल यही है, लेकिन वह मअ़सियत जो लिग़ैरिही है, जैसे ईद या अय्यामे तशरीक़ में से किसी दिन के रोज़े की नियत, तो ये नज़्र स़ही है, इसलिए मुन्अक़िद होगी, उसको इस रोज़ा की क़ज़ाई देनी होगी, या कफ़्फ़ारा अदा करना होगा। (तकमिला, जिल्द: 2, स़फ़ा: 164)

और बक़ौल अ़ल्लामा तक़ी अगर नज़्र से मुराद क़सम हो, तो फिर चूंकि क़सम तोड़ी होगी, इसलिए हर सूरत में क़सम वाला कफ़्फ़ारा वाजिब होगा। (तकमिला, जिल्द: 2, स़फ़ा: 165) लेकिन अ़ल्लामा सईदी ने मुख़्तलिफ़ दलाइल से अ़ल्लामा तक़ी की तर्दीद की है, और अ़ल्लामा इब्ने क़ुदामा की ताईद की है।

(3) व ला फ़ीमा ला यम्लिक: इस हदीस़ से स़ाबित होता है, अगर काफ़िर, मुसलमान का माल लूट कर ले जायें, तो वह उनके मुल्क में नहीं जायेगा, यानी वह उसका मालिक नहीं बनेंगे, क्योंकि काफ़िर नबी अकरम (ﷺ) की ऊँटनी अ़ज़बा ले गये थे, और उन्होंने उसे अपने घरों के सामने बाँधा हुआ था, और दुशमन के तमाम ऊँटों में से वही अन्सारी औ़रत को लेकर भागी थी, लेकिन आप(ﷺ) ने अन्सार औ़रत की मिल्कियत को तस्लीम नहीं किया, अगर काफ़िर, ऊँटनी के मालिक बन गये होते, तो वह ऊँटनी अन्सारी औ़रत की मिल्कियत में आ जाती, इसलिए अहनाफ़ की ये बात दुरूस्त नहीं है कि अगर काफ़िर मुसलमान का माल छीन कर, अपने वतन व इलाक़े में ले जायें, तो वह उसके मालिक बन जायेंगे, और इस वाक़िया में ऊँटनी अभी उनके इलाक़े में नहीं गई थी, हालांकि हदीस़ में स़रीह अल्फ़ाज़ मौजूद हैं, कि वह अपने ऊँट अपने घरों के सामने आराम के लिये बिठाते थे।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ . وَفِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ وَهِيَ نَاقَةٌ مُدَرَّبَةٌ .

(4246) इमाम साहब अपने तीन (3) उस्तादों की सनदों से अय्यूब की ऊपर दी गई सनद ही से बयान करते हैं। हम्माद की हदीस में है, अज़बा, बनू उक़ैल के आदमी की थी और हाजियों को सबसे पहले पहुँचाने वाली ऊँटनियों में से थी, और इस हदीस में ये भी है कि वह औरत सधाई तर्बियत याफ़्ता ऊँटनी के पास पहुँची और सक़फ़ी की रिवायत में है, वह सधाई हूई ऊँटनी थी।

तख़रीज:ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4221 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस : ज़लूल, मुजरस्सा, मुदर्रबा और मुन्वक़ा: चारों अल्फ़ाज़ हम मानी हैं, सबका मक़सद ये है कि वह सवार की इताअत गुज़ार और सधाई हूई, तर्बियत याफ़्ता थी।

(4) مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

बाब : 4 जिसने काबा तक पैदल चलने की नज़्र मानी

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ " مَا بَالُ هَذَا " . قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ . قَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ " . وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ .

(4247) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने एक बूढ़ा आदमी देखा, जो अपने दो बेटों के सहारे चल रहा था, तो आप(ﷺ) ने पूछा: 'इसका क्या मामला या हाल है?' लोगों ने कहा,उसने पैदल चलने की नज़्र मानी है, आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला उससे बेन्याज़ और मुस्तग़नी है कि ये अपने आपको अज़ाब में मुब्तला करे।' और आपने उसे सवार होने का हुक्म दिया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 1865, 6701, सुनन अबू दाऊद: 3301, जामेअ तिर्मिज़ी: 1537, नसाई: 7/30.

फ़ायदा : अगर किसी इंसान ने ये नज़्र मानी कि वह पैदल चल कर बैतुल्लाह जायेगा, तो बक़ौल अ़ल्लामा इब्ने क़ुदामा बिलइत्तेफ़ाक़ उस पर नज़्र को पूरा करना लाज़िम है, सफ़रे हज के लिये पैदल जाये या उ़म्रा का सफ़र पैदल करे,और अगर पैदल चलने से आ़जिज़ आ जाये या बेबस हो जाये, तो सवार हो जाये, लेकिन इस सूरत में क्या कफ़्फ़ारा पड़ेगा, इसमें इख़्तिलाफ़ है। (1) इस पर दम (ख़ून बहाना) लाज़िम है, जो कम अज़ कम एक बकरी है, इमाम अबू हनीफ़ा का यही क़ौल है, शवाफ़ेअ़ का मुख़्तार भी यही क़ौल है, इमाम अहमद का एक क़ौल यही है। (2) इस पर क़सम वाला कफ़्फ़ारा है हनाबिला का मुख़्तार क़ौल यही है। (3) अगर मसाफ़त बहुत ज़्यादा हो, जैसे अफ़्रीक़ा से पैदल चल कर आना या मसाफ़त कम हो, और कम मसाफ़त सवार हुआ हो, तो फिर उस के ज़िम्मे दम है, लेकिन अगर मसाफ़त कम होने के बावजूद, ज़्यादा मसाफ़त सवार होने की की, तो अगले साल नये सिरे से वह मसाफ़त पैदल चलना होगा और दम भी पड़ेगा, ये इमाम मालिक का नज़रिया है। (4) अगले साल नये सिरे से हज या उम्रा के लिये आये, जितनी मसाफ़त सवार होकर तै की थी,वह पैदल चले, और जो पैदल चलकर तै की थी, उसमें सवार हो जाये, इब्ने उमर और इब्ने ज़ुबैर (ﷺ) का यही मौक़िफ़ है।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَمْرٍو، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَا شَأْنُ هَذَا " . قَالَ ابْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ " . وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَابْنِ حُجْرٍ .

(4248) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने एक बूढ़ा आदमी देखा, जो अपने दो बेटों के दरम्यान उन पर टेक लगाकर चल रहा था, तो नबी अकरम (ﷺ) ने पूछा: 'इसका क्या मामला है?' उसके दोनों बेटों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! इसने नज़्र मानी है, तो नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ बूढ़े सवार हो जा, क्योंकि अल्लाह तआ़ला तुझसे और तेरी नज़्र से बेन्याज़ है।' ये अल्फ़ाज़ क़ुतैबा और इब्ने हुज्र के हैं।

तख़रीज : सुनन इब्ने माजा: 2135.

(4249) इमाम साहब ऊपर दी गई हदीस एक और उस्ताद से अम्र बिन अबी अम्र ही की सनद से बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4224 में देखें।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ عَمْرٍو، بْنِ أَبِي عَمْرٍو بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

फ़ायदा : हदीस का बज़ाहिर तक़ाज़ा यही है कि एक बेबस और आजिज़ इंसान अगर पैदल चल कर काबा पहुँचने की नज़्र मानता है, तो वह सवार हो सकता है, और उस पर कोई कफ़्फ़ारा नहीं है, क्योंकि आप (ﷺ) ने किसी क़िस्म के कफ़्फ़ारा का हुक्म नहीं दिया है।

(4250) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि वाक़िया ये है कि मेरी बहन ने नज़्र मानी कि वह नंगे पाँव पैदल चल कर बैतुल्लाह जायेगी, तो उसने मुझे कहा, कि मैं उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछ कर ये मसला बताऊं, तो मैंने आप (ﷺ) से पूछा, इस पर आपने फ़रमाया: 'वह पैदल चले (और थक जाये) तो सवार हो जाये।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 1866, सुनन अबू दाऊद: 3299, नसाई: 7/19.

وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، - يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ، إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ " لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ " .

(4251) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मेरी बहन ने नज़्र मानी, आगे मुफ़ज़्ज़ल की ऊपर दी गई हदीस की तरह है, लेकिन इस हदीस में नंगे पाँव चलने का ज़िक्र नहीं है, और ये इज़ाफ़ा है कि उक़्बा के शागिर्द अबू अलख़ैर हमेशा उनके साथ रहते थे।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4226 में देखें।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ، بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِي . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُفَضَّلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ حَافِيَةً. وَزَادَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةَ.

फ़ायदा : इमाम नववी लिखते हैं, नंगे पाँव चलना ज़रूरी नहीं है, जूता पहना जा सकता है, और उस पर कफ़्फ़ारा भी नहीं है, और अगर कोई शख़्स पैदल चल कर बैतुल्लाह जाने की नज़्र माने, तो वह जहाँ तक मुमकिन होगा, पैदल चलेगा, और फिर थक जाने की सूरत में आराम व सहूलत हासिल करने के लिये कुछ मसाफ़त तक के लिये सवार हो जायेगा।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ، جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، أَخْبَرَهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، . مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .

(4252) ऊपर दी गई हदीस़ इमाम साहब अपने दो उस्तादों की सनद से यज़ीद बिन अबी हबीब ही से बयान करते हैं, जैसा कि अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने हदीस़ बयान की है।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4226 में देखें।

(5) كَفَّارَةِ النَّذْرِ

बाब : 5 नज़्र का कफ़्फ़ारा

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ يُونُسُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ، عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ " .

(4253) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नज़्र का कफ़्फ़ारा, क़सम वाला कफ़्फ़ारा है।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3323, 3324, जामेअ तिर्मिज़ी: 1528.

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, नज़्र का हुक्म क़सम वाला है, इसलिए इसका कफ़्फ़ारा भी क़सम वाला है। जामेअ अस्सग़ीर में है, (अन्नज़्रतु यमीनुन) नज़्र क़सम है, (व कफ़्फ़ारतुहू कफ़्फ़ारतुल यमीन) और उसका कफ़्फ़ारा क़सम वाला है। कुछ रिवायात में है, (कफ़्फ़ारतुन्नज़्र इज़ा लम युसम्मा कफ़्फ़ारतुल यमीन) नज़्र अगर मुतय्यन न हो तो उसका कफ़्फ़ारा क़सम वाला है, इसलिए इस हदीस़ का मतलब ये होगा कि अगर किसी ने कहा, लिल्लाहि अलय्या नज़्र, अल्लाह की मुझ पर नज़्र है, तो उस पर कफ़्फ़ार-ए-यमीन लाज़िम होगा, और इमाम नववी के नज़दीक इससे मुराद नज़्रे

लिजाज है, जिसमें तालीक़ होती है, जैसे कोई इंसान कहता है, अगर मैं ज़ैद से हम कलाम हों तो मुझ पर अल्लाह के लिये हज होगा, तो शवाफ़ेअ के नज़दीक अगर वह ज़ैद से गुफ़्तगू करके हानिस़ हो जाता है, यानी क़सम तोड़ देता है, क्योंकि ये नज़्र, क़सम के हैं, तो अब उसको इख़्तियार है नज़्र पूरी करते हूए हज करे या क़सम वाला कफ़्फ़ारा अदा करे, अहनाफ़ का भी यही मौक़िफ़ है, अगर नज़्र मअसियत की है, तो उसके बारे में अइम्मा के अक़वाल गुज़र चुके हैं, अगर ऐसी चीज़ के बारे में नज़्र मानी है, जो उसके बस या ताक़त से बाहर है, तो उस पर क़सम वाला कफ़्फ़ारा है, लेकिन अगर बैतुल्लाह पैदल जाने की नज़्र मानी है, या बेटा ज़ब्ह करने की नज़्र मानी है, तो अक्स़र अइम्मा के नज़दीक उस पर दम लाज़िम होगा।

हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से सुनन अबी दाऊद में मरफ़ूअ हदीस़ मरवी है कि जिसने ग़ैर मुतय्यन नज़्र मानी, उस पर क़सम वाला कफ़्फ़ारा है, और जिसने मअसियत की नज़्र मानी, उस पर भी क़सम वाला कफ़्फ़ारा है, और जिसने ताक़त से बढ़ कर नज़्र मानी,उसका कफ़्फ़ारा भी क़सम वाला है, और सुनन इब्ने माजा में है, जिसने मक़दरत व ताक़त के मुताबिक़ नज़्र मानी, वह उसे पूरा करे। (तकमिला, जिल्द: 2, स़फ़ा: 17)

ارشاد باری تعالیٰ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"اللہ تعالیٰ تمھاری لغو قسموں پر تمھیں نہیں پکڑے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمھیں ضرور پکڑے گا جن کا تمھارے دلوں نے ارادہ کیا اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔"

(البقرۃ ۲:۲۲۵)

'अल्लाह तआला तुम्हारी लग़्व क़समों पर तुम्हें नहीं पकड़ेगा, लेकिन वह उन क़समों पर तुम्हें ज़रूर पकड़ेगा जिनका तुम्हारे दिलों ने इरादा किया और अल्लाह बहुत बख़्शने वाला, निहायत बुर्दबार है।'

(अल बक़र: 2/275)

तआरुफ़ किताबुल ऐमान

ईमान यमीन (दायाँ हाथ) की जमा है। जब कोई शख़्स दूसरे के साथ मुआहिदा करके क़सम खाता तो दोनों अपने दायें हाथ मिलाते, ये मुआहिदा पुख़्ता हो जाने की एक अलामत थी। ऐसा मुआहिदा हर सूरत में पूरा किया जाता। इस मुनासिबत से क़सम पर भी, जिसको पूरा करना ज़रूरी था, यमीन के लफ़्ज़ का इत्लाक़ होने लगा।

इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह में फ़िक्र अंग्रेज़ तर्तीब से अहादीस़ बयान की हैं। वसीयत और हिबा वग़ैरह के बाद, जो अपनी अपनी जगह मज़बूत और लाज़िमी (Binding) अहद हैं, नज़्र और इसके बाद क़समों के हवाले से अहादीस़ बयान कीं। नज़्र भी एक पुख़्ता अहद है जो इन्सान अल्लाह के साथ करता है। क़सम भी उसका नाम लेकर किसी अहद या अज़्म की पुख़्तगी के लिये होती है। अल्लाह के अलावा किसी और की रज़ा के लिये अल्लाह की तरह उसकी भी अज़मत का ऐतक़ाद रखते हुये उसकी क़सम खाने से इन्सान मुकम्मल शिर्क का मुर्तकिब हो जाता है, इसलिये इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। अगर साबिक़ा आदत की बिना पर भूल कर भी किसी झूठे माबूद की क़सम खा ली तो इन्सान पर अज़ सरे नौ कलिम–ए–तौहीद का इक़रार लाज़िम है।

किसी मुआहिदे के अलावा ख़ुद अपने ऊपर इन्सान क़सम के ज़रिये से जो बात लाज़िम कर लेता है अगर उसके बारे में बाद में एहसास हो जाये कि मेरी क़सम ग़लत थी या वह किसी दूसरे के लिये तकलीफ़ का बाइस़ है तो इस सूरत में क़सम की ख़िलाफ़वर्ज़ी करना ज़रूरी है। इस सूरत में कफ़्फ़ारा अदा करना पड़ता है। कुछ दूसरे मामलात भी, जो इन्सान ख़ुद अपने लिये लाज़िम कर लेता है, क़सम के साथ तर्तीब वार ज़िक्र किये गये हैं, उनमें ऐसी नज़्रें हैं जो कुफ़्र के ज़माने में मानी गईं। अगर वह काम फ़ी नफ़्सिही नेकी का है तो अब भी उसका करना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वाज़ेह फ़रमा दिया कि ईमान लाने के बाद पिछली ज़िन्दगी के नेक अमाल पर भी स़वाब मिलता है।

इसी तरह ग़ुलामी के हवाले से आक़ा और ग़ुलाम दोनों पर कुछ लाज़िमी ज़िम्मेदारियाँ आइद होती हैं, इमाम मुस्लिम (रह.) ने तर्तीब का लिहाज़ रखते हुये उनके बारे में भी अहादीस़ बयान की हैं। कुछ अहादीस़ जो किताबुल इत्क़ में बयान की गई थीं, वह यहाँ दोबारा बयान की गई हैं। मक़सूद इस बात को वाज़ेह करना है कि ये लाज़िमी ज़िम्मेदारियाँ क़सम ही की तरह पूरी करनी ज़रूरी हैं। ग़ुलाम की मिल्कियत और उसके बारे में इन्सान के इख़्तियार के हवाले से मुतअद्दिद (कई) अहम उमूर को भी मौज़ूअ बनाया गया है। इस्लाम ने ग़ुलामी से आज़ादी को हर तरह से यक़ीनी बनाने के साथ साथ हर क़िस्म के इन्सानी हुक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का एहतिमाम किया है। मुख़्तलिफ़ फ़रीक़ों के दरम्यान हुक़ूक़ के हवाले से ऐसा तवाज़ुन क़ाइम करना एक मुश्किल काम है, अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की रहनुमाई के बग़ैर किसी इन्सान के लिये ऐसा तवाज़ुन क़ाइम रखना मुमकिन नहीं।

كتاب الأيمان

क़समों का बयान

(1) باب النَّهْىِ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

बाब : 1 गैरूल्लाह की क़सम उठाना ना जायज़ है

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ، عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ " . قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا

(4254) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला तुम्हें इस बात से रोकता है कि तुम अपने आबा व अज्दाद की क़सम उठाओ।' हज़रत उमर (ﷺ) बयान करते हैं, अल्लाह की क़सम! जब से मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस बात की मुमानिअत सुनी है, मैंने ये क़सम अपनी तरफ़ से या बतौर नक़ल भी नहीं उठाई।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6647, सुनन अबू दाऊद: 3250, नसाई: 7/50, सुनन इब्ने माजा: 2094.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) ऐमान, यमीन की जमा (बहुवचन) है, जिसका मानी है, कुव्वत व ताक़त,

इस बिना पर दाएँ हाथ को यमीन कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़ोरे कुव्वत ज़्यादा है, और क़सम को भी यमीन कहते हैं, क्योंकि अरब आपस में क़सम उठाते वक़्त अपना दायाँ हाथ दूसरे के दाएँ हाथ पर मारते थे, और यमीन से मक़सूद ताकीद व मुबालग़ा होता है। **(2) ज़ाकिरन:** अपनी तरफ़ से आसिरः दूसरे की क़सम की नक़ल व हिकायत करते हुए। सही और वाज़ेह मानी यही है अगरचे इमाम बल्क़ीनी दो और एहतिमाल पैदा करते हैं। **(अ)** आसिर का मानी है मुख़्तारा क्योंकि आसिरूश्शै, का मानी होता है उसको पसन्द करना, तो मानी होगा दूसरी चीज़ पर तर्जीह देते हुए उसको पसन्द करते हुए। आसिर का मानी आबा व अज्दाद के मफ़ाख़िर और मकारिम बयान करना, इससे मासिरा और मासिर है यानी मैंने आबा व अज्दाद के मफ़ाख़िर बयान करते हुए उनकी क़सम नहीं उठाई।

फ़ायदा : अइम्म–ए–अरबआ और अक्सर फ़ुक़हा के नज़दीक ग़ैरूल्लाह की क़सम उठाना जायज़ नहीं है, और बक़ौल अल्लामा इब्ने अब्दुल बर, हाज़ा असल मज्मउन अलैहि: ये इत्तेफ़ाक़ी क़ायदा व ज़ाब्ता है, क्योंकि शाज़ क़ौल का ऐतबार नहीं होता और कुछ अहादीस़ में आपने व अबीह का लफ़्ज़ फ़रमाया है, तो उलमा ने उसके मुख़्तलिफ़ जवाबात दिये। **(1)** बक़ौल अल्लामा इब्ने अब्दुल बर, हदीस़ में ये लफ़्ज़ सही अहादीस़ के ख़िलाफ़ है, इसलिए मुन्कर है लेकिन ये जवाब दुरूस्त नहीं है। **(2)** ये उस वक़्त की बात है, जब अभी ग़ैरूल्लाह की क़सम,या आबा व अज्दाद की क़सम उठाना जायज़ था, बाद में मन्सूख़ हो गया, लेकिन इसकी भी कोई दलील नहीं। **(3)** अरब ये लफ़्ज़ कुछ दफ़ा बतौर तकिया कलाम इस्तेमाल कर लेते थे क़सम उठाना मक़सूद नहीं होता था, इसलिए ये लफ़्ज़ ग़ैर शरई तौर पर ज़बान से निकल जाता था। **(4)** इससे मक़सूद क़सम नहीं होता, ये लफ़्ज़ महज़ तक़रीर व ताकीद के लिए बढ़ा देते हैं, जिस तरह महज़ इख़्तेसास़ के लिये, हर्फ़े निदा का इज़ाफ़ा कर देते हैं, हालांकि निदा मक़सूद नहीं होती। **(5)** क़सम तन्ज़ीम व तौक़ीर के लिए उठाना जायज़ नहीं है, ताकीद व मुबालग़ा के लिए क़समिया अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल दुरूस्त है। **(6)** व अबीह या व अबीक, ये अल्फ़ाज़ कुछ दफ़ा हैरत व ताज्जुब का इज़हार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, क़सम मक़सूद नहीं होती, क़सम के लिए उनका इस्तेमाल ममनूअ है, बतौर ताज्जुब ममनूअ नहीं है। **(7)** आप के लिए जायज़ था, उम्मत के लिए जायज़ नहीं है। (फ़तहुलबारी: जिल्द: 11, मकतबा दारूस्सलाम, स़फ़ा: 650–651)

(4255) इमाम स़ाहब अपने तीन और उस्तादों की सनद से ज़ोहरी ही से ये हदीस़ बयान करते हैं, हाँ उक़ैल की हदीस़ में ये अल्फ़ाज़ नहीं हैं, जब से मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इससे मना करते हुए सुना, मैंने ये

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ، خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ،

كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهَا وَلاَ تَكَلَّمْتُ بِهَا . وَلَمْ يَقُلْ ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا .

क़सम, नहीं उठाई, और न इसको ज़बान पर लाया, ज़ाकिरन वला आसिरन के अल्फ़ाज़ नहीं कहे।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4230 में देखें।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ . بِمِثْلِ رِوَايَةِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ .

(4256) हज़रत सालिम अपने बाप (अब्दुल्लाह बिन उमर) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उमर को अपने बाप की क़सम उठाते हुए सुना, आगे यूनुस और मअ़मर की तरह ऊपर दी गई रिवायत बयान की।

तख़रीज: सहीह बुख़ारी: 6647, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1533

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ".

(4257) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उमर (رضي الله عنه) को एक क़ाफ़िला में पाया, और वह अपने बाप की क़सम उठा रहे थे, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें पुकार कर फ़रमाया: 'ख़बरदार! अल्लाह तआ़ला तुम्हें इस बात से रोकते हैं कि तुम अपने बापों की क़सम उठाओ, जिनको क़सम उठाना हो, वह अल्लाह की क़सम उठाये या चुप रहे।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6107.

फ़ायदा : किसी की क़सम उठाना, दरहक़ीक़त उसके तक़द्दुस और ताज़ीम का मज़हर होता है, और हक़ीक़तन तक़द्दुस व ताज़ीम अल्लाह तआ़ला का ख़ास्सा है, लेकिन बक़ौल कुछ क़सम के अंदर शहादत और गवाही का मानी मौजूद है, और ऐसी ज़ात जिसका हर जगह हर वक़्त और हर मौक़े पर गवाह होना सबके नज़दीक मुसल्लम है, वह सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, इसलिए अल्लाह तआ़ला के अलावा की क़सम उठाना, इस बात को मुस्तलज़िम है कि वह ग़ैरूल्लाह को हर जगह, हर मौक़े पर और हर वक़्त गवाह समझता है, और ये शिर्क और कुफ़्र है। (अ़ल्लामा सईदी शरह, सही मुस्लिम, जिल्द: 4, सफ़ा: 561)

अल्लाह तआला ने क़ुर्आन मजीद में जो अपनी मख़्लूक़ात की क़समें उठाई हैं, उनसे मक़सूद उनकी ताज़ीम व तक़दीस नहीं है, बल्कि क़सम के बाद जो दावा मज़कूर हुआ है, वह चीज़ उस दावा की दलील और शहादत देती है, इस मौज़ूअ पर बेहतरीन रिसाला मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही मरहूम का है, जिनका नाम है, अलअमआन फ़ी अक़सामिल क़ुर्आन, जिसका तर्जुमा अक़सामुल क़ुर्आन के नाम से हुआ है।

इस हदीस से साबित होता है कि क़सम सिर्फ़ अल्लाह तआला की उठाई जा सकती है, लेकिन अल्लाह की क़सम में, उसकी ज़ात, अस्मा और सिफ़ात दाख़िल हैं, और ग़ैरूल्लाह की क़सम उठाना बिलइत्तेफ़ाक़ नाजायज़ है, लेकिन इसमें इख़्तिलाफ़ मौजूद है, कि वह मुख़ालिफ़त का हुक्म तहरीम के लिए है या कराहत के लिए, अल्लामा शामी हनफ़ी ने लिखा है कि अल्लाह तआला के अस्मा व सिफ़ात के सिवा क़सम मुन्अक़िद नहीं होती, ग़ैरूल्लाह की क़सम बतरीक़े सराहत हो या किनायतन हो, हराम है, बल्कि इसमें कुफ़्र का ख़दशा है। (रद्दुलमुख़्तार, जिल्द: 3, सफ़ा: 70, मतबआ उस्मानिया, इस्ताम्बुल) अल्लामा इब्ने क़ुदामा हम्बली लिखते हैं, अल्लाह तआला और उसकी सिफ़ात के सिवा क़सम उठाना जायज़ नहीं है, जैसे अपने बाप की या काबा या किसी सहाबी और इमाम की क़सम उठाना। (मुग़नी, जिल्द: 3, सफ़ा: 36, दुक्तूर तुर्की)

क़ुर्आन मजीद, अल्लाह का कलाम और उसकी सिफ़त है, इसलिए क़ुर्आन या उसकी किसी आयत की क़सम उठाना सही है, हनस की सूरत में कफ़्फ़ारा अदा करना होगा, अइम्म-ए-हिजाज़ मालिक, शाफ़ेई, और अहमद का यही मौक़िफ़ है, और आम अहले इल्म भी इसके क़ाइल हैं। (मुग़नी, जिल्द: 13, सफ़ा: 420)

इमाम अबू हनीफ़ा और उनके असहाब के नज़दीक ये क़सम नहीं है, क्योंकि वह अल्फ़ाज़े क़ुर्आन को अल्लाह का कलाम नहीं मानते, लेकिन मौजूदा दौर में कुछ अहनाफ़ इसको क़सम क़रार देते हैं। (तकमिला, जिल्द: 2, सफ़ा: 180)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ،

(4258) इमाम साहब सात उस्तादों की सनदों से नाफ़े से अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنهما) की ऊपर दी गई हदीस नक़ल करते हैं।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3249.

وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ، رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، . كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللَّهِ " . وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ " لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ " .

(4259) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसको क़सम उठानी हो, वह सिर्फ़ अल्लाह की क़सम उठाये' और क़ुरैश अपने बापों की क़सम उठाते थे, तो आपने फ़रमाया: 'तुम अपने बापों की क़सम न उठाओ।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3836, नसाई: 7/3.

फ़ायदा : ग़ैरुल्लाह की क़सम उठाना जायज़ नहीं है, और बापों की क़सम उठाने की ख़ुसूसी तौर पर भी मुमानिअत इस बिना पर है, कि क़ुरैश आम तौर पर, अपने बापों की क़सम उठाते थे।

(2) باب مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

बाब : 2 जिसने लात व उ़ज़्ज़ा की क़सम उठाई वह फ़ौरन ला इलाह इल्लल्लाह कहे

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ

(4260) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से जिसने क़सम उठाई, और क़सम लात की उठाई, वह फ़ौरन ला इलाहा इलल्लाह कहे, और जिसने अपने साथी से कहा, आइये मैं

أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللاَّتِ . فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ . فَلْيَتَصَدَّقْ " .

तुमसे जुआ खेलूं, वह स़दक़ा करे।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 4860, 6107, 6301, 6650, सुनन अबू दाऊद: 3247, जामेअ तिर्मिज़ी: 7/7 सुनन इब्ने माजा: 2096.

फायदा : दौरे जाहिलियत में लोग अपने अपने बुतों की क़समें उठाया करते थे, और वह उनकी ज़बानों पर चढ़ चुकी थीं, इसलिए इस्लाम लाने के बाद भी कुछ दफ़ा ग़ैर शऊरी तौर पर उनकी ज़बानों पर क़समें जारी हो जाती थीं, इसलिए जो इंसान मुसलमान होकर शऊरी तौर पर, जानबूझकर बुतों की ताज़ीम व तौक़ीर करते हुए उनकी क़सम उठाये तो, बक़ौल इब्ने अलअरबी मालकी काफ़िर होगा, लेकिन अगर ग़ैर शऊरी तौर पर, ग़फ़लत और बेख़बरी या जहालत की बिना पर ये क़सम उठाये तो फिर वह कलिमा तौहीद का एआदा (विर्द) करे और कुछ रिवायात की रू से इस्तेग़फ़ार और तअव्वुज़ करेगा, और अगर दूसरे को जूए की दावत दे, लेकिन खेला नहीं, तो फिर उस गुनाह का इरादा करने की बिना पर, स़दक़ा व ख़ैरात करेगा, और ये बेहतर और मुस्तहसन है, फ़र्ज़ नहीं है, इमाम नववी लिखते हैं, हमारे यानी शवाफ़ेअ के नज़दीक, जिसने लात या उज़्ज़ा या किसी और बुत की क़सम उठाई, या उसने ये कहा, अगर मैंने ये काम किया, तो मैं यहूदी या ईसाई हूँ या मैं इस्लाम से या नबी अकरम (ﷺ) से बेज़ार हूँ, या इस क़िस्म की कोई और बात कही, तो उसकी क़सम मुन्अक़िद नहीं होगी, इस पर कफ़्फ़ारा नहीं है, बल्कि इस पर तौबा व इस्तेग़फ़ार और कलिमा तौहीद का एआदा लाज़िम है, चाहे उसने ये काम किया हो या न, इमाम शाफ़ेई, इमाम मालिक और जुम्हूर फ़ुक़हा का मौक़िफ़ यही है, और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक इन तमाम सूरतों में कफ़्फ़ारा लाज़िम है, मगर ये कि वह ये कहे मैं बिदअती हूँ या मैं नबी अकरम (ﷺ) से बरी हूँ या यहूदियत से बेज़ार हूँ। (सही मुस्लिम, जिल्द: 2, सफ़ा: 46)
हाफ़िज़ इब्ने हजर ने फ़तहुलबारी (जिल्द: 11, सफ़ा: 654 मकतबा दारूस्सलाम) में यही बात कही है, लेकिन अल्लामा तक़ी उस्मानी और अल्लामा सईदी ने लिखा है, हमारे नज़दीक ग़ैरूल्लाह की क़सम मुन्अक़िद नहीं होती (हिदाया अवल्लीन सफ़ा: 459, मक्तबा इमदादिया) में भी इसकी तस़रीह मौजूद है, हाँ बक़ौल अल्लामा तक़ी, अगर ये क़सम उठाता है, अगर मैं ये काम न करूं, तो मैं काफ़िर या यहूदी या नसरानी हूँ, तो ये अहनाफ़ के नज़दीक क़सम है, क्योंकि क़समों का दारोमदार उ़र्फ़ पर है, और ये अल्फ़ाज़ उ़र्फ़न क़सम हैं। (तकमिला, जिल्द: 2, सफ़ा: 183)

وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، بْنُ

(4261) इमाम स़ाहब अपने दो उस्तादों की सनदों से ओज़ाई और मअमर के वास्ते से ज़ोहरी की ऊपर दी गई हदीस़ बयान करते हैं,

إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ مِثْلُ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَىْءٍ " . وَفِي حَدِيثِ الأَوْزَاعِيِّ " مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى " . قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَرْفُ - يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَ أُقَامِرْكَ . فَلْيَتَصَدَّقْ - لاَ يَرْوِيهِ أَحَدٌ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَلِلزُّهْرِيِّ نَحْوٌ مِنْ تِسْعِينَ حَدِيثًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ

और मअमर की हदीस़ यूनुस की हदीस़ की तरह है, हाँ ये फ़र्क़ है, उसने कहा, 'कुछ स़दक़ा करे।' और ओज़ाई की हदीस़ में है, 'जिसने लात और उज़्ज़ा की क़सम खाई।' इमाम अबू अलहुसैन मुस्लिम फ़रमाते हैं, ये लफ़्ज़, 'कि आओ मैं तेरे साथ जुआ खेलूँ।' ज़ोहरी के सिवा कोई और रावी बयान नहीं करता, और इमाम ज़ोहरी से तक़रीबन नौ ऐसे कलिमात मनक़ूल है, जिसे सनदे जय्यद से किसी और ने बयान नहीं किया।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 423 में देखें।

फ़ायदा : लात एक चौकोर और सफ़ेद पत्थर था, जिस पर बनू स़क़ीफ़ ने एक बुतकदा बना दिया था, इसलिए सफ़र से वापसी पर सबसे पहले उसके पास जाते थे, और उसको काबा के मुक़ाबले में लाना चाहते थे, तमाम अ़रब और क़ुरैश भी इसकी ताज़ीम करते थे, इसकी वजहे तस्मिया में इख़्तिलाफ़ है, बक़ौल कुछ लफ़्ज़ अल्लाह पर (त) दाख़िल करके देवी होने की बिना पर अल्लात बना डाला, जैसे मुज़क्कर को अ़म्र और मुअन्नस को अ़म्रा कहते हैं, और बक़ौल कुछ ये लफ़्ज़ लत्ता यलुत्तु से इस्मे फ़ाइल का स़ेग़ा है, जिसका मानी है सत्तू और घी घोलना, इस बुत की जगह एक शख़्स हाजियों के लिए सत्तू घोलता था, जब वह मर गया, तो लोग उसकी इबादत की ख़ातिर उसकी क़ब्र पर बैठने लगे, अ़ल्लामा आलूसी ने सूरह नज्म में और वज्हें भी बयान की हैं। उ़ज़्ज़ा: इसके बारे में भी मुख़्तलिफ़ अक़्वाल हैं, कुछ के नज़दीक ये चंद दरख़्तों का झुण्ड था, कुछ के नज़दीक सफ़ेद पत्थर और बक़ौल कुछ नख़ला नामी जगह में एक दरख़्त जिसके पास एक बुत था, जिसकी ग़तफ़ान इबादत करते थे। और बक़ौल कुछ ये अ़ज्ज़ा का मुअन्नस है, तफ़्सील के लिए, रूहुलमआनी, किताबुल अस्नाम इब्ने कल्बी, अल मुफ़स्सल फ़ी तारीख़िल अ़रब क़ब्लल इस्लाम मोजमुल बुल्दान, देखिये।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلاَ بِآبَائِكُمْ

(4262) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बुतों और अपने बापों की क़सम न उठाओ।'

तख़रीज : नसाई: 3783, सुनन इब्ने माजा: 2095.

फ़ायदा : तागिया से मुराद सनम और बुत है, क्योंकि, वह कुफ़्फ़ार के शिर्क व सरकशी का सबब है, और तुग़यान का मानी हुदूद से तजावुज़ करना है, जैसा कि कुर्आन मजीद में है (लम्मा तगलमाउ) जब पानी हद से बढ़ गया, इसलिए इसका इतलाक़ तमाम माबूदाने बातिला पर हो जाता है, इसलिए ज़लालत का हर सरग़ना तागिया है, मक़सूद यही है, माबूदाने बातिला की क़सम न उठाओ, और क़सम की तीन क़िस्में हैं, **(1) यमीने ग़मूस:** शऊरी तौर पर जान बूझ कर झूठी क़सम उठाना है, जो इंसान को गुनाह में डूबो देती है और गुनाहे कबीरा है। **(2) यमीने लग़्व:** यानी वह क़सम जो इंसान की ज़बान पर चढ़ी होने की वजह से ग़ैर शऊरी तौर पर निकल जाती है, या इंसान अपने शऊर और इल्म के मुताबिक़ सच्ची क़सम उठाये, जबकि दरहक़ीक़त, वह झूठी हो। **(3) यमने मुन्अकिदा:** आइन्दा ज़माना या मुस्तक़बिल के बारे में किसी काम के करने या न करने की क़सम उठाना, उसका पूरा करना ज़रूरी है, अगर गुनाह न हो, वरना कफ़्फ़ारा अदा करना होगा।

बाब : 3
जिसने किसी क़िस्म की क़सम उठाई, लेकिन उसको पूरा न करना, बेहतर निकला, तो उसे बेहतर काम करना चाहिए और क़सम तोड़ने का कफ़्फ़ारा अदा कर देना चाहिए

(3)
باب نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ

(4263) हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) बयान करते हैं, मैं अशअरियों के एक गिरोह के साथ नबी अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में सवारी तलब करने की ख़ातिर हाज़िर हुआ, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें सवारी नहीं दूंगा।, क्योंकि मेरे पास कोई सवारी नहीं है, जिस पर तुम्हें सवार करूं।' अबू मूसा बयान करते हैं, फिर जितना अर्सा अल्लाह को मन्ज़ूर था, हम ठहरे रहे, फिर आपके पास ऊँट लाये गये, तो आपने हमें तीन (जोड़े) सफ़ेद कोहान वाले ऊँट देने का हुक्म

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، - وَاللَّفْظُ لِخَلَفٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، الأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ " وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ " . قَالَ فَلَبِثْنَا مَا

شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أُتِيَ بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا - أَوْ قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ - لاَ يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا . فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ " مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " .

दिया, तो जब हम लेकर चले, हमने कहा, या हम में से कुछ ने कुछ को कहा, अल्लाह हमारे लिये बरकत पैदा नहीं फ़रमायेगा, हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में सवारियों के हासिल करने के लिये हाज़िर हुए, तो आपने क़सम उठाई की हमें सवारी नहीं देंगे, फिर आपने हमें सवारी दे दी है, तो वह आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और इस बात का तज़किरा किया, तो आपने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें सवार नहीं किया है लेकिन अल्लाह तआला ने तुम्हें सवार किया है, और मैं अल्लाह की क़सम! इन्शाअल्लाह, किसी चीज़ पर नहीं उठाता कि फिर उसके ख़िलाफ़ करना बेहतर समझूं, तो मैं अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे देता हूं, और वह काम करता हूं, जो बेहतर हो।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6623, 6718, सुनन अबू दाऊद: 3276, नसाई: 7/10, सुनन इब्ने माजा: 2107.

मुफ़रदातुल हदीस : (1) नस्तमिलुहू: आपसे सवारी चाहते थे। **(2) ज़ूद का:** इतलाक़ तीन से लेकर दस ऊँट तक पर होता है। **(3)** ग़ुर्रा, अग़र्र की जमा सफ़ेद को कहते हैं। **(4)** ज़ुरा, ज़िरवा की जमा है, हर चीज़ की चोटी और बलन्द हिस्सा को कहते हैं, और यहाँ कोहान मुराद है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ، - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلاَنَ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي

(4264) हज़रत अबू मूसा अशअरी बयान करते हैं कि मुझे मेरे साथियों ने, रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आपसे सवारी माँगने के लिये भेजा, क्योंकि वह भी तंगी की जंग यानी ग़ज़्व-ए तबूक में आप(ﷺ) के साथ शरीक थे, तो मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! मेरे साथियों ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप उन्हें भी सवारियाँ दें, इस पर आपने

फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें कोई सवारी मुहैया नहीं करूंगा।' और मैं आपको उस वक़्त मिला जबकि आप गुस्सा में थे, और मुझे इसका पता या इल्म नहीं था, तो मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के महरूम कर देने और इस ख़ौफ़ से कि आप अपने जी में मुझ पर नाराज़ हो गये हैं, ग़मगीन हालत में लौटा और मैं अपने साथियों के पास वापस आया, और जो कुछ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया था, मैंने उन्हें बता दिया, मैं बहुत थोड़ी देर ही ठहरा था, कि मैंने बिलाल को ये आवाज़ देते हुए सुना, ऐ अब्दुल्लाह बिन क़ैस! मैंने उन्हें जवाब दिया, तो उसने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हो आप तुम्हें बुला रहे हैं, तो जब मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आपने फ़रमाया: 'ये जोड़ा लो, और ये जोड़ा लो, और ये जोड़ा लो, छ: ऊँटों की तरफ़ इशारा किया, जो उस वक़्त आपने हज़रत सअद (ﷺ) से ख़रीदे थे, उन्हें अपने साथियों के पास ले जाओ, और कहो, अल्लाह या आपने फ़रमाया, 'रसूलुल्लाह (ﷺ) तुम्हें इन पर सवार करते हैं, तो इन पर सवार हो जाओ।' हज़रत अबू मूसा (ﷺ) बयान करते हैं, मैं उन्हें लेकर अपने साथियों की तरफ़ आ गया, और मैंने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) तुम्हें इन पर सवार करते हैं, लेकिन अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें उस वक़्त तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुममें से कुछ, मेरे साथ, उन अश्ख़ास के पास नहीं जाते, जिन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की बात उस

جَيْشِ الْعُسْرَةِ - وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ - فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ . فَقَالَ " وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَىْءٍ " . وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلاَ أَشْعُرُ فَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَىَّ فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أَلْبَثْ إِلاَّ سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلاَلاً يُنَادِي أَىْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ . فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُوكَ . فَلَمَّا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ - لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ - فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ - أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلاَءِ فَارْكَبُوهُنَّ " . قَالَ أَبُو مُوسَى فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُكُمْ

عَلَى هَؤُلاءِ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ وَمَنْعَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ثُمَّ إِعْطَاءَهُ إِيَّاىَ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ . فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ . فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَّثُوهُمْ بِمَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى سَوَاءً .

वक़्त सुनी थी, जब मैंने आपसे तुम्हारी ख़ातिर (सवारियों का) सवाल किया था, और आपने पहली दफ़ा महरूम कर दिया था, फिर उसके बाद आपने मुझे सवारियाँ दे दीं, ताकि तुम ये ख़्याल न करो, मैंने तुम्हें ऐसी बात बताई थी, जो आपने नहीं फ़रमाई थी, तो उन्होंने मुझे कहा, अल्लाह की क़सम! आप हमारे नज़दीक सच्चे हैं, और हर वह काम करने के लिये तैयार हैं, जो आपको पसन्द है, तो अबू मूसा (ﷺ) उनमें से चंद साथियों को ले चले यहाँ तक कि वह उन लोगों के पास आये, जिन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान और उन्हें महरूम करना और फिर बाद में उन्हें देना सुना था, तो उन्होंने उन्हें बिल्कुल वही बात बताई जो उन्हें अबू मूसा(ﷺ) ने बताई थी।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 4415, 6678.

फायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़सम उठाई थी कि मेरे पास सवारियों का इन्तेज़ाम नहीं, (मा इन्दी मा अह्मिलुकुम अलैहि) इसलिए मैं तुम्हें सवारियाँ मुहैया नहीं करूंगा, फिर जब अल्लाह तआला ने सवारियाँ ख़रीदने की सूरत पैदा कर दी, तो आपने उन्हें सवारियाँ मुहैया कर दीं, लेकिन चूंकि अबू मूसा अशअरी ये समझते थे, शायद आप अपनी क़सम भूल गये हैं, इसलिए ये हमारे लिये बाइसे बरकत नहीं होंगी, वह चूंकि अपनी क़ौम के नुमाइन्दे थे, इसलिए कुछ दफ़ा ज़िक्र सबका किया गया, और कुछ दफ़ा सिर्फ़ उनकी आमद का तज़किरा किया गया, और हक़ीक़त के ऐतबार से वह अकेले ही आये थे, इसलिए उन्हें आपके पहले जवाब पर साथियों को ऐतमाद में लेने के लिए, दोबारा साथ ले जाने की ज़रूरत पेश आई, चूंकि सवारियाँ आपने अल्लाह तआला के हुक्म से मुहैया की थीं, अपनी तरफ़ से मुहैया नहीं की थीं, इसलिए आपने फ़रमाया, मैंने तुम्हें सवार नहीं किया, अल्लाह ने सवार किया है। इस ऐतबार से आपकी क़सम नहीं टूटी, क्योंकि आपने इस बिना पर इंकार किया था, और क़सम उठाई थी, कि मेरे पास इसका इन्तेज़ाम नहीं है, जब अल्लाह तआला ने इन्तेज़ाम कर दिया, तो आपने सवारियाँ दे दीं, दूसरे लफ़्ज़ों में आपने अपनी मिल्कियत से देने से इंकार किया था, बाद में बैतुल माल के ख़र्च पर मुहैया कीं, इसलिए आपकी क़सम नहीं टूटी, लेकिन आपने मसला की वज़ाहत की ख़ातिर बता दिया, अगर मुझे

तुम्हें सवारियाँ मुहैया करने की सूरत में अपनी क़सम भी तोड़नी पड़ती, तो मैं अपनी क़सम तोड़ देता, क्योंकि क़सम के कफ़्फ़ारा से बचने के लिए बेहतर काम तर्क करना दुरूस्त नहीं है, बल्कि बेहतर काम करना चाहिए और क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करना चाहिए, दूसरा मानी ये भी हो सकता है कि मैंने ये काम भूल कर नहीं किया, बल्कि इसलिए किया है कि क़सम पर क़ाइम रहने से बेहतर यही था कि मैं क़सम तोड़ कर तुम्हें सवारियाँ मुहैया करता, और मेरा उसूल यही है कि काम करना, क़सम पर अड़ने से बेहतर हो तो मैं क़सम पर नहीं अड़ता, उसको तोड़ कर उसका कफ़्फ़ारा अदा कर देता हूँ।

(4265) हज़रत ज़हदम जरमी बयान करते हैं कि हम अबू मूसा (﵁) के पास बैठे हुए थे, उन्होंने अपना दस्तरख़्वान मंगवाया, उस पर मुर्ग़ का गोश्त भी था, तो बनू तैमुल्लाह का एक सुर्ख़ आदमी जो मवाली के मुशाबा था, दाख़िल हुआ, तो अबू मूसा ने उसे कहा, आओ, वह हिचकिचाया तो अबू मूसा (﵁) ने कहा, आओ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसे (मुर्ग़ को) खाते हुए देखा है, तो उस आदमी ने कहा, मैंने इसे एक ऐसी चीज़ खाते देखा है, जिसकी बिना पर मैं इसे नापसन्द करता हूं, इसलिए मैंने क़सम उठाई है कि मैं इसे नहीं खाऊंगा, तो अबू मूसा (﵁) ने कहा, आओ, मैं तुम्हें इसके बारे में हदीस़ सुनाता हूं, मैं अशअ़रियों के एक गिरोह के साथ (यानी उनके कहने पर) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, हम आपसे सवारियाँ चाहते थे, तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें सवार नहीं करूंगा, और मेरे पास तुम्हें सवार करने के लिए कुछ नहीं है।' हम जितनी देर अल्लाह तआ़ला को मंज़ूर हुआ ठहरे, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास ग़नीमत के ऊँट लाये गये, तो आपने हमें बुलवाया, और

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي، قِلاَبَةَ وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، - قَالَ أَيُّوبُ وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ، أَحْفَظُ مِنِّي لِحَدِيثِ أَبِي قِلاَبَةَ - قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي فَقَالَ لَهُ هَلُمَّ . فَتَلَكَّأَ فَقَالَ هَلُمَّ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مِنْهُ . فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ أَطْعَمَهُ فَقَالَ هَلُمَّ أُحَدِّثْكَ عَنْ ذَلِكَ إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ " وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ " . فَلَبِثْنَا مَا

شَاءَ اللَّهُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَهْبِ إِبِلٍ فَدَعَا بِنَا فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى قَالَ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَغْفَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمِينَهُ لاَ يُبَارَكُ لَنَا . فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ وَإِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا أَفَنَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ".

हमें पाँच ऊँट सफ़ेद कोहानों वाले देने का हुक्म दिया, अबू मूसा (ﷺ) ने बताया, जब हम चल पड़े, तो एक दूसरे को कहने लगे, हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) को आपकी क़सम से बेख़बर रखा, (क़सम याद नहीं दिलाई) इसलिए ये हमारे लिये बाइसे बरकत नहीं होंगे, तो हम आप (ﷺ) के पास लौट आये, और हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हम आपके पास सवारियाँ लेने आये, और आपने क़सम उठा दी, कि आप हमें सवार नहीं करेंगे, फिर आपने हमें सवारियाँ दे दी हैं, क्या आप (क़सम) भूल गये हैं? ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 'नहीं,अल्लाह की क़सम! इन्शाअल्लाह, किसी चीज़ पर क़सम नहीं उठाता, कि उसकी मुख़ालिफ़त करना बेहतर ख़याल करूं, तो मैं वह काम करता हूं, जो बेहतर हो, और क़सम को कफ़्फ़ारा देकर हलाल कर लेता हूं, इसलिए जाओ, क्योंकि तुम्हें अल्लाह तआला ने सवार किया है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3133, 4385, 5517, 5518, 6649, 6680, 6721, 7555, जामेअ तिर्मिज़ी: 1826, 1827, नसाई: 7/206, 7/36.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) तलक्कअ: ताख़ीर, हिचकिचाहट से काम लिया। **(2) नहबु इबिलिन:** ग़नीमत के ऊँट।

फ़ायदा : ये दाख़िल होने वाला तैमुल्लाह का फ़र्द, ख़ुद ज़हदम जर्मी है, क्योंकि बनू तैमुल्लाह और बनू जर्म दोनों क़बीला क़ज़ाआ के ख़ानदान हैं, इसलिए बनू ज़हदम को कुछ दफ़ा बनू तैमुल्लाह भी कह दिया जाता है, और आपने हज़रत सअद से ऊँट ग़नीमत के ऊँटों के ऐवज़ हासिल किये थे, कि जब ग़नीमतें हासिल होंगी, तुम्हें ऊँट दे देंगे, या हज़रत सअद को ये ऊँट ग़नीमत में हासिल हुए थे, इसलिए उन्हें ग़नीमत के ऊँटों से ताबीर कर दिया, ये ऊँट छ: थे अगरचे कुछ रावियों ने इन्हें पाँच कह दिया है, या पाँच थे, कसर को पूरा करते हुए उन्हें छ: से ताबीर कर दिया गया है।

(4266) हज़रत ज़हदम जर्मी (रह.) बयान करते हैं कि बनू जर्म के ख़ानदान और अशअरियों के दरम्यान मोहब्बत और भाई चारगी का रिश्ता था, इसलिए हम अबू मूसा अशअरी (ﷺ) के पास थे कि उन्हें खाना पेश किया गया, जिसमें मुर्ग़ का गोश्त था, आगे ऊपर दी गई रिवायत है।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4241 में देखें।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، وَالْقَاسِمِ، التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، قَالَ كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَىِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الأَشْعَرِيِّينَ وُدٌّ وَإِخَاءٌ فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ ‏.‏ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ‏.‏

(4267) इमाम स़ाहब अपने पाँच उस्तादों की तीन सनदों से, ज़हदम जर्मी की रिवायत बयान करते हैं। तमाम उस्तादों ने हम्माद बिन ज़ैद की हदीस़ नम्बर 9 की तरह हदीस़ बयान की।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4241 में देखें।

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، وَالْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى ‏.‏ وَاقْتَصُّوا جَمِيعًا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ‏.‏

(4268) ज़हदम जर्मी बयान करते हैं, मैं अबू मूसा अशअरी (ﷺ) के पास पहुँचा, और वह मुर्ग़ का गोश्त खा रहे थे, आगे ऊपर दी गई रिवायत है, और इसमें ये इज़ाफ़ा है, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं अल्लाह की क़सम! भूला नहीं हूँ।'

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4241 में देखें।

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا الصَّعْقُ، - يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ - حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا زَهْدَمٌ الْجَرْمِيُّ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِيهِ قَالَ " إِنِّي وَاللَّهِ مَا نَسِيتُهَا

(4269) हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास सवारियाँ लेने के लिए हाज़िर हुए, तो आपने फ़रमाया: 'मेरे पास तुम्हें सवार करने के लिए कुछ नहीं है, अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें सवार नहीं करूंगा।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमारे पास तीन जोड़े ऊँट सफ़ेद कोहानों वाले भेजे, तो हमने दिल में कहा, हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास सवारियाँ लेने के लिए हाज़िर हुए, तो आपने हमें सवार न करने की क़सम उठाई, इसलिए हम आप(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपको आपकी क़सम से आगाह किया, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं किसी चीज़ पर क़सम नहीं उठाता, कि जिसके ख़िलाफ़ करने को बेहतर समझूं, मगर फिर मैं बेहतर काम ही करता हूँ।'

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ ضُرَيْبِ بْنِ، نُقَيْرٍ الْقَيْسِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ " مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ " . ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثَةِ ذَوْدٍ بُقْعِ الذُّرَى فَقُلْنَا إِنَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا فَأَتَيْنَاهُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ " إِنِّي لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " .

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4241 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस़ : बुक़्उन, अब्क़उ की जमा है, चितकबरा, जिसमें सियाही व सफ़ेदी हो, सफ़ेदी के ग़ल्बा की बिना पर उनको बुक्उज़्ज़ुरा की बजाये आम रिवायात में ग़ुर्रूज़्ज़ुरा क़रार दिया गया है, इसलिए मतन में मानी सफ़ेद कोहान किया गया है।

(4270) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) बयान करते हैं कि हम पैदल चल रहे थे, तो हम नबी अकरम(ﷺ) की ख़िदमत में सवारियों के लिए हाज़िर हुए, आगे ऊपर दी गई रिवायत है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ، عَنْ زَهْدَمٍ، يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ كُنَّا مُشَاةً فَأَتَيْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ . بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ .

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4241 में देखें।

(4271) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी रात की तारीकी तक, नबी अकरम (ﷺ) के पास रहा, फिर अपने घर लौटा, तो बच्चों को सोये हुए पाया, उसकी बीवी उसके पास उसका खाना लाई, तो उसने बच्चों की (भूखा होने की) ख़ातिर खाना न खाने की क़सम उठाई, फिर उसे ख़याल आया, तो उसने खाना खा लिया, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आकर इस वाक़िया का तज़किरा किया, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी काम के लिए क़सम उठाई, फिर उसके ख़िलाफ़ करना बेहतर समझा, तो वह काम कर ले, और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करे।'

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لاَ يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ "

(4272) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी काम की क़सम उठाई और उसकी मुख़ालिफ़त को बेहतर समझा, तो वह बेहतर काम करे, और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे।'
तख़रीज : जामेअ तिर्मिज़ी: 1530.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي، صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ " .

(4273) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी काम की क़सम उठाई और उसके मुख़ालिफ़ काम को बेहतर समझा तो वह बेहतर काम कर ले और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे।'

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ " .

(4274) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से इमाम मालिक की हदीस नम्बर 12 की तरह बयान करते हैं, 'कि वह अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करे और वह काम करे जो बेहतर है।'

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ " فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ".

फ़ायदा : इस बात पर तमाम फ़ुक़हा–ए–उम्मत का इत्तेफ़ाक़ है, अगर किसी इंसान ने कोई काम करने या न करने की क़सम उठाई, लेकिन क़सम पूरा करने के मुक़ाबले में उसको तोड़ना बेहतर साबित हुआ, तो उसको क़सम तोड़ कर उसका कफ़्फ़ारा अदा करना चाहिए, लेकिन इसमें इख़्तिलाफ़ है, क्या क़सम तोड़ने से पहले कफ़्फ़ारा देना जायज़ है या नहीं, इमाम अबू हनीफ़ा का मौक़िफ़ ये है कि क़सम तोड़ने से पहले कफ़्फ़ारा अदा करना दुरूस्त नहीं है, वह पहले क़सम तोड़े फिर कफ़्फ़ारा अदा करे, दाऊद ज़ाहिरी और अशअब मालिकी का यही क़ौल है, लेकिन इमाम शाफ़ेई, मालिक, अहमद, रबीया, ओज़ाई, लैस बिन सअद, सौरी, इस्हाक़, उमर, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास वग़ैरहुम के नज़दीक, क़सम तोड़ने से पहले कफ़्फ़ारा अदा करना जायज़ है, रिवायात से दोनों सूरतें जायज़ मालूम होती हैं। (मुग़नी इब्ने क़ुदामा, जिल्द: 13, सफ़ा: 481 से 483–अल्लामा तुर्की, फ़तहुलबारी, जिल्द: 11 मकतबा दारूस्सलाम, सफ़ा 741 से 743)

(4275) तमीम बिन तरफ़ा (रह.) बयान करते हैं, कि एक साइल हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) के पास आया, और उनसे ख़ादिम की क़ीमत या ख़ादिम की कुछ क़ीमत देने का सवाल किया, तो उन्होंने कहा, मेरे पास तुझे देने के लिए मेरी ज़िरह और ख़ुद के सिवा कुछ नहीं है, तो मैं अपने घर वालों को लिख देता हूँ, तो वह तुझे क़ीमत दे देंगे,तो वह इस पर राज़ी न हुआ, जिससे हज़रत अदी (ﷺ) नाराज़ हो गये,और कहा, हाँ अल्लाह की क़सम! अगर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए न सुना होता, 'जिसने किसी काम पर क़सम उठाई, फिर उसके सामने अल्लाह के

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ رُفَيْعٍ - عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، قَالَ جَاءَ سَائِلٌ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ خَادِمٍ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ . فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلاَّ دِرْعِي وَمِغْفَرِي فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطُوكَهَا . قَالَ فَلَمْ يَرْضَ فَغَضِبَ عَدِيٌّ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لاَ أُعْطِيكَ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ حَلَفَ عَلَى

يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى " . مَا حَنَّثْتُ يَمِينِي .

तक़वा पर ज़्यादा दलालत करने वाली राय आई, तो वह तक़वा वाला काम करे।' तो मैं अपनी क़सम न तोड़ता।

तख़रीज : नसाई: 3795, 3796, सुनन इब्ने माजा: 2108.

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ" .

(4276) हज़रत अदी बिन हातिम (ؓ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी काम के लिए क़सम उठाई, और उसके मुख़ालिफ़ को बेहतर समझा, तो वह काम करे जो बेहतर है, और अपनी क़सम को छोड़ दे, यानी क़सम तोड़ दे।'

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4251 में देखें।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ طَرِيفٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " .

(4277) हज़रत अदी बिन हातिम (ؓ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई किसी काम की क़सम उठाये, और उसके बरअक्स को उससे बेहतर समझे,तो क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करे, और वह काम करे जो बेहतर है।'

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4251 में देखें।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ .

(4278) हज़रत अदी बिन हातिम (ؓ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4251 में देखें।

(4279) तमीम बिन तरफ़ा (रह.) बयान करते हैं, मैंने हज़रत अदी बिन हातिम (﵁) से सुना, जबकि उनके पास एक आदमी सौ दिरहम माँगने के लिए आया, तो उन्होंने कहा, तू मुझसे सौ दिरहम माँग रहा है, हालांकि मैं हातिम का बेटा हूँ? अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें नहीं दूंगा, फिर कहने लगे, अगर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये न सुना होता, 'जिसने किसी काम के लिए क़सम उठाई, फिर उसके सामने बेहतर सोच आई, तो वह काम करे जो बेहतर है।' (तो मैं तुम्हें न देता, ये जवाब महज़ूफ़ है।)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، وَأَتَاهُ، رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ . فَقَالَ تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ وَاللَّهِ لاَ أُعْطِيكَ . ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " .

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4251 में देखें।

फ़ायदा : तस्अलुनी मिअ़ता दिरहम? व अना इब्ने हातिम का मक़सद बक़ौल इमाम क़ुर्तुबी ये है, कि मैं हातिम का बेटा हूँ, जो जूद व सख़ावत की कसरत में मारूफ़ व मशहूर है, और तुम मुझसे इस क़द्र कम रक़म का मुतालबा कर रहे हो, और बक़ौल क़ाज़ी अयाज़,साइल ने हज़रत अदी से उस वक़्त सवाल किया, जबकि उसे पता था कि फ़िलहाल उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, और साइल का मक़सद हज़रत अदी के बुख़्ल और कुछ देने से इंकार करने का इज़हार था, इसलिए हज़रत अदी(﵁) ने नाराज़ी की हालत में ये कहा, कि तुम जानबूझ कर मुझे रूस्वा करने के लिए कि हातिम का बेटा बख़ील व कंजूस है, ये सवाल कर रहे हो, हालांकि तुम्हें पता है इस वक़्त मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, जाओ मैं अपने घर वालों को लिख देता हूँ, वह तुम्हारा सवाल पूरा कर दें, लेकिन वह इस पर राज़ी न हुआ, इसलिए उन्होंने कुछ न देने की क़सम उठा ली।

(4280) तमीम बिन तरफ़ा (रह.) बयान करते हैं, मैंने अदी बिन हातिम (﵁) से सुना, जबकि उनसे एक आदमी ने सवाल किया, आगे ऊपर दी गई हदीस़ बयान की, और इतना इज़ाफ़ा किया, जब बैतुल माल से मुझे अतिया मिलेगा, तो तुम्हें चार सौ दूंगा।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلَكَ أَرْبَعُمِائَةٍ فِي عَطَائِي .

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4251 में देखें।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " .

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْجُلُودِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَاسَرْجَسِيُّ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، . بِهَذَا الْحَدِيثِ.

(4281) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा (ﷺ) बयान करते हैं, कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अब्दुर्रहमान बिन समुरा ओहदा व मन्सब या इक़्तिदारे हुकूमत का सवाल न करना (न माँगना) क्योंकि अगर तुम्हें इक़्तिदार व इख़्तियार माँगने की बिना पर मिला, तो तुम इसके सुपुर्द कर दिये जाओगे (अल्लाह की तौफ़ीक़ व इनायत से महरूम रहोगे) और अगर तुम ओहदा व इक़्तिदार बिला तलब दिये गये तो इस पर तुम्हारी इनायत व मदद की जायेगी (अल्लाह की तरफ़ से दुरूस्तगी की तौफ़ीक़ मिलेगी) और जब तुम किसी काम पर क़सम उठा लो, फिर उसके बरअक्स को इससे बेहतर समझो, तो अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दो और वह काम करो जो बेहतर है।'

इमाम मुस्लिम के शागिर्द अबू इस्हाक़ इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन सुफ़ियान से सही मुस्लिम रिवायत करने वाले इमाम अबू अहमद अलमजदी बयान करते हैं, कि मैंने ऊपर दी गई रिवायत अबू अलअब्बास अलमासर जसी के वास्ते से शैबान बिन फ़र्रूख़ से सुनी है,(इस तरह एक वास्ता कम हो गया, गोया जलूदी ने अबू इस्हाक़ की बजाये बराहे रास्त इमाम मुस्लिम से रिवायत सुन ली)

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6622, 6722, 7146, 7147, सुनन अबू दाऊद: 3277, 3278, 2929, जामेअ तिर्मिज़ी: 5129, नसाई: 7/10, 7/11, 7/12, 8/225.

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٍ، وَحُمَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَهِشَامِ، بْنِ حَسَّانَ فِي آخَرِينَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ ذِكْرُ الإِمَارَةِ.

(4282) इमाम साहब अपने मुख़्तलिफ़ उस्तादों की मुख़्तलिफ़ सनदों से अब्दुर्रहमान बिन समुरा की ये रिवायत बयान करते हैं लेकिन मुअमर अपने बाप से इमारा का ज़िक्र नहीं करते।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4257 में देखें।

नोट : ओहदा और मन्सब के सवाल के बारे में तफ़्सील किताबुल इमारत में आयेगी।

(4)
باب يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

बाब : 4
क़सम उठाने वाले की क़सम में क़सम लेने वाले की नियत का ऐतबार होगा

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، وَقَالَ، عَمْرٌو حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ " . وَقَالَ عَمْرٌو " يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ " .

(4283) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारी क़सम में उस नियत व इरादा का ऐतबार है, जिस मानी व मफ़हूम पर तुम्हारा साथी (क़सम लेने वाला) तसदीक़ करे।' अम्र की हदीस़ में: अलय्या की जगह बिही का लफ़्ज़ है।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3255, जामेअ तिर्मिज़ी: 6354, सुनन इब्ने माजा: 2120, 2121.

(4284) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम में क़सम लेने वाले की नियत का ऐतबार है।'

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4259 में देखें।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ، أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है, अगर कोई आदमी किसी नियत की बिना पर जायज़ तौर पर क़सम उठाता है, तो ऐसी सूरत में क़सम उठाने वाले की नियत और उसके मानी व मफ़हूम का ऐतबार होगा, क़सम उठाने वाला, अगर क़सम का तोरिया या तअ़रीज़ करता है, तो उसका ऐतबार नहीं होगा, अगर ये क़सम अ़दालत के लिए उठाई गई है, तो फिर इसमें फ़ुक़हा के दरम्यान कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है, अगर क़सम लेना जायज़ था, और क़सम अ़दालत में, अल्लाह तआ़ला या उसकी सिफ़ात की उठाई गई है, तो इसमें क़ाज़ी या उसके नाइब की नियत व क़सद मोतबर होगा, और अगर क़सम लेने वाला, अ़दालत की बजाये, ख़ुद क़सम लेता है, और ज़ुल्म व ज़्यादती का इरतेकाब करना चाहता है, तो फिर सुनन अबी दाऊद की रिवायत की रोशनी में, तोरिया व तअ़रीज़ से काम लेना जायज़ है, आपको बताया गया, कि हम आपके पास आ रहे थे, तो हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) को उनके दुशमनों ने पकड़ लिया, तो उनमें से हज़रत सुऐद (ﷺ) को फ़रमाया, तुमने सच बोला, मुसलमान, मुसलमान का भाई है, इससे स़ाबित हुआ, अगर क़सम लेने वाला, ज़ुल्म व ज़्यादती का मुर्तकिब हो, तो फिर तोरिया जायज़ है, तफ़्स़ीलात के लिये (अलमुग़नी, जिल्द: 13, स़फ़ा: 497 से 501, मसला नम्बर 1803) दुक्तूर तुर्की।

और बक़ौल अ़ल्लामा नववी अगर हालिफ़ (क़सम खाने वाले) से तलाक़ या ग़ुलाम आज़ाद करने की क़सम उठाई गई, तो फिर क़सम उठाने वाले की नियत का ऐतबार होगा, यानी वह तोरिया व तअ़रीज़ से काम ले सकेगा, अ़ल्लामा तक़ी ने अहनाफ़ का भी यही मौक़िफ़ बताया है लेकिन अ़ल्लामा सईदी ने इसकी मुख़ालिफ़त की है, और कहा है, फ़ुक़हा–ए–अहनाफ़ के नज़दीक अगर किसी शख़्स़ के हक़ में क़सम ली गई है, तो हलफ़ लेने वाले की नियत का ऐतबार रहेगा, ख़्वाह अल्लाह की क़सम ली जाये या तलाक़ और एताक़ की, और जब कोई ख़ुद क़सम उठाये तो उसकी नियत का ऐतबार होगा और वह तावील और तोरिया कर सकता है, और आख़िर में लिखा है, इस मसले में अ़ल्लामा इब्ने क़ुदामा हम्बली ने जो बहस़ की है, वही हक़ और स़ही है। (शरह मुस्लिम सईदी, जिल्द: 4, स़फ़ा: 587 में देखें।)

बाब : 5
क़सम में इस्तसना यानी इन्शाअल्लाह कहना

(5)
باب الإسْتِثْنَاءِ

(4285) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत सुलैमान अलैहि. की साठ बीवियाँ थीं, तो उन्होंने कहा, आज रात में सबके यहाँ जाऊंगा, और उनमें से हर एक को हमल ठहरेगा, और उनमें से हर एक शाहसवार जवान जनेगी, जो अल्लाह की राह में जिहाद करेगा, तो उनमें से सिर्फ़ एक को हमल ठहरा और अधरंग बच्चा पैदा हुआ, यानी नाक़िसुल ख़िल्क़त इंसान पैदा हुआ, इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर इन्शाअल्लाह कह लेते, तो उनमें से हर एक शाहसवार जवान जनती जो अल्लाह की राह में जिहाद करता।'

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي الرَّبِيعِ - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ لِسُلَيْمَانَ سِتُّونَ امْرَأَةً فَقَالَ لأَطُوفَنَّ عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ فَتَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلاَمًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ وَاحِدَةٌ فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ كَانَ اسْتَثْنَى لَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلاَمًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " .

फ़ायदा : हज़रत सुलैमान अलैहि. की बीवियों की तादाद में अहादीस़ में इख़्तिलाफ़ है, आपका अस़ल मक़सूद, उनकी कस़रत बयान करना था, इसलिए रिवायत बिल मानी की बिना पर रावियों ने कस़रत पर दलालत करने वाले मुख़्तलिफ़ आदाद बयान कर दिये, चूंकि हदीस़ का अस़ल मख़रज, हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) हैं, इसलिए क़तइयत और यक़ीन के साथ तादाद मुतय्यन नहीं हो सकती। हाँ हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) का मौक़िफ़ ये है कि बीवियों की तादाद आज़ाद और लौण्डियों को मिलाकर नव्वे (90) से ज़्यादा और सौ से कम थी, कुछ रावियों ने सिर्फ़ आज़ाद बीवियों का तज़किरा किया, तो तादाद कम बयान की और कुछ ने आज़ाद और लौण्डियों को मिलाया, और नव्वे से ज़्यादा को नज़र अन्दाज़ करके उनकी तादाद नव्वे बयान कर दी, और कुछ ने कमी को पूरा करते हुए सौ कर दिया और हर बीवी के हामिला होने की ख़्वाहिश और आरज़ू का इज़हार करते वक़्त, फ़रिश्ता के याद दिलाने के बावजूद, उनके मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह होने की तमन्ना में, इन्शाअल्लाह कहना भूल

गये, क्योंकि अल्लाह तआला को यही मन्ज़ूर था, वरना अगर वह इन्शाअल्लाह कह लेते, तो हुज़ूर अकरम (ﷺ) के फ़रमान के मुताबिक़, अल्लाह के यहाँ उनकी ये आरज़ू और तमन्ना शर्फ़े क़बूलियत हासिल कर लेती और हर बीवी जवान शहसवार जनती, और ये बात आपने अल्लाह तआला के बताने की बिना पर बताई, वरना ये लाज़िम नहीं है कि जिस आरज़ू और ख़्वाहिश के साथ इंसान इन्शाअल्लाह कह ले वह आरज़ू ज़रूर पूरी होगी। हज़रत मूसा अलैहि. ने (सतजिदुनी इन्शाअल्लाह साबिरा) कहा था, लेकिन उसके बावजूद ख़िज़्र अलैहि. ने कहा, (ज़ालिका तावीलु मालम तस्ततिअ अलैहि सबरा) ये इस मामले की हक़ीक़त है, जिस पर आप सब्र नहीं कर सके।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللَّهِ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلاَمٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ . فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلاَّ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلاَمٍ " . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ " .

(4286) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह के नबी सुलैमान बिन दाऊद अलैहि. ने फ़रमाया: 'मैं आज रात सत्तर औरतों के पास जाऊंगा, इनमें से हर एक ऐसा जवान जनेगी,जो अल्लाह की राह में जंग लड़ेगा, तो उन्हें उनके साथी या फ़रिश्ते ने कहा, इन्शाअल्लाह कह लिजिए, वह न कह सके, भूल गये, इनमें से किसी बीवी ने भी बच्चा न जना, सिवाए एक के, उसने अधरंग बच्चा जना, इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर वह इन्शाअल्लाह कह लेते, क़सम में हानिस न होते, और अपने मक़सद को भी ज़रूर पा लेते।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6720.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ .

(4287) इमाम साहब एक और सनद से भी, हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से इसकी मिस्ल या इसके हम मानी रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6720.

फवाइद : (1) लम यहनस का मक़सद बक़ौल कुछ ये है, अगर सुलैमान अलैहि. इन्शाअल्लाह कह लेते, तो उनकी आरज़ू और तमन्ना पूरी हो जाती और हर बीवी मुजाहिद जवान जनती, और उनकी क़सम

पूरी हो जाती, और वह हानिस़ न होते और बक़ौल कुछ ये मक़सद है अगर वह इन्शाअल्लाह कह लेते, तो ये क़सम में इस्तेस़ना होता और क़सम मुन्अक़िद न होती, इसलिए आरज़ू पूरी न होने के बावजूद भी हानिस़ न होते, यानी उनकी क़सम न टूटती। (2) इस हदीस़ पर सय्यद अबूल आ़ला मौदूदी का हिसाबी तरीक़ा से ऐतराज़ करना, इन्तेहाई हैरानकुन है, क्योंकि अल्लाह तआला कुछ औक़ात अपने नेक बंदों को ये तौफ़ीक़ देता है कि वह चंद घंटों में वह काम कर लेते हैं, जो आ़म इंसान दिन भर में भी नहीं कर सकता। मौलाना मुनाज़िर अहसन गीलानी ने अपनी किताब तालीम व तर्बीयत में एक आदमी के बारे में लिखा है, कि उसने तीन दिन में पूरा कुर्आन मजीद लिख डाला था, हिस्सा अव्वल स़फ़ा: 63, इमाम इब्ने तैमिया के बारे में मुअर्रिख़ीन (इतिहास लिखने वाले) लिखते हैं कि उन्होंने कुछ सवालियों के जवाब में, ज़ुहर से अ़स्र के दरम्यान ग़ौर व फ़िक्र और सोच व विचार करके एक रिसाला लिख डाला, जिसको आ़म आ़लिम इतने वक़्त में पढ़ भी नहीं सकता, कुछ हुफ़्फ़ाज़ इन्तेहाई क़लील अ़र्सा में कुर्आन मजीद मुकम्मल कर लेते हैं।

अ़ल्लामा अ़ब्दुल अ़ज़ीज और मौलाना अ़ब्दुल हई लखनवी ने सिर्फ़ चालीस साल की ज़िन्दगी में इस क़द्र क़िस्म क़िस्म की और ज़ख़ीम कुतूब लिखी हैं कि इंसान दंग रह जाता है, तो अगर एक नेक और मुत्तक़ी इंसान के औक़ात में बरकत हो सकती है, कि वह कम वक़्त में बहुत काम कर जाता है, तो एक नबी के औक़ात में बरकत का पैदा हो जाना और महदूद वक़्त में बहुत काम कर लेना क्योंकर क़ाबिले ताज्जुब या क़ाबिले इंकार ठहर सकता है, और इसके लिए ये कहने की ज़रूरत पेश आ सकती है कि, हर शख़्स ख़ुद हिसाब लगा कर देख सकता है कि जाड़े की तवील तरीन रात में भी इशा और फ़ज्र के दरम्यान दस ग्यारह घंटे से ज़्यादा वक़्त नहीं होता,अगर बीवियों की तादाद कम से कम साठ ही मान ली जाये तो इसके मानी ये हैं कि हज़रत सुलैमान अ़लैहि.इस रात बग़ैर दम लिये फ़ी घंटा छ: बीवियों के हिसाब से दस घंटे मुबाशरत करते रहे, क्या ये अमलन मुमकिन भी है, और क्या ये तवक़्क़ो की जा सकती है कि हुज़ूर ने ये बात वाक़िये के तौर पर बयान की होगी? (तफ़्हीमुल क़ुर्आन तफ़्सीर सूरह स़ॉद, जिल्द: 4, स़फ़ा: 337)

हालांकि सूरते हाल ये है कि मैंने ख़ुद एक ग़ैर मुस्लिम माहिरे जिन्सियात की किताब में पढ़ा है, कि एक इंसान ने मुसलसल अस्सी औ़रतों से मुबाशरत की और आख़री के पास जाकर जान की बाज़ी हार गया, अगर एक इंसान अस्सी औ़रतों से ब़गैर दम लिये मुबाशरत कर सकता है तो एक नबी जिसमें आ़म इंसानों के मुक़ाबले में कुव्वत बहुत ही ज़्यादा होती है, उसके काम पर अ़क़्ल क्यों दंग रह सकती है, या इसको स़रीह अ़क़्ल के ख़िलाफ़ क़रार दिया जा सकता है, क्या अ़क़्ल के मालिक या ठेकेदार हर चंद अ़क़्ल परस्त हैं, उस ग़ैर मुस्लिम की बात तो झूठ भी हो सकती है। इसका सादा सा जवाब ये है कि

अ़मलन ये बिल्कुल मुमकिन है, नबी की कुव्वत को अपनी कुव्वत पर क़ियास करना ही ग़लत है, और फ़ी बीवी दस मिनट ज़रूरी भी नहीं है, पहले से अगर तमाम बीवियों को आगाह कर दिया गया हो तो एक रात में सब कुछ बा'आसानी हो सकता है। ख़राबी की असल जड़ ये है कि नबी को अपने जैसा कमज़ोर जानना, एक ही रात में दस बीस मर्तबा अपनी बीवियों के पास जाना तो आ़म लोगों के लिए भी कुछ मुश्किल नहीं तो एक नबी जिसमें तमाम इंसानों के मुक़ाबले में हर कुव्वत बहुत ज़्यादा होती है तो उसके फ़ेअल पर अ़क़्ल क्यों दंग रह जाती है? या उसको क्यों स़रीह अ़क़्ल के ख़िलाफ़ क़रार दिया जाता है? क्या अ़क़्ल के ठेकेदार चंद अ़क़्ल परस्त हैं।

किसी जलीलुलक़द्र मोहद्दिस या फ़क़ीह या ख़ैरूल कुरून के फ़र्द ने इसका इंकार नहीं किया, मोतज़िला या उनसे मुतास्सिर हज़रात ही का नाम तो उ़क़ला नहीं है, और तमाम सल्फ़ स़ालेहीन नऊज़ूबिल्लाह अ़क़्ल से कोरे या दीनी ग़ैरत से महरूम नहीं थे, ख़िलाफ़े अ़क़्ल और ख़िलाफ़े आदत या मा फ़ौक़ल अ़क़्ल अलग अलग चीज़ें हैं, ये वाक़िया ख़िलाफ़े आ़दत तो हो सकता है, ख़िलाफ़े अ़क़्ल नहीं।

(3) क़सम उठाने वाला अगर क़सम के साथ इन्शाअल्लाह कह लेता है, तो उसको इस्तेस़ना कहते हैं, क्योंकि हज़रत इब्ने उमर की रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने क़सम उठाई और इन्शाअल्लाह कहा, तो उसने इस्तेस़ना कर लिया।' और फ़ुक़हा का इस पर इत्तेफ़ाक़ है, जिसने क़सम में इस्तेस़ना कर लिया तो वह हानिस़ नहीं होगा, लेकिन जुम्हूर के नज़दीक ये शर्त है कि इस्तेस़ना क़सम के साथ मुत्तस़िल हो, बिला वजह सुकूत व ख़ामूशी इख़्तियार करके, कुछ अ़र्सा के बाद इन्शाअल्लाह न कहा हो, अइम्म-ए-अरबआ, स़ोरी, अबू उ़बैदा और इस्हाक़ का यही मौक़िफ़ है, अगर सुकूत किसी आरज़ा और ज़रूरत की बिना पर हो, तो इत्तिसाल के मुनाफ़ी नहीं है। (अलमुग़नी लिइब्ने क़ुदामा, दुक्तूर तुर्की, जिल्द: 13, स़फ़ा 484 से 485, मसला नम्बर 1797)

कुछ हज़रात के नज़दीक अगर कोई और गुफ़्तगू न करे या मज्लिस से उठ कर न गया हो, तो फिर कुछ वक़्फ़ा के बाद भी इन्शाअल्लाह कहना स़ही है, इमाम ओज़ाई, अहमद, अ़ता और हसन बस़री वग़ैरहुम का यही नज़रिया है। (अलमुग़नी, जिल्द: 13, स़फ़ा 485)और आ़म अहले इल्म के नज़दीक इसके लिए ये भी शर्त है कि इन्शाअल्लाह ज़बान से कहे, दिल में कहना इस्तेस़ना नहीं है, हसन, नख़ई, मालिक, स़ौरी, ओज़ाई, लैस़, शाफ़ेई, इस्हाक़, अबू स़ौर, इब्ने अल मुन्ज़िर का यही नज़रिया है, इसके मुख़ालिफ़ क़ौल मनक़ूल नहीं है, हाँ इमाम अहमद का एक क़ौल है, अगर मज़लूम, जान के ख़ौफ़ से क़सम उठाये और दिल में इन्शाअल्लाह कह ले, तो उसके लिये गुंजाइश है। (अलमुग़नी, जिल्द: 13, स़फ़ा: 485-486) अगर क़सम अल्लाह की बजाये, तलाक़ या ग़ुलाम आज़ाद करने की हो, इसमें इस्तेस़ना करना, इसमें उ़लमा का इख़्तिलाफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक, यहाँ

भी इस्तेसना मोतबर है, इत्तेसाल की सूरत में क़सम मुन्अक़िद नहीं होगी, इमाम मालिक और ओज़ाई के नज़दीक यहाँ इस्तेसना मोतबर नहीं है, क्योंकि ये तालीक़ है, क़सम नहीं है, इमाम अहमद का एक क़ौल भी यही है, आम तौर पर इमाम अहमद ने इस मसले का जवाब देने से गुरेज़ किया है, कुछ दफ़ा कहा है कि यहाँ इस्तेसना मुफ़ीद नहीं है। (अलमुग़नी, जिल्द: 13, मसला नम्बर 798, सफ़ा: 488)

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لأُطِيفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَقِيلَ لَهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَلَمْ يَقُلْ . فَأَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ " .

(4288) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत सुलैमान बिन दाऊद अलैहि. ने फ़रमाया, मैं आज रात सत्तर बीवियों से मुबाशरत करूंगा, इनमें से हर एक जवान जनेगी, वह अल्लाह की राह में लड़ेगा, तो उनसे कहा गया, इन्शाअल्लाह कह लिजिए, तो वह न कह सके, सब बीवियों के पास गये, इनमें एक के सिवा किसी ने बच्चा न जना, वह भी अधूरा इंसान था, अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर वह इन्शाअल्लाह कह लेते, तो हानिस़ न होते, और अपनी हाजत व ज़रूरत को भी पा लेते।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 5242, नसाई: 3865.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهَا تَأْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ

(4289) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सुलैमान बिन दाऊद अलैहि. ने कहा, अल्लाह की क़सम! मैं आज रात नव्वे (90) बीवियों के पास जाऊंगा, हर एक शहसवार जनेगी, वह अल्लाह की राह में जंग में हिस्सा लेगा, तो उनके साथी ने कहा, इन्शाअल्लाह कह लिजिये, तो वह उन सबके पास गये, और उनमें सिर्फ़ एक को हमल ठहरा और एक अधूरा बच्चा पैदा हुआ, उस ज़ात की क़सम, जिसके

فَجَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ " .

हाथ में मुहम्मद (ﷺ) की जान है, अगर वह इन्शाअल्लाह कह लेते तो वह सब शहसवार बन कर अल्लाह की राह में जिहाद करते।'

وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي، الزِّنَادِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " كُلُّهَا تَحْمِلُ غُلاَمًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " .

(4290) इमाम साहब एक और उस्ताद की सनद से, अबू अज़्ज़िनाद की सनद से ऊपर दी गई रिवायत इस फ़र्क़ से बयान करते हैं कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर एक को बच्चा का हमल ठहरता, वह अल्लाह की राह में जिहाद करता।'

(6)
باب النَّهْىِ عَنِ الإِصْرَارِ، عَلَى الْيَمِينِ فِيمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ

बाब : 6
ऐसी क़सम पर इस्रार करना ममनूअ (मना) है, जिससे क़सम उठाने वाले के घर वालों को तकलीफ़ पहुँचे, अगर वह काम हराम न हो, (बशर्ते कि वह काम नाजायज़ न हो)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَاللَّهِ لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ " .

(4291) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! तुममें से किसी का अपने घर वालों के बारे में क़सम खा कर उस पर जम जाना या इस्रार करना, अल्लाह के यहाँ उसके लिए इससे ज़्यादा गुनाह का सबब है कि वह उसका वह कफ़्फ़ारा अदा करे जो अल्लाह ने फ़र्ज़ क़रार दिया है।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6625.

फ़ायदा : अगर एक इंसान कोई ऐसी क़सम उठा लेता है, जिस पर इस्रार करने या अड़ जाने से उसके बीवी, बच्चों को अज़ियत व तकलीफ़ से दो चार होना पड़ता है, और वह काम करना मअ़सियत या

गुनाह नहीं है, अगर वह ये तसव्वुर करके क़सम पर इस्रार करता है कि क़सम तोड़ना गुनाह है, तो ये महज़ उसका नज़रिया और ख़्याल है, गुनाह तो ऐसी सूरत में क़सम पर अड़ना है न कि क़सम तोड़ना, यहाँ आसम इस्मे तफ़ज़ील का सेग़ा उसके तसव्वुर के ऐतबार से लाया गया है, क्योंकि वह क़सम तोड़ना गुनाह समझता है, या ये कि अगर बिलफ़र्ज़ क़सम तोड़ना गुनाह है, तो घर वालों को अज़ियत व तकलीफ़ पहुँचाना उससे बढ़ कर गुनाह है, और क़सम का तो कफ़्फ़ारा देकर गुनाह से बचा जा सकता है, उनकी तकलीफ़ व अज़ियत को रफ़ा करने की क्या सूरत होगी और इस्मे तफ़ज़ील को इज़ाफ़ा व ज़्यादती से भी किया जा सकता है, यानी ये इस्रार उसके लिए गुनाह का बाइस़ है, और अहल का लफ़्ज़ उमूम के ऐतबार से है, वरना किसी को तकलीफ़ व अज़ियत पहुँचाने वाली क़सम पर इस्रार करना, इस बुनियाद पर कि मैंने क़सम खा ली है, मैं उसको तोड़ नहीं सकता, दुरूस्त नहीं है, उसको क़सम तोड़ कर उसका कफ़्फ़ारा अदा करना चाहिए।

क़सम तोड़ने का कफ़्फ़ारा दस मिस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाना या उन्हें लिबास पहनाना या एक गुलाम आज़ाद करना है, अगर इन तीनों कामों में से कोई भी काम न कर सकता हो तो फिर तीन दिन के रोज़े रखना है। (सूरह मायदा, आयत नम्बर 89)

बाब : 7
काफ़िर का नज़्र मानना और जब वह मुसलमान हो जाये, तो उसके बारे में क्या रवैया अपनायेगा

(7)
باب نَذْرِ الْكَافِرِ وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ

(4292) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत उमर (ﷺ) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने जाहिलियत के दौर में मस्जिदे हराम में एक रात का ऐतकाफ़ बैठने की नज़्र मानी थी, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपनी नज़्र पूरी करो।'

तख़रीज : हदीस़ बयान की जा चुकी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . قَالَ " فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ " .

وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَإِسْحَاقُ، بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ، حَفْصٌ مِنْ بَيْنِهِمْ عَنْ عُمَرَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ أَمَّا أَبُو أُسَامَةَ وَالثَّقَفِيُّ فَفِي حَدِيثِهِمَا اعْتِكَافُ لَيْلَةٍ . وَأَمَّا فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ فَقَالَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ حَفْصٍ ذِكْرُ يَوْمٍ وَلاَ لَيْلَةٍ .

(4293) इमाम साहब अपने छः उस्तादों की चार सनदों से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, इन रावियों में से हफ़्स इस हदीस को हज़रत उमर (ﷺ) से बताते हैं, और बाक़ी रावी हज़रत इब्ने उमर की तरफ़ मन्सूब करते हैं, अबू उसामा और सक़फ़ी की रिवायत में, रात के ऐतकाफ़ का तज़किरा है, और शैबा की हदीस में है, मैंने अपने ऊपर एक दिन का ऐतकाफ़ लाज़िम किया था, और हफ़्स की हदीस में, दिन या रात किसी का ज़िक्र नहीं है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2043, जामेअ तिर्मिज़ी: 1539, नसाई: 7/21, सुनन इब्ने माजा: 1772, 2129, 1772, 2129.

फायदा : नजर्तु फ़िल जाहिलियति: इमाम किरमानी के नज़दीक, इससे मुराद जाहिलियत का दौर यानी बिअसते नबवी से पहले का ज़माना मुराद है, और जुम्हूर शारेहीन के नज़दीक, हज़रत उमर(ﷺ) का दौरे कुफ़्र व शिर्क मुराद है, कि जबकि वह अभी मुसलमान नहीं हुए थे, औफ़ि बिनज़्रिक: अपनी नज़्र पूरी करो, आपने हज़रत उमर (ﷺ) को कुफ़्र की हालत में मानी गई नज़्र के पूरा करने का हुक्म दिया, अइम्मा में इस मसला में इख़्तिलाफ़ है, हालते कुफ़्र में मानी हुई नज़्र का पूरा करना फ़र्ज़ है या मुस्तहब, ताऊस, क़तादा, हसन बसरी, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, अबू सौर, इस्हाक़, इब्ने हज़्म, इब्ने जुरैज तबरी, और कुछ मालकिया के नज़दीक, इस्लाम लाने के बाद, हालते कुफ़्र की जायज़ नज़्र पूरा करना फ़र्ज़ है।

अक्सर उलमा के नज़दीक काफ़िर की नज़्र दुरूस्त नहीं है, क्योंकि उसका मक़सद अल्लाह की रज़ा जोई और ख़ूशनूदी नहीं है, हालांकि ये बात दुरूस्त नहीं है, काफ़िर व मुश्रिक भी अल्लाह का तक़र्रूब और रज़ा चाहते हैं, बल्कि वह तो बुतों की इबादत भी ख़ूद के गुमान से अल्लाह के तक़र्रूब के हुसूल

के लिये करते थे। (मा नअ्बुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि जुल्फ़ा) (सूरह जुमर, आयत: 3) इमाम मालिक, अबू हनीफ़ा, इब्राहीम नख़ई, सौरी और कुछ शवाफ़ेअ के नज़दीक काफ़िर पर इस्लाम लाने के बाद अपनी नज़्र पूरी करना लाज़िम नहीं है, हाँ मुस्तहब और पसन्दीदा है,इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद का एक क़ौल यही है। (फ़तहुल बारी, जिल्द: 11, सफ़ा: 709)

ऐतकाफ़ लैली या ऐतकाफ़े यौम: शवाफ़ेअ ने इस हदीस से इस्तेदलाल करते हुए, जिसमें रात के ऐतकाफ़ का तज़किरा है, ये इस्तेदलाल किया है कि ऐतकाफ़ सिर्फ़ रात का भी हो सकता है, इसलिए उसके लिए रोज़ा शर्त नहीं है, क्योंकि रोज़ा दिन के वक़्त होता है, और दूसरी हदीस में दिन के ऐतकाफ़ का तज़किरा है, इससे अहनाफ़ ने ये इस्तेदलाल किया है, कि रात में दिन शामिल है और दिन में रात दाख़िल है,इसलिए इससे मुराद, सिर्फ़ रात या सिर्फ़ दिन नहीं है, दिन रात दोनों ही मुराद हैं, इसलिए ऐतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَّ أَيُّوبَ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَكَيْفَ تَرَى قَالَ " اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْمًا " . قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْطَاهُ جَارِيَةً مِنَ الْخُمْسِ فَلَمَّا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبَايَا النَّاسِ سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْوَاتَهُمْ يَقُولُونَ أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ

(4294) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मक़ाम जिअ्राना पर सवाल किया, जब कि आप (ﷺ) ताइफ़ से वापस आये थे, कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने जाहिलियत के दौर में मस्जिदे हराम में एक दिन का ऐतकाफ़ करने की नज़्र मानी थी, तो आप (ﷺ) का क्या ख़याल व राय है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जाओ, एक दिन का ऐतकाफ़ करो' इब्ने उमर(ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें (उमर को) ख़ुमुस (पाँचवां हिस्से) से एक लौण्डी दी थी, तो जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों (बनू हवाज़िन) के क़ैदियों को आज़ाद कर दिया, हज़रत उमर (ﷺ) ने उनकी आवाज़ों को सुना, वह कह रहे थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें आज़ाद कर दिया है, तो, हज़रत उमर (ﷺ) ने पूछा, ये क्या माजरा है? तो लोगों ने कहा,

صلى الله عليه وسلم سَبَايَا النَّاسِ . فَقَالَ عُمَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْجَارِيَةِ فَخَلِّ سَبِيلَهَا .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों के क़ैदियों को आज़ाद कर दिया है, तो हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने कहा, ऐ अब्दुल्लाह! उस लौंडी के पास जाओ, और उसको आज़ाद कर दो।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3144, 4320, नसाई: 7/21, 22.

फ़ायदा : फ़तहे मक्का के बाद हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने बनू हवाज़िन से जंगे हुनैन शव्वाल 8 हिजरी में लड़ी, शिकस्त खाने के बाद दुशमन तितर बितर हो गये, एक गिरोह ने ताइफ़ का रूख़ किया, दूसरा औतास की तरफ़ चला गया, और तीसरा नख़ला की तरफ़ भाग गया, आप (ﷺ) ने दुशमन के बीवी बच्चों को जिनकी तादाद छः हज़ार थी, क़ैदी बना लिया, मवेशियों में चौबीस हज़ार ऊँट और चालीस हज़ार से ज़्यादा बकरियाँ क़ब्ज़ा में ले लीं, और चार हज़ार औक़िया चाँदी हाथ लगी, इन तमाम चीज़ों को जिअराना मुक़ाम में जमा किया गया, और आपने ताइफ़ का रूख़ किया, क्योंकि दुशमन का बड़ा गिरोह उधर ही गया था, लेकिन कुछ अर्सा मुहासरा करने के बाद आप वापस आ गये, और जिअराना में आपने बनू हवाज़िन का रिश्तेदारी की वजह से क्योंकि दाई हलीमा उस क़ौम के एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, दो हफ़्ता से ज़्यादा इन्तेज़ार किया कि वह मुसलमान हो जायें, और अपना माल व दौलत और क़ैदी वापस ले जायें, लेकिन जब वह इस इन्तेज़ार के अर्सा में न आये तो आपने माल और क़ैदी मुसलमानों में इन्तेहाई मुअस्सिर अन्दाज़ में अपने क़ैदी और माल वापस लेने की दरख़्वास्त की, आपने फ़रमाया, ग़नीमत की तक़सीम के बाद क़ैदी और माल दोनों की वापसी मुमकिन नहीं है, एक चीज़ ले लो, उन्होंने क़ैदियों की वापसी की ख़्वाहिश की तो आपने तमाम सहाबा को जमा करके इस सिलसिले में ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया, जिसके नतीजा में लोग क़ैदी छोड़ने पर आमाद हो गये, तो आपने तमाम क़ैदियों को आज़ाद कर दिया, हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने हज़रत उमर(رضي الله عنه) को ग़नीमत के ख़ुमुस से दो लौण्डियाँ दी थीं, उन्होंने एक अपने बेटे इब्ने उमर को दे दी और दूसरी अपने पास रखी, जब आपने क़ैदियों की आज़ादी का ऐलान फ़रमाया, तो दोनों बाप बेटे ने अपनी अपनी लौण्डी को आज़ाद कर दिया। (तफ़्सील के लिए देखिये अर्रहीकुल मख़्तूम)

وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه

(4295) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं, जब जंगे हुनैन से लौटे, तो हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस नज़्र के बारे में सवाल किया, जो उन्होंने जाहिलियत के

وسلم مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافِ يَوْمٍ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ .

दौर में मानी थी, यानी एक दिन का ऐतकाफ़, आगे ऊपर दी गई रिवायत है।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है।

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَقَالَ لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا - قَالَ - وَكَانَ عُمَرُ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَمَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ .

(4296) हज़रत नाफ़े (रह.) से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) के पास, रसूलुल्लाह(ﷺ) के जिअ्राना से उम्रा करने का तज़किरा किया गया, तो उन्होंने कहा, आप (ﷺ) ने वहाँ से उम्रा नहीं किया और बताया हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने जाहिलियत के ज़माने में एक रात के ऐतकाफ़ की नज़र मानी थी, आगे ऊपर दी गई रिवायत है।

फ़ायदा : नबी अकरम (ﷺ) ने जिअ्राना से उम्रा अ़लल ऐलान नहीं किया था, बल्कि रात को जिअ्राना से उम्रा के लिए चले, और रातों रात उम्रा कर के वापस जिअ्राना पहुँच गये, इसलिए बहुत से स़हाबा किराम को इस उम्रा का पता न चल सका, और हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) भी उन्हीं में दाख़िल हैं, इसलिए उन्होंने इसका इंकार किया।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، . بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي النَّذْرِ وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا اعْتِكَافُ يَوْمٍ .

(4297) इमाम स़ाहब अपने दो उस्तादों की सनदों से नाफ़े से ही इब्ने उमर की नज़र के बारे में हदीस़ बयान करते हैं, और दोनों की हदीस़ में दिन के ऐतकाफ़ का ज़िक्र है।

बाब : 8
गुलामों की रफ़ाक़त और अपने गुलाम को थप्पड़ मारने का कफ़्फ़ारा

(8)
باب صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ

حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا - قَالَ - فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ".

(4298) अबू ज़ाजान बयान करते हैं, मैं इब्ने उमर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, और वह एक गुलाम आज़ाद कर चुके थे, तो उन्होंने ज़मीन से एक तिन्का या कोई चीज़ ली और कहा, इस गुलाम की आज़ादी में इसके बराबर भी अज्र व सवाब नहीं है, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुना है, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने अपने गुलाम को थप्पड़ मारा या पीटा, तो उसका कफ़्फ़ारा उसको आज़ाद करना है।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 5168.

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि गुलामों के साथ हुस्ने सुलूक और नर्मी से पेश आना चाहिए, और मामूली ग़लती पर उन्हें मारना पीटना और दुख और अज़ियत से दोचार करना दुरूस्त नहीं है, और अगर कोई आक़ा अपने गुलाम पर ज़ुल्म व ज़्यादती करता है, तो उसके लिए पसन्दीदा तर्ज़े अमल यही है कि वह उसको आज़ाद कर दे, ताकि उसके ज़ुल्म व ज़्यादती का इज़ाला हो जाये, लेकिन बिल इत्तेफ़ाक़ आज़ाद करना फ़र्ज़ नहीं है, एक बेहतरीन तरीक़ा है, हाँ अगर उसने गुलाम को बहुत ज़्यादा नुक़सान पहुँचाया है, उसका कोई अंग काट दिया है, या जला दिया है, या बेकार कर दिया है, तो फिर इमाम मालिक और इमाम लैस के नज़दीक आज़ाद करना फ़र्ज़ होगा।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، دَعَا

(4299) हज़रत ज़ाज़ान (रह.) से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने अपने गुलाम को बुलाया और उसकी पुश्त पर मार का निशान देखा, तो उससे पूछा, मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया है, उसने कहा, नहीं, इब्ने उमर (ﷺ) ने कहा,

بِغُلاَمٍ لَهُ فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا فَقَالَ لَهُ أَوْجَعْتُكَ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ فَأَنْتَ عَتِيقٌ ‏.‏ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ مَنْ ضَرَبَ غُلاَمًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ‏"‏ ‏.‏

तुम आज़ाद हो, ज़ाज़ान कहते हैं, फिर उन्होंने ज़मीन से कोई चीज़ उठाई और कहा, मेरे लिए उसकी आज़ादी में इसके बराबर भी अज्र नहीं है, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है, 'जिसने अपने गुलाम को इस क़द्र सज़ा दी जिसका वह सज़ावार नहीं था या उसको थप्पड़ रसीद किया, तो उसका कफ़्फ़ारा उसकी आज़ादी है।'

तख़रीज:ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4274 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ وَأَبِي عَوَانَةَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَهْدِيٍّ فَذَكَرَ فِيهِ ‏"‏ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ‏"‏ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ ‏"‏ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ ‏"‏ ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَدَّ ‏.‏

(4300) इमाम स़ाहब अपने दो उस्तादों की सनदों से यही रिवायत बयान करते हैं, इब्ने महदी की रिवायत में तो ये है, 'ऐसी सज़ा दी जिसका वह मुस्तहिक़ नहीं था, और वकीअ़ की रिवायत में, 'जिसने अपने गुलाम को थप्पड़ मारा', का ज़िक्र है, सज़ा और उ़क़ूबत का ज़िक्र नहीं है।

तख़रीज:ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4274 में देखें।

फायदा : हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) ने अपने गुलाम को तादीब व तौबीख़ की ख़ातिर सज़ा दी, लेकिन वह सज़ा तादीब व सरज़निश से ज़्यादा हो गई, और गुलाम की पुश्त पर मार का निशान पड़ गया, इसलिए हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) ने अपने तक़्वा और एहतियात की बिना पर यही मुनासिब समझा कि उसका कफ़्फ़ारा अब यही है कि उसको आज़ाद कर दिया जाये, क्योंकि उनमें इस क़द्र दीनदारी थी कि जब वह अपने किसी गुलाम को देखते, वह मस्जिद में बहुत बैठता है, चाहे महज़ वह उनके दिखावे के लिए ये काम करता, तो वह उसको आज़ाद कर देते थे।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ لَطَمْتُ

(4301) हज़रत मुआ़विया बिन सुवैद (ﷺ) बयान करते हैं, मैंने अपने एक मौला को थप्पड़ मारा तो मैं भाग गया, फिर ज़ुहर से पहले वापस आ गया और अपने वालिद की इक़्तेदा में नमाज़ पढ़ी, तो मेरे वालिद ने, गुलाम को और मुझे तलब किया, फिर गुलाम

مَوْلًى لَنَا فَهَرَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي فَدَعَاهُ وَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ امْتَثِلْ مِنْهُ ‏.‏ فَعَفَا ثُمَّ قَالَ كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لَنَا إِلاَّ خَادِمٌ وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ أَعْتِقُوهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا قَالَ ‏"‏ فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا ‏"‏ ‏.‏

को कहा, इससे बदला लो, तो उसने माफ़ कर दिया, फिर मेरे वालिद ने बताया, हम मुक़र्रिन की औलाद रसूलुल्लाह(ﷺ) के अहदे मुबारक में सिर्फ़ एक ख़ादिमा के मालिक थे, तो हममें से किसी एक ने उसे थप्पड़ मारा, और रसूलुल्लाह (ﷺ) तक बात पहुँच गई, तो आपने फ़रमाया: 'उसे आज़ाद कर दो।' बनू मुक़र्रिन ने कहा, उनके पास उसके सिवा कोई ख़ादिमा नहीं है, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तो उससे ख़िदमत लो, जब उससे बेन्याज़ हो जायें तो उसको आज़ाद कर दें।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 566, 5167, जामेअ तिर्मिज़ी: 1542.

फायदा : ये सहाबा किराम का करीमाना अख़्लाक़ था कि महज़ एक थप्पड़ मारने पर, अपने गुलाम को कहा, उससे वही सलूक करो जो उसने तेरे साथ किया है, हालांकि ऐसे मौक़ों पर महज़ डाँट डपट व तौबीख़ काफ़ी होती है, और आप (ﷺ) ने भी सहाबा किराम को सबक़ सिखाया, कि वह उनके साथ ज़ुल्म व ज़्यादती से पेश न आयें, और बिला वजह मार पीट से काम न लें, और अगर ऐसा कर बैठें, तो गुलाम आज़ाद कर दें ताकि किसी और गुलाम के साथ इस काम का एआदा (रिपिट) न हो।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ عَجِلَ شَيْخٌ فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ فَقَالَ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ عَجَزَ عَلَيْكَ إِلاَّ حُرُّ وَجْهِهَا لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُعْتِقَهَا ‏.‏

(4302) हज़रत हिलाल बिन यसाफ़ (रह.) बयान करते हैं कि एक बूढ़े ने जल्दबाज़ी से काम लेते हुए अपने ख़ादिम को थप्पड़ मार दिया, तो हज़रत सूवैद बिन मुक़र्रिन कहने लगे, क्या तुम्हें इसके शरीफ़ अंग चेहरे के सिवा कोई जगह न मिली, मैंने अपने आप को बनू मुक़र्रिन में सातवाँ बेटा पाया, और हमारा ख़ादिम एक ही था, हममें से छोटे ने उसे थप्पड़ मारा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें उसे आज़ाद करने का हुक्म दिया।

तख़रीज:ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4277 में देखें।

(4303) हज़रत हिलाल बिन यसाफ़ (रह.) बयान करते हैं कि हम नोमान बिन मुक़र्रिन के भाई सूवैद बिन मुक़र्रिन के एहाता में कपड़ा बेचते थे, तो एक लौण्डी घर से निकली, उसने हममें से एक आदमी को कोई बात कही, उसने उसको थप्पड़ मारा, जिस पर हज़रत सूवैद नाराज़ हो गये, और ऊपर दी गई हदीस बयान की।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4277 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ أَخِي النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ لِرَجُلٍ مِنَّا كَلِمَةً فَلَطَمَهَا فَغَضِبَ سُوَيْدٌ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ .

फ़ायदा : लौण्डी हज़रत सूवैद की थी और उसने उस आदमी से तल्ख़ कलामी की थी, इसलिए उसने मारा था, लेकिन वह ज़रूरत से ज़्यादा थी।

(4304) शोबा (रह.) बयान करते हैं, मुझ से मुहम्मद बिन मुन्कदिर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, शोबा तो मुहम्मद ने कहा, मुझे अबू शोबा इराक़ी ने सूवैद बिन मुक़र्रिन (ﷺ) से बयान किया कि उसकी लौण्डी को एक इंसान ने मारा, तो सूवैद (ﷺ) ने उससे कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि चेहरा क़ाबिले एहतिराम है या उस पर मारना हराम है? और कहा, मैंने अपने आपको पाया कि मैं अपने भाईयों में सातवाँ था, और हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे, और हमारे पास सिर्फ़ एक ख़ादिम था, तो हममें से एक ने जानबूझ कर उसको थप्पड़ मारा, इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें उसके आज़ाद करने का हुक्म दिया।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4277 में देखें।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَا اسْمُكَ قُلْتُ شُعْبَةُ . فَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي أَبُو شُعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ أَنَّ جَارِيَةً لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ فَقَالَ لَهُ سُوَيْدٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ إِخْوَةٍ لِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا لَنَا خَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ فَعَمَدَ أَحَدُنَا فَلَطَمَهُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُعْتِقَهُ .

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَا اسْمُكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ .

(4305) यही रिवायत इमाम साहब अपने दो उस्तादों से बयान करते हैं कि शोबा ने कहा, मुझसे मुहम्मद बिन मुन्कदिर ने पूछा, तेरा नाम क्या है? आगे ऊपर दी गई रिवायत बयान की।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4277 में देखें।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا لِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ " . فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ - قَالَ - فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ يَقُولُ " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ " . قَالَ فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي فَقَالَ " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلاَمِ " . قَالَ فَقُلْتُ لاَ أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا .

(4307) हज़रत अबू मसऊद बद्री (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं अपने ग़ुलाम को कोड़े से मार रहा था, तो मैंने अपने पीछे से आवाज़ सुनी, जान लो!, ऐ अबू मसऊद, मैं ग़ुस्सा की वजह से आवाज़ पहचान न सका, जब आप (ﷺ) मुझ से क़रीब हुए, तो आप रसूलुल्लाह (ﷺ) थे और आप फ़रमा रहे थे, 'जान लो, ऐ अबू मसऊद, जान लो, ऐ अबू मसऊद! तो मैंने अपने हाथ से कोड़ा फैंक दिया, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जान लो, ऐ अबू मसऊद! अल्लाह तआ़ला तुम पर तुम्हारे इस ग़ुलाम पर क़ुदरत रखने से ज़्यादा क़ुदरत रखता है।' तो मैंने अ़र्ज़ किया, इसके बाद मैं कभी किसी ग़ुलाम को नहीं मारूंगा।

तख़रीज : जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1948.

फायदा : ग़ुलाम एक इंसान है जो ग़लती का इरतेकाब कर सकता है, और इंसान भी अल्लाह का ग़ुलाम और उसकी मख़्लूक़ है, जिसके एक आक़ा के अपने ग़ुलाम पर बढ़ कर हुक़ूक़ हैं, जिनमें इंसान कोताही करता है, उसके बावजूद अल्लाह तआ़ला इन्तेहाई क़ादिर होने के बावजूद इंसान के क़ुसूर और कोताही से दरगुज़र करता है, और उसको तौबा का मौक़ा देता है, तो इंसान को भी चाहिए, अगर उसका ग़ुलाम और मातहत किसी ग़लती या क़ुसूर का इरतेकाब कर बैठे तो वह दरगुज़र और चश्मपोशी से काम ले, ताकि वह मुवाख़िज़ा के वक़्त अल्लाह तआ़ला की माफ़ी और दर गुज़र का उम्मीदवार बन सके।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - وَهُوَ الْمَعْمَرِيُّ - عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ، الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ عَبْدِ الْوَاحِدِ . نَحْوَ حَدِيثِهِ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ .

(4307) इमाम साहब अपने चार उस्तादों की मुख़्तलिफ़ सनदों से आमश की ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि जुरैज की रिवायत में ये है, तो कोड़ा आपकी हैबत व दबदबा की बिना पर मेरे हाथ से गिर गया।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4282 में देखें।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ " . فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ . فَقَالَ " أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ " .

(4308) हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) से रिवायत है, मैं अपने गुलाम को मार रहा था कि मैंने अपने पीछे से आवाज़ सुनी, 'जान लो, ऐ अबू मसऊद, अल्लाह तआला को तुझ पर इससे ज़्यादा क़ुदरत हासिल है, जितनी तुम्हें इस पर हासिल है।' तो मैंने मुड़ कर देखा, तो वह रसूलुल्लाह (ﷺ) थे, इस पर मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! वह अल्लाह की रज़ा की ख़ातिर आज़ाद है, तो आप(ﷺ) ने फ़रमायाः 'अगर तुम ऐसा न करते, तो तुम्हें आग झुलसाती या आग पहुँचती।'

तख़रीजः ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4282 में देखें।

फ़ायदा : हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) से अल्लाह के वास्ते से उसका गुलाम पनाह तलब करता रहा, आख़िरकार अल्लाह के रसूल के नाम से पनाह ली, तो इस ज़्यादती की बिना पर वह सज़ा के हक़दार ठहरे, इसलिए आप (ﷺ) ने फ़रमायाः 'अगर तुम इसे आज़ाद न करते, तो तुम्हें अपने ज़ुल्म व ज़्यादती का ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ता।

(4309) हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि वह अपने गुलाम को मार रहे थे, तो वह अल्लाह की पनाह तलब करने लगा, और वह उसे मारता रहा, तो उसने कहा, मैं अल्लाह के रसूल की पनाह चाहता हूँ, तो उसने उसे छोड़ दिया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! अल्लाह तआला को तुम पर उससे ज़्यादा क़ुदरत हासिल है, जितनी तुम्हें इस पर हासिल है।' तो उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4282 में देखें।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ، أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلاَمَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ - قَالَ - فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ فَقَالَ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ . فَتَرَكَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ " . قَالَ فَأَعْتَقَهُ .

(4310) इमाम साहब ये रिवायत एक और उस्ताद से शोबा की ऊपर दी गई सनद ही से बयान करते हैं, लेकिन इसमें अऊज़ुबिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ, (अऊज़ूबिरसूलिल्लाह) में रसूलुल्लाह(ﷺ) की पनाह में आता हूँ का ज़िक्र नहीं है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6858, सुनन अबू दाऊद: 5165, जामेअ तिर्मिज़ी: 1947.

وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

फायदा : हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) शिद्दते ग़ज़ब की बिना पर, अऊज़ुबिल्लाह के कलिमात की तरफ़ मुतवज्जा नहीं हुए, जैसा कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की आवाज़ नहीं पहचान सके, लेकिन जब उसने अऊज़ुबिल्लाह के बाद अऊज़ुबिरसुलिल्लाह कहा, तो उन्हें आपकी आमद और आवाज़ का एहसास हुआ, इसलिए मुड़ कर पीछे देखा, तो आप (ﷺ) की हैबत व रूअब की बिना पर उनके हाथ से कोड़ा गिर गया, और वह मारने से रूक गये।

बाब : 9
जो इंसान अपने गुलाम पर ज़िना की तोहमत लगाता है, उसके लिए शिद्दत व सख़्ती

(9)
باب التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْمٍ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ " .

(4311) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि अबुल क़ासिम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने अपने गुलाम पर ज़िना का इल्ज़ाम आइद किया, उस पर क़यामत के दिन हद क़ाइम की जायेगी, मगर ये कि उसने जो कुछ कहा, वैसा ही था।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6858, सुनन अबू दाऊद: 5165, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1947.

फ़ायदा : अगर कोई आक़ा अपने गुलाम पर ज़िना की तोहमत आइद करता है, हालांकि उसके पास उसका कोई सबूत नहीं है, तो उसकी आज़ादी के शर्फ़ व एहतिराम की ख़ातिर, बिलइत्तेफ़ाक़ दुनिया में उस पर हद क़ाइम नहीं की जायेगी, चाहे वह मुकम्मल तौर पर गुलाम हो या मुकातब, मुदब्बर और उम्मुल वलद हो, हाँ क़यामत के दिन, वह हद का हक़दार होगा, लेकिन अगर दूसरे की उम्मे वलद पर तोहमत लगाता है, तो फिर हज़रत इब्ने उमर, हसन बसरी, और अहले ज़ाहिर के नज़दीक उस पर हद क़ाइम की जाये, अगर अपनी उम्मे वलद पर तोहमत लगाता है, तो फिर हसन बसरी का मौक़िफ़ भी यही है कि उस पर हद नहीं, इस तरह दूसरे के गुलाम पर इल्ज़ाम तराशी में भी हद नहीं है, ताज़ीर व तौबीख़ है, आख़िरत में मुवाख़िज़ा होगा।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ، يُوسُفَ الأَزْرَقُ كِلاَهُمَا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِهِمَا سَمِعْتُ أَبَا، الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم نَبِيَّ التَّوْبَةِ .

(4312) इमाम साहब दो और उस्तादों की सनद से फ़ुज़ैल बिन ग़ज़वान की ऊपर दी गई सनद ही से बयान करते हैं कि मैंने अबुल क़ासिम(ﷺ) नबिय्युत्तौबा से सुना।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4287 में देखें।

फायदा : आप को नबिय्युत्तोबा इसलिए कहते हैं, आप (ﷺ) पर काफ़िर दिल व ज़बान से ईमान लाकर कुफ़्र व शिर्क से ईमान की तरफ़ लौट सकता है, क्योंकि तौबा का असल मानी रूजूअ और वापसी है, यानी वह नबी जिसके ज़रिये कुफ़्र से ईमान की तरफ़ लौटा जा सकता है, या इसलिए कि पहली उम्मतों को कुछ गुनाहों की तौबा की सूरत में अपने आपको क़त्ल करना पड़ता था, और आप(ﷺ) की उम्मत के लिए क़बूले तौबा के लिए दिल व ज़बान का ऐतक़ाद व इक़रार ही काफ़ी है।

बाब : 10
ममलूक (गुलाम) को वही खिलाये जो ख़ुद खाता है, और वही पहनाये जो ख़ुद पहनता है, और उसकी ताक़त से ज़्यादा उस पर ज़िम्मेदारी न डाले

(10)
باب إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ وَإِلْبَاسِهِ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ

(4313) हज़रत मअ़रूर बिन सूवैद (रह.) बयान करते हैं कि हम रब्ज़ा मुक़ाम पर हज़रत अबू ज़र(ﷺ) के पास से गुज़रे, उन्होंने एक चादर औढ़ी हूई थी, और उनके गुलाम पर भी वैसी ही चादर थी, तो हमने कहा, ऐ अबू ज़र! अगर तुम इन दोनों चादरों को इकट्ठा कर लेते, तो ये जोड़ा बन जाता, तो उन्होंने जवाब दिया, वाक़िया ये है कि मेरे और मेरे एक मुसलमान भाई के दरम्यान तल्ख़ कलामी हूई, उसकी वालिदा अ़ज्मी थी, मैंने उसे उसकी माँ की आ़र दिलाई, तो उसने नबी अकरम (ﷺ) के पास मेरी शिकायत की, मैं नबी अकरम (ﷺ) को मिला तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ अबू ज़र! तुम ऐसे आदमी हो जिसमें जाहिलियत की बू है।' मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! जो लोगों को बुरा भला कहता है, लोग उसके बाप और माँ को बुरा भला कहते हैं। आपने फ़रमाया: 'ऐ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً . فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلاَمٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَقِيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ . قَالَ " يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ

امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ".

अबू ज़र! तू ऐसा इंसान है, जिसमें जाहिलियत की आदत मौजूद है, वह तुम्हारे भाई हैं।' अल्लाह तआला ने तुम्हारा ज़ेरे दस्त (महकूम) बनाया है, तो उन्हें वही खिलाओ, जो ख़ुद खाते हो, वह पहनाओ जो ख़ुद पहनते हो और उन्हें ऐसे काम का मुकल्लफ़ न ठहराओ, जो उनके लिए दुश्वार और भारी हो, और अगर उन्हें ऐसे काम का मुकल्लफ़ ठहराओ, तो उनकी मदद करो।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2545, 6050, सुनन अबू दाऊद: 5157, 5158, जामेअ तिर्मिज़ी: 1946, सुनन इब्ने माजा: 3690.

फ़ायदा : रबज़ा: मदीना मुनव्वरा से तीन दिन की मसाफ़त पर ज़ाते इर्क़ के पास एक बस्ती है, जहाँ हज़रत अबू ज़र (ﷺ) ने आख़री दौर में हज़रत उस्मान (ﷺ) के अहद में, हज़रत उस्मान (ﷺ) की इजाज़त से रिहाइश इख़्तियार कर ली थी, और वहीं 33 हिजरी में वफ़ात पाई, उनकी किसी दूसरे मुसलमान सहाबी के साथ तल्ख़ कलामी हुई, और उन्होंने उसे या इब्ने सौदा कहा, यानी हब्शन के बच्चे, इस तरह उनके नसब पर तअन किया, जिसका जाहिलियत के दौर में आम रिवाज था, इसलिए हज़रत अबू ज़र (ﷺ) ने उज़्र पेश किया, कि बाहमी गाली गलोच में दूसरे के वालिदैन पर तअन किया ही जाता है, इसलिए उसको ज़ुल्म व ज़्यादती तसव्वुर नहीं किया जाता, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये जाहिलियत के दौर का वतीरा (ख़स्लत) है, इस्लामी अख़्लाक़ की रू से किसी के वालिदैन को निशाना नहीं बनाया जा सकता, अगर जवाब देना ज़रूरी है, तो जिसके साथ झगड़ा हो उस तक महदूद है, बेहतर है, दरगुज़र से काम ले, कुछ रिवायात से जिनकी सनद मुत्तसिल नहीं है, मालूम होता है, हज़रत अबू ज़र(ﷺ) के मद्दे मुक़ाबिल, हज़रत बिलाल (ﷺ) थे, जो गुलाम रह चुके थे, इसलिए आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारे गुलाम, तुम्हारे भाई हैं, जिनको अल्लाह तआला ने तुम्हारा महकूम (मातहत) बनाया है।

इस हदीस से मालूम होता है कि इस्लाम ने एक मज़लूम तबक़ा के साथ हुस्ने सुलूक की किस क़द्र मुअस्सिर और दिल नशीन अपील की है, गुलाम और आक़ा को औलादे आदम होने और दीन के नाता से भाई भाई क़रार दिया है, और फिर इस ताल्लुक़ और रिश्ते की बुनियाद पर ये फ़रमाया है, उनके साथ वही बर्ताव और सुलूक करो, जो भाईयों के साथ होता है, उन्हें वही खिलाया और पहनाया

जाये, जो ख़ुद खाया और पहना जाये, इस्लाम के इन सुनहरी और ज़रीं उसूल व हिदायात के मुक़ाबले में आज मुसलमान कहलाने वालों के वह सुलूक और वतीरा देखें, जो एक सरमायादार और सनअतकार मज़दूर के साथ, एक जागीरदार ज़मीनदार काश्तकार और किसान के साथ, एक ताजिर, अपने मुलाज़िम के साथ, और एक अफ़सर अपने मातहत के साथ, बल्कि एक अमीर भाई अपने ग़रीब भाई के साथ इख़्तियार करता है, अगर आज मुसलमान इन तालीमात व हिदायात को अपना कर, अपने मातहतों, ख़ादिमों, मुलाज़िमों और महकूमों की ज़रूरियाते ज़िन्दगी को पूरा करना अपना अवल्लीन फ़र्ज़ समझें, चाहे इन ज़रूरतों के पूरा करने में उनको अपने बराबर की सतह पर न लायें, तो आज हमारी बेशुमार मुश्किलात और मसाइल हल हो जायें और मुसलमानों में उख़ुव्वत व भाईचारा और हमदर्दी व ख़ैरख़्वाही के जज़्बात अमन व सलामती के ज़ामिन बन जायें, क्योंकि हज़रत अबू ज़र(ﷺ) की तरह अपने ख़ादिम व ग़ुलाम या ग़ुलाम या मुलाज़िम को बराबर की सतह पर लाना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि एक आला अख़्लाक़ और करीमाना सुन्नत है, लेकिन उसकी ज़रूरियाते ज़िन्दगी को पूरा करना फ़र्ज़ है, और इस हदीस़ से और उसकी हम मानी दूसरी अहादीस़ से भी स़ाबित होता है, कि ग़ुलाम,ख़ादिम या महकूम व मातहत से उतना ही काम लिया जा सकता है, जितना वह दुशवारी और कुलफ़त के बग़ैर सरअंजाम दे सके, उसकी हिम्मत व ताक़त से बढ़ कर काम लेना जो उसके लिए दुश्वारी और कुलफ़त का सबब बने, दुरूस्त नहीं है, अगर कभी काम का बोझ ज़्यादा हो तो फिर उसका हाथ बटाना चाहिए, ताकि उनके लिए सहूलत और आसानी पैदा हो सके।

وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ " إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ " . قَالَ قُلْتُ عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ قَالَ " نَعَمْ " . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ " نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ " . وَفِي حَدِيثِ عِيسَى " فَإِنْ كَلَّفَهُ

(4314) इमाम स़ाहब अपने तीन उस्तादों की सनदों से, आमश की ऊपर दी गई सनद ही से बयान करते हैं, ज़ुहैर और अबू मुआविया की रिवायत में इन अल्फ़ाज़ के बाद कि 'तू ऐसा इंसान है, जिसमें जाहिलियत की ख़स़लत है।' हज़रत अबू ज़र (ﷺ) का ये जवाब है, कि बुढ़ापे की इस हालत में, आपने फ़रमाया: 'हाँ' अबू मुआविया की रिवायत में है, 'हाँ'; तेरे बुढ़ापे की घड़ी में भी।' और ईसा की रिवायत में है, 'अगर उसकी क़ुदरत से ज़्यादा दुश्वार काम का मुकल्लफ़ ठहराता है, तो उसे बेच दे।' और ज़ुहैर की रिवायत में है,

'तो उसकी मदद करे।' अबू मुआविया की रिवायत में, उसको बेचने या उसकी मदद करने का।' ज़िक्र नहीं है, उसकी रिवायत बयान ख़त्म हो गई है, 'उसकी क़ुदरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारी न डाले।'

مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِعْهُ " . وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ " فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ " . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ " فَلْيَبِعْهُ " . وَلاَ " فَلْيُعِنْهُ " . انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ " وَلاَ يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ " .

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4289 में देखें।

फ़ायदा : अगर इंसान अपने गुलाम को ऐसे काम का मुकल्लफ़ ठहराता है, जिसके करने से गुलाम आजिज़ और बेबस हो, तो उसका मानी ये हुआ कि वह गुलाम का हक़ अदा नहीं कर सकता, और उसकी ताक़त से ज़्यादा बोझ डाल कर गुनाहगार हो रहा है, इसलिए अगर उसका तआवुन व मदद नहीं कर सकता, तो उसको बेच कर कोई और ताक़तवर गुलाम ख़रीद कर गुनाह से बच जाये, लेकिन आम रिवायात में बेचने की बजाये एआनत व मदद करने का ज़िक्र है।

(4315) हज़रत मअरूर बिन सुवैद (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) को देखा, वह एक जोड़ा पहने हुए थे, और उनके गुलाम का जोड़ा भी वैसा ही था, तो मैंने उनसे उसके बारे में सवाल किया? उन्होंने बताया, मैंने एक आदमी से रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में तल्ख़ कलामी की, और उसे उसकी माँ की आर दिलाई, हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने बताया, वह आदमी रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, और आपसे इस वाक़िया का तज़किरा किया, तो नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम ऐसे फ़र्द हो, जिसमें जाहिलियत की बू है, तुम्हारे भाई (गुलाम) और तुम्हारे नौकर चाकर, अल्लाह तआला ने उन्हें तुम्हारे ज़ेरे दस्त व महकूम) किया है, तो जिसका भाई, उसका मातहत हो तो उसे वही खिलाये जो ख़ुद खाता है, और वही पहनाये

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلُهَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ - قَالَ - فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ

تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ " .

जो ख़ुद पहनता है, और उन्हें ऐसी चीज़ का मुकल्लफ़ न ठहराये जिसके करने से वह बेबस हों और अगर उन्हें इसका मुकल्लफ़ ठहराओ, तो उस पर उनकी मदद करो।'

तख़रीजः ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4289 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस़ : ख़वलः ख़दम का हम वज़न और हम मानी है, आपका मक़्सद ये है कि तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई और ख़ादिम हैं। ख़वल का अस़ल मानी निगेहदाश्त और हिफ़ाज़त व निगरानी है, इसलिए माली को ख़ोली कहते हैं, और अगर इसको ख़ाइल की जमा बनायें तो मानी मुहाफ़िज़ व निगरान होगा, और तख़वील का मानी मालिक बनाना ही होता है, जैसा कि क़ुर्आन मजीद में है (व तरक्तुम मा ख़व्वलनाकुम व राअ ज़ुहूरिकुम) (सूरह अन्आम: आयत: 94) जो कुछ हमने तुम्हें दिया था, उसे पीछे छोड़ आये हो।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ، حَدَّثَهُ عَنِ الْعَجْلاَنِ، مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ "

(4316) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'गुलाम का हक़ है कि उसे उसकी ज़रूरत के मुताबिक़ तआम और लिबास मिले, और उसे ऐसे सख़्त काम की तकलीफ़ न दी जाये, जिसका वह मुतहम्मिल (बर्दाश्त के लायक़) न हो सके।'

फायदा : इस हदीस़ में तआम व लिबास उसकी ज़रूरियाते ज़िन्दगी की फ़राहमी से किनाया है, तो अगर गुलाम जो किसी का ममलूक (मा तहत) है, वह अपनी तमाम ज़रूरियाते ज़िन्दगी, आक़ा से लेने का हक़दार है, तो एक ऐसा इंसान जो किसी का ममलूक और गुलाम नहीं है, महज़ अजीर व मज़दूर और मुलाज़िम है, वह अपनी तमाम ज़रूरियाते ज़िन्दगी हासिल करने का हक़दार क्यों नहीं होगा, इसलिए ये एक इस्लामी हुकूमत का फ़र्ज़ है, कि वह हर क़िस्म के मुलाज़िमों और मज़दूरों को इतनी तनख़्वाहें ले दे और दिलवाये, जिनसे उनकी ज़रूरियाते ज़िन्दगी उस दौर के तक़ाज़ों के मुताबिक़ पूरी हो सकें, और उसके लिए वह अख़राजात व ज़रूरियात को पेशे नज़र रखे।

وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ

(4317) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया:

مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلاً فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ " . قَالَ دَاوُدُ يَعْنِي لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ .

'जब तुममें से किसी का ख़ादिम उसके लिए खाना तैयार करे, फिर वह उसके सामने पेश करे और वह उसके पकाने और तैयार करने में, उसकी गर्मी और धुवाँ बरदाश्त कर चुका है, तो आक़ा को चाहिए उसे अपने साथ बिठाये, ताकि वह भी साथ खा सके, अगर (कभी) वह खाना कम हो और दोनों के लिए काफ़ी न हो सके, तो वह उसके हाथ में उससे एक दो निवाले दे दे।' रावी दाऊद (रह.) मानी करते हैं, एक दो लुक़्मे दे दे।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3846.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मशफ़ूहा: जिस पर बहुत से होंट गुज़रे हों, इसलिए रावी ने इसकी तफ़्सीर क़लील थोड़े से की है। **(2) उक़्ला ओ उक़्लतैन:** एक दो लुक़्मे।

फायदा : इस हदीस़ से स़ाबित हुआ, अगर खाना वाफ़िर (ज़्यादा) हो, तो ख़ादिम को साथ खिलाये या ज़रूरियात के मुताबिक़ दे, और किसी वजह से खाना कम हो, तो फिर कुछ न कुछ ज़रूर दे ताकि ख़ादिम की नज़्र हवस या ललचाई नज़्र से महफ़ूज़ रहे, और उसके दिल में हसद व कदूरत या ख़यानत का जज़्बा न उभरे।

(11) باب ثَوَابِ الْعَبْدِ وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ

बाब : 11 गुलाम का अज्र व स़वाब, जब वह अपने आक़ा का ख़ैरख़्वाह हो, और अल्लाह का ख़ूब इताअत गुज़ार हो

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ" .

(4318) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'गुलाम जब अपने आक़ा का ख़ैरख़्वाह और वफ़ादार हो, और अल्लाह की इबादत भी अच्छी तरह करे, तो वह दोहरे स़वाब का हक़दार है।'

तख़रीज:स़हीह बुख़ारी: 2546, सुनन अबू दाऊद: 5169.

(4319) इमाम साहब अपने पाँच उस्तादों की चार सनदों से नाफ़े ही की सनद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2550.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ .

फवाइद व मसाइल : (1) इस्लाम की तालीमात व हिदायात का ये एक बुनियादी उसूल और ख़ुसूसी इम्तियाज़ है कि उसने हर फ़र्द और हर तबक़ा को दूसरों के हुक़ूक़ अदा करने की ताकीद फ़रमाई है और तर्ग़ीब दी है कि हर इंसान और तबक़ा अपना फ़र्ज़ अदा करके दूसरों के हुक़ूक़ को अदा करने को अपनी कामयाबी और फ़र्ज़ मन्सबी तसव्वुर करे, इसकी परवाह न करे कि दूसरा फ़र्द अपना फ़र्ज़ अदा करके उसका हक़ करता है या उसकी अदायगी में कोताही बरतता है, आक़ाओं और मालिकों को हिदायत फ़रमाई कि वह ग़ुलामों ज़ेरे दस्तों के बारे में अल्लाह से डरें और उनके हुक़ूक़ अदा करें, उनके साथ बेहतर सलूक करें और उनको अपना भाई समझें, जिसकी ज़रूरियात की फ़राहमी उनकी ज़िम्मेदारी है, और ग़ुलामों और मातहतों को हिदायत फ़रमाई, बल्कि तर्ग़ीब दिलाई कि वह अपने आक़ाओं और मालिकों के ख़ैरख़्वाह और वफ़ादार रह कर काम करें, लेकिन आज की दुनिया के शरो फ़साद या बिगाड़ की जड़ और बुनियाद यही है कि हर फ़र्द और हर तबक़ा अपने फ़राइज़ और दूसरों के हुक़ूक़ अदा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपना हक़ दूसरों से वसूल करने बल्कि छीनने के लिए हर कशमकश और हर हरबा और साज़िश को सिर्फ़ जायज़ ही नहीं ज़रूरी समझता है, जिसकी बिना पर दुनिया जहन्नमकदा बन चुकी है, और ये दुनिया उस वक़्त तक अमन व सुकून और तमानियत व तस्कीन से महरूम रहेगी, जब तक कि हक़ लेने और छीनने की बजाये हर फ़र्द और गिरोह व तबक़ा हक़ अदा करने के लिए तैयार नहीं होता। (2) ऐसा ग़ुलाम जो अपने सय्यद और आक़ा का वफ़ादार और इताअत गुज़ार है, और उसके बावजूद ये चीज़, अल्लाह के हक़ की अदायगी में मानेअ या रूकावट नहीं बनती, ज़ाहिर है इसके लिए उसको ज़्यादा एहतिमाम और मेहनत व तन देही की ज़रूरत है, इसलिए इस इताअते इलाही पर दोहरा अज्र मिलता है, जिस तरह क़ुर्आन मजीद के उस क़ारी को दोहरा सवाब

मिलता है, जिसकी ज़बान में लकुनत है, और वह अटक अटक कर, मशक़्क़त बरदाश्त करते हुए क़िराअत करता है, तो इस मेहनत व मशक़्क़त की बिना पर ज़्यादा अज्र हासिल कर रहा है, तो काम तो उसने एक ही किया है, लेकिन मेहनत व मशक़्क़त की बिना पर अज्र में इज़ाफ़ा हो गया है, इस तरह गुलाम को सिर्फ़ एक अमल अल्लाह तआला की हुस्ने इबादत का सवाब दोहरा मिल रहा है। अपने आक़ा और मालिक की इताअत व वफ़ादारी का अज्र व सवाब या फ़ज़ीलत इससे अलग है।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ " . وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ . قَالَ وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا . قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ " لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ " . وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَمْلُوكَ .

(4320) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़ूब कार ममलूक (आक़ा का ख़ैरख़्वाह, रब का इबादत गुज़ार) दोहरे अज्र का हक़दार है।' उस ज़ात की क़सम, जिसके हाथ में अबू हुरैरह (ﷺ) की जान है, अगर अल्लाह की राह में जिहाद की फ़ज़ीलत, हज (का सवाब) और मेरी माँ की वफ़ादारी (की ज़रूरत न होती) तो मैं गुलामी की मौत को पसन्द करता, रावी कहते हैं, कि हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) (नफ़ली) हज नहीं करते थे, यहाँ तक कि उनकी वालिदा (उमैमा या मैमूना) फ़ौत हो गई, अबू ताहिर की रिवायत में लिलअब्द के बाद ममलूक का लफ़्ज़ नहीं है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2548.

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الأُمَوِيُّ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ بَلَغَنَا وَمَا بَعْدَهُ .

(4321) यही रिवायत इमाम साहब अपने एक और उस्ताद की सनद से, इब्ने शिहाब की ही वास्ते से बयान करते हैं, लेकिन इसमें, बलग़ना से आख़िर तक का जुम्ला नहीं है।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4296 में देखें।

फ़ायदा : इस्लाम के रोशन दौर से पहले लोग अपने गुलामों से जानवरों की तरह मेहनत व मशक़्क़त के काम लेते थे, और उनका कोई हक़ तस्लीम नहीं किया जाता था, इस्लाम ने उनके बारे में इस क़द्र आला और अरफ़ा हिदायात व तालीमात दीं कि उनकी दुनिया ही बदल गई, उनमें हज़ारों उम्मत के अइम्मा और पेशवा बने, हज़ारों हुकूमत के आला और बलन्द तरीन मनासिब तक पहुँचे, बल्कि उनकी हुकूमतें

क़ाइम हुई, इस्लाम के इस हुस्ने सुलूक और मुसलमानों की बलन्द ज़र्फ़ी की बिना पर आज़ाद भी उन पर रश्क करने लगे, इस बिना पर हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने गुलामी की मौत को पसन्द करने का इज़हार किया, लेकिन तीन रूकावटों और मवानेअ के सबब उसको इख़्तियार नहीं किया, जिहाद और हज के लिए आक़ा की इजाज़त की ज़रूरत है, क्योंकि गुलाम के माल का मालिक उसका आक़ा होता है, और वह अपने औक़ात के गुज़ारने में भी एक हद तक उसकी मर्ज़ी का पाबन्द होता है, इस तरह आज़ादाना तौर पर जिहाद और हज के अज्र व सवाब को हासिल नहीं कर सकता। इस तरह माँ की वफ़ादारी और उस पर नान व नफ़्क़ा ख़र्चा की आज़ादी में गुलामी हाइल बनती है, और इस अज्र से भी इंसान मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं उठा सकता, इसलिए अबू हुरैरह (ﷺ) ने आज़ादी को तर्जीह दी।

हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़र्ज़ हज तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ कर चुके थे, लेकिन उसके बाद वालिदा की ख़िदमत की ख़ातिर, उनकी वफ़ात तक कोई नफ़ली हज नहीं किया, जिससे मालूम होता है कि वालिदैन की ख़िदमत फ़र्ज़ है, इस पर नफ़ली इबादत को तर्जीह नहीं दी जा सकती, इस वजह से बिलइत्तेफ़ाक़ नफ़ली हज वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर नहीं किया जा सकता। फ़र्ज़ हज के बारे में इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई का मौक़िफ़ ये है, उसकी अदायगी में वालिदैन हाइल नहीं हो सकते, उनके मना करने के बावजूद उस फ़रीज़ा को अदा करना होगा, और अहनाफ़ का नज़रिया ये है, अगर वालिदैन या उनमें से कोई एक बीमार या इस क़द्र बूढ़ा है और वह ख़िदमत का मोहताज है, और कोई और अज़ीज़ या नौकर चाकर ख़िदमत के लिए मौजूद नहीं है, तो बेटे पर उस वक़्त तक हज फ़र्ज़ नहीं, जब तक उसकी ख़िदमत का बंदोबस्त नहीं हो जाता। (तकमिला: जिल्द: 2 सफ़ा: 243)

(4322) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'गुलाम जब अल्लाह का हक़ और अपने आक़ाओं के तमाम हुक़ूक़ अदा करता है, उसके लिए दोहरा अज्र होता है।' अबू सालेह कहते हैं, मैंने ये हदीस हज़रत कअब (ﷺ) को सुनाई, तो उन्होंने कहा, उसका मुहासबा नहीं होगा, और न उस मोमिन का जिसके पास माल नहीं है, या बहुत कम है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ " . قَالَ فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا فَقَالَ كَعْبٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلاَ عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ .

(4323) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से आमश ही की सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

फायदा : इंसान पर दो ही क़िस्म के हुक़ूक़ हैं, हुक़ूक़ुल्लाह (अल्लाह के हुक़ूक़) और हुक़ूक़ुल इबाद (बन्दों के हुक़ूक़) तो वह जब इन दोनों को अदा करता है, तो उसका मानी ये है कि उसके इन नेक आमाल की बिना पर उसकी लग़ज़िशें और कोताहियाँ, माफ़ हो जायेंगी, और उसके मुहासबा की ज़रूरियात नहीं रहेगी, या वह मुनाक़शा से बच जायेगा, महज़ पेशी और अर्ज़े आमाल होगा और बस, और मोमिन ज़ाहिद, कम माल मोमिन के क़रीना से ये मानी भी हो सकता है, वह चूंकि गुलाम, माल का मालिक नहीं होता, इसलिए वह माली मुहासबा से महफ़ूज़ होगा, दूसरे आमाल का हिसाब व किताब होगा, और इताआत व नेकियों की कसरत की बिना पर मुहासबा व मुनाक़शा (हिसाबो किताब) की ज़रूरत ही नहीं पेश आयेगी।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللَّهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ " .

(4324) इमाम साहब हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की रिवायत, हम्माम बिन मुनब्बिह के सहीफ़ा के वास्ते से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी गुलाम और ममलूक के लिए बड़ी ही अच्छी और कामयाबी की बात है, कि उसे मौत ऐसी हालत में आये कि वह अपने अल्लाह का बेहतरीन इबादत गुज़ार और अपने आक़ा का बेहतरीन रफ़ीक़ व साथी हो, उसके लिए कामरानी है।

(12) باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

बाब : 12 जिसने गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ

(4325) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया, और उसके पास इस क़द्र माल है, जिससे गुलाम की क़ीमत अदा हो सके, तो उस पर गुलाम की आदिलाना, ठीक ठीक क़ीमत

الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " .

लगाई जायेगी, और वह अपने हिस्सेदारों को उनके हिस्सों की क़ीमत अदा करेगा, और गुलाम आज़ाद हो जायेगा, वरना जिस क़द्र आज़ाद किया, उतना आज़ाद हो गया।'

तख़रीजः ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 3749 में देखें।

नोट : इन अहादीस़ पर बहस़ जिल्दे अव्वल में किताबुल इत्क़ नम्बर 20 के तहत गुज़र चुकी है। (किताब 20, हदीस़ नम्बर, 1501)

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " .

(4326) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने मुश्तरका (शामिल) गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया, तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वह उसे मुकम्मल आज़ादी बख़्शे, बशर्ते कि उसके पास इस क़द्र माल हो, जिससे गुलाम की क़ीमत अदा हो सके, अगर उसके पास माल न हो,तो उसने जितना हिस्सा आज़ाद किया, उतना हिस्सा आज़ाद हो गया।'

तख़रीजः ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 3750 में देखें।

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " .

(4327) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया, और उसके पास इस क़द्र माल है, जो गुलाम की क़ीमत को पहुँचता है, तो उसके लिए आदिलाना क़ीमत लगाई जायेगी, वरना उसने जितना आज़ाद किया, उतना उसमें से आज़ाद हो गया।'

तख़रीजः ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 3750 में देखें।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ " وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " . إِلاَّ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَإِنَّهُمَا ذَكَرَا هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ وَقَالاَ لاَ نَدْرِي أَهُوَ شَىْءٌ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . إِلاَّ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ .

(4328) मुसन्निफ़ अपने आठ उस्तादों की सात सनदों से नाफ़े ही के वास्ते से यही रिवायत बयान करते हैं, इनमें से किसी की हदीस़ में सिवाए अय्यूब और यहया बिन सईद की हदीस़ के ये अल्फ़ाज़ नहीं हैं, और अगर उसके पास माल नहीं है तो उससे आज़ाद हो गया, जिस क़द्र उसने आज़ाद किया।' और वह दोनों भी ये कहते हैं, हमें मालूम नहीं है ये कलाम हदीस़ का हिस्सा है, या नाफ़े ने अपनी तरफ़ से कहा था, और उनमें से किसी हदीस़ में भी सिवाए लैस़ बिन सअ़द की हदीस़ के ये अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुना।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 3750 में देखें।

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا " .

(4329) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने ऐसा गुलाम आज़ाद किया, जो उसके और दूसरे फ़र्द के दरम्यान मुश्तरक था, तो उसकी ख़ातिर, उसके माल से मुन्सिफ़ाना ठीक ठीक क़ीमत लगाई जायेगी, न कम न ज़्यादा, फिर उसकी तरफ़ से उसके माल से आज़ाद हो जायेगा, अगर आज़ाद करने वाला मालदार हो।

तख़रीज: सहीह बुख़ारी: 2521, सुनन अबू दाऊद: 3947.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) वकसुन: नुक़सान व ख़सारा। **(2) शतत:** ज़ुल्म व ज़ोर या ज़्यादती व इज़ाफ़ा।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ " .

(4330) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया, उसके माल से बाक़ी भी आज़ाद हो जायेगा, अगर उसके पास इतना माल हो जो उसकी क़ीमत को पहुँच सके।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3946, जामेअ तिर्मिज़ी: 1347, नसाई: 6/269, 270.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ " يَضْمَنُ " .

(4331) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه), नबी अकरम(ﷺ) से बयान करते हैं, उस ममलूक के बारे में जो कई आदमियों का मुश्तरका है, और उनमें से एक आज़ाद कर देता है, तो आपने फ़रमाया: 'वह ख़ुद ज़िम्मेदार है।' यानी आज़ादी, देने वाला अगर मालदार है, तो वह बाक़ी को आज़ाद करने का ज़िम्मेदार है।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 3751, 3752, 4332, 3751 में देखें।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ " مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ " .

(4332) इमाम साहब ही इस रिवायत को एक दूसरे उस्ताद से ऊपर दी गई शोबा की सनद से बयान करते हैं, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने ममलूक में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया, तो वह उसके माल से आज़ाद होगा।'

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 3751 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस़ : शिरकुन, नसीबुन और शक़ीसुन, हम मानी अल्फ़ाज़ हैं, यानी अपना हिस्सा।

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلاَصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ " .

(4333) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने ग़ुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया, तो उसको निजात व ख़ुलासी उसके माल के ज़रिये मिलेगी, अगर उसके पास माल हुआ, अगर आज़ाद करने वाले के पास माल न हुआ, तो ग़ुलाम से मेहनत व मज़दूरी करवाई जायेगी, लेकिन उसको मशक़्क़त में मुब्तला नहीं किया जायेगा।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 3751 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي، عَرُوبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِ عِيسَى " ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ " .

(4334) इमाम साहब यही रिवायत अपने तीन उस्तादों की दो सनदों से इब्ने उर्वा की ऊपर दी गई सनद ही के वास्ते से बयान करते हैं, ईसा की हदीस़ में ये अल्फ़ाज़ हैं, 'फिर जिसने आज़ादी नहीं दी, उसके हिस्से में उससे मशक़्क़त में डाले बग़ैर मेहनत व मज़दूरी करवाई जायेगी।'

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 3751 में देखें।

नोट : बक़ौल इमाम नववी, इमाम साहब ने, इस बाब की यहाँ तक अहादीस़, ख़िलाफ़े आदत, बिला ज़रूरत दोबारा बयान कर दी हैं, जबकि ये तमाम अहादीस़ गुज़र चुकी हैं, और उसकी तौज़ीह भी किताब नम्बर 20 के तहत गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ، بْنِ حُصَيْنٍ . أَنَّ رَجُلاً، أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاَثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا .

(4335) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की सनद से हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) की रिवायत बयान करते हैं कि एक आदमी ने अपनी मौत के वक़्त अपने छः गुलाम आज़ाद कर दिये, उसके पास उनके सिवा कोई और माल न था, तो आप (ﷺ) ने उन गुलामों को मंगवाया, और उन्हें तीन हिस्सों में तक़सीम किया, फिर उनके दरम्यान कुरआ अन्दाज़ी की, इस तरह दो आज़ाद कर दिये, और चार को गुलाम क़रार दिया, और मरने वाले के बारे में शदीद अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3958, 3959, 3960, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1364, सुनन इब्ने माजा: 2345.

फायदा : क़ाला लहू क़ौलन शदीदन: आपने मरने वाले के बारे में सख़्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये, जिसकी तफ़सील सुनन नसाई की रू से ये है, मैंने इरादा किया, कि उसकी नमाज़े जनाज़ा न पढ़ूँ, और सुनन अबी दाऊद में है, अगर मैं उसकी क़ब्र बनाने से पहले मालूम कर लेता, तो उसको मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफ़न करने की इजाज़त न देता, चूंकि उसने मर्ज़ुल मौत के वक़्त वसीयत की थी, और वसीयत सिर्फ़ तिहाई माल के बारे में हो सकती है, इसलिए आप (ﷺ) ने छः गुलामों को तीन हिस्सों में तक़सीम किया, चूंकि यहाँ छः गुलामों में से किसी को भी आज़ादी के लिए वजहे तर्जीह हासिल नहीं था।' सब का हक़ बराबर था, इसलिए कुरआ अन्दाज़ी के सिवा कोई सूरत न थी, जिसकी रोशनी में उनमें से दो को आज़ाद किया जा सकता, इसलिए जुम्हूर फुक़हा ऐसे मौक़ों पर जबकि सबका हक़ बराबर हो, किसी को वजहे तर्जीह हासिल न हो, तो कुरआ अन्दाज़ी से फ़ैसला करने के क़ाइल हैं, अइम्म–ए–हिजाज़ इमाम मालिक, शाफ़ेई और अहमद का यही नज़रिया है, इस हदीस़ की बिना पर इमाम इस्हाक़, दाऊद, इब्ने जरीर, हज़रत अबान बिन उस्मान और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का नज़रिया भी यही था, अहनाफ़ ने इस सही हदीस़ को रद करने के लिए मुख़्तलिफ़ हीले बहाने किये हैं, जिनका जवाब ख़ुद अल्लामा सईदी ने भी दिया है, क्योंकि कुरआ अन्दाज़ी से फ़ैसला करना दूसरी

सही अहादीस से भी साबित है, आप (ﷺ) अज़्वाजे मुतहहरात को सफ़र में साथ ले जाने के लिए क़ुरअ अन्दाज़ी करते थे, सफ़े अव्वल में बैक वक़्त पहुँचने वालों को क़ुरअ अन्दाज़ी करने की इजाज़त दी, अल्लामा सईदी ने आख़िर में लिखा है, हमारी राय में इमाम अबू हनीफ़ा तक ये हदीस नहीं पहुँची होगी और उनका अपना मौक़िफ़ ये है कि जब किसी मसला में सही हदीस मिल जाये, तो वही मेरा मज़हब है, (मालूम नहीं अहनाफ़ को इस सरीह क़ौल की मौजूदगी में सही अहादीस की मानवी तहरीफ़ करने या अजीब व ग़रीब तावील करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है) बहरहाल कोई शख़्स कुछ भी कहे, मैं यही कहूंगा, कि सही वह है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है, और इस मसला में क़ुरअ अन्दाज़ी के ज़रिये गुलामों में से दो गुलामों को आज़ाद करना ही सही तरीक़ा है।' (शरह सही मुस्लिम, जिल्द: 4, सफ़ा: 617)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي، عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . أَمَّا حَمَّادٌ فَحَدِيثُهُ كَرِوَايَةِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَأَمَّا الثَّقَفِيُّ فَفِي حَدِيثِهِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ .

(4336) इमाम साहब यही रिवायत अपने तीन उस्तादों की दो सनदों से, अय्यूब की ऊपर दी गई सनद से बयान करते हैं हम्माद की रिवायत तो इब्ने उलय्या की ऊपर दी गई रिवायत की तरह है, लेकिन सक़फ़ी की हदीस में है, एक अन्सारी आदमी ने अपनी मौत के वक़्त वसीयत करके छः गुलाम आज़ाद कर दिये।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4311 में देखें।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَحَمَّادٍ .

(4337) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों की सनद से इमरान बिन हुसैन की ऊपर दी गई रिवायत, इब्ने उलय्या और हम्माद की हदीस की तरह बयान करते हैं।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3916.

बाब : 13
मुदब्बर गुलाम को बेचना जायज़ है

(13)
باب جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي " . فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ . قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ .

(4338) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि एक अन्सारी आदमी ने अपने गुलाम को अपनी मौत के बाद आज़ाद क़रार दिया, हालांकि उसके पास उसके सिवा कोई माल न था, ये वाक़िया नबी अकरम (ﷺ) तक पहुँचा, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उस गुलाम को मुझसे कौन ख़रीदेगा।' तो उसे हज़रत नुऐम बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने आठ सौ दिरहम में ख़रीद लिया, और आप (ﷺ) ने वह रक़म उसके मालिक के हवाले कर दी, हज़रत उर्वा (रह.) बयान करते हैं, मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से सुना, वह क़िब्ती गुलाम था, और हज़रत इब्ने ज़ुबैर की ख़िलाफ़ात के पहले साल फ़ौत हुआ।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6716, 6947.

मुफ़रदातुल हदीस़ : मुदब्बर: उस गुलाम को कहते हैं, जिसे उसका आक़ा ये कह दे, तुम मेरी मौत के बाद आज़ाद हो।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि मुदब्बर गुलाम को बेचना जायज़ है, लेकिन इसकी सूरत किया है, इसमें इख़्तिलाफ़ है।

(1) इमाम शाफ़ेई के नज़दीक, मालिक की ज़िन्दगी में उसे हर सूरत में बेचा जा सकता है, मालिक मोहताज व ज़रूरतमंद हो या न, इमाम अहमद का सही क़ौल यही है, हज़रत आयशा, ताऊस, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और मुजाहिद वग़ैरहुम इसके क़ाइल थे।

(2) अगर मालिक मक़रूज़ हो और उसके पास इस मुदब्बर गुलाम के सिवा कोई माल न हो, तो फिर उसका बेचना जायज़ है, इमाम इस्हाक़, अबू खैसमा का नज़रिया यही है, और इमाम अहमद का एक क़ौल भी ये है।
(3) अगर तदबीर मुतलक़ है, तो इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक जायज़ नहीं है, अगर तदबीर मुक़य्यद है यानी अगर मैं इस माह मर गया, या इस बीमारी में मर गया, लेकिन न मरा तो फिर उसको बेचना जायज़ है, लेकिन हदीस में तदबीर का मुक़य्यद (सशर्त) होना साबित नहीं है, इसलिए सही यही है कि ज़रूरत व एहतियाज की सूरत में मुदब्बर गुलाम को बेचना जायज़ है,और अहनाफ़ के नज़दीक गुलाम को आगे उजरत और मज़दूरी पर दिया था, उसकी मिल्कियत को नहीं बेचा, कुछ जलीलुक़द्र सहाबा से भी मुदब्बर के बारे में अहनाफ़ वाला मौक़िफ़ मनक़ूल है, इसलिए बैअ की ज़रूरत पर ही महमूल करना चाहिए।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو، جَابِرًا يَقُولُ دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلاَمًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ جَابِرٌ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

(4339) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं, एक अन्सारी ने अपना गुलाम मुदब्बर ठहराया, उसके सिवा उसके पास कोई माल न था, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़रोख़्त कर दिया, हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं, उसे इब्ने नहहाम ने ख़रीद लिया, वह क़िब्ती गुलाम था, और हज़रत इब्ने ज़ुबैर की ख़िलाफ़त के पहले साल फ़ौत हो गया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2231, जामेअ तिर्मिज़ी: 1219, सुनन इब्ने माजा: 2513.

नोट : बक़ौल हाफ़िज़ नहहाम का लक़ब, नुऐम और उनके बाप अब्दुल्लाह, दोनों के लिए इस्तेमाल होता था।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ، رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُدَبَّرِ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ .

(4340) इमाम साहब ने अपने दो उस्तादों की सनद से, हज़रत जाबिर (ﷺ) की मुदब्बर के बारे में नबी अकरम (ﷺ) से मरवी है, हम्माद की अम्र बिन दीनार की रिवायत की तरह, हदीस बयान की है।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 2310 में देखें।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، - يَعْنِي الْحِزَامِيَّ - عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ، سُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ح. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ، ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، ح. وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ، أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُمْ فِي، بَيْعِ الْمُدَبَّرِ . كُلُّ هَؤُلاَءِ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ .

(4341) इमाम साहब तीन सनदों से जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) की नबी अकरम (ﷺ) से मुदब्बर के बारे में हदीस इस तरह बयान करते हैं, जैसा कि हम्माद और इब्ने उयय्ना, अम्र के वास्ते से हज़रत जाबिर (ﷺ) से बयान करते हैं।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी, 2141, 2403.

ارشاد باری تعالی

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ انھیں بری طرح قتل کیا جائے، یا انھیں بری طرح سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں، یا انھیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔"

(المائدة ۵:۳۳)

'उन लोगों की जज़ा जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन में फ़साद की कोशिश करते हैं, यही है कि उन्हें बुरी तरह क़त्ल किया जाये, या उन्हें बुरी तरह सूली दी जाये, या उनके हाथ और पाँव मुख़्तलिफ़ सिम्तों से बुरी तरह काटे जायें, या उन्हें इस सरज़मीन से निकाल दिया जाये। ये उनके लिये दुनिया में रूस्वाई है और उनके लिये आख़िरत में बहुत बड़ा अज़ाब है।'

(अल बक़र: 2/275)

तआरुफ़ किताबुल क़सामा

किसी मक़्तूल की लाश किसी इलाक़े में पाई जाये और क़ातिल के बारे में वाज़ेह शहादत मौजूद न हो तो क़त्ल की ज़िम्मेदारी के तअय्युन के लिये मक़्तूल के वारेसीन पचास इज्तेमाई क़समें खा सकते हैं। अगर वह क़समें न खायें तो जिनके ख़िलाफ़ दावा किया गया है वह पचास इज्तेमाई क़समें खा कर ज़िम्मेदारी से बरी हो सकते हैं। इन इज्तेमाई क़समों को और कुछ लोगों के बक़ौल क़समें खाने वालों को और कुछ के नज़दीक इज्तेमाई क़सम खाने के इस अमल को क़सामा कहा जाता है।

ये दस्तूर जाहिली दौर से चला आ रहा था। लोग अँधे क़त्ल में, हुसूले इन्साफ़ के इस तरीक़े को क़बूल करते थे, इसमें अदल व इन्साफ़ के तक़ाज़े भी पामाल न होते थे बल्कि मक़्तूल के वारेसीन की दादरसी की सूरत निकल सकती थी, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस तरीक़ेकार को बरक़रार रखा। आपके अहदे मुबारक में अगरचे अमलन इज्तेमाई क़समों की नौबत न आई, लेकिन ख़ुल्फ़ा के अहद में इस तरीक़ेकार पर अमल भी हुआ। अगर देखा जाये तो इसे किसी हद तक जरगे से मिलता जुलता तरीक़ा कहा जा सकता है। लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक़्तूल के वारेसीन को क़सामा के जिस तरीक़ेकार की पेशकश फ़रमाई, उसमें हर पहलू से एहतियात और अदल का क़याम मुक़द्दम है।

रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने जब अब्दुल्लाह बिन सहल बिन ज़ैद अन्सारी के ख़ैबर में, यहूद की आबादियों के पास, क़त्ल हो जाने का मामला पेश किया गया तो क़वी शुब्हा यहूद पर था। आप(ﷺ) ने उसके भाई और दीगर अज़ीजों से पूछा: 'तुम लोगों के पास कोई गवाह या शहादत है?' उन्होंने जवाब दिया: नहीं (बुख़ारी, हदीस: 6898) आपने उनसे पूछा: 'क्या तुम लोग पचास क़समें खाओगे कि उसको फ़ुलां ने क़त्ल किया है तो उसे तुम्हारे सुपुर्द कर दिया जाये?' कुछ रिवायात में ये अल्फ़ाज़ हैं: 'या तुम अपने साथी के ख़ून (बहा) के हक़दार हो जाओ?' तो उन्होंने कहा: हमने क़त्ल होते नहीं देखा तो क़सम कैसे खा सकते हैं? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फिर यहूद (जो क़त्ल के इरतेकाब का इन्कार कर रहे थे) पचास क़समें खायेंगे और तुम्हें क़सम खाने के इल्तेज़ाम या एहतिमाम से बरी कर देंगे।' मक़्तूल के घर वालों को ये भी क़बूल न था, उन्होंने कहा: वह तो इससे भी बड़ी बातों की जुर्अत करते हैं, कुछ रिवायात में है: वह झूठी क़समें खा लेंगे और बाद में कफ़्फ़ारे दे देंगे। क़सामा से चूंकि

मसले का ऐसा हल न निकल रहा था जिससे मक़्तूल के कराबदारों की दादरसी हो सके तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कमाले रहमत से मक़्तूल का ख़ून बहा, सौ ऊँट, वारेसीन को अपनी तरफ़ से अदा कर दिये।

क़सामा, दादरसी और मसालेह इन्सानी के तहफ़्फ़ुज़ (सुरक्षा) का एक अहम ज़रिया है। सहाबा, ताबेईन, हिजाज़, शाम, इराक़ के अक्सर अइम्मा, उलमा और सलफ़ ज़रूरत के वक़्त क़सामा पर अमल करने के क़ाइल हैं। दूसरी तरफ़ कुछ अहले इल्म जिनमें हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) नुमायाँ हैं, इससे इख़्तिलाफ़ करते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से मनक़ूल है कि वह क़सामा की बुनियाद पर क़िसास में किसी को क़त्ल करने के क़ाइल न थे। इस इख़्तिलाफ़ के हवाले से ये बात अहम है कि फुक़्हा-ए-हिजाज़ की अक्सरियत और ज़ोहरी, रूबैअ, अबू ज़िनाद, लैस, औज़ाई, इस्हाक़, अबू सौर और दाऊद के अलावा इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई (एक क़ौल के मुताबिक़) और इमाम अहमद (रह.) इसी के क़ाइल हैं कि अगर तमाम शराइत पूरी हो जायें तो जिसके बारे में शराइत पूरी हों उसे क़िसास में क़त्ल किया जा सकता है। हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) और दीगर हज़रात जो सिर्फ़ दियत के क़ाइल हैं उनका इस्तेदलाल रसूलुल्लाह (ﷺ) के इन अल्फ़ाज़ से है: 'यहूद उसकी दियत देंगे या जंग के लिये तैयार होंगे।' (हदीस:4349) जो क़िसास के भी क़ाइल हैं उनका इस्तेदलाल आप (ﷺ) के इन अल्फ़ाज़ से है: 'तुममें से पचास आदमी उनमें से एक आदमी पर क़समें खायेंगे तो वह अपनी रस्सी समेत जिसमें वह बँधा होगा, तुम्हारे हवाले कर दिया जायेगा।' (हदीस:4343) 'हवाले कर दिया जायेगा' का फ़ौरी तौर पर ज़हन में आने वाला माना यही है कि उसे क़िसास में क़त्ल किया जायेगा। लेकिन ये मफ़हूम भी लिया जा सकता है कि वह दियत की अदायगी तक बतौर ज़मानत मक़्तूल के ख़ानदान के पास रहेगा। इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने अपनी मुसन्नफ़ में लिखा है: मैंने उबैदुल्लाह बिन उमर अल अमरी से कहा: क्या आपको मालूम है कि कभी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़सामा की बुनियाद पर क़िसास दिलवाया कहा नहीं मैंने कहा हज़रत अबू बक्र ने कहा नहीं मैंने कहा फिर हज़रत उमर ने कहा नहीं मैंने फिर तुम लोग किस तरह इसकी जुर्अत करते हो? मारूफ़ ताबेई अबू क़िलाबा (रह.) ने भी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज के सामने, क़सामा की बुनियाद पर क़िसास में क़त्ल करने के ख़िलाफ़ ज़ोरदार दलाइल दिये। ये हदीस सहीह बुख़ारी, किताबुद दियात, बाब अल क़सामा में बयान हूई है। (मज़ीद तफ़्सीलात और इख़्तिलाफ़ात के हवाले से दलाइल के लिये फ़तहुलबारी: 12/288 की तरफ़ रूजू किया जा सकता है।)

मामला चाहे एक अँधे क़त्ल का हो, कोई ज़िम्मेदार मुआशरा मक़्तूल के ख़ून को रायगां क़रार देना गवारा नहीं कर सकता। इस सूरत में क़सामा का तरीक़ा ही ज़िम्मेदारी के तअय्युन और मक़्तूल के ख़ानदान की दादरसी का माक़ूल तरीन दस्तयाब तरीक़ा है, किसी बिरादरी या बस्ती के लोगों के

ख़िलाफ़ ज़ाहिरी क़राइन मौजूद हों लेकिन क़तई शहादत मौजूद न हो तो इस सूरत में उन लोगों में पचास क़ाबिले ऐतमाद लोगों से क़सम लेने का तरीक़ा ही मुनासिब तरीन दस्तयाब तरीक़ा है। अगर किसी बिरादरी या आबादी के पचास क़ाबिले ऐतबार लोगों को क़सम के लिये बुलाया जाये तो इस बात का क़वी इम्कान मौजूद है कि अगर उनमें से किसी भी शख़्स को अपनी बिरादरी और अपने महल्ले के लोगों में से किसी पर भी शक हो तो वह इस बात की क़सम न खाये कि उसे क़ातिल के बारे में कुछ मालूम नहीं। हाँ अगर कोई मुआशरा इस हद तक गिर चुका हो कि उसमें दो फ़ीसद लोग भी सच कहने वाले या कम अज़ कम झूठी क़सम से एहतिराज़ करने वाले मौजूद न हों तो ऐसे मुआशरे, बिरादरी या आबादी से निपटने के लिये फ़ितरत के दूसरे क़वानीन मौजूद हैं।

ये सब इन्तेज़ामात इन्सानी जान की हुरमत को यक़ीनी बनाने के लिये हैं। अपनी तर्तीब को आगे बढ़ाते हुये, क़सामा के बाद इमाम मुस्लिम (रह.) ने क़त्ल व ग़ारत और डाका ज़नी के मुजरिमों और दायर-ए-इस्लाम से ख़ारिज होने वालों की सज़ा के बारे में अहादीस़ बयान कीं। ऐसे मुजरिम किसी एक क़त्ल के मुर्तकिब नहीं होते बल्कि मामूली माली फ़ायदे के लिये बहुत से लोगों को इन्तेहाई ज़ालिमाना तरीक़ों से तबाह व हलाक करते हैं। ये लोग उस निज़ाम ही के मुन्किर और दुशमन होते हैं जो इन्सानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ का बुनियादी ज़रिया होता है। एक मुर्तद इन तमाम हुरमतों का मुन्किर होता है जो अल्लाह की तरफ़ से इन्सानियत के तहफ्फ़ुज़ के लिये मुक़र्रर की गई हैं। उनकी सज़ा भी उनके जराइम की संगीनी के मुताबिक़ है।

फिर बेगुनाह इन्सानी जान या उसके किसी अ़ज़्व (अंग) को तल्फ़ करने की सज़ा का ज़िक्र है जो क़िसास़ या दियत की सूरत में होती है। इमाम मुस्लिम (रह.) ने इन असबाब के हवाले से भी अहादीस़ बयान की हैं जिनकी वजह से किसी इन्सान का ख़ून हलाल हो जाता है। इनके अ़लावा सबकी जानों को तहफ़्फ़ुज़ (सुरक्षा) हासिल है। इसके बाद ये बयान किया गया है कि आख़िरत में भी सबसे पहले ख़ून के हवाले से मुहासबा और हक़ रसी और सज़ा का एहतिमाम होगा।

इन्सानी जान के साथ साथ उसकी इज़्ज़त और उसके माल को भी हुरमत हासिल है, इस बात को रसूलुल्लाह (ﷺ) के ख़ुत्ब-ए-हज्जतुल विदा के ज़रिये से वाज़ेह किया गया है। अल्लाह तआला ने अभी पैदा न होने वाले पेट के बच्चे की भी दियत रखी है। इन्सानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ का ये एक मुकम्मल निज़ाम है जो अल्लाह की तरफ़ से इन्सानों को अ़ता किया गया है।

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

क़सामाः डाकूओं, रहज़नों, क़िसास़ और दियत के मसाइल

यहाँ तक हुक़ूक़े मदीना, जिनका ताल्लुक़ मुआशरती हुक़ूक़ से है, के मसाइल, माली, इक़्तेसादी, मसाइल की बहस़ के बाद इख़्तेताम पज़ीर हो गये हैं, और इस किताब नम्बर 29 में हुक़ूक़ जनाई जिनका ताल्लुक़ जराइम और कराइम से है का आग़ाज हो रहा है। इस्लाम ने इबादाती और अख़्लाक़ी तालीमात व हिदायात के ज़रिये, फ़िक्रे आख़िरत और ख़ौफ़े इलाही की बुनियाद पर, इस क़िस्म की तर्बियत और इस्लाह का तरीक़ा अपनाया है, कि एक स़ही मुसलमान, इन जराइम और मआस़ी का मुतर्किब न हो, लेकिन कुछ अफ़राद ऐसे भी होते हैं कि वह हर क़िस्म की हिदायात व तालीमात को नज़र अन्दाज़ कर देते हैं, उनकी सरकूबी और ततहीर के लिए शरीयते इस्लामिया में जराइम व फ़साद की वुसअत व अस़रात या मुआशरा में उसके घिनौने नताइज की बिना पर, शदीद सज़ाएँ मुक़र्रर की गई हैं, ताकि मुआशरे को भारी फ़साद और बिगाड़ से बचाया जा सके, उनकी सज़ा को हद कहते हैं, जिसमें किसी फ़र्द, जमाअत या एसेम्बली व हुकूमत को बदलने का हक़ हासिल नहीं है, उनका ताल्लुक़ नीचे दिये गये जराइम से है। क़त्ल, चोरी, शराब, डाका, राहज़नी, ज़िना, तोहमत व इल्ज़ाम तराशी, इर्तेदाद, लेकिन इनके सिवा जितने जराइम हैं, उनके बारे में सज़ाएँ मुक़र्रर या मुअय्यन नहीं की गईं, हर दौर और हर इलाक़े के क़ाज़ी या जज, या हुकूमत इन गुनाहों के अस़रात व नताइज के ऐतबार से सज़ा दे सकती है, और मौक़ा व महल या अफ़राद के किरदार को सामने रखते हुए, बदअस़रात की कमी की बिना पर उसमें कमी व बेशी कर सकती है, और बाद के अदवार के क़ाज़ी और जज या हुकूमत इनमें तर्मीम व तन्सीख़ का हक़ भी रखते हैं, लेकिन बहरहाल वह ताज़ीरात ऐसी हों, जो जराइम की रोक थाम या इन्सेदाद की स़लाहियत रखती हों, और लोगों के लिए बाइसे इबरत भी हों, और ऐसी सज़ाएँ न हों, जो मुजरिम को पहले से बढ़ कर मुजरिम बनाएँ, और वह एक दूसरे से नये नये ढंग और अन्दाज़ सीख कर बाहर निकलें। क़सामा का तरीक़ा जाहिलियत के दौर में भी मौजूद था, जिसको इस्लाम ने बरक़रार रखा,

और सही बुख़ारी की रू से क़सामा का तरीक़ा, जाहिलियत के दौर में सबसे पहले क़ुरैश के सरदार अबू तालिब ने इख़्तियार किया कि क़ुरैश के एक ख़ानदान का फ़र्द यानी ख़दाश बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़ैस आमिरी, क़ुरैश के एक दूसरे ख़ानदान बनू मुत्तलिब के फ़र्द अ़म्र बिन अ़ल्क़मा बिन मुत्तलिब को अपना अजीर व मज़दूर बना कर साथ ले गया था, (हदीस़ में बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब की भाईचारगी की बिना पर हाशिमी क़रार दिया गया है) लेकिन उसने इसकी मामूली ग़लती की बिना पर जिसकी तफ़्सील बुख़ारी में मौजूद है, उसको मार डाला, वापसी पर आकर ये कहा, वह बीमार हो गया था, मैंने उसकी बेहतरीन एयादत (देखभाल) की, और मरने पर उसके कफ़न दफ़न का इन्तेज़ाम किया, लेकिन कुछ अ़र्सा के बाद मामला की अ़सल हक़ीक़त सामने आ गई, तो अबू तालिब ने क़ातिल से कहा, हम तुम्हें तीन बातों में किसी एक को इख़्तियार करने का मौक़ा देते हैं। (1) तू क़ातिल है, लिहाज़ा दियत में सौ (100) ऊँट दे दे, (2) या तेरी क़ौम के पच्चास आदमी क़सम उठायें कि तूने क़त्ल नहीं किया, (3) या हम तुम्हें क़िसास़ में क़त्ल कर देंगे।

इस तरह अबू तालिब ने मुद्दआ अ़लैह के ख़ानदान से पच्चास क़समों का मुतालबा किया, इसको इस्लाम ने क़ाइम रखा, और बक़ौल अ़ल्लामा इब्ने क़ुतैबा, क़सामा का हुक्म, मूसा अ़लैहि. के वक़्त से शुरू हुआ। (अलमारिफ़ इब्ने क़ुतैबा)

(1) باب الْقَسَامَةِ

बाब : 1 अल क़सामा, अहले मुहल्ला से पच्चास क़समें लेना

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ بُشَيْرِ، بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، - قَالَ يَحْيَى وَحَسِبْتُ قَالَ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ

(4342) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा और हज़रत राफ़े बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत है कि अ़ब्दुल्लाह बिन सहल इब्ने ज़ैद और मुहय्यिसा बिन मसऊद बिन ज़ैद मदीना से निकले और ख़ैबर पर पहुँच कर अलग अलग हो गये, फिर बाद में मुहय्यिसा ने अ़ब्दुल्लाह बिन सहल को मक़्तूल हालत में पाया, और उसे दफ़न कर दिया, फिर वह, हुवय्यिसा बिन मसऊद और अ़ब्दुर्रहमान बिन सहल (ﷺ) को लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में

اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَبِّرِ " . الْكُبْرَ فِي السِّنِّ فَصَمَتَ فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ " أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ " . أَوْ " قَاتِلَكُمْ " . قَالُوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ " فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا " . قَالُوا وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى عَقْلَهُ .

हाज़िर हुए, और (मक़्तूल का भाई अ़ब्दुर्रहमान) तीनों में से छोटा था।

तो अ़ब्दुर्रहमान ने अपने दोनों साथियों से पहले कलाम करने लगा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़रमाया: 'बड़े को मौक़ा दो।' यानी उ़म्र में जो बड़ा है, तो वह ख़ामोश हो गया, और उसके साथियों ने गुफ़्तगू की और उसने भी गुफ़्तगू में हिस्सा लिया, तो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने अ़ब्दुल्लाह बिन सहल के मक़्तल (क़त्लगाह) का ज़िक्र किया, तो आपने उन्हें फ़रमाया: 'क्या तुम पच्चास क़समें उठाते हुए अपने साथी के क़त्ल को साबित करते हुए क़िसास या दियत के हक़दार बनते हो?' या आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने क़ातिल का तअ़य्युन करते हुए।' उन्होंने कहा, हम कैसे क़समें उठा सकते हैं, जबकि हम वहाँ मौजूद न थे? आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तो यहूद पच्चास क़समें उठा कर तुम्हारे सामने अपनी बरात कर सकते हैं?' उन्होंने कहा, हम काफ़िर लोगों की क़समें कैसे तस्लीम कर लें? तो जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ये सूरते हाल देखी, तो आपने उसकी दियत अदा कर दी।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3173, 6143, 7192, 2702, 6898, सुनन अबू दाऊद: 4520, 4521, 4523, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1422, नसाई: 6/272, 7/7, 4726, 4727, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, सुनन इब्ने माजा: 2677.

फ़ायदा : क़सामा: बक़ौल क़ाज़ी अयाज़, हदीसे क़सामा, शरीयत के उसूलों में से एक उसूल है, और अहकाम के ज़ाबतों में से एक क़ायदा है, और बंदों के मसालेह के अरकान में से एक रूक्न है, जिसे तमाम अइम्मा, सहाबा व ताबेईन, और फ़ुक़हा–ए–अम्सार ने क़बूल किया है, अइम्म–ए–अरबआ में

से किसी ने इसका इंकार नहीं किया, हाँ कुछ ताबेईन जैसे हकम बिन अतिया, सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह, सुलैमान बिन यसार और क़तादा से क़सामा का इंकार मनक़ूल है, हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल अज़ीज़, और इमाम बुख़ारी की तरफ़ भी क़ाज़ी अयाज़ ने इस मैलान की तसरीह की है, जबकि इमाम बुख़ारी का बाब अल क़सामा क़ाइम करना और इसमें उमर बिन अ़ब्दुल अज़ीज़ का वाक़िया बयान करना साबित करता है कि वह क़सामा के मुन्किर नहीं थे, बल्कि क़सामा में दियत लेने में बक़ौल हाफ़िज़ इब्ने हजर, इमाम शाफ़ेई, के हमनवा थे। (फ़तहुलबारी, जिल्दः 12, सफ़ाः 297) और क़समें लेने में अहनाफ़ के हमनवा थे, कि क़समें मुद्दआ अलैहिम से ली जायेंगी। (जिल्दः 12, सफ़ाः 298) बक़ौल मौलाना ज़करिया, अहनाफ़ के हमनवा थे, क्योंकि अहनाफ़ के नज़दीक क़सामा की सूरत में, क़समें मुद्दआ अलैह को पड़ेंगी, और उसे हर सूरत में दियत अदा करना होगी, क़सामा के सिलसिले में अइम्मा में, इसकी तफ़्सीलात में बहुत इख़्तिलाफ़ात हैं, इसलिए हम सिर्फ़ ख़ुलासा पेश करते हैं:—

(अ) शवाफ़ेअ के नज़दीक, अगर मक़्तूल किसी फ़र्द या अफ़राद की ममलूका ज़मीन में मिलता है, किसी जंगल और बयाबान में नहीं, लेकिन उसके क़ातिल का पता नहीं चलता, लेकिन मक़्तूल के वारेसीन किसी मुहल्ला या बस्ती के किसी फ़र्द मुअय्यन अफ़राद पर किसी ऐसा क़रीना सबूत (दुशमनी व एनाद) की बिना पर, जिस पर ऐतमाद व यक़ीन करने का इम्कान हो, शुब्हा का इज़हार करें, तो फिर क़ाज़ी वारेसीने मक़्तूल की बात तस्लीम करके मुद्दई यानी औलिय ए मक़्तूल से पच्चास क़समें लेगा, जिसमें वह क़ातिल का तअय्युन करेंगे, और क़त्ल की नोइयत को अम्दन है या शिब्हे अम्दन या ख़ता उसकी भी वज़ाहत करेंगे, और उसके मुताबिक़ मुद्दआ अलैह से क़िसास या दियत वसूल करेंगे, और अगर औलिया ए मक़्तूल क़सम उठाने के लिए तैयार न हों, तो फिर मुद्दआ अलैहिम क़सम उठायेंगे और बरीउज्ज़िम्मा हो जायेंगे, अगर औलिया—ए—मक़्तूल के पास सबूत यानी क़रीन—ए—क़त्ल न हो यानी बाहमी दुशमनी एनाद वग़ैरह न हो, तो फिर मुद्दई को बय्यना पेश करना होगी या मुद्दआ अलैहिम से क़समें ली जायेंगी, कि मैंने या हमने क़त्ल नहीं किया, और न मुझे या हमें क़ातिल का इल्म है, इस तरह वह बरीउज्ज़िम्मा (दस्तबर्दार) हो जायेंगे,अगर मुद्दआ अलैहिम क़समें न उठायें, तो फिर औलिया ए मक़्तूल क़समें उठाकर दियत के हक़दार होंगे,वरना नहीं, मालकिया और हनाबिला का मौक़िफ़ भी शवाफ़ेअ वाला है, लेकिन कुछ तफ़्सीलात में फ़र्क़ है, मालकिया और हनाबिला के नज़दीक क़रीना की सूरत में अगर औलिया ए मक़्तूल क़सम न उठायें, अगर क़रीना न हो तो मुद्दआ अलैहिम एक ही क़सम उठायेगा, अगर मुद्दआ अलैहि क़सम न उठायें तो शवाफ़ेअ के नज़दीक औलिया ए मक़्तूल को दोबारा क़सम उठाने के लिए आमादा करेंगे, मालकिया और हनाबिला के नज़दीक ऐसा नहीं होगा, मालकिया के नज़दीक ऐसी सूरत में मुद्दआ अलैह को क़ैद किया जायेगा, यहाँ तक कि वह क़सम उठाये, या इक़रार करे या फिर क़ैद ही में मर जाये,और हनाबिला के नज़दीक एक रिवायत के मुताबिक़ दियत बैतुलमाल से अदा की जायेगी, और दूसरी रिवायत की रू से जिसे

इब्ने क़ुदामा ने तर्जीह दी है, दियत मुद्दआ अलैहि पर होगी।

(ब) अइम्म–ए–हिजाज़ और अइम्म–ए–अहनाफ़ में फ़र्क़ ....(1) अइम्म–ए–अहनाफ़ के नज़दीक पहले क़समें उठाने का हुक्म मुद्दआ अलैहिम को दिया जायेगा, और अइम्म–ए–हिजाज़ के नज़दीक अगर सुबूत न हो तो फिर क़समें उठाने का हुक्म पहले औलिय ए मक़्तूल पर पेश किया जायेगा, अगर वह इंकार करें, तो फिर मुद्दआ अलैह को क़समें उठाने के लिए कहा जायेगा। (2) अइम्म–ए–हिजाज़ के नज़दीक दाव–ए–क़त्ल एक मुअय्यन फ़र्द या मुअय्यन अफ़राद के ख़िलाफ़ होगा, बिला तअय्युन दावा मसमूअ नहीं होगा और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक बिला तअय्युन किसी अहले मुहल्ला के ख़िलाफ़ दावा हो सकता है। (3) हनफ़िया और शाफ़ेइया के नज़दीक मुद्दआ अलैहिम के ज़िम्मे, सिर्फ़ दियत है, जो अहनाफ़ के नज़दीक हर सूरत में मुद्दआ अलैहिम के ज़िम्मे है, जबकि शवाफ़ेअ के नज़दीक कुछ सूरतों में वह बरीउज़्ज़िम्मा होंगे, और मालकिया के नज़दीक क़रीना की सूरत में, जब क़त्ल अम्दन हो, तो मुद्दआ अलैह के ज़िम्मे क़िसास होगा, और बक़ौल अल्लामा अब्दुल क़ादिर अूदा शहीद, क़सामा को इंसानी जान की हिफ़ाज़त व सयानत के लिए मुक़र्रर किया गया है, क्योंकि शरीयते इस्लामिया की शदीद ख़्वाहिश है कि इंसान का ख़ून रायगां न जाये और क़त्ल करने वाला कुछ दफ़ा ऐसी जगह का इन्तेख़ाब करता है जहाँ कोई उसे देख न सके, और उसके ख़िलाफ़ कोई शहादत क़ाइम न हो सके, इसलिए इस्लामी शरीयत ने इंसान की जान की अहमियत व हिफ़ाज़त की ख़ातिर क़सामत का क़ानून मुक़र्रर किया, अगर हुदूद व क़िसास वाली तमाम शर्तों का इस्तीफ़ा (पूरा होना) ज़रूरी ठहराया जाये, तो बकसरत क़ातिल सज़ा से बच जायेंगे, और लोगों के ख़ून व जान महफ़ूज़ नहीं रहेंगे, लेकिन इस मसले की तफ़्सीलात में चूंकि उलमा–ए–उम्मत में बहुत इख़्तिलाफ़ हैं, इसलिए शरीयत और मक़ासिदे शरीयत को मल्हूज़ रखते हुए, अइम्मा के अक़वाल की रोशनी में, नुसूसे शरीयत को सामने रखते हुए, मौजूदा ज़ुरूफ़ व अहवाल के मुताबिक़, लोगों के ख़ून व जान की हिफ़ाज़त की ख़ातिर, मुनासिब क़ानूनसाज़ी की जा सकी है। (क़सामा की तफ़्सीलात के लिए देखिये, अलमुग़नी, जिल्द: 12, सफ़ा: 188 से 205, बाब: अल क़सामा, तकमिला, जिल्द: 2, सफ़ा: 275 से 289, अल क़सामा फ़िल फ़िक़्हिल इस्लामी मुहम्मद शम्स मत्बूआ मुअस्सिसतुर रिसाला)

(4343) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा और हज़रत राफ़े बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत है कि मुहय्यिसा बिन मसऊद और अब्दुल्लाह बिन सहल ख़ैबर की तरफ़ गये, और खजूरों में बिखर गये, अब्दुल्लाह बिन सहल को क़त्ल कर दिया गया, और इल्ज़ाम यहूद पर लगाया

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ، اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ

خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَبِّرِ الْكُبْرَ - أَوْ قَالَ - لِيَبْدَإِ الأَكْبَرُ " . فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ " . قَالُوا أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ " فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قِبَلِهِ . قَالَ سَهْلٌ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا . قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ .

गया, तो उसका भाई अ़ब्दुर्रहमान और उसके दो चचाज़ाद हुवय्यिसा और मुहय्यिसा नबी अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए, अ़ब्दुर्रहमान ने जो तीनों में से छोटे थे, अपने भाई के वाक़िया के बारे में गुफ़्तगू करना चाही तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बड़े को इज़्ज़त बख़्शो।' या फ़रमाया: 'बड़ा आग़ाज करे।' तो उन दोनों ने अपने साथी के बारे में गुफ़्तगू की, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से पच्चास आदमी इनमें से किसी आदमी के बारे में क़सम उठा दें, तो उसको रस्सी समेत तुम्हारे हवाला कर दिया जायेगा।' उन्होंने कहा, ये ऐसा मामला है जो हमने देखा नहीं है तो क़समें कैसे उठायें? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यहूद अपनी तरफ़ से पच्चास क़समें खा कर तुम्हें उनसे ख़ुलास़ी दिलवा देते हैं।' यानी उनकी क़समों के बाद तुम्हारी क़समों की ज़रूरत नहीं रहेगी, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल! काफ़िर लोग हैं, (हम क़समें कैसे मान लें) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी तरफ़ से दियत अदा कर दी, हज़रत सहल (رضي الله عنه) कहते हैं, मैं उनके बाड़े में गया, तो उन ऊँटनियों में से एक ऊँटनी ने मुझे लात मारी, हम्माद कहते हैं, यूँ कहा या इसका हम मानी।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी जा चुकी है: 4318 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) रूम्मा: रस्सी जिससे क़ातिल बाँध कर औलिया ए मक़्तूल के हवाले किया जाता है। **(2) मिर्बद:** बाड़ा जहाँ ऊँट बाँधे जाते हैं।

फ़ायदा : बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत से मालूम होता है कि आपने पहले बय्यना (सुबूत) पेश करने के लिए कहा, जब उन्होंने इससे इंकार किया, तो फिर क़समें उठाने के लिए कहा, इसलिए कुछ रिवायात में बय्यना पेश करने का हुक्म है, क़समें उठाने की पेशकश का तज़किरा नहीं है, और कुछ में क़समें उठाने का ज़िक्र है, बय्यना का मुतालबा नहीं है, इसलिए सही बात यही है कि अगर बय्यना न हो तो फिर क़समें उठाने का हक़ भी पहले औलिया ए मक़्तूल को हासिल होगा। इंकार करने पर मुद्दआ अलैह फ़र्द या गिरोह से क़समें ली जायेंगी। (फ़तहुलबारी, जिल्द: 12, सफ़ा: 291)

وَحَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ، يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . نَحْوَهُ . وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ . وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ .

(4344) इमाम साहब यही रिवायत अपने एक और उस्ताद से सहल बिन अबी हस्मा (ﷺ) से बयान करते हैं और इस हदीस में ये है, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे दियत अपनी तरफ़ से दी, और इस हदीस में ये नहीं है कि मुझे एक ऊँटनी ने लात मारी थी।

तख़रीजः ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4318 में देखें।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، - يَعْنِي الثَّقَفِيَّ - جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ، بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

(4345) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों की सनदों से, सहल बिन अबी हस्मा (ﷺ) की ऊपर दी गई रिवायत की हम मानी रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीजः ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4318 में देखें।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّيْنِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه

(4346) हज़रत बुशैर बिन यसार (रह.) से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन सहल बिन ज़ैद और मुहय्यिसा बिन मसऊद बिन ज़ैद अन्सारी(ﷺ), जो बनू हारसा से ताल्लुक़ रखते थे, रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में ख़ैबर की तरफ़ गये, और वहाँ के बाशिन्दों से सुलह थी, और वहाँ के बाशिन्दे यहूदी थे, तो वह दोनों ज़रूरत के तहत अलग अलग हो गये, इसके बाद अब्दुल्लाह बिन सहल (ﷺ)

وسلم وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ وَأَهْلُهَا يَهُودُ فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَوُجِدَ فِي شَرَبَةٍ مَقْتُولاً فَدَفَنَهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَشَى أَخُو الْمَقْتُولِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحَيْثُ قُتِلَ فَزَعَمَ بُشَيْرٌ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ " تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ " . أَوْ " صَاحِبَكُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَهِدْنَا وَلاَ حَضَرْنَا . فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ " فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ

क़त्ल कर दिये गये और एक पानी के हौज़ से लाश मिली, उनके साथी ने उसे दफ़न कर दिया, फिर मदीना की तरफ़ बढ़ा, तो मक़्तूल का भाई अब्दुर्रहमान बिन सहल, मुहय्यिसा और हुवय्यिसा आये और रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने अब्दुल्लाह का मामला पेश किया, और क़त्लगाह का तज़किरा भी किया, बुशैर का ख़याल है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के सहाबा में से मुझे मिलने वालों ने बताया, आप (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: 'क्या तुम पच्चास क़समें उठा कर, अपने क़ातिल के हक़दार बनना चाहते हो?' या क़ातिल की जगह साहब का लफ़्ज़ कहा, उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! न हमने देखा और न वहाँ मौजूद थे, तो बशर्ते कि ख़याल में आपने फ़रमाया: 'तो यहूद पच्चास क़समें उठाकर तुम्हें इससे (क़समें उठाने से) बरी कर देते हैं?' उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! हम काफ़िर लोगों की क़समें कैसे क़बूल करें? बुशैर का ख़याल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी दियत अपनी तरफ़ से अदा कर दी।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4318 में देखें।

फ़ायदा : हिया योमइज़िन सुल्हुन: उन दिनों उनसे मुसालिहत थी कि इसके बारे में दो नज़रियात हैं: **(1)** ख़ैबर अभी फ़तह नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ के लोगों के साथ अमन व सलामती के साथ रहने का मुआहिदा था, क्योंकि कुछ रिवायात में है, आपने यहूद को धमकी दी थी, 'अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से जंग का ऐलान सुन लो।'अगर ख़ैबर फ़तह हो चुका था, तो ऐलाने जंग की इत्तिला की ज़रूरत न थी, मुसलमान उनको वैसे ही ख़ैबर से निकाल सकते थे, जैसा कि हज़रत उमर (ﷺ) के दौर में हुआ। **(2)** दूसरा नज़रिया ये है कि ये वाक़िया फ़तहे ख़ैबर के बाद पेश आया (फ़तहुलबारी, जिल्द: 12, सफ़ा: 390, मकतबा दारूस्सलाम)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ انْطَلَقَ هُوَ وَابْنُ عَمٍّ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى قَوْلِهِ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ يَحْيَى فَحَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ بِالْمِرْبَدِ .

(4347) हज़रत बुशैर बिन यसार (रह.) से रिवायत है कि अन्सार के क़बीला बनू हारिसा का एक फ़र्द अब्दुल्लाह बिन सहल बिन ज़ैद नामी अपने चचेरे भाई जिसे मुहय्यिसा बिन मसऊद बिन ज़ैद कहा जाता था, के साथ गया, आगे लैस की पहली हदीस की तरह, यहाँ तक है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे दियत अपने पास से दी, यहया रावी बयान करते हैं, मुझे बुशैर बिन यसार ने हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (رضي الله عنه) ने बताया कि दियत में मुक़र्रर करदा ऊँटनियों में से एक ऊँटनी ने मुझे बाड़े में लात मारी।

तख़रीजः ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4318 में देखें।

फ़ायदा : ज़कात और दियत में अदा की गई ऊँटनी को फ़रीज़ा से ताबीर करते हैं, क्योंकि उनकी उम्र और तादाद मुअय्यन होती है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا بُشَيْرُ، بْنُ يَسَارٍ الأَنْصَارِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلاً . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ .

(4348) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा अन्सारी(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि उनमें से चंद अफ़राद ख़ैबर की तरफ़ गये और वहाँ बट गये, तो उन्होंने अपने में से एक को मक़्तूल पाया, आगे ऊपर दी गई हदीस है, और इसमें ये भी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके ख़ून को रायगां क़रार देना पसन्द न फ़रमाया, तो उसकी दियत में सदक़ा के सौ ऊँट दिये।

तख़रीजः ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4318 में देखें।

फ़ायदा : कुछ अहादीस से मालूम होता है कि जब औलिया ए मक़्तूल ने, सुबूत पेश करने या क़समें उठाने या यहूद की क़समें क़बूल करने से इंकार कर दिया, लेकिन यहूदीयों को इसका इल्म हुआ कि हम से क़समें ली जा सकती हैं, तो वह क़समें उठाने के लिए तैयार हो गये, और आप (ﷺ) को इसकी इत्तिला भेजी कि हम क़समें देने के लिए तैयार हैं, चूंकि वह क़समों के देने पर आमाद थे, इसलिए कुछ

रिवायात में आया है कि उन्होंने क़समें उठाईं, लेकिन चूंकि अन्सार उनकी क़समों को क़बूल करने पर आमादा न हुए, इसलिए आपने उनसे क़समें नहीं लीं, इसलिए कुछ रिवायात में आया है, यहूद ने क़समें नहीं उठाईं। इस तरह दियत का मसला है, जब यहूद से क़सम क़बूल नहीं की गई तो उनसे दियत लेने का मसला भी पसे मन्ज़र में चल गया, लेकिन यहूद को चूंकि ख़तरा था कि मक़्तूल हमारे इलाक़ा में पाया गया है, इसलिए उन्होंने अपने तौर पर कुछ ऊँट भेज दिये, और आप (ﷺ) ने भी क़बूल कर लिए और दियत की तकमील अपनी तरफ़ से की, और चूंकि मुद्दआ अलैहिम की क़सम क़बूल नहीं की गई थी, इसलिए इमाम अहमद के क़ौल के मुताबिक़ ऐसी सूरत में मक़्तूल की दियत, बैतुलमाल पर पड़ती है, इसलिए उसको बैतुलमाल से अदा कर दिया गया, चूंकि अदायगी आपके हुक्म से हुई थी, इसलिए ये कह दिया गया, कि आपने अपनी तरफ़ से दिये, और चूंकि वह ऊँट बैतुलमाल से अदा किये गये थे, इसलिए उनको सदक़ा के ऊँट क़रार दिया गया, और बक़ौल कुछ वह ऊँट सदक़ा के थे, लेकिन आपने क़ीमत अपनी तरफ़ से अदा की थी, या सदक़ा के ऊँटों से अदायगी के ऐवज़ उधार लिये थे, कि माले फ़ै से अदा कर देंगे, लेकिन बज़ाहिर इमाम अहमद का मौक़िफ़ ही सही मालूम होता है, कि मुसालिहत के लिए बैतुलमाल से अदायगी हो सकती है, चाहे वह ऊँट ज़कात वग़ैरह के ही क्यों न हो। (फ़तहुलबारी, जिल्द: 12, सफ़ा: 292)

(4349) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (رضي الله عنه) अपनी क़ौम के बुज़ुर्गों से नक़ल करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन सहल और मुहय्यिसा दोनों ख़ैबर गये, क्योंकि वह मशक़्क़त व मआश की तंगी में गिरफ़्तार थे, मुहय्यिसा ने आकर बताया, कि अब्दुल्लाह बिन सहल क़त्ल कर के एक चश्मा या गढ़ा में फैंक दिये गये हैं, (इससे पहले) वह यहूद के पास आकर ये कह चुके थे कि तुने अल्लाह की क़सम! इसे क़त्ल किया है, (क्योंकि उनके इलाक़े में क़त्ल हुए थे) उन्होंने कहा, अल्लाह की क़सम! हमने इसे क़त्ल नहीं किया है, फिर मुहय्यिसा अपनी क़ौम के पास आये और उन्हें वाक़िया बताया, फिर वह और उसका भाई हुवय्यिसा जो उससे बड़ा था, और अब्दुर्रमान बिन सहल,

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ، مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ، اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ أَوْ فَقِيرٍ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ . قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ . ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ

رसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये, मुहय्यिसा बात करने लगा, क्योंकि वही ख़ैबर में था, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहय्यिसा से फ़रमाया: 'बड़े को, बड़ाई बख़शो।' तो हुवय्यिसा ने गुफ़्तगू की, फिर मुहय्यिसा बोले, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'या तो वह तुम्हारे साथी की दियत अदा करें और या वह जंग के लिए ऐलान सुन लें।' इस सिलसिले में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको ख़त लिखा तो उन्होंने जवाब लिखा, हमने, अल्लाह की क़सम! उसे क़त्ल नहीं किया है, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुवय्यिसा, मुहय्यिसा और अ़ब्दुर्रहमान से कहा, 'क्या तुम क़समें उठाकर, अपने फ़र्द के ख़ून के हक़दार बनना चाहते हो?' उन्होंने कहा, हम क़समों के लिए तैयार नहीं, आपने फ़रमाया: 'तो तुम्हारे सामने यहूद क़समें उठायें।' उन्होंने कहा, वह तो मुसलमान नहीं हैं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी दियत अपने पास से अदा कर दी, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके पास सौ (100) ऊँटनियाँ भेजीं, जो उनके एहाता में दाख़िल कर दी गई, हज़रत सहल (رضي الله عنه) बयान करते हैं, इनमें से एक सुर्ख़ ऊँटनी ने मुझे लात मारी थी।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4318 में देखें।

مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمُحَيِّصَةَ " كَبِّرْ كَبِّرْ " . يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ " . فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ " أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ " . قَالُوا لاَ . قَالَ " فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ " . قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ . فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ . فَقَالَ سَهْلٌ فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ .

(4350) हज़रत अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान और हज़रत मैमूना (رضي الله عنها) के आज़ाद करदा गुलाम सुलैमान बिन यसार, रसूलुल्लाह (ﷺ) के एक अन्सारी सहाबी से बयान करते हैं, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दौरे

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ، حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانُ،

بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

जाहिलियत के मुताबिक़ क़सामा को बरक़रार रखा।

तख़रीज : नसाई: 4721, 4722, 4723.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ، شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ . وَزَادَ وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ.

(4351) इमाम साहब एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत नक़ल करते हैं, जिसमें ये इज़ाफ़ा है, आपने क़सामा का फ़ैसला अन्सार के एक मक़्तूल के बारे में किया, जिसका उन्होंने यहूद के ख़िलाफ़ दावा किया था।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4326 में देखें।

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَاهُ عَنْ نَاسٍ، مِنَ الأَنْصَارِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(4352) इमाम साहब एक और उस्ताद से, अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान और सुलैमान बिन यसार से बयान करते हैं, कि उन्हें अन्सारी लोगों ने बताया, आगे ऊपर दी गई रिवायत है।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4326 में देखें।

(2)
باب حُكْمِ الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ

बाब : 2
डाकूओं और मुर्तदों के अहकाम

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ هُشَيْمٍ، - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ

(4353) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि उ़रैना क़बीला के कुछ लोग मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये, (खाने पीने की कसरत से) उनके पेट ख़राब हो गये, या आब व हवा रास न आई, तो

نَاسًا، مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا " . فَفَعَلُوا فَصَحُّوا ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ فِي أَثْرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا.

रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया: 'अगर तुम चाहो, तो सदक़ा के ऊँटों के पास चले जाओ, और उनका दूध और पेशाब पीयो।' उन्होंने ऐसा किया, और तंदुरूस्त हो गये, फिर चरवाहों का रूख़ किया, और उन्हें क़त्ल कर दिया और इस्लाम से फिर गये, और रसूलुल्लाह (ﷺ) के ऊँट हाँक कर ले गये, नबी अकरम (ﷺ) को भी इसकी इत्तिला मिल गई, तो आप (ﷺ) ने उनके तआक़ुब में साथियों को भेजा, और उन्हें पकड़ लिया गया, तो आप (ﷺ) ने उनके हाथ और पाँव कटवा दिये, और उनकी आँखों में गरम सलाख़ें फिरवाईं, और उन्हें संगरेज़ों (पत्थर के टुकड़ों) पर छोड़ दिया, यहाँ तक कि वह मर गये।

फ़वाइद : (1) ग़ज़्व–ए–ज़ीक़र्द 6 हिजरी के बाद कुछ अफ़राद जो चार उ़रैना और तीन उ़कल से थे और एक और आदमी भी उनके साथ था, जो भूख की शिद्दत की बिना पर कमज़ोर और बीमार हो चुके थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर मुसलमान हो गये, और अस्हाबे सुफ़्फ़ा के साथ रहने लगे, बाद में मदीना में खा पीकर तंदुरूस्त हो गये, लेकिन चूंकि बदवी लोग थे, इसलिए बदहज़मी का शिकार हो गये (जवा पेट की बीमारी को कहते हैं) या मदीना की आब व हवा रास न आई, (इस्तीख़ाम आब व हवा की नामुवाफ़िक़त को कहते हैं) जिसकी बिना पर उनके पेट फूल गये, इसलिए आप (ﷺ) ने आब व हवा की नामुवाफ़िकत पर उन्हें मदीना से निकलने की इजाज़त मरहमत फ़रमाई, जिससे साबित होता है, आब व हवा की तब्दीली के लिए या नामुवाफ़िक़त की बिना पर इलाक़े और घर तब्दील किया जा सकता है, मदीना से बाहर तक़रीबन छः मील के फ़ासले पर ज़ी जुदर नामी जगह में सदक़ा के ऊँट चरते थे, उन्होंने दूध पीने की ख़्वाहिश का इज़हार किया, तो आपने उन्हें सदक़ा के ऊँटों के पास जाने का हुक्म दिया, और उस वक़्त आप की ऊँटनियाँ भी उधर जा रही थी, इसलिए उनके साथ उनको रवाना कर दिया, या अहले सदक़ा के मुन्तज़िम व मुतवल्ली चूंकि आप ही थे, इसलिए कुछ रिवायात में उनको आपकी तरफ़ मन्सूब कर दिया गया। **(2)** इस हदीस़ की बिना पर माकूलुल लहम हैवानात यानी जिनका गोश्त खाना जायज़ है, के बोल के बारे में अइम्मा के दरम्यान इख़्तिलाफ़ पैदा हुआ, इस हदीस़ की बिना पर इमाम मालिक, इमाम अहमद, मुहम्मद बिन अलहसन शवाफ़ेअ में से इब्ने अलमुन्ज़िर, इब्ने ख़ुज़ैमा

वग़ैरह, शअबी, अता, नख़ई, ज़ोहरी, इब्ने सीरीन, सौरी के नज़दीक माकूलुल लहम हैवानात का बोल पाक है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, शाफ़ेई, अबू यूसुफ़, अबू सौर वग़ैरहुम के नज़दीक तमाम हैवानात का बोल नापाक है, इब्ने हज़्म का मौक़िफ़ भी यही है, दाऊद, ज़ाहिरी, इब्ने उलय्या और एक क़ौल के मुताबिक़ कुछ के नज़दीक इंसानी बोल के सिवा तमाम बोल पाक हैं।
अहनाफ़ व शवाफ़ेअ ने इसकी ये तावील की है कि ये इजाज़त इलाज मुआलिजा के लिये थी, जो ज़रूरत की बिना पर दी गई, लेकिन हराम चीज़ से इलाज ख़ुद मुख़्तलफ़ फ़ीह है, इमाम अहमद के नज़दीक हराम चीज़ों से इलाज किसी सूरत में जायज़ नहीं है, क्योंकि हुज़ूर अकरम (ﷺ) का फ़रमान है, अल्लाह तआला ने जिस चीज़ को हराम ठहराया है, उसमें शिफ़ा नहीं रखी, शवाफ़ेअ के नज़दीक इस हदीस की रोशनी में नशे वाली चीज़ों के सिवा तमाम नजिस और पलीद चीज़ों से इलाज जायज़ है, बशर्ते कि ये बात यक़ीनी हो, मालकिया का मौक़िफ़ हनाबिला वाला है, शराब के पीने से जबकि पानी मयस्सर न हो, मुरदारखाने से जब ग़िज़ा मयस्सर न हो, ज़िन्दगी का बचना यक़ीनी है, लेकिन इलाज व दवा से सेहत का मिलना यक़ीनी नहीं है, इसलिए ये क़ियास मअल फ़ारिक़ है, अहनाफ़ के नज़दीक इमाम अबू हनीफ़ा का मशहूर क़ौल यही है कि हराम चीज़ से इलाज जायज़ नहीं है, इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद के नज़दीक जायज़ है, और अक्सर अहनाफ़ उलमा ने अबू यूसुफ़ के मौक़िफ़ को इस शर्त के साथ तस्लीम किया है कि मुसलमान माहिर डाक्टर ये कहते हैं, कि इस बीमारी का इलाज, इस हराम दवा के सिवा मौजूद नहीं है और ये दवा शिफ़ा बख़्श है। (तफ़्सील के लिए देखिये, तकमिला, जिल्दः 2, सफ़ाः 298 से 304) **(3)** तन्दुरूस्त होने के बाद उन लोगों ने इरतेदाद व बद अहदी करते हुए, सोलह (16) ऊँट भगा लिये और उनमें से एक को ज़बह कर डाला, जब आप(ﷺ) के ग़ुलाम यसार ने उनका तआक़ुब किया, तो उन्होंने उसके हाथ, पाँव काट डाले और उसकी ज़बान और आँखों में काँटे गाड़ दिये, यहाँ तक कि वह फ़ौत हो गये। (तब्क़ात इब्ने सअद, जिल्दः 2, सफ़ाः 93) **(4)** और बक़ौल इब्ने हजर राई यानी चरवाहा जिसे उन्होंने क़त्ल किया था, वह सिर्फ़ हज़रत यसार (رضی الله عنه) थे, आप (ﷺ) को जब इल्म हुआ तो आपने उनके तआक़ुब के लिए हज़रत कुर्ज बिन जाबिर फ़हरी की क़यादत में बीस सवारों का एक दस्ता रवाना फ़रमाया, अगले दिन उन्होंने एक औरत की रहनुमाई से खाने से फ़राग़त के बाद सब को घेर कर क़ैदी बना लिया, और उन्हें बाँध कर अपने पीछे घोड़ों पर सवार कर के मदीना मुनव्वरा ले आये, और उनके साथ वह सलूक किया, जो उन्होंने चरवाहे के साथ किया था, और उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी, हालांकि वह अपनी नमक हरामी, बदअहदी और हुस्ने सलूक के जवाब में इन्तेहाई ज़ालिमाना और सफ़्फ़ाकाना कार्यवाही की बिना पर इससे भी ज़्यादा संगीन सज़ा के मुस्तहिक़ थे, और किसी क़िस्म की रहम दिली, माफ़ी या तरस के क़ाबिल न थे, नीज़ हुदूद के इज्रा और क़ज़ा में किसी क़िस्म की नर्मी और आसानी रवा

रखना जायज़ नहीं है। (5) उन लोगों ने ज़ुल्म व सितम और बद अहदी के साथ डाका और इरतेदाद (दीन इस्लाम से फिर जाना) का इरतेकाब किया था, इसलिए इन दोनों मसलों पर रोशनी डालना ज़रूरी है।
(अ) डाका और राहज़नी, डाकू या रहज़न वह फ़र्द या अफ़राद हैं, जिनके ख़ौफ़ और डर से लोगों का रास्ते पर चलना दुश्वार हो जाये और उनसे लोगों का जान व माल महफ़ूज़ न हो, और उनको इस क़द्र क़ुव्वत व शौकत हासिल हो कि अवाम उनका मुक़ाबला करके अपना दिफ़ा न कर सकते हों, और इमाम इब्ने हज़्म के नज़दीक तो डाकू हर वह ज़ालिम इंसान है, जो लोगों को ख़ौफ़ में मुब्तला करके रास्ता रोक दे, और वह ये काम कहीं और किसी वक़्त करे, दिन को या रात को, आम रोड में, या किसी गली कूचे में, जंगल में या आबादी व शहर में, अहनाफ़ और हनाबिला के नज़दीक डाकू के पास आलाते हरब (लड़ाई का सामान) या अस्लहा का होना ज़रूरी है, और मालकिया और शवाफ़ेअ के नज़दीक, माल छीनने के लिए महज़ धमकी और क़ुव्वत व शौकत का इस्तेमाल ही सज़ा के लिए काफ़ी है, डाकूओं और राहज़नों की सज़ा का इन्हेसार, उनकी हरकात और ज़्यादती पर मौक़ूफ़ है, डाकू अगर डाकाज़नी से पहले ही पकड़ लिये जायें, अभी उन्होंने न माल लूटा और न किसी की जान ली है, तो उन्हें अहनाफ़ के यहाँ बतौर सज़ा उस वक़्त तक क़ैद में रखा जायेगा, जब तक वह इससे तौबा करके अपनी नेक चलनी का इज़हार न करें, और अगर वह चोरी के निसाब के बक़द्र माल छीन लें और क़त्ल न करें तो उनके हाथ पाँव मुख़ालिफ़ जानिबों से काट दिये जायेंगे, और अगर वह डाका ज़नी की वारदात के दौरान क़त्ल करें और माल को हाथ न लगायें, तो उन्हें क़त्ल की सज़ा दी जायेगी, जो क़िसास न होने की बिना पर औलिया ए मक़्तूल की तरफ़ से माफ़ नहीं हो सकेगी, अगर डाकू क़त्ल के साथ, माल भी छीन लें, तो अल्लामा तक़ी के बक़ौल, इमाम को इख़्तियार है, अगर चाहे तो उनके हाथ पाँव मुख़ालिफ़ जानिबों से काट कर क़त्ल कर दे या सूली पर लटका दे, या तीनों काम करे, या क़त्ल करके, सूली पर लटका दे, या सिर्फ़ क़त्ल करवा दे, या सूली पर चढ़ा दे। (तकमिला, जिल्द: 2, सफ़ा: 311)
लेकिन बक़ौल डॉक्टर तंज़ीलुर्रहमान अगर उन्होंने क़त्ल और हुसूले माल दोनों जराइम का इरतेकाब किया हो तो मुख़ालिफ़ जानिबों से उनके हाथ पाँव क़तअ करके उन्हें क़त्ल करके सूली पर चढ़ा दिया जायेगा, या उनके हाथ पाँव मुख़ालिफ़ जानिबों से काटे बग़ैर सिर्फ़ क़त्ल करके सूली पर चढ़ा दिया जायेगा, अगरचे डाकूओं की जमाअत के एक ही फ़र्द ने क़त्ल का इरतेकाब क्यों न किया हो इस्लामी क़वानीने हुदूद, क़िसास, दियत व ताज़ीरात सफ़ा: 75 शाफ़ेइयों का मौक़िफ़ अहनाफ़ वाला है, सिर्फ़ आख़री सूरत में जब उन्होंने क़त्ल और हुसूले माल दोनों जराइम का इरतेकाब किया है, तो उनके हाथ पाँव काटे बग़ैर क़त्ल करके सूली पर लटका दिया जायेगा, मालकिया, तीसरी सूरत में जब डाकूओं ने क़त्ल किया है, माल नहीं लूटा, अहनाफ़ शवाफ़ेअ के हमनवा हैं कि डाकूओं को बतौर हद क़त्ल कर दिया जायेगा, बतौर क़िसास

नहीं, इसलिए मक़्तूल के औलिया माफ़ नहीं कर सकेंगे, बाक़ी तीनों सूरतों में हाकिम को इख़्तियार होगा, उनको क़त्ल करे, या क़त्ल करके सूली पर लटका दे या उनके हाथ पाँव मुख़ालिफ़ जानिब कटवा दे, या ताज़ीर (मार पीट) के बाद उनको जला वतन कर दे। (तकमिला, जिल्द: 2, सफ़ा: 312) लेकिन डाक्टर तंजीलुर्रहमान का बयान इससे मुख़्तलिफ़ है, सफ़ा: 76 (इस्लामी क़वानीन) हनाबिला का मौक़िफ़ भी शवाफ़ेअ वाला है, सिर्फ़ पहली सूरत में, जबकि उन्होंने महज़ डराया या धमकाया है, न क़त्ल किया है और न माल छीना है, तो उन्हें किसी एक इलाक़े में टिकने नहीं दिया जायेगा।

और इन सज़ाओं का माख़ज़ सूरह मायदा की आयत 33 (इन्नमा जज़ा उल्लज़ीना ....) जिसमें (औ) के लफ़्ज़ को इमाम मालिक इख़्तियार के लिए क़रार देते हैं, और बाक़ी तीनों अइम्मा बयान व तफ़्सील के लिए कि सज़ा, बक़द्रे जुर्म होगी, और आयत में युन्फ़ौ मिनल अर्ज़ि, में नफ़ी से मुराद अक्सरियत के नज़दीक क़ैद व बंद है, और बक़ौल कुछ जला वतनी बनू उरैना और बनू उकल के लोगों का दूसरा जुर्म इरतेदाद यानी दीन से फिरना है, इस्लाम जिस तरह लोगों की जान व माल की हिफ़ाज़त करता है और जो लोग, इंसानों की जान व माल के लिए ख़तरा पैदा करते हैं, या उनकी इज़्ज़त को पामाल करते हैं, तो उनको इबरतनाक सज़ा देता है, ताकि लोगों का माल और जान महफ़ूज़ रहे, इस तरह जो इंसान, इस्लाम से मुन्किर होकर, मुसलमानों की जमाअत से अलग होकर उन्हें गुमराह करने और दीन में फ़ितना व फ़साद बरपा करने की कोशिश करता है, उसको संगीन सज़ा देता है, और उसकी सज़ा क़त्ल है, जिस पर उम्मत के फ़ुक़हा, जिनमें अइम्म-ए-अरबआ दाख़िल हैं, मुत्तफ़िक़ हैं, इसमें किसी क़िस्म का इख़्तिलाफ़ नहीं है, क्योंकि क़त्ले मुर्तद के बारे में सही अहादीस मौजूद हैं। (तफ़्सीलात के लिए देखिये, इस्लामी क़वानीन, हुदूद, क़िसास, दियत, व ताज़ीरात, डाक्टर तंजीलुर्रहमान, सफ़ा: 142 से 160)

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ، مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ، أَنَّ نَفَرًا، مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلاَمِ فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ وَسَقُمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ

(4354) हज़रत अबू क़िलाबा (रह.) हज़रत अनस (ﷺ) से बयान करते हैं कि उकल क़बीला के आठ अफ़राद रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए, और आप (ﷺ) से इस्लाम पर बैअत की, सरज़मीने मदीना की आबो हवा (वातावरण) उनके मुवाफ़िक़ न आई, और उनके जिस्म बीमार हो गये, उन्होंने इसकी शिकायत रसूलुल्लाह (ﷺ) से की, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम हमारे चरवाहे के साथ निकल कर उसके ऊँटों में क्यों नहीं

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ أَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ‏"‏ ‏.‏ فَقَالُوا بَلَى ‏.‏ فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَصَحُّوا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَطَرَدُوا الإِبِلَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسُمِرَ أَعْيُنُهُمْ ثُمَّ نُبِذُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي رِوَايَتِهِ وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ ‏.‏ وَقَالَ وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ ‏.‏

जाते, कि तुम उनके बोल और दूध पी सको।' तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, (हम जाते हैं) तो वह बाहर चले गये, ऊँटनियों का पेशाब और दूध पीया, जिससे तंदुरूस्त हो गये, तो उन्होंने चरवाहे को क़त्ल कर डाला और ऊँट भगा लिये, रसूलुल्लाह (ﷺ) को भी इसकी ख़बर मिल गई, तो आप (ﷺ) ने सहाबा को उनके तआक़ुब में भेजा, उन्हें पकड़ लिया गया, और आपके पास लाया गया, आपके हुक्म से उनके हाथ और पाँव काट दिये गये, और उनकी आँखों में गर्म सलाख़ें फेरी गईं, फिर उन्हें धूप में फैंक दिया गया, यहाँ तक वह मर गये, इब्ने सबाह की रिवायत के अल्फ़ाज़ हैं, इत्तरदुन्नअम और सुम्मिरत आयुनुहुम मानी में कोई फ़र्क़ नहीं है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 233, 3018, 4194, 4610, 6802, 6803, 6804, 6805, 6899, सुनन अबू दाऊद: 4364, 4365, 4366, नसाई: 7/93, 94, 7/94, 95, 7/95.

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ

(4355) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास उ़कल या उ़रैना के कुछ लोग आये, मदीना में वह पेट की बीमारी का शिकार हो गये, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें दूधियारी ऊँटनियों में जाने का हुक्म दिया, और उन्हें कहा, उनके पेशाब और दूध पीयें, जैसा कि ऊपर दी गई हज्जाज बिन अबी उ़स्मान की रिवायत है, और इसमें है, उनकी आँखों में गर्म सलाख़ें

يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا . بِمَعْنَى حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ . قَالَ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ.

फेरी गईं, और उन्हें संगरेज़ों पर फेंक दिया गया, वह पानी तलब करते थे, तो उन्हें पानी नहीं दिया जाता था।

तख़रीजः ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4330 में देखें।

फ़ायदा : उन लोगों को चूंकि मारना मतलूब था, क्योंकि उन्होंने चरवाहे को प्यासा रख कर मारा था, इसलिए उनके साथ वही सलूक किया गया, जो उन्होंने चरवाहे के साथ रवा रखा था।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ فَقَالَ عَنْبَسَةُ قَدْ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ إِيَّاىَ حَدَّثَ أَنَسٌ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَوْمٌ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَحَجَّاجٍ . قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ عَنْبَسَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ - قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ - فَقُلْتُ أَتَتَّهِمُنِي يَا عَنْبَسَةُ قَالَ لاَ هَكَذَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ يَا أَهْلَ الشَّامِ مَادَامَ فِيكُمْ هَذَا أَوْ مِثْلُ هَذَا.

(4356) हज़रत अबू क़िलाबा (रह.) बयान करते हैं, मैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के पीछे बैठा हुआ था, तो उन्होंने लोगों से पूछा, क़सामा के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? तो हज़रत अम्बसा (ﷺ) ने कहा, हमें हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने इस तरह हदीस़ बयान की है, अबू क़िलाबा कहते हैं, हज़रत अनस (ﷺ) ने मुझे ही हदीस़ सुनाई थी कि नबी अकरम (ﷺ) के पास कुछ लोग आये, आगे हज्जाज और अय्यूब की तरह ऊपर दी गई रिवायत बयान की, अबू क़िलाबा कहते हैं, जब मैं सारी हदीस़ सुना चुका, तो अम्बसा ने कहा, सुब्हानल्लाह, अबू क़िलाबा कहते हैं, मैंने पूछा, ऐ अम्बसा! क्या आप मुझे मुत्तहम क़रार देते हैं (कि मैंने हदीस़ पूरी तरह बयान नहीं की) अम्बसा ने कहा, नहीं हमें भी हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने इसी तरह हदीस़ सुनाई थी, और कहने लगे, अहले शाम जब तक तुममें ये अबू क़िलाबा या इस जैसे लोग रहेंगे, ख़ैर व ख़ूबी के साथ रहोगे, तुम्हें सही मालूमात हासिल होती रहेंगी।'

तख़रीजः ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4330 में देखें।

फ़ायदा : इमाम मुस्लिम ने ये हदीस़ इन्तेहाई इख़्तिसार के साथ पेश की है, और इमाम बुख़ारी, बाबुल क़सामा, किताबुद दियात में इसको तफ़्सील से लाये हैं, जिससे स़ाबित होता है कि वह क़सामा के क़ाइल नहीं थे, हालांकि हक़ीक़त ये है कि वह इससे क़िसास़ के क़ाइल नहीं थे, क्योंकि मुद्दआ अलैहि के ख़िलाफ़ सुबूत क़ाइम नहीं हो सकती, और अदमे मुशाहिदा की बिना पर क़समें उठाना भी मुश्किल है, लेकिन लौस व अदावत की बिना पर किसी मुहल्ला पर इल्ज़ाम आयद हो सकता है और उनसे बरात का मुतालबा किया जा सकता है, जिससे इंकार की सूरत में दियत ली जा सकती है, लेकिन आम तौर पर शारेहीन का ख़्याल यही है कि अबू क़िलाबा क़सामा के क़ाइल नहीं थे, उकल और उरैना के बारे में हदीस़ को उनके इरतेदाद की सज़ा क़रार देते थे, और क़त्ल सिर्फ़ तीन सूरतों में जायज़ समझते थे। (1) शादी शुदा ज़िना का मुर्तकिब हो। (2) कोई किसी को क़त्ल कर दे। (3) इस्लाम लाकर उससे इरतेदाद इख़्तियार करे, इन तीन सूरतों के सिवा किसी को क़त्ल करना दुरूस्त नहीं समझते थे।

(4357) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास उकल क़बीला के आठ अफ़राद आये, आगे ऊपर दी गई हदीस़ है, जिसमें ये इज़ाफ़ा है, आपने उनको दाग़ा नहीं।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4330 में देखें।

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، - وَهُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ الْحَرَّانِيُّ - أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ . بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ.

फ़ायदा : इन लोगों को इरतेदाद और क़िसास़ की बिना पर क़त्ल करना मक़सूद था, चोर की सज़ा की तरह सिर्फ़ हाथ काटना मतलूब नहीं था, इसलिए चोर के हाथ को तो उसकी ज़िन्दगी बचाने के लिए दाग़ा जाता है, ताकि ख़ून बंद हो जाये, लेकिन उनको दाग़ नहीं लगाया, ताकि ख़ून के बंद होने से ज़िन्दगी न बच सके।

(4358) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास उरैना के कुछ लोग आये, वह मुसलमान हो गये और आप (ﷺ) की बैअत कर ली, और मदीना में मूम

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ، بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَتَى

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ وَقَدْ وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ - وَهُوَ الْبِرْسَامُ - ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ .

यानी बिरसाम की बीमारी फैल गई, आगे ऊपर दी गई हदीस़ है, इसमें इज़ाफ़ा ये है कि आपके पास तक़रीबन बीस (20) अन्सारी नौजवान मौजूद थे, आपने उन्हें उनके पीछे भेजा, और उनके साथ, एक खोजी भी भेजा, जो उनके पाँव के निशानात का पीछा कर सके।

मुफ़रदातुल हदीस़ : बिरसाम: उस बीमारी को कहते हैं जिससे अक़्ल में बिगाड़ पैदा हो जाता है, सर और सीना पर सूजन आ जाती है, और बक़ौल कुछ लोगों के जिगर और मेअ़दा के दरम्यानी परदा पर वरम (सूजन) आ जाती हैं।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

(4359) इमाम स़ाहब अपने दो उस्तादों की सनदों से बयान करते हैं, हम्माम की हदीस़ में है, नबी अकरम (ﷺ) के पास उ़रैना का एक गिरोह आया और सईद की हदीस़ में है, उ़कल और उ़रैना के अफ़राद आये, आगे ऊपर दी गई रिवायत है।

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 4192, 572, 3064, 4090, नसाई: 304.

وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الأَعْرَجُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْيُنَ أُولَئِكَ لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ .

(4360) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है, कि आपने उन लोगों की आँखों में सलाइयाँ फेरीं, क्योंकि उन्होंने चरवाहों की आँखों में सलाइयाँ फेरी थीं।

तख़रीज : जामेअ़ तिर्मिज़ी: बाब–73, नसाई: 7/100.

(3)

باب ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ وَالْمُثَقَّلاَتِ وَقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

बाब : 3

पत्थर और उसके अलावा तेज़ धार और भारी चीज़ों से क़त्ल की सूरत में क़िसास है और औरत के बदले में मर्द को क़त्ल किया जायेगा

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا، قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ - قَالَ - فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا " أَقَتَلَكِ فُلاَنٌ " . فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ نَعَمْ . وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ حَجَرَيْنِ .

(4361) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि एक यहूदी ने चाँदी के ज़ैवरात की ख़ातिर एक लड़की को मार डाला, उसे पत्थर से मारा, उस लड़की को नबी अकरम (ﷺ) के पास लाया गया, क्योंकि अभी उसमें ज़िन्दगी के आसार थे, जान नहीं निकली थी, तो आप (ﷺ) ने उससे पूछा: क्या तुझे फ़ुलां ने क़त्ल किया है?' उसने सर के इशारे से बताया, नहीं, फिर आप (ﷺ) ने दोबारा (किसी और के बारे में) पूछा, तो उसने सर से इशारा किया, कि नहीं, फिर आपने तीसरी बार सवाल किया, तो उसने सर के इशारे से कहा, हाँ। तो आप (ﷺ) ने उसे दो पत्थरों के दरम्यान (सर रख कर) क़त्ल करवाया (क्योंकि उसने क़त्ल का ऐतराफ़ कर लिया था)

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 5295, 6877, 6879, सुनन अबू दाऊद: 4529, नसाई: 8 श 35, सुनन इब्ने माजा: 2666.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) औज़ाह, वज़हुन की जमा है, ये चाँदी के ज़ैवरात की एक क़िस्म है। (2) रमक़ुन ज़िन्दगी का आख़री हिस्सा या आख़री साँस।

फ़वाइद : (1) इस हदीस़ से मालूम होता है, फ़साद फ़ैलाने वाले लोगों पर नज़र रखनी चाहिए, और शर व फ़साद की सूरत में क़राइन की मौजूदगी की बिना पर उनसे पूछ गछ भी हो सकती है, लेकिन

इक़रारे जुर्म के बग़ैर उन्हें मुजरिम क़रार नहीं दिया जा सकता, मगर ये कि शहादत से जुर्म साबित हो जाये, और ये भी मालूम होता है, क़ाबिले फ़हम इशारा मोतबर और क़ाबिले ऐतमाद है, इस हदीस से इस्तेदलाल करते हुए, मालकिया ने ये कहा है, अगर मक़्तूल, मौत से पहले क़ातिल की निशानदेही कर दे, और उस पर ज़ख़्म के निशान मौजूद हों तो उसका ये दावा, इस बात का क़रीना और अलामत होगा, कि इसमें उस क़ातिल का दख़ल है इसलिए ये दावा क़सामा का सबब बनेगा, अगर औलिया ए मक़्तूल उस क़ातिल के ही क़ातिल होने की क़सम उठायें और क़त्ले अम्द का दावा करें, तो इससे क़िसास लिया जायेगा, लेकिन जुम्हूर के नज़दीक, महज़ मरने वाले के दावा को सुबूत क़रार नहीं दिया जा सकता, यहाँ मक़्तूला के बयान पर यहूदी को क़त्ल नहीं किया गया, बल्कि उसके क़त्ल के इक़रार व ऐतराफ़ की बिना पर क़त्ल किया गया है। (2) इस हदीस से साबित होता है कि क़ातिल जिस आला, ज़रिया और तरीक़ा से क़त्ल करे, क़िसास में उसे (उसी तरीक़ या ज़रिया से क़त्ल किया जायेगा, लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक अगर कोई शख़्स किसी सक़ील और भारी चीज़ से जानबूझ कर क़त्ल कर दे, इसमें तेज़ धार आला इस्तेमाल न करे, जैसे तलवार, तीर, ख़न्जर और छुरी, तो ये क़त्ले अम्द शुमार नहीं होगा, शिब्हे अम्द होगा, जिसमें दियते मुग़ल्लज़ा होती है, इमाम अबू हनीफ़ा, हसन, शअबी, इब्ने अल मुसय्यिब, अता और ताऊस का यही मौक़िफ़ है, लेकिन अइम्म-ए-सलासा (मालिक, शाफ़ेई, अहमद) और साहबैन के नज़दीक अगर आल-ए-क़त्ल ऐसी चीज़ है, जिससे उमूमन ज़िन्दगी ख़त्म हो सकती है, उसका तेज़ धार होना शर्त नहीं है, जैसे बड़ा पत्थर, लाठी तो ये क़त्ले अम्द है, जिस पर क़िसास लाज़िम आयेगा, नख़ई, ज़ोहरी, इब्ने सीरीन, हम्माद, अम्र बिन दीनार, इब्ने लैला और इस्हाक़ का यही क़ौल है। (अलमुग़नी, जिल्दः 11, सफ़ाः 447, अद्दुक्तूर तुर्की) लेकिन ख़्याल रहे अहनाफ़ के नज़दीक अगर क़ातिल का मक़सद व इरादा दूसरे को क़त्ल करना और उसकी जान लेना है, तो फिर उसके लिए वह कोई भी आला इस्तेमाल करे, वह तेज़ धार हो या सक़ील व भारी, तो ये क़त्ले अम्द होगा, जिसकी सज़ा, क़िसास है, शिब्हे अम्द नहीं होगा, जिसकी सज़ा भारी दियत है। (तकमिला, जिल्दः 2, सफ़ाः 336)

गोया इख़्तिलाफ़ सिर्फ़ इस सूरत में है, जब क़ातिल, क़त्ल करने का ऐतराफ़ व इक़रार न करे, तो फिर आल-ए-क़त्ल को देखा जायेगा, लेकिन आज के दौर का तक़ाज़ा यही है कि, क़त्ल में किसी क़िस्म का आला इस्तेमाल किया जाये, और क़त्ल बय्यिना (शहादत) से साबित हो जाये, उसको क़त्ले अम्द क़रार दिया जाये, जिसकी असल सज़ा क़िसास है। अल्लामा तक़ी उस्मानी ने इसको तर्जीह दी है कि आज कल जुम्हूर अइम्मा और साहबैन की राय पर अमल करना चाहिए। (तकमिला, जिल्दः 2, सफ़ाः 338) (4) जुम्हूर के नज़दीक क़िसास का तरीक़ा वही है जिसको हम ऊपर बयान कर चुके हैं

कि क़ातिल के साथ वही सलूक और रवैया इख़्तियार किया जायेगा, जो उसने इख़्तियार किया था, अगर उसने किसी को पत्थर से क़त्ल किया है, तो उसे पत्थर से क़त्ल किया जायेगा, अगर किसी को पानी में ग़रक़ किया है तो उसे पानी में डूबोया जायेगा, अगर लाठी से क़त्ल किया है, तो लाठी से क़त्ल किया जायेगा, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक, क़ातिल को सिर्फ़ तलवार से क़त्ल किया जायेगा इमाम अहमद का एक क़ौल यही है, साहबैन और सौरी का भी यही नज़रिया है।

कुछ हज़रात के नज़दीक तलवार से क़त्ल करने का मक़सद ये है कि ऐसा आल—ए—क़त्ल जिससे फ़ौरन जान निकल जाये, इसलिए अहनाफ़ के मौक़िफ़ के मुताबिक़, इसके लिए वह जदीद आलाते क़त्ल इस्तेमाल किये जा सकते हैं, जिससे इंसान की फ़ौरी तौर पर जान निकल जाये और वह तड़प तड़प कर न मरे। (तफ़सीलात के लिए देखिये, इस्लामी क़वानीन डॉक्टर तंज़ीलुर्रहमान, हिस्सा दोम, बहस क़िसास व दियत)

(4362) इमाम साहब ऊपर दी गई रिवायत अपने दो उस्तादों की सनदों से, शोबा की ऊपर दी गई सनद से बयान करते हैं, इब्ने इदरीस की हदीस में ये है, आपने उसका सर दो पत्थरों के दरम्यान कुचल डाला, कूट डाला।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4337 में देखें।

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .

मुफ़रदातुल हदीस : रज़ख़ (फ़, न), अन्नवा वल हिसा: गुठली या कंकरी को तोड़ डाला।

(4363) हज़रत अनस से रिवायत है कि एक यहूदी आदमी ने एक अन्सारी लड़की को ज़ेवर की ख़ातिर क़त्ल कर डाला, फिर उसे कूएँ में फैंक दिया, और उसका सर पत्थर से कुचल दिया, उसको पकड़ कर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लाया गया, तो आप (ﷺ) ने उसे संगसार करने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि वह मर जाये, तो उसके मरने तक उसको पत्थर मारे गये।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 4528, नसाई: 7/100—101.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ .

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(4364) इमाम सहिब एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2413, 2746, 6876, 6884, सुनन अबू दाऊद: 4527, जामेअ तिर्मिज़ी: 4756, सुनन इब्ने माजा: 2665.

وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَارِيَةً، وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ فُلاَنٌ فُلاَنٌ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ .

(4365) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि एक लड़की इस हालत में पाई गई कि उसका सर दो पत्थरों के दरम्यान कूट डाला गया था, तो लोगों ने उससे पूछा, तेरे साथ ये हरकत किसने की? फ़ुलां ने? फ़ुलां ने? यहाँ तक कि लोगों ने एक यहूदी का नाम लिया, तो उसने सर के इशारे से तस्दीक़ की, यहूदी को पकड़ लिया गया, तो उसने इक़रार कर लिया, इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस यहूदी का सर पत्थरों से कुचलने का हुक्म दिया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2413, 2746, 6876, 6884, सुनन अबू दाऊद: 4527, जामेअ तिर्मिज़ी: 4756, सुनन इब्ने माजा: 2665.

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित है, मरीज़ या क़रीब अल मौत का ऐसा इशारा जो समझ में आता हो उसके फ़हम में किसी क़िस्म का शक व इश्तेबाह न हो, वह मोतबर और क़ाबिले ऐतमाद है। अइम्म-ए-हिजाज़ का यही नज़रिया है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और स़ौरी के नज़दीक सिर्फ़ गूंगे का इशारा मोतबर है, इससे हुक्म स़ाबित होगा, मरीज़ जब तक कलाम न करे, महज़ उसके इशारे से कोई हुक्म स़ाबित नहीं होगा।

बाब : 4

कोई आदमी दूसरे इंसान की जान या उसके किसी अ़ज़्व (अंग) पर हमला करता है, और वह आगे से अपना तहफ़्फ़ुज़ व दिफ़ा करते हुए उसकी जान या उसका अ़ज़्व ज़ाया कर देता है, तो इस पर तावान नहीं है

(4)

باب الصَّائِلُ عَلَى نَفْسِ الإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ فَأَتْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ عُضْوَهَ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ

(4366) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि यअ़ला बिन मुन्या या इब्ने उमैया एक आदमी से लड़ पड़ा, तो एक ने दूसरे का हाथ दाँतों से चबा डाला, उसने उसके मुँह से अपना हाथ खींच लिया, जिससे उसका सामने वाला दाँत गिर गया, और इब्ने मुसन्ना की रिवायत है, उसके सामने के दोनों दाँत गिर गये, तो वह अपना झगड़ा नबी अकरम (ﷺ) की अ़दालत में लाये, तो आपने फ़रमाया: 'क्या तुममें से एक सांड की तरह हाथ चबाता है, इसके लिए कोई दियत नहीं है।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6892, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1416, नसाई: 8/29, सुनन इब्ने माजा: 2657.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلاً فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنِيَّتَيْهِ - فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَ دِيَةَ لَهُ " .

(4367) इमाम साहब यही रिवायत दो और उस्तादों की सनद से यअ़ला से बयान करते हैं।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2265, 2973, 4417, 4584, सुनन अबू दाऊद: 4584, नसाई: 8/31, 32, 8/32.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

फ़वाइद : (1) हज़रत यअ़ला (ﷺ) की वालिदा का नाम मुन्या है और वालिद का नाम उमैया है, और बक़ौल कुछ मुन्या, उनकी दादी का नाम है, और दूसरा आदमी जिससे झगड़ा हुआ है, वह हज़रत यअ़ला का अपना अजीर (मज़दूर) ही था, और हज़रत यअ़ला ने उसका हाथ चबाया था, लेकिन उन्होंने इस

हरकत को अपनी शान और मुक़ाम के मुनाफ़ी समझते हुए, काटने वाले की तस्रीह नहीं की, और किनाया व तारीज़ से काम लिया। (2) कुछ रिवायात में एक सनिया का ज़िक्र है, और कुछ में दो का मुमकिन है एक गिर गया हो और एक हिलने लगा हो, गिरा न हो, इसलिए जिसने उसके नुक़सान को मल्हूज़ रखा, गिरने से ताबीर कर दिया, और जिसने ये देखा, वह गिरा तो नहीं है, उसने एक के गिरने का तज़किरा किया, मज़ीद बरां वाक़िया की हर जुज़ के बारे में यक़ीनी बात करना मुश्किल होता है, इसलिए रावियों में, वाक़िआत की कुछ जुज़ियात या तफ़्सीलात में इख़्तिलाफ़ पाया जाता है, इसलिए इस इख़्तिलाफ़ का असर अस्ल वाक़िया पर नहीं पड़ता, कि उसको ही मशकूक ठहरा दिया जाये, इस बुनियाद पर उसका इंकार कर दिया जाये, वाक़िआत की तफ़्सील बयान करते वक़्त ऐन शाहिदों के दरम्यान कुछ बातों में इख़्तिलाफ़ हो जाता है। (3) जुम्हूर के नज़दीक अगर कोई इंसान हमलावर से अपना दिफ़ा करता है, और दिफ़ा की सूरत इसके सिवा मुमकिन नहीं है, कि वह हमलावर को कुछ नुक़सान पहुँचाये, जिस तरह यहाँ हाथ खींचे बग़ैर चारा नहीं था, तो ऐसी सूरत में उस पर क़िसास या दियत नहीं है, इमाम मालिक से मनक़ूल है, कि उनके नज़दीक हाथ काटने वाले को तावान अदा करना होगा, और इब्ने लैला का भी यही मौक़िफ़ है, लेकिन कुछ मालकियों ने इमाम साहब के क़ौल की तौजीह ये की है, कि ये इस सूरत में जब वह हाथ नर्मी और सहूलत के साथ, दाँत गिराये बग़ैर खींच सकता था, लेकिन उसने ज़्यादती करते हुए, जानबूझ कर उसका दाँत गिराया। (4) अइम्मा सलासा अबू हनीफ़ा, मालिक और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक अपनी जान का दिफ़ा और तहफ़्फ़ुज फ़र्ज़ है, और इमाम अहमद का एक क़ौल भी यही है, इस दौर में अगर लोग इन अइम्मा के नज़रिया के मुताबिक़ अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करना फ़र्ज़ समझ लें, तो आज कल जो दहशतगर्दी व गुण्डागर्दी हो रही है, इसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ेअ हो जाये, दिफ़ा–ए–शरई के उसूल और तफ़्सीलात के लिए अल्लामा अब्दुल क़ादिर अूदा शहीद की किताब अत्तश्रीउल जनाई अल इस्लामी क़ाबिले मुतालआ है।

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، - يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً، عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ " أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ " .

(4368) हज़रत इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी का हाथ (कलाई) काट लिया, उस शख़्स ने अपना हाथ खींच लिया, जिससे उसका सामने का दाँत गिर गया, मुक़द्दमा नबी अकरम (ﷺ) के सामने पेश किया गया, तो आप (ﷺ) ने उसे रायगां क़रार दिया और फ़रमाया: 'क्या तुम ये चाहते थे कि इसका गोश्त खा लो।'

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4342 में देखें।

(4369) हज़रत सफ़वान बिन यअ़ला (ﷺ) बयान करते हैं कि यअ़ला बिन मुन्या के अजीर का एक आदमी से हाथ (कलाई) चबाया, तो उसने उसे खींच लिया, जिससे काटने वाले का सामने का दाँत गिर गया, मुक़द्दमा नबी अकरम(ﷺ) के सामने पेश किया गया, तो आप(ﷺ) ने उसको रायगां क़रार दिया, और फ़रमाया: 'तूने चाहा उसको चबाता रहे, जिस तरह ऊँट चबाता है।'

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، أَنَّ أَجِيرًا، لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ " أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ " .

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4343 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस : तक़्ज़मु: दाँतों के अतराफ़ से चबाना।

(4370) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने दूसरे का हाथ दाँतों से चबाया, उसने अपना हाथ खींच लिया, तो उसका सामने का एक दाँत या दोनों टूट गये, (गिर गये) तो उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मदद तलब की, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू मुझे क्या मशवरा या हिदायत देता है, ये मशवरा देता है कि मैं इसे हुक्म दूँ, वह अपना हाथ तेरे मुँह में रहने देता और तू उसे काटता रहता, जिस तरह ऊँट चबाता है? अपना हाथ उसके मुँह में रख ताकि वह उसे चबाये, फिर उसको खींच लेना।'

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ، بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً، عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ ثَنَايَاهُ فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا " .

तख़रीज : नसाई: 8/28.

फ़ायदा : कोई आदमी इस बात को गवारा नहीं करता कि दूसरा आदमी उसका हाथ चबाने लगे, और वह अपना हाथ उसके मुँह में छोड़ दे कि वह उसे चबाता रहे, ये एक तबई और इंसानी फ़ितरत है, इसलिए इस पर मुवाख़िज़ा कैसे हो सकता है, इस तरह आप (ﷺ) ने वाक़िआती और नफ़्सीयाती अन्दाज़ में उसको बात समझा दी कि तेरा मुतालबा दुरूस्त नहीं है, अगर तू होता, तो तू भी अपना हाथ उसके मुँह से खींच लेता।

मुफ़रदातुल हदीस : इस्तअ़दा: नुसरत एआनत तलब की।

(4371) हज़रत यअ़ला बिन मुन्या (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) के पास एक आदमी आया, और वह एक दूसरे आदमी का हाथ चबा चुका था, उसने अपना हाथ खींच लिया था, जिसकी बिना पर (काटने वाले) के दोनों सामने के दाँत गिर गये थे तो आप (ﷺ) ने इस मामले को रायगां क़रार दिया, और फ़रमाया: 'तूने चाहा, इसका हाथ चबाते रहता, जिस तरह सांड या ऊँट चबाता है?'

तख़रीजः ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4343 में देखें।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابْنِ، مُنْيَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ - يَعْنِي الَّذِي عَضَّهُ - قَالَ فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ".

(4372) हज़रत यअ़ला बिन उमैया (ﷺ) बयान करते हैं, मैं जंगे तबूक में नबी अकरम (ﷺ) के साथ शरीक हुआ, और यअ़ला कहा करते थे, ये ग़ज़्वा मेरे नज़दीक सब अमलों में ज़्यादा वसूक़ व ऐतमाद के लायक़ है, अ़ता कहते हैं, स़फ़वान ने कहा, यअ़ला (ﷺ) ने बताया, मेरा एक अजीर (नौकर) था, उसने दूसरे इंसान से लड़ाई की, तो उसमें से एक ने दूसरे का हाथ काट लिया, (अ़ता कहते हैं, स़फ़वान ने मुझे बताया था, इनमें से किसी ने दूसरे का हाथ काट लिया था) जिसका हाथ चबाया जा रहा था, उसने काटने वाले के मुँह से अपना हाथ खींच लिया, और उसके सामने के दाँतों में से एक दाँत निकल गया, तो वह दोनों नबी अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए, आपने उसके स़निया का कोई तावान न डाला।'

तख़रीजः ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4343 में देखें।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تَبُوكَ - قَالَ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي - فَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلَى كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ - قَالَ لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الآخَرَ - فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ .

وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(4373) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीजः ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4343 में देखें।

(5)
باب إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الأَسْنَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

बाब : 5
दाँतों और उस जैसी चीज़ का क़िसास

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ " . فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلاَنَةَ وَاللَّهِ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ " . قَالَتْ لاَ وَاللَّهِ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا . قَالَ فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ " .

(4374) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं, कि रूबैअ की बहन, हारिसा की माँ ने एक इंसान को ज़ख़्मी कर डाला, तो फ़रीक़ैन मुक़द्दमा नबी अकरम (ﷺ) के पास ले आये, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़िसास, क़िसास, यानी बदला देना होगा।' तो रूबैअ की माँ कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या फ़ुलां औरत से क़िसास लिया जायेगा? अल्लाह की क़सम! उससे कभी भी क़िसास नहीं लिया जायेगा, तो नबी अकरम (ﷺ) ने (ताज्जुब व हैरत से) फ़रमाया: 'सुब्हानल्लाह! ऐ रूबैअ की माँ! अल्लाह का क़ानून क़िसास है।' उसने कहा, नहीं, अल्लाह की क़सम, उससे कभी क़िसास नहीं लिया जायेग, हज़रत अनस (ﷺ) कहते हैं, इस पर तकरार जारी रहा, यहाँ तक कि दूसरे फ़रीक़ ने दियत को क़बूल कर लिया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं, अगर वह अल्लाह के भरोसे पर क़सम उठायें, तो अल्लाह उसको पूरी कर देता है।

तख़रीज : नसाई: 4769.

फ़ायदा : (1) रूबैअ से मुराद, रूबैअ बिन्ते नज़र बिन ज़मज़म हैं, जो हज़रत अनस बिन मालिक बिन नज़र की फूफ़ी हैं, और हज़रत अनस बिन नज़र (ﷺ) की हमशीरा हैं, और हारिसा से मुराद, हारिसा बिन सुराक़ा है, जो ग़ज़्व–ए–बद्र में शहीद हो गया था, और उम्मे रूबैअ ने, जब आपने क़िसास का फ़ैसला सुनाया कि अल्लाह का क़ानून, अगर वली माफ़ न करें, तो क़िसास है, जवाबन, कहा, अल्लाह की क़सम, मुझे अल्लाह तआला पर ऐतमाद व भरोसा है, कि फ़रीक़े मुख़ालिफ़ माफ़ी या दियत पर राज़ी हो जायेगा, इसलिए अमलन क़िसास का वाक़िया पेश नहीं आयेगा, इसी बिना पर आपने आख़िर में फ़रमाया: 'अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं, अगर वह अल्लाह पर भरोसा करते हुए, अल्लाह की क़सम उठायें, तो उनकी क़सम पूरी कर देता है, इसलिए ये ऐतराज़ पैदा नहीं हो सकता, कि आप (ﷺ) के क़िसास के फ़ैसला का उम्मे रूबैअ ने इंकार किया, अगर उसने इंकार किया होता, तो आप उसकी तारीफ़ न फ़रमाते, बल्कि गुस्सा और नाराज़ी का इज़हार फ़रमाते, इसलिए हर मुतकल्लिम (बात करने वाले) के अल्फ़ाज़ के ज़ाहिरी मानी पर इसरार नहीं करना चाहिए, या किसी नेक सीरत और बा'किरदार, साहबे तक़वा के ज़ाहिरी क़ौल व फ़ेअल पर फ़ौरन, कुफ़्रिया गुनाहगार होने का फ़तवा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसका मक़सद और मुराद मालूम करने की कोशिश करना चाहिए, और उसके अहवाल व ज़ुरूफ़ को मल्हूज़ रखना चाहिए कि कहीं जज़्बाती तौर पर, फ़रह या हुज़्न की शिद्दत की बिना पर ग़ैर शऊरी तौर पर या ताबीर की कोताही की बिना पर, तो इससे ये हरकत सरज़द नहीं हो गई, क्योंकि इंसान के हर फ़ेअल व क़ौल को उसकी सीरत व किरदार और उमूमी रवैया की रोशिनी में देखना चाहिए। **(2)** इसी हदीस से ये बात साबित होती है कि मर्दों और औरतों का बाहमी क़िसास और बदला जिस तरह जान व नफ़्स में है, इस तरह अतराफ़ और अज़्ज़ा व जवारिह में भी है, जान व नफ़्स में मर्द और औरत के दरम्यान क़िसास है, इस पर अइम्म–ए–अरबआ और जुम्हूर का इत्तेफ़ाक़ है। (अलमुग़नी, जिल्द: 11, सफ़ा: 500 मसला नम्बर 1432)
अतराफ़ व अज़्ज़ा में क़िसास के बारे में इख़्तिलाफ़ है, अइम्म–ए–हिजाज़ मालिक, शाफ़ेई, और अहमद के नज़दीक यहाँ भी मर्द और औरत में क़िसास जारी होगा, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक अतराफ़ में मर्द और औरत में क़िसास नहीं है, ऐसी सूरत में दियत होगी। **(3)** सही मुस्लिम की ऊपर दी गई रिवायत से मालूम होता है, जनायत या जुर्म का इरतेकाब रूबैअ की बहन ने किया था, जबकि बुख़ारी शरीफ़ की रिवायात से मालूम होता है, ज़्यादती का इरतेकाब ख़ुद रूबैअ ने किया था, इस तरह सही मुस्लिम की रिवायत में ज़ख़्मी करने का तज़किरा है, जबकि बुख़ारी में, सनिया दाँत तोड़ने का ज़िक्र है, तीसरा इख़्तिलाफ़ ये है, सही मुस्लिम की रिवायत की रू से, क़सम रूबैअ की माँ ने उठाई है, और बुख़ारी की अक्सर रिवायात की रू से, रूबैअ के भाई, हज़रत अनस (ﷺ) के चचा, अनस बिन नज़र ने उठाई थी, इसलिए इस तआरूज़ को दूर करने में शारेहीन में इख़्तिलाफ़ है, कुछ

हज़रात का ख़्याल है, ये दो वाक़ियात हैं, एक वाक़िया में रूबैअ की बहन ने किसी इंसान को ज़ख़्मी किया था, और क़सम उसकी माँ ने उठाई, दूसरे में रूबैअ ने एक औरत का सामने का दाँत तोड़ा, और क़सम उसके भाई अनस बिन नज़र (ﷺ) ने उठाई, और कुछ हज़रात के नज़दीक वाक़िया एक ही है, ज़ख़्मी करना और दाँत तोड़ना, इसमें कोई तआरूज़ (टकराव) नहीं है, और जुर्म का इरतेकाब, अनस बिन नज़र(ﷺ) की बहन, रूबैअ ने किया था। रावी का ये वहम कि उसने उसको रूबैअ की बहन बना दिया, इसलिए इमाम बैहक़ी ने कहा है, अगर ये वाक़ियात नहीं हैं, तो फिर साबित की रिवायत में क़सम उठाने वाले हज़रत अनस बिन नज़र (ﷺ) हैं, सही बात यही है कि सही बुख़ारी की रिवायत को तर्जीह देना जो मुस्लिम की रिवायत है, दुरूस्त नहीं है, और दो वाक़ियात बनाने में भी कोई इश्काल नहीं है, क्योंकि दोनों वाक़ियात का रावी हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) है, जो इस ख़ानदान का चश्म व चराग़ है, और उससे बयान करने वाले दोनों शागिर्द साबित और हुमैद भी उनसे तवील मुलाज़मत रखने वाले हैं।

(6)
باب مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

बाब : 6
मुसलमान का ख़ून कब बहाना जायज़ है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " .

(4375) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन मसऊद)(ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमायाः 'किसी मुसलमान का ख़ून बहाना जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार करता है, सिर्फ़ तीन सूरतों में जायज़ है, शादी शुदा होकर ज़िना करे, किसी दूसरे इंसान को नाजायज़ क़त्ल करे, और इस्लाम छोड़ कर, मुसलमानों की जमाअत से अलग हो जाये।

तख़रीज : सहीह बुख़ारीः 6878, सुनन अबू दाऊदः 4302, जामेअ तिर्मिज़ीः 1402, नसाईः 7/90, 91, 8/13, सुनन इब्ने माजाः 2534.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(4376) इमाम साहब यही रिवायत अपने चार उस्तादों की तीन सनदों से, आमश ही की ऊपर दी गई रिवायत से बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4351 में देखें।

फ़ायदा : इस्लाम इंसान की पाँच चीज़ों की हिफ़ाज़त करता है, और उन तमाम चीज़ों और अफ़आल से रोकता है, जो इनमें ख़लल और फ़साद व बिगाड़ का बाइस बनें, और इनमें कुछ की हिफ़ाज़त की ख़ातिर, वह लोग जो उनकी हुरमत को पामाल करें या उनके तल्फ़ व ज़ाया का बाइस हों, उनको क़त्ल करने की सज़ा देता है, वह पाँच उसूली चीज़ें जिनकी इस्लाम ने हिफ़ाज़त की है, अगरचे उनकी हिफ़ाज़त के मुद्दई दीगर मज़ाहिब या इंसानी वज़ई क़वानीन भी हैं, लेकिन उनके अन्दर वह जामेइयत और तासीर नहीं है, जो इस्लामी क़वानीन में है। (1) दीन (2) इंसानी जान (3) माल (4) नसल यानी इंसानी इज्ज़त व नामूस (5) अक़्ल।

इस्लाम चूंकि ख़ालिक़े कायनात और ख़ालिक़े इंसान का दीन या दस्तूरे ज़िन्दगी है, इसलिए जो इंसान इसको क़बूल करता है, लेकिन फिर उसका इंकार कर देता है, या दाव–ए–इस्लाम के बावजूद इल्हाद व ज़िन्दक़ा इख़्तियार करके, ज़रूरियाते दीन जिनका इस्लामी अम्र होना क़तई और यक़ीनी है, उनका इंकार करता है, वह मुर्तद है, इस्लाम का इंकार करके (या ज़रूरियाते दीन का इंकार करके मुसलमानों के इज्मा को छोड़कर) अगर वह इस पर इसरार करता है, तो मर्द होने की सूरत में वह बिलइत्तेफ़ाक़ वाजिबुल क़त्ल है, और जुम्हूर के नज़दीक अगर वह औरत है, तब भी वाजिबुल क़त्ल है, और सही मौक़िफ़ यही है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक उसको क़ैद में डाला जायेगा, और उसको इस्लाम की तरफ़ रूजू करने पर मजबूर किया जायेगा, वह इस्लाम की तरफ़ लौट आये या फिर क़ैद में मर जाये।

इस तरह जो इंसान ज़िना का इरतेकाब करता है, वह नसले इंसानी की हुरमत को पामाल करता है, अपने और दूसरे ख़ानदान की इज्ज़त व नामूस को तबाह करता है, इसलिए अगर वह ग़ैर शादी शुदा है, तो फिर उसको सौ कौड़े लगाये जायेंगे, और एक साल के लिए जला वतन किया जायेगा, (मज़ीद तफ़्सील आगे आयेगी) और अगर शादी शुदा है, तो उसको संगसार किया जायेगा, इस पर उलमा-ए-उम्मत का इज्मा है।

इस तरह, जान की हिफ़ाज़त के लिए, क़ातिल की सज़ा, क़त्ल रखी है, ताकि कोई किसी को क़त्ल करने की जुर्अत न करे, आज मुसलमानों ने इन इस्लामी सज़ाओं को जो हुदूद हैं, और इनमें तब्दील करने का हक़, किसी शख़्स या जमाअत बल्कि पूरी उम्मत को भी हासिल नहीं है, चूंकि नज़र अन्दाज़

कर दिया है, बल्कि ऐसे नाम निहाद दानिश्वर भी मौजूद हैं, जो उनको वहशियाना सज़ायें या ज़ालिमाना सज़ायें क़रार देते हैं, इसका नतीजा है कि दहशतगर्दी, क़त्ल व ग़ारत, अग़वा, ज़िना, इल्हाद व इरतेदाद का दरवाज़ा खुला है, और उनके मुर्तकिब हर तरफ़ दनदनाते फिरते हैं, और इंसानी दीन, जान व माल और इज़्ज़त व नामूस की कोई क़द्र व क़ीमत नहीं रही है, और ये चीज़ें सरे आम नीलाम हो रही हैं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ التَّارِكُ الإِسْلاَمَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَوِ الْجَمَاعَةَ - شَكَّ فِيهِ أَحْمَدُ - وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ " . قَالَ الأَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ، إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ .

(4377) हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़िताब करते हुए फ़रमाया: 'उस ज़ात की क़सम जिसके सिवा कोई लायक़े बंदगी नहीं, जो मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत व गवाही देता है, मुझे अल्लाह का रसूल मानता है,उसको क़त्ल करना जायज़ नहीं है, मगर तीन क़िस्म के अफ़राद को, इस्लाम को छोड़ने वाला, जमाअत से यानी मुसलमानों से अलग होने वाल, शादी शुदा होकर ज़िना करने वाला, और दूसरे का क़ातिल (जान के बदले जान), इमाम आमश ने यही रिवायत इब्राहीम के वास्ते से हज़रत आयशा(ﷺ) से भी बयान की है।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4351 में देखें।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا . نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ " وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ " .

(4378) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो और उस्तादों की सनदों से बयान करते हैं, लेकिन इसमें वल्लज़ी ला इलाहा ग़ैरह (जिसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं) के अल्फ़ाज़ नहीं हैं।

तख़रीज : नसाई: 4028.

बाब : 7
क़त्ल का आग़ाज़ या तरीक़ा ईजाद करने वाले का गुनाह

(7)
باب بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ "

(4379) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (बिन मसऊद)(ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई जान ज़ुल्म व ज़्यादती से क़त्ल नहीं की जाती, मगर आदम के पहले बेटे पर उसका ख़ून बहाने का एक हिस्सा पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले क़त्ल का तरीक़ा उसी ने जारी किया था।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3335, 6867, 7321, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 2673, नसाई: 8/81, 82, सुनन इब्ने माजा: 2616.

وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ " لأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ " . لَمْ يَذْكُرَا أَوَّلَ.

(4380) इमाम साहब अपने तीन और उस्तादों की सनदों से आमश की ऊपर दी गई सनद से यही रिवायत बयान करते हैं, जरीर और ईसा बिन यूनुस की हदीस़ में ये लफ़्ज़ है, 'क्योंकि उसने क़त्ल का तरीक़ा जारी किया।' अव्वल का लफ़्ज़ नहीं है कि ये काम करने वाला पहला फ़र्द है।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4355 में देखें।

फ़ायदा : मारूफ़ व मशहूर ये है कि हज़रत आदम के बेटे क़ाबील ने अपने भाई हाबील को क़त्ल कर डाला था, अगरचे कुछ अफ़राद ने हाबील को क़ातिल ठहराया है, तौरात से अक्स़रियत के क़ौल ही की तस्दीक़ होती है। और क़ुर्आन के बयान से मालूम होता है, इसका पसे मन्ज़र महज़ हसद व एनाद है कि हाबील की क़ुर्बानी क्यों क़बूल हुई, मेरी क़ुर्बानी क्यों क़बूल नहीं हुई, इस तरह हसद और एनाद की बुनियाद पर क़त्ल की धमकी दी, वाक़िया की तफ़्सील सूरह मायदा की आयत में मौजूद है और इस हदीस़ से ये उसूल और क़ायदा साबित होता है कि अगर कोई इंसान बुरे काम का आग़ाज करता है और उसे देख कर दूसरे अफ़राद उस जुर्म व गुनाह के मुर्तकिब होते हैं तो उसको उन सब अफ़राद के जुर्म व गुनाह में से हिस्सा मिलता है, क्योंकि ये सबब या बाइस़ बना है, दूसरों को उसने ये राह दिखाई है।

बाब : 8
आख़िरत में ख़ून बहाने का बदला और क़यामत के दिन सबसे पहले लोगों के दरम्यान इसके बारे में फ़ैसला किया जायेगा

(8)
باب الْمُجَازَاةِ بِالدِّمَاءِ فِي الآخِرَةِ وَأَنَّهَا أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(4381) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन मसऊद)(ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'लोगों के दरम्यान क़यामत के दिन सबसे पहले फ़ैसला ख़ूनों के बारे में होगा।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6533, 6864, जामेअ तिर्मिज़ी: 1396, 1397, नसाई: 4003, 4004, 4005, 4007, सुनन इब्ने माजा: 2615.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ " .

(4382) इमाम साहब अपने पाँच उस्तादों की चार सनदों से, शोबा के वास्ते से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, फ़र्क़ सिर्फ़ ये है कि शोबा के कुछ तलामिज़ा ने युक़्ज़ा का लफ़्ज़ बयान किया है और कुछ ने युह्कमु (दोनों के मानी में कोई फ़र्क़ नहीं है।)

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4357 में देखें।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ، الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ " يُقْضَى " . وَبَعْضُهُمْ قَالَ " يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ".

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि हुक़ूक़े इंसानी में से सबसे संगीन जुर्म किसी इंसान का नाहक़ ख़ून बहाना है, जिसको आज मुसलमानों ने इन्तेहाई हक़ीर और मामूली समझ लिया है, इसकी संगीनी की बिना पर हुक़ूक़ुल इबाद के सिलसिले में से सबसे पहले ख़ून बहाने का मामला अल्लाह की अ़दालत में पेश होगा और हुक़ूक़ुल्लाह में, ईमान के बाद यानी अ़मलियात में से सबसे ज़्यादा अहमियत नमाज़ को हासिल है, जिसको आज तक़रीबन पच्चानवे (95) फ़ीस़द मुसलमान नज़रअंदाज़ किये हुए हैं, इसमें नाकाम, तमाम हुक़ूक़ुल्लाह में नाकाम व नामुराद तस़व्वुर होगा, इसलिए दोनों हदीस़ों में कोई तआरूज़ नहीं है।

(9)
باب تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالأَعْرَاضِ وَالأَمْوَالِ

बाब : 9
ख़ून, इज़्ज़त व नामूस और अमवाल की हुरमत बहुत शदीद है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي، بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ - ثُمَّ قَالَ - أَيُّ شَهْرٍ هَذَا " . قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ - فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ

(4370) हज़रत अबू बक्र (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़माना घूम कर अपनी उस हालत की तरफ़ आ गया है, जिस पर उस वक़्त था, जब अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फ़रमाया था, साल के बारह (12) माह हैं, जिनमें से चार मोहतरम (इज़्ज़त व एहतिराम वाले) हैं, तीन मुतवातिर हैं, ज़ुलक़ादा, ज़ुल हिज्जा, मुहर्रम और रजब मुज़रीयों का महीना जो जमादी स़ानी और शअ़बान के दरम्यान में आता है।' फिर आपने फ़रमाया: 'ये कौन सा माह है?' हमने अ़र्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं तो आप (ﷺ) ख़ामोश हो गये यहाँ तक कि हमने ख़याल किया, आप इस माह का कोई और नाम रखेंगे, आपने फ़रमाया: 'क्या ज़ुलहिज्जा नहीं है?' हमने कहा, क्यों नहीं, आपने पूछा, 'तो ये कौन सा

शहर है?' हमने अर्ज़ क्या, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं तो आपने सुकूत (खामूशी) इख़्तियार किया यहाँ तक कि हमने ख़्याल किया, आप उसका कोई और नाम रखेंगे, आपने फ़रमाया: 'क्या ये अल बलदा (मक्का मुकर्रमा) नहीं है?' हमने कहा, क्यों नहीं! वही है, आपने पूछा, 'तो ये कौनसा दिन है?' हमने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ख़ूब जानते हैं, आप ख़ामोश हो गये यहाँ तक कि हमने गुमान किया कि आप इसका नाम कोई और रखेंगे, आपने फ़रमाया: 'क्या ये कुर्बानी का दिन नहीं है?' हमने कहा, जी हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 'तुम्हारी इज़्ज़तें, तुम्हारे लिए मोहतरम हैं, जिस तरह तुम्हारा ये दिन, तुम्हारे इस शहर में, तुम्हारे इस माह में मोहतरम है और तुम यक़ीनन अपने रब से मिलोगे, वह तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा तो मेरे बाद तुम काफ़िर या गुमराह न हो जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगे, ख़बरदार! मौजूद, ग़ैर मौजूद तक पैग़ाम पहुँचा दे, हो सकता है, जिनको बात पहुँचाई जाये, उनमें से कुछ सुनने वालों में से उसको ज़्यादा याद रखे, फिर आपने फ़रमाया: 'ख़बरदार! क्या मैंने पैग़ाम पहुँचा दिया? इब्ने हबीब ने अपनी रिवायत में रजब मुज़र कहा है और अबू बक्र की रिवायत में है, फ़ला तर्जिऊ, जबकि इब्ने हबीब की रिवायत में फला तर्जिउन्ना है, दोनों का मानी एक ही है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 1741, 3197, 4406, 4662, 5550, 7078, 7447.

اسْمِهِ . قَالَ " أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ " . قُلْنَا بَلَى . قَالَ " فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا " .. قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ - فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ . قَالَ " أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ " . قُلْنَا بَلَى . قَالَ " فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا " . قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ - فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ . قَالَ " أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ " . قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَلاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا - أَوْ ضُلاَّلاً - يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ " . ثُمَّ قَالَ " أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ " . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي رِوَايَتِهِ " وَرَجَبُ مُضَرَ " . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ " فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي " .

फ़वाइद : (1) अरबों में क़दीम दौर से ये मामूल चला आ रहा था कि वह साल के बारह महीनों में से चार माह, ज़ुलक़अदा, ज़ुल हिज्जा, मुहर्रम और रजब, मोहतरम महीने तसव्वुर करते थे, इन महीनों में लोग जंग व जदाल और ख़ूनरेज़ी से बिल्कुल परहेज़ करते थे यहाँ तक कि इन महीनों में उनके बाप का क़ातिल भी सामने आ जाता तो उससे छेड़ छाड़ न करते थे, इन महीनों में चूंकि ज़ुलहिज्जा के महीना में हज का इज्तेमाअ होता था, जिसकी तैयारी और एहतिमाम के लिए ज़ुलक़अदा में ही जंग व जदल से बैठे रहते थे और फिर इस इज्तिमाअे हज से वह लोग तिजारती और सक़ाफ़ती फ़ायदे भी उठाते थे, बड़े पैमाने पर तिजारती मामलात होते और अदबी महफ़िलें जमतीं, इसलिए हज से वापसी के बाद मुहर्रम का महीना भी अमन व सुकून से गुज़ारते और अल्लाह तआला ने लोगों के फ़वाइद और मुनाफ़े के लिए आसमान व ज़मीन की तख़्लीक़ के वक़्त से ही साल का आग़ाज़ व इख़्तिताम हुरमत वाले महीनों से किया और एक मोहतरम महीना साल के दरम्यान में भी रखा और बक़ौल अल्लामा अब्दुल क़ुद्दूस हाशमी, अरब में ज़माना यादगार से क़मरी साल राइज था और महीनों के नाम भी यही थे, मुहर्रम, सफ़र, वग़ैरह और दुनिया की तक़रीबन हर ज़बान में महीना के लिए जो लफ़्ज़ है, वह इस ज़बान में चाँद के लफ़्ज़ से मुश्तक़ है, जैसे माह, महीना, मास, मून और मन्थ वग़ैरह, जो इस बात की दलील है कि लोग आग़ाज़ में महीनों का शुमार चाँद ही से करते थे और यही फ़ितरी और इलाही तक़वीम है, क्योंकि साल में बारह मर्तबा चाँद का उरूज व ज़वाल होता है कि चाँद, उन्तीस (29) दिन या तीस (30) दिनों के बाद बारीक सा दिखाई देता है और फिर उसके बाद हर रोज़ बढ़ता रहता है और जब चाँद पूरा रोशन हो जाता है तो फिर रोज़ बरोज़ घटना शुरू हो जाता है और आख़िर में एक दो दिन के लिए गुम हो जाता है और फिर दो या तीन दिन के बाद बारीक सा नमूदार हो जाता है, इस तरह नया महीना मालूम करने के लिए न किसी फ़लकयाती हिसाब की ज़रूरत पड़ती है और न किसी रसदगाह की, इसके बाद जब इंसानों ने बड़े बड़े इबादत ख़ाने बनाये, वहाँ पुरोहित मुक़र्रर किये और उन पुरोहितों और मुजाविरों को नज़राने पेश किये जाने लगे, सालाना मज़हबी मेले होने लगे और पुरोहितों ने लोगों पर ये पाबन्दी आयद कर दी कि वह अपनी ज़रई पैदावार का एक हिस्सा उनकी नज़र करें और सूमआत, कलीसाओं और बुत ख़ानों पर चढ़ावे चढ़ायें तो आहिस्ता आहिस्ता महसूस हुआ, जिन क़मरी महीनों में फ़सल तैयार होती थी, अब तीन चार साल के बाद उन ही क़मरी तारीख़ों में फ़सल तैयार नहीं हो रही, बल्कि उनकी तैयारी में एक माह की ताख़ीर हो गई है, इसलिए हाजियों ने क़मरी तारीख़ों में सोन्दा और कबसा का तरीक़ा राइज किया और शम्सी साल और क़मरी साल को बराबर कर दिया, इसके लिए वह हर साल ग्यारह दिन का इज़ाफ़ा करते या तीन साल बाद एक माह बढ़ा देते, रसूलुल्लाह (ﷺ) की आमद से तक़रीबन सवा तीन सौ साल पहले अरब लोग बुत परस्ती से

आश्ना हुए और ये मर्ज़ तमाम दीगर ख़राबियों के साथ अरब के घर घर में फैल गया तो अब हज एक बुत परस्ती का मेला बन गया, बैतुल्लाह में तमाम क़बाइल के बुत रख दिये गये, और इसमें तरह तरह की रूसूमात का रिवाज बढ़ गया, क़मरी महीने मौसमों का साथ नहीं देते थे, जब उन्होंने देखा, हज का वक़्त साल के तमाम मौसमों में गर्दिश करता है, कभी गर्मी में आता है और कभी सर्दी में, कभी मौसमे ख़रीफ़ में और कभी मौसमे बहार में और इन तमाम मौसमों में उनकी फ़सलें तैयार होती हैं और न जानवरों के बच्चे ख़रीद व फ़रोख़्त के लिए तैयार होते हैं, इसलिए उन्होंने यहूदीयों से कबीसा या लूंद का तरीक़ा सीख कर राइज कर लिया, ताकि उनका तिजारती कारोबार मुतास्सिर न हो, ज़ाहिर है इससे हज मुतास्सिर हुआ और वह साल के मुख़्तलिफ़ महीनों में गर्दिश करने लगा, कभी ज़ुलहिज्जा में आता, फिर मुहर्रम में, फिर सफ़र में, इस तरह तैंतीस (33) साल बाद फिर वह ज़ुलहिज्जा में आ जाता, ये तरीक़ा हज्जतुल विदा तक जारी रहा, इस साल गर्दिश या दौरा के बाद दोबारा हज हक़ीक़ी ज़ुलहिज्जा की 9 तारीख़ को जुमा के दिन हुआ और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ऐलान फ़रमाया, अब ज़माना फिर सही वक़्त पर आ गया है, आइन्दा से कबीसा नहीं होगा, अरब चार महीनों को हुरमत वाले क़रार देते थे, जब हज के महीने बदल दिये गये तो लाज़िमन हुरमत के ये चार महीने भी मुतास्सिर हुए और इनमें भी तब्दीली की ज़रूरत पेश आती ताकि हज अमन के साथ हुरमत के महीनों में हो सके, कुछ मुफ़स्सिरीन ने कुर्आन मजीद के लफ़्ज़ (इन्नमन्नसीउ ज़्यादतुन फ़िल कुफ़्र) का मफ़हूम यही लिया है और ये सही मालूम होता है, क्योंकि इस सूरत में हज के महीने मुतास्सिर होते थे, लेकिन कुछ हज़रात ने एक दूसरा मानी मुराद लिया है कि अरब लोगों का पेशा चूंकि जंग व जिदाल और क़त्ल व ग़ारत था और उनके लिए तीन माह मुसलसल क़त्ल व ग़ारत से बाज़ रहना बड़ा मुश्किल था, इसलिए बनू कनाना का सरदार हर साल मिना के दिनों में ये ऐलान कर देता, इस साल हमने मुहर्रम की बजाये सफ़र को मोहतरम क़रार दिया है और मुहर्रम, हलाल माह शुमार होगा, जिसमें क़त्ल व ग़ारत की पाबन्दी नहीं, अगले साल फिर मुहर्रम को मोहतरम माह क़रार देता, इस तरह ये तक़दीम व ताख़ीर मुहरम और सफ़र के महीनों में होती, ज़ाहिर है इससे हज मुतास्सिर नहीं होता था, इसलिए इस हदीस़ को इस पर महमूल करना मुमकिन नहीं है, अल्लामा तक़ी ने दो और सूरतें भी बयान की हैं, जो दिल को लगती नहीं हैं। (तफ़्सील के लिए देखिये, तक़्वीमे तारीख़ी, अब्दुल क़ुद्दूस हाशमी का मुक़द्दमा माह व साल की दास्तान और तक्मिला अज़ तक़ी उस्मानी, जिल्द: 2, सफ़ा: 361 से 364)

(2) रजब की निस्बत मुज़र की तरफ़ इसलिए की गई है क्योंकि वह इसकी बहुत ज़्यादा ताज़ीम करते थे नीज़ जमादी व शअ़बान के दरम्यान होने की क़ैद इसलिए लगाई ताकि पता चल सके कि मोहतरम महीना मुज़र वाला रजब है, रबीआ वाला रमज़ान नहीं है, क्योंकि क़बील-ए-रबीआ के लोग मुज़र के

मुक़ाबले में रमज़ान को हुरमत वाला महीना क़रार देते थे। (3) हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने तीन सवाल किये थे और बाद में जवाब बयान करने के बाद कुछ तवक़्क़ुफ़ और सुकूत इख़्तियार फ़रमाया था, ताकि लोग पूरी तरह मुतवज्जा होकर एहतिमाम से जवाब सुनें, फिर कुछ लोगों ने इन सवालों का जवाब भी दिया, लेकिन अक्सरियत ने अदब व एहतिराम को मल्हूज़ रखते हुए और ये समझ कर इन तीनों बातों का जवाब तो मारूफ़ व मशहूर है, हर कोई जानता है, कोई ख़ास सबब या वजह नहीं है कि आप इन मारूफ़ चीज़ों के बारे में सवाल कर रहे हैं, ये जवाब दिया अल्लाह और उसके रसूल को ही बेहतर इल्म है। (4) इस माह, शहर मक्का और इस दिन की हुरमत व ताज़ीम उनके यहाँ एक मुसल्लमा हक़ीक़त थी, जो उनके दिलों में जागुज़ीं थी लेकिन इंसानी जान, माल और इज़्ज़त व नामूस की हुरमत और एहतिराम उनके दिलों में पुख़्ता नहीं था, इसलिए मुसल्लमा हक़ीक़त से तश्बीह देकर उनकी हुरमत व एहतिराम को उन पर वाज़ेह फ़रमाया और काफ़िर व गुमराह न होना का मफ़हूम व मानी किताबुल ईमान में गुज़र चुका है। (5) **यकूनु औआ लहू:** वइया का मानी हिफ़्ज़ व फ़हम और क़बूल करना है, इससे साबित होता है, दीन की तब्लीग़ और नश्रो इशाअत ज़रूरी है और बसा औक़ात तलामिज़ा, हिफ़्ज़ व फ़हम और क़बूलियत व अमल में उस्ताद से बढ़ जाते हैं।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَخَذَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ فَقَالَ " أَتَدْرُونَ أَىَّ يَوْمٍ هَذَا " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ . فَقَالَ " أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ " . قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَأَىُّ شَهْرٍ هَذَا " . قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ " . قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَأَىُّ بَلَدٍ

(4384) हज़रत अबू बक्रा (रज़ि.) बयान करते हैं, जब वह दिन (क़ुर्बानी का दिन) आया, आप अपने ऊँट पर बैठ गये, और एक इंसान ने उसकी नकेल पकड़ ली तो आप (ﷺ) ने पूछा, 'क्या तुम जानते हो ये कौन सा दिन है?' लोगों ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं यहाँ तक कि हमने ये ख़याल किया, आप इस दिन का नाम, इसके नाम के अलावा रखेंगे तो आपने फ़रमाया: 'क्या क़ुर्बानी का दिन नहीं है?' हमने कहा, ज़रूर, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने पूछा, 'तो ये महीना कौन सा है?' हमने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, आपने फ़रमाया: 'क्या ज़ुलहिज्जा नहीं है?' हमने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने पूछा, 'तो ये

हَذَا " . قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ - حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ . قَالَ " أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ " . قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ " . قَالَ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا .

कौन सा शहर है?' यहाँ तक कि हमने ख़याल किया, आप इसका कोई और नाम रखेंगे, आपने फ़रमायाः 'क्या अल बलदा (मक्का) नहीं है?' हमने कहा, जी हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमायाः 'तो तुम्हारे ख़ून, माल और इज़्ज़तें तुम पर हराम हैं, जिस तरह ये दिन, तुम्हारे इस माह में, तुम्हारे इस शहर में हराम है तो मौजूद, ग़ैर मौजूद तक पहुँचा दे।' रावी कहते हैं, फिर आप दो सुरमई मेंढों की तरफ़ पलटे और उन्हें ज़बह किया और बकरियों के एक गल्ले (गिरोह) की तरफ़ पलटे और उन्हें हमारे दरम्यान तक़सीम फ़रमाया।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4359, जामेअ तिर्मिज़ी: 1520, नसाई: 4401.

फ़ायदा : सुम्मा इन्कफ़आ: से आख़िर तक का जुम्ला रावी का वहम है, इसका ताल्लुक़ ख़ुत्ब–ए ईदुल अज़्हा से है, जिसको रावी ने ख़ुत्ब–ए–हज से मिला दिया है, इसलिए इमाम बुख़ारी ने ये टुकड़ा हज़फ़ कर दिया है, इब्ने औन की हदीस़ में ये जुम्ला मौजूद है, लेकिन आगे कुर्रा की रिवायत में मौजूद नहीं है और इस हदीस़ से ये भी स़ाबित होता है कि अशहुरे हुरूम की हुरमत अब भी बरक़रार है, इसलिए इसमें जंग का आग़ाज करना या बाहमी क़त्ल व क़िताल करना जायज़ नहीं है, हाँ अगर दुशमन हमलावर हो तो दिफ़ा में जंग करना दुरूस्त है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ جَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعِيرٍ - قَالَ - وَرَجُلٌ آخِذٌ بِزِمَامِهِ - أَوْ قَالَ بِخِطَامِهِ - فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ .

(4385) इमाम स़ाहब एक दूसरे उस्ताद से, इब्ने औन ही की सनद से बयान करते हैं कि जब वह दिन आया, नबी अकरम (ﷺ) एक ऊँट पर बैठे, और एक आदमी ने महार या ने नकेल पकड़ी हुई थी, आगे पर दी गई रिवायत है।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4360 में देखें।

(4386) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों की सनद से क़ुर्रा बिन ख़ालिद के वास्ते से मुहम्मद बिन सीरीन से अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी बक्रा और बक़ौल इब्ने सीरीन अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र से एक दूसरा बेहतर आदमी हुमैद बिन अ़ब्दुर्रहमान, दोनों हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें क़ुर्बानी के दिन ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया और पूछा, 'ये कौन सा दिन है?' आगे इब्ने औ़न की रिवायत की तरह हदीस़ बयान की, लेकिन अ़राज़कुम (तुम्हारी) इज़्ज़तें और सुम्मा इन्कफ़ा इला कब्शैन से आख़िर तक के अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये और इस हदीस़ में ये है, जिस तरह तुम्हारा ये दिन, तुम्हारे इस माह में, तुम्हारे इस शहर में मोहतरम हैं, उस दिन तक जब तुम अपने रब से मिलोगे, क्या मैंने पहुँचा दिया?' सहाबा(ﷺ) ने कहा, जी हाँ, आप (ﷺ) ने कहा, 'ऐ अल्लाह! गवाह हो जा।'

तख़रीजः ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4359 में देखें।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، آخَرَ هُوَ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا قُرَّةُ بِإِسْنَادِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ - وَسَمَّى الرَّجُلَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ " أَىُّ يَوْمٍ هَذَا " . وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَذْكُرُ " وَأَعْرَاضَكُمْ " . وَلاَ يَذْكُرُ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ وَمَا بَعْدَهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ " كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ " اللَّهُمَّ اشْهَدْ " .

बाब : 10

क़त्ल का इक़रार करना सही है और मक़्तूल के वारिस को क़िसास का हक़ (मौक़ा) दिया जायेगा और उससे अफ़्वो दरगुज़र की दरख़्वास्त करना पसन्दीदा अमल है

(10)

باب صِحَّةِ الإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقِصَاصِ وَاسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْعَفْوِ مِنْهُ

(4370) अल्क़मा बिन वाइल अपने बाप से बयान करते हैं कि मैं नबी अकरम (ﷺ) के साथ बैठा हुआ था कि एक आदमी दूसरे आदमी को एक तस्मा से खींचते हुए लाया और कहने लगा,ऐ अल्लाह के रसूल! इसने मेरे भाई को क़त्ल कर डाला है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा: 'क्या तूने उसे क़त्ल किया है?' तो पहले आदमी ने कहा अगर ये ऐतराफ़ नहीं करेगा तो मैं इसके ख़िलाफ़ शहादत पेश करूंगा, क़ातिल ने कहा, जी हाँ मैंने उसे क़त्ल किया है, आप (ﷺ) ने पूछा: 'तूने उसे कैसे क़त्ल किया है?' उसने कहा, मैं और वह एक दरख़्त से पत्ते झाड़ रहे थे तो उसने मुझे गाली देकर ग़ज़बनाक कर दिया, (ग़ुस्से में आकर) मैंने उसके सर पर कुल्हाड़ी मार दी और उसे क़त्ल कर डाला तो आपने उससे पूछा: 'क्या तेरे पास अपनी जान बचाने के लिए कुछ देने के लिए मौजूद है?' उसने कहा, मेरे पास मेरी लूई और कुल्हाड़ी के सिवा कुछ नहीं है। आपने फ़रमाया: 'क्या तेरी क़ौम तेरा फ़िद्या देने के लिए तैयार हो जायेगी?' उसने

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ، حَرْبٍ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَتَلَ أَخِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَقَتَلْتَهُ " . فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ . قَالَ نَعَمْ . قَتَلْتُهُ قَالَ " كَيْفَ قَتَلْتَهُ " . قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " هَلْ لَكَ مِنْ شَىْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ " . قَالَ مَا لِي مَالٌ إِلاَّ كِسَائِي وَفَأْسِي . قَالَ " فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ " . قَالَ أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ

ذَاكَ . فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ . وَقَالَ " دُونَكَ صَاحِبَكَ " . فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ " . فَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ " . وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ " . قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ - لَعَلَّهُ قَالَ - بَلَى . قَالَ " فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ " . قَالَ فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ .

कहा, मेरी क़ौम में मेरी इतनी इज़्ज़त व मुक़ाम नहीं है तो आपने उसका तस्मा मक़्तूल के वारिस़ की तरफ़ फैंक दिया और फ़रमाया: 'अपने मुजरिम को ले लो।' तो वह आदमी उसे लेकर चल पड़ा जब वह पुश्त फेर कर चल दिया तो आपने फ़रमाया: 'अगर उसने उसे क़त्ल कर दिया तो ये भी इस जैसा होगा।' वारिस़ वापस लौट आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे ख़बर मिली है कि आपने फ़रमाया है, 'अगर इसने क़त्ल कर दिया तो ये भी इस जैसा है।' हालांकि मैंने उसे आपके हुक्म पर पकड़ा है तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि ये तेरा और तेरे साथी का गुनाह उठाये?' ते उसने उसका तस्मा फैंक दिया और उसे आज़ाद कर दिया।

तख़रीज: जामेअ तिर्मिज़ी: 4499,4500,4501, 4738,4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 5430.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) निस्अतुन: चमड़े का तस्मा। **(2) नख़्तबितु:** हम केकर के पत्ते झाड़ रहे थे। **(3) क़रनि:** सर का किनारा या सर की चोटी। **(4) बाआ बिइस्मिही:** उसका गुनाह उठाया या उसका गुनाह लेकर लौटा।

फ़ायदा : इन क़तलहू फ़हुवा मिस्लुहू: यानी अगर मक़्तूल के वारिस़ ने क़ातिल को क़त्ल कर दिया तो उसने उससे अपना हक़ वसूल कर लिया, उसने इस पर कोई बरतरी और माफ़ कर के फ़ज़्ल व एहसान का दर्जा न पाया, अगर माफ़ कर देगा तो दुनिया में क़ाबिले तारीफ़ और आख़िरत में अज्रे जज़ील का हक़दार होगा, लेकिन आपने ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये हैं, जिनका मानी ये भी हो सकता है, दोनों बराबर हैं,दोनों ने ग़लत काम किया है, क्योंकि आपका अस़ल मक़सूद ये था कि क़ातिल ने गुस़्से में आकर जज़्बात की रौ में बह कर कुल्हाड़ी मार दी, क़त्ल करना मक़स़द न था तो गोया क़ातिल को क़त्ल करना मौजूदा सूरत में उसकी तरह जज़्बात की रौ में बहना और अपना गुस़्सा निकालना है।

अय्यबूआ बिइस्मिक व इस्मि साहिबिक: यानी अगर तुम माफ़ कर दोगे तो तुम्हारा ये फ़ेअल (अमल) तुम्हारे लिये और तुम्हारे मक़्तूल भाई के लिए कफ़्फ़ारा साबित होगा, तुम्हारे मआसी माफ़ हो जायेंगे या क़ातिल तुम्हारे भाई के क़त्ल के सबब और तुम्हें उसको क़त्ल करके अज़ियत व तक्लीफ़ में मुब्तला करके गुनाह का हक़दार हो गया है, अगर उसे क़त्ल कर दोगे तो ये चीज़ उसके गुनाह का कफ़्फ़ारा बन जायेगी और तुम्हें कोई अज्र व स़वाब हासिल नहीं होगा, इस हदीस़ से स़ाबित होता है, अगर क़ातिल, क़त्ल का ऐतराफ़ व इक़रार करे तो फिर शहादत क़ाइम करने की ज़रूरत नहीं है और अहनाफ़ और मालकिया के नज़दीक क़त्ले अम्द की सूरत में अस़ल सज़ा, क़िस़ास़ है, दियत सिर्फ़ इस सूरत में है जब क़ातिल दियत देने पर रज़ामंद हो, लेकिन शवाफ़ेअ और हनाबिला के नज़दीक क़िस़ास़ या दियत लेने का इख़्तियार वारिसे मक़्तूल को हासिल है, अगर वह दियत को लेना पसन्द करे तो क़ाज़ी क़ातिल को दियत की अदायगी पर मजबूर करेगा, नसाई की तफ़्सीली रिवायत में है कि आपने वारिस़ से पूछा था, उसको माफ़ करते हो, उसने कहा, नहीं, फ़रमाया: दियत के लिए आमादा हो, उसने कहा: नहीं, तब आपने पूछा: क़िस़ास़ लेना चाहते हो, उसने कहा, हाँ इस तरह दूसरी अहादीस़ से स़ाबित होता है, अस़ल इख़्तियार वारिस़ को हासिल है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें क़ातिल से भी पूछा जायेगा, अगर उसके पास दियत देने का इन्तेज़ाम न हो या किसी सबब से वह ऐसा न करना चाहे तो फिर जब्र करना तो मुश्किल है और इस हदीस़ से ये भी स़ाबित होता है कि माफ़ करना और क़िस़ास़ लेने से दरगुज़र करना बेहतर और अफ़ज़ल है।

(4388) हज़रत वाइल (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक ऐसा आदमी लाया गया, जिसने दूसरे आदमी को क़त्ल कर डाला था तो आप (ﷺ) ने मक़्तूल के वली को उससे क़िस़ास़ लेने का हुक्म दे दिया, वह उसे लेकर चला और क़ातिल की गर्दन में एक तस्मा था, जिससे वह उसे खींच रहा था, जब वारिस़ ने पुश्त फेर ली, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़ातिल और मक़्तूल दोनों दोज़ख़ में होंगे।' तो एक आदमी ने आकर वारिस़ आदमी को रसूलुल्लाह(ﷺ) की बात बताई तो उसने उसको छोड़ दिया, इस्माईल बिन सालिम (रह.) बयान करते हैं

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " . فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَلَّى عَنْهُ . قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ

بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى .

मैंने ये हदीस़ हबीब बिन अबी स़ाबित को बताई तो उसने कहा, मुझे इब्ने अश्वअ ने बताया कि नबी अकरम (ﷺ) ने वली मक़्तूल से माफ़ करने की सिफ़ारिश की थी और उसने इंकार कर दिया था।

तख़रीजः ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4363 में देखें।

फ़ायदा : आप (ﷺ) ने क़ातिल और मक़्तूल दोनों को दोज़ख़ी क़रार दिया, ये आप (ﷺ) ने बात उमूमी अन्दाज़ में फ़रमाई थी, क्योंकि आम तौर पर दोनों फ़रीक़ एक दूसरे के क़त्ल के दर पे होते हैं और दोनों उसके लिए, एक दूसरे पर वार करते हैं, लेकिन एक कामयाब हो जाता है और दूसरा अपने अ़ज़्म व क़सद में नाकाम रहता है, इसलिए दोनों अपने मक़सद और अ़ज़्म की बिना पर, सज़ा के मुस्तहिक़ ठहरते हैं, आपने ये बात उमूमी अन्दाज़ में तारीज़ व किनाया के तौर पर फ़रमाई थी ताकि वह माफ़ करने पर जिसके लिए वह तैयार नहीं था, आमादा हो जाये और ऐसे ही हुआ, उसने आप(ﷺ) की बात सुन कर क़ातिल को छोड़ दिया और इन अल्फ़ाज़ का मक़सद भी वही है, इन क़तलहू फ़हुवा मिस्लुहू, लेकिन रावी ने, रिवायत बिल मानी की बिना पर इसको यूँ ताबीर कर दिया है और ये भी मुमकिन है, जैसा कि ऊपर की रिवायत में गुज़रा है, क़ातिल को तो अपने गुनाह के सबब दोज़ख़ में जाना था और वली को अपने गुनाहों की सज़ा में, लेकिन माफ़ करने की सूरत में वली के गुनाह, इस मानी की बिना पर माफ़ हो जाते, इसलिए वह दोज़ख़ से बच जाता, इसलिए आप उसको मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से माफ़ी की तर्ग़ीब दे रहे थे और आख़िरकार वह माफ़ करने के लिए तैयार हो गया और उसने माफ़ कर दिया।

(11)باب دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي

बाब : 11
जनीन की दियत और क़त्ले ख़ता और क़त्ले शिब्हे अ़म्द की दियत मुजरिम की आ़क़िला पर है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ .

(4389) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि हुज़ैल की दो औ़रतें आपस में लड़ पड़ीं और एक ने दूसरी को मारा, जिससे उसके पेट का बच्चा मुर्दा पैदा हुआ तो नबी अकरम(ﷺ) ने, इसमें एक गुलाम या लौण्डी देने का फ़ैसला दिया।

तख़रीजःसहीह बुख़ारीः 5759, 6904, नसाईः 8/48.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) जनीनः वह बच्चा जो पेट में है, क्योंकि वह ओझल होता है, अगर ज़िन्दा पैदा हुआ तो उसको वलद कहते हैं और मुर्दा पैदा हुआ तो सिक़्ता कहलाता है और उसको जनीन भी कह देते हैं, बशर्ते कि वह बच्चा बन चुका हो। **(2) ग़ुर्राः** पेशानी की सफ़ेदी को कहते हैं, इसलिए इसका इतलाक़ आला और उम्दा चीज़ पर हो जाता है, लेकिन इस हदीस़ से मुराद ग़ुलाम या लौण्डी है।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا .

(4390) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनू लिह्यान की एक औरत के जनीन का तावान जो मुर्दा पैदा हुआ था, एक ग़ुर्रा यानी ग़ुलाम या लौण्डी ठहराया था, फिर वह औरत जिसके ख़िलाफ़ आप (ﷺ) ने ग़ुर्रा का हुक्म दिया था, फ़ौत हो गई तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ये फ़ैसला फ़रमाया कि उसकी विरास़त उसकी औलाद और उसके ख़ाविन्द को मिलेगी और दियत उसके अस्बात अदा करेंगे।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6740, 6909, सुनन अबू दाऊद: 4588, नसाई: 8/47, 48.

फ़ायदा : ये लड़ने वाली दोनों औरतें, बनू हुज़ैल के दो ख़ानदानों की थीं और आपस में सौकनें थीं, हमल बिन नाबिग़ा की बीवियाँ थीं, एक ने दूसरे के पेट पर पत्थर मारा, पत्थर के बाद ख़ैमे की चोब (लकड़ी) मारी है इसलिए आगे पत्थर की बजाये ख़ैमे की लकड़ी मारने का ज़िक्र है दोनों में कोई तज़ाद नहीं, कुछ रावियों ने एक चीज़ का नाम और कुछ ने दूसरी चीज़ का नाम लिया। जिससे उसका हमल साक़ित हो गया तो आपने तावान में ग़ुलाम या लौण्डी देने का हुक्म दिया और ये तावान जुर्म करने वाली की आक़िला यानी उसके बाप की तरफ़ से उसके रिश्तेदारों पर डाला, लेकिन जब वह मरी तो उसकी विरास़त उसकी आक़िला की बजाये, उसके बेटों और उसके ख़ाविन्द में तक़सीम की, उसकी आक़िला को वारिस़ नहीं ठहराया और ये दोनों औरतें यके बाद दीगरे फ़ौत हो गईं थीं, इसलिए अगली रिवायत के साथ इसका तआरूज़ नहीं है, उनके ज़हन में ये ख़लजान पैदा हुआ कि दियत हम दें, लेकिन विरास़त में हमारे लिए कोई हिस्सा न हो।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ

(4391) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि हुज़ैल क़बीला की दो औरतें आपस में लड़ पड़ीं तो उनमें से एक ने दूसरी

وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ " . مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ .

को पत्थर मारा जिससे वह मर गई और उसके पेट का बच्चा भी मर गया तो उनके वारेसीन मुक़द्दमा रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास लाये तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़ैसला दिया कि उसके पेट के बच्चा का तावान एक ग़ुर्रा ग़ुलाम या लौण्डी है और औरत की दियत उस क़ातिला के ख़ानदान पर पड़ेगी और इस क़ातिला की वारिस़ इसकी औलाद और दूसरे मौजूदा वारिस़ हैं (यानी क़ातिला का ख़ाविन्द) तो हमल बिन नाबिग़ा हुज़ली (ﷺ) ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! इसका तावान मैं कैसे अदा करूं, जिसने न खाया, न पिया और न बोला न चीख़ा? यानी मुर्दा हालत में पैदा हुआ, ऐसे का ख़ून तो रायगां जाता है तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये तो काहिनों का साथी है।' इस मुसज्जा (क़ाफ़िया वाली इबारत) बंदी की बिना पर जो उसने की।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6910, सुनन अबू दाऊद: 4576 में देखें।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ . وَقَالَ فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ نَعْقِلُ وَلَمْ يُسَمِّ حَمَلَ بْنَ مَالِكٍ .

(4392) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि दो औरतें लड़ पड़ीं, आगे ऊपर दिया गया वाक़िया बयान किया, लेकिन इमाम स़ाहब के इस उस्ताद ने ये बात बयान नहीं की कि आप(ﷺ) ने उसकी औलाद और दूसरे साथ मौजूद वारिस़ों को वारिस़ क़रार दिया और ये कहा एक कहने वाले ने कहा, हम दियत क्यों कर अदा करें? और हमल बिन मालिक का नाम नहीं लिया।

फ़ायदा : मक़्तूला औरत की दियत और उसके जनीन का तावान आपने आक़िला पर डाला, लेकिन जब क़ातिला फ़ौत हूई तो आप (ﷺ) ने उसका वारिस उसकी औलाद और ख़ानदान को ठहराया और यहाँ क़िसास की बजाये दियत की अदायगी का हुक्म दिया, क्योंकि ये क़त्ल, क़त्ले अम्द नहीं था, बल्कि शिब्हे अम्द था और क़त्ले ख़ता और क़त्ले शिब्हे अम्द की हद दियत है, क़िसास नहीं है, यहाँ तक कि क़ातिला के ख़ाविन्द ने कहा कि जनीन की दियत नाक़ाबिले फ़हम है, क्योंकि उसे असबा होने की वजह से दियत अदा करना पड़ रही थी। आप(ﷺ) ने उसकी क़ाफ़िया बंदी को कहानत क़रार दिया, क्योंकि उसने ये बात आप (ﷺ) के फ़ैसला के बाद कही थी और हक़ के मुक़ाबले में सजअबंदी तसन्नोअ और बनावट के साथ की थी, अगर क़ाफ़िया बंदी जायज़ उमूर में बिला तकल्लुफ़ और बिला तसन्नोअ हो तो वह नापसन्दीदा नहीं है। आक़िला से मुराद, असबात हैं और बक़ौल इब्ने क़ुदामा इसमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन इसमें इख़्तिलाफ़ है, क्या बाप और क़ातिल या क़ातिला की औलाद इसमें दाख़िल है या नहीं, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक इसमें क़ातिल का बाप, औलाद, भाई, चचे और उनकी औलाद सब दाख़िल हैं, इमाम अहमद का एक क़ौल यही है, जिसे अबूबक्र ने इख़्तियार किया है, अलमुग़नी, जिल्दः 12, सफ़ाः 39, लेकिन इमाम शाफ़ेई के नज़दीक बाप और औलाद आक़िला में दाख़िल नहीं है, इमाम अहमद का दूसरा क़ौल यही है, अलमुग़नी, जिल्दः 12, सफ़ाः 40, अगर आक़िला से मुराद ये है कि वह लोग जो उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करते हैं, क्योंकि अक़्ल का मानी बंदिश व रूकावट और तहफ़्फ़ुज़ है तो फिर ये लोग इसमें दाख़िल होने चाहिए, जाहिलियत के दौर में तहफ़्फ़ुज़ व दिफ़ा, इंसान का ख़ानदान और क़बीला ही करता था, लेकिन आज कल तहफ़्फ़ुज़ मज़दूरों की अन्जुमनें ताजिरान की अन्जुमनें और सियासी जमाअतें फ़राहम करती हैं और अगर अदालत ख़ानदान व क़बीला के बजाये अन्जुमनों और सियासी जमाअतों को आक़िला बना ले तो हज़रत उमर (رضي الله عنه) के इस फ़ैसले के मुताबिक़ कि उन्होंने जब दफ़्तर का निज़ाम राइज किया तो अहले दीवान को एक दूसरे का आक़िला ठहराया, अगर क़ातिल का ताल्लुक़ अहले दीवान (किसी महकमा) से न होता तो उसके असबात को आक़िला ठहराते, इसकी गुंजाइश मौजूद है और क़त्ल की अक्सर अइम्मा ने तीन क़िस्में की हैं, अगरचे तफ़्सीलात में इख़्तिलाफ़ है, **(1)** क़त्ले अम्द कि क़ातिल का मक़सद क़त्ल करना हो, **(2)** शिब्हे अम्द, जिसमें मक़सद सरज़निश व तौबीख़ हो या उसको मारना पीटना हो और उसके लिए ऐसा आला इस्तेमाल किया हो, जो आम तौर पर क़त्ल का बाइस नहीं बनता, जैसे डण्डा, मुक्का, छोटा पत्थर, वग़ैरह लेकिन चूंकि मार पीट अम्दन की है, इसलिए उसको शिब्ह बिलअम्द कहते हैं, जिसमें दियत शदीद होती है, क़त्ले अम्द की तरह क़िसास हद नहीं है, यानी उससे क़िसास नहीं लिया जा सकता, **(3)** क़त्ले ख़ता जिसमें किसी इंसान को निशाना बनाना मक़सूद न हो, शिकार पर तीर चलाया या किसी ऐसी जगह अस्लहा चलाया जहाँ कोई इंसान न था, लेकिन ग़ैर शऊरी तौर पर निशाना इंसान बन गया है, यहाँ दियते ख़फ़ीफ़ा है और शिब्हे अम्द और क़त्ले ख़ता में दियत आक़िला के ज़िम्मे होती है।

(4393) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) से रिवायत है कि एक औरत ने अपनी सौकन को जो हामला थी, ख़ैमा की लकड़ी (चोब) मारी और उसे क़त्ल कर डाला, इनमें से एक बनू लिहयान से ताल्लुक़ रखती थी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक़्तूल की दियत क़ातिला के असबा पर डाली और उसके जनीन का तावान, ग़ुलाम या लौण्डी क़रार दिया तो क़ातिला के असबा में से एक आदमी ने कहा: क्या हम ऐसे फ़र्द की दियत बतौर तावान अदा करें जिसने न खाया, न पिया, न चीख़ा, न चिल्लाया, ऐसे फ़र्द का ख़ून रायगां, होता है तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या बद्दूओं की तरह क़ाफ़िया बंदी करते हो और उन पर दियत लाज़िम ठहराई।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 4568, 4569 जामेअ तिर्मिज़ी: 1411, नसाई: 8/49, 8/50, 851/51, सुनन इब्ने माजा: 2633.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا - قَالَ - وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ - قَالَ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ " . قَالَ وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ .

(4394) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) से रिवायत है कि एक औरत ने अपनी सौकन को ख़ैमा की चोब (लकड़ी) से क़त्ल कर डाला, मुक़द्दमा रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लाया गया तो आप (ﷺ) ने क़ातिला के आक़िला पर दियत डाली और मक़्तूला हामला थी तो उसके जनीन के बदले में ग़ुर्रा डाला तो उसके कुछ असबा ने कहा कि क्या हम इसकी दियत अदा करें, जिसने खाया न पिया और न चीख़ कर चिल्लाया, ऐसे फ़र्द का ख़ून रायगां

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، . أَنَّ امْرَأَةً، قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأُتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ وَكَانَتْ حَامِلاً فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ . فَقَالَ بَعْضُ عَصَبَتِهَا أَنَدِي مَنْ لاَ طَعِمَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ

صَاحَ فَاسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ قَالَ فَقَالَ " سَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ " .

होता है, (इसकी दियत नहीं होती) तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बद्दुओं की तरह क़ाफ़िया बंदी से काम ले रहा है।'

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4369 में देखें।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ وَمُفَضَّلٍ .

(4395) इमाम स़ाहब अपने दो उस्तादों से मन्सूर की सनद से जरीर और मुफ़ज़्ज़ल की हदीस़ के हम मानी रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4369 में देखें।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِمُ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ . غَيْرَ أَنَّ فِيهِ فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ دِيَةَ الْمَرْأَةِ .

(4396) इमाम स़ाहब यही हदीस़ अपने तीन और उस्तादों की सनद से, वाक़िया समेत बयान करते हैं जिसमें ये लफ़्ज़ है कि इसका जनीन गिरा दिया तो उसका मुक़द्दमा नबी अकरम (ﷺ) के पास लाया गया तो आप (ﷺ) ने इसमें ग़ुर्रा देने का फ़ैसला फ़रमाया और उसे औरत के वारेस़ीन पर डाला इस हदीस़ में औरत की दियत का ज़िक्र नहीं है।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4369 में देखें।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ . قَالَ فَقَالَ عُمَرُ

(4397) इमाम स़ाहब अपने तीन उस्तादों से, हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (ؓ) की रिवायत बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ؓ) ने लोगों से औरत के जनीन के बारे में मशवरा लिया तो हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (ؓ) ने कहा, मैं हुज़ूर अकरम (ﷺ) के पास हाज़िर था कि आप(ﷺ) ने इसके बारे में एक ग़ुर्रा यानी ग़ुलाम या लौण्डी का फ़ैसला स़ादिर फ़रमाया तो हज़रत उमर (ؓ) ने कहा, कोई और शख़्स़ भी मेरे पास लाओ, जो

اِئْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ .

तुम्हारे साथ इस बात की गवाही दे, हज़रत मिस्वर (ﷺ) कहते हैं तो हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा (ﷺ) ने उनके हक़ में गवाही दी।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 4570, सुनन इब्ने माजा: 2640.

मुफ़रदातुल हदीस़ : मिलास़: जिसको आम तौर पर इम्लास़ कहते हैं, इसका मानी, जनीन, पेट का बच्चा।

फ़ायदा : हज़रत उमर (ﷺ) वसूक़ और तस़ब्बुत (तसल्ली व यक़ीन) हासिल करने के लिए, ऐसे मसला के बारे में जिसका हुक्म उन्हें मालूम न होता और वह समझते इसके बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान मौजूद नहीं है या आम लोगों में इसका चर्चा नहीं है, शाहिद तलब फ़रमा लेते थे ताकि लोग अहादीस़ के बयान करने में पूरे हज़्म और एहतियात से काम लें, किसी क़िस्म की ग़फ़लत और काहिली का मुज़ाहिरा न कर दें।

शरई हुदूद और उनके अहकाम

हद का लुग़वी मानी वह आख़री किनारा है जहाँ कोई चीज़, जैसे: घर ख़त्म हो जाता है। हद मन्तिक़ में किसी चीज़ की ऐसी तारीफ़ को कहते हैं जिसके ज़रिये से वह मुमय्यिज़ (फ़र्क) हो जाती है, यानी दूसरी चीज़ें उससे अलग और वह उनसे मुमताज़ हो जाती है। शरई हद से मुराद किसी गुनाह या जुर्म की अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल करदा सज़ा है जिसका मक़सद जुर्म के आगे बन्द बाँधना, हद्दे फ़ासिल क़ाइम करना है ताकि वह मुआशरे में सरायत न कर सके।

जिसे जराइम में हद का निफ़ाज़ होता है उनमें से मन्दरजा ज़ेल पर सबका इत्तेफ़ाक़ है: इरतेदाद, मुहारबत, ज़िना, क़ज़्फ़, चोरी और शराब नोशी जिनमें इख़्तिलाफ़ है वह ग्यारह हैं: इनमें से अहम आरयतन ली हुई चीज़ का इन्कार, शराब के अलावा किसी और नशावर चीज़ की क़लील (ग़ैर नशावर) मिक़्दार का इस्तेमाल, अमले क़ौमे लूत, जानवरों के साथ बद फ़ेअली और जादू हैं।

मुख़्तलिफ़ हुदूद का ताईन जराइम के इरतेकाब की मुनासिब से मुख़्तलिफ़ औक़ात में हुआ। तदरीज भी मल्हूज़ रही। ज़िना के हवाले से पहले सूर–ए–निसा की ये आयत नाज़िल हुई: 'और तुम्हारी औरतों में से जो कोई बदकारी करे तो उन पर अपने चार मर्दों की गवाही लाओ, अगर वह गवाही दें तो उनको घरों में बन्द रखो यहाँ तक कि मौत उनकी मोहलत पूरी कर दे या अल्लाह तआला उनके लिये कोई राह निकाले।' (अन्निसा: 4/15) फिर सूर–ए–नूर की आयत नाज़िल हुई: 'ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाले मर्द में से हर एक (जिनकी शादी नहीं हुई, तख़्सीस रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाई) को सौ कोड़े मारो, अगर तुम अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखते हो तो तुम्हें अल्लाह का हुक्म लागू करने में नर्मी या तरस न आन ले और उन दोनों की सज़ा का मोमिनों की एक जमाअत मुशाहिदा करे।'' (हाज़िर रहे) (अन्नूर: 24/2)

हज़रत उबादा बिन सामित (ؓ) (की हदीस: 4414–4417) के मुताबिक़ रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इसकी वज़ाहत फ़रमाई कि कुंवारे मर्द औरत को सौ सौ कोड़े लगाये जायेंगे और जला वतन किया जायेगा जबकि शादीशुदा को कोड़े लगाये जायेंगे और रज्म किया जायेगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस हुक्म के मुताबिक़ फ़ैसला भी सादिर फ़रमाया। (हदीस: 4435) अलबत्ता इस हदीस में औरत की सज़ा के बारे में ये वज़ाहत नहीं कि उसे कोड़े मारने का हुक्म भी दिया। फिर जुम्हूर उलमा के नुक्त–ए–नज़र के मुताबिक़ शादीशुदा को रज्म से पहले कोड़े मारने का हुक्म माइज़ बिन मालिक असलमी (ؓ) के वाक़िये में रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ौल व अमल के ज़रिये से मन्सूख़ हो गया और शादीशुदा के लिये सिर्फ़ रज्म की सज़ा बाक़ी रही। हज़रत अली (ؓ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के इसी फ़ैसले पर क़ाइम रहे।

(बुख़ारी: 6812) इमाम अहमद, इस्हाक़, दाऊद और इब्ने मुन्ज़िर शादीशुदा के हवाले से कोड़ों और उसके बाद रज्म की सज़ा के क़ाइल हैं। जुम्हूर के मौक़िफ़ को इस बात से भी तक़वियत मिलती है कि हज़रत माइज़ (ﷺ) क़बील–ए–ग़ामिद और क़बील–ए–जुहैना की औरतों की सज़ा के हवाले से मुख़्तलिफ़ सनदों से रिवायात मौजूद हैं लेकिन किसी एक में भी रज्म के साथ कोड़ों की सज़ा की तरफ़ कोई इशारा मौजूद नहीं बल्कि सज़ा के हवाले से इस तरह के अल्फ़ाज़ हैं जिनसे यही पता चलता है कि सिर्फ़ रज्म की सज़ा का हुक्म दिया गया है, जैसे: माइज(ﷺ) के हवाले से आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे ले जाओ और रज्म कर दो।' (हदीस: 4420) 'चुनांचे उसके बारे में हुक्म दिया तो उसे रज्म कर दिया गया।' (हदीस: 4431) जुहैना वाली औरत के बारे में भी हदीस के अल्फ़ाज़ यही हैं: 'नबी (ﷺ) ने उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसके कपड़े कस के बाँध दिये गये, फिर उसके बारे में हुक्म दिया तो उसे रज्म कर दिया गया, फिर आपने उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई।' (हदीस: 4433) अपने नौकर के साथ बदकारी करने वाली औरत के बारे में भी रसूलुल्लाह (ﷺ) के अल्फ़ाज़ इस तरह हैं: 'अनस! सुबह इसकी बीवी के पास जाना, अगर वह ऐतराफ़ कर ले तो उसे रज्म कर देना।' (हदीस: 4435)

इस पूरी हदीस में रसूलुल्लाह (ﷺ) से जो अल्फ़ाज़ मनक़ूल हैं उनसे बहुत से मामलात वाज़ेह होते हैं, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! मैं तुम्हारे दरम्यान अल्लाह की किताब के मुताबिक़ फ़ैसला करूंगा। लौण्डी और बकरियाँ (जो उसने ख़ुद ही सज़ा के फ़िद्ये के तौर पर दे दी थीं) वापस होंगी और तुम्हारे बेटे पर सौ कोड़े और एक साल की जला वतनी है, अनस! कल सुबह (इस दूसरे आदमी) की औरत की तरफ़ जाना, अगर वह ऐतराफ़ कर ले तो उसे रज्म कर देना।' (हदीस: 4435)

इन अल्फ़ाज़ से वाज़ेह होता है कि (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस मौक़े पर जो फ़ैसला सुनाया वह किताबुल्लाह का फ़ैसला था। (2) हुदूद की सज़ा में फ़िद्ये का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। (3) ग़ैर शादीशुदा ज़ानी मर्द को सौ कोड़े लगेंगे और उसके बाद वह एक साल के लिये जलावतन कर दिया जायेगा। (4) ज़िना की मुर्तकिब शादीशुदा औरत को रज्म किया जायेगा। माइज़ (ﷺ) की हदीस से वाज़ेह होता है कि शादीशुदा ज़ानी मर्द को भी रज्म ही किया जायेगा।

इमाम शाफ़ेई (रह.) और जुम्हूर उलमा इसके क़ाइल हैं कि ग़ैर शादीशुदा औरत को भी कोड़ों और जलावतनी की सज़ा दी जायेगी। इमाम मालिक और ओज़ाई (रह.) का मस्लक ये है कि इस हदीस में ग़ैर शादीशुदा मर्द को कोड़ों के साथ जलावतनी की सज़ा दी गई है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़िना की मुर्तकिब किसी ग़ैर शादीशुदा औरत को जलावतनी की सज़ा नहीं दी, इसलिये बाकिरा औरत को नहीं दी जायेगी। हज़रत अली (ﷺ) से भी एक क़ौल इसके मुताबिक़ मरवी है। इस नुक़्त–ए नज़र की हिकमत

वाज़ेह करते हुये ये भी कहा जाता है कि औरत की जलावतनी उसको तबाह कर देने के मुतरादिफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद के नज़दीक जलावतनी सिरे से हद का हिस्सा ही नहीं, वह हद से अलग एक ताज़ीर है। इमामे वक़्त चाहे तो उस पर अमल करे और चाहे तो न करे। (अल मुग़नी लिइब्ने कुदामा: 1/123)

ज़िना की हद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यहूद पर जारी फ़रमाई। वह इस हद के बजाये अपनी ख़ुद साख़्ता सज़ा पर अमल करते थे। इस सज़ा को देख कर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे पूछा: 'क्या तौरात में यही सज़ा मुक़र्रर की गई है?' पहले तो उन्होंने ग़लत बयानी और सुख़न साज़ी की। बाद में जब यहूद ये मामला रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लेकर आये तो आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम(ﷺ) की मदद से तौरात में से आयते रज्म दिखा दी बल्कि उनके आलिम से ये ऐतराफ़ भी करवा लिया कि उनके यहाँ राइज सज़ा ख़ुद साख़्ता है। इसके बाद आपने रज्म पर अमल करवाया। इस हवाले से कुछ अहले इल्म के यहाँ इस बात पर भी बहस हुई कि आप (ﷺ) ने तौरात की सज़ा पर अमल करवाया था या क़ुर्आन की सज़ा पर? ये बहस ग़ैर ज़रूरी है, क्योंकि आपने जिस सज़ा पर अमल करवाया वह तौरात में भी मौजूद है और वही क़ुर्आन मजीद में भी मौजूद है। आप (ﷺ) ने तौरात का हवाला देकर यहूद के सामने ये बात साबित की कि अल्लाह का दीन बुनियादी तौर पर एक है, क़ुर्आन असल दीन लेकर आया है, चूंकि उन्होंने तहरीफ़ करके इसे तब्दील किया है और वह अहकाम भी जिनको वह अपनी आदत के मुताबिक़ अभी तक तौरात से ख़ारिज नहीं कर सके, उनके बजाये भी ख़ुद साख़्ता अहकाम राइज कर रखे हैं। आपका इक़्दाम अल्लाह के हुक्म 'कह दीजिये! ऐ अहले किताब! आओ एक ऐसी बात की तरफ़ जो हमारे और तुम्हारे दरम्यान बराबर है, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और न उसके साथ किसी चीज़ को शरीक करें और हममें से कोई किसी को अल्लाह के सिवा रब न बनाये।' (आले इमरान: 3/64) के ऐन मुताबिक़ था।

इमाम मुस्लिम (रह.) ने ज़िना की हद के बाद शराब की हद के बारे में अहादीस़ पेश कीं। अहादीस़ के ज़रिये से ये भी वाज़ेह किया कि हुदूद का निफ़ाज़ अगरचे पूरे मुआशरे की सेहत, सलामती और अमन के लिये ज़रूरी है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस शख़्स को है जिस पर हद नाफ़िज़ की जाती है। वह गुनाहों से पाक हो जाता है। ख़ुद ऐतराफ़ करके हद को क़बूल करने वाले की तौबा अज़ीम तरीन तौबा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐसे लोगों पर हद दर्जा शफ़्क़त फ़रमाते थे। आख़िर में उन इत्तेफ़ाकिया नुक़सानात का तज़किरा किया गया है कि जो लोग बज़ाहिर उनका सबब कहलाये जा सकते हैं उन पर न कोई हद है, न उनके इज़ाले की कोई सूरत। वह हादसात की तरह हैं और उन्हीं के हुक्म में आते हैं।

كتاب الحدود

हुदूद का बयान

बाब : 1 चोरी की हद और उसका निसाब

(1) باب حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

(4398) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) चोर का हाथ चौथाई दीनार और उससे ज़्यादा पर काटते थे।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6789, सुनन अबू दाऊद: 4383, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1445, नसाई: 8/78, 8/79, सुनन इब्ने माजा: 2585.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ. . بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الإِسْنَادِ .

(4399) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की दो सनदों से, ज़ोहरी की ऊपर दी गई सनद से ही ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4374 में देखें।

फ़वाइद : (1) हद लुग़वी तौर पर, बंदिश और रूकावट को कहते हैं, इसलिए दरबान को जो लोगों को अन्दर नहीं आने देता, हदाद कहते हैं और जो चीज़ दो चीज़ों के दरम्यान हाइल हो, उनको आपस में मिलने न दे, उसको भी हद कहते हैं और हद का लफ़्ज़ कुछ दफ़ा, गुनाह पर भी बोला जाता है, क्योंकि वह सज़ा का बाइस़ बनता है और ज़ानी की सज़ा को हद कहते हैं, क्योंकि वह दोबारा उस जुर्म के इरतेकाब के दरम्यान हाइल होती है या इसलिए कि उसको शारेअ ने मुक़र्रर किया है, जिसमें कमी व बेशी का किसी को इख़्तियार नहीं है। **(2)** इस हदीस़ से जो मुत्तफ़क़ अ़लैह (बुख़ारी व मुस्लिम) है से स़ाबित होता है कि चोरी का निस़ाब जिस पर चोर का हाथ काटा जायेगा, ताकि वह आइन्दा इस बदतरीन हरकत का इरतेकाब न करे और दूसरों के लिए सामाने इबरत बने और लोगों का माल दूसरों की दस्तबुर्द से महफ़ूज़ हो जाये, चौथाई दीनार या तीन दिरहम है, इससे कम मालियत की चीज़ की चोरी पर हाथ नहीं काटा जायेगा, अइम्म-ए-हिजाज़ इमाम मालिक, शाफ़ेई और अहमद का मौक़िफ़ यही है और अहनाफ़ के नज़दीक दस दिरहम या एक दीनार है और अ़ल्लामा तक़ी ने बिला दलील इस हदीस़ को मुज़तरब बनाने की ला हास़िल कोशिश की है, क्योंकि एक रिवायत में है, नबी अकरम (ﷺ) के दौर में चोर का हाथ ढाल से कम क़ीमत की चीज़ पर नहीं काटा गया, ये ढाल हजफ़ा हो जो बग़ैर लकड़ी के चमड़े की ढाल को कहते हैं या तुर्स हो यानी ढाल हो, दूसरी रिवायत में, हजफ़ा और तुर्स दोनों क़ीमती चीज़ें हैं, तीसरी रिवायत वह है जो ऊपर बयान हो चुकी है, इन रिवायत में इज़्तिराब व इख़्तिलाफ़ किया है और नसाई की रिवायत से मालूम होता है, मिजन्न ढाल की क़ीमत उस वक़्त रूबुअ (1/4) दीनार थी, इन मरफ़ूअ रिवायात के मुक़ाबले में स़हाबा के अक़वाल को हुज्जत बनाना, जबकि ये भी मुमकिन हो कि बाद में ढाल की क़ीमत बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने ढाल की क़ीमत बढ़ने की बिना पर ढाल की क़ीमत के ऐतबार से ये कह दिया हो, ऐतबार ढाल का है, जिसकी क़ीमत अब ये है, जैसा कि मौजूदा दौर में रूबुअ (1/4) दीनार या तीन दिरहम की क़ीमत बहुत बढ़ चुकी है और ये रिवायत सिर्फ़ हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मनक़ूल नहीं है, बल्कि हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी मरवी है, जैसा कि आगे आ रहा है, जिसमें स़राहत मौजूद है कि आप (ﷺ) ने ढाल की चोरी पर चोर का हाथ काटा जिसकी क़ीमत तीन दिरहम थी, इसलिए ये कहना कि मिजन्न की क़ीमत का तअय्युन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने अपनी तरफ़ से किया, हालांकि ढाल की क़ीमत ज़्यादा थी, दुरूस्त नहीं है, जबकि इसके मुक़ाबले में जो हदीस़ दस दिरहम वाली पेश की जाती है, वह ज़ईफ़ है, तफ़्स़ील के लिए देखिये, फ़तहुलबारी, जिल्द: 12, स़फ़ा: 125-126 हाफ़िज़ इब्ने हजर ने निस़ाब के सिलसिले में बीस (20) अक़वाल नक़ल किये हैं, लेकिन मरफ़ूअ रिवायत के मुक़ाबले में किसी का क़ौल हुज्जत नहीं है।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ - قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

(4400) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी के सिवा नहीं काटा जायेगा।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6790, नसाई: 8/78.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، - وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَأَحْمَدَ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ " .

(4401) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'हाथ चौथाई दीनार और उससे ज़्यादा के सिवा नहीं काटा जायेगा।'

तख़रीज : नसाई: 8/81, 8/82.

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

(4402) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि उन्होंने नबी अकरम (ﷺ) से ये फ़रमान सुना, 'चोर का हाथ रूबुअ (1/4) दीनार और उससे ज़्यादा के सिवा नहीं काटा जायेगा।'

तख़रीज : नसाई: 4943, 4944, 4945.

(4403) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की सनदों से, यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन अल्हाद की ऊपर दी गई सनद से ऊपर दी गई हदीस़ बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4378 में देखें।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، - مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(4404) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में चोर का हाथ मिजन्न, हजफ़ा या तुर्स की क़ीमत से कम पर नहीं काटा गया, हज्फ़ा और तुर्स दोनों क़ीमती चीज़ें हैं, (ये तीनों अल्फ़ाज़ ढाल के लिए इस्तेमाल होते हैं)

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 6792.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكِلاَهُمَا ذُو ثَمَنٍ .

(4405) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की तीन सनदों से हिशाम की ऊपर दी गई सनद से इब्ने नुमैर की ऊपर दी गई हदीस़ की तरह हदीस़ बयान करते हैं, अब्दुर्रहीम और उसामा की हदीस़ में ये अल्फ़ाज़ हैं और वह उन दिनों क़ीमती चीज़ थीं।

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 6792.

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الرُّؤَاسِيِّ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَأَبِي أُسَامَةَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ

(4406) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चोर का हाथ एक ढाल के बदले में काटा, जिसकी क़ीमत तीन दिरहम थी।

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 6795, सुनन अबू दाऊद: 4385, नसाई: 8/86.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ، رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَأَيُّوبَ، بْنِ مُوسَى وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ح. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَأُسَامَةَ، بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ قِيمَتُهُ وَبَعْضُهُمْ قَالَ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .

(4407) इमाम साहब ने ऊपर दी गई हदीस अपने तेरह उस्तादों की दस सनदों से, नाफ़े ही की ऊपर दी गई सनद से बयान किया है, फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि कुछ ने क़ीमत कहा है और कुछ ने समन का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है, उसकी क़ीमत तीन दिरहम थी।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6798, जामेअ तिर्मिज़ी: 1446, सहीह बुख़ारी: 6797, अबू दाऊद: 2584, सुनन अबू दाऊद: 4386, नसाई: 8/77.

(4408) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला चोर पर लानत भेजे, एक अंडा चुराता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है और एक रस्सा चुराता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है।'

तख़रीज : नसाई: 4888, सुनन इब्ने माजा: 2583.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ " .

(4409) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से आमश ही की ऊपर दी गई सनद से ऊपर दी गई रिवायत इन अल्फ़ाज़ में बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'अगर वह रस्सी चोरी करता है और अगर वह अंडा चोरी करता है।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عِيسَى، بْنِ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ " إِنْ سَرَقَ حَبْلاً وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً " .

फ़ायदा : इस हदीस का असल मक़सद ये है कि हाथ के मुक़ाबले में जो चीज़ हासिल की है, वह हक़ीर और मामूली है, लेकिन इसके ऐवज़ हाथ जैसी क़ीमती चीज़ गंवा बैठा या ये मक़सद है कि चोरी का आग़ाज़ हक़ीर और मामूली चीज़ से करता है, फिर बड़ी चीज़ चुराता है, जिसकी क़ीमत तीन दिरहम बनती है तो हाथ काट दिया जाता है, वरना बैज़ा (अंडा) अगर एक हो या रस्सी मामूली हो तो रस्सी पर तो हाथ नहीं काटा जा सकता, मगर ये कि इन दोनों चीज़ों से मुराद उनकी जिन्स हो कि जब ये तीन दिरहम तक पहुँचती हैं तो हाथ काट दिया जाता है या बैज़ा से मुराद ख़ूद और हबल से मुराद कश्ती लंगर अन्दाज़ करने का रस्सा हो।

बाब : 2
चोर साहबे मर्तबा हो या कम हैसियत, उसका हाथ काटा जायेगा और हुदूद के निफ़ाज़ में सिफ़ारिश करना मना है

(2)
باب قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

(4410) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि क़ुरैश को एक मख़्ज़ूमी औरत (जिसने चोरी की थी) के मामले ने फ़िक्रमंद या परेशान किया तो वह आपस में कहने लगे, इस औरत के मसले में रसूलुल्लाह (ﷺ) से कौन गुफ़्तगू कर सकता है तो उन्होंने कहा, इस बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) के महबूब के सिवा कोई जुर्अत नहीं कर सकता, तो हज़रत उसामा (ﷺ) ने आप (ﷺ) से गुफ़्तगू की तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जवाब में फ़रमाया: 'क्या तुम अल्लाह की हुदूद में से एक हद के बारे में सिफ़ारिश करते हो?' फिर आप (ﷺ) ने खड़े होकर ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया: 'ऐ लोगो! तुम से पहले लोगों की तबाही इसी बिना पर हुई कि जब उनमें से कोई साहबे हैसियत मोज़्ज़ज़ चोरी करता तो उसे छोड़ देते और जब उनमें से कोई कम मर्तबा कमज़ोर चोरी करता तो उस पर हद क़ाइम कर देते, अल्लाह की क़सम! बिल फ़र्ज़ अगर मुहम्मद (ﷺ) की बेटी फ़ातिमा (ﷺ) भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।' इब्ने जुरैज की

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا، أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ " . ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ

سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ " إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ " .

हदीस में है, 'तुम से पहले लोग सिर्फ़ इसलिए तबाह हुए।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3475, 3732, 6787, 6788, सुनन अबू दाऊद: 4373, जामेअ तिर्मिज़ी: 1430, नसाई: 8/73, 74, सुनन इब्ने माजा: 2447.

फ़वाइद : (1) चोरी करने वाली औरत बनू मख़्ज़ूम की औरत फ़ातिमा बिन्ते अस्वद थी, जो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा (ﷺ) के फ़ौत होने वाले शहीद ख़ाविन्द अबू सलमा (ﷺ) की भतीजी थी। (तब्क़ात इब्ने सअद, जिल्द: 8, सफ़ा: 263) और जाहिलियत के दौर में भी चोरी की सज़ा हाथ काटना था। इसलिए बनू मख़्ज़ूम जो क़ुरैश का एक मोज़्ज़ज़ ख़ानदान था, बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वह जानते थे, आप (ﷺ) हद क़ाइम करने में कोई रू रिआयत नहीं फ़रमायेंगे, इसलिए उन्होंने सिफ़ारशी की तलाश के लिए ग़ौर व फ़िक्र किया तो उनका ख़्याल हुआ कि आप हज़रत उसामा(ﷺ) से बहुत मोहब्बत करते हैं, शायद उसकी बात कुबूल कर लें, लेकिन आप (ﷺ) ने इस सिफ़ारिश को क़बूल न किया और फिर सब के सामने उसका सबब भी बयान फ़रमाया कि बनू इस्राईल की हलाकत व तबाही के असबाब में से एक सबब ये भी था कि वह हुदूद के क़याम में मोज़्ज़ज़ और ग़ैर मोज़्ज़ज़ में फ़र्क़ करते थे, हालांकि क़ानून की नज़र में सब यकसाँ हैं और मज़ीद ज़ोर और ताकीद के लिए फ़रमाया दुनिया में महबूब शख़्सियत और मेरी लख़्ते जिगर, फ़ातिमा (ﷺ) भी बफ़र्ज़े मुहाल ये हरकत कर बैठती तो मैं क़ानून में लचक उसकी ख़ातिर भी पैदा न करता, ये वाक़िया फ़तहे मक्का के वक़्त पेश आया था जबकि आप (ﷺ) की कोई लख़्ते जिगर फ़ातिमा के अलावा ज़िन्दा नहीं थी, चोरी का वाक़िया बनू मख़्ज़ूम की एक और औरत उम्मे अम्र बिन्ते सुफ़ियान का भी है जो हज्जतुल विदा के मौक़े पर पेश आया, उसका भी आप (ﷺ) ने हाथ काट दिया था, इसलिए वह वाक़िया अलग है। **(2)** जुम्हूर उम्मत के नज़दीक वाक़िया जब अदालत में पेश हो जाये तो फिर हद को रोकने के लिए सिफ़ारिश करना जायज़ नहीं है, हाँ अगर कोई ऐसा आदमी हो जो आदी मुजरिम न हो या लोगों को तंग करना उसकी आदत न हो तो उसके हक़ में अदालत में मुक़द्दमा जाने से पहले पहले सिफ़ारिश की जा सकती है।

(4411) नबी अकरम (ﷺ) की अहलिया मोहतरमा हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि क़ुरैश को उस औरत के मसले ने परेशान कर डाला, जिसने नबी अकरम (ﷺ) के दौर में फ़तहे मक्का के वक़्त चोरी की थी तो उन्होंने आपस में कहा, इसके बारे में रसूलुल्लाह

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ، وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ

عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ " . فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَطَبَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " . ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا . قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ

(ﷺ) से कौन बात चीत कर सकता है? फिर कहने लगे, रसूलुल्लाह (ﷺ) के महबूब उसामा (رضي الله عنه) के सिवा कौन ये जुर्अत कर सकता है? उस औरत को लाया गया तो हज़रत उसामा (رضي الله عنه) ने उस औरत के बारे में आप (ﷺ) से गुफ़्तगू की, जिस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) के चेहरे का रंग बदल गया और आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तू अल्लाह की हुदूद में एक हद के बारे में सिफ़ारिश करता है?' उसामा (رضي الله عنه) ने आपसे दरख़्वास्त की, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे लिए अल्लाह से माफ़ी तलब फ़रमायें, जब शाम हो गई तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ख़ुत्बा के लिए खड़े हुए, अल्लाह के शायाने शान तारीफ़ की, फिर फ़रमाया: 'हम्द सलात के बाद, तुमसे पहले लोगों को इस चीज़ ने तबाह किया कि उनकी आदत थी जब उनका कोई क़द्र व मन्ज़िलत वाला चोरी करता तो उसे छोड़ देते और जब उनमें से कोई कम मर्तबा कमज़ोर हैसियत का मालिक चोरी करता तो उस पर हद जारी कर देते और मैं उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, बिल फ़र्ज़ अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो उसका भी हाथ काट डालता', फिर आपने उस औरत के बारे में जिसने चोरी की थी, ये फ़रमान जारी फ़रमाया तो उसका हाथ काट दिया गया, हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं बाद में उसने सही तौबा कर ली और शादी कर ली और

عَائِشَةُ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

उसके बाद मेरे पास आया करती थी, मैं उसकी ज़रूरत रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने पेश कर देती थी, (आप पूरी फ़रमा देते थे)

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2648, 4304, 6800, सुनन अबू दाऊद: 4396, नसाई: 8/74, 75, 8/75.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ .

(4412) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि बनू मख़्ज़ूम की एक औरत थी, जो सामान ज़रूरत की चीज़ आरयतन ले लेती और फिर इंकार कर देती तो नबी अकरम (ﷺ) ने उसका हाथ काट देने का हुक्म दिया, उसके ख़ानदान के लोग हज़रत उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنه) के पास आये और उनसे सिफ़ारिश की दरख़्वास्त की, उन्होंने उस औरत के बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) से गुफ़्तगू की, आगे ऊपर दी गई हदीस है।

तख़रीज: अबूदाऊद: 4374, तोहफा: 16643 में देखें।

फ़ायदा : बनू मख़्ज़ूम की उस औरत का ये वतीरा था कि वह ज़रूरत की चीज़ माँग कर ले जाती और फिर ले जाने के बाद इंकार कर देती कि मैं तो कोई चीज़ माँग कर नहीं ले गई थी, उसका नतीजा ये निकला कि उसको चोरी की आदत पड़ गई तो उसका हाथ चोरी करने पर काटा गया, लेकिन चोरी का पेश ख़ैमा और सबब आरितन था, इसलिए यहाँ उसकी तरफ़ मन्सूब कर दिया गया, इसलिए जुम्हूर उम्मत के नज़दीक आरयतन ली गई चीज़ का इंकार करने पर हाथ नहीं काटा जायेगा, यहाँ इमाम इस्हाक़ और इब्ने हज़्म का नज़रिया ये है कि आरयतन चीज़ के इंकार पर हाथ काट डाला जायेगा, इमाम अहमद का एक क़ौल यही है, लेकिन अल्लामा इब्ने कुदामा ने अहमद के दूसरे क़ौल को तर्जीह दी है, जो जुम्हूर के मुताबिक़ है।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَعَاذَتْ بِأُمِّ

(4413) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि बनू मख़्ज़ूम की एक औरत ने चोरी की तो उसको नबी अकरम (ﷺ) के पास लाया गया, वह नबी अकरम (ﷺ) की ज़ौजा मोहतरमा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) की पनाह में आ

سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " . فَقُطِعَتْ .

गई तो नबी अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! बिल फ़र्ज़ अगर फ़ातिमा भी होती तो मैं उसका हाथ काट देता।' तो उसका हाथ काट दिया गया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 4906.

फ़ायदा : ये बनू मख़ज़ूम की एक और औरत है जिसका नाम उम्मे अम्र बिन्ते सुफ़ियान बिन अब्दुल असद है, जो फ़ातिमा बिन्ते अल अस्वद की चचाज़ाद है उसने हज्जतुल विदा के मौक़े पर रात को एक क़ाफ़िला वालों का कपड़ों का सन्दूक़ या सूटकेस चुराया था, उन्होंने उसको पकड़ कर बाँध लिया और सुबह हुज़ूर अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में पेश किया, उसने हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) की पनाह ली, उनकी तहबंद में अपने हाथ छुपा लिये, फिर आप (ﷺ) के हुक्म से उम्मे सलमा (رضي الله عنها) की तहबंद से उसके हाथ निकाले गये और आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! अगर फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद भी बिल फ़र्ज़ ये हरकत कर लेती तो मैं उसका हाथ काट देता, फिर उसका हाथ काट दिया गया, तफ़्सीली वाक़िया के लिए। (तब्क़ात इब्ने सअद, जिल्द: 8, सफ़ा: 263) जुम्हूर के नज़दीक हाथ कलाई से काटा जायेगा और दायाँ हाथ काटा जायेगा, अगर न हो तो फिर बायाँ काटा जायेगा।

(3) باب حَدِّ الزِّنَا

बाब : 3 ज़ानी की हद

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ " .

(4414) हज़रत उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझसे हासिल कर लो, मुझसे सीख लो, अल्लाह तआला ने बदकार औरतों के लिए सबील (राह) बयान कर दी है, ज़ानी जोड़ा अगर कुँवारा हो तो उसके लिए सज़ा सौ (100) कोड़े और एक साल की जला वतनी है और अगर ज़ानी, मर्द, औरत शादी शुदा हों तो सौ (100) कोड़े और संगसारी है।'

तख़रीज : नसाई: 7/226, जामेअ तिर्मिज़ी: 1434, सुनन इब्ने माजा: 2550.

(4415) इमाम साहब यही रिवायत एक दूसरे उस्ताद से, मन्सूर की सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4390 में देखें।

(4416) हज़रत उबादा बिन सामित (ؓ) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) पर जब वह्य नाज़िल की जाती तो आप शिद्दते (कर्बो तकलीफ़) महसूस करते और आपका चेहरा ख़ाकिस्तरी या सियाही माइल हो जाता, आप(ﷺ) पर एक दिन वह्य नाज़िल होना शुरू हो गई तो आप (ﷺ) इस कैफ़ियत से दो चार हुए तो जब ये कैफ़ियत छुटी या ज़ाइल हुई, आपने फ़रमाया: 'मुझसे सीख लो,अल्लाह तआला ने उन औरतों के लिए राह मुक़र्रर कर दी है, यानी हुक्म जारी फ़रमाया है, शादी शुदा मर्द, शादी शुदा औरत से ज़िना करे और ग़ैर शादी शुदा मर्द, ग़ैर शादी शुदा औरत से ज़िना करे तो शादी शुदा जोड़े के लिए, सौ कोड़े और फिर पत्थरों से मारना है और ग़ैर शादी शुदा जोड़े के लिए सौ (100) कोड़े फिर एक साल की जला वतनी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ - قَالَ - فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلُقِيَ كَذَلِكَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ " خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْىُ سَنَةٍ " .

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4390 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस : (1) **अल बिक्रू:** कुँवारा, ग़ैर शादी शुदा मर्द या औरत। (2) **अस्सय्यिब:** शादी शुदा मर्द या औरत। (3) **कुरिब:** कर्ब तकलीफ़ पहुँचना। (4) **तरब्बद:** सियाही माइल हो जाना, क्योंकि रबदा, सफ़ेद चीज़ का सियाही की तरफ़ तब्दील होना है। (5) **अस्सबील:** क़ुर्आन मजीद में सूरह निसा आयत नम्बर 15 में बदकार औरत की सज़ा बयान करते हुए फ़रमाया गया था, (उन्हें घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाये या अल्लाह तआला उनके लिए कोई सबील राह यानी नया हुक्म जारी फ़रमा दे) और इस हदीस में इस सबील की तअय्युन या वज़ाहत कर दी गई

है, जो अल्लाह तआला ने उनके लिए मुक़र्रर की है और इस हदीस़ से ये भी स़ाबित होता है कि आप(ﷺ) पर वहय कुर्आन के सिवा हदीस़ व सुन्नत की शक्ल में भी उतरती थी, जिस पर आप कुर्आन ही की तरह अ़मल करते थे।

इस वहय में ये हुक्म बयान किया गया है कि अगर मर्द या औ़रत ग़ैर शादी शुदा हो तो उसकी सज़ा सौ (100) कोड़े और एक साल के लिए शहर बदरी है और अगर वह शादी शुदा हों तो उनके लिए सौ कोड़े और संगसार करना है, अइम्मा में इसकी तफ़्सीलात में कुछ इख़्तिलाफ़ है, ग़ैर शादी शुदा मर्द हो या औ़रत, उसकी सज़ा सौ कोड़े हैं, इस पर इत्तेफ़ाक़ है, लेकिन जला वतनी के बारे में नीचे दिये गये नज़रियात हैं:—

(अ) ग़ैर शादी शुदा ज़ानी का हुक्म:

(1) मर्द और औ़रत दोनों को एक साल के लिए शहर बद्र किया जायेगा, जैसा कि हदीस़ का तक़ाज़ा है, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इस्हाक़, अबू स़ौर, इब्ने अबी लैला, सुफ़ियान स़ौरी, अ़ता, ताऊस (रह.) का यही मौक़िफ़ है, ख़ुल्फ़ा—ए—राशिदीन (ﷺ) का इस पर अ़मल था।

(2) इमाम मालिक और इमाम ओज़ाई के नज़दीक जला वतनी स़िर्फ़ मर्द के लिए है, औ़रत दूसरी जगह अपनी हिफ़ाज़त नहीं कर सकती। इसलिए उसको जला वतन नहीं किया जायेगा।

(3) शहर बदरी ये हद में दाख़िल नहीं है, ये एक ताज़ीरी हुक्म है, जो हाकिम व क़ाज़ी की स़वाबदीद पर मौक़ूफ़ है, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद का यही नज़रिया है। (तफ़्स़ील के लिए देखिये अलमुग़नी, जिल्द: 12, स़फ़ा: 322 से 335,मसला नम्बर 1553)

(ब) शादी शुदा ज़ानी का हुक्म: अगर शादी शुदा मर्द या शादी शुदा औ़रत ज़िना का इरतेकाब करती है तो ख़ारजियों के सिवा बिलइत्तेफ़ाक़ अहले सुन्नत के नज़दीक उनको रज्म (संगसार) कर दिया जायेगा, लेकिन इसमें इख़्तिलाफ़ है कि क्या रज्म से पहले सौ कोड़े लगाये जायेंगे या नहीं, इमाम अहमद का एक क़ौल यही है कि पहले (100) कोड़े लगाये जायेंगे, फिर संगसार करेंगे, जैसा कि इस रिवायत में बयान हुआ है, हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत उबय बिन कअ़ब और अबू ज़र (ﷺ) का यही नज़रिया था और हज़रत अ़ली (ﷺ) ने अपनी ख़िलाफ़त में इस पर अ़मल किया था, हसन बस़री, इस्हाक़, दाऊद और इब्ने अल मुन्ज़िर का क़ौल भी यही है, लेकिन हज़रत उ़मर, उ़स्मान, इब्ने मसऊद (ﷺ) और नख़ई, ज़ोहरी, ओज़ाई, मालिक, शाफ़ेई और अहनाफ़ का मौक़िफ़ ये है और इमाम अहमद का दूसरा क़ौल भी यही है कि संगसार किया जायेगा कोड़े मारना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप (ﷺ) ने हज़रत माइज़ और ग़ामदिया औ़रत को कोड़े नहीं लगाये थे, इस तरह आप (ﷺ) ने हज़रत उनैस (ﷺ) को जिस औ़रत की तरफ़ भेजा था तो उन्हें फ़रमाया था, अगर वह ऐतराफ़ कर ले तो उसे रज्म कर देना, कोड़े मारने का हुक्म नहीं दिया, ये मुत्तफ़क़ अ़लैह रिवायत है, (तफ़्स़ील के लिए देखिये, अलमुग़नी, जिल्द: 12, स़फ़ा: 313, मसला: 551, अल्फ़स्लुस्सानी, फ़तहुलबारी, जिल्द:

12, सफ़ा: 145) इमाम शाह वलीउल्लाह ने शरह मौता, जिल्द: 2, सफ़ा: 135 पर लिखा है, इमाम रज्म और कोड़े दोनों सज़ायें देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि वह रज्म पर इक्तेफ़ा करे, क्योंकि असल मक़सद तो उसको इबरत बनाना और उसको ख़त्म करना है, जो रज्म से हासिल हो जाता है।' दो सज़ायें जमा हो जायें तो उनमें से हल्की को शदीद के अन्दर जमा करना मुमकिन है, इसलिए इमाम को मौक़ा व महल या हालात ज़ुरूफ़ (स्थिति) के मुताबिक़ अमल करना चाहिए, अगर दोनों हदों को जमा करना मुनासिब हो तो उस पर अमल करे जैसा कि हज़रत अली(ﷺ) ने दोनों सज़ाओं को जमा किया, अगर हालात की रोशनी में संगसार करना काफ़ी हो तो उस पर इक्तेफ़ा करे, जैसा कि माइज़ और ग़ामदिया या असीफ़ (ﷺ) के वाक़िया में किया गया है, हाज़ा मा इन्दी वल्लाहु आलम बिस्सवाब!

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي كِلاَهُمَا، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّ فِي، حَدِيثِهِمَا " الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ " . لاَ يَذْكُرَانِ سَنَةً وَلاَ مِائَةً .

(4417) इमाम अपने तीन उस्तादों की दो सनदों से क़तादा की ऊपर दी गई सनद से यही हदीस़ बयान करते हैं, इस हदीस़ में है, 'ग़ैर शादी शुदा को कोड़े लगाये जायेंगे और शहर बद्र किया जायेगा और शादी शुदा को कोड़े लगाये जायेंगे और संगसार किया जायेगा।' इसमें एक साल और सौ (100) का ज़िक्र नहीं है।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4390 में देखें।

(4) باب رَجْمِ الثَّيِّبِ فِي الزِّنَا

बाब : 4 ज़िना की सूरत में शादी शुदा को संगसार करना

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ

(4418) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास(ﷺ), हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) के बारे में बयान करते हैं कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के मिम्बर पर बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा, बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने मुहम्मद (ﷺ) को हक़ देकर भेजा है और

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاِعْتِرَافُ .

आप (ﷺ) पर किताब नाज़िल फ़रमाई, आप (ﷺ) पर जो अहकाम नाज़िल फ़रमाये गये, उनमें आयते रज्म भी थी, हमने उसको पढ़ा, याद किया और समझा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने संगसार किया और हमने भी आपके बाद संगसार किया, मुझे डर है, एक तवील मुद्दत गुज़रने के बाद कोई कहने वाला कहेगा, अल्लाह की किताब में हम रज्म का हुक्म नहीं पाते तो वह इस फ़र्ज़ को छोड़ कर जो अल्लाह ने उतारा गुमराह हो जायेंगे, अल्लाह के क़ानून की रू से रज्म ऐसे ज़ानी को करना जो शादी शुदा हो बर हक़ है, ज़ानी मर्द हो या औरत, जब शहादत क़ाइम हो जाये या हमल ठहर चुका हो या वह ऐतराफ़ कर लें।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6829, 6830, सुनन अबू दाऊद: 4418, जामेअ तिर्मिज़ी: 6432, सुनन इब्ने माजा: 2553.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(4419) इमाम साहब अपने तीन और उस्तादों से ज़ोहरी ही की सनद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4393 में देखें।

फ़ायदा : हज़रत उमर (رضي الله عنه) जब ज़ुलहिज्जा में आख़री हज से 33 हिजरी में वापस आये और आप(ﷺ) ने अपनी ज़िन्दगी का आख़री ख़ुत्बा दिया तो इसमें ख़िलाफ़त के मसले पर रोशनी डाली और इससे पहले रज्म का मसला भी बयान किया और रज्म का मसला तौरात में भी मौजूद था, इसकी बिना पर आप (ﷺ) ने यहूदी मर्द और औरत को संगसार किया था, उसकी बुनियाद पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी रज्म का हुक्म दिया, लेकिन ये हुक्म क़ुर्आन में नहीं लिखवाया गया, इसलिए किताबुल्लाह से मुराद, अल्लाह का क़ानून है, जैसा कि हदीसे असीफ़ और हदीसे वला में

किताबुल्लाह से मुराद अल्लाह का हुक्म है,जो सुन्नत से साबित है और बक़ौल कुछ इससे मुराद सूरह मायदा की आयत (व कैफ़ा युहक्किमूनक व इन्दहुमुत्तौरात फ़ीहा हुक्मुल्लाह) (आयत: 49–50) हैं। और बक़ौल कुछ इससे मुराद मन्सूख़ुत्तिलावत (अश्शैख़ु वश्शैख़तु इज़ा ज़नया फ़र्जुमूहुमा अल बत्तता नकालम मिनल्लाहि वल्लाहु अजीज़ुन हकीम) है। लेकिन ये आयत चूंकि क़ुर्आन नहीं है इसलिए इसमें क़ुर्आन वाली शर्त भी मौजूद नहीं।

इमाम मालिक के नज़दीक अगर ग़ैर शादी शुदा औरत हामला हो तो वह ज़ानिया तसव्वुर की जायेगी और अगर वह अपना मजबूर व मकरूह होना साबित न कर सके तो उसको सज़ा दी जायेगी, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नजदीक सज़ा के लिए महज़ हामला होना काफ़ी नहीं है, जब तक वह ऐतराफ़ न करे या गवाह क़ाइम न हों।

बाब : 5
जिसने अपने बारे में ज़िना का ऐतराफ़ कर लिया

(5)
باب مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا

(4420) हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास मस्जिद में एक मुसलमान आदमी आया और आप (ﷺ) को आवाज़ देकर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ज़िना किया है, आपने उससे मुँह फेर लिया, वह फिर कर आप (ﷺ) के सामने आ गया और आपसे कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ज़िना किया है, आपने उससे ऐराज़ किया यहाँ तक उसने ये बात चार मर्तबा दोहराई, जब उसने अपने बारे में चार मर्तबा गवाही दी तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसे बुलवाया और उससे पूछा: 'क्या तू दीवाना है?' उसने कहा, नहीं, आपने पूछा: 'क्या तुम शादी शुदा हो?' उसने कहा, जी हाँ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे ले जाओ और संगसार कर दो।'

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ . فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ . فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ

شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَبِكَ جُنُونٌ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَهَلْ أَحْصَنْتَ " . قَالَ نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ " .

इब्ने शिहाब कहते हैं, मुझे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से सुनने वाले ने बताया, उन्होंने कहा, मैं उसको रज्म करने वालों में मौजूद था, हमने उसे जनाज़ागाह में रज्म किया, जब उसे पत्थरों ने परेशान किया, वह भाग खड़ा हुआ, हमने उसे हर्रा (पत्थरीला इलाक़ा) में जा लिया और उसे रज्म कर डाला।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6815, 6825.

मुफ़रदातुल हदीस : (1) सना ज़ालिक: दोहराया, तकरार किया। **(2) मुसल्ला:** जनाज़ागाह। **(3) अज़लक़त्हा:** उसे क़ल्क़ व इज़्तेराब में डाला।

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ .

(4421) यही रिवायत, इमाम लैस, ज़ोहरी ही की सनद से बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है।

وَرَوَاهُ اللَّيْثُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ . وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَيْضًا وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلٌ .

(4422) यही रिवायत इमाम साहब इमाम दारमी की सनद से ज़ोहरी ही की सनद से बयान करते हैं, इमाम लैस और इमाम दारमी दोनों की हदीस में, इब्ने शिहाब, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह(ﷺ) का क़ौल नक़ल करते हैं।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 25271.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا

(4423) इमाम साहब तीन उस्तादों की दो सनदों से ज़ोहरी के वास्ते से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से अबू हुरैरह (ﷺ) की तरह हदीस बयान करते हैं।

مَعْمَرٌ، وَابْنُ، جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . نَحْوَ رِوَايَةِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 5270, 6814, 6820, सुनन अबू दाऊद: 4430, जामेअ तिर्मिज़ी: 1429, नसाई: 4/63.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आने वाला आदमी हज़रत माइज़ बिन मालिक असलमी (ؓ) थे, इस हदीस़ की रू से अहनाफ़ और हनाबिला के नज़दीक ज़िना की हद क़ाइम करने के लिए, ज़ानी का चार मर्तबा ऐतराफ़ करना ज़रूरी है और इमाम मालिक और शाफ़ेई के नज़दीक असीफ़ (मज़दूर, अजीर) के वाक़िया की रोशनी में एक दफ़ा इक़रार करना ही काफ़ी है, क्योंकि आप (ﷺ) ने हज़रत उनैस को चार दफ़ा ऐतराफ़ करवाने का हुक्म नहीं दिया था, हसन बसरी, हम्माद, अबू सौर और इब्ने अल मुन्ज़िर का क़ौल भी यही है। (अलमुग़नी, जिल्द: 12, सफ़ा: 354)

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ، حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَلَعَلَّكَ " . قَالَ لاَ وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الأَخِرُ - قَالَ - فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ " أَلاَ كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ أَحَدُهُمُ الْكُثْبَةَ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدِهِمْ لأُنَكِّلَنَّهُ عَنْهُ " .

(4424) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ؓ) बयान करते हैं कि मैंने माइज़ बिन मालिक (ؓ) को देखा, जब उसे नबी अकरम (ﷺ) के पास लाया गया, छोटा क़द, मज़बूत जिस्म, जिस पर चादर नहीं है, उसने अपने बारे में चार दफ़ा ज़िना करने की शहादत दी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'शायद तूने ....?' (बोस व कनार किया हो या चुटकी ली हो) उसने कहा, नहीं अल्लाह की क़सम! ज़लील और कमीने आदमी ने ज़िना किया है तो आप (ﷺ) ने उसे रज्म करने का हुक्म दिया, फिर ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया: 'ख़बरदार, जब भी हम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलते हैं तो कोई फ़र्द पीछे रहता है और बकरे की तरह जिन्सी आवाज़ें निकालता है, किसी को मामूली और हक़ीर चीज़ पेश करता है, हाँ अल्लाह की क़सम!

अगर उनमें से कोई मेरे क़ाबू में आ गया तो मैं उसको सामाने इबरत बना दूंगा।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 4422.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अअ्ज़लु: मज़बूत तन व तौश का मालिक यानी मुस्तहकम (मज़बूत) जिस्म वाला। **(2) आख़रू:** हक़ीर, कमीना। **(3) नबीब:** वह आवाज़ जो नर बकरा, बकरी से जुफ़्ती करते वक़्त निकालता है। **(4) अल्कुस्बा:** थोड़ा सा दूध या कोई मामूली और हक़ीर चीज़।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, मुजरिम को अपने इक़रार और ऐतराफ़ से निकलने की राह समझाना जायज़ है, बशर्ते कि वह आ़दी मुजरिम न हो और अगर हुक़ूक़ुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाली हुदूद के इक़रार से फिर जाता है और उसके ख़िलाफ़ बय्यना (सुबूत) मौजूद नहीं है तो उसके रूजू को भी मान लिया जायेगा। (शरह नववी, मुस्लिम, जिल्द: 2, स़फ़ा: 77)

लेकिन आ़दी मुजरिम को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए, जैसा कि आपके ख़ुत्बा से स़ाबित हो रहा है और आप (ﷺ) के ख़ुत्बा से मालूम होता है, हज़रत माइज़ उनमें दाख़िल नहीं थे, क्योंकि उनके बारे में फ़रमा रहे हैं, मैं उनको अगर क़ाबू में आ गये, इबरत बना डालूंगा और हज़रत माइज़ को निकलने की तल्क़ीन फ़रमा रहे हैं और आगे स़रीह रिवायत आ रही है कि आप (ﷺ) ने उसे फ़रमाया: वापस चले जाओ, अल्लाह से बख़्शिश तलब करो, तौबा कर लो, बार बार ये कहा, चौथी बार पूछा, दीवाने तो नहीं हो, शराब तो नहीं पी है और फिर उसकी तौबा की तारीफ़ फ़रमाई, जो उन्होंने हद का तक़ाज़ा करके अ़मली स़ूरत में देखी थी।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَصِيرٍ أَشْعَثَ ذِي عَضَلاَتٍ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَقَدْ زَنَى فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ يَنِبُّ نَبِيبَ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ

(4425) हज़रत जाबिर बिन समुरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे दो मर्तबा लौटाया, फिर उसको रज्म करने का हुक्म दिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब भी हम अल्लाह की राह में जिहाद करने निकलते हैं, तुममें से कोई पीछे रह जाता है और बकरे की तरह आवाज़ निकालता है और उनमें से किसी को थोड़ा सा दूध देता है, अल्लाह तआ़ला उनमें से जिस पर भी मुझे क़ाबू देगा मैं उसे सामाने इबरत बना दूंगा या इबरतनाक सज़ा दूंगा, रावी

الْكُثْبَةَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلاَّ جَعَلْتُهُ نَكَالاً " . أَوْ نَكَّلْتُهُ . قَالَ فَحَدَّثْتُهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ .

बयान करता है मैंने ये हदीस़ सईद बिन जुबैर (ؓ) को सुनाई तो उसने कहा, आप (ﷺ) ने उसे चार बार लौटाया था।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 4423.

फ़ायदा : हज़रत माइज बिन मालिक (ؓ) हज़रत हज़ाल (ؓ) के साथ एक नौकर की हैसियत से रहते थे और हज़रत हज़ाल (ؓ) की मुतल्लक़ा लौण्डी थी, जो उनकी बकरियाँ चराती थी, हज़रत माइज (ؓ) ने उससे ज़िना कर लिया, फिर पशेमान होकर हज़रत हज़ाल (ؓ) को बताया तो उन्होंने उनको हुज़ूर अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होने का मशवरा दिया और उनको आप (ﷺ) के पास लाये और वह दौर गुरबत का था, कुछ औरतें जाहिलियत के दौर में ये हरकत करती थीं, बाद में भी कुछ में ये आदत क़ाइम रही, वह अपनी आदत की बिना पर मामूली चीज़ के ऐवज़ अपनी इज़्ज़त नीलाम कर देती थीं और आप (ﷺ) की ग़ैर हाज़िरी में, चूंकि सहाबा किराम (ؓ) भी आपके साथ ग़ज़्वा में सब शरीक होने की कोशिश करते थे, इसलिए बदकार मर्द और औरतों को इसका मौक़ा मिल जाता था, इसलिए आपने जब एक तक़रीब पैदा हो गई (एक मामला सामने आ गया) तो मौक़ा की मुनासिबत से उन लोगों को आगाह फ़रमाया ताकि वह इस हरक़त से दूर रहें वरना इबरतनाक सज़ा के लिये तैयार रहें इससे मुराद वह सहाबी न था जिसने ख़ुद को पेश किया था।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَوَافَقَهُ شَبَابَةُ عَلَى قَوْلِهِ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا .

(4426) इमाम साहब यही रिवायत, अपने दो और उस्तादों से शोबा ही की ऊपर दी गई सनद से बयान करते हैं, शबाबा नामी रावी की रिवायत में भी दो दफ़ा लौटाने का तज़किरा है, जबकि अबू आमिर की रिवायत में है, दो या तीन दफ़ा लौटाया।

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4400 में देखें।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(4427) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ؓ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने माइज़ बिन मालिक (ؓ) से पूछा, 'क्या तेरे बारे में मुझ तक जो कुछ पहुँचा है, ठीक है,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ " أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ " . قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ " بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلاَنٍ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ . ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ .

(हक़ीक़त है)' उसने अ़र्ज़ किया, आप (ﷺ) को मेरे बारे में क्या ख़बर मिली है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे ख़बर मिली है कि तूने फ़ुलां ख़ानदान की लौण्डी से ज़िना किया है?' उसने कहा, जी हाँ, उसने चार मर्तबा इसकी शहादत दी, फिर आपने उसे रज्म करने का हुक्म दिया।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 4422, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1427.

फ़ायदा : ये बात हम ऊपर बता चुके हैं कि उनको लाने वाले हज़रत हज़ाल (ﷺ) थे और आप(ﷺ) ने उनसे कहा भी था, तुम्हारा इस पर पर्दा पोशी करना बेहतर था और उनके साथ आने वाले, आप(ﷺ) को पूरे वाक़िया से आगाह कर चुके थे, इसलिए आपने हज़रत माइज़ से पूछा और उनको इस ऐतराफ़ से मुन्हरिफ़ होने की राह भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हज़रत हज़ाल (ﷺ) के पुकारने के सबब अपनी बात पर क़ाइम रहे।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي، سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِمْهُ عَلَىَّ . فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِرَارًا قَالَ ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلاَّ أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لاَ يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ - قَالَ - فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنَا أَنْ

(4428) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से रिवायत है कि असलम ख़ानदान का एक आदमी जिसे माइज़ बिन मालिक (ﷺ) कहते थे, रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आया और कहने लगा, मैंने बदकारी का इरतेकाब किया है, इसकी हद मुझ पर लगाइये तो आप (ﷺ) ने उसे कई दफ़ा वापस किया, फिर आपने उसकी क़ौम से पूछा तो उन्होंने कहा, हमें इसके अन्दर किसी बीमारी (दिमाग़ी ख़लल) का इल्म नहीं है, मगर ये बात है, इसने किसी गुनाह का इरतेकाब किया है, जिसके बारे में इसका ख़्याल है, वह हद क़ाइम किये बग़ैर माफ़ नहीं हो सकता, वह फिर नबी अकरम (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ तो आप (ﷺ) ने हमें उसे रज्म करने का हुक्म दिया, तो हम उसे बक़ीअ़े ग़रक़द

(मदीना का क़ब्रिस्तान) की तरफ़ ले गये, हमने न उसको बाँधा और न ही उसके लिए गढ़ा खोदा, हमने उसे हड्डियों, रोड़ों और ठीकरों से मारा तो वह भाग खड़ा हुआ और हम भी उसके पीछे भाग पड़े यहाँ तक कि वह हर्रा (स्याह संगरेज़े) के किनारे पर आ गया और हमारे सामने खड़ा हो गया तो हमने उसे हर्रा के बड़े पत्थरों से मारा यहाँ तक कि वह ख़ामोश हो गया, यानी फ़ौत हो गया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शाम को ख़िताब फ़रमाया और कहा: 'जब भी हम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलते हैं तो कोई आदमी हमारी औरतों में पीछे रह जाता है और वह नर की तरह आवाज़ निकालता है, मुझ पर लाज़िम है, मेरे पास इस अमल का मुर्तकिब जो आदमी भी लाया जायेगा, मैं उसे इबरतनाक सज़ा दूंगा, फिर आप (ﷺ) ने उसके लिए दुआ की न बुरा भला कहा, मदरून: ढेले, ख़ज़फ़, ठीकरे, उर्ज़, किनारा।

تَرْجَمَهُ - قَالَ - فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ - قَالَ - فَمَا أَوْثَقْنَاهُ وَلاَ حَفَرْنَا لَهُ - قَالَ - فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ - قَالَ - فَاشْتَدَّ فَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلاَمِيدِ الْحَرَّةِ - يَعْنِي الْحِجَارَةَ - حَتَّى سَكَتَ - قَالَ - ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا مِنَ الْعَشِيِّ فَقَالَ " أَوَكُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ عَلَىَّ أَنْ لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ نَكَّلْتُ بِهِ " . قَالَ فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلاَ سَبَّهُ .

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 4431.

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है, रज्म के लिए पत्थर मारना ज़रूरी नहीं है, पत्थर, ढेले, ठीकरे, हड्डियाँ और डण्डे वग़ैरह, जिनसे इंसान क़त्ल किया जा सके, सब जायज़ हैं, इस पर तमाम अइम्मा का इत्तेफ़ाक़ है, क्योंकि उसको इबरतनाक सज़ा देनी होती है, फ़ौरी तौर पर मारना दुरूस्त नहीं है, हाँ अगर मार मार कर उसको अध मरा कर दिया जाये, लेकिन उसकी जान न निकल रही हो तो फिर कोई बड़ा वज़नी पत्थर मार कर उसे ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि जल्मूद, बड़े पत्थर को कहते हैं।

(4429) इमाम साहब एक और उस्ताद से दाऊद की ऊपर दी गई सनद से उसके हम मानी रिवायत बयान करते हैं और इस हदीस में है कि नबी अकरम (ﷺ) शाम को ख़िताब

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَ مَعْنَاهُ . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَقَامَ النَّبِيُّ

صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَشِيِّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا يَتَخَلَّفُ أَحَدُهُمْ عَنَّا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ " . وَلَمْ يَقُلْ " فِي عِيَالِنَا " .

के लिए खड़े हुए, अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान की, फिर फ़रमाया: 'हम्द व सलात के बाद, लोगों को क्या हो गया है जब हम जिहाद के लिए निकलते हैं उनमें से कोई एक पीछे रह जाता है और नर बकरे की तरह आवाज़ निकालता है।' इसमें फ़ी इयालिना (हमारी औरतों में) का लफ़्ज़ नहीं है।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4403 में देखें।

وحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنْ دَاوُدَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

(4430) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों की सनदों से, दाऊद की ऊपर दी गई सनद से इस हदीस का कुछ हिस्सा बयान करते हैं, हाँ सुफ़ियान की हदीस में है उसने ज़िना का ऐतराफ़ तीन दफ़ा किया।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4403 में देखें।

फ़ायदा : वाक़ियात के बयान में रावियों में कुछ जुज़्इयात के बयान में कुछ इख़्तिलाफ़ हो जाता है, लेकिन असल वाक़िया के बयान में सब मुत्तफ़िक़ होते हैं इसलिए वह जुज़्ई इख़्तिलाफ़ कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, इसलिए इस हदीस में कहीं दो दफ़ा वापस करने का ज़िक्र है कहीं तीन और किसी रिवायत में चार दफ़ा, सही यही है कि आप (ﷺ) ने तीन दफ़ा उसको टालने की कोशिश की, लेकिन जब वह बाज़ न आया तो चौथी दफ़ा उससे बदकारी की कैफ़ियत के बारे में सवाल किया और उसके बयान के बाद, उसको रज्म करने का हुक्म दिया, जिससे मालूम होता है चार दफ़ा इक़रार कराना मक़सूद न था और रज्म के बाद फ़ौरी तौर पर आप (ﷺ) ने उसके लिए दुआ नहीं की ताकि लोगों के अन्दर इससे बाज़ रहने का जज़्बा पैदा हो और बुरा भी नहीं कहा, क्योंकि अपने आपको हद झेलने के लिए पेश करना मामूली काम नहीं है, बहुत मज़बूत ईमान वाला ही ये काम कर सकता है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ - عَنْ غَيْلاَنَ، - وَهُوَ

(4431) हज़रत सुलैमान बिन बुरैदा (रह.) अपने बाप हज़रत बुरैदा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि हज़रत माइज़ बिन मालिक (रज़ि.) नबी अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मुझे

ابْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ - عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي . فَقَالَ " وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ " . قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ " . قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فِيمَ أُطَهِّرُكَ " . فَقَالَ مِنَ الزِّنَى . فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَبِهِ جُنُونٌ " . فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ . فَقَالَ " أَشَرِبَ خَمْرًا " . فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَزَنَيْتَ " . فَقَالَ نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ لَقَدْ

(हद लगा कर) पाक कर दीजिये तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम पर अफ़सोस, वापस जाओ, अल्लाह से माफ़ी माँगो और उसकी तरफ़ रूजू करो।' तो वह थोड़ी दूर वापस चले गये, फिर आकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मुझे पाक कर दीजिये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम पर अफ़सोस! जा, अल्लाह से माफ़ी माँग और तौबा कर।' तो वह फिर थोड़ी दूर जाकर वापस आ गये फिर आकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! मुझे पाक कर दीजिये तो नबी अकरम (ﷺ) ने फिर अपने कलिमात दोहरा दिये यहाँ तक कि जब वह चौथी बार आया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा: 'क्या ये दीवाना है?' तो आप (ﷺ) को बताया गया ये पागल नहीं है तो आप (ﷺ) ने पूछा: 'क्या इसने शराब पी है?' तो एक आदमी ने खड़े होकर उसका मुँह सुँघा और उससे शराब की बू महसूस न की तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा: 'क्या वाक़ेई तूने ज़िना किया है?' उसने कहा, जी हाँ! तो आप (ﷺ) के हुक्म पर उसे रज्म कर दिया गया और लोग उसके बारे में दो गिरोहों में बट गये, कुछ कहने लगे वह तबाह व बर्बाद हो गया, उसके गुनाह ने उसे घेर लिया और कुछ कहने लगे माइज की तौबा से बढ़ कर किसी की तौबा नहीं है कि वह ख़ुद नबी अकरम (ﷺ) के पास आया और आप (ﷺ) के हाथ में अपना हाथ रख कर कहने लगा, मुझे पत्थर से मार डालिये, हज़रत बुरैदा कहते हैं, दो तीन

هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ - قَالَ - فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ " اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ " . قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ . - قَالَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ " . قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي . فَقَالَ " وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ " . فَقَالَتْ أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ . قَالَ " وَمَا ذَاكِ " . قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا . فَقَالَ " آنْتِ " . قَالَتْ نَعَمْ . فَقَالَ لَهَا " حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ " . قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قَدْ

दिन सहाबा में यही इख़्तिलाफ़ रहा, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये जबकि दोनों गिरोह बैठे हुए थे, आप (ﷺ) सलाम कह कर बैठ गये और फ़रमाया: 'माइज़ बिन मालिक (رضي الله عنه) के लिये बख़्शिश तलब करो।' तो लोगों ने कहा अल्लाह तआला माइज़ बिन मालिक (رضي الله عنه) को माफ़ फ़रमाये इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसने ऐसी तौबा की है, अगर एक उम्मत के दरम्यान बाँट दी जाये तो उनके लिये काफ़ी हो जाये।' हज़रत बुरैदा (رضي الله عنه) बयान करते हैं, फिर आप (ﷺ) के पास अज़्द क़बीला के ख़ानदान ग़ामिद की एक औरत आई और कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मुझे पाक कर दीजिये, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम पर अफ़सोस! वापस चली जाओ, अल्लाह से बख़्शिश तलब करो और उसकी तरफ़ रूजू करो।' तो उसने अर्ज़ किया, मैं समझती हूँ आप मुझे भी माइज़ बिन मालिक (رضي الله عنه) की तरह वापस लौटाना चाहते हैं, आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तेरा क्या मामला है?' उसने कहा, मुझे ज़िना से हमल ठहर चुका है, आप (ﷺ) ने पूछा: 'क्या तुझे?' उसने कहा जी हाँ तो आप (ﷺ) ने उसे फ़रमाया: 'तुम वज़ओ हमल तक ठहर जाओ।' हज़रत बुरैदा (رضي الله عنه) कहते हैं तो एक अन्सारी आदमी ने उसके नान व नफ़्क़ा की ज़िम्मेदारी बरदाश्त की यहाँ तक कि उसने बच्चा जना तो वह अन्सारी नबी अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया ग़ामदिया औरत का हमल वज़अ

وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ . فَقَالَ " إِذًا لاَ نَرْجُمَهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ " . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَىَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ . قَالَ فَرَجَمَهَا .

हो गया है तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तब हम उसको इस हालत में रज्म नहीं करेंगे कि उसके बच्चा को छोटा ही छोड़ दें और उसको कोई दूध पिलाने वाला न हो' तो एक अन्सारी आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, उसको दूध पिलाने का ज़िम्मेदार मैं हूँ, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! तो आप (ﷺ) ने उसे रज्म करवा दिया।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 4433.

नोट : इस हदीस़ की सनद में बक़ौल इमाम नववी, यहया बिन यअ़ला और ग़ीलान के दरम्यान एक वास्ता रह गया है, सही सनद ये है कि यहया और ग़ीलान के दरम्यान यहया के बाप लैला का वास्ता है, यानी यहया अपने बाप लैला के वास्ते से ग़ीलान से रिवायत करता है।

फ़वाइद : (1) फ़स्तन्कहहू: उसके मुँह को सूँघा कि उसके मुँह से शराब की बू तो महसूस नहीं होती, इस हदीस़ से जुम्हूर अइम्मा ने यानी इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद ने ये इस्तेदलाल किया है कि ज़िना के बारे में सुकरान (नशे) के इक़रार का ऐतबार नहीं है, लेकिन इमाम शाफ़ेई के नज़दीक सुकरान के इक़रार को मोतबर समझा जायेगा, लेकिन सकर (नशा) की हालत में उस पर हद क़ाइम नहीं की जायेगी, लेकिन ये बात दुरूस्त नहीं है। **(2) सुम्म जाअ रसूलुल्लाह(ﷺ) व हुम जुलूस:** इस हदीस़ से कुछ हज़रात ने ये इस्तेदलाल किया है कि मय्यत के लिए जहाँ लोग बैठते हैं, वहाँ आने वाला दुआ करने के लिए कह सकता है, हालांकि सूरते हाल ये है कि सहाबा किराम मय्यत के सोग के लिए तीन दिन बैठने का एहतिमाम ही नहीं करते थे, ये किसी हदीस़ से साबित नहीं है कि वह सोग के लिए तीन दिन मज्लिस क़ाइम करते थे, यहाँ तो सिर्फ़ इस क़द्र बात है कि माइज़ पर हद क़ाइम करने के बाद, सहाबा किराम दो गिरोहों में बट गये, एक के बक़ौल वह तबाह व बर्बाद हो गये और अपने गुनाह की भेंट चढ़ गये, दूसरे के नज़दीक उन्होंने अपनी जान का नज़राना पेश करके कामयाबी हासिल की, लेकिन आप (ﷺ) ने पहले दिन चूंकि उनके लिए दुआ नहीं की, इसलिए ये इख़्तिलाफ़ दो तीन दिन तक क़ाइम रहा, आपने ये इख़्तिलाफ़ ख़त्म करने के लिये जहाँ वह आ़म तौर पर बैठते थे या मस्जिद जहाँ वह जमा होते थे, में दोनों गिरोहों को बैठे देख कर, उनके लिए बख़्शिश तलब करने के लिए फ़रमाया और उनके पास तौबा की फ़ज़ीलत भी बयान किया, ताकि वह इख़्तिलाफ़ ख़त्म हो जाये, उसका सोग की मज्लिस में दुआ करने से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और न ही किसी शारेह ने ये मानी किया है कि वह मज्लिसे सोग थी, अगर बिल फ़र्ज़ ये मान लिया जाये कि आप (ﷺ) ने सोग की मज्लिस में आकर दुआ मंगवाई तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा ये साबित होता है

कि कोई मोहतरम और बुज़ूर्ग शख़्सियत अगर आये तो वह दुआ करवा सकती है, इससे हर आने वाले के लिए फ़ातिहा पढ़ने का जवाज़ कैसे निकला? क्या आपके बाद भी मज्लिस में कोई नहीं आया था या इस मज्लिसे सोग के सिवा आप किसी और मज्लिसे सोग में शरीक नहीं हुए थे और किसी मज्लिसे मातम में दुआ क्यों नहीं करवाई और सहाबा किराम (ﷺ) ने आपकी इक़्तेदा में ये सिलसिला क्यों जारी नहीं रखा, अहनाफ़ तो अमले सहाबा से सही हदीस़ को मन्सूख ठहरा देते हैं। **(3) क़ाल रजुलुम मिनल अन्सार इलय्या रज़ाउहू, फ़रजमहा:** इस हदीस़ से मालूम होता है कि आप (ﷺ) ने ग़ामदिया औरत को बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत के आग़ाज़ ही में रज्म करवाया और रज़ाअत अन्सारी के ज़िम्मे लगा दी, हालांकि आगे जो हदीस़ आ रही है उससे साबित होता है कि रज्म उस वक़्त करवाया, जब बच्चा मुद्दते रज़ाअत के बाद (दूध छोड़ने के बाद) रोटी खाने लगा था, इमाम नववी ने दूसरी रिवायात को तर्जीह दी है और इस रिवायत की तावील की है कि यहाँ रज़ाअत से मुराद बच्चे की किफ़ालत और तर्बीयत का इन्तेज़ाम करना है, लेकिन हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) ने तहज़ीब अस्सुनन हदीस़ नम्बर 4277, में आने वाली हदीस़ के बारे में लिखा है, इस हदीस़ में दो बातें तमाम रिवायात के ख़िलाफ़ हैं, **(अ)** इक़रार और तरदीद (लौटाना) का काम मुतअद्दिद मजालिस में हुआ जब कि बाक़ी तमाम अहादीस़ से साबित होता है ये एक ही मज्लिस में हुआ, दरम्यान में किसी दिन का फ़सल या वक़्फ़ा नहीं है। **(ब)** इसमें गड्ढा खोदने का ज़िक्र है, हालांकि गड्ढा नहीं खोदा गया था, इसलिए वह भाग खड़ा हुआ और उसका रावी, बुशैर बिन मुहाजिर है, जिस पर बुख़ारी, इमाम अहमद, अबू हातिम, इब्ने अदी, इब्ने हिब्बान और उक़ैली ने जरह की है, अगरचे इब्ने मईन और अज्ली ने इसे सिक़ा क़रार दिया है, इसलिए ये भी मुमकिन है कि ये रिवायत सही हो और रज्म मुद्दते रज़ाअत ही में कर दिया गया हो और ज़हाम का ज़िक्र, बुशैर बिन मुहाजिर का दूसरे दो कलिमों की तरह एक और वहम हो और इमाम ख़त्ताबी ने लिखा है ये दो औरतों का अलग अलग वाक़िया हो सकता है, एक को वज़अे हमल के बाद रज्म किया गया और दूसरी को मुद्दते रज़ाअत के बाद, इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक और शाफ़ेई के नज़दीक औरत को वज़अे हमल के बाद रज्म कर दिया जायेगा और इमाम अहमद के नज़दीक मुद्दते रज़ाअत के बाद, जब बच्चा दूध पीना छोड़ देगा।

(4432) हज़रत बुरैदा (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत माइज़ बिन मालिक असलमी (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मैं अपने ऊपर ज़ुल्म कर चुका हूँ, मैंने ज़िना किया है

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ،

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الأَسْلَمِيَّ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي ‏.‏ فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ ‏.‏ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ ‏"‏ أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا ‏"‏ ‏.‏ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ إِلاَّ وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ وَلاَ بِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ ‏.‏ قَالَ فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي ‏.‏ وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِمَّا لاَ فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي ‏"‏ ‏.‏ فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ اذْهَبِي

और मैं चाहता हूँ आप मुझे पाक कर दें, आप (ﷺ) ने उसे वापस कर दिया, जब अगले दिन आया, वह फिर आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! तो आपने दोबारा वापस कर दिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी क़ौम की तरफ़ पैग़ाम भेजा और पूछा: 'क्या उसकी अक़्ल में कुछ फ़ितूर महसूस करते हो या इसमें कोई क़ाबिले ऐतराज़ बात पाते हो?' तो उन्होंने जवाब दिया, हमारे इल्म में, इसमें पूरी अक़्ल है, हमारे अच्छे अफ़राद में से है, हमारी मालूमात यही हैं तो वह तीसरी बार आया, आप (ﷺ) ने उनकी तरफ़ फिर पैग़ाम भेजा और उसके बारे में पूछा, उसकी क़ौम ने आपको बताया, इसमें कोई क़ाबिले ऐतराज़ बात नहीं है और न इसकी अक़्ल में फ़ितूर है तो जब चौथी बार आया, उसके लिए गड्ढा खोदा गया, फिर आपने उसको रज्म करने का हुक्म दिया, हज़रत बुरैदा (ﷺ) बयान करते हैं, इसके बाद आपके पास एक ग़ामद क़बीला की औरत आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल! मैं ज़िना कर चुकी हूँ तो मुझे पाक कर दीजिये और आपने उसे वापस कर दिया तो जब अगला दिन आया, उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे वापस क्यों लौटाते हैं, शायद आप मुझे माइज़ की तरह वापस लौटाना चाहते हैं, अल्लाह की क़सम! मैं तो हामला हो चुकी हूँ, आपने फ़रमाया: 'अगर तुम्हें इसरार है तो जाओ यहाँ तक कि तुम बच्चा जनो।' तो जब उसने बच्चा जना, वह

فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ " . فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ . فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ " مَهْلاً يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ " . ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ .

उसे एक कपड़े में लपेट कर ले आई और कहा, ये बच्चा मैं जन चुकी हूँ, आपने फ़रमाया: 'जा इसे दूध पिला यहाँ तक कि इसका दूध छूट जाये।' तो जब उसने उसका दूध छुड़वाया, वह आपके पास बच्चा लेकर आई, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा था और कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी! मैं इसका दूध छुड़ा चुकी हूँ और ये खाना खाने लग गया है तो आपने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया, फिर उसके बारे में हुक्म दिया तो उसके लिये, उसके सीना तक गड्ढा खोदा गया और आपके हुक्म से लोगों ने उसे रज्म कर दिया, हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) पत्थर लेकर आगे बढ़ते हैं और उसके सर पर मारते हैं और ख़ून हज़रत ख़ालिद(ﷺ) के चेहरे पर पड़ता है, वह उसे बुरा भला कहते हैं, नबी अकरम (ﷺ) ने भी उनका उसको बुरा भला कहना सुन लिया आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रूक जाओ, ऐ ख़ालिद! उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, उसने इस क़द्र सच्ची तौबा की है, अगर नाजायज़ तौर पर टेक्स लेने वाला भी ऐसी तौबा करे तो उसे माफ़ी मिल जाये।' फिर आपने उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का हुक्म दिया और नमाज़ पढ़ा कर उसे दफ़न कर दिया।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 4442.

फ़वाइद : (1) इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि हज़रत माइज़ (ﷺ) की क़ौम उन्हें अपने बेहतर अफ़राद में शुमार करती थी, क़ौम की इस स़रीह शहादत के बावजूद स़ाहबे तदब्बुरे क़ुर्आन का, उसको निहायत बद ख़स़लत गुंडा क़रार देना और उसकी मग़फ़िरत के लिए पहले दिन दुआ़ न करने को उसके कड़े मुनाफ़िक़ होने की शहादत क़रार देना एक अ़मली बद दयानती और ख़यानत है, आप(ﷺ) ने तीसरे दिन उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करवाई है और उसकी तौबा की तारीफ़ भी की है। **(2) फ़लम्मा कान**

अलग़दः यहाँ भी बुशैर बिन मुहाजिर दूसरी रिवायत की मुख़ालिफ़त करते हैं, बाक़ी रिवायात से साबित है वापसी और ऐतराफ़, एक ही मज्लिस में हुआ है, उसको अगले दिन क़रार देना वहम है। **(3) हुफ़िरा लहा इला स़दरिहाः** ग़ामदिया के लिए उसके सीना तक गड्ढा खोदा, इस बात की दलील है कि औरत को रज्म करते वक़्त गड्ढा खोदा जायेगा, गड्ढा खोदने के बारे में अइम्मा के नीचे दिये गये नज़रियात हैं, इमाम नववी लिखते हैं, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद के नज़दीक उन हज़रात के मशहूर क़ौल के मुताबिक़ मर्द और औरत दोनों में से किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदा जायेगा, क़तादा, अबू सौर, अबू यूसुफ़ और इमाम अबू हनीफ़ा के एक क़ौल के मुताबिक़ दोनों के लिए गड्ढा खोदा जायेगा और कुछ मालकिया के नज़दीक, सुबूते बय्यना की सूरत में गड्ढा खोदा जायेगा और इक़रार की सूरत में नहीं, शवाफ़ेअ के नज़दीक मर्द के लिए किसी सूरत में गड्ढा नहीं खोदा जायेगा और औरत के बारे में तीन अक़्वाल हैं, **(अ)** पर्दा पोश के लिए सीने तक गड्ढा खोदना मुस्तहब है। **(ब)** इमाम को इख़्तियार है, **(स)** ज़िना, बय्यिना से साबित हुआ है तो खोदना बेहतर है और अगर इक़रार से साबित है तो नहीं खोदा जायेगा, अल्लामा तक़ी ने लिखा है कि अहनाफ़ का मुख़्तार मौक़िफ़ ये है कि औरत के लिए गड्ढा खोदा जायेगा और मर्द के लिए नहीं खोदा जायेगा, इमाम नववी ने जो लिखा है वह अहनाफ़ के अक्सर किताबों के मुख़ालिफ़ हैं, (तकमिला, जिल्दः 2, सफ़ाः 451) इस रिवायत में माइज़ के लिए गड्ढा खोदने का मसला भी रावी का वहम है, अगर गड्ढा खोदा होता तो वह भाग कैसे गये। **(4)** हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) 8 हिजरी माहे सफ़र में मुसलमान होकर मदीना आये हैं, जिससे साबित होता है कि ग़ामदिया का वाक़िया सूरह नूर के नुज़ूल के बाद पेश अया है क्योंकि सूरह नूर 5 या 1 हिजरी में उतरी है और जुम्हूर फ़ुक़हा के नज़दीक अख़बारे आहाद से क़ुर्आनी हुक्म की तख़्सीस जायज़ है क्योंकि वह बयान है नस्ख़ नहीं है और अहनाफ़ के नज़दीक मशहूर और मुतवातिर रिवायात से तख़्सीस जायज़ है और अहादीसे रज्म मानी मुतवातिर हैं, इमाम इब्ने हम्माम और अल्लामा आलूसी और शाह वलीउल्लाह ने इसकी तसरीह की है और हदीस 52 सहाबा से मरवी है। (तफ़्सील के लिए देखें, तकमिला, जिल्दः 2, सफ़ाः 420 से 423) **(5) लौ ताबहा साहिबु मक्सिनः** अगर इस क़िस्म की तौबा ज़ुल्मन टेक्स वसूल करने वाला करता तो उसको भी माफ़ी मिल जाती, इससे साबित होता है, ज़ुल्मन, चुंगी, महसूल या टेक्स वसूल करना बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है जो तबाही व हलाकत का बाइस है, क्योंकि बेशुमार लोगों से बार बार वसूल किया जाता है और उसको ऐश व इशरत के कामों में लुटा दिया जाता है। **(6) फ़स़ल्ला अलैहाः** कुछ हज़रात ने इसको मज्हुई का सेग़ा बनाया है और इसकी बिना पर इमाम मालिक और इमाम अहमद के नज़दीक इमाम और असहाबे इल्म व फ़ज़ल मरजूम का (जिसको रज्म किया गया है) जनाज़ा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आम तौर पर इसको मारूफ़ का सेग़ा क़रार दिया गया है, इसलिए इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक, सब जनाज़ा में शरीक होंगे।

(4433) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि जुहैना क़बीला की एक औरत,जो हामला थी, नबी अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगी,ऐ अल्लाह के नबी! मैं क़ाबिले हद जुर्म का इरतेकाब कर चुकी हूँ तो आप (ﷺ) मुझ पर हद क़ाइम करें तो नबी अकरम (ﷺ) ने उसके सरपरस्त को बुलाया और फ़रमाया: 'इससे अच्छा सलूक करना और जब ये बच्चा जन ले तो इसे मेरे पास ले आना।' उसने ऐसे ही किया तो नबी अकरम (ﷺ) ने उसके बारे में हुक्म दिया और उसके कपड़े उस पर बाँध दिये गये, फिर आप (ﷺ) ने उसे रज्म करने का हुक्म दिया, फिर उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ानी चाही, जिस पर हज़रत उमर (ﷺ) ने आपसे पूछा, आप इसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ेंगे? ऐ अल्लाह के नबी(ﷺ)! हालांकि ये ज़िना कर चुकी है तो आपने जवाब दिया: 'इसने इस क़द्र अज़ीम तौबा की है, अगर अहले मदीना के सत्तर अफ़राद को दी जाये तो उनके लिए काफ़ी हो जाये, क्या तूने इससे बेहतर तौबा पाई है कि उसने अल्लाह के लिए अपनी जान क़ुर्बान कर दी है।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 4440, 4441, जामेअ तिर्मिज़ी: 1435, नसाई, 4/74, 84.

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ، مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، - يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ، أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ، حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ، بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَىَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِيَّهَا فَقَالَ " أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا " . فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ " لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى " .

(4434) यही रिवायत इमाम साहब एक और उस्ताद से यहया बिन अबी कसीर की ऊपर दी गई सनद से ही बयान करते हैं।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4408 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

फ़वाइद : (1) कुछ हज़रात के नज़दीक ये ग़ामदिया औरत ही का वाक़िया है, क्योंकि ये ख़ानदान क़बीला जुहैना से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हजर के नज़दीक ये दो अलग अलग वाक़ियात हैं, इसलिए यहाँ औरत के सरपरस्त को ये कहा गया है कि उसके साथ हुस्ने सलूक से पेश आना, कहीं ग़ैरत में आकर इसे तंग न करना, क्योंकि ख़ानदान की बेइज़्ज़ती की बिना पर ख़ानदान के लोग उससे बुरा सुलूक कर सकते थे, नीज़ यहाँ सरपरस्त को कहा गया है कि वज़अे हमल के बाद उसको लेकर आना, जो इस बात की दलील है, उसका ख़ानदान बच्चा की रज़ाअत का इन्तेज़ाम कर सकता था जबकि ग़ामदिया औरत के लिए किसी और को बच्चा की तर्बीयत व किफ़ालत की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी और रज्म करते वक़्त कपड़े बाँधे गये ताकि बे पर्दा न हो, इसलिए अइम्मा का इत्तेफ़ाक़ है कि औरत को बिठा कर रज्म किया जायेगा और मर्द को अक्सर अइम्मा के नज़दीक खड़ा करके रज्म किया जायेगा और इमाम मालिक के नज़दीक बिठा कर और बक़ौल कुछ इमाम को इख़्तियार है। (2) इमाम शाफ़ेई और इमाम मालिक के मानने वालों के यहाँ रज्म के वक़्त इमाम का हाज़िर होना ज़रूरी नहीं है, हाँ बक़ौल इब्ने हजर मुस्तहब है, फ़तहुलबारी, जिल्द: 12, सफ़ा: 154 और न ये ज़रूरी है कि वह पत्थर मारने का आग़ाज करे, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद के नज़दीक अगर रज्म शहादत से साबित हुआ है तो ज़रूरी है, शाहिद (गवाह) रज्म का आग़ाज करें और अगर इक़रार से साबित हुआ है तो इमाम आग़ाज करे, अल्लामा तक़ी ने कुछ अइम्म–ए–अहनाफ़ से, इस्तेहबाब नक़ल किया है और ख़ुद भी उसको इख़्तियार किया है। (तकमिला, जिल्द: 2, सफ़ा: 457)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالاَ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ . فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا

(4435) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) और हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि एक बदवी रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आपसे अल्लाह के वास्ते से दरख़्वास्त करता हूँ कि आप (ﷺ) मेरे लिए, अल्लाह के क़ानून के मुताबिक़ फ़ैसला करें, इसके मद्दे मुक़ाबिल दूसरे फ़रीक़ ने कहा, जो उससे ज़्यादा समझदार था, जी हाँ, आप हमारे दरम्यान अल्लाह की किताब के मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमायें और मुझे बात करने की इजाज़त दें तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया:

بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ قُلْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَتْ ‏.‏

'बात कर।' उसने कहा, मेरा बेटा उसके यहाँ नौकर था तो उसने उसकी बीवी से ज़िना किया और मुझे बताया गया है कि मेरे बेटे को संगसार कर दिया जायेगा तो मैंने उसकी जान बचाने के लिए सौ बकरी और एक लौण्डी फ़िद्‌या के तौर पर उसको दे दी, बाद में मैंने अहले इल्म से पूछा तो उन्होंने बताया, मेरे बेटे को तो सिर्फ़ सौ कोड़े लगेंगे और एक साल के लिए शहर बद्र किया जायेगा और रज्म तो उसकी बीवी को किया जायेगा इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उस ज़ात की क़सम, जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे दरम्यान अल्लाह की किताब (क़ानून) के मुताबिक़ फ़ैसला करूंगा, लौण्डी और बकरियाँ तुझे वापस मिलेंगी और तेरे बेटे को सौ (100) कोड़े मारे जायेंगे और एक साल के लिए देस से निकाल दिया जायेगा और ऐ उनैस! जाओ, उसकी बीवी के पास अगर वह ऐतराफ़ कर ले तो उसे रज्म कर दो।' रावी बयान करते हैं, उनैस उसके यहाँ गये तो उसने ऐतराफ़ कर लिया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे रज्म करने का हुक्म दिया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2314, 2315, 2695, 2696, 2724, 2725, 6633, 6634, 6827, 6828, 6831, 6835, 6836, 6859, 6860, 7193, 7258, 7259, 7260, 7278, 7279, 6842, 6843, सुनन अबू दाऊद: 4445, जामेअ तिर्मिज़ी: 1433, नसाई: 8/112, 113, 8/113, 114, सुनन इब्ने माजा: 2549.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ، بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ .

(4436) यही रिवायत इमाम साहब अपने चार उस्तादों की तीन सनदों से ज़ोहरी ही की ऊपर दी गई सनद से बयान करते हैं।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4410 में देखें।

फ़वाइद : (1) हुवा अफ़्कहु मिन्हु: बदवी ने आप (ﷺ) से अल्लाह का वास्ता देकर अल्लाह की किताब के मुताबिक़ फ़ैसला करने का सवाल किया था, हालांकि आप अल्लाह की किताब ही के मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमाते थे, इसलिए अल्लाह का वास्ता देना ख़िलाफ़े अदब व तकरीम था, लेकिन फ़रीक़े सानी ने अदब व एहतिराम से बात करने की इजाज़त तलब की और फिर पूरा वाक़िया आप(ﷺ) को सुनाया कि मेरा बेटा उसका नौकर था, उसके घर काम काज करता था, इसलिए उसकी बीवी के साथ रब्त व ताल्लुक़ का मौक़ा मिला, जिसका ये नतीजा निकला, लेकिन आज कल ग़ैर महरमों से ख़लत मलत रखने में कोई हर्ज महसूस नहीं किया जाता है, जिसका नतीजा अय्याशी व फ़हाशी, घर से भागने या अग़वा कर लेने की सूरत में निकल रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान अक़्ल के नाख़ुन नहीं ले रहे। **(2)** कम इल्म या आम लोगों ने बच्चे के वालिद को ग़लत बात बताई कि तेरे बच्चे को रज्म किया जायेगा और तुम औरत के ख़ाविन्द के साथ मामला तै कर सकते हो, इसलिए उसने ख़ाविन्द को एक लौण्डी और सौ बकरी देकर सुलह कर ली, जिससे मालूम हुआ दीनी मसाइल कम इल्म या अवाम से नहीं पूछने चाहिए, मसाइल बताना अहले इल्म का काम है, लेकिन आज इसकी पाबन्दी भी नहीं की जाती, जो हिन्दी तर्जुमे देख लेता है, वह फ़क़ीह और मुज्तहिद बन बैठता है, जिसके नतीजे में उम्मत में इन्तेशार व इफ़्तेराक़ बढ़ रहा है और नये नये फ़तवा जारी हो रहे हैं, अहले इल्म चूंकि मसला की तमाम जुज़्इयात और दलाइल से वाक़िफ़ होते हैं, इसलिए सही जवाब देते हैं, इसलिए जब उसने अहले इल्म से पूछा तो उन्होंने सही सूरते हाल से आगाह किया और उससे ये भी साबित होता है, शादी शुदा को रज्म करना, रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहदे मुबारक में अहले इल्म के यहाँ मारूफ़ व मशहूर था और आपके दौर में भी अहले इल्म सहाबा मसाइल के जवाबात देते थे। **(3) ल अक़्ज़ियन्ना बैनकुमा बिकिताबिल्लाह:** कि मैं क़तई तौर पर अल्लाह की किताब के मुताबिक़ फ़ैसला करूंगा, से साबित होता है सुन्नते साबिता यानी सही हदीस का हुक्म किताबुल्लाह

का हुक्म है और उस पर अमल करना उसी तरह ज़रूरी है, जिस तरह क़ुर्आन पर अमल करना लाज़िम है, क्योंकि शादी शुदा को रज्म करना और ग़ैर शादी शुदा को कोड़ों के साथ साल भर के लिए शहर बद्र करना, क़ुर्आन से सराहतन साबित नहीं है, लेकिन आप (ﷺ) इसको किताबुल्लाह का हुक्म क़रार दे रहे हैं, गोया जिस तरह क़ुर्आन का क़ानून व हुक्म किताबुल्लाह है, इसी तरह रसूलुल्लाह(ﷺ) का क़ानून व हुक्म भी किताबुल्लाह है। **(4) अल वलीदु वल ग़नमु रद्दुन:** लौण्डी और बकरियाँ तुझे वापस मिलेंगी, इस बात की दलील है कि अल्लाह की किताब या हुक्म के ख़िलाफ़ बाहमी रज़ामंदी से किया हुआ मामला दुरूस्त तसव्वुर नहीं होगा, उसको कल्अदम क़रार दिया जायेगा। **(5)** ज़िना ऐसा जुर्म है, जिसकी पर्दापोशी मुमकिन हो तो पर्दापोशी की जायेगी और ख़्वाहमख़्वाह तजस्सुस और इशाअत से गुरेज़ किया जायेगा, लेकिन सूरते मज़कूरा में चूंकि ये फैल चुका था, बीवी के ख़ाविन्द और बच्चे के बाप ने उसका तज़किरा आप (ﷺ) की अदालत में आने से पहले, अवाम और अहले इल्म के यहाँ कर दिया था और फिर आप (ﷺ) की मज्लिस में भी दूसरों की मौजूदगी में इसका ज़िक्र किया, इसलिए आप (ﷺ) ने हज़रत उनैस बिन ज़हहाक असलमी (رضي الله عنه) को औरत के पास भेजा ताकि अगर वह ऐतराफ़ कर ले तो उस पर हद जारी की जा सके, अगर इंकार कर दे तो महज़ किसी के इस दावा की बिना पर कि मैंने फ़ुलां से ज़िना किया है, बिला शहादत या इक़रार उसकी बात को मान कर किसी पर हद न जारी की जायेगी, इससे ये भी साबित होता है, औरत को अदालत में हाज़िर होना ज़रूरी नहीं है, क़ाज़ी या हाकिम, ख़ुद या अपने मुक़र्रर करदा वली को भेज कर भी मामला की तहक़ीक़ कर सकता है, और नाइब अपना इख़्तियार इस्तेमाल करके ख़ुद फ़ैसला कर सकता है या क़ाज़ी और हाकिम को आकर बता सकता है, आप (ﷺ) ने हज़रत उनैस(رضي الله عنه) को ऐतराफ़ की सूरत में हद क़ाइम करने की इजाज़त दी थी, लेकिन उन्होंने इस इख़्तियार को इस्तेमाल नहीं किया और आकर औरत के ऐतराफ़ से आप (ﷺ) को आगाह किया और आपने उसे रज्म कर देने का हुक्म दिया। **(6)** हज़रत उनैस (رضي الله عنه) को आप (ﷺ) का ये फ़रमाना कि अगर औरत ऐतराफ़ कर ले तो उसको रज्म कर देना, इस बात की दलील है कि मुजरिम अगर क़ाज़ी या हाकिम के सामने जुर्म का ऐतराफ़ कर ले और वहाँ कोई और हाज़िर न हो तो वह उसके इक़रार व ऐतराफ़ के मुताबिक़ उसे सज़ा दे सकता है, लेकिन जुम्हूर के नज़दीक ये बात दुरूस्त नहीं है, जब तक वहाँ और गवाह मौजूद न हों। (फ़तहुईबारी, जिल्द: 12, सफ़ा: 174) ताकि उस पर बद गुमानी न हो सके, इल्ज़ाम तराशी से बच जाये।

बाब : 6
यहूद, अहले ज़िम्मा पर ज़िना की हद्दे रज्म नाफ़िज़ करना

(6)
باب رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَا

(4437) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक यहूदी मर्द और यहूदी औरत को लाया गया जो ज़िना कर चुके थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) चल पड़े यहाँ तक यहूदीयों के यहाँ पहुँच गये और उनसे पूछा: 'तुम ज़िना करने वाले के लिए तौरात में क्या हुक्म पाते हो?' उन्होंने कहा, हम उनका मुँह काला कर देते हैं और उनको सवारी पर सवार कर देते हैं और हम उनके चेहरे एक दूसरे के मुख़ालिफ़ कर देते हैं, यानी चेहरे एक दूसरे की तरफ़ कर देते हैं और उनको घुमाया जाता है, आपने फ़रमाया: 'तौरात लाओ,अगर तुम सच बोल रहे हो।' तो वह तौरात ले आये और उसे पढ़ने लगे यहाँ तक कि जब रज्म की आयत पर पहुँचे तो जो नौजवान पढ़ रहा था, उसने अपना हाथ रज्म की आयत पर रख दिया और आगे पीछे से पढ़ दिया, इस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) ने उसे कहा क्योंकि वह रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ हाज़िर थे, हुज़ूर उसे हाथ उठाने का हुक्म दिजिये तो उसने अपना हाथ उठा लिया तो नीचे से रज्म की आयत मौजूद थी, उस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके रज्म का हुक्म दिया और दोनों को रज्म कर दिया गया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं, मैंने उस यहूदी को देखा वह औरत को पत्थरों से बचा रहा था।

حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جَاءَ يَهُودَ فَقَالَ " مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى " . قَالُوا نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا . قَالَ " فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ " . فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : एहसान का लुग़वी मानी, एहस़ान का अस़ल मानी मना करना है, औरत, इस्लाम, पाकदामनी हुर्रियत और निकाह से मुह्स़ना शुमार होती है, इमाम स़अलिब ने कहा, हर पाक दामन औरत मुह्स़ना है और हर शादी शुदा औरत मुह्स़ना है, हामला औरत को भी मुह्स़ना कहते हैं, क्योंकि हमल ने उसको ताल्लुक़ात से मना कर दिया, मर्द जब शादी शुदा हो तो वह मुह्स़न है, इमाम ज़जाज ने कहा है मर्द का एहस़ान उसका शादी शुदा होना और पाकदामन होना है और अल मुह्स़नात मिनन्निसा का मानी, शादी शुदा औरतें हैं, (ताजुल उरूस, जिल्द: 9, स़फ़ा: 179, मतबआ ख़ैरिया मिस्र)

फायदा : ज़ानी जोड़ा अहले फ़दक से था और वहाँ के लोगों ने अहले मदीना के यहूदीयों के पास इस मक़सद के लिए भेजा था कि उनको आख़री नबी (ﷺ) के पास ले जाओ, क्योंकि उसकी शरीयत में तख़्फ़ीफ़ व आसानी है, इसलिए अगर वह रज्म से कम सज़ा दें तो क़बूल कर लेना, हम अल्लाह के हुज़ूर कह सकेंगे कि ये तेरे एक नबी का फ़ैस़ला था, इसलिए बनू क़ुरैज़ा और बनू नज़ीर के कुछ लोग जो पीछे रह गये थे, आप (ﷺ) के पास आये, और आप (ﷺ) उनको लेकर उनकी दर्सगाह, जहाँ वह तौरात पढ़ते थे चले गये और तौरात को लाया गया, आपने अब्दुल्लाह बिन सूरया नामी उस आलिम को कहा, तौरात पढ़, उसने हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) जो पहले एक बहुत बड़े यहूदी आलिम थे, उनकी मौजूदगी में भी धोखाधड़ी और बद दयानती से काम लेने से गुरैज़ नहीं किया, इससे मालूम किया जा सकता है ये क़ौम किस क़द्र धोखेबाज़ और बद दयानत है, ये वाक़िया 8 हिजरी में पेश आया, इस हदीस़ से शवाफ़ेअ और हनाबिला ने इस्तेदलाल किया है कि शादी शुदा को रज्म करने के लिए उसका मुसलमान होना शर्त नहीं है, अहले ज़िम्मा (मुसलमान हुकूमत की काफ़िर रिआया) को मुसलमानों वाली सज़ा दी जायेगी और यही स़ही है, क्योंकि पब्लिक लॉ सब के लिए बराबर होता है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मुह्स़न होने के लिए इस्लाम शर्त है, काफ़िर मुह्स़न नहीं होता, इसलिए उसको रज्म नहीं किया जायेगा और मुसलमान की बीवी अगर ज़िम्मी औरत हो तो वह मुह्स़न नहीं होगा, इमाम मालिक का भी यही क़ौल है कि काफ़िर मुह्स़न नहीं, लेकिन उनके नज़दीक मुसलमान की बीवी अगर ज़िम्मी औरत हो तो वह मुह्स़न होगा। (मुग़नी, जिल्द: 12, स़फ़ा: 317, 318)

और एक क़ौल की रू से इमाम अहमद के नज़दीक भी ज़िम्मी औरत का ख़ाविन्द मुसलमान, मुह्स़न नहीं होगा। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक शादी शुदा काफ़िर को कोड़े लगाये जायेंगे और इमाम मालिक के नज़दीक ताज़ीर लगाई जायेगी, क्योंकि काफ़िर पर हद नहीं है, अहनाफ़ के नज़दीक यहूदी जोड़े को रज्म की सज़ा, तौरात के हुक्म की रू से दी गई थी, हालांकि क़ुर्आन मजीद में आप (ﷺ) को स़रीह ख़िताब है कि अगर अहले किताब आप (ﷺ) के पास फ़ैस़ला लायें तो (फ़ह्कुम बैनहुम बिमा अन्ज़लल्लाहु), उनके दरम्यान अपनी शरियत के मुताबिक़ फ़ैस़ला कीजिये, नीज़ क़ुर्आन की रोशनी में

काफ़िर औरतें मुह्सनात हैं, क्योंकि सूरह निसा में फ़रमाया है: (वलमुह्सनात मिनन्निसाइ इल्ला मा मलकत ऐमानकुम) (अन्निसा: 34) 'शादी शुदा औरतें तुम पर हराम हैं मगर वह औरतें जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जायें।' और उम्मत के नज़दीक इस आयत में मुह्सनात से मुराद बिलइत्तेफ़ाक़ शादी शुदा औरतें हैं, वह मुसलमान हों या काफ़िर, इसलिए शादी से इंसान मुह्सन (एहसान वाला) शुमार होगा, वह काफ़िर हो या मुसलमान और रज्म में वही एहसान मतलूब है जो शादी से हासिल होता है, इसलिए अल्लामा तक़ी ने ये तस्लीम किया है कि हनाबिला और शवाफ़ेअ का मौक़िफ़ क़वी है। (तकमिला, जिल्द: 2, सफ़ा: 474)

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي رِجَالٌ، مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ فِي الزِّنَى يَهُودِيَّيْنِ رَجُلاً وَامْرَأَةً زَنَيَا فَأَتَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهِمَا . وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ .

(4438) अब्दुल्लाह बिन वहब (रह.) बयान करते हैं कि मुझे अहले इल्म की एक जमाअत ने नाफ़े के वास्ते से इब्ने उमर (ﷺ) की रिवायत सुनाई, इन अहले इल्म में से एक इमाम मालिक बिन अनस (रह.) हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यहूदी जोड़े को ज़िना की सज़ा देते हुए रज्म करवाया, यहूद उनको रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लाये थे, आगे ऊपर दी गई हदीस़ है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3635, 6841, सुनन अबू दाऊद: 4446, जामेअ तिर्मिज़ी: 1436.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ، عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ، جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ .

(4439) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि यहूदी अपने ज़ानी मर्द और औरत को रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लाये, आगे उबैदुल्लाह की हदीस़: 26 की तरह रिवायत बयान की।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 1329, 4556, 7332, सुनन इब्ने माजा: 2327, 2558.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ يَحْيَى

(4440) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने से एक यहूदी गुज़ारा गया, जिसको कोड़े लगा

أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا فَدَعَاهُمْ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ " . قَالُوا نَعَمْ . فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ " أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ " . قَالَ لاَ وَلَوْلاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ قُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَىْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ " . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ

कर मुँह काला किया गया था, आप (ﷺ) ने उनको बुलाकर पूछा: 'क्या तुम्हारी किताब में ज़ानी की यही हद मौजूद है?' उन्होंने कहा, हाँ तो आपने उनके एक साहबे इल्म आदमी को बुलाकर पूछा: 'मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देता हूँ, जिसने मूसा अलैहि. पर तौरात उतारी, क्या तुम अपनी किताब में ज़ानी की हद यही पाते हो?' उसने कहा, नहीं और अगर आप (ﷺ) मुझे ये क़सम न देते तो मैं आपको न बताता, तौरात में रज्म की सज़ा है, लेकिन सूरते हाल ये पैदा हुई, हमारे मुअज़्ज़ज़ और साहबे मुक़ाम लोग बकसरत इसके मुर्तकिब होने लगे, इसलिए जब हम किसी इज़्ज़तदार को पकड़ते तो उसे छोड़ देते और जब कमज़ोर, कम मर्तबा को पकड़ते, उस पर हद क़ाइम कर देते, फिर हमने आपस में कहा आओ! हम किसी ऐसी सज़ा पर मुत्तफ़िक़ हो जायें, जो मर्तबे वाले और कम मर्तबा दोनों को दी जा सके तो हमने रज्म की जगह मुँह काला करना और कोड़े लगाना मुक़र्रर कर दिया, इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! मैं पहला फ़र्द हूँ जिसने तेरे हुक्म को ज़िन्दा किया है, जबकि ये उसे मार चुके हैं।' तो आप (ﷺ) ने उसे रज्म करने का हुक्म दिया, इस पर अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई: 'ऐ रसूल! जो लोग कुफ़्र की तरफ़ जल्दी करते हैं, वह तुम्हें ग़मज़दा न करें, से लेकर अगर तुम्हें ये हुक्म दिया जाये तो

فِي الْكُفْرِ} إِلَى قَوْلِهِ { إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} يَقُولُ ائْتُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا .

मान लो, (सूरह मायदा, आयत नम्बर 41) वह कहते थे, मुहम्मद (ﷺ) के पास जाओ, अगर वह तुम्हें मुँह काला करने और कोड़े मारने का हुक्म दें तो क़बूल कर लो और अगर तुम्हें रज्म का फ़तवा दें तो उससे बचो, इस पर अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी, 'जो लोग अल्लाह के नाज़िल करदा अहकाम के मुताबिक़ फ़ैसला न करें, वही काफ़िर हैं।' मायदा आयत नम्बर 44 और जो लोग अल्लाह के नाज़िल करदा हुक्म के मुताबिक़ फ़ैसला न करें, वही ज़ालिम हैं, आयत 45 और जो लोग अल्लाह के नाज़िल करदा हुक्म के मुताबिक़ फ़ैसला न करें, वही फ़ासिक़ हैं।' 47, सारी आयत काफ़िरों के बारे में हैं।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 447, 4448 में देखें।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ . وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ نُزُولِ الآيَةِ .

(4441) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से आमश ही की ऊपर दी गई सनद से ऊपर दी गई हदीस़, सिर्फ़ यहाँ तक बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) के हुक्म से उसे रज्म कर दिया गया, आयत के नुज़ूल का तज़किरा नहीं किया।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4415 में देखें।

फायदा : फ़तहुलबारी, जिल्द: 12, सफ़ा: 157 में है, तहमीमुल्वज्ह यानी राख से मिला हुआ गर्म पानी डालना, मुराद कोयले से मुँह काला करना है।

हज़रत बराअ (رضي الله عنه) की इस हदीस़ से मालूम होता है कि यहूदी एक ज़ानी को अपने अहबार की तजवीज़ करदा सज़ा देकर ले जा रहे थे तो आप (ﷺ) ने उनसे तौरात का हुक्म पूछा, जिससे ज़ाहिर होता है, ये वाक़िया और है और हज़रत इब्ने उमर की रिवायत में बयान करदा वाक़िया और है, क्योंकि इसमें तो अहले फ़दक ने जोड़े को भेजा ही इस ग़र्ज़ से था कि वह उनको आप (ﷺ) के पास ले जायें और उनके आने के बाद आप उनकी दर्सगाह में गये थे और उनसे तौरात का हुक्म पूछा था और हज़रत

अब्दुल्लाह बिन सलाम के कहने पर उनको तौरात लाने के लिए कहा था, जैसा कि बुख़ारी शरीफ़ में है, (क़ाला अब्दुल्लाह बिन सलाम, उद्उहुम या रसूलल्लाह बित्तौरात) और इस वाक़िया में तौरात लाने का तज़किरा नहीं है, बल्कि आप (ﷺ) ने अपने तौर पर उनसे पूछा और उनके एक आलिम के बताने पर, उस मर्द को रज्म करने का हुक्म दिया और पहला रज्म एक यहूदी का हुआ, इसलिए आपने फ़रमाया: 'मैं तेरे हुक्म को ज़िन्दा करने वाला पहला फ़र्द हूँ।'

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَتَهُ .

(4442) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने असलम क़बीला के एक आदमी और यहूद के एक आदमी और उसकी बीवी को रज्म करवाया।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 4455.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَامْرَأَةً .

(4443) मुसन्निफ़ यही रिवायत अपने एक और उस्ताद से, इब्ने जुरैज की ऊपर दी गई सनद से बयान करते हैं, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि इसमें इम्रातुहू (उसकी बीवी) की बजाये इम्रातुन (एक औरत) है।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4417 में देखें।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي، إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ . قَالَ قُلْتُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ أَمْ قَبْلَهَا قَالَ لاَ أَدْرِي .

(4444) अबू इस्हाक़ शैबानी (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (ﷺ) से पूछा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रज्म किया था? उन्होंने कहा, हाँ मैंने पूछा, सूरह नूर के नुज़ूल के बाद या उससे पहले? उन्होंने कहा, मुझे मालूम नहीं।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6813, 684.

फायदा : अबू इस्हाक़ (रह.) के सवाल का मक़सद ये मालूम होता है कि अगर रज्म का वाक़िया सूरह नूर के नुज़ूल से पहले का है तो फिर रज्म सूरह नूर से मन्सूख़ हो सकता है और अगर उसके बाद रज्म किया तो फिर ये सूरह नूर के हुक्म पर ज़्यादती है, जो बयान के हुक्म में है, नस्ख़ नहीं है, लेकिन हज़रत अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) ने जवाब दिया, नहीं मुझे मालूम नहीं है, जिससे साबित होता है, कुछ दफ़ा जलीलुक़द्र सहाबी पर (क्योंकि ये सुलह हुदैबिया के मौक़े पर मौजूद थे) कुछ वाज़ेह बातें भी पोशीदा रह जाती हैं, फ़तहुलबारी, जिल्द: 12, सफ़ा: 206 क्योंकि यहूदी (मर्द व औरत) को रज्म करने का वाक़िया 8 हिजरी में पेश आया, जबकि सूरह नूर का नुज़ूल 5 या 6 हिजरी में वाक़िया इफ़्क के सिलसिले में हुआ और रज्म के वाक़िया में हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) भी मौजूद थे जो 7 हिजरी में मुसलमान हुए और अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस (ﷺ) थे, जो अपने वालिद के साथ फ़तहे मक्का 8 हिजरी के बाद मदीना आये।

وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ " .

(4445) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना: 'जब तुममें किसी की लौण्डी ज़िना करे और उसका ज़िना वाज़ेह हो जाये (दलील मिल जाये) तो वह उस पर हद लगाये और उस पर सरज़निश व तौबीख़ न करे, फिर दोबारा अगर ज़िना करे तो उसको हद लगाये और उस पर सरज़निश या डाँट डपट न करे, फिर अगर तीसरी बार ज़िना करे और ज़िना की शहादत ली जाये तो उसको बेच डाले, अगरचे बालों की रस्सी ही बदले में मिले।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2152, 2234, 6839.

फवाइद : (1) तबय्यना ज़िनाहा: दलील से उसका ज़िना सामने आ जाये, बक़ौल अहनाफ़, उसके ख़िलाफ़ शहादत मिल जाये, क्योंकि उनके नज़दीक हद सिर्फ़ इमाम जारी कर सकता है, लेकिन जिनके नज़दीक (अइम्म–ए–सलासा) आक़ा, अपने ग़ुलाम लौण्डी पर हद नाफ़िज़ कर सकता है, उनके नज़दीक आक़ा को ये हरकत देख कर, हद नाफ़िज़ करना जायज़ है। **(2) फ़ल्युज्लिदहल हद:** आक़ा उस पर हद नाफ़िज़ करे, अइम्म–ए–हिजाज़ (मालिक, शाफ़ेई, अहमद) ने इससे इस्तेदलाल किया है कि मालिक अपने ममलूक पर हद लगा सकता है, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इस्हाक़, अबू सौर और कुछ सहाबा जैसे इब्ने उमर, इब्ने मसऊद, अनस बिन मालिक (ﷺ) के नज़दीक मालिक,

अपने ममलूक पर तमाम हुदूद जारी कर सकता है, लेकिन सुफ़ियान सौरी और ओज़ाई के नज़दीक सिर्फ़ हद्दे ज़िना लगा सकता है और इमाम मालिक और लैस़ के नज़दीक ज़िना, क़ज़फ़ और शराब नोशी पर हद लगा सकता है और अहनाफ़ के नज़दीक किसी क़िस्म की हद जारी करना, इमाम का काम है, आक़ा कोई हद नहीं लगा सकता। **(3) वला युसर्रिब:** जब हद लगा दी है तो उसके बाद उसको सरज़निश व तौबीख़ या मलामत करना दुरूस्त नहीं है या महज़ लअ़न तअ़न और डाँट डपट करना काफ़ी नहीं है, उसको सज़ा देनी चाहिए और लौण्डी की हद, पच्चास कोड़े हैं, क्योंकि गुलामी की ख़स्त की बिना पर लौण्डियों के लिए ये हरकत अ़रबों में मायूब ख़्याल नहीं की जाती थी और उनको आज़ादों की तरह पूरा तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा हासिल नहीं था, इसलिए उनकी इज़्ज़त व नामूस अ़दमे पर्दा की वजह से और आ़म ख़ला मला की बिना पर पूरी तरह महफ़ूज़ नहीं होती, इसलिए उनकी सज़ा में तख़्फ़ीफ़ मल्हूज़ रखी गई है। **(4) ज़ना फ़ल्यबिअ्हा :** जुम्हूर के नज़दीक बेचना फ़र्ज़ नहीं है, इस्तेहबाबी हुक्म है, क्योंकि एक आक़ा के यहाँ इस हरकत का बार बार इरतेकाब इस बात की दलील है कि उसके यहाँ उसकी जिन्सी ज़रूरत पूरी नहीं होती और वह उसकी सही निगरानी नहीं कर सकता, दूसरे इंसान को इस ऐब से आगाह करके बेचेगा ताकि वह सोच ले कि मैं उसकी ख़्वाहिश पूरी कर सकता हूँ या नहीं या मैं उस पर क़ाबू पा सकता हूँ या नहीं, इस तरह पूरे ग़ौर फ़िक्र और मुकम्मल बसीरत के साथ वह ये सौदा करेगा, मज़ीद बरां लौण्डी को भी पता होगा, अगर मैंने अब फिर ये हरकत की तो मुझे यहाँ से भी निकाल दिया जायेगा और बार बार आक़ा तब्दील करना कोई गुलाम पसन्द नहीं करता, इमाम अबू सौर और दाऊद ज़ाहिरी के नज़दीक, आगे फ़रोख़्त करना फ़र्ज़ है। **(5) व लौ बिहब्लिम् मिन शअ़र:** अगरचे बालों की रस्सी के ऐवज़ बेचना पड़े, मक़सद ये है कि वह ऐसी लौण्डी को घर से निकाल दे, कहीं उसका असर दूसरों पर न पड़े, अगरचे उसे क़ीमत में नुक़सान या ख़सारा ही बरदाश्त करना पड़े।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ

(4446) इमाम साहब अपने मुख़्तलिफ़ उस्तादों की पाँच सनदों से यही रिवायत सईद मक़बरी की ऊपर दी गई सनद से बयान करते हैं, लेकिन इब्ने इस्हाक़ की रिवायत में है कि लौण्डी को तीन बार तक ज़िना करने पर कोड़े लगाये, फिर चौथी दफ़ा उसे बेच दे।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 4470, 4471.

سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَلْدِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ثَلاَثًا " ثُمَّ لْيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ " .

(4447) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया, अगर लौण्डी ग़ैर शादी शुदा हो तो उसकी सज़ा क्या है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर ज़िना करे तो उसे कोड़े मारो, फिर अगर दोबारा ज़िना करे तो उसे कोड़े मारो, फिर अगर ज़िना करे तो उसे कोड़े मारो, फिर उसको बेच डालो, अगरचे रस्सी के ऐवज़ बेचना पड़े, इब्ने शिहाब कहते हैं, मुझे मालूम नहीं, ये तीसरी दफ़ा ज़िना करने के बाद है या चौथी दफ़ा, जुहनी बयान करते हैं, इब्ने शिहाब ने कहा, ज़फ़ीर से मुराद रस्सी है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ . وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ .

(4448) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) और हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से लौण्डी की सज़ा के बारे में पूछा गया? इस हदीस में इब्ने शिहाब

وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ . بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ .

का क़ौल बयान नहीं किया गया कि ज़फ़ीर से मुराद रस्सी है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2153–2154, 2232, 2233, 6837–6838, 2555, 2556, सुनन अबू दाऊद, 4469, जामेअ तिर्मिज़ी: 1433, सुनन इब्ने माजा: 2565.

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ، اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَالشَّكُّ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا فِي بَيْعِهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ .

(4449) इमाम साहब अपने दो उस्तादों की सनदों से ज़ोहरी की ऊपर दीगई सनद ही मालिक की हदीस नम्बर 32 की तरह बयान करते हैं और दोनों की हदीस में शक है कि बैअ तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा फ़रमाया।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4423 में देखें।

फ़ायदा : हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) लिखते हैं, इख़्तिलाफ़ का ख़ुलासा ये है कि चौथी दफ़ा कोड़े बेचने से पहले मारेगा या कोड़े मारे बग़ैर बेच देगा, राजेह बात यही है कि कोड़े मारने के बाद बेचेगा, क्योंकि बेचना सज़ा के क़ाइम मुक़ाम नहीं हो सकता और कोड़े छोड़े नहीं जा सकते और ये तत्बीक़ भी हो सकती है कि बैअ तीसरी दफ़ा के बाद कर देगा क्योंकि ये क़तई और यक़ीनी चीज़ है और अक्सर शरई मामलात में तीन के अदद को मल्हूज़ रखा गया है। (जिल्द: 12, सफ़ा: 202)

बाब : 7
निफ़ास वाली औरत (जो बच्चा जन चुकी है) से सज़ा मुअख़्ख़र (ताख़ीर) कर दी जायेगी

(7)
باب تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ،

(4450) अबू अब्दुर्रहमान (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) ने ख़िताब करते हुए फ़रमाया: ऐ लोगो! अपने गुलामों पर हद ज़ारी करो, शादी शुदा हो या ग़ैर शादी शुदा, क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) की एक लौण्डी ने ज़िना किया तो आप (ﷺ) ने मुझे उसे कोड़े मारने का हुक्म दिया तो पता चला, उसने नया नया बच्चा जना है, मुझे डर महसूस हुआ कि अगर मैंने उसे कोड़े मारे तो मैं उसे मार डालूंगा यानी ये मर जायेगी,(तो मैंने उसको कोड़े न मारे) मैंने उसका तज़किरा नबी अकरम (ﷺ) के पास किया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तूने अच्छा किया।'

तख़रीज : जामेअ तिर्मिज़ी: 144.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَحْسَنْتَ " .

(4451) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से सुद्दी की ऊपर दी गई सनद से बयान करते हैं और इसमें ये लफ़्ज़ नहीं, वह शादी शुदा हों या ग़ैर शादी शुदा और ये इज़ाफ़ा है, 'उसको छोड़ दे यहाँ तक कि वह ठीक हो जाये।'

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4425 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ . وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ " اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ" .

फायदा : ममलूक गुलाम हो या लौण्डी, शादी शुदा हो या ग़ैर शादी शुदा, उसकी सज़ा ग़ैर शादी शुदा आज़ाद से आधी है, क़ुर्आन मजीद में है: 'अगर वह लौण्डियाँ शादी शुदा होकर किसी बेहयाई का इरतेकाब करें तो उन पर उससे आधी सज़ा है, जो आज़ाद कुँवारी औरतों को दी जाती है।' (अन्निसा: 25) इस आयत में मुह्सनात से मुराद आज़ाद कुँवारी औरतें हैं, जैसा कि ऊपर ये आ चुका है। (व मल लम यस्ततिअ् मिन्कुम तौलन अय्यन्किहल मुह्सनात फ़ मिम्मा मलकत ऐमानकुम) और तुममें से जो ये वुसअत व फ़राख़ी न रखते हों कि वह मोमिना आज़ाद कुँवारी औरतों से शादी कर लें तो वह मुसलमान लौण्डियों से निकाह कर लें, सूरह निसा, आयत नम्बर 25 का आग़ाज़, इसलिए हज़रत अली (ﷺ) ने ये सराहत कर दी कि ममलूक शादी शुदा होने की क़ैद से ये वहम लाहिक़ न हो जाये कि ग़ैर शादी शुदा होने की सूरत में सज़ा में तख़्फ़ीफ़ होगी, चूंकि आज़ाद कुँवारी औरत की हद सौ (100) कोड़े हैं, इसलिए ममलूक (लौण्डियाँ, गुलाम) की सज़ा पच्चास कोड़े होगी और गुलाम, लौण्डी की सज़ा में तख़्फ़ीफ़ आक़ा और मालिक का लिहाज़ रखते हुए की गई है, क्योंकि रज्म की सूरत में वह अपने ममलूक से महरूम हो जाता। फ़तहुलबारी, जिल्द: 12, सफ़ा: 204 और इसलिए शवाफ़ेअ के सिवा बाक़ी अइम्मा के नज़दीक उनको शहर बद्र नहीं किया जायेगा।

बाब : 8
शराबी की हद

(8)
باب حَدِّ الْخَمْرِ

(4452) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) के पास एक आदमी लाया गया जो शराब पी चुका था तो आप (ﷺ) ने उसको दो बड़ी छड़ियाँ चालीस दफ़ा मारीं, हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने भी यही काम किया तो जब हज़रत उमर (ﷺ) का दौर आया, उन्होंने लोगों से मशवरा तलब किया तो हज़रत अब्दुर्रहमान (ﷺ) ने कहा, सबसे हल्की हद अस्सी (80) कोड़े है तो हज़रत उमर (ﷺ) ने उसका हुक्म दे दिया।

तख़रीज:सहीह बुख़ारी:6773, तिर्मिज़ी: 1443.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ ‏.‏ قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ ‏.‏ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ‏.‏

फवाइद : (1) हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने दो शाख़ें चालीस दफ़ा मारीं, गोया अस्सी छड़ियाँ मारीं, अइम्म–ए–सलासा (मालिक, शाफ़ेई , अहमद) और इमाम मुहम्मद (रह.) के नज़दीक कुल्लु मुस्किर हराम, हर नशावर चीज़ हराम है, व मा अस्कर कसीरूहू फ़ कलीलुह हराम, अगर ज़्यादा पीने से नशा पैदा होता है तो कम भी हराम है, की रू से हर सकर (नशावर चीज़) पर कम हो या ज़्यादा हद लगाई जायेगी और इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ (रह.) के नज़दीक, अंगूर के शीरा की शराब पीने पर हर सूरत में हद है और खजूर की शराब और अंगूर से बनी हुई शराब के सिवा दूसरी चीज़ों जैसे गन्दुम, जौ, मक्का वग़ैरह से बनी हुई शराब पीने पर कोई हद नहीं, ख़्वाह नशा भी आ जाये, देखिये हिदाया की किताब, अलअशरिबा और बाक़ी शराबों पर इस सूरत में हद है, जब इतनी मिक्दार में पी जाये जिससे नशा पैदा हो, ज़ाहिर है, अइम्म–ए–सलासा का मौक़िफ़ हदीस के मुताबिक़ है। **(2)** शराब अरबों की घुट्टी में रची बसी थी, इसलिए शराब को तदरीज़न (आहिस्ता आहिस्ता) हराम क़रार दिया गया है और इस तरह उसकी सज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा की गई है, इब्तेदा में मौजूद लोगों के हाथ में जो कुछ आ जाता, जूती, हांडा, छड़ी, कपड़ा, उससे बिला शुमार मारते, कुछ दफ़ा दो जूते चालीस दफ़ा मारते, कुछ दफ़ा दो छड़ियाँ चालीस दफ़ा मारते, इसलिए सब सहाबा किराम(ﷺ) शराब नोशी की हद पर अगर कोड़ों की सूरत में लगाई जाये तो उसकी तादाद कितनी हो, मुत्तफ़िक़ नहीं थे, हज़रत उमर (ﷺ) के दौर में जब बकसरत लोग मुसलमान हो गये और माल व दौलत की फ़रावानी हो गई, जिसके नतीजे में शराब नोशी में इज़ाफ़ा हो गया तो अब तअय्युन की ज़रूरत पेश आई, इसलिए हज़रत उमर (ﷺ) ने सहाबा किराम (ﷺ) से मशवरा किया ताकि एक बात पर इत्तेफ़ाक़ हो सके, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) ने हल्की हद अस्सी कोड़ों का मशवरा दिया और हज़रत अली (ﷺ) ने कहा, हमारा ख़्याल है, उसे अस्सी कोड़े लगायें, क्योंकि शराबी, शराब पीकर नशा में आ जाता है और बकवास शुरू कर देता है और किसी पर इफ़्तरा (झूठ) बाँधता है, (और इफ़्तरा व क़ज़फ़ की हद अस्सी कोड़े हैं) मौता इमाम मालिक किताबुल अशरिबा सफ़ाः 357, तकमिला, जिल्दः 2, सफ़ाः 497, चुनांचे हज़रत उमर (ﷺ) ने इस हद को नाफ़िज़ कर दिया। गोया अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और हज़रत अली (ﷺ) दोनों ने ये मशवरा दिया।

(4453) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से हज़रत अनस (ﷺ) की ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक आदमी लाया गया, आगे हस्बे साबिक़ रिवायत है।

तख़रीजः ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4428 में देखें।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

(4454) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने शराब पीने पर छड़ी और जूतों से मारा, फिर अबू बक्र (ﷺ) ने चालीस कोड़े मारे, जब हज़रत उमर (ﷺ) का दौर आया और लोग सब्ज़ा ज़ारों (सर सब्ज़ो शदाब जगहें) और बस्तियों के क़रीब रहने लगे, (और शराबियों में इज़ाफ़ा हो गया) तो हज़रत उमर (ﷺ) ने साथियों से पूछा, तुम्हारा शराब नोशी की सज़ा के बारे में क्या ख़्याल है तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) ने कहा, मेरा ख़्याल है आप (ﷺ) इसे कम तर हद के बराबर कर दें तो हज़रत उमर (ﷺ) ने अस्सी कोड़े लगवाने शुरू कर दिये।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6773, 6776, सुनन अबू दाऊद: 4479, सुनन इब्ने माजा: 2570.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ، بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ . فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ . قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ .

मुफ़रदातुल हदीस : अरीफ़ जमा अर्याफ़: सरसब्ज़ व शादाब इलाक़े, जहाँ पानी बकसरत हो, हज़रत उमर (ﷺ) के दौर में शाम व इराक़ के इलाक़े फ़तह हो गये, जो ज़रई इलाक़े थे और वहाँ खजूरें और अंगूर आम थे, इन इलाक़ों में शराब आसानी से मयस्सर थी, इसलिए शराब नोशी में इज़ाफ़ा हो गया।

(4455) इमाम साहब एक और उस्ताद से हिशाम की ऊपर दी गई सनद से, ऊपर दी गई हदीस बयान करते हैं।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4429 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(4456) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) शराब नोशी की सूरत में चालीस जूते और छड़ियाँ मारते थे, आगे ऊपर दी गई हदीस है, लेकिन सर सब्ज़ व शादाब इलाक़े और बस्तियों का ज़िक्र नहीं है।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4429 में देखें।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّوسلم كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرِ الرِّيفَ وَالْقُرَى

(4457) इमाम साहब चार उस्तादों की दो सनदों से अबू सासान हुज़ैन बिन मुन्ज़िर (रह.) से बयान करते हैं कि मैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान(ﷺ) के पास हाज़िर था कि उनके सामने वलीद (ﷺ) को लाया गया, उसने सुबह की दो रकअतें पढ़ाने के बाद पूछा, क्या तुम्हें और नमाज़ पढ़ा दूँ? तो उसके बारे में दो आदमियों ने गवाही दी, उनमें एक हमरान (ﷺ) थे, उसने कहा, उसने शराब पी है। और दूसरे ने गवाही दी, मैंने उसे क़ै करते देखा है तो हज़रत उस्मान (ﷺ) ने कहा, शराब पी है तो क़ै की है और कहा, ऐ अली (ﷺ)! उठिये और उसको कोड़े लगाइये तो हज़रत अली (ﷺ) ने कहा, ऐ हसन! उठ और उसे कोड़े मार तो हज़रत हसन(ﷺ) ने कहा, हुकूमत की गर्मी उसके हवाले कीजिये, जो उसकी ठण्डक से फ़ायदा उठाता है तो हज़रत अली (ﷺ) उनसे नाराज़ होकर कहने लगे, ऐ अब्दुल्लाह बिन जाफ़र(ﷺ) उठ और उसको कोड़े मार, उसने कोड़े मारने शुरू कर दिये, और हज़रत अली (ﷺ) गिन रहे थे यहाँ तक कि उसने चालीस कोड़े पूरे कर लिये तो कहने लगे, रूक जा, फिर फ़रमाया, नबी अकरम(ﷺ) ने चालीस कोड़े मारे और अबू बक्र(ﷺ) ने चालीस कोड़े मारे और उमर (ﷺ) ने अस्सी कोड़े मारे, हर तरीक़ा, रवैया दुरूस्त है और ये तरीक़ा मुझे ज़्यादा पसन्द है, अली बिन हुज्र की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, इस्माईल कहते हैं, मैंने दानाज से ये रिवायत सुनी है, लेकिन याद नहीं कर सका।

तख़रीज:अबू दाऊद:4480, 4481, इब्ने माजा: 2571

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ، مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجِ حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ، قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ . فَقَالَ عَلِيٌّ قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ . فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا - فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ - فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ . فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ . ثُمَّ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَىَّ . زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ .

नोट : अल्लामा तक़ी ने तारीख़े तबरी की मुख़्तलिफ़ रिवायात बयान की हैं, जिससे मालूम होता है, वलीद (ﷺ) जो हज़रत उस्मान (ﷺ) के पर्वरदा और उनके अख़्याफ़ी भाई थे और कूफ़ा में पाँच साल इन्तेहाई महबूब गवर्नर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ साज़िश करके, शराब की तोहमत लगाकर उनको माज़ूल करवाया गया और उनको शराब नोशी की हद लगवाई गई और अल्लामा तक़ी ने भी इन रिवायात की ताईद में क़रायन पेश किये हैं। (देखिये: तकमिला, जिल्द: 2, सफ़ा: 489 से 501)

फ़ायदा : लम यतक़य्यउ हत्ता शरिबहा: शराब नोशी के बग़ैर उसको क़ै नहीं हो सकती, इमाम मालिक और इमाम अहमद के राजेह क़ौल के मुताबिक़, शराब की क़ै की शहादत से शराब नोशी साबित हो जाती है, इसलिए उस पर लाज़िम हो जाती है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक, शराब की क़ै से हद लाज़िम नहीं ठहरती, क्योंकि मुमकिन है मजबूर और इज़्तेरारी हालत में या ग़लत फ़हमी से पी हो, लेकिन बक़ौल अल्लामा तक़ी मालकिया और हनाबिला का मौक़िफ़ मज़बूत है, क्योंकि उसको ख़ुल्फ़ा–ए–राशिदीन के फ़ैसला जात की ताईद हासिल है, अक़्लन भी उसकी ताईद होती है और आज कल के बिगड़े हुए हालात का तक़ाज़ा भी यही है इसलिए इमाम नववी ने उसको तर्जीह दी है, (तकमिला, जिल्द: 2, सफ़ा: 505)

वल्लि हार्रहा मन तवल्ला क़ार्रहा: एक मुहावरा है, जिसका मक़सद ये होता है कि जो किसी चीज़ के फ़वाइद और मुनाफ़े से फ़ायदा उठाता है, उसका अगर कोई नुक़सान हो तो वह भी उसको ही बरदाश्त करना चाहिए और हज़रत हसन (ﷺ) का मक़सद ये था कि हज़रत उस्मान (ﷺ) जब ख़िलाफ़त की सहुईतों से फ़ायदा उठा रहे हैं तो ये सख़्ती और शिद्दत का काम जिससे महदूद और उसके अक़ारिब के दिल में नफ़रत पैदा होगी, भी ख़ुद ही सरअंजाम दें, हालांकि हज़रत उस्मान (ﷺ) ने हज़रत अली (ﷺ) की तकरीम व तौक़ीर करते हुए, उन्हें ये ज़िम्मेदारी सौंपी थी, सही बुख़ारी में हज़रत उस्मान (ﷺ) के मनाक़िब में आया है कि हज़रत अली ने अस्सी कोड़े लगवाये थे और तत्बीक़ की सूरत ये है, जैसा कि कुछ रिवायात में मौजूद है कि चालीस कोड़े लगवाये थे, लेकिन उसके सिरे दो थे, इसलिए जिसने कोड़े का लिहाज़ रखा चालीस कहा और जिसने कोड़े के दूसरे सामने रखे, उसने (80) कहा, इस तरह गोया,चालीस कोड़े दोहरे मारना पसन्दीदा अमल क़रार दिया, इसलिए कुल्लुन सुन्नतुन का मानी ये हो सकता है, अस्सी (80) कोड़े और चालीस दोहरे कोड़े, दोनों सुन्नत हैं और अस्सी (80) कोड़े लगाने का मशवरा ख़ुद हज़रत अली (ﷺ) ने ही दिया था। (फ़तहुलबारी, जिल्द: 12, सफ़ा: 85) जैसा कि ऊपर गुज़र चुका है।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ فَأَجِدَ مِنْهُ فِي نَفْسِي إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ لأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ .

(4458) हज़रत अली (ﷺ) बयान करते हैं, अगर मैं किसी को हद लगाऊं और वह मर जाये तो मुझे दिल में अफ़सोस और ग़म नहीं होगा, मगर शराबी (की मौत पर) क्योंकि अगर वह मर जायेगा तो मैं उसकी दियत अदा करूंगा, क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी हद की क़तई तअय्युन नहीं की।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6778, सुनन अबू दाऊद: 4486, सुनन इब्ने माजा: 2569.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(4459) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से सुफ़ियान की ऊपर दी गई सनद से बयान करते हैं।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4493 में देखें।

फ़ायदा : ऊपर हम बता चुके हैं कि हुज़ूर अकरम (ﷺ) के दौरे मुबारक में किसी एक मुतअय्यन चीज़ से नहीं मारा जाता था, इसलिए शुमार में भी कमी व बेशी हो जाती थी और हज़रत उमर (ﷺ) के अहदे मुबारक में कोड़ों की तअय्युन कर दी गई और तादाद भी मुतअय्यन कर दी गई, इसलिए हज़रत अली (ﷺ) फ़रमाते थे शराबी की हद में शराबी मरना नहीं चाहिए अगर वह मर जायेगा तो मैं उसकी दियत दूंगा, अइम्मा का इत्तेफ़ाक़ है कि अगर कोई इंसान हद लगने से मर जायेगा तो उस पर दियत नहीं पड़ेगी, लेकिन शराब नोशी की हद में इख़्तिलाफ़ है, इमाम शाफ़ेई का क़ौल है अगर हद में कोड़े इस्तेमाल न हुए तो दियत नहीं है, कोड़ों की हद चालीस से ज़्यादा लगाई गई तो दियत पड़ेगी। फ़तहुलबारी, जिल्द: 12, सफ़ा: 83, अहनाफ़ और मालकिया के नज़दीक शराब नोशी की हद अस्सी (80) कोड़े हैं, एक क़ौल इमाम अहमद का भी यही है, जिसको अक्सर हनाबिला ने क़बूल किया है, इमाम ओज़ाई, इस्हाक़, शअबी, हसन बसरी और इमाम शाफ़ेई का एक क़ौल यही है, लेकिन इमाम शाफ़ेई का मशहूर क़ौल यही है कि शराब नोशी की हद चालीस कोड़े हैं और इमाम अहमद का एक क़ौल भी यही है। (अलमुग़नी, जिल्द: 12, सफ़ा: 498 से 499 उम्दतुल क़ारी, जिल्द: 11,सफ़ा: 125)

बाब : 9
ताज़ीर के कोड़ों की मिक़्दार

(9)
باب قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ، عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

(4460) हज़रत अबू बुर्दा अन्सारी (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'कोई इंसान, अल्लाह की हुदूद में से किसी हद के सिवा दस से ज़्यादा कोड़े न मारे।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6848, 6849, 6850, सुनन अबू दाऊद: 4491, 4492, जामेअ तिर्मिज़ी: 1463, सुनन इब्ने माजा: 2601.

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि ताज़ीर की सूरत में दस से ज़्यादा कोड़े नहीं लगाये जा सकते, इमाम इस्हाक़ और लैस़ का यही ख़याल है और इमाम अहमद का एक क़ौल भी यही है। इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक, शाफ़ेई और अहमद के एक क़ौल के मुताबिक़, इससे ज़्यादा कोड़े ताज़ीर की सूरत में लगाये जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा की मिक़्दार में इख़्तिलाफ़ है।

(1) इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद के नज़दीक, 39 से ज़्यादा कोड़े, आज़ाद हो या गुलाम नहीं मारे जा सकते, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद का एक क़ौल यही है, इमाम शाफ़ेई के नज़दीक ग़ुलाम को उन्नीस (19) से ज़्यादा कोड़े नहीं मारे जा सकते, इब्ने अबी लैला और अबू यूसुफ़ के नज़दीक चूंकि कम अज़ कम हद अस्सी (80) कोड़े हैं, इसलिए ताज़ीर में इससे ज़्यादा कोड़े नहीं मारे जा सकते, अल मुग़नी, जिल्द: 12, सफ़ा: 524, फ़तहुलबारी, जिल्द: 12, सफ़ा: 220 और इमाम का एक क़ौल बक़ौल इब्ने क़ुदामा ये है, हर जुर्म में उसकी जिन्स की हद का लिहाज़ है, जैसे अगर ताज़ीर के जुर्म पर है तो सौ कोड़ों से कम होगी ताकि हद्दे ज़िना से कम रहे, अगर ज़िना के सिवा इल्ज़ाम तराशी हो तो ताज़ीर अस्सी (80) से कम कोड़े होगी और इमाम मालिक के नज़दीक ताज़ीर का इख़्तियार इमाम को है या उसके मुक़र्रर करदा क़ाज़ी को, इसलिए वह जुर्म की शिद्दत व ग़ैर शिद्दत के ऐतबार से जितनी चाहे सज़ा दे सकता है, हद से भी ज़्यादा ताज़ीर जारी कर सकता है, अबू स़ौर

और अबू यूसुफ़ का एक क़ौल यही है और इन अइम्मा ने जिन आसारे सहाबा (ﷺ) से इस्तेदलाल किया है, इनमें दर हक़ीक़त किसी ऐसे काम का इरतेकाब किया गया है, जिस पर हद लगती है, लेकिन वह गवाह या इक़रार से साबित नहीं हो सकी और हाफ़िज़ इब्ने तैमिया और हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम के नज़दीक, इस हदीस का मानी ये है कि अल्लाह की मअ़सियत और नाफ़रमानी पर तो दस से ज़्यादा कोड़े लगाये जा सकते हैं, लेकिन शख़्सी और इंसानी क़वानीन के तोड़ने पर दस से ज़्यादा कोड़े नहीं लगाये जा सकते, जैसे कोई इंसान, बाप या उस्ताद की नाफ़रमानी करता है तो वह तादीब व सरज़निश के लिए, दस से ज़्यादा कोड़े नहीं लगा सकता या बक़ौल हाफ़िज़ इब्ने हजर, छोटे गुनाह पर दस से ज़्यादा कोड़े नहीं लगाये जा सकते और बड़े गुनाह पर उसे दस से ज़्यादा कोड़े लगाये जा सकते हैं। (फ़तहुलबारी, जिल्द: 12, सफ़ा: 220) क्योंकि, हद का इतलाक़ अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी और मअ़सियत पर भी होता है, जैसा कि फ़रमाने बारी तआ़ला है: 'ये अल्लाह के हुदूद हैं, इनको न तोड़ो, यानी अल्लाह का हुक्म है, इसकी नाफ़रमानी न करो।' (अल बक़र: 229)

बाब : 10
हुदूद, हद लगने वाले के लिए कफ़्फ़ारा बनती है

(10)
باب الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لأَهْلِهَا

(4461) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक मज्लिस में बैठे थे तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम मुझ से इस पर बैत करो कि तुम अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे और ज़िना नहीं करोगे और चोरी नहीं करोगे और अल्लाह तआ़ला ने जिस जान को मोहतरम ठहराया है, उसको नाहक़ क़त्ल नहीं करोगे तो तुममें से जो इस बैत पर वफ़ा करेगा, उसको अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से अज्र मिलेगा और जिसने इनमें से किसी चीज़ का इरतेकाब किया और उसे उस पर सज़ा मिल गई तो वह उसके लिए

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ " تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ

कफ़्फ़ारा होगी और जिसने इनमें से किसी चीज़ का इरतेकाब किया और उस पर अल्लाह ने पर्दा डाला तो उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, चाहे माफ़ कर दे और चाहे उसे सज़ा दे।'

أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ " .

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3892, 3999, 4894, 6784, 6801, नसाई: 7213, 7468, जामेअ तिर्मिज़ी: 1439, नसाई: 7/141, 142, 7/148, 7/161, 162, 8/108.

(4462) इमाम साहब एक और उस्ताद की सनद से ज़ोहरी ही की ऊपर दी गई सनद से ये हदीस बयान करते हैं, जिसमें ये इज़ाफ़ा है कि आप (ﷺ) ने औरतों की बैत पर ये आयत हमें सुनाई: 'वह अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें।' (अल मुम्तहिना, आयत, सफ़ा: 12)

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ فَتَلاَ عَلَيْنَا آيَةَ النِّسَاءِ { أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} الآيَةَ .

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4436 में देखें।

फ़ायदा : हज़रत उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) ने जिस मज्लिस का तज़किरा किया है, उसका ताल्लुक़ फ़तहे मक्का के बाद की किसी मज्लिस से है, क्योंकि आप (ﷺ) ने इसमें सूरह मुम्तहिना की आयत की तिलावत फ़रमाई, जो फ़तहे मक्का के बाद नाज़िल हुई और इस हदीस से साबित होता है कि जिस इंसान पर दुनिया में हद्दे शरई जारी कर दी जाती है, वह उसके गुनाह का कफ़्फ़ारा बनती है, क्योंकि ख़ूश दिली से हद्दे शरई क़बूल कर लेना, अमली तौबा है और तौबा से हर क़िस्म का जुर्म और गुनाह माफ़ हो जाता है और हद क़बूल करना अमली तौबा है, इसकी दलील हज़रत माइज़ और ग़ामदिया(رضي الله عنها) की हदीस है, जिसमें आप (ﷺ) ने हद जारी करने के बाद, उसको तौबा का नाम दिया है, अक्सर फ़ुक़हा-ए-उम्मत के नज़दीक इस हदीस की बिना पर हुदूद कफ़्फ़ारा हैं, लेकिन अहनाफ़, हुदूद को कफ़्फ़ारा नहीं मानते, ज़ूअज्र इबरत का सामान, आइन्दा इरतेकाब से रोकने का बाइस क़रार देते हैं और इसके लिए दलील आयते मुहारबा को बनाते हैं, हालांकि इसका सबबे नुज़ूल उकल और उरैना का वाक़िया जो इस्लाम से मुर्तद हो गये और बिल इत्तेफ़ाक़ हद शिर्क व कुफ़्र का कफ़्फ़ारा नहीं बन सकती, मौलाना महमूदुल हसन ने तक़रीरे तिर्मिज़ी में हद का कफ़्फ़ारा होना तस्लीम किया है और मौलाना नासिर अहमद उस्मानी ने भी इसको तस्लीम किया है। (फ़तहुलबारी, जिल्द: 1, सफ़ा: 362)

وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ نَزْنِيَ وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا وَلاَ يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا " فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ " .

(4463) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमसे भी इस तरह अहद लिया, जिस तरह औरतों से लिया था कि हम अल्लाह के साथ किसी को साझी क़रार न दें, चोरी न करें, ज़िना न करें, अपनी औलाद को क़त्ल न करें, एक दूसरे पर बोहतान और इल्ज़ाम तराशी न करें, 'तुममें से जो इस अहद का ईफ़ा (पूरा) करेगा, उसको अल्लाह की तरफ़ से अज्र मिलेगा और जिस किसी ने क़ाबिले हद गुनाह का इरतेकाब किया और उस पर हद जारी कर दी गई हो तो वह उसके लिए कफ़्फ़ारा होगी और जिसके जुर्म पर अल्लाह ने पर्दा डाला तो उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, अगर वह चाहे तो उसे सज़ा दे और अगर चाहे तो माफ़ कर दे।'

तख़रीज : सुनन इब्ने माजा: 2603.

मुफ़रदातुल हदीस : ला यअ़्ज़ह बअ़्ज़ुना बअ़्ज़नः अ़ज़्हुन का मानी है, इल्ज़ाम तराशी, बोहतान बाँधना, यानी हम एक दूसरे पर झूठ ना बाँधें या तोहमत तराशी न करें।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَمِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ نَزْنِيَ وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ نَنْتَهِبَ

(4464) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) बयान करते हैं, मैं उन फ़ुक़हा में हूँ, जिन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बैत की थी और उन्होंने बताया, हमने (बाद में) आप (ﷺ) से इस पर बैत की थी कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरायेंगे, ज़िना नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे और जिस शख़्स को अल्लाह ने क़त्ल करना हराम ठहराया है, हम उसको नाहक़ क़त्ल नहीं करेंगे, हम डाका नहीं डालेंगे और हम नाफ़रमानी का काम नहीं

وَلاَ نَعْصِيَ فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ . وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ كَانَ قَضَاؤُهُ إِلَى اللَّهِ .

करेंगे, हमने अगर उसकी पाबन्दी की तो जन्नत मिलेगी और अगर हमने उनमें से किसी जुर्म का इरतेकाब किया तो उसका फ़ैसला अल्लाह के सुपुर्द होगा, इब्ने रूम्ह ने क़ज़ाअ ज़ालिक की जगह क़ज़ाउहु कहा है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3893, 6873.

(11)باب جَرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ

बाब : 11 जानवर (हैवान), कान और कुएँ के सबब ज़ख़्म रायगां है, यानी उस पर तावान है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ، سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " .

(4465) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हैवान का ज़ख़्मी करना, रायगां है और कुएँ से नुक़सान का तावान नहीं है और कान से पहुँचने वाले नुक़सान का दण्ड नहीं है और जाहिलियत के दफ़ीना पर पाँचवां हिस्सा अदा करना होगा।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6912, जामेअ तिर्मिज़ी: 1377.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अलअज्माउ: आज़मु का मुअन्नस है, चौपाया, हैवान। **(2) जराहून:** ज़ख़्मी करना। **(3) जरहुन, जुरहुन:** ज़ख़्म, मक़सद हैवान का नुक़सान पहुँचाना वह ज़ख़्म की सूरत में हो या किसी और तरह। **(4) जुबारून:** रायगां है, इस पर मुआवज़ा या तावान नहीं है, **(5) अर्रिकाज़:** जाहिलियत का दफ़ीना।

फ़वाइद : (1) हैवान से पहुँचने वाला नुक़सान रायगां है, हैवान अगर किसी का नुक़सान करता है, शख़्सी तौर पर उसको ज़ख़्मी करता है या उसका माली नुक़सान करता है, उसकी दो सूरतें हैं। **(अ)**

वह हैवान घर से या मालिक से भाग आया है, उसके साथ कोई नहीं है, इस सूरत में अगर वह किसी क़िस्म का नुक़सान करता है तो अहनाफ़ के नज़दीक उस पर किसी क़िस्म का तावान नहीं है, दिन का वक़्त हो या रात का लेकिन फ़ुक़हा–ए–हिजाज़ इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और अहमद के नज़दीक, अगर वह किसी की खेती का नुक़सान करता है तो अगर रात का वक़्त है तो मालिक पर तावान पड़ेगा, अगर दिन का वक़्त है तो फिर तावान नहीं है और इमाम लैस के नज़दीक मालिक के ज़िम्मे हर हालत में तावान है। (अलमुग़नी, जिल्द: 12, सफ़ा: 541) सही बात ये है, अगर इसमें मालिक की कोताही का दख़ल है तो तावान है, वरना किसी हालत में तावान नहीं है। **(ब)** अगर मालिक हैवान के साथ है या कोई उसके साथ है तो फिर अगर वह किसी चीज़ को रौंदता है, वह माल हो, शख़्स हो या खेती तो सवार उसका ज़िम्मेदार है, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद का यही नज़रिया है, लेकिन इमाम मालिक के नज़दीक उस पर तावान नहीं है, अगर हैवान, आम रास्ता पर जा रहा है और उसके साथ इंसान मौजूद है और जानवर अपने किसी अज़्व जैसे टांग , हाथ, सर, मुँह से किसी को नुक़सान पहुँचाता है तो इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक वह ज़ामिन है, अगर हैवान दूलती (टांग) मारता है या दुम मारता है तो ज़ामिन नहीं है, लेकिन इमाम शाफ़ेई के नज़दीक हर हालत में, हैवान के साथ वाला ज़ामिन है, हैवान किसी अज़्व (अंग) से भी नुक़सान पहुँचाये और आज कल की गाड़ियों का डराईवर, हर हालत में ज़ामिन है, अगर वह ग़फ़लत और बेपरवाही से काम लेता है, लेकिन अगर उसकी कोताही या ग़फ़लत व बेपरवाही का दख़ल नहीं है, अचानक कोई इंसान या हैवान आगे आ गया है, वह उसकी कोशिश के बावजूद, नीचे आ गया है तो वह ज़िम्मेदार नहीं है।

अल बीर जुबार: कुएँ का नुक़सान रायगां है, अगर कुएँ के मालिक का इस नुक़सान में दख़ल नहीं है कि उसने कुआँ अपनी ज़मीन में खोदा है या बे'आबाद जगह में खोदा है और उसमें कोई इंसान या हैवान गिर जाता है तो मालिक उसका ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर वह रास्ते में कुआँ खोदता है या किसी दूसरे की जगह में कुआँ खोदता है, यानी उसकी ज़्यादती का दख़ल है तो फिर वह ज़िम्मेदार है, जुम्हूर का यही मौक़िफ़ है, अहनाफ़ का भी यही मौक़िफ़ है, इस तरह अगर किसी ने कुआँ खोदने का किसी को ठेका दिया या उसके लिए मज़दूर रखा और उससे खोदने वाले को नुक़सान पहुँचा तो मालिक ज़िम्मेदार नहीं है।

अल मअ्दिन: कोई इंसान अपनी ज़मीन में या बे'आबाद जगह में कान खोदता है और कोई शख़्स उसमें गिर कर मर जाता है या ज़ख़्मी हो जाता है तो उसका मालिक ज़िम्मेदार नहीं है या मालिक, कान खोदने के लिए मज़दूर रखता है और उनको तमाम ज़रूरी साज़ो सामान मुहैया कर देता है या ये मज़दूर की अपनी ज़िम्मेदारी है फिर कान से मज़दूर को कोई नुक़सान पहुँचता है या उस पर गिर जाती है तो मालिक

पर तावान नहीं है, हाँ ख़ैरख़्वाही के हिसाब से उसको मज़दूर का इलाज मुआलिजा करवाना चाहिए।

फ़िरिकाज़ अल खुम्सु: जाहिलियत का दफ़ीना मिल जाने की सूरत में उसका पाँचवां हिस्सा बैतुलमाल को दिया जायेगा और कान (मअदिन) से हासिल होने वाली चीज़ पर चूंकि, मालिक को मेहनत व मशक़्क़त उठानी पड़ती है और मज़दूरी अदा करनी होती है, इसलिए वह रिकाज़ के हुक्म में नहीं है, अइम्म-ए-हिजाज़, मालिक, शाफ़ेई और अहमद का यही मौक़िफ़ है, लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक रिकाज़ का इतलाक़ मअदिन (कान) पर भी होता है, इसलिए इसका हुक्म भी जाहिलियत के दफ़ीना वाला है, इमाम सौरी, ओज़ाई और अबू उबैद बिन सलाम का भी यही मौक़िफ़ है और लुग़त की रू से इसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन शरई तौर पर ये रिकाज़ नहीं है, लुग़वी मानी पर शरई मानी को तर्जीह हासिल है। हाँ इस पर इमाम बुख़ारी वाला ऐतराज़ सही है कि एक तरफ़ तो मअदिन को आम अइम्मा के बर ख़िलाफ़ रिकाज़ में दाख़िल किया है और दूसरी तरफ़ ख़ुम्स की अदायगी से बचने के लिए हीले निकाले जाते हैं और उसको पूरे माल पर क़ब्ज़ा करने का मौक़ा दिया जाता है।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي ابْنَ عِيسَى - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ . مِثْلَ حَدِيثِهِ

(4466) इमाम पाँच उस्तादों की दो सनदों से (एक तरफ़ चार हैं और दूसरी तरफ़ एक) लैस़ की ऊपर दी गई सनद ही से ऊपर दी गई हदीस़ बयान करते हैं।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3085, 4593, जामेअ तिर्मिज़ी: 1377, नसाई: 5/45, सुनन इब्ने माजा: 2509, 2673, सही बुख़ारी: 1499.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

(4467) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों की सनद से ऊपर दी गई हदीस़ बयान करते हैं।

तख़रीज : नसाई: 2495, 13351 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الأَسْوَدِ، بْنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " .

(4468) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कुएँ के ज़ख़्म का तावान नहीं, कान के ज़ख़्म का दण्ड नहीं है, हैवान के ज़ख़्म का मुआवज़ा नहीं है और रिकाज़ में पाँचवां हिस्सा है।'

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(4469) इमाम साहब तीन उस्तादों की तीन सनदों से, अबू हुरैरह (ﷺ) की ऊपर दी गई हदीस बयान करते हैं।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 6913.

ارشاد باری تعالیٰ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"پس نہیں! آپ کے رب کی قسم! وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آنے پائے اور وہ اسے دل و جان سے مان لیں۔"

(النساء ۶۵ : ۴)

'पस नहीं! आपके रब की क़सम! वह मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी (आपसी) इख़्तिलाफ़ात में आपको फ़ैसला करने वाला न मान लें, फिर आपके किये हुये फ़ैसले पर उनके दिलों में कोई तंगी न आने पाये और वह उसे दिल व जान से मान लें।'

(अन्निसा: 4/65)

किताबुल अक़्ज़िया का तआरुफ़

अक़्ज़िया, क़ज़ा की जमा है। जब किसी हक़ के बारे में दो आदमियों या दो फ़रीक़ों के दरम्यान इख़्तिलाफ़ हो तो शरीयत के हुक्म के मुताबिक़ असल हक़दार का तअय्युन करके उसके हक़ में फ़ैसला करना 'क़ज़ा' है। फ़ैसला करने वाला क़ाज़ी कहलाता है। इन फ़ैसलों का निफ़ाज़ हुकूमत की ताक़त से होता है। किसी भी हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारियों में से फ़ैसलों का निफ़ाज़ है। उनके बिल मुक़ाबिल फ़तवा किसी मामले में शरीयत का हुक्म वाज़ेह करने का नाम है। इसके पीछे कुव्वते नाफ़िज़ा नहीं होती लेकिन उमूमन राय उसकी हामी होती है, इसलिये फ़तवों का अपना वज़न भी होता है और फ़ैसला करने वालों के लिये रहनुमाई भी। फ़तवा उन उमूर में भी हासिल किया जाता है जो इन्सान ने रज़ाकाराना तौर पर ख़ूद अपने आप पर नाफ़िज़ करने होते हैं।

इस हिस्से में फ़ैसले करने के हवाले से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जो रहनुमाई फ़रमाई है उसको वाज़ेह किया गया है। आज कल इसे (Procedural laws) कहते हैं। सबसे पहले ये बात वाज़ेह की गई है कि हल तलब क़ज़िये के हवाले से सुबूत और गवाही पेश करना मुद्दई की ज़िम्मेदारी है, जबकि क़सम मुद्दआ अलैह पर आती है। अगर सुबूत और गवाही को अच्छी तरह खंगालने और दूसरे फ़रीक़ का मौक़िफ़ सुनने के बाद हक़ व इन्साफ़ पर मबनी फ़ैसला मुमकिन है तो बेहतर और अगर मुमकिन नहीं, मुद्दई अपनी बात साबित करने में नाकाम रहा है तो मुद्दआ अलैह पर क़सम होगी और उसके मुताबिक़ फ़ैसला होगा। कुछ औक़ात नाकाफ़ी गवाही की सूरत में मुद्दई से भी क़सम का मुतालबा किया जाता है और उसकी रोशनी में फ़ैसला दिया जाता है। फ़ैसला सही भी हो सकता है और ग़लत भी। ग़लत फ़ैसला नाफ़िज़ भी हो जाये तो हक़ फिर भी उसी का रहता है जो असल हक़दार था, ग़लत फ़ैसले से फ़ायदा उठाने वाले हतमी फ़ैसले के दिन उसकी सज़ा पायेंगे और हक़ उसी को मिलेगा जिसका था। घरेलू और ख़ानदानी मामलात में भी फ़ैसला तलब किया जा सकता है और कुछ औक़ात दूसरे फ़रीक़ की मौजूदगी के बग़ैर असल मामले के हवाले से शरीयत का हुक्म वाज़ेह कर दिया जाता है। ऐसे फ़ैसलों पर अमल का मामला इन्सान के ज़मीर पर मुन्हसिर होता है, कुछ फ़ैसलों में फ़रीक़ सिर्फ़ एक ही होता है और अमल दरआमद भी वह ख़ूद ही करता है। बतौर मिसाल कसरत से सवालात करने, क़ील व क़ाल में मशग़ूल होने और जिन हुक़ूक़ का मुतालबा नहीं किया गया, उनकी अदायगी के मामलात हैं। उनमें फ़ैसला एक ही फ़रीक़ को सुनाया गया है जिसे उसी फ़रीक़ ही ने नाफ़िज़ करना है। आख़री हिस्से में फ़ैसला करने वालों के लिये रहनुमाई है कि वह फ़ैसले किस तरह करेंगे और ये कि फ़ैसलों के हवाले से उनकी ज़िम्मेदारी क्या है।

كتاب الأقضية

फ़ैसला जात का बयान

(1)

باب الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

बाब : 1

क़सम मुद्दआ अलैह (जिसके ख़िलाफ़ दावा है) के ज़िम्मे है

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " .

(4470) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर लोगों का दावा क़बूल कर लिया जाये तो बहुत से लोग दूसरे लोगों के ख़ूनों और मालों के ख़िलाफ़ दावा कर बैठेंगे, लेकिन मुद्दआ अलैह को क़सम उठाना होगी।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 4552, 2514, 2668, सुनन अबू दाऊद: 3619, जामेअ तिर्मिज़ी: 1342, नसाई: 8/248, 249, सुनन इब्ने माजा: 2321.

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि किसी इंसान का क़ौल सिर्फ़ उसके दावा की बुनियाद पर तस्लीम नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है वह अपने दावा पर दलील यानी गवाह पेश करे या मुद्दआ अलैह उसके दावा को तस्लीम करे, क्योंकि अगर महज़ किसी के दावा करने पर उसका मतलब मान लिया जाये और उसका हक़ तस्लीम कर लिया जाये तो बहुत से लोग, दूसरों की जान और माल के ख़िलाफ़ दावा करना शुरू कर देंगे और लोगों की जान व माल ग़ैर महफ़ूज़ हो जायेगी, जबकि मुद्दई के पास जान व माल की हिफ़ाज़त के लिए, शहादत का ज़रिया मौजूद है।

अल यमीनु अलल मुद्दआ अलैह: से जुम्हूर ने इस्तेदलाल किया है कि दावा की सूरत में अगर मुद्दई शहादत न पेश कर सके तो मुद्दआ अलैह को हर हालत में क़सम उठाना होगी, जबकि इमाम मालिक का मौक़िफ़ ये है कि मुद्दआ अलैह पर क़सम इस सूरत में लाज़िम होगी, जब उसका मुद्दई (दावा करने वाला) के साथ इख़्तिलात और मेल मिलाप है, वरना औबाश लोग, शुरफ़ा को तंग करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ दावा करेंगे और उनको बार बार बिला वजह क़सम उठाना होगी, गोया दावा की सेहत के लिए ये शर्त है कि मुद्दई और मुद्दआ अलैह में किसी क़िस्म का रब्त व ताल्लुक़ हो ताकि उसको मुद्दई माना जा सके, अगर दावा की सेहत का क़रीना मौजूद नहीं है तो वह मुद्दई कैसे बन सकेगा कि मुद्दआ अलैह पर क़सम पड़े।

(4471) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़सम उठाने का फ़ैसला, मुद्दआ अलैह के बारे में किया है। (क़सम मुद्दआ अलैह उठाये)

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4445 में देखें।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ، أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि क़सम उठाना, मुद्दआ अलैह के ज़िम्मे है, अगर वह क़सम उठा देगा तो बरीउज़्ज़िम्मा हो जायेगा और अगर क़सम नहीं उठायेगा तो मुद्दई के हक़ में फ़ैसला कर दिया जायेगा और मुद्दआ अलैह के क़सम से इंकार पर मुद्दई को क़सम उठाने के लिए नहीं कहा जायेगा, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद का मौक़िफ़ यही है, लेकिन इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक मुद्दआ अलैह के क़सम से इंकार पर उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं किया जायेगा, इमाम मालिक के नज़दीक माली मामलात में मुद्दई को क़सम उठाने के लिए कहा जायेगा, अगर क़सम उठा लेगा तो उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया जायेगा और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक हर क़िस्म के दावा में मुद्दई को क़सम उठाने के लिए कहा जायेगा, क़सम के बग़ैर उसके हक़ में फ़ैसला नहीं किया जायेगा, लेकिन ये ख़्याल रहे, हुदूद के मसले में क़सम नहीं है, बाक़ी दावों के बारे में, क़सम के बारे में इख़्तिलाफ़ है, क्योंकि हुक़ूक़ दो क़िस्म के हैं। (1) हुक़ूक़ुल्लाह (2) हुक़ूक़ुल इबाद, हुक़ूक़ुल इबाद में जो माली मामलात हैं या उनमें मक़सूद माल ही है, इसमें बिल इत्तेफ़ाक़ क़सम है और जो माली मामलात नहीं हैं या माल से उनका ताल्लुक़ नहीं यानी माल मक़सूद नहीं है, जैसे क़िसास, निकाह, रूजू, ईला, वग़ैरह, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक इनमें क़सम नहीं है, इमाम अहमद का एक क़ौल यही है और इमाम शाफ़ेई और साहबैन के नज़दीक यहाँ भी क़सम है, लेकिन मुताख़्ख़िरीन अहनाफ़ ने फ़तवा साहबैन के मुताबिक़ दिया है कि हुदूद के सिवा हर दावा में मुद्दआ अलैह से क़सम ली जा सकती है।

बाब : 2
एक शाहिद (गवाह) और उसकी क़सम पर फ़ैसला कर दिया जायेगा

(2)
باب الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ، - وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ - حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.

(4472) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़सम और गवाह की बुनियाद पर फ़ैसला फ़रमाया।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3608, 3609, सुनन इब्ने माजा: 2370.

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि अगर मुद्दई अपने दावा पर एक गवाह पेश कर दे और दूसरे गवाह की जगह क़सम उठा दे तो उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया जायेगा, अइम्म-ए-हिजाज़ (मालिक, शाफ़ेई, अहमद) इसके क़ाइल हैं, ख़ुल्फ़ा-ए-राशिदीन और जुम्हूर का यही नज़रिया है और हदीस़ मुस्तक़िल हुज्ज़त है क़ुर्आन मजीद, जिस मसले के बारे में साकित (ख़ामोश) है, वह अख़बारे आहाद से स़ाबित हो सकता है, क्योंकि वह नस्ख़ नहीं है, बयान है, जैसा कि ख़ुद अल्लामा तक़ी ने उसको क़बूल किया है और अल्लामा ऐनी से भी नक़ल किया है। (तकमिला, जिल्द: 2, सफ़ा: 564-565)

इसलिए इस हदीस़ को क़ुर्आन मजीद के मुआरिज़ और मुख़ालिफ़ क़रार देना महज़ तक़लीद का शाख़साना है, क्योंकि क़ुर्आन मजीद ने निस़ाबे शहादत में तो दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों के बयान की गवाही का तज़किरा किया है और तीसरी सूरत एक गवाह और क़सम से ख़ामोश है, उसको हदीस़ ने बयान कर दिया, इस तरह शाहिद और यमीन पर दलालत करने वाली पाँच अहादीस़ को ज़ईफ़ क़रार देना सीना ज़ोरी है, इसलिए अल्लामा तक़ी ने तस्लीम किया है कि ला मजाल लिइन्कारे सुबूतिहा, उनके सबूत के इंकार की गुंजाइश नहीं है, तकमिला, जिल्द: 2, सफ़ा: 564 और ये अख़बारे आहाद नहीं, बल्कि बक़ौल अल्लामा तक़ी अहनाफ़ की इस्तेलाह की रू से मशहूर हैं, सफ़ा: 563, और अहनाफ़ के उसूल के मुताबिक़ ख़बरे मशहूर से क़ुर्आनी नस़ की तख़्सीस़ हो सकती है, जबकि जुम्हूर अइम्मा के नज़दीक तख़्सीसे बयान है, नस्ख़ नहीं है और ख़बरे वाहिद से तख़्सीस़ जायज़ है, अल वजीज़, सफ़ा: 319 (अल वजीज़ फ़ी उसूलिल फ़िक्ह) अद्दुक्तूर अब्दुल करीम ज़ैदान।

बाब : 3
हाकिम का फ़ैसला अस़ल हक़ीक़त (वाक़ेई सूरत) को तब्दील नहीं कर सकता। ज़ाहिर के मुताबिक़ फ़ैसला करना और दलील बेहतर अन्दाज़ से पेश करना

(3)
باب الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ " .

(4473) हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम मेरे पास झगड़ा लाते हो और हो सकता है तुममें से कुछ, दूसरे के मुक़ाबले में अपनी दलील बेहतर अन्दाज़ या फ़तानत से पेश करे तो मैं उसके हक़ में, उससे सुनने के मुताबिक़ फ़ैसला कर दूं तो जिसको मैंने उसके भाई के हक़ में से कोई चीज़ दिलवा दी, वह उसको न ले, क्योंकि मैं उसको उस चीज़ की सूरत में आग का एक टुकड़ा दे रहा हूँ।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2458, 2680, 6967, 7169, 7181, 7185, सुनन अबू दाऊद: 3583, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1339, 8/233, 8/347, सुनन इब्ने माजा: 2317.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अल्लहनु बिल हुज्जति: वह अपनी दलील को बेहतर तौर पर समझता हो और ज़्यादा मुअस्सिर अन्दाज़ से पेश करता हो। **(2) क़तअ़तु लहू मिन हक़्क़े अख़ीहि:** मैं उसके भाई के हक़ में से उसको कुछ दिलवा दूँ या दे दूँ।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है, क़ाज़ी या हाकिम का फ़ैसला ज़ाहिर के मुताबिक़ होता है, यानी वह ज़ाहिरी तौर पर शाहिदों से जो कुछ सुनता है, उसके मुताबिक़ फ़ैसला कर देता है और उसे ये मालूम नहीं होता कि शाहिद झूठ बोल रहे हैं, इसलिए जिस मुद्दई ने अपना दावा झूठे शाहिदों से स़ाबित किया है, उसको चूंकि मालूम है कि मैंने झूठे गवाह पेश किये हैं और मामला की अस़ल हक़ीक़त वह

नहीं है जो मैंने गवाहों के ज़रिये साबित की है, इसलिए उसको फ़ैसले को अपने हक़ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़ैसला असल हक़ीक़त को तब्दील नहीं कर सकता, (हालांकि अल्लाह आप (ﷺ) को असल हक़ीक़त से आगाह कर सकता था) ताकि उम्मत के सामने ये हक़ीक़त वाज़ेह रहे कि अदालत में झूठे गवाह क़ाइम करके फ़ैसला नाफ़िज़ुल अमल होगा, लेकिन आख़िरत में ये इंसान मुजरिम ठहरेगा और सज़ा का मुस्तहिक़ होगा, जुम्हूर उलमा का नज़रिया इस हदीस़ के मुताबिक़ है, यानी इमाम मालिक, शाफ़ेई, अहमद, ओज़ाई, इस्हाक़, अबू स़ौर, दाऊद और इब्ने हसन (रह.) का यही मौक़िफ़ है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक अगर हाकिम ने, अक़द, फ़स्ख़े अक़द या तलाक़ का फ़ैसला, झूठे गवाहों की गवाही की बुनियाद पर कर दिया तो उसका फ़ैसला ज़ाहिरन और बातिनन (हक़ीक़ते वाक़िया) दोनों ऐतबार से नाफ़िज़ुल अमल होगा, जैसे दो गवाहों को उन्होंने इकट्ठा करके, एक इंसान के बारे में ये गवाही दी कि उसने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी थी और क़ाज़ी ने गवाही मान कर मियाँ बीवी में जुदाई डाल दी तो गवाह ये जानते हुए भी कि हमने झूठ बोला है, इद्दत के गुज़रने के बाद उससे शादी कर सकता है या औरत ने झूठे गवाह तैयार करके झूठी गवाही दिलवाई कि फुलाँ मर्द ने मेरे साथ शादी की है और मुझे आबाद नहीं करता और क़ाज़ी ने उस निकाह को तस्लीम कर लिया तो वह औरत उस मर्द के लिए हलाल होगी? हालांकि हक़ीक़त ये है कि उसने उससे निकाह नहीं किया था तो झूठ से हक़ीक़त तो तब्दील नहीं होगी, इसलिए ज़ाहिरी ऐतबार से तो ये फ़ैसला नाफ़िज़ुल अमल होगा, लेकिन बातिन के ऐतबार से दुरूस्त नहीं है, इसलिए वह औरत हक़ीक़त के ऐतबार से उसके लिए जायज़ नहीं है, वह हक़ीक़त के ऐतबार से ज़ानी हैं, अगरचे ज़ाहिर के ऐतबार से मियाँ बीवी हैं और अहनाफ़ का उसको इन्शा क़रार देना, यानी गोया कि क़ाज़ी ने निकाह कर दिया है, दुरूस्त नहीं है, क्योंकि क़ाज़ी ने झूठी गवाही पर झूठे निकाह को तस्लीम किया है, नया निकाह नहीं किया, शरीयत का असल मक़सूद ये है कि एक मुसलमान नाजायज़ हरबे इस्तेमाल न करे, क्योंकि जब नाजायजय़ हरबे उसको गुनाह और जुर्म से बचा नहीं सकता और उसकी उख़रवी ज़िन्दगी की तबाही का बाइस़ है तो उसको इस्तेमाल क्यों किया जाये और अजीब बात है, अहनाफ़ ख़ुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि झूठे गवाह क़ाइम करना, एक हराम काम है और वह उससे बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है,(तकमिला, जिल्द: 2, स़फ़ा: 572) तो फिर ये बातिनन कैसे जारी हुआ, बातिनन तब ही जारी हो सकता था, जब वह क़ाज़ी के फ़ैसले की बिना पर आख़िरत की सज़ा से बच सकता है जो कि अहनाफ़ के नज़दीक भी मुमकिन नहीं है, इसलिए इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद का फ़तवा जुम्हूर के मुताबिक़ है और कुछ अइम्म–ए–अहनाफ़ इसके मुताबिक़ फ़तवा देते थे। (तकमिला: जिल्द: 2, स़फ़ा: 571)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ، نُمَيْرٍ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(4474) इमाम साहब यही हदीस दो और उस्तादों से हिशाम की ऊपर दी गई सनद से बयान करते हैं।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4448 में देखें।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا".

(4475) नबी अकरम (ﷺ) की बीवी हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपने कमरे के दरवाज़े पर झगड़ने वालों का शोर सुना तो आप (ﷺ) उनकी तरफ़ निकले और फ़रमाया: 'मैं भी एक इंसान हूँ और सूरते हाल ये है, मेरे पास झगड़ने वाले (अपना झगड़ा) लेकर आते हैं और मुमकिन है, इनमें से कुछ, कुछ के मुक़ाबले में ज़्यादा मुअस्सिर बयान करे और मैं समझूं ये सच्चा है, इसलिए उसके हक़ में फ़ैसला कर दूं तो मैं जिसके हक़ में किसी मुसलमान के हक़ का फ़ैसला करूं तो वह उसके लिए आग ही का टुकड़ा होगा, उसको उठा ले या छोड़ दे।'

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है:4448 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस : (1) ख़लबा या जलबा: शोर, आवाज़ों का टकराव। **(2) ख़स्मु:** मुफ़रद और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ जमा के मानी में है, झगड़ा करने वाले।

फायदा : इन्नमा अना बशरून: मैं भी इंसान हूँ और एक इंसान ग़ैब का इल्म नहीं रखता और चीज़ों के बातिन से आगाह नहीं होता, इसलिए मैं एक क़ाज़ी और हकम की हैसियत से आम इंसानों की तरह ज़ाहिर के मुताबिक़ फ़ैसला करता हूँ, ताकि बाद में आने वाले क़ाज़ी और हाकिम के लिए, मेरा ये फ़ैसला नमूना और उस्वा बने कि वह उसूले शरीयत के मुताबिक़ बय्यिना (शहादत) या क़सम के मुताबिक़ फ़ैसला करने का पाबन्द है, शहादत और क़सम की अस़ल हक़ीक़त कि वह सच्ची है या झूठी तक पहुँचने का पाबन्द नहीं है, जैसा वह गवाहों या क़सम को सही समझता है, अगरचे वह फ़िल वाक़ेअ झूठी है तो वह उसके मुताबिक़ फ़ैसला कर देगा, अब ये मुद्दई और मुद्दआ अलैह की

ज़िम्मेदारी है कि वह ग़लत तरीक़ा न अपनायें, अगर वह ग़लत रवैया इख़्तियार करेंगे तो वह मुजरिम होंगे, क़ाज़ी बरीउज़्ज़िम्मा होगा, इसलिए आप (ﷺ) ने झूठी शहादत और चर्ब ज़बानी से काम लेने वाले को मुख़ातब किया है कि वह क़ाज़ी के फ़ैसले को जबकि मुद्दई अस़ल हक़ीक़त से आगाह है, इसलिए जवाज़ का बाइस़ न समझ ले, वरना आप (ﷺ) तो रसूल थे, अल्लाह तआला आप (ﷺ) को अस़ल हक़ीक़त से आगाह कर सकता था और आप (ﷺ) फ़ैसला अस़ल हक़ीक़त और वाक़िये के मुताबिक़ कर सकते थे।

फ़अह्सिबु अन्नहू सादिक़ुन: यानी मैं चर्ब ज़बानी करने वाले या अपनी बात और अपना मुक़द्दमा मुअस्सिर अन्दाज़ से पेश करने वाले को सच्चा समझ लूं, इस तरह उसका ताल्लुक़ फ़ैसला या मुक़द्दमा से है, बाक़ी रहा आप (ﷺ) के उम्मत के लिए अहकाम व फ़रामीन जो आपने अपने इज्तेहाद से दिये, इससे उसका ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वहाँ तो अगर जुम्हूर के मुताबिक़ ग़लती के इम्कान को तस्लीम कर लिया जाये तो फिर भी आपकी फ़ौरन अल्लाह की तरफ़ से तस्हीह (सही) कर दी जाती थी और मुक़द्दमा में ज़ाहिर के मुताबिक़ फ़ैसला करना ख़ता या ग़लती नहीं है, बल्कि क़ाज़ी और हाकिम उसका पाबन्द है और आप (ﷺ) उस्वा होने की हैसियत से इस उसूल के पाबन्द थे, इसलिए अल्लाह की तरफ़ से आपको हक़ीक़ते हाल से आगाह नहीं किया जाना था, वरना हाकिमों के लिए फ़ैसला करना मुमकिन न होता।

फ़ल्यह्मिल्हा औ यज़र्हा: उसको उठा ले या छोड़ दे, इख़्तियार के लिए नहीं है, बल्कि तहदीद और धमकी के लिए है, जैसा कि फ़रमाया: (फ़मन शाआ फ़ल्युअ्मिन व मन शाआ फ़ल्यक्फ़ुर) जो चाहे ईमान लाये और जो चाहे कुफ़्र इख़्तियार करे और फ़रमाया: (इअ्मलू मा शिअ्तुम) जो चाहो अमल करो, मक़सद ये है हाज़िर तो हमारे सामने ही होना है तो हम मुहासबा और बाज़पुर्सी कर लेंगे।

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ . وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَجَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ أُمِّ سَلَمَةَ .

(4476) इमाम स़ाहब अपने दो और उस्तादों की सनद से ज़ोहरी की ऊपर दी गई सनद से यूनुस की तरह रिवायत बयान करते हैं, हाँ मअ़मर की हदीस़ में है कि वह बयान करती हैं, नबी अकरम(ﷺ) ने दरवाज़े पर झगड़ने वालों का शोर (अलजबा)सुना, (यानी इस हदीस़ में जलबा की जगह लजबा है मानी दोनों का एक ही है)

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4448 में देखें।

बाब : 4
हिन्दा (رضي الله عنها) का वाक़िया

(4)
باب قَضِيَّةِ هِنْدٍ

(4477) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि हिन्दा बिन्ते उत्बा (رضي الله عنها), हज़रत अबू सुफ़ियान (رضي الله عنه) की बीवी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई और कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! अबू सुफ़ियान लालची व हरीस़ आदमी है, मुझे इतना ख़र्चा नहीं देता जो मुझे और मेरे बच्चों के लिए काफ़ी हो, मगर ये कि मैं उसे बताये या उसकी इल्म में लाये बग़ैर उसके माल से कुछ ले लूं, क्या इस सूरत में मुझ पर गुनाह होगा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू उसके माल से उर्फ़ व दस्तूर के मुताबिक़ इतना ले सकती है जो तुझे और तेरे बच्चों के लिए काफ़ी हो।

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لاَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ . فَهَلْ عَلَىَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि मुफ़्ती फ़रीक़े मुख़ालिफ़ की बात सुनने का पाबन्द नहीं है, वह मसले का जवाब बता देगा, जब हज़रत हिन्दा (رضي الله عنها) ने आप (ﷺ) से पूछा कि क्या मैं अपने ख़ाविन्द के माल से जो पूरा ख़र्चा नहीं देता है, इस क़द्र ले सकती हूँ, जो मेरे और मेरे बच्चों के लिए काफ़ी हो तो आपने हज़रत सुफ़ियान को बुलाये बग़ैर, ये जवाब दिया कि उस वक़्त के उर्फ़ और रिवाज के मुताबिक़ तुम्हें जिस क़द्र ख़र्चा की ज़रूरत हो, तुम ले सकती हो और मसले की रोशनी में उलमा ने ये बहस़ की है कि क़र्ज़ ख़्वाह को मक़रूज़ से अपना क़र्ज़ा लेना है लेकिन वह देता नहीं है और उसके हाथ में मक़रूज़ का कुछ माल आ जाता है तो क्या वह उससे अपना हक़ काट सकता है? इमाम इब्ने क़ुदामा ने इसकी नीचे दी गई तफ़सील बयान की है:—

(1) अगर मक़रूज़, क़र्ज़ का इक़रार करता है और देने के लिए तैयार भी है तो ऐसी सूरत में क़र्ज़ ख़्वाह को बिलइत्तेफ़ाक़ क़ब्ज़ा में आने वाले माल से अपना हक़, उसकी इजाज़त के बग़ैर वसूल करना जायज़ नहीं है, अगर अपना हक़ काट लिया है तो उसको वापस करना होगा, अगरचे क़ब्ज़ा में आने वाला माल उसके क़र्ज़ा की जिन्स से हो।

(2) अगर कर्ज़दार को क़र्ज़ा में अदायगी के सिलसिले में कोई रूकावट हो, जैसे वह तंगदस्त और मोहताज है या मोहलत चाहता हो तो फिर भी बिलइत्तेफ़ाक़ उसकी इजाज़त के बग़ैर, मक़बूज़ा माल से अपना हक़ वसूल करना जायज़ नहीं है।

(3) अगर मक़रूज़ बिला वजह या बिला ज़रूरत क़र्ज़ा अदा नहीं करता और क़र्ज़ ख़्वाह अदालत के ज़रिये अपना हक़ वसूल कर सकता है तो फिर भी अपने अ़हद पर, अपना हक़ वसूल करना जायज़ नहीं है।

(4) अगर मक़रूज़, क़र्ज़ा से इंकार करता है और क़र्ज़ ख़्वाह के पास बय्यिना (ग़वाह) नहीं है और अ़दालत के ज़रिये अपना हक़ वसूल नहीं कर सकता तो इसमें अइम्मा का इख़्तिलाफ़ है, इमाम शाफ़ेई का नज़रिया है क़ब्ज़ा में आने वाले माल से, वह क़र्ज़ा की जिन्स से हो या न हो, अपना हक़ वसूल कर सकता है, इमाम मालिक का एक क़ौल यही है, इमाम अहमद का मशहूर क़ौल ये है, वह मक़बूज़ा माल से अपना हक़ वसूल नहीं कर सकता, उसको वह माल देना होगा और अपने क़र्ज़ा का मुतालबा करना होगा, इमाम मालिक का दूसरा क़ौल यही है, इमाम अबू हनीफ़ा का क़ौल ये है कि अगर मक़बूज़ा माल, क़र्ज़ा की जिन्स से है तो फिर जायज़ है, वरना जायज़ नहीं है, इमाम मालिक का तीसरा क़ौल यही है। (अलमुग़नी किताबुद दआवी वल बय्यिनात, जिल्द: 12, सफ़ा: 339, 340) अहनाफ़ मुताख़्ख़िरीन का फ़तवा इमाम शाफ़ेई के मौक़िफ़ के मुताबिक़ है। (तकमिला, जिल्द: 2, सफ़ा: 580)

(4478) इमाम साहब ने मुख़्तलिफ़ उस्तादों की तीन सनदों से, हिशाम की ऊपर दी गई सनद ही से ये रिवायत बयान की है।

तख़रीज : नसाई: 4535, सुनन इब्ने माजा: 2293.

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(4479) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान फ़रमाती हैं कि हज़रत हिन्दा (ﷺ) नबी अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! अल्लाह की क़सम! ज़मीन की पुश्त पर कोई

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ

مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ " . ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ " .

घराना न था, जिसकी ज़िल्लत व रूस्वाई, आप (ﷺ) के अहले ख़ाना की ज़िल्लत से ज़्यादा महबूब हो और अब रूए ज़मीन पर आपके अहले ख़ाना से ज़्यादा किसी घराना की इज़्ज़त मुझे महबूब नहीं है तो नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसमें और इज़ाफ़ा होगा, उस ज़ात की क़सम, जिसके हाथ में मेरी जान है।' फिर उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! अबू सूफ़ियान एक बख़ील आदमी है तो क्या मुझे कोई गुनाह होगा, इस सूरत में कि मैं उसका माल उसके अयाल (अहले ख़ाना) पर उसकी इजाज़त के बग़ैर ख़र्च करूं? तो नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम पर इस सूरत में कोई गुनाह नहीं है कि उन पर दस्तूर के मुताबिक़ ख़र्च करो।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3533.

मुफ़रदातुल हदीस़ : ऐज़न: इमाम इब्ने तीन ने इसका ये मानी किया है कि मुझे भी अब तुझ से मोहब्बत है, लेकिन अक्सर उलमा ने ये मानी किया है कि तेरा ईमान दिन ब दिन मुस्तहकम होगा और उसके मुताबिक़, अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की मोहब्बत में इज़ाफ़ा होगा और बुग़्ज़ व नफ़रत से वापसी होगी, क्योंकि आज़ अय्ज़न का असल मानी रूजू और वापसी है।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ

(4480) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि हज़रत हिन्दा बिन्ते उत्बा बिन रबीआ (رضي الله عنها) आई और कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! अल्लाह की क़सम! रूए ज़मीन पर कोई ख़ानदान न था, जिसकी ज़िल्लत व रूस्वाई आप (ﷺ) के अहले ख़ाना की ज़िल्लत से मुझे ज़्यादा महबूब हो और अब कोई घराना ऐसा नहीं है जिसकी इज़्ज़त आपके अहले ख़ना की इज़्ज़त से ज़्यादा

إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ " . ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ لَهَا " لاَ إِلاَّ بِالْمَعْرُوفِ " .

महबूब हो तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसमें और इज़ाफ़ा होगा, उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है।' फिर कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! अबू सुफ़ियान कन्जूस आदमी है तो क्या मुझ पर इसमें गुनाह है कि मैं उसके माल से अपने बच्चों को खिलाऊं? तो आपने फ़रमाया: 'नहीं, मगर ख़र्चा दस्तूर के मुताबिक़ हो या ख़र्च रस्म व रिवाज के मुताबिक़ करो।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि बीवी और बच्चों का नफ़्क़ा (ख़र्चा) अपने दौर के दस्तूर के मुताबिक़ ख़ाविन्द के ज़िम्मे है और अइम्म-ए-हिजाज़ के नज़दीक, औरत अगर अपने माँ बाप के घर काम काज न करती हो या बीमारी वग़ैरह से कर न सकती हो तो फिर ख़ादिमा मुहैया करना ख़ाविन्द की ज़िम्मेदारी है और अहनाफ़ के नज़दीक ये इस सूरत में है, जब ख़ाविन्द मालदार हो और बक़ौल कुछ इस का मक़सद ये है, अगर औरत के साथ उसकी लौण्डी, ख़िदमत के लिए आई है तो उसका नफ़्क़ा ख़ाविन्द के ज़िम्मे होगा, ये मक़सद नहीं है कि उजरत पर उसके लिए ख़ादिमा रखी जायेगी।

(5)

باب النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ وَهُوَ الاِمْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ لَزِمَهُ أَوْ طَلَبُ مَا لاَ يَسْتَحِقُّهُ

बाब : 5

बिला ज़रूरत बकस़रत सवाल करना, दूसरों को न देना और उनसे माँगना, यानी अपना फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी अदा न करना और नाजायज़ मुतालबा करना मना है

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى

(4481) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला तुम्हारे लिए तीन बातों को पसन्द करता है और तुम्हारी तीन बातों को नापसन्द फ़रमाता है, वह तुम्हारे लिए पसन्द करता है कि तुम उसकी बंदगी करो और

لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ " .

उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और तुम सब मिल कर अल्लाह की रस्सी (क़ुर्आन, दीन) को मज़बूती से पकड़ो और गिरोह गिरोह न बनो और तुम्हारे लिये नापसन्द करता है, बिला मक़सद, क़ील व क़ाल (बहस व तमहीस) करो, बकसरत सवाल करो और माल ज़ाया करो।'

फ़ायदा : अन तअ्तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ: सब मिल कर अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ो, यानी दीन की पाबन्दी पूरे इस्तेहकाम व मज़बूती के साथ, वहदत व यगानत की सूरत में इख़्तियार करो, व ला तफ़र्रक़ू, फ़िरक़ों और गिरोहों में तक़सीम न हो, इससे साबित होता है, मसाइल में इख़्तिलाफ़ के बावजूद, उनकी बुनियाद पर गिरोह बंदी और फ़िर्क़ा साज़ी दुरूस्त नहीं है, अल्लाह को मुसलमानों की वहदत व यगानत ही पसन्द है।

क़ील व क़ाल: दोनों फेअ्ल माज़ी के सेगे भी बन सकते हैं और मस्दर भी, मक़सद ये है कि बिला मक़सद, फ़ुज़ूल बहस व मुबाहसा करना या बिला ज़रूरत दीनी मसाइल में बिला तहक़ीक़ व एहतियात मुख़्तलिफ़ अक़वाल नक़ल करना या महज़ अपनी धौंस और इल्मी रौब जमाने के लिए बिला तहक़ीक़, बहस व मुनाज़रा करना दुरूस्त नहीं है।

कस्रतुस्सुवाल: बिला हाजत व ज़रूरत, महज़ माल में इज़ाफ़ा करने के लिए लोगों से माँगना या ऐसे मसाइल पूछना जो अभी पेश नहीं आये और न आने का फ़िल वक़्त इम्कान है या उनमें किसी क़िस्म का इश्काल और पेचीदगी है, मसाइले बर्ज़ख़ और आख़िरत के उमूर की हक़ीक़त व कैफ़ियत के बारे में सवाल करना या ऐसे सवाल करना जो इंसान को शक और हैरत में डालने वाले हैं, जैसे अल्लाह ने तमाम मख़्लूक़ात को पैदा किया है तो अल्लाह को किस ने पैदा किया है।

इज़ाअतल माल: यानी इस्राफ़ व तब्ज़ीर करना या ग़ैर शरई कामों पर माल ख़र्च करना।

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاَثًا . وَلَمْ يَذْكُرْ وَلاَ تَفَرَّقُوا .

(4482) इमाम साहब एक और उस्ताद से सुहैल की ऊपर दी गई सनद से यही हदीस बयान करते हैं, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि इसमें उस्ताद ने यक्रहु की जगह यस्ख़तु कहा और वला तफ़र्रक़ू का तज़किरा नहीं किया।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ " .

(4483) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेशक अल्लाह तआला ने तुम पर माओं की नाफ़रमानी, बच्चों को ज़िन्दा दरगोर करना और हुक़ूक़ अदा न करना और नाहक़ मुतालबा करना हराम ठहराया है और तुम्हारी तीन बातों को नापसन्द फ़रमाया है, क़ील व क़ाल, कसरते सवाल और माल का ज़ाया।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 1477, 2408, 5975.

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

(4484) इमाम साहब से यही रिवायत एक और उस्ताद की सनद से, मन्सूर की ऊपर दी गई सनद से बयान करते हैं, मगर इसमें ये है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हराम क़रार दिया है, ये नहीं कहा, अल्लाह ने तुम पर हराम ठहराया है।

तख़रीजः ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4458 में देखें।

फ़ायदा : मन्अन व हाति मनआ मन्अन: मस्दर है, जिसका मानी है कि दूसरों के हुक़ूक़ अदा न करना, उनको जो चीज़ देने का हुक्म है, वह रोकना और हाते, अगर इस्मे फ़ेअल हो तो आते के मानी में होगा, यानी दो और आता ईताउन से, अम्र का मुतालबा करना है जिसका ये हक़दार नहीं है, ये मक़सद भी हो सकता है, अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन हुक़ूक़ का मुतालबा करता है, हालांकि जब ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की तो हक़ के मुतालबा का इस्तेहक़ाक़ कैसे पैदा हो गया।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي

(4485) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (رضي الله عنه) के कातिब (मुन्शी, सैक्रेटरी) बयान करते हैं कि हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) ने हज़रत मुग़ीरा (رضي الله عنه) को लिखा मुझे कोई ऐसी हदीस लिख भेजो जो तुमने बराहे रास्त रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी

كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ اكْتُبْ إِلَىَّ بِشَىْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ " .

हो तो उन्होंने उनकी तरफ़ लिखा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है: 'अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए तीन चीज़ों को नापसन्द किया है, क़ील व क़ाल, माल का ज़ाया और बकसरत सवाल करना।'

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4458 में देखें।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ وَرَّادٍ، قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلاَثًا وَنَهَى عَنْ ثَلاَثٍ حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَلاَ وَهَاتِ . وَنَهَى عَنْ ثَلاَثٍ قِيلٍ وَقَالٍ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ " .

(4486) हज़रत वर्राद (रह.) से रिवायत है कि हज़रत मुग़ीरा (رضي الله عنه) ने हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) को लिखा, सलामत रहो, उसके बाद वाज़ेह हो कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है: 'अल्लाह तआला ने वालिदैन की नाफ़रमानी, बच्चों को ज़िन्दा दफ़न करना, दूसरों का हक़ रद्द करना और उनसे नाजायज़ मुतालबा करना हराम क़रार दिया है और तीन चीज़ों से रोका है, फ़ुज़ूल बहस व मुबाहसा, बकसरत माँगना और माल ज़ाया करना।'

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4458 में देखें।

फ़ायदा : वालिदैन की नाफ़रमानी बिलइत्तेफ़ाक़ कबीरा गुनाह है, लेकिन कुछ जगह सिर्फ़ माओं का तज़किरा किया गया है और कुछ जगह वालिद का और माँ बाप की नाफ़रमानी इस सूरत में गुनाहे कबीरा है, जब उनकी बात ख़िलाफ़े शरीयत न हो, क्योंकि ये उसूल है ला ताअता लि मख़्लूक़ फ़ी मअसियतिल ख़ालिक़, मख़्लूक़ की ख़ातिर, ख़ालिक़ की नाफ़रमानी करना जायज़ नहीं है, लेकिन रवैया हर सूरत में उनके साथ नर्मी और मुलायमत का होगा।

बाब : 6
हाकिम अगर मेहनत व कोशिश से काम करे तो उसे अज्र मिलेगा, फ़ैसला सही हो या ग़लत

(6)
باب بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ . وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ" .

(4487) हज़रत अम्र बिन अलआस (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'जब हाकिम फ़ैसला मेहनत व कोशिश से करे, फिर फ़ैसला सही हो तो उसे दोहरा अज्र मिलेगा और जब मेहनत व कोशिश से फ़ैसला करे, फिर ग़लती कर जाये तो उसको एक अज्र मिलेगा।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 7352, सुनन अबू दाऊद: 3574, सुनन इब्ने माजा: 2314.

मुफ़रदातुल हदीस : इज्तहदा: अपनी पूरी सलाहियत व इस्तेअदाद सर्फ़ कर दे कि पेश आमद मसला में हक़ व सवाब तक रसाई हासिल कर ले।

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है और ये मुसल्लमा बात है कि अगर साहबे इस्तेअदाद व सलाहियत, जो फ़ैसला करने का अहल है, अगर अपनी पूरी सलाहियत सर्फ़ करके, मुकम्मल दयानत के साथ फ़ैसला करता है और फ़ैसला सही करता है तो उसको दो अज्र मिलते हैं, एक उसके इज्तेहाद और मेहनत व कोशिश पर और दूसरा सही फ़ैसला होने पर और अगर ग़लत फ़ैसला करता है तो उसको इसके इज्तेहाद के सबब एक अज्र मिलता है, लेकिन अगर वह अहल नहीं है तो हर सूरत में मुजरिम और गुनाहगार है, यही सूरते हाल मुज्तहिद की है कि उसका इज्तेहाद सही भी हो सकता है और ग़लत भी, इसलिए इस हदीस से ये भी साबित होता है कि मुख़्तलफ़ फ़ीह (डिस्पुट) मसाइल में हक़ सिर्फ़ एक है, जिसने उसको पा लिया है, वह हक़ पर है और जो उससे चूक गया, उसका मौक़िफ़ ग़लत है, इसलिए हर क़ौल दुरूस्त नहीं है और न हर क़ौल ग़लत है, हक़ बहरहाल अल्लाह के यहाँ मुअय्यन है, अइम्म-ए-अरबआ का यही क़ौल है। (तफ़्सील के लिए देखिये, अत्तक़रीर वत्तहबीर अल्लामा इब्ने अमीर अलहाज, जिल्द: 3, सफ़ा: 306)

(4488) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन मुहम्मद की ऊपर दी गई सनद से यही हदीस़ नक़ल करते हैं, जिसके आख़िर में ये है कि यज़ीद बिन अ़ब्दुल्लाह कहते हैं, मैंने ये हदीस़ अबू बक्र बिन मुहम्मद बिन अ़म्र बिन हज़्म को सुनाई तो उसने मुझे इस तरह हदीस़ अबू सलमा (रह.) ने हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) से सुनाई।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4462 में देखें।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ، مُحَمَّدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي عَقِبِ الْحَدِيثِ قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

(4489) इमाम साहब ने अपने एक और उस्ताद से ऊपर दी गई हदीस़ बयान की।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4462 में देखें।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا

बाब : 7
क़ाज़ी को ग़ुस्सा की हालत में फ़ैसला नहीं करना चाहिए

(7)باب كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

(4490) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) ने अपने बेटे अ़ब्दुर्रहमान (रह.) से सिजिस्तान के क़ाज़ी उबैदुल्लाह बिन अबी बक्रा को लिखवाया कि दो फ़रीक़ों के दरम्यान फ़ैसला ग़ुस्सा की हालत में न करना, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, 'तुममें से कोई दो फ़रीक़ों के दरम्यान, ग़ुस्सा की हालत में फ़ैसला न करे।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 7158, सुनन अबू दाऊद: 3589, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1334, नसाई: 8/237, 8/246, 247, सुनन इब्ने माजा: 2316.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ أَبِي بَكْرَةَ . قَالَ كَتَبَ أَبِي - وَكَتَبْتُ لَهُ - إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لاَ، تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

फ़ायदा : इमाम नववी (रह.) लिखते हैं, इससे मुराद ये है कि क़ाज़ी को इस हालत में फ़ैसला नहीं करना चाहिए, जिसमें वह सही ग़ौर व फ़िक्र न कर सके और उसका मिज़ाज ऐतदाल पर क़ाइम न रह सके, जैसे उसको बहुत ज़्यादा भूख सता रही हो या पेट इन्तेहाई भरा हो, प्यास का ग़ल्बा हो, बहुत ज़्यादा ग़म व हुज़्न हो या बहुत ज़्यादा ख़ुश हो या उसका दिल व दिमाग़ किसी और मसले में उलझा हुआ हो और हालते ग़ज़ब की तख़सीस, बक़ौल हाफ़िज़ इब्ने हजर इसलिए की है कि वह नफ़्स पर ग़ल्बा पा लेता है, जिसकी वजह से उसका मुक़ाबला मुश्किल हो जाता है, इसलिए वह हक़ से तजावुज़ कर सकता है।

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي كِلاَهُمَا، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ.

(4491) इमाम साहब छः मज़ीद सनदों से ये रिवायत बयान करते हैं, जो ऊपर दी गई हदीस की तरह है।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4465 में देखें।

(8)باب نَقْضِ الأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ

बाब : 8
अहकामे बातिला को कल्‌अदम (नथिंग) ठहराना और नये निकाले गये उमूर (बिदआत) को रद्द करना

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلاَلِيُّ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ،

(4492) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने हमारे दीन में ऐसी बात निकाली, जिसकी इसमें दलील नहीं है, वह मरदूद है।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2697, सुनन अबू दाऊद: 4606, सुनन इब्ने माजा: 17455 में देखें।

حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ".

फ़ायदा : हाफ़िज़ इब्ने हजर ने लिखा है, ये हदीस़ इस्लाम के उस़ूल और क़वायद में शुमार होती है, क्योंकि इसका मानी ये है, जो शख़्स दीन में ऐसे काम को घड़े जिसकी उस़ूले दीन में कोई दलील न हो, वह क़ाबिले ऐतबार नहीं है और अ़ल्लामा ऐ़नी लिखते हैं, जो अगर किताब व सुन्नत में न पाया जाये, वह दीन में घड़ लेना बिदअ़त है।

(4493) सअ़द बिन इब्राहीम (रह.) कहते हैं, मैंने क़ासिम बिन मुहम्मद (रह.) से उस इंसान के बारे में पूछा, जिसके तीन मकान हैं तो उसने हर मकान में से तिहाई हिस्सा के बारे में वस़ीयत की, उन्होंने जवाब दिया, उसकी वस़ीयत को एक मकान में जमा कर दिया जायेगा, फिर मुझे हज़रत आयशा (﵍) से हदीस़ सुनाई की रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने ऐसा अ़मल किया, जो हमारे दीन में नहीं है, वह मरदूद है।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4467 में देखें।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ، قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ، لَهُ ثَلاَثَةُ مَسَاكِنَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا قَالَ يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ " .

फ़ायदा : उस दौर में घर, एक क़िस्म या एक अन्दाज़ और शक्ल के होते थे, इसलिए जब एक तिहाई की वस़ीयत की इजाज़त दी गई है तो वह एक घर के बारे में होनी चाहिए थी ताकि वारिस़ों को हर घर से एक तिहाई देने की ज़हमत और परेशानी न उठानी पड़े, क्योंकि एक जैसे घरों में एक का देना, लेना या देने वाले में किसी के लिए भी परेशानी का बाइस़ नहीं है और दीन में हर्ज व तंगी नहीं है, इसलिए उन्होंने हदीस़ सुनाई कि आप (ﷺ) के अ़मल को देखना चाहिए, इस हदीस़ से ऊपर दी गई हदीस़ की वज़ाहत हो गई कि जो काम रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नहीं किया, हालंकि उसका सबब मौजूद था और रूकावट भी न थी, उसको दीन क़रार देना, बिदअ़त है, इसलिए आजकल की तमाम बिदआत, जो दीन के नाम से की जा रही हैं, उनकी दीन में कोई सनद नहीं है, क्योंकि, उनके असबाब मौजूद थे और मवानिअ़ात मौजूद न

थे, उसके बावजूद आपने नहीं किये, आपके दौर में लोग मरते थे और उनको अहदाए सवाब की ज़रूरत थी, लेकिन उसके बावजूद, आप (ﷺ) ने फ़ातिहा, चहलुम और उर्स वग़ैरह नहीं किये सलात व सलाम नहीं पढ़ा, न अज़ान में अंगूठे चूमे और न सलात व सलाम के लिए खड़े हुए, न महफ़िले मीलाद का इन्अक़ाद किया और न ये काम ख़ैरूल क़ुरून में किये गये और न अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने जुमेरात के वाज़ को दीन बनाया, यानी अपनी और साथियों की सहूलत के लिए ये दिन मुक़र्रर किया, लेकिन किसी को इसकी दावत नहीं दी कि तुम भी ये काम जुमेरात ही को किया करो, दीन तो तभी बनता है, अगर उसको शख़्सी व इन्फ़ेरादी की बजाये इज्तेमाई और उमूमी बनाया जाता और सबको उसकी दावत दी जाती और इस तअय्युन को कारे सवाब क़रार दिया जाता, इसलिए सौयम, ग्यारहवीं, बारहवीं, और चहलुम वग़ैरह की दावत देना और उसको उमूमी और इज्तेमाई रंग देना बिदअत है, अगर इस तअय्युन को लाज़िम और ज़रूरी नहीं समझा जाता, तो फिर उसकी पाबन्दी क्यों की जाती है और उसकी दावत क्यों दी जाती है और उसको एक मख़्सूस शक्ल क्यों दी गई है।

बाब : 9
बेहतरीन गवाह का बयान

(9)
باب بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ

(4494) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने **फ़रमाया: 'क्या मैं तुम्हें बेहतरीन गवाह न बतलाऊं वह जो अपनी गवाही उसकी दरख़्वास्त से पहले ही दे देता है।'**

तख़रीज : जामेअ तिर्मिज़ी: 2295, 2296, 2297, सुनन अबू दाऊद: 3596, सुनन इब्ने माजा: 2365.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا " .

फ़ायदा : इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक इस हदीस का मफ़हूम ये है कोई इंसान, किसी दूसरे के हक़ का गवाह है लेकिन दूसरे को इस बात का इल्म नहीं है तो वह उसको जाकर अपनी गवाही से आगाह कर दे कि मैं तेरे हक़ में गवाही दे सकता हूँ और बक़ौल कुछ इसका मानी ये है कि इंसान के पास जो शहादत है, वह इस शहादत को किसी तालिब की तलब के बग़ैर अपने तौर पर महज़ अज्र व सवाब की ख़ातिर दे गोया वह ख़ुद भी मुद्दई है और शाहिद भी, उसको शाहदते हस्बा कहा जाता है और इसका ताल्लुक़ ख़ालिस हुक़ूक़ुल्लाह से है, जैसे ज़िना या शराब की हद, आज़ादी, वसीयत व वक़्फ़ वग़ैरह के सिलसिले में गवाही देना।

बाब : 10
इज्तेहाद करने वालों के इख़्तिलाफ़ का बयान

(10)
باب بَيَانِ اخْتِلاَفِ الْمُجْتَهِدِينَ

(4495) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जबकि दो औरतें अपने बेटों के साथ जा रही थी, भेड़िया आया और उनमें से एक के बच्चे को ले गया तो उसने अपनी साथी औरत से कहा, भेड़िया तेरा बच्चा ही ले गया है, उसने जवाबन कहा, तेरे बच्चे (बेटे) को ही लेकर गया है, तो वह दोनों फ़ैसला हज़रत दाऊद अलैहि. के पास लाईं, उन्होंने बड़ी के हक़ में फ़ैसला कर दिया तो वह निकल कर हज़रत सुलैमान बिन दाऊद अलैहि. के पास आईं और उन्हें बताया (फ़ैसले से आगाह किया) तो उन्होंने कहा, छुरी लाओ मैं दोनों को आधा आधा दे देता हूँ तो छोटी बोल उठी, नहीं अल्लाह आप पर रहम फ़रमाये वह उसका बेटा है तो सुलैमान अलैहि. ने फ़ैसला छोटी के हक़ में कर दिया। हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं अल्लाह की क़सम, मैंने सिक्कीन का लफ़्ज़ इसी दिन सुना था, हम तो उसे मुद्या ही कहते थे।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ‏.‏ فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ ‏.‏ وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ‏.‏ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا ‏.‏ فَقَالَتِ الصُّغْرَى لاَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا ‏.‏ فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى " ‏.‏ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةَ ‏.‏

(4496) इमाम साहब ऊपर दी गई हदीस के हम मानी हदीस अपने दो और उस्तादों की सनदों से, अबू अज़्ज़िनाद की ऊपर दी गई सनद ही से बयान करते हैं।

तख़रीज : नसाई: 4518.

وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصٌ، - يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ -

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي

الزِّنَادِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ وَرْقَاءَ

फ़ायदा : हज़रत दाऊद अलैहि. के पास, जब दोनों औरतें मुक़द्दमा लाईं तो उनमें से किसी के पास शहादत या दलील न थी तो अब फ़ैसला क़राइन व आसार की रोशनी में हो सकता था तो हज़रत दाऊद अलैहि. की नज़र किसी ऐसे क़रीना पर पड़ी जो बड़ी के हक़ में जाता था, जैसे बच्चा बड़ी के पास था और छोटी के पास शहादत न थी या बच्चा की रंगत व शक्त व शबाबत बड़ी से मिलती जुलती थी या बड़ी का अन्दाज़ व उस्लूब और हैयत जैसे उसका मुतमइन व ख़ुश व ख़ुर्रम होना और इन्तेहाई पुर ऐतमाद होना, उसके हक़ में जाता था, जबकि छोटी हैरान और परेशान थी, इसलिए हज़रत दाऊद अलैहि. ने फ़ैसला उसके हक़ में कर दिया, जबकि हज़रत सुलैमान अलैहि. के सामने ये मोजिजा और फ़ैसला आया तो उन्होंने एक नफ़्सीयाती तरीक़ा इख़्तियार किया कि मैं बच्चा दोनों में तक़सीम कर देता हूं, जिस पर बड़ी राज़ी हो गई कि अगर मेरा बच्चा नहीं रहा तो ये भी महरूम हो जाये और उसे देखकर अपनी आँखों को ठण्डा कर सके तो इस नफ़्सीयाती और वाक़ेआती क़रीना से हज़रत सुलैमान अलैहि. ने भाँप लिया कि बच्चा छोटी का है और बड़ी ने भी ऐतराज़ न किया कि बड़ी अदालत से फ़ैसला मेरे हक़ में हो गया है, आप उसको तब्दील करने के मजाज़ कैसे हो गये, इस तरह गोया उसने बच्चे को छोटी के होने का इक़रार व ऐतराफ़ कर लिया और हज़रत सुलैमान अलैहि. ने ये सूरते हाल अपने बाप के सामने रखी तो उन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील करके बेटे के फ़ैसले की तौसीक़ कर दी, वरना बड़ी अदालत का फ़ैसला छोटी अदालत बदलने की मजाज़ नहीं है, बहरहाल इससे असल मक़सूद ये है कि अहले सलाहियत व इस्तेदाद अहले इल्म के फ़हम में इख़्तिलाफ़ हो सकता है, जैसा कि ख़ुद क़ुर्आन मजीद में आया है: (फ़फ़हहम्नाहा सुलैमान व कुल्लन आतैना हुक्मव व इल्मा)(अन्निसा: 79) हमने फ़ैसले की सूरते हाल सुलैमान को समझा दी और हमने दोनों को हिक्मत व इल्म से नवाज़ा था, फ़हम के इख़्तिलाफ़ की बिना पर फ़ैसला और मसाइल में इख़्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन हक़ बात बहरहाल एक होगी, इसलिए अगर तबादल-ए-ख़्याल से दूसरे की बात की दुरूस्ती वाज़ेह हो जाये तो उसको ख़ुश दिली से क़बूल करना चाहिए और ये अज़मत की दलील है, इसमें तौहीन व तख़्फ़ीफ़ का कोई पहलू नहीं है और न कसरे शान (बेइज़्ज़ती) का बाइस है। अल्लाह तआला ने दोनों की तारीफ़ की है, इसलिए अइम्मा के इख़्तिलाफ़ की बिना पर, उनकी तकरीम व तौक़ीर में कमी करना और उन पर ज़बाने तअन दराज़ करना, दुरूस्त नहीं है, लेकिन बात उसकी मानी जायेगी जिसकी बात क़ुर्आन व सुन्नत के मुताबिक़ या उससे क़रीबतर है और उससे किसी इमाम की गुस्ताख़ी या बे अदबी लाज़िम नहीं आती, बल्कि गुस्ताख़ी और सूए अदबी ये है कि इमाम के क़ौल की तावील की बजाये अहादीस़ को तावील का निशाना बनाया जाये, गोया कि इमाम वाजिबुल इत्तेबा है, रसूलुल्लाह (ﷺ) वाजिबुल इत्तेबा नहीं हैं।

बाब : 11
हाकिम का दो फ़रीक़ों में सुलह करा देना पसन्दीदा अमल है

(11)
باب اسْتِحْبَابِ إِصْلاَحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ . فَقَالَ الَّذِي شَرَى الأَرْضَ إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا - قَالَ - فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي غُلاَمٌ وَقَالَ الآخَرُ لِي جَارِيَةٌ . قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلاَمَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا " .

(4497) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से हम्माम बिन मुनब्बिह बहुत सी रिवायात बयान करते हैं, उनमें से एक ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक इंसान ने दूसरे इंसान से उसकी जागीर (ज़मीन) ख़रीदी तो जिस आदमी ने जायदाद (ज़मीन) ख़रीदी थी, उसे उसकी ज़मीन से एक घड़ा मिला, जिसमें सोना था तो ज़मीन ख़रीदने वाले ने मालिक से कहा, मुझसे अपना सोना ले लिजिये, क्योंकि मैंने तुमसे सिर्फ़ ज़मीन ख़रीदी है, तुझसे सोना नहीं ख़रीदा तो ज़मीन बेचने वाले ने कहा, मैंने तुम्हें ज़मीन और जो कुछ उसमें है सब ही बेच दिया है तो उन्होंने एक आदमी को फ़ैसल मान लिया तो जिसके पास दोनों मुक़द्दमा लेकर गये थे, उसने पूछा क्या तुम्हारी औलाद है, तो उनमें से एक ने कहा मेरा बेटा है और दूसरे ने कहा मेरी बेटी है, फ़ैसला करने वाले ने कहा, बच्चे की बच्ची से शादी कर दो और अपने ऊपर भी ख़र्च करो और सदक़ा भी कर दो।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3472.

फ़ायदा : हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) का ख़्याल है, जिस आदमी को फ़ैसल तस्लीम किया गया है वह हज़रत दाऊद अलैहि. थे जैसा कि वहब बिन मुनब्बिह ने बयान किया है और इख़्तिलाफ़ का सबब ये है ख़रीदार ये समझता था कि मैंने सिर्फ़ ज़मीन ख़रीदी है और ऐसी सूरत में ज़मीन का दफ़ीना मालिक

का ही होता है और फ़रोख़्त करने वाला ये समझता था कि मैंने ज़मीन बेच दी है तो उसके साथ ही उसमें जो कुछ है वह भी दे दिया है और इस सूरत में मालिक ख़रीदार होता है, इसलिए बाहमी इख़्तिलाफ़ हो गया और जिसको उन्होंने फ़ैसले के लिए हकम तस्लीम किया था, उसने उनके वरअ और तक़्वा को देख कर यही मुनासिब ख़्याल किया कि उससे दोनों को फ़ायदा उठाने का मौक़ा दिया जाये, इसलिए उसको उनकी औलाद की शादी पर ख़र्च और दोनों को उससे फ़ायदा उठाने और सदक़ा करने की तल्क़ीन की, इससे अइम्म–ए–हिजाज़ इमाम मालिक, शाफ़ेई और अहमद ने ये नज़रिया क़ाइम किया है कि अगर फ़रीक़ैन, हुकूमती अदालत के पास मुक़द्दमा ले जाने की बजाये, अगर किसी दूसरे इंसान को हकम मान लें तो उसका फ़ैसला नाफ़िज़ुल अमल होगा और हुकूमती क़ाज़ी उसको तोड़ने का मजाज़ नहीं होगा, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक, क़ाज़ी की तौसीक़ ज़रूरी है। (तकमिला: 2, सफ़ा: 603) लेकिन इमाम इब्ने कुदामा ने लिखा है, अगर दो इंसान किसी को सही हकम तस्लीम करते हैं और वह उसकी अहलियत रखता है तो उसका फ़ैसला नाफ़िज़ुल अमल होगा, इमाम अबू हनीफ़ा का मौक़िफ़ भी यही है और इमाम शाफ़ेई का एक क़ौल ये है कि वह मुतमइन हों तो नाफ़िज़ होगा, वरना नहीं, अलमुग़नी,जिल्द: 14, सफ़ा: 92.

زبان نبوی ﷺ

سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: (عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِن لَّمْ تُعْتَرَفْ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ)

رسول اللہ ﷺ سے (کسی کی) گری اور بھولی ہوئی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: "ایک سال اس کی تشہیر کرو، اگر اس کی شناخت نہ ہو پائے (کوئی اسے اپنی چیز کی حیثیت سے نہ پہچان سکے) تو اس کی تھیلی اور بندھن کی شناخت کر لو پھر اسے کھاؤ (استعمال کرو)، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے اس کی ادائیگی کر دو۔"

(صحیح مسلم، حدیث: ۴۵۰۴)

'रसूलुल्लाह (ﷺ) से (किसी की) गिरी और भूली हूई चीज़ के बारे में पूछा गया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक साल उसकी तशहीर (ऐलान) करो, अगर उसकी शनाख़्त न हो पाये (कोई उसे अपनी चीज़ की हैसियत से न पहचान सके) तो उसकी थैली और बंधन की शनाख़्त कर लो फिर उसे खाओ (इस्तेमाल करो), फिर अगर उसका मालिक आ जाये तो उसे उसकी अदायगी कर दो।'

(सहीह मुस्लिम, हदीस: 4504 (1722))

किताबुल लुक़्ता का तआरुफ़

लुक़्ता से मुराद वह चीज़, सवारी का जानवर वग़ैरह है जो गिर जाये या ग़फ़लत की बिना पर कहीं रह जाये या सवारी है तो कहीं चली जाये, काम की जो चीज़ें दरया, समन्दर वग़ैरह अपने किनारों पर ला फैंकते हैं, या कोई क़ीमती चीज़ जो किसी को परिन्दे के आशियाने में मिल जाये, उसकी चौंच या पँजे वग़ैरह से गिर जाये, सब इसी में शामिल है।

पिछले अबवाब में माली हुक़ूक़ के हवाले से पैदा होने वाले झगड़ों के बारे में अहकाम थे। इस हिस्से में उन चीज़ों का ज़िक्र है जिनका कोई दावेदार मौजूद नहीं, लेकिन उन पर किसी नामालूम इन्सान का हक़ है।

इस हिस्से की अहादीस़ में वज़ाहत है कि कौन सी चीज़ें संभाली जा सकती हैं और कौन सी चीज़ें संभालने की इजाज़त नहीं। संभालने वाले पर फ़र्ज़ आइद होता है कि उसके अस़ल मालिक को तलाश करने के लिये साल भर उसकी तशहीर करे, फिर वह उस चीज़ को ख़र्च कर सकता है मगर उसकी हैसियत अमानत की होगी। अस़ल मालिक के आ जाने और माक़ूल तरीक़े पर उसका हक़्क़े मिल्कियत स़ाबित हो जाने की सूरत में वही अस़ल हक़दार होगा। वह चीज़ या उसकी क़ीमत उसको अदा कर देनी ज़रूरी होगी। आख़री हिस्से में किसी इन्सान के उस हक़ की वज़ाहत है जो किसी दूसरे के माल में हो सकता है, जैसे: मेहमान का हक़, और तंगी की सूरत में जो किसी के पास मौजूद है उस पर बाक़ी लोगों का हक़।

كتاب اللقطة

गिरी पड़ी चीज़ों का बयान

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ، الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ " اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا " . قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ " لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ " . قَالَ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ " مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا " . قَالَ يَحْيَى أَحْسِبُ قَرَأْتُ عِفَاصَهَا.

(4498) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (ﷺ) बयान करते हैं कि एक आदमी नबी अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप (ﷺ) से गिरी पड़ी चीज़ के बारे में सवाल किया तो आपने फ़रमाया: 'इसकी थैली और बंधन की शनाख़्त कर ले, फिर एक साल तक उसकी तशहीर कर, अगर उसका मालिक आ जाये, (तो उसको दे दे) वरना उससे फ़ायदा उठा।' तो उसने पूछा, गुमशुदा बकरी का क्या हुक्म है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम पकड़ लोगे या तुमहारा कोई मुसलमान भाई पकड़ लेगा या फिर भेड़िये का लुक़्मा बनेगी।' उसने सवाल किया तो गुमशुदा ऊँट? आपने फ़रमाया: 'उसके साथ तेरा क्या ताल्लुक़? उसके साथ उसका मशकीज़ा और जूता मौजूद है, पानी पर पहुँचता है और दरख़्त के पत्ते खाता है यहाँ तक कि उसका मालिक उसको पा लेता है?'

रावी यहया का ख़याल है, मैंने इमाम मालिक के सामने इफ़ासहा की क़िराअत की है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2372, 2427, 2429, 2436, 2438, 5292, 6112, सुनन अबू दाऊद: 1704, 1705, 1708, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1372, सुनन इब्ने माजा: 2504.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) लुक़ता: अहले लुग़त और मोहद्दिसीन के यहाँ मशहूर यही है कि (क़ाफ़) पर ज़बर है, लेकिर आम तौर पर उसको साकिन पढ़ा जाता है, गिरी पड़ी चीज़। **(2) इफ़ास़:** वह बर्तन या थैली जिसमें रक़म रखी जाती है, विका, सर रश्ता, बाँधने की डोरी। **फ़ शानक बिहा:** फ़िर अपनी मर्ज़ी करो जैसे चाहो करो मक़सद है इस्तेमाल कर सकते हो। **(3) लक लि अख़ीक:** यानी तुम उसको पकड़ते हो क्योंकि बकरी कमज़ोर जानवर है, अपना दिफ़ा और तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, इसलिए मुहाफ़िज़ का मोहताज है वरना कोई दूसरा पकड़ेगा। **(4) ज़ाल्ला:** गुमशुदा जानवर को कहते हैं, गुमशुदा या गिरे पड़े सामान को लुक़ता कहेंगे, ज़ाल्ला नहीं कहेंगे। **(5) मालक वलहा:** तेरा उससे ताल्लुक़ नहीं, वह अपना तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा कर सकता है और मुहाफ़िज़ के बग़ैर चर चुग सकता है, उसके पेट में चंद दिन की प्यास बुझाने के लिए पानी जमा होता है, जिसको उसके सिक़ा मशकीज़ा का नाम दिया गया है या वह ख़ुद ब ख़ुद पानी के घाट पर पहुँच सकता है और अपने पाँव की कुव्वत या बलबूते पर तवील फ़ासला तै कर सकता है, भेडिये वग़ैरह का ख़तरा नहीं है, इसलिए तुझे पकड़ने की ज़रूरत नहीं, मालिक ख़ुद उसको तलाश कर लेगा।

(4499) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से गिरी पड़ी चीज़ के बारे में सवाल किया? तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसकी एक साल तक तशहीर करो, फिर उसके बँधन और थैली की पहचान कर ले, फिर उसको ख़र्च कर ले फिर अगर उसका मालिक आ जाये तो उसको अपनी तरफ़ से दे दे।' उसने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)!तो गुमशुदा बकरी? आप (ﷺ) ने फ़रमाया:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ " عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا

وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ " خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ - أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ - ثُمَّ قَالَ " مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا " .

'उसको पकड़ ले, क्योंकि वह तेरे क़ाबू में आयेगी या तुम्हारा भाई पकड़ लेगा या फिर भेड़िये का लुक़्मा बनेगी, उसने कहा, अल्लाह के रसूल! तो गुमशुदा ऊँट? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) गुस्सा में आ गये यहाँ तक कि आप (ﷺ) के रूख़सार सुर्ख़ हो गये या चेहरा सुर्ख़ हो गया, फिर आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तेरा उससे क्या वास्ता? उसका जूता, उसका मशकीज़ा उसके पास है यहाँ तक कि उसका मालिक उसको पा लेगा।'

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4473 में देखें।

फायदा : अर्रिफ़हा सनतनः तारीफ़ व तशहीर यानी ऐलान ऐसी जगहों पर होगी जहाँ लोग जमा होते हैं और इस हदीस़ से जुम्हूर ने ये इस्तेदलाल किया है कि तशहीर (ऐलान), एक साल तक करना ज़रूरी है, लेकिन अगर मिलने वाली चीज़ मामूली हो जिसकी कोई अहमियत नहीं है और मालिक को उसकी परवाह नहीं होती, उसकी तशहीर की ज़रूरत नहीं है, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है बक़ौल इब्ने क़ुदामा इस पर इत्तेफ़ाक़ है, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक जितनी चीज़ की चोरी पर हाथ नहीं काटा जाता, उसकी तशहीर लाज़िम नहीं है, इमाम मालिक के नज़दीक, उसकी मिक़्दार चौथाई दीनार है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक दस दिरहम, अलमुग़नी, जिल्दः 8, सफ़ाः 296, और ऐसी चीज़ जिसकी मालिक को तलाश और जुस्तजू रहती है, उसकी तशहीर ज़रूरी है और साल के बाद अगर मालिक न आये तो उस चीज़ की पूरी शनाख़्त के बाद उसको उठाने वाला अगर चाहे तो ख़र्च कर सकता है, जो रखने के क़ाबिल हो बाद में अगर मालिक आ जाये तो उसको उसकी चीज़ मुहैया करनी होगी और इससे स़ाबित होता है, ऐसा सामान ही रखा जा सकता, उठाने वाला अमीर है या मोहताज है, इसमें हदीस़ की रू से कोई फ़र्क़ नहीं है, इमाम अहमद, शाफ़ेई, इस्हाक़, शअबी, नख़ई, इक्रिमा और ताऊस वग़ैरहुम का यही नज़रिया है, हज़रत अ़ली, उ़मर, आयशा, इब्ने मसऊद, इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से यही मनक़ूल है, लेकिन इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक वह स़दक़ा कर दे और अगर बाद में मालिक आ जाये तो उसको बता दे, अगर वह स़दक़ा करने पर राज़ी हो जाये तो ठीक है वरना उसकी जगह उसको तावान अदा करे, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक अगर फ़क़ीर है तो फिर वह इस्तेमाल कर सकता है। (अलमुग़नी, ज़िल्दः 8, स़फ़ाः 299)

फ़ ग़ज़िबा रसूलुल्लाह (ﷺ): आप (ﷺ) की नाराज़ी का सबब या तो ये है कि उसने अक़्ल व दानिश से काम नहीं लिया कि वही चीज़ पकड़ी जा सकती है, जिसके ज़ाया होने का ख़तरा है और उस दौर में ऊँट ऐसा हैवान था, जिसके ज़ाया का ख़तरा नहीं था, लेकिन आजकल उसका भी ख़तरा है कि कहीं ऐसे लोगों के हाथ न आ जाये जो उसको हड़प कर लें या नाराज़ी का सबब ये है कि उस दौर में ऊँट की गुमशुदगी का एहतिमाल नहीं था, इसलिए उसका सवाल बे'मौक़ा और बे'महल था।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ، بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ . قَالَ وَقَالَ عَمْرٌو فِي الْحَدِيثِ " فَإِذَا لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفِقْهَا " .

(4500) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद की सनद से, रबीया की ऊपर दी गई सनद से, इमाम मालिक, (हदीस नम्बर: 4498) की तरह हदीस बयान करते हैं, लेकिन इसमें ये इज़ाफ़ा है कि हज़रत ज़ैद (رضي الله عنه) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास एक आदमी आया और मैं भी उसके साथ था तो उसने आप (ﷺ) से गिरी पड़ी चीज़ के बारे में सवाल किया और अम्र की हदीस में ये है, 'तो जब उसका तालिब (तलाश करने वाला) न आये तो उसको ख़र्च कर ले।'

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4473 में देखें।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، - وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاحْمَارَّ وَجْهُهُ وَجَبِينُهُ وَغَضِبَ . وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ " ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً " . " فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ " .

(4501) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद की सनद से हदीस नम्बर 4499 की तरह बयान करते हैं, मगर इसमें ये है, आपका चेहरा और पेशानी सुर्ख़ हो गई और नाराज़ हो गये और इस क़ौल के बाद कि फिर एक साल तक तशहीर (ऐलान) कर, ये इज़ाफ़ा है, 'अगर उसका मालिक न आये तो वह तेरे पास अमानत होगी।'

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4473 में देखें।

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है अगर उठाने वाला उसको इस्तेमाल नहीं करता तो वह उसके पास अमानत के तौर पर होगी, अगर उसकी कोताही और ग़फ़लत के बग़ैर ज़ाया होगी तो वह ज़िम्मेदार नहीं होगा, अगर कोताही की तो ज़ामिन होगा, यानी तावान पड़ेगा या ये मानी होगा तो उसको अमानत समझे कि मैंने उसे अदा करना है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ فَقَالَ " اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ " . وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَقَالَ " مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا " . وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ " خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ " .

(4502) हज़रत ज़ैद बिन जुहनी (رضي الله عنه) सहाबिये रसूल (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से लुक़्ता में सोना, चाँदी गिरी हुई के बारे में सवाल किया गया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसके तस्मा और थैली को पहचान लो, फिर एक साल तक ऐलान करो, अगर तुम मालिक को न जान सको तो उसको ख़र्च कर लो और वह माल तेरे पास अमानत होगा, अगर उसका माँगने वाला कभी भी आ गया तो तुम्हें उसे अदा करना होगा' और आप (ﷺ) से साइल ने गुमशुदा ऊँट के बारे में सवाल किया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तेरा उससे क्या ताल्लुक़? उसे रहने दे, क्योंकि उसका जूता और उसका मशकीज़ा उसके साथ है, पानी पर पहुँच जाता है, दरख़्तों से खा लेता है यहाँ तक कि उसका मालिक उसको पा लेता है।' और उसने आप (ﷺ) से बकरी के बारे में सवाल किया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसको पकड़ लो, क्योंकि वह तेरे लिए है या तेरे भाई के लिए या भेड़िये के लिए है।

तख़रीजः ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4473 में देखें।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى

(4503) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि एक आदमी ने

بْنُ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةُ الرَّأْيِ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ، خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ . زَادَ رَبِيعَةُ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ " فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلاَّ فَهْىَ لَكَ".

रसूलुल्लाह(ﷺ) से गुमशुदा ऊँट के बारे में सवाल किया, रबीया उसमें ये इज़ाफ़ा करते हैं कि आप (ﷺ) नाराज़ हो गये यहाँ तक कि आप(ﷺ) के रूख़सार सुर्ख़ हो गये, आगे ऊपर दी गई हदीस़ है, जिसमें ये इज़ाफ़ा है, 'अगर उसका मालिक आ जाये और उसकी थैली, उसकी गिनती, उसका बँधन पहचान ले तो उसे उसको दे दे, वरना वह तेरी चीज़ है।'

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4473 में देखें।

फायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है अगर कोई आदमी आकर गुमशुदा चीज़ की दुरूस्त अलामात (निशानियाँ) बता दे तो वह उसके हवाले कर दी जायेगी, उससे शहादत तलब नहीं की जायेगी और उसके बारे में बदगुमानी का शिकार नहीं हुआ जायेगा। इमाम मालिक और इमाम अहमद का यही मौक़िफ़ है, लेकिन अहनाफ़ और शवाफ़ेअ के नज़दीक अगर उठाने वाला, अलामात बताने से मुतमइन हो जाये और वह उसको सच्चा ख़्याल करे तो वह दे सकता है, वरना लाज़िम इस सूरत में है जब उसकी मिल्कियत का सबूत पेश करे। (अलमुग़नी, जिल्द: 8,सफ़ा: 309)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ " عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ".

(4504) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से लुक़्ता के बारे में पूछा गया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक साल तशहीर करो, अगर उसको पहचाना न जा सके तो तुम उसकी थैली और बँधन की शनाख़्त करके उसको इस्तेमाल करो, अगर उसका मालिक आ जाये तो उसकी अमानत उसे अदा कर दो।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 1706, जामेअ तिर्मिज़ी: 1373, सुनन इब्ने माजा: 2507.

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ " فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا وَإِلاَّ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا " .

(4505) इमाम साहब ऊपर दी गई हदीस एक और उस्ताद से नक़ल करते हैं, ज़हहाक बिन उस्मान की ऊपर दी गई सनद से बयान करते हैं इसमें है, 'अगर उसकी शनाख़्त हो गई तो उसे दे दो, वरना उसकी थैली, उसका बँधन और उसकी तादाद को पहचान लो।'

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4479 में देखें।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ، بْنُ نَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ، بْنَ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، غَازِينَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ فَقَالاَ لِي دَعْهُ . فَقُلْتُ لاَ وَلَكِنِّي أُعَرِّفُهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَإِلاَّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ . قَالَ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا قُضِيَ لِي أَنِّي حَجَجْتُ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ وَبِقَوْلِهِمَا فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله

(4506) हज़रत सुवैद बिन ग़फ़ला (रह.) बयान करते हैं कि मैं, ज़ैद बिन सूहान और सलमान बिन रबीया एक जंग के लिए निकले तो मुझे एक कोड़ा मिला तो मैंने उसे उठा लिया, मेरे दोनों साथियों ने कहा इसे छोड़ दो, मैंने कहा नहीं, हाँ मैं इसकी तशहीर करूंगा, अगर उसका मालिक आ गया तो ठीक, वरना मैं उससे फ़ायदा उठाऊंगा, इस तरह मैंने उनकी बात न मानी तो जब हम जंग से वापस आये तो मैं तक़दीर के फ़ैसले से हज के लिए निकला और मैं मदीना हाज़िर हुआ और मेरी मुलाक़ात हज़रत उबय बिन कअब (ﷺ) से हो गई तो मैंने उन्हें कोड़े का माजरा सुनाया और दोनों साथियों की बात बताई तो उन्होंने कहा, मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में एक थैली मिली, जिसमें सौ दीनार थे और मैं वह लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक साल इसकी तशहीर करो।' तो मैंने उसकी तशहीर की और मुझे उसको पहचानने वाला न मिला, फिर मैं उसको लेकर आप (ﷺ) के पास आया,

عليه وسلم فَقَالَ " عَرِّفْهَا حَوْلاً " . قَالَ فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ . فَقَالَ " عَرِّفْهَا حَوْلاً " . فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ . فَقَالَ " عَرِّفْهَا حَوْلاً " . فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا . فَقَالَ " احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا " . فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا . فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لاَ أَدْرِي بِثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ .

आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक साल उसकी तशहीर करो।' तो मैंने उसकी तशहीर की और मुझे उसकी शनाख़्त करने वाला न मिला, फिर मैं उसे लेकर आप(ﷺ) के पास आया तो आपने फ़रमाया: 'एक साल इसकी तशहीर करो।' तो मैंने उसकी तशहीर की और मुझे उसकी शनाख़्त करने वाला न मिला तो आपने फ़रमाया: 'उसकी तादाद, उसकी थैली और उसका बँधन याद कर लो, अगर उसका मालिक आ गया तो ठीक, वरना उससे फ़ायदा उठा लेना।' तो मैंने उससे फ़ायदा उठाया, शोबा कहते हैं, मैं उसके बाद अपने उस्ताद सलमा बिन कुहैल को मक्का मुकर्रमा में मिला तो उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं, सूवैद ने तीन साल कहा था या एक साल।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2426, 2437, सुनन अबू दाऊद: 1701, 1702, 1703, जामेअ तिर्मिज़ी: 1374, सुनन इब्ने माजा: 2506.

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ، بْنُ كُهَيْلٍ أَوْ أَخْبَرَ الْقَوْمَ، وَأَنَا فِيهِمْ، قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا . قَالَ شُعْبَةُ فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ عَرَّفَهَا عَامًا وَاحِدًا .

(4507) हज़रत सूवैद बिन ग़फ़ला (रह.) ने, लोगों को बताया उनमें सलमा बिन कुहैल भी थे कि मैं ज़ैद बिन सूहान और सुलैमान बिन रबीया के साथ निकला तो मुझे कोड़ा मिला और ऊपर दी गई हदीस फ़स्तम्अ़तु बिहा, मैंने उससे फ़ायदा उठाया तक बयान की, शोबा कहते हैं मैंने उस्ताद को दस साल बाद कहते हूए सुना, उसकी एक साल तक तशहीर कर।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4481 में देखें।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي، شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ، بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ زَيْدِ، بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ . وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ إِلاَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ عَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً . وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ " فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ " . وَزَادَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ " وَإِلاَّ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ " . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ " وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا " .

(4508) इमाम स़ाहब अपने पाँच उस्तादों की सनदों से सलमा बिन कुहैल की ऊपर दी गई सनद से शोबा ही की तरह हदीस़ बयान करते हैं और सबकी हदीस़ में तीन साल का ज़िक्र है, मगर हम्माद बिन सलमा की हदीस़ में है दो या तीन साल और सुफ़ियान, ज़ैद बिन अबी उनैसा और हम्माद बिन सलमा (रह.) की हदीस़ में है, 'अगर तुम्हारे पास ऐसा आदमी आये जो तुम्हें उनकी तादाद, उनकी थैली और उनके बँधन के बारे में बता दे तो उसे दे दो।' और सुफ़ियान ने वकीअ़ की रिवायत में ये इज़ाफ़ा किया है, 'वरना तुम्हारे माल के हुक्म में है।' और इब्ने नुमैर की रिवायत में है, 'वरना तू उससे फ़ायदा उठा ले।'

तख़रीजः ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4481 में देखें।

फ़ायदा : आम रिवायतों में तशहीर (ऐलान करना) के लिए एक साल की तशहीर की तअ़य्युन है और इस रिवायत में एक, दो, तीन साल में शक है, इसलिए क़तई और यक़ीनी एक साल है, इसलिए एक साल तशहीर तो लाज़िम है, लेकिन एक से ज़्यादा साल की तशहीर में माल की मालियत और क़द्रो क़ीमत के ऐतबार से अगर वह ये समझे कि ख़र्च करने के बाद,उसकी अदायगी मुश्किल होगी तो एक से ज़्यादा साल कर सकता है और जब ये समझे कि अब उसका मालिक उसको भुला चुका है तो फिर इस्तेमाल कर ले, बहरहाल अगर कभी उसका मालिक मिल भी जाये तो उसको उसकी अमानत अदा करनी होगी, अगर अपने ऊपर ख़र्च कर ली है और अगर स़दक़ा कर दी है तो फिर उसे आगाह करना होगा, अगर वह तस्लीम करले तो ठीक है, वरना अदा करना होगा, आज कल अख़बारात गुमशुदा चीज़ का मुफ़ीद ऐलान कर देते हैं, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है।

बाब : 1
हाजियों की गिरी पड़ी चीज़ का हुक्म

(1)
باب فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ

(4509) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान तमीमी(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हाजियों की गिरी पड़ी चीज़ उठाने से मना फ़रमाया।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 1719.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ .

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि हाजियों की गिरी पड़ी चीज़ नहीं उठानी चाहिए, ताकि वह ख़ुद उठा सकें, क्योंकि आम तौर पर हाजी वह चीज़ें साथ ले जाते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है, इसलिए उनको अपनी गुमशुदा चीज़ का जल्द ही एहसास हो जाता है और आजकल तो हरम में उसके लिये एक महकमा बना दिया गया है जिसके पास गुमशुदा चीज़ जमा कराई जा सकती है और लोग उसकी तरफ़ मुराजअत भी करते हैं, लेकिन अगर ऐसी जगह मिले, जहाँ अगर न उठाई जाये तो उसके ज़ाया होने का एहतिमाल होता है तो फिर उसकी तशहीर की नियत से उठा लेना चाहिए, मिल्कियत की नियत से नहीं कि मालूम नहीं इसका मालिक किस मुल्क का होगा और अब फिर कभी हज के लिए आ भी सकेगा या नहीं और तशहीर के बाद उसका मेरे पास आना मुमकिन होगा या नहीं, बल्कि तशहीर ही की नियत से उठाये, इमाम शाफ़ेई की राय के मुताबिक़ तो उसकी तशहीर हमेशा करना होगी, इससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, इमाम अहमद का एक क़ौल भी यही है, लेकिन मशहूर क़ौल की रू से उनके नज़दीक, हिल्ल और हरम (मक्का, ग़ैर मक्का) में कोई फ़र्क़ नहीं है, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक का मौक़िफ़ यही है, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत आयशा (ﷺ) से यही मनक़ूल है, तफ़्सील के लिए देखिये, अलमुग़नी, जिल्द: 8, सफ़ा: 315–316 बहरहाल बेहतर यही है कि उठाकर गुमशुदगी का ऐलान और हिफ़ाज़त करने वाले महकमा के सुपुर्द कर दे और जहाज़ में मिले तो फ़ौरन तशहीर कर दे।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا " .

(4510) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने गुमशुदा हैवान को रख लिया, वह गुमकर्दा राह है, जब तक उसकी तशहीर नहीं करता।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, गुमशुदा चीज़ को मिल्कियत बनाने के लिए उठाना जायज़ नहीं है और अगर यहाँ ज़ाल्ला से मुराद गुमशुदा ऊँट है, तो चूंकि उसकी मिल्कियत किसी सूरत में जायज़ नहीं है, अगर ख़तरा नहीं तो उसको पकड़ा ही नहीं जा सकता और अगर ख़तरा हो तो सिर्फ़ हिफ़ाज़त और तशहीर के लिए पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसकी हमेशा तशहीर न करना, राहे रास्त से हटना है।

(2)
باب تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا

बाब : 2
मालिक की इजाज़त के बग़ैर हैवान का दूध दूहना हराम है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " .

(4511) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई हरगिज़ दूसरे का मवेशी उसकी इजाज़त के बग़ैर न दूहे, क्या तुममें से किसी को ये बात पसन्द है कि उसके कमरा (गौदाम) में आकर कोई उसका ख़ज़ाना तोड़ कर उसका ग़ल्ला नक़ल कर ले, (ले जाये)? लोगों के मवेशी भी अपने थनों में उनकी ख़ूराक महफ़ूज़ करते हैं, इसलिए कोई किसी का हैवान उसकी इजाज़त के बग़ैर न दूहे।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2435, सुनन अबू दाऊद: 2623.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मशरूबा: कमरा या ग़ल्ला का गौदाम। **(2) ख़िजाना:** ग़ल्ला महफ़ूज़ करने की जगह।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि किसी की इजाज़त के बग़ैर उसका हैवान दूहना जायज़ नहीं है तो जब दूध दूहने की इजाज़त नहीं तो फिर किसी और चीज़ के बिला इजाज़त ले लेने की गुंजाइश कैसे निकल सकती है, जुम्हूर का यही मौक़िफ़ है, हाँ अगर कोई मुसाफ़िर है या लाचार और मजबूर है तो वह मालिक को आवाज़ दे ताकि उससे इजाज़त ले सके, अगर मालिक न मिल सके तो फिर ज़रूरत के बक़द्र पी ले या अगर ऊर्फ़ व आदत की रू से, मुसाफ़िर और दूसरों को दूध पीने की इजाज़त हो तो वह आवाज़ दे कर पी ले, क्योंकि अ़रब में आम तौर पर बकरियाँ होती हैं या ऊँट जिनको किसी वक़्त भी दूहा जा सकता है। मक़सूद ये है बाहर जंगल में चरने वाला रेवड़ वह गुमशुदा नहीं है कि उसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर ले।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي كِلاَهُمَا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ،عَنْ أَيُّوبَ، وَابْنُ، جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا " فَيُنْتَثَلَ " . إِلاَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ " فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ " . كَرِوَايَةِ مَالِكٍ .

(4512) इमाम स़ाहब ने अपने मुख़्तलिफ़ उस्तादों की सात सनदों से, हज़रत नाफ़े (रह.) के वास्ते से ही ऊपर दी गई हदीस़ बयान की, जिसमें फ़र्क़ ये है कि इमाम मालिक ने ऊपर दी गई हदीस़ में, युनतक़ल का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है और लैस़ ने भी यही लफ़्ज़ बयान किया है, बाक़ी रावियों ने फ़युन्तस़ल बयान किया है और इन्तिस़ाल का मानी बिख़ेरना है, यानी उसका ग़ल्ला बिखेर कर ज़ाया कर दिया जाये।

तख़रीज : सुनन इब्ने माजा: 2302.

बाब : 3
मेहमान नवाज़ी वग़ैरह

(3)
باب الضِّيَافَةِ وَنَحْوِهَا

(4513) हज़रत अबू शुरैह अदवी (ﷺ) बयान करते हैं, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये गुफ़्तगू फ़रमाई तो मेरे कानों ने सुना और मेरी आँखों ने देखा, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो अल्लाह और रोज़े आख़िरत पर ईमान रखता है,वह अपने मेहमान की ख़ातिर मदारत करके उसका एहतिराम करे।' सहाबा ने पूछा, उसका जायज़ा (ख़ातिर मदारात) कितना है? आपने फ़रमाया: 'एक दिन, रात और मेहमानी तीन दिन है और उससे ज़्यादा दिन उस पर सदक़ा है।' और आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो अल्लाह और रोज़े आख़िरत पर ईमान रखता है,वह अच्छी बात करे या ख़ामोशी इख़्तियार करे।'

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 174 में देखें।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعَتْ أُذُنَاىَ، وَأَبْصَرَتْ، عَيْنَاىَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ " . قَالُوا وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ - وَقَالَ - مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ " .

मुफ़रदातुल हदीस : अल जाइज़ा: अतिया व तोहफ़ा, यानी एक दिन रात अपनी वुसअत, मक़्दरत के मुताबिक़ उसके लिए अच्छा खाना पीना तैयार करे और दूसरे, तीसरे दिन जो घर में पकता है, वह पेश करे, उसके बाद मर्ज़ी है, उसकी मेहमान नवाज़ी करे या न करे।

(4514) हज़रत अबू शुरैह ख़ुज़ाई (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़ियाफ़त (मेहमान नवाज़ी) तीन दिन और ख़ातिर मदारात एक दिन रात है और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि अपने भाई के पास इतने दिन ठहरे कि उसको गुनाहगार कर दे।' सहाबा (ﷺ) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! उसको गुनाहगार

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ

कैसे करेगा? आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसके पास ठहर गया है, हालांकि उसके पास उसकी मेहमान नवाज़ी के लिए कुछ नहीं है।'

حَتَّى يُؤْثِمَهُ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ قَالَ " يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلاَ شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 174 में देखें।

फायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, किसी के यहाँ तीन दिन से ज़्यादा ठहरना दुरूस्त नहीं है, क्योंकि मुमकिन है उसके पास गुंजाइश न हो कि वह उसकी मेहमान नवाज़ी कर सके, क्योंकि उसके पास उसकी इस्तेताअत नहीं या उसके मामूलात में ख़लल अन्दाज़ी हो सकती है या वह मेहमान को वक़्त नहीं दे सकता, इसलिए कराहत से उसकी मेहमान नवाज़ी करता है या ग़ीबत करता है कि ये जाता ही नहीं है, लेकिन अगर ख़ुद मेज़बान, ज़्यादा ठहरने पर इसरार करता है या मेहमान जानता है, मेरा क़याम उनके लिए तंगी या परेशानी का बाइस़ नहीं है, बल्कि मुसर्रत व शादमानी का सबब है तो वह ज़्यादा देर ठहर सकता है, लेकिन आजकल के हालात का तक़ाज़ा है कि वह किसी के यहाँ ज़्यादा देर न ठहरे, मगर ये कि वह ख़ुद तक़ाज़ा करें और ख़ुश दिली से इसरार करें।

(4515) हज़रत अबू शुरैह ख़ुज़ाई (رضي الله عنه) बयान करते हैं, मेरे कानों ने सुना और मेरी आँखों ने देखा और मेरे दिल ने उसे याद रखा, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने गुफ़्तगू फ़रमाई, आगे लैस़ की हदीस़ नम्बर 1 की तरह बयान किया और उसमें वकीअ की हदीस़ नम्बर 2 की तरह ये बयान किया, 'तुममें से किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वह अपने भाई के यहाँ इस क़द्र ठहरे कि उसको गुनाहगार कर दे।'

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 174 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، - يَعْنِي الْحَنَفِيَّ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ، يَقُولُ سَمِعَتْ أُذُنَاىَ، وَبَصُرَ، عَيْنِي وَوَعَاهُ قَلْبِي حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَذَكَرَ فِيهِ " وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ " . بِمِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ .

(4516) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं, हमने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! आप हमें भेजते हैं और हम ऐसे लोगों में जाकर ठहरते हैं, जो हमारी मेहमान नवाज़ी नहीं करते तो आपका क्या ख़याल है? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें फ़रमाया: 'अगर

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا

فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ " .

किसी क़ौम में ठहरो और वह तुम्हारे लिए वह चीज़ मुहैया करें जो मेहमान को मिलनी चाहिए तो उसको क़बूल कर लो, अगर वह ऐसा न करें तो उनसे मेहमान का मुनासिब हक़, जो उन्हें देना चाहिए था छीन लो।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2461, 6137, सुनन अबू दाऊद: 3752, जामेअ तिर्मिज़ी: 1589, सुनन इब्ने माजा: 3676.

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि अगर इस्लामी हुकूमत कोई दस्ता या पार्टी कहीं भेजती है तो उस इलाक़े के लोगों को उनकी मेहमान नवाज़ी करनी चाहिए, लेकिन इमाम अहमद ने इससे ये इस्तेदलाल किया है कि जिस इलाक़े में मेहमान को क़ीमतन खाना न मिल सकता हो, क्योंकि वहाँ कोई होटल नहीं है तो वहाँ लोगों पर मेहमान नवाज़ी फ़र्ज़ है और इमाम लैस़ के नज़दीक हर जगह के लोगों पर फ़र्ज़ है, लेकिन जुम्हूर के नज़दीक मेहमान नवाज़ी सुन्नते मुअक्कदा है, फ़र्ज़ नहीं है, इसलिए उसको जबरन वसूल नहीं किया जा सकता, मगर ये कि मेहमान लाचार हो और भूख सता रही हो, स़ही बात तो ये है इसका ताल्लुक़ इस्लामी हुकूमत के कारिन्दों से था क्योंकि उस वक़्त वसाइल इतने आ़म नहीं थे, हुकूमत हर जगह उनके लिए खाने और रिहाइश का इन्तेज़ाम कर सकती, लेकिन अब हुकूमत इसका इन्तेज़ाम करती है, उन्हें इसके लिए रक़म मुहैया करती है, इसलिए अब जायज़ नहीं, वरना एक दो मेहमान किसी से अपना हक़ ज़बरदस्ती वस़ूल करने की इस्तेताअ़त कहाँ रखते हैं।

(4)باب
اسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ

बाब : 4
ज़रूरत से ज़्यादा माल से हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही करना पसन्दीदा तर्ज़े अ़मल है

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ

(4517) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हम नबी अकरम (ﷺ) के साथ सफ़र पर थे, इस दौरान अचानक एक आदमी अपनी सवारी पर आया और अपनी नज़र दायें

عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ " . قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ .

बायें दौड़ाने लगा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा सवारी का ऊँट हो तो वह उसके ज़रिये उसकी ख़ैरख़्वाही करे, जिसके पास सवारी नहीं है और जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा तोशा हो, वह उसके साथ उससे हुस्ने सुलूक करे, जिसके पास ज़ादे राह नहीं है।' हज़रत अबू सईद(ﷺ) बयान करते हैं, आप (ﷺ) ने माल की बहुत सी अक़साम का ज़िक्र किया यहाँ तक कि हमने ये समझा हममें से किसी का फ़ालतू चीज़ पर हक़ नहीं है।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 1663.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) फ़ज़्ल: ज़रूरत से ज़्यादा, फ़ालतू। **(2) फ़ल यउद् बिही:** ज़रूरत मंद पर उसके साथ एहसान करे, हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही का इज़हार करे।

फ़ायदा : एक इंसान ऊँटनी पर आया जो थकी हारी हूई थी, इसलिए वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने आकर दायें बायें देखने लगा और ऊँटनी भी दायें बायें फिरी ताकि रसूलुल्लाह (ﷺ) उसके लिए सवारी का इन्तेज़ाम फ़रमा दें, इस वजह से आप (ﷺ) ने लोगों को फ़ालतू (ज़रूरत से ज़्यादा) चीज़ से हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही करने की तल्क़ीन की और कुछ हज़रात ने ये मानी किया है कि वह फ़ख़्रो मबाहात के इज़हार के लिए ऊँटनी दायें बायें घुमाने लगा ताकि ये बात जतला सके, मेरे पास बहुत सी सवारियाँ हैं तो आप (ﷺ) ने उसको सुनाने के लिए साथियों को ख़ैरख़्वाही और हमदर्दी करने की तल्क़ीन की ताकि वह ज़रूरत से ज़्यादा सवारियों के ज़रिये ज़रूरत मंदों पर एहसान करे।

बाब : 5
अगर ज़ादेराह गुम हो जाये तो उसको बाहमी तौर पर मिलाकर हमदर्दी करना पसन्दीदा तर्ज़े अमल है

(5)
باب اسْتِحْبَابِ خَلْطِ الأَزْوَادِ إِذَا قَلَّتْ وَالْمُؤَاسَاةِ فِيهَا

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيَّ - حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، - وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ - حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ فَأَصَابَنَا جَهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا فَبَسَطْنَا لَهُ نِطَعًا فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النِّطَعِ قَالَ فَتَطَاوَلْتُ لأَحْزُرَهُ كَمْ هُوَ فَحَزَرْتُهُ كَرَبْضَةِ الْعَنْزِ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَهَلْ مِنْ وَضُوءٍ " . قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ لَهُ فِيهَا نُطْفَةٌ فَأَفْرَغَهَا فِي قَدَحٍ فَتَوَضَّأْنَا كُلُّنَا نُدَغْفِقُهُ دَغْفَقَةً أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً . قَالَ ثُمَّ

(4518) इयास बिन सलमा (ﷺ) अपने बाप से बयान करते हैं कि हम एक ग़ज़्वा के लिए रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले तो हम तंगी और मशक़्क़त से दोचार हो गये, जिसकी वजह से हमने अपनी कुछ सवारियों को नहर करने का इरादा कर लिया तो हमने नबी अकरम (ﷺ) के हुक्म से अपने तोशेदान जमा कर लीं और उसके लिए चमड़े का दस्तरख़्वान बिछा दिया और लोगों का ज़ादेराह चमड़े के दस्तरख़्वान पर जमा हो गया, हज़रत सलमा (ﷺ) कहते हैं, मैं ऊपर उठा ताकि उसकी मिक़्दार और लोगों का अन्दाज़ा लगाऊं तो मेरे अन्दाज़े के मुताबिक़ वह एक बकरी के बैठने की जगह के बराबर था और चौदह सौ अफ़राद थे, हम सब ने इससे सैर होकर खाया, फिर हमने अपनी थैलियाँ भर लीं तो नबी अकरम (ﷺ) ने पूछा: 'क्या कुछ पानी है?'तो एक आदमी अपना लोटा लाया, उसमें थोड़ा सा पानी था और उसे एक प्याले में डाल दिया तो हम

جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوا هَلْ مِنْ طَهُورٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَرِغَ الْوَضُوءُ " .

सबने उससे वुज़ू किया और हम उसे ख़ूब इस्तेमाल कर रहे थे चौदह सौ आदमी इसके बाद आठ आदमी आये और कहने लगे क्या वुज़ू के लिए पानी है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वुज़ू का पानी ख़त्म हो चुका है।'

तख़रीज : ये हदीस़ बयान की जा चुकी है।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) जुहदुन: तंगी व मशक़्क़त, मुराद भूख है। **(2) मज़ाविदना:** मिज़्वदुन की जमा है, तोशेदान जिसमें ज़ादे राह रखा जाता है। **(3) नितउन:** चमड़े का दस्तरख़्वान। **(4) हज़र:** अन्दाज़ा। **(5) ततावल्तु:** मैं ऊपर को उठा, गर्दन ऊँची की। **(6) रबज़ा:** बैठने की जगह। **(7) जुरूब:** जिराबुन की जमा है, चमड़े का तौशेदान या थैली। **(8) नुत्फ़तुन:** थोड़ा सा। **(9) नुदग़्फ़िक़ुहु:** हम उसे बे तहाशा इस्तेमाल कर रहे थे।

फ़ायदा : कुछ हज़रात के नज़दीक ये वाक़िया ग़ज़्व ए तबूक में पेश आया, जिसमें आप (ﷺ) के दो मोजिज़ों का इज़हार हुआ। (1) थोड़े से तआम में इतनी बरकत पैदा हुई कि चौदह सौ (1400) के लश्कर ने पेट भर कर खा लिया और फिर उससे अपने तोशेदान भर लिये। (2) थोड़ा सा पानी चौदह सौ के पीने और वुज़ू करने के लिए काफ़ी हो गया और उससे ये भी साबित हुआ, अगर खाने पीने की चीज़ें कम हैं तो उन सब को जमा कर लेना चाहिए और हर शख़्स अपने साथी को अपने खाने में शरीक कर ले और दिल में ये ख़्याल न लाये, मैं कम खाता हूँ ये ज़्यादा खाता है। अगर इस तरह ईस़ार व क़ुर्बानी का मुज़ाहिरा किया जाये तो अल्लाह तआला, अपनी बरकत नाज़िल फ़रमाता है।

लुक़्ता की आम रिवायात को किताब के तहत बयान किया है और लुक़्ता अलहाज से बाब का आग़ाज किया है।

किताबुल जिहाद का तआरुफ़

जिहाद जुहद से है। हक़ की मुख़ालिफ़त को रोकने, हक़ के दिफ़ा और हक़ को हर इन्सान तक पहुँचाने का रास्ता महफ़ूज़ करने के लिये जो जुहद की जाये, इस्तेलाहन उसी को जिहाद कहते हैं। ये हर इन्सान का पैदाइशी हक़ है कि हक़ तक उसकी रसाई होनी चाहिए। हक़ के दुशमनों की तरफ़ से इसी में जो रूकावटें डाली जाती हैं उनको हटाये बग़ैर इन्सानों का ये बुनियादी और अहम तरीन हक़ उन्हें नहीं मिलता। इसीलिये जिहाद इन्तेहाई अज़ीम, मुक़द्दस और क़ाबिले एहतिराम जद्दोजहद है।

हक़ के लिये जिहाद करने वाला, इन्सानी फ़लाह और तहफ़्फ़ुज़ के तक़ाज़े पूरे करते हुये जो जद्दोजहद करता है वह इन्तेहाई मुश्किल है। इस रास्ते में बहुत बड़ी क़ुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अगर ये अल्लाह की रज़ा के लिये है, उसके हुक्म के मुताबिक़ है, रसूलुल्लाह (ﷺ) के तरीक़े पर है तो इसमें इबादत के सारे अनासिर भी शामिल होते हैं और इससे बढ़ कर भी होता है। मुजाहिद के पेशे नज़र सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा जोई होती है। तमाम जिस्मानी सलाहियतें इसी में काम आती हैं। शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, भूख प्यास सहनी पड़ती है, माली क़ुर्बानी देनी पड़ती है, जान की बाज़ी लगानी होती है। इसमें नमाज़, रोज़ा, हज और ज़कात जैसी इबादात के सारे अन्दाज़ शामिल हैं इसलिये अल्लाह ने कमाले रहमत से उसका अज्र बहुत बड़ा रखा है लेकिन इसे फ़र्ज़े ऐन के बजाये फ़र्ज़े किफ़ाया बनाया है, क्योंकि ये हर एक के बस की बात नहीं। अगर ये फ़र्ज़ ऐन होता तो मुसलमानों की बड़ी तादाद जिसमें औरतें, बूढ़े, कमज़ोर, बीमार और माज़ूर वग़ैरह शामिल हैं, इस फ़र्ज़े ऐन के तारिक क़रार पाते।

जिहाद का बुनियादी मक़सद इन्सानियत की फ़लाह है, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जिहाद के मामले में तर्जीह के ऐतबार से अपने मुस्तहिक़ तरीन अज़ीज़ों, ख़ुसूसन बूढ़े माँ बाप की ख़िदमत को सबसे मुक़द्दम रखा है। आपने वज़ाहत से ये अल्फ़ाज़ बोले: (इन दोनों की ख़िदमत करके जिहाद करो।) क़िताल की शदीद ज़रूरत के वक़्त भी आप (ﷺ) ने इस तर्जीह को क़ाइम रखा है। आपने हज़रत उस्मान ग़नी (رضی الله عنه) को अपनी बीमार अहलिया की तीमारदारी के लिये घर पर छोड़ा और उनके इस अमल को न सिर्फ़ जिहाद क़रार दिया बल्कि माले ग़नीमत में से उनका हिस्सा भी निकाला।

इस्लाम में जिहाद का निज़ाम अपनी असलियत और मिज़ाज के ऐतबार से क़ौमों की बाहमी (आपसी) जंगों से बिल्कुल मुख़्तलिफ़ है। इसका मक़सद क़त्ल व ग़ारत और ग़नीमतों का हुसूल नहीं। इसी किताब में ये हदीस मौजूद है कि एक मुश्रिक ने, जिसकी बहादुरी का बहुत चर्चा था, बार बार रसूलुल्लाह

(ﷺ) से दरख़्वास्त की कि उसे जंगों में शुमूलियत की इजाज़त दी जाये, वह माले ग़नीमत के हिस्से पर इक्तेफ़ा करेगा, आपने उसे इजाज़त नहीं दी, जब इस्लाम क़बूल करके आया तो शामिल कर लिया। जिहाद का मक़सद इन्सानों तक हक़ को पहुँचाना है, इसीलिये जिहाद का पहला क़दम दावत है। अगर दावत के रद्दे अमल के तौर पर मुसलमानों से अदावत की जाती है ओर उन्हें नुक़सान पहुँचाया जाता है तो दिफ़ा ज़रूरी है। इस सूरत में भी जब जंग नागुज़ीर हो जाये तो जंग से पहले एक बार फिर दावत पहुँचाना और वह क़बूल न की जाये तो पुर अमन बक़ाये बाहमी के तरीक़े तजवीज़ करना ज़रूरी हैं। जो लोग इस्लामी सरहदों के अन्दर भी अपने दीन पर क़ाइम रहना चाहें उनके तहफ़्फ़ुज़ और जिस शहरी, मुआशरती निज़ाम और जिन सहूलतों से वह मुस्तफ़ीद होंगे उनके बदले में ज़कात से भी कम टेक्स (जिज़्या) के ऐवज़ उनके तमाम हुक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की पेशकश की जाती है। अगर पुर अमन बक़ाए बाहमी की कोई माक़ूल सूरत भी वह क़बूल न करें और अदावत पर बज़िद हों तो जंग नागुज़ीर (ज़रूरी) हो जाती है।

इमाम मुस्लिम (रह.) ने किताबुल जिहाद के इब्तेदाई अबवाब में जिहाद के उन इब्तेदाई मराहिल के मुताल्लिक़ अहादीस़ बयान की हैं। उन मामलात के हवाले से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुख़ालिफ़ीने इस्लाम के लिये आसानियाँ पैदा करने और मुआहिदों की मुकम्मल पाबन्दी का हुक्म दिया है। इन अबवाब के बाद, जंगी ज़रूरत के लिये तदाबीर इख़्तियार करने की इजाज़त, ख़्वाहमख़्वाह दुशमन का मुक़ाबला करने की आरज़ू की मुख़ालिफ़त, स़ब्र व तहम्मुल, फ़तह के लिये अल्लाह की तरफ़ रूजू, औरतों और बच्चों को क़त्ल न करने, दरख़्त काटने की मुमानिअ़त जैसे अबवाब हैं, फिर माले ग़नीमत की मुन्सिफ़ाना तक़सीम, उन अमवाल से मुस्तहिक़ों की ख़बरगीरी, दुशमनों को माफ़ करने और क़ैदियों के बदले अपने क़ैदी छुड़ाने, बग़ैर लड़े हासिल होने वाले इलाक़ों और अमवाल (फ़ै) के मसाइल पर मुश्तमिल अबवाब हैं। फ़ै के बारे में क़ुर्आन ने ये कहा: 'बस्तियों वालों में से जो कुछ अल्लाह अपने रसूल (या उसके जानशीनों) के हाथ में दे तो वह अल्लाह के लिये, उसके रसूल के लिये, क़राबतदारों के लिये, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफ़िरों के लिये है।' (अलहश्र 59/7) रसूलुल्लाह (ﷺ) की रहलत के फ़ौरन बाद अमवाल फ़ै (फ़दक वग़ैरह) के हवाले से हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अ़ली (रज़ि.) के घराने और ख़िलाफ़त के दरम्यान जो इख़्तिलाफ़ सामने आया उसमें हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) का मौक़िफ़ यही था कि इन अमवाल को जिस तरह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) इस्तेमाल फ़रमाते थे, आपके जानशीन भी बिऐनिही (बिल्कुल उसी तरह) उसी पर अ़मल करने के पाबन्द हैं।

ये मामला हज़रत उ़मर (रज़ि.) के सामने भी लाया गया। उन्होंने ये सोचा कि ख़िलाफ़त के पास अमवाले फ़ै की तौलियत ही है। उनका इस्तेमाल क़ुर्आन ने मुतय्यन कर दिया है। अगर अमीरूल मोमिनीन तौलियत की ज़िम्मेदारी इस शर्त पर हज़रत अ़ली (रज़ि.) को मुन्तक़िल कर दें कि वह उनको उसी तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) करते थे तो इससे इख़्तिलाफ़े राय ख़त्म हो सकता है। यही किया गया। इस मामले की तफ़्सीलात भी ज़िमनन स़हीह मुस्लिम के इसी हिस्से में आ गई हैं।

इसके बाद दुनिया के बड़े हुक्मरानों को लिखे गये ख़ुतूत का ज़िक्र है जिनके ज़रिये से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें इस्लाम की तरफ़ दावत दी, फिर तारीख़ी तर्तीब के बजाये मसाइल की तर्तीब से रसूलुल्लाह (ﷺ) के मग़ाज़ी को बयान किया गया है, जैसे: पहले जंगे बद्र का ज़िक्र है और उसके ज़िम्न में क़ैदियों का। इस मसले को वाज़ेह करने के लिये सुमामा बिन उसाल (رضي الله عنه) की क़ैद और आज़ादी के हवाले से हदीस लाई गई, इसी मसले की मज़ीद वज़ाहत के लिये यहूद की जलावतनी और उनकी शदीद बदअहदी की बिना पर, तौरात पर मबनी हज़रत सअद (رضي الله عنه) के फ़ैसले और उसके तहत जंगजूओं के क़त्ल और बाक़ियों की असीरी के फ़ैसले की तफ़्सीलात बयान हूई हैं। यहूदियों को निकालने के बाद जब मुहाजिरीन की मुआशी हालत बेहतर हो गई तो उन्होंने अन्सार के अ़तिया करदा बाग़ात वग़ैरह वापस कर दिये, इसकी तफ़्सील भी यहीं बयान की गई है। ख़ैबर के बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ग़ैर मुस्लिम बादशाहों को ख़ुतूत रवाना करके इस्लाम की दावत दी और ये चूंकि जिहाद का बुनियादी मरहला है, इसलिये इन मक्तूबात की तफ़्सील भी यहाँ बयान कर दी गई ताकि तमाम मुताल्लिक़ा मसाइल एक जगह इकट्ठे बयान हो जायें।

ख़ैबर की जंग में कुछ इलाक़े जंग से फ़तह हुये, कुछ फ़ै के तौर पर हासिल हुये, इसी तरह जंगे हुनैन में बज़ाहिर ग़नाइम और फ़ै का इम्तियाज नज़र आता है। लोगों की पस्पाई के बाद रसूलुल्लाह(ﷺ) मैदान में डटे रहे। आपकी फैंकी हूई मुट्ठी भर ख़ाक के ज़रिये से अल्लाह तआला ने जंग का पांसा पलट दिया। मुसलमानों ने आकर ग़नाइम जमा कीं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इन तमाम अमवाल को ग़नाइम क़रार दिया और ख़ुसूसी अख़राजात के लिये ख़ुम्स पर इक्तेफ़ा फ़रमाया। इसकी वज़ाहत के लिये हुनैन और ताइफ़ की जंगों का ज़िक्र यहीं किया गया है, फिर दोबारा बद्र के अहवाल से सिलसिले को जोड़ा गया और इसके बाद फ़तहे मक्का का ज़िक्र आया, हुनैन और ताइफ़ की तरह मुसलमानों की ये पेश क़दमी भी अगर चे मुश्रिकीन की बद अ़हदी के नतीजे में थी, लेकिन इसमें बाक़ायदा जंग की नौबत न आई। मुश्रिकीन के माल और जायदादें ग़नीमत न थीं, इन पर रसूलुल्लाह(ﷺ) का इख़्तियार था। आप चाहते तो उन्हें फ़ै क़रार देते, आपने उन्हें मुसलमान हो जाने वालों के पास रहने दिया। इन अमवाल की जो हैसियत थी उसकी बिना पर आपको इस फ़ैसले का पूरा इख़्तियार था। फ़तहे मक्का और जंगे हुनैन और जंगे ताइफ़ का पसे मन्ज़र सुलहे हुदैबिया से वाज़ेह होता है, इसलिये यहीं उसकी तफ़्सीलात बयान कर दी गई। फिर साबिक़ा जंगों के साथ सिलसिला जोड़ते हुये जंगे अहज़ाब का तज़किरा किया गया। इस जंग के दौरान मुनाफ़िक़ीन के किरदार का बयान भी हुआ और कुछ मुताल्लिक़ा उमूर, जैसे: तागूते यहूद कअ़ब बिन अशरफ़ के क़त्ल की तफ़्सीलात बयान की गईं और इससे पहले तागूते कुरैश अबू जहल के क़त्ल की तफ़्सीलात का ज़िक्र किया गया, ग़ज़्व-ए-अहज़ाब और इस ज़माने में जो अहम वाक़िआत हुये, ख़ुसूसन कुछ बहादुर सहाबा की बेमिस्ल शुजाअ़त का तज़किरा यहीं किया गया। इसके बाद औरतों के बतौर मुआविन जिहाद में हिस्सा लेने, और रसूलुल्लाह (ﷺ) के ग़ज़्वात की तादाद को बयान किया गया और आख़िर में वह हदीस है कि जिहाद में मुश्रिक की शुमूलियत मुमकिन नहीं।

كتاب الجهاد والسير

किताबुल जिहाद और सियर का बयान

ज़िहाद : जहदुन, मशक़्क़त व थकान या जुहद, वुसअत व ताक़त से मुशतक़ है और ये दोनों लफ़्ज वुसअत व ताक़त के मानी में भी मुश्तमिल हैं, क्योंकि हर फ़रीक़ अपनी ताक़त को सर्फ़ करता है, इसलिए साहबे लिसानुल अरब ने जिहाद का मानी किया है, जंग, ज़बानी दिफ़ा या किसी भी ज़िम्मेदारी में मुबालग़ा और आख़री हद तक अपनी कुव्वत व ताक़त निचोड़ देना और दीनी इस्तेलाह की रू से मानी है, इस्लाम की हिमायत व नुसरत और अल्लाह के दीन का बोल बाला करने के लिए लड़ना। (इरशादुस्सारी, जिल्द: 5, सफ़ा: 31)

और बक़ौल हाफ़िज़ इब्ने हजर, युत्लकु ऐजन अला मुजाहदतिन्नफ्सि वश्शैतानि वल फ़ुस्साक, नफ़्स, शैतान और नाफ़रमानों से मुक़ाबला करने पर भी बोला जाता है। फ़तहुलबारी, जिल्द: 6, सफ़ा: 5 और सियर, सीरतुन की जमा है, चूंकि जिहाद के मसाइल, ग़ज़्वात में आप (ﷺ) के तौर तरीक़े और हालात से माख़ूज़ हैं, इसलिए उनको सियर से भी ताबीर किया जाता है।

(1)

باب جَوَازِ الإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الإِسْلاَمِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الإِعْلاَمِ بِالإِغَارَةِ

बाब : 1

वह काफ़िर जिन तक इस्लाम का पैग़ाम पहुँच चुका है, उन पर उनको पहले से हमले से आगाह किये बग़ैर हमला करना दुरूस्त है (यानी इक़्दामी अन्दाज़ जायज़ है, जिहाद महज़ दिफ़ाई नहीं है)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ، قَبْلَ الْقِتَالِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَىَّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4519) इब्ने औन (रह.) बयान करते हैं, मैंने नाफ़े (रह.) को ये पूछने के लिये ख़त लिखा, जंग का आग़ाज करने से पहले इस्लाम की दावत देने का क्या हुक्म है? तो उन्होंने मुझे जवाब लिखा,दावत का सिलसिला आग़ाजे इस्लाम में था, नबी अकरम (ﷺ) ने बनू मुस्तलिक़ पर हमला इस

عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ - قَالَ يَحْيَى أَحْسِبُهُ قَالَ - جُوَيْرِيَةَ - أَوْ قَالَ الْبَتَّةَ - ابْنَةَ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَاكَ الْجَيْشِ.

हाल में किया कि वह उससे बेख़बर और ग़ाफ़िल थे और उनके मवेशी चश्मे पर पानी पी रहे थे, आप (ﷺ) ने उनके जंगजू मर्दों को क़त्ल किया और जो जंग के क़ाबिल नहीं थे, (औरतें, बच्चे, बूढ़े) उनको क़ैदी बना लिया और यहया बिन यहया (मुसन्निफ़ के उस्ताद) कहते हैं, मेरे ख़याल में ये यक़ीनी तौर पर (मैं कह सकता हूँ कि) हज़रत जुवैरिया (رضي الله عنها) आपके हाथ लगीं, नाफ़े कहते हैं, ये हदीस़ मुझे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنهما) ने सुनाई और वह इस लश्कर में मौजूद थे।

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 2541, सुनन अबू दाऊद: 2633.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ وَقَالَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ . وَلَمْ يَشُكَّ .

(4520) इमाम स़ाहब ऊपर दी गई हदीस़ एक और उस्ताद से, इब्ने औन की ऊपर दी गई सनद से बयान करते हैं और उसने बिला शक व शुब्हा ये कहा है कि जुवैरिया बिन्ते हारिस़ आपके हाथ लगीं।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4494 में देखें।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है, जिन लोगों तक इस्लाम की दावत पहुँच चुकी है, जंग का आग़ाज करने से पहले उनको इस्लाम की दावत देना ज़रूरी नहीं है, इक़्दामी हमला पहले हो सकता है, जुम्हूर का यही मौक़िफ़ है, अगरचे इमाम मालिक, हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ के नज़दीक, हर हालत में लड़ाई से पहले दावत देना ज़रूरी है और बक़ौल कुछ किसी सूरत में भी दावत देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये दोनों मौक़िफ़ दुरूस्त नहीं (नववी), आग़ाज़े इस्लाम में चूंकि इस्लाम की दावत फैली नहीं थी, इसलिए उस वक़्त इस्लाम की दावत देना ज़रूरी था और जब इस्लाम का पैग़ाम आम हो गया, सब तक दावत पहुँच गई तो अब दोबारा दावत देना ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपने बनू मुस्तलिक़ पर अचानक हमला किया था और उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवैरिया बिन्ते हारिस़ (رضي الله عنها) इस हमले में आप (ﷺ) के हाथ लगी थी, इससे मालूम हुआ दुशमन की तरफ़ पेश क़दमी करना जायज़ है।

बाब : 2
इमाम जंग के लिए भेजे जाने वाले दस्तों पर अमीर मुक़र्रर करेगा और उन्हें आदाबे जंग की तल्क़ीन करेगा

(2)
باب تَأْمِيرِ الإِمَامِ الأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا

(4521) इमाम स़ाहब अपने दो उस्तादों की सनदों से नक़ल करते हैं कि हमें सुफ़ियान (ﷺ) ने हदीस़ लिखवाई।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 1612, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1617, 1408, सुनन इब्ने माजा: 2858.

(4522) सुलैमान बिन बुरैदा अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब किसी को लश्कर या दस्ता का अमीर मुक़र्रर करते तो उसे उसकी ज़ात के सिलसिले में अल्लाह की हुदूद की पाबन्दी और मुसलमान साथियों के बारे में भलाई की तल्क़ीन फ़रमाते, फिर फ़रमाते, 'अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह के रास्ते में निकलो, अल्लाह के साथ कुफ़्र करने वालों से लड़ाई करो, जंग करो और ख़यानत न करो और ग़दर (बद अहदी) से बाज़ रहो, किसी के आज़ा (अंग) न काटो और किसी बच्चे को क़त्ल न करो और जब तुम्हारा मुश्रिक दुश्मन से मुक़ाबला हो तो उन्हें तीन बातों (ख़ूबियों) की दावत दो, सबसे पहले उन्हें इस्लाम क़बूल करने की दावत दो, अगर तुम्हारी बात मान लें तो उनसे उसको क़बूल कर लो और लड़ाई करने से

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ أَمْلاَهُ عَلَيْنَا إِمْلاَءً ح. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ " اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَ لاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلاَلٍ - فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ . وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ

रूक जाओ। फिर उन्हें अपने इलाक़े से हिजरत करके मुहाजिरों के इलाक़े में आने की दावत दो और उन्हें बता दो, अगर उन्होंने ऐसा कर लिया (हिजरत कर ली) तो उन्हें मुहाजिरों वाले हुक़ूक़ हासिल होंगे, और उन पर मुहाजिरों वाली ज़िम्मेदारीयाँ होंगी, अगर वह अपने इलाक़े के छोड़ने के लिए तैयार न हों तो उन्हें बता दो कि वह बदवी (जंगली) मुसलमानों की तरह होंगे, उन पर अल्लाह का वह हुक्म जारी होगा, जो दूसरे मुसलमानों पर नाफ़िज़ होगा और उन्हें ग़नीमत और फ़ै से कुछ नहीं मिलेगा, मगर ये कि वह मुसलमानों के साथ जिहाद में शरीक हों और अगर वह इस्लाम लाने से इंकार कर दें तो उनसे जिज़्या देने का सवाल करो, अगर वह तेरी इस बात को क़बूल करक लें तो उनसे उसको क़बूल कर लो और उनसे जंग करने से बाज़ रहो और अगर वह इससे भी इंकार कर दें तो अल्लाह तआला से तालिबे मदद हो कर उनसे जंग लड़ो और जब किसी क़िला वालों का मुहासिरा (घेरावबन्दी) करो और वह तुमसे अल्लाह और उसके रसूल का अहद व पैमान माँगें तो उन्हें न अल्लाह का अहद दो और न उसके रसूल का अहद दो, लेकिन उन्हें अपना और अपने साथियों का अहद दो, क्योंकि अगर तुम अपने अहद और अपने साथियों के अहद को तोड़ो ये इससे हल्का है कि तुम अल्लाह का अहद तोड़ो और जब तुम किसी

أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ . وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ " . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ قَالَ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ - قَالَ يَحْيَى يَعْنِي أَنَّ عَلْقَمَةَ يَقُولُهُ لاِبْنِ حَيَّانَ - فَقَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ .

क़िला वालों का मुहासिरा कर लो और वह तुम से ये चाहें कि उन्हें अल्लाह के हुक्म पर उतरने दो तो उन्हें अल्लाह के हुक्म पर उतरने की इजाज़त न दो, लेकिन अपने हुक्म पर उतरने दो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं, तुम उनके बारे में अल्लाह के हुक्म तक रसाई पाते हो या नहीं? अब्दुर्रहमान ने कहा, यही या इसकी तरह और यहया बिन आदम से इस्हाक़ अपनी रिवायत में ये इज़ाफ़ा करते हैं कि मैंने ये हदीस़ मुक़ातिल बिन हय्यान से बयान की, यहया कहते हैं, यानी अल्क़मा ने इब्ने हय्यान से बयान की तो उसने कहा, मुझे मुस्लिम बिन हैसम ने नोमान बिन मुक़र्रिन (ﷺ) के वास्ते से नबी अकरम (ﷺ) से इसके हम मानी रिवायत सुनाई।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4496 में देखें।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ .

(4523) इमाम स़ाहब और उस्तादों से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब किसी अमीर या दस्ता को भेजते तो उसे बुलाकर तल्क़ीन करते, आगे सुफ़ियान के हम मानी रिवायत है।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4496 में देखें।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا .

(4524) एक और उस्ताद से इमाम स़ाहब शोबा की ऊपर दी गई सनद से यही रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4496 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) सरीया या सराया: लश्कर की पार्टी, शब ख़ून मारने के लिए। **(2) ला तग़ुल्लू:** ग़नीमत में ख़यानत न करो। **(3) ला तग़्दिरू:** अहद शिकनी न करो। **(5) ला तम्सुलू:** शक्ल व सूरत न बिगाड़ो, यानी दुशमन के आज़ा (हाथ, कान, नाक वग़ैरह) न काटो।

फ़ायदा : इस्लाम अमन और सलामती का दीन है और जिहाद का मक़सद और ग़ायत, इस दुनिया के ख़ालिक़ और मालिक की हुक्मरानी क़ाइम करना है और इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निजात दिलाना है ताकि दुनिया से ज़ुल्म व सितम और दंगा व फ़साद को ख़त्म किया जा सके, इसलिए उसने जिहाद के लिए भी कुछ उसूल और आदाब मुक़र्रर किये हैं, जिनकी पाबन्दी ज़रूरी है, उसने किसी ऐसे फ़र्द को क़त्ल करने की इजाज़त नहीं दी जो जंग के क़ाबिल नहीं है या जंग में हिस्सेदारी नहीं है और क़त्ल की सूरत में भी उसकी शक्ल व सूरत को बिगाड़ने और मस्ख़ करने की इजाज़त नहीं है और आग़ाजे इस्लाम में जब मुहाजिरीन की मदीना में तादाद कम थी, उस वक़्त मुसलमानों वाले हुक़ूक़ हासिल करने के लिए, मदीना की तरफ़ हिजरत फ़र्ज़ थी, लेकिन अब मुसलमान होने के लिए हिजरत ज़रूरी नहीं है।

फ़स्अलूहुमुल जिज़्यता: इस हदीस़ से मालूम होता है हर क़िस्म के काफ़िरों से जिज़्या लेना दुरूस्त है अरबी हों या अजमी, अहले किताब हों या मुश्रिक, इमाम इब्ने क़ुदामा लिखते हैं कि काफ़िरों की तीन किस्में हैं:– (1) अहले किताब, यहूद और नसारा (ईसाइ) जो तौरात और इन्जील पर ईमान रखते हैं, उनसे जिज़्या क़बूल किया जायेगा और वह अपने दीन पर क़ाइम रहेंगे। (2) जो अहले किताब के मुशाबा हैं, ये मजूस (आग परस्त) हैं, जिज़्या की क़बूलियत में वह अहले किताब के हुक्म में हैं, अहले इल्म में भी उनसे जिज़्या क़बूल करने में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है। (3) इन दोनों क़िस्मों के अलावा जो मुश्रिक हैं, उनसे जिज़्या क़बूल नहीं किया जायेगा, इमाम अहमद और शाफ़ेई के यही मौक़िफ़ है और इमाम अहमद का एक क़ौल ये है कि अरब मुश्रिकों के सिवा तमाम काफ़िरों से जिज़्या क़बूल किया जायेगा, इमाम अबू हनीफ़ा का मौक़िफ़ यही है और इमाम मालिक के नज़दीक, मुश्रिकीने क़ुरैश के सिवा तमाम काफ़िरों से जिज़्या क़बूल किया जायेगा। (अलमुग़नी, जिल्द: 13, सफ़ा: 31–32)

और इस हदीस़ से यही मालूम होता है, लेकिन दूसरे दलाइल की रू से इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद का मौक़िफ़ दुरूस्त मालूम होता है। (तफ़सील के लिए देखिये, अलमुग़नी, जिल्द: 13, सफ़ा: 32–33)

फ़ला तज्अल लहुम ज़िम्मतल्लाहि व ला ज़िम्मता नबिय्यिही: अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से अहद व पैमान न दो, क्योंकि कुछ दफ़ा किसी जंगी मसलिहत के तहत, उसको तोड़ने की ज़रूरत पेश आ सकती है तो ऐसी सूरत में अल्लाह और रसूल की तरफ़ से अहद व पैमान देकर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है।

बाब : 3
आसानी और सहूलत पैदा करने का हुक्म है और नफ़रत दिलाने से रोका गया है

(3)
باب فِي الأَمْرِ بِالتَّيْسِيرِ وَتَرْكِ التَّنْفِيرِ

(4525) हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब अपने साथियों में किसी को अपने किसी काम के लिए भेजते तो फ़रमाते, 'बशारत (खुश खबरी) दो, नफ़रत न दिलाओ और आसानी और सहूलत पैदा करो और तंगी पैदा न करो।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 4835.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ " بَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا " .

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि लोगों को अल्लाह के फ़ज़ल व करम, नेक अमल पर अज़ीम अज्र व सवाब और अल्लाह तआला के वसीअ रहमत के ज़रिये दीन पर अमल पेरा होने का शौक़ और रग़बत दिलाना चाहिए और हर वक़्त, उसके ग़ज़ब व मुवाख़िज़ा (पकड़) और जहन्नम की धमकी नहीं सुनानी चाहिए, यानी ऐसा रवैया इख़्तियार करना चाहिए कि लोगों के दिल में ईमान की मोहब्बत पैदा हो,दीन से बेज़ारी और नफ़रत पैदा न हो कि उस पर अमल करना बहुत मुश्किल हो, इसलिए दावत व तब्लीग़ में तदरीज और अहम बिल अहम को मल्हूज़ रख कर गुनाहों से बाज़ रखने की नर्मी और प्यार के साथ कोशिश करना चाहिए, आग़ाज और इब्तेदा में ही अगर नफ़रत पैदा होगी तो फिर रूख़ फेरना मुश्किल होगा, इसलिए बच्चों और इस्लाम में नये नये दाख़िल होने वालों पर इब्तेदा ही में सख़्ती करना, इस्लाम के मिज़ाज के मुनाफ़ी है, आहिस्ता आहिस्ता तदरीज के साथ उनके अंदर ईमान और अमले सालेह की मोहब्बत को रासिख़ करें, ताकि वह ख़ुद बख़ुद बुराईयों से बचने की कोशिश करें, ये मानी नहीं है कि उनको किसी हाल में भी अल्लाह के ग़ज़ब और पकड़ से डराना नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्आन के अंदर, ख़ुद जन्नत के साथ दोज़ख़ का तज़किरा, वादा के साथ वईद का ज़िक्र है, अमले सालेह की तर्ग़ीब के साथ बुराईयों पर मुवाख़िज़ा को बयान किया गया है, मक़सद ये है कि दीन को नफ़रतअंगेज़ तरीक़े से न बयान करो, इस तरह बयान करो कि लोग माइल हों।

(4526) सईद बिन अबी बुर्दा, अपने बाप के वास्ते से अपने दादा अबू मूसा अशअरी (ﷺ) से बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने उसे और मुआज़ बिन जबल (ﷺ) को यमन भेजा तो फ़रमाया: 'आसानी पैदा करना और तंगी पैदा न करना और बशारत देना और नफ़रत पैदा न करना, बाहमी इत्तेफ़ाक़ रखना आपस में इख़्तिलाफ़ न करना।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 4343, 4344, 4345, 3038, 6124, 2172, सुनन अबू दाऊद: 4356, नसाई: 8/298, सुनन इब्ने माजा: 3391.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ " يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا " .

फ़ायदा : सहूलत व आसानी बशारत का बाइस बनती है और दिक़्क़त व तंगी नफ़रत पैदा करती है और बाहमी इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद लोगों को क़रीब करता है और बाहमी इख़्तिलाफ़ व इन्तेशार लोगों को दूर करता है, इसलिए आप (ﷺ) ने उन दोनों जलीलुक़द्र, सहाबा को दीन की दावत व तब्लीग़ हिक्मतो दानाई से लोगों के फ़ैसले करने की ख़ातिर भेजा तो उनको तल्क़ीन फ़रमाई है कि जाते ही मुश्किल और दिक़्क़त तलब कामों की दावत न देना, और बाहमी इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद से रहना, ताकि तुम्हारे इख़्तिलाफ़ से लोगों के ज़हनों में इन्तेशार पैदा न हो या वह इसे नाजायज़ फ़ायदा न उठायें।

(4527) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों की सनदों से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, लेकिन ज़ैद बिन अबी उनैसा की रिवायत में ये क़ौल नहीं है, 'बाहमी इत्तेफ़ाक़ से रहना, इख़्तिलाफ़ न करना।'

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4501 में देखें।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ " وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا " .

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ، الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا ".

(4528) इमाम स़ाहब अपने तीन उस्तादों की सनदों से हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आसानी पैदा करो और तंगी पैदा न करो, तस्कीन व इत्मिनान दिलाओ और नफ़रत पैदा न करो।'

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 6125.

(4)
باب تَحْرِيمِ الْغَدْرِ

बाब : 4
अहद शिकनी या बद अहदी (वादा खिलाफ़ी) हराम है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ، بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ - يَعْنِي أَبَا قُدَامَةَ السَّرَخْسِيَّ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ فَقِيلَ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ".

(4529) इमाम स़ाहब मुख़्तलिफ़ उस्तादों की सनदों से, हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कि जब अल्लाह तआला क़यामत को अगले, पिछले तमाम इंसानों को जमा करेगा तो हर अहद शिकनी के लिए एक झण्डा बलन्द किया जायेगा और कहा जायेगा, ये फ़ुलां बिन फ़ुलां की अहद शिकनी है।'

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 6177.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) ग़ादिर: अहद शिकन, बेवफ़ा। **(2) लिवाउन:** बड़ा झण्डा, जो सिपासालार के पास होता है।

फ़ायदा : अरबों का ये दस्तूर था कि वह अहद शिकनी के तशहीर के लिए, बाज़ारों में स्याह झण्डे गाड़ते थे ताकि तमाम लोग उसकी मज़म्मत और बुराई बयान करें, इसलिए उनकी आदत व उर्फ़ को मल्हूज़ रखते हुए, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अहद शिकन के साथ क़यामत के दिन भी यही सुलूक होगा कि तमाम इंसानों में उसकी अहद शिकनी की तशहीर की जायेगी, ख़ुसूसन अमीरे लश्कर या अमीरूल मोमिनीन, हुक्मरान की अहद शिकनी की हुरमत ज़्यादा शदीद है, क्योंकि उसकी अहद शिकनी का नुक़सान, सबसे ज़्यादा होता है और उसे अहद शिकनी की ज़रूरत भी नहीं होती, बल्कि वह ईफ़ा-ए-अहद पर ज़्यादा क़ादिर होता है, इसलिए उसको अपने ओहदा और मन्सब या ज़िम्मेदारी को पूरी दयानत व अमानत के साथ पूरा करना चाहिए और रिआया (पब्लिक) के हुक़ूक़ और मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, इस तरह अवाम और रिआया को भी, अमीर के साथ वफ़ा करना चाहिए और बिला वजह उसके ख़िलाफ़ शोर बरपा करने और बग़ावत व सरकशी इख़्तियार करने से बाज़ रहना चाहिए, क्योंकि दोनों अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक़ अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों के पूरा करने के सिलसिले में अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं, इसलिए इस हदीस के रावी हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने जब अहले मदीना ने यज़ीद के ख़िलाफ़ अलमे बग़ावत बलन्द किया तो उन्होंने अपनी औलाद और ख़दम व हश्म (मा'तहतों) को जमा करके फ़रमाया था कि तुममें से जो भी उन लोगों के साथ था, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हम यज़ीद की बैत कर चुके हैं और इससे बढ़कर कोई अहद शिकनी नहीं है कि जिसकी बैत की है उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ी जाये।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ، الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ .

(4530) इमाम साहब दो और उस्तादों से, नाफ़े ही की ऊपर दी गई सनद से ऊपर दी गई हदीस बयान करते हैं।

तख़रीज : जामेअ तिर्मिज़ी: 1581.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْغَادِرَ يَنْصِبُ اللَّهُ لَهُ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَلاَ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ " .

(4531) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला क़यामत के दिन अहद शिकन के लिए एक झण्डा गाड़ेगा और कहा जायेगा, ख़बरदार, ये फ़ुलां की अहद शिकनी है, (यानी इसकी अलामत व निशानी है)

(4532) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना: 'हर अहद शिकन के लिए क़यामत के दिन एक झण्डा होगा।'

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِمٍ، ابْنَىْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(4533) हज़रत अब्दुल्लाह (इब्ने मसऊद)(رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर अहद शिकन के लिए क़यामत के दिन एक झण्डा होगा, कहा जायेगा ये फ़ुलां की अहद शिकनी है।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3186, 3187, सुनन इब्ने माजा: 2872.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ، بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ" .

(4534) इमाम साहब यही हदीस दो और उस्तादों से, शैबा की ऊपर दी गई सनद से बयान करते हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान की रिवायत में ये अल्फ़ाज़ नहीं हैं, 'कहा जायेगा, ये फ़ुलां की अहद शिकनी है।'

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4508 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ح وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ " يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ " .

(4535) हज़रत अब्दुल्लाह (इब्ने मसऊद)(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन हर अहद शिकन के पास झण्डा होगा, जिससे उसे पहचाना जायेगा, कहा जायेगा, ये फ़ुलां की अहद शिकनी (की अलामत) है।'

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4508 में देखें।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ " .

(4536) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर अहद शिकन के पास क़यामत के दिन एक झण्डा होगा, जिससे वह पहचाना जायेगा।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3186, 3187.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ "

(4537) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर अहद शिकन के लिए क़यामत के दिन उसकी सुरीन पर झण्डा होगा।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

फ़ायदा : इज़्ज़त व शरफ़ की अलामत व निशानी सामने पेशानी पर होती है, यहाँ रुस्वाई और ज़िल्लत के लिए झण्डा उसकी सुरीन के पास होगा।

(4538) हज़रत अबू सईद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन हर अहद शिकन के लिए झण्डा होगा, जो उसकी अहद शिकनी के बक़द्र बलन्द किया जायेगा और ख़बरदार! मुन्तज़िमे आला (हुक्मरान) से बढ़ कर कोई अहद शिकन नहीं है।'

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ " .

बाब : 5
लड़ाई में चाल या तदबीर इख़्तियार करना जायज़ है

(5)
باب جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ

(4539) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से हज़रत जाबिर (ﷺ) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लड़ाई एक चाल या तदबीर है।'

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لِعَلِيٍّ وَزُهَيْرٍ - قَالَ عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو، جَابِرًا يَقُولُ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْحَرْبُ خَدْعَةٌ " .

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3030, सुनन अबू दाऊद: 2636, जामेअ तिर्मिज़ी: 1675.

मुफ़रदातुल हदीस : (1) ख़दअतुन, ख़ुदअु, ख़िदअतुन, ख़दअतुन: पहली तीन सिफ़ात मशहूर हैं,हर एक का मानी ये है। **(2) ख़दअत:** लड़ाई एक चाल है, जो वह चाल चल गया कामियाब हो गया। **(3) ख़ुदअत:** लड़ाई, एक हीला और चाल है, हर फ़रीक़ उसको चलने की कोशिश करता है गोया ये मुजस्सम–ए–हीला और चाल है। **(4) ख़ुदअत:** ये एक बहुत बड़ा हीला और तदबीर है, जिसमें लोग फँस जाते हैं, मुख़्तलिफ़ आरज़ूओं और तमन्नाओं का शिकार होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वह पूरी हों। **(5) ख़दअत:** ये ख़ादिअन की जमा है, यानी लड़ाई चालबाज़ और हीला जू है, हर फ़रीक़ दूसरे से हीला करता है। **(6) ख़िदअत:** ये एक मख़्सूस क़िस्म की चाल और हीला है।

फायदा : इस हदीस से साबित होता है कि लड़ाई हीला, चाल और तदबीर पर इन्हिसार है, जो बेहतर चाल चल गया उसने बेहतर तदबीर इख़्तियार कर ली, उसको कामयाबी नसीब होगी, इसलिए इसमें आग़ाज़ और इब्तेदा में अन्जाम या नतीजा का अन्दाज़ा लगाना मुश्किल होता है, आग़ाज़ में एक फ़रीक़ ग़ालिब आ रहा होता है, लेकिन इन्तेहा में दूसरा फ़रीक़ ग़ालिब आ जाता है और इससे कुछ अइम्मा ने जंग में झूठ बोलने को जायज़ क़रार दिया है और कुछ ने कहा, झूठ से मुराद तारीज़ और किनाया है, क्योंकि किज़्ब का लफ़्ज़ तारीज़ व किनाया के लिए इस्तेमाल होता है,जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहि. क़यामत के दिन कहेंगे,मैंने तीन दफ़ा झूठ यानी तारीज़ व किनाया से काम लिया और सही यही मालूम होता है, जहाँ तक मुमकिन हो झूठ से एहतिराज़ (परहेज़) करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर तारीज़ और किनाया से फ़ायदा उठाना चाहिए, मगर ये कि इसके सिवा और कोई चाराकार न रहे, फिर तोरिया और तारीज़ की जगह झूठ से काम लिया जा सकता है, जैसे किसी मुसलमान की ज़िन्दगी या उसका माल झूठ बोले बग़ैर बच न सकता हो तो जान व माल बचाने के लिए उसकी गुंजाइश है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ " .

(4540) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जंग सरासर तदबीर है या धोखा और चाल है।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3029.

बाब : 6
दुशमन से मुक़ाबले की तमन्ना करना दुरूस्त नहीं है और अगर मुक़ाबला हो जाये तो स़ब्र व स़बात से काम लेना होगा

(6)
باب كَرَاهَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَالأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا" .

(4541) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दुशमन से टकराव या मुक़ाबले की तमन्ना न करो और जब उससे मुक़ाबला हो जाये तो स़ाबित क़दम रहो।'

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 3026.

फायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि दुशमन को हक़ीर न समझना चाहिए, बल्कि अहमियत और वज़न देना चाहिए, ताकि स़ही तैयारी हो सके और जब जंग के बग़ैर काम चल सकता हो तो महज़ अपनी ताक़त के भरोसे पर, अपनी कुव्वते बाज़ू पर ऐतमाद करते हुए, अपने आपको बहुत कुछ ख़्याल करते हुए, दुशमन से टकराव की ख़्वाहिश और आरज़ू नहीं करनी चाहिए, हाँ अगर लड़ाई के सिवा कोई चारा न हो तो ज़ाहिरी असबाब और वसाइल से काम लेते हुए, अल्लाह की नुस़रत व हिमायत के हुसूल की दुआ करते हुए मुक़ाबले में जम जाना चाहिए और मुक़ाबले से गुरेज़ नहीं करना चाहिए।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى، بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ كِتَابِ، رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ يَنْتَظِرُ

(4542) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उबय (ﷺ) ने उ़मर बिन उ़बैदुल्लाह (ﷺ) को जब वह ख़्वारिज से जंग के लिए निकला आगाही के लिए ये ख़त लिखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कुछ औक़ात दुशमन के मुक़ाबले के लिए निकलते तो सूरज ढलने का इन्तेज़ार फ़रमाते, जब सूरज ढल जाता तो ये ख़िताब फ़रमाते, 'ऐ लोगो! दुशमन से मुडभेड़ की आरज़ू न करो और अल्लाह से आ़फ़ियत की दरख़्वास्त करो और जब दुशमन से टकराव हो जाये तो स़ाबित क़दम

حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ " . ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ " اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ " .

रहो और यक़ीन कर लो, जन्नत तलवारों के साये तले है।' फिर आप (ﷺ) ने खड़े होकर ये दुआ फ़रमाई: 'ऐ अल्लाह! ऐ किताब के उतारने वाले, बादलों को चलाने वाले, लश्करों को शिकस्त से दो चार करने वाले, इनको शिकस्त दे और हमें इनके ख़िलाफ़ मदद दे।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2818, 2833,2965, 2966, 3064, 7235, सुनन अबू दाऊद: 2621.

फायदा : दुशमन से मुक़ाबले की सूरत में, रसूलुल्लाह (ﷺ) की आदते मुबारका थी कि आप (ﷺ) जंग का आग़ाज़ सुबह की नमाज़ के बाद फ़रमाते थे, क्योंकि सुबह की नमाज़ में पीछे रहने वाले मुसलमान दुआ-ए क़ुनूते नाज़िला के ज़रिये मुसलमानों की फ़तह व नुसरत और दुशमन की हज़ीमत, मग़लूबीयत की अल्लाह के हुज़ूर दरख़्वास्त करते हैं और सुबह के वक़्त इंसान ताज़ा दम और चाक व चौबन्द होता है, अगर लड़ाई का आग़ाज़ सुबह को न हो सकता तो फिर आप (ﷺ) ज़वाल का इन्तेज़ार फ़रमाते, ताकि मुसलमान नमाज़े ज़ुहर में क़ुनूते नाज़िला कर लें और हवा के चलने से धूप की हिद्दत व तपिश में कमी आ जाये और मुसलमान पूरी दिलजमई के साथ लड़ाई में शरीक हो जायें।

अलजन्नतु तहत ज़िलालिस्सुयूफ़: इसमें इन्तेहाई इख़्तिसार के साथ, इन्तेहाई मुअस्सिर अन्दाज़ में, जिहाद का सवाब बयान करके, इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ की फ़िज़ा में अपने दौर का अस्लहा इस्तेमाल करने की तर्ग़ीब दी गई है और आख़िर में दुआ के ज़रिये अल्लाह की नुसरत व हिमायत के असबाब के हुसूल के ज़रिये मुजाहिदों के हौसलो को बढ़ाया है कि वह किताब उतारने वाला है, जिसमें मुसलमानों की नुसरत का वादा है कि वह बादलों को चलाने वाला है कि वह क़ुदरते कामिला का मालिक है, कायनात के ज़ाहिरी असबाब से जो चाहे काम ले सकता है और उनके ज़रिये दुशमन को हज़ीमत से दो चार कर सकता है।

(7)
باب اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالنَّصْرِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

बाब : 7
दुशमन से मुक़ाबले के वक़्त नुसरत (फ़तह) के हुसूल की दुआ करना बेहतरीन रवैया है

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى

(4543) हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़ा (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुख़्तलिफ़ गिरोहों के इज्तेमा के वक़्त उनके ख़िलाफ़ ये दुआ फ़रमाई: 'ऐ अल्लाह! ऐ

الله عليه وسلم عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ " .

किताब नाज़िल करने वाले, जल्द हिसाब लेने वाले, गिरोहों (अहज़ाब) को शिकस्त दे, ऐ अल्लाह! इनको शिकस्त दे, इनके क़दम उखाड़ दे।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी:, 2933, 4115, 6392, 7489.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي، خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " هَازِمَ الأَحْزَابِ " . وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ " اللَّهُمَّ " .

(4544) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से ऊपर दी गई हदीस़ बयान करते हैं, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि इस हदीस़ में हाज़िमुल अहज़ाब (गिरोहों को शिकस्त देने वाले) है और अल्लाहुम्मा का लफ़्ज़ नहीं है।

तख़रीज:ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4518 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ " مُجْرِيَ السَّحَابِ " .

(4545) इमाम साहब दो और उस्तादों से ऊपर दी गई हदीस़ बयान करते हैं और इब्ने अबी उमर(ﷺ) की रिवायत में इस लफ़्ज़ का इज़ाफ़ा है, ऐ बादलों को चलाने वाले।'

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4518 में देखें।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ " اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأْ لاَ تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ " .

(4546) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जंगे उहुद के दिन ये फ़रमा रहे थे: 'ऐ अल्लाह! अगर तू चाहे तो ज़मीन में तेरी इबादत न की जाये।' (तू मुसलमानों को शिकस्त दे दे)

फ़ायदा : इन हदीसों से साबित होता है, फ़तह व शिकस्त अल्लाह के क़ब्ज़े में है, उसकी नुसरत व हिमायत और तौफ़ीक़ व ताईद के बग़ैर मुसलमान महज़ हथियारों के बल बूते पर फ़तह नहीं पा सकते क्योंकि माद्दी और ज़ाहिरी असबाब आम तौर पर दुशमन के पास ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनमें उनका मुक़ाबला नहीं हो सकता, दुशमन से मुक़ाबले की वाहिद सूरत अल्लाह की नुसरत (मदद) व हिमायत है, जो ईमान और अमले सालेह के नतीजे में हासिल होती है, जिससे बद क़िस्मती से मुसलमान आज बहैसियते मज्मूई महरूम हैं, अल्लाह उनके ईमान को मज़बूत करे और अमले सालेह की तौफ़ीक़ से नवाज़े, आमीन!

बाब : 8
जंग में औरतों और बच्चों को क़त्ल करना हराम (नाजायज़) है

(8)باب تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَةً، وُجِدَتْ، فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

(4547) हज़रत अब्दुल्लाह (इब्ने उमर)(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के किसी ग़ज़्वे में एक औरत क़त्ल कर दी गई तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने औरतों और बच्चों के क़त्ल को बुरा या नापसन्दीदा क़रार दिया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3014, सुनन अबू दाऊद: 2668, जामेअ तिर्मिज़ी: 1569.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ، اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ .

(4548) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि किसी ग़ज़्वा (जंग, लड़ाई) में एक औरत मक़्तूला पाई गई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने औरतों और बच्चों के क़त्ल से मना फ़रमा दिया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3015.

फ़ायदा : ये इस्लाम की ख़ुसूसियात और इम्तियाज़ात में से है कि जिस दौर में औरतों, बच्चों और बूढ़ों को भी क़त्ल व ग़ारत का निशाना बनाया जाता था, उस दौर में उनके क़त्ल करने से मना क़रार दिया, बशर्ते कि वह बराहे रास्त जंग में शामिल न हों, इस पर तमाम अइम्मा और फ़ुक़हा का इत्तेफ़ाक़ है।

बाब : 9 शब ख़ून में बिला क़सद व इरादा, औरतों और बच्चों का क़त्ल करना जायज़ है

(9)باب جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ

(4549) हज़रत सअब बिन जस्सामा (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) से मुश्रिकों के औरतों और बच्चों के बारे में सवाल किया गया कि उन पर शब ख़ून मारा

اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ، بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ . فَقَالَ " هُمْ مِنْهُمْ " .

जा सकता है और इसमें मुसलमान उनकी औरतों और बच्चों को क़त्ल कर देते हैं तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह उन्हीं में से है।'

तख़रीज: सहीह बुख़ारी:3012, सुनन अबूदाऊद:2672, जामेअ तिर्मिज़ी: 1570, सुनन इब्ने माजा: 2839.

मुफ़रदातुल हदीस़ : जरारी: ये जुरिय्यत की जमा है, जिसका मानी है, नसले इंसानी मुज़्ज़कर हो या मुअन्नस। **यबीतून:** उन पर रात को अचानक हमला किया जाता है, शब ख़ून मारा जाता है।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि अगर जंग करने वालों और जग में हिस्सा न लेने वालों के दरम्यान, इम्तियाज़ न हो सके और उनको अलग अलग करना मुमकिन न हो जिस तरह शब ख़ून मारते वक़्त होता है तो फिर बिला क़सद और बिला इरादा गर उनको क़त्ल कर दिया जाये, जान बूझ कर उनको निशाना न बनाया जाये तो फिर औरतों और बच्चों के क़त्ल में कोई हर्ज नहीं है और दुनियावी मामलात में मुश्रिकों के बच्चों का हुक्म भी जब तक वह अपने वालिदैन के साथ हैं, उन्हीं जैसा है, अगर मुश्रिकीन किसी क़िला में बंद हों और उनके साथ उनके बच्चे हों या मुसलमान क़ैदी हों तो इस सूरत में जुम्हूर फ़ुक़हा का ये क़ौल है, अगर इसके बग़ैर क़िला फ़तह करना मुमकिन न हो तो उनके क़त्ल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इमाम मालिक और ओज़ाई के नज़दीक ऐसी सूरत में तीरअंदाज़ी करना या मिन्जनीक (या आज कल के जदीद अस्लहा) से क़िला पर पत्थर फेंकना दुरूस्त नहीं है, क्योंकि उससे मुसलमान भी निशाना बनेंगे, किसी तरह मुसलमान क़ैदियों को बचाने की कोशिश की जाये, अगर उसके बग़ैर क़िला फ़तह करना मुमकिन न हो तो मजबूरी की सूरत में ग़ैर इरादी और ग़ैर शऊरी तौर पर अगर वह निशाना बन जायें तो उसकी गुंजाइश है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ، اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ " هُمْ مِنْهُمْ "

(4550) हज़रत स़अब बिन जस्सामा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! हम शब ख़ून में मुश्रिकों के बच्चों को क़त्ल कर डालते हैं, आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह उन्हीं में से हैं।'

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4524 में देखें।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، بْنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(4551) हज़रत स़अब बिन जस्सामा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया गया, अगर शहसवार या घुड़ सवार दस्ता रात को हमला करे और मुश्रिकों के

بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ لَوْ أَنَّ خَيْلاً أَغَارَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ " هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ " .

बेटों को क़त्ल कर दे? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह अपने आबा के हुक्म में हैं।'

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4524 में देखें।

(10)باب جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيقِهَا

बाब : 10 काफ़िरों के दरख़्तों को काटना और जलाना (जंगी ज़रूरत के तहत) जायज़ है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ، سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ . زَادَ قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ فِي حَدِيثِهِمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}

(4552) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनू नज़ीर के खजूरों के दरख़्त जो बुवैरा नामी नख़्लिस्तान में थे, जलवाये और कटवा दिये, कुतैबा और इब्ने रूम्ह की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी, जो खजूरें तुमने काटीं या उनको उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया तो ये अल्लाह के हुक्म से हुआ, ताकि फ़ासिक़ों को रूस्वा करे।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 4031, 4031, सुनन अबू दाऊद: 2615, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1552, 3302, सुनन इब्ने माजा: 2844.

फ़ायदा : यहूदी क़बीले जो मदीना में रहते थे वह तीन थे, बनू क़ुरैज़ा, बनू नज़ीर और बनू क़ैनुक़ा, इन क़बीले का हुज़ूर अकरम (ﷺ) से मुआहिदा था कि वह आपसे जंग नहीं लड़ेंगे और न आप (ﷺ) के दुशमन का तआवुन करेंगे, सबसे पहले बनू क़ैनुक़ा ने अ़हद शिकनी की और उनको अ़ब्दुल्लाह बिन उबय की सिफ़ारिश पर छोड़ दिया गया और उनको जंगे बद्र के बाद शव्वाल में, मदीना से निकाल दिया गया, उनके बाद बनू नज़ीर जिनका लीडर हुई बिन अख़्तब ने बद अ़हदी की और रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़त्ल करने की साज़िश तैयार की, आप (ﷺ) ने उन पर हमला किया तो वह क़िला बंद हो गये और आप (ﷺ) ने उनका मुहासरा कर लिया और वह क़िला की फ़सील से तीर और पत्थर बरसाने लगे और खजूर के

बाग़ात उनके लिए सपर का काम दे रहे थे, इसलिए आप (ﷺ) ने हुक्म दिया कि इन दरख़्तों को काट कर जला दिया जाये, इससे मालूम हुआ, जंगी हिकमत और जंगी ज़रूरत व मस्लिहत के तहत दुश्मन के दरख़्तों को काट कर जलाना और काटना जायज़ है, अइम्म-ए-अरबआ और फ़ुक़ह–ए–इस्लाम के अक्सरियत का यही नज़रिया है, अलबत्ता बिला ज़रूरत व मस्लिहत महज़ खेल व तमाशे के तौर पर ये काम दुरूस्त नहीं है, न बिगाड़ व फ़साद की नियत से उनको तबाह किया जा सकता है।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى، بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَىٍّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ { مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا} الآيَةَ .

(4553) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनू नज़ीर के खजूर के दरख़्त कटवाये और जलवाये, इस वाक़िये की तरफ़, हज़रत हस्सान (رضي الله عنه) इशारा करते हैं, बनू लूई (क़ुरैश) के सरदारों के नज़दीक, बूवैरा में फैलने वाली आग की कोई वक़्अत नहीं, एक मामूली बात है (इसलिए मदद को नहीं आये) और इस वाक़िये के बारे में ये आयत उतरी, जिन खजूर के दरख़्तों को तुमने काटा या उनके तनों पर खड़े रहने दिया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3021.

وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ.

(4554) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनू नज़ीर की खजूरें जलवा दीं।

तख़रीज : सुनन इब्ने माजा: 2845.

(11)
باب تَحْلِيلِ الْغَنَائِمِ لِهَذِهِ الأُمَّةِ خَاصَّةً

बाब : 11
ग़नीमतें सिर्फ़ इस उम्मत के लिए हलाल क़रार दी गईं

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا

(4555) हम्माम बिन मुनब्बिह (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने हमें बहुत सी रिवायात सुनाईं, उनमें से एक हदीस ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अम्बिया में

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ وَلاَ آخَرُ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا وَلاَ آخَرُ قَدِ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ مُنْتَظِرٌ وِلاَدَهَا . قَالَ فَغَزَا فَأَدْنَى لِلْقَرْيَةِ حِينَ صَلاَةِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ أَنْتِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَىَّ شَيْئًا . فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ - قَالَ - فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ فَقَالَ فِيكُمْ غُلُولٌ فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ . فَبَايَعُوهُ فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولُ فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ . فَبَايَعَتْهُ - قَالَ - فَلَصِقَتْ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولُ أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ - قَالَ - فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ -

से एक नबी ने ग़ज़्वा (जंग) का इरादा किया तो अपनी क़ौम से फ़रमाया: कोई ऐसा आदमी मेरे साथ न जाये, जिसने किसी औरत से शादी की है और अब वह उसकी रूख़सती चाहता है और अभी तक रूख़सती नहीं हुई और न वह इंसान जाये, जिसने एक इमारत बनवाई है, और अभी तक उस पर छतें नहीं डालीं और न वह इंसान मेरे पीछे निकले, जिसने बकरी या गाभिन ऊँटनियाँ ख़रीदी हैं और वह उनकी पैदाइश का मुन्तज़िर है, तो वह जिहाद के लिए निकला और नमाज़े अस्र के वक़्त या उसके क़रीब लश्कर को एक बस्ती के क़रीब किया तो सूरज से मुख़ातिब हुए तू हुक्म का पाबन्द है और मैं भी हुक्म का पाबन्द हूँ, ऐ अल्लाह! इसको मेरे लिए कुछ वक़्त (अपनी तबई रफ़्तार से) रोक दे तो उनकी ख़ातिर उसको रोक दिया गया यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उन्हें फ़तह इनायत फ़रमाई तो फ़ौजियों ने तमाम ग़नीमतें जमा की और आग उसके खाने के लिए आई, लेकिन उसे खाने से बाज़ रही तो नबी ने फ़रमाया, तुममें से किसी ने ख़यानत की है तो हर क़बीला का एक फ़र्द (सरदार) मेरी बैत करे तो उन्होंने उनसे बैत की, जिससे एक आदमी का हाथ उनके हाथ से चिमट गया, इस पर उन्होंने फ़रमाया: 'ख़यानत तुम्हारे क़बीला के किसी फ़र्द ने की है, इसलिए तेरा क़बीला मेरी बैत करे, उसने उनकी बैत की तो दो या तीन आदमियों के हाथ चिमट गये, नबी ने फ़रमाया, ख़यानत तुममें है या तुमने ख़यानत

قَالَ - فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ . فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا "

की है तो उन्होंने गाय के सर के बराबर सोना लाकर पेश किया और उसे मैदान में पड़े हुए माल में रख दिया, आग आगे बढ़ी और उस ग़नीमत को खा गई तो ग़नीमतें हमसे पहले किसी के लिए हलाल क़रार नहीं दी गईं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी कमज़ोरी और बेबसी देखी तो उन्हें हमारे लिए हलाल और पाक क़रार दिया।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 1324, 5157.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मलक बुज़अ इम्रातिन: एक औरत से शादी की और उससे ताल्लुक़ात का जवाज़ पैदा हुआ है। **(2) वलम्मायब्नि:** ताल्लुक़ात के क़याम का जवाज़ पैदा हुआ है, लेकिन अभी तक उससे फ़ायदा नहीं उठाया। **(3) सुक़ुफ़ सक़फ़ुन:** की जमा है, छत, खलिफ़ात, ख़लिफ़त की जमा है, गाभिन, हामिला।

फ़ायदा : ये नबी हज़रत यूशअ बिन नून अलैहि. थे, जो जुमा के दिन, अस्र के वक़्त जबकि सूरज के ग़ुरूब में थोड़ा सा वक़्त बाक़ी था, लश्कर लेकर अरीहा नामी बस्ती के क़रीब पहुँचे और उन्होंने सूरज को मुख़ातब किया और अल्लाह तआला से दरख़्वास्त की कि उसकी रफ़्तार सुस्त कर दी जाये या उसको रोक लिया जाये, ताकि मैं सूरज के ग़ुरूब से पहले पहले इस बस्ती को फ़तह कर लूं तो अल्लाह तआला ने बतौर मोजिज़ा उनके लिए सूरज की रफ़्तार सुस्त कर दी या रफ़्तार को रोक लिया, पहली उम्मतों के लिए ग़नीमत को अपने इस्तेमाल में लाना जायज़ नहीं था, उसको यकजा कर दिया जाता, आसमान से आग उतरती थी और उसे खा जाती थी।

और इस हदीस़ से ये भी साबित है कि ज़िम्मेदारी उसके सुपुर्द करनी चाहिए, जो उसको फ़ारिग़ुल बाल होकर अदा कर सके, उसका दिल किसी और काम में अटका हुआ न हो, क्योंकि वह इस सूरत में पूरी तवज्जोह और हिम्मत काम में नहीं ला सकेगा, इस लिए काम सही तौर पर अंजाम नहीं पा सकेगा।

नोट : सूरज को रोकने का वाक़िया, हज़रत अली (ﷺ) के लिए भी बयान किया जाता है कि उनकी नमाज़ का वक़्त निकल रहा था, क्योंकि हुज़ूर अकरम (ﷺ) उनके रान पर सर रख कर सो गये थे तो सूरज को वापस लाया गया, जब हज़रत अली (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ ली तो ग़ुरूब हो गया, सवाल ये है कि क्या उन्होंने हुज़ूर अकरम (ﷺ) के साथ नमाज़ नहीं पढ़ी थी, अगर किसी वजह से रह गई थी तो जब हुज़ूर अकरम (ﷺ) उनकी रान पर सर रख कर सोना चाहते थे तो उन्होंने आपको ये न बताया कि

मुझे अभी नमाज़ पढ़नी है, फिर अगर मजबूरी की वजह से ताख़ीर हो जाये तो एक रकअ़त का वक़्त भी बाक़ी हो तो नमाज़ पढ़ी जा सकती है, ग़ुरूब के बाद भी पढ़ी जा सकती है, जैसा कि ग़ज़्व-ए-ख़न्दक़ में हुज़ूर अकरम (ﷺ) के दस्ता और हज़रत उमर (ﷺ) ने सूरज के ग़ुरूब होने के बाद नमाज़ पढ़ी, आपके लिए सूरज को वापस क्यों नहीं लाया गया और हुज़ूर का फ़रमान है कि सूरज सिर्फ़ हज़रत यूशअ़ बिन नून के लिए रोका गया, किसी और इंसान के लिए नहीं रोका गया, इसलिए इस हदीस़ की स़ेहत में इख़्तिलाफ़ है, कुछ अइम्मा इसको मौज़ूअ़ क़रार देते हैं और कुछ स़ही, लेकिन अगर स़ही सनद से स़ाबित हो जाये तो ये हुज़ूर अकरम (ﷺ) की दुआ के नतीजे में आप (ﷺ) का मोजिज़ा होगा और मोजिज़ा अल्लाह का फ़ेअ़ल है, इसमें कोई इश्काल नहीं है, सवाल सिर्फ़ स़ेहते सनद का है।

बाब : 12
ग़नीमतों का बयान

(12)
باب الأَنْفَالِ

(4556) हज़रत सअ़द (ﷺ) के बेटे, मुस़अ़ब बयान करते हैं कि मेरे बाप ने ख़ुम्स में से एक तलवार उठा ली और उसे लेकर नबी अकरम(ﷺ) के पास आ गये और अ़र्ज़ किया, ये मुझे हिबा फ़रमा दें, आप (ﷺ) ने इंकार कर दिया तो ये आयत उतरी, आपसे लोग अन्फ़ाल के बारे में पूछते हैं, आप फ़रमा दें, अन्फ़ाल अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 2740, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 3079, 3189.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَخَذَ أَبِي مِنَ الْخُمْسِ سَيْفًا فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَبْ لِي هَذَا ‏.‏ فَأَبَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ‏}

फ़ायदा : (1) अन्फ़ाल: ये नफ़ल की जमा है, जिसका मानी है, ज़्यादा या इज़ाफ़ा, लेकिन यहाँ क्या मुराद है, इसमें उ़लमा का नीचे दिये गये इख़्तिलाफ़ हैं:- **(अ)** अन्फ़ाल से मुराद, ग़नीमतें हैं कि उसमें तस़र्रूफ़ का हक़ अल्लाह ने रसूल को दिया है, इस मफ़हूम की स़ूरत में ये आयत मन्सूख़ हो गई क्योंकि बाद में ग़नीमत के चार हिस्से मुजाहिदीन के लिए मुक़र्रर कर दिये गये और पाँचवाँ हिस्सा रसूलुल्लाह (ﷺ) की राय पर छोड़ दिया गया। **(ब)** अन्फ़ाल से मुराद, ख़ुम्स या पाँचवाँ हिस्स़ा है,पूरा माले ग़नीमत मुराद नहीं है, इस स़ूरत में ये आयत मन्सूख़ नहीं होगी। **(स)** अन्फ़ाल से मुराद फ़ै है, यानी वह माल जो मुसलमानों को काफ़िरों से बिला जंग व जिदाल मिलता है, इसमें नबी जिसे चाहे तस़र्रूफ़ कर सकता है।

(द) अन्फ़ाल से मुराद वह अ़तिया और इनाम है, जो इमाम किसी को हुस्ने कारकरदगी पर इनायत फ़रमाता है। (य) अन्फ़ाल से मुराद वह अ़तिया और इनाम है, जो इमाम किसी दस्ता को बड़े लश्कर से जब अलग किसी मुहिम पर भेजता है तो उसे आ़म लश्कर से इज़ाफ़ी तौर पर देता है। (2) हज़रत सअ़द ने ग़नीमत में से एक तलवार ली, उसको ख़ुम्स से ताबीर इसलिए किया कि जंगे बद्र के बाद, जब ग़नीमत की तक़सीम के सिलसिले में इख़्तिलाफ़ पैदा हुआ और क़ुर्आन मजीद में उसके बारे में अहकाम नाज़िल किये गये तो मुजाहिद को अ़तिया और इनाम में दी गई चीज़ को ख़ुम्स में से शुमार किया गया तो चूंकि अभी अहकाम नाज़िल नहीं हुए, इसलिए आयते अन्फ़ाल के ज़रिये जब आप (ﷺ) को इख़्तियार दे दिया गया तो आप (ﷺ) ने वह तलवार हज़रत सअ़द (رضي الله عنه) को इनायत फ़रमा दी।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ أَصَبْتُ سَيْفًا فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفِّلْنِيهِ . فَقَالَ " ضَعْهُ" . ثُمَّ قَامَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ" . ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَفِّلْنِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ "ضَعْهُ" . فَقَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفِّلْنِيهِ أَأُجْعَلُ كَمَنْ لاَ غَنَاءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ" . قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}

(4557) हज़रत सअ़द (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मेरे बारे में चार आयात उतरीं, मैंने एक तलवार ली और उसे लेकर नबी अकरम (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! ये मुझे अ़तिया इनायत फ़रमायें, आपने फ़रमायाः 'इसे रख दो।' तो वह अ़र्ज़ करने के लिए खड़े हुए तो नबी अकरम(ﷺ) ने उसे फ़रमायाः 'जहाँ से लिया है, वहीं उसे रख दो।' वह फिर अ़र्ज़ गुज़ार हुए, ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! ये मुझे बतौर इनाम दे दीजिये, आप(ﷺ) ने फ़रमायाः 'उसे रख दो।' तो उसने उठ कर गुज़ारिश की, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे बतौर इनाम इनायत फ़रमायें, क्या मुझे उन लोगों की तरह क़रार दिया जाये, जिन्होंने कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दिया तो नबी अकरम(ﷺ) ने उसे फ़रमायाः 'उसे वहीं रख दो, जहाँ से उसे उठाया है।' फिर ये आयत नाज़िल हुई, आप से ये लोग अन्फ़ाल के बारे में पूछते हैं, आप फ़रमा दीजिये, अन्फ़ाल, अल्लाह और उसके रसूल के लिए है।

तख़रीजः ये हदीस बयान की जा चुकी हैः 4531 में देखें।

फवाइद : (1) वह चार आयात जो हज़रत सअ़द (ﷺ) के सिलसिले में उतरी हैं, वह इमाम साहब आगे किताबुल फ़ज़ाइल में बयान कर देंगे, यानी बिर्रूल वालिदैन माँ–बाप के साथ ईफ़ा और हुस्ने सुलूक, हुरमते शराब, वला तत्रूदिल्लज़ीना यद्ऊन रब्बहुम, जो लोग अपने रब को पुकारते हैं, उन्हें मत धुतकारिये और आयते अन्फ़ाल। **(2)** हज़रत सअ़द (ﷺ) ने जंगे बद्र में क़ाबिले क़द्र हिस्सा लिया था, कुफ़्फ़ारे क़ुरैश के बड़े जंग जू सईद बिन अलआस़ को क़त्ल किया था, इसलिए वह समझते थे उसकी तलवार पर मेरा हक़ है, मज़ीद बरां उनके भाई उ़मैर भी क़त्ल हो गये थे, इसलिए बड़े परेशान थे और उसके ईमान लाने के ख़्वाहिशमंद थे, इसलिए तलवार लेने पर बहुत इसरार किया।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا .

(4558) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नजद की तरफ़ एक दस्ता भेजा, मैं भी उसमें शामिल था तो उन्हें ग़नीमत में बहुत से ऊँट मिले तो उनका उ़मूमी हिस्सा बारह या ग्यारह ऊँट थे और उस दस्ते को एक एक ऊँट बतौर अ़तिया दिया गया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3131, 3132, सुनन अबू दाऊद: 2744.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ وَفِيهِمُ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَّ سُهْمَانَهُمْ بَلَغَتِ اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(4559) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक दस्ता नजद की तरफ़ रवाना किया, इब्ने उ़मर (ﷺ) भी इनमें शरीक थे, और उनके हिस्से में बारह बारह ऊँट आये और उसके अ़लावा बतौर इनाम एक ऊँट मिला तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसमें कोई तब्दीली न फ़रमाई।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 2744.

फायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है अगर बड़े लश्कर से अलग करके कोई दस्ता किसी मुहिम पर रवाना किया जाये और वह दस्ता कामयाब होकर ग़नीमत का माल हासिल कर ले तो वह तमाम लश्कर का शुमार होगा क्योंकि वह दस्ते की पुश्त पर था और दुशमन पर उसका भी रौब व दबदबा था, लेकिन इस दस्ते को इस ग़नीमत में कुछ ज़्यादा हिस्सा उनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए दिया जायेगा, इसलिए अमीरे दस्ता ने जो हर आदमी को एक ऊँट दिया था, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस पर कोई ऐतराज़ नहीं फ़रमाया, इसलिए हदीसे तक़रीरी के तौर पर उसकी निस्बत आप (ﷺ) की तरफ़ की गई कि आप (ﷺ) ने दिया था, लेकिन इस

मसले में इख़्तिलाफ़ है वह ज़्यादा हिस्सा असल ग़नीमत में से दिया जायेगा या मुजाहिदीन के चार हिस्सों से या ख़ुम्स के पाँचवें हिस्से में से, शवाफ़ेअ का राजेह मस्लक ये है कि वह ख़ुम्स से दिया जायेगा और अहनाफ़ का मौक़िफ़ ये है कि अगर अमीर ने इनाम का ऐलान ग़नीमत के हुसूल से पहले किया है तो वह मुजाहिदों के चार हिस्सों से दिया जायेगा और अगर पहले ऐलान नहीं किया तो फिर ख़ुम्स से दिया जायेगा, इमाम मालिक के नज़दीक ख़ुम्स से दिया जायेगा और इमाम अहमद के नज़दीक असल ग़नीमत से, हसन बसरी, ओज़ाई और अबू सौर का भी यही नज़रिया है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَمًا فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بَعِيرًا .

(4560) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक दस्ता नजद की तरफ़ भेजा, मैं भी उसके साथ निकला और हमें बहुत से ऊँट और बकरियाँ ग़नीमत में हासिल हुईं, इसलिए हमारा उमूमी हिस्सा बारह बारह ऊँट बने और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें बतौर इनाम एक एक ऊँट दिया।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(4561) इमाम साहब अपने दो और उस्ताद से उबैदुल्लाह की ऊपर दी गई सनद से यही रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 2745.

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ النَّفَلِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ4661 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

(4562) इमाम साहब यही हदीस मुख़्तलिफ़ उस्तादों की सनदों से बयान करते हैं, इब्ने औन कहते हैं, मैंने नाफ़े को ख़त लिख कर ज़्यादा हिस्सा (इनाम) के बारे में सवाल किया तो उसने मुझे लिखा, इब्ने उमर (رضي الله عنه) एक दस्ते में शरीक थे और उस्ताद से भी नाफ़े की ऊपर दी गई सनद से ऊपर दी गई हदीस बयान की।

(4563) हज़रत सालिम (रह.) अपने बाप (इब्ने उमर) (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने हमें हमारे हिस्से से अलग जिसमें से इनाम दिया तो मुझे भी एक शारिफ़ यानी उम्र रसीदा ऊँटनी मिली।

وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، - وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ، اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَلاً سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمْسِ فَأَصَابَنِي شَارِفٌ وَالشَّارِفُ الْمُسِنُّ الْكَبِيرُ .

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि इनाम (नफ़ल) ख़ुम्स में से दिया जायेगा।

(4564) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक दस्ते को नफ़ल (ज़्यादा हिस्सा) दिया, जैसा कि ऊपर दी गई इब्ने रजा की रिवायत में है।

وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كِلاَهُمَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَفَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ رَجَاءٍ .

(4565) हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जिन दस्तों को भेजते, उनको ख़ुसूसी तौर पर उन्हीं के लिए अतिया देते, जो आम लश्कर के हिस्से से ज़्यादा होता, लेकिन ख़ुम्स तमाम मालों में वाजिब था।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3135, सुनन अबू दाऊद: 2746.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ، بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ .

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है, नफ़ल ग़नीमत से पाँचवां हिस्सा निकालने के बाद दिया जाता है, पहले तमाम ग़नीमत से पाँचवाँ हिस्सा अलग कर लिया जाता है, फिर ख़ुम्स दिया जाता है, वह असल ग़नीमत के मुजाहिदों के हिस्से से हो या ख़ुम्स में से हो।

बाब : 13
मक़्तूल के सलब (जो कुछ मक़्तूल के पास है) का हक़दार उसका क़ातिल है

(13)
باب اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ

(4566) अबू मुहम्मद अन्सारी, जो अबू क़तादा(ﷺ) के हम नशीन हैं, हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से तीसरे नम्बर पर आने वाली हदीस़ बयान करते हैं।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2100, 3142, 4321, 7170, सुनन अबू दाऊद: 2712, जामेअ तिर्मिज़ी: 1562, सुनन इब्ने माजा: 2837.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ، جَلِيسًا لأَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ .

(4567) अबू क़तादा (ﷺ) के आज़ाद करदा गुलाम से रिवायत है कि अबू क़तादा (ﷺ) ने बयान किया और आगे नीचे दी गई हदीस़ है।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4541 में देखें।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، قَالَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(4568) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) बयान करते हैं कि हम जंगे हुनैन के साल रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले, तो जब दुशमन के साथ हमारी मुडभेड़ हूई तो मुसलमान भाग खड़े हुए (फिर हमला किया) तो मैंने एक मुश्रिक आदमी को देखा, वह एक मुसलमान पर ग़ल्बा पा रहा है तो मैं उसकी तरफ़ घूम गया यहाँ तक कि उसके पीछे से आ गया और उसके शाना के पट्ठे पर तलवार मारी और वह मेरी तरफ़ बढ़ा और मुझे इस क़द्र ज़ोर से भींचा कि मुझे मौत नज़र आने लगी, फिर उसे मौत ने आ लिया और उसने मुझे छोड़ दिया,

وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَقُولُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ . قَالَ فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ

الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ فَقُلْتُ أَمْرُ اللَّهِ . ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ " مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ " . قَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ " . فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لاَهَا اللَّهِ إِذًا لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسُدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ " . فَأَعْطَانِي قَالَ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي

मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) के पास पहुँचा तो उन्होंने पूछा, लोगों को क्या हो गया है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह को यही मन्ज़ूर है, फिर लोग वापस पलटे, (दुशमन के मुक़ाबले में आये और जंग के बाद) रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठ गये और आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने किसी को क़त्ल किया है और उस पर शहादत मौजूद है तो मक़्तूल से छीना हुआ माल उस (क़ातिल) को मिलेगा।' तो मैं खड़ा हो गया, फिर मैंने सोचा, मेरे हक़ में गवाही कौन देगा? इसलिए मैं बैठ गया, फिर आपने अपनी बात दोहराई तो मैं खड़ा हो गया, फिर मैंने अपने आपसे पूछा, मेरे हक़ में गवाही कौन देगा? फिर मैं बैठ गया, फिर आप (ﷺ) ने पहली बात फ़रमाई, तीसरी मर्तबा तो मैं खड़ा हुआ, इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या मामला है? ऐ अबू क़तादा' तो मैंने आपको मुकम्मल वाक़िया सुना दिया तो लोगों में से एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! उसने सच कहा है, इस मक़्तूल से छीना हुआ माल मेरे पास है तो उसको उसके हक़ के सिलसिले में राज़ी कर दें कि ये मुझे बख़ूशी दे दे।' और अबू बक्र सिद्दीक़(ﷺ) ने कहा, नहीं, अल्लाह की क़सम! ऐसी सूरत में, आप अल्लाह के शेरों में से एक शेर की तरफ़ इसलिए रूख़ न फ़रमायेंगे कि वह अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से लड़े और आप

بَنِي سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ . وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلاَّ لاَ يُعْطِيهِ أُضَيْبِعَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّهِ . وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ .

उसकी सल्ब तुझे दे दें, इस पर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अबू बक्र ने सच कहा, सल्ब उसे दे दो।' तो उसने सल्ब मुझे दे दी तो मैंने वह ज़िरह फ़रोख़्त करके उसके ऐवज़ बनू सलमा में एक बाग़ ख़रीद लिया और वह सबसे पहला माल था, जो मैंने इस्लाम के दौर में हासिल किया और लैस़ की हदीस़ में ये है कि अबू बक्र (ﷺ) ने कहा, हरगिज़ नहीं, आप वह माल क़ुरैश की एक लौमड़ी को नहीं देंगे कि उसकी ख़ातिर अल्लाह के शेरों में से एक शेर को नज़र अन्दाज़ कर दें और लैस़ की हदीस़ में है, वह पहला माल था, जो मैंने समेटा।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4541 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) जौलतन: गर्दिश और घूमना यानी शिकस्त खा गये, ये वह दस्ता था, जिसमें आप और आपके मुहाफ़िज़ न थे। **(2) अला रजुलन:** एक आदमी पर ग़ल्बा पाया, उसके क़त्ल के दर पे हुआ। **(3) अला हबले आतिक़िही:** उसके शाना के पट्ठे पर तलवार मारी और उसका हाथ काट डाला। **(4) ला हा अल्लाह इज़न:** यानी ला वल्लहि इज़न: नहीं, अल्लाह की क़सम, ऐसी सूरत में ये नहीं होगा। **(5) मख़रफ़:** बाग़ **(6) तअस्सल्तुहू:** उसको समेटा, हासिल किया। **(7) उज़ैबआ:** ज़बऊन की तस़ग़ीर है, लोमड़ी, जो बुज़दिली और कमज़ोरी में मारूफ़ है और अगर उस़ैबग़ हो तो गिरगिट को कहते हैं या एक कमज़ोर क़िस्म की अंगूरी को कहते हैं।

फ़ायदा : हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) ने जिस आदमी को क़त्ल किया, वह मुसलमान की घात में था और मुसलमान एक दूसरे शख़्स से लड़ रहा था, रिवायत के इख़्तिस़ार की वजह से यूँ मालूम होता है, शायद मुसलमान के मद्दे मुक़ाबिल मुश्रिक को मारा, बुख़ारी की रिवायत में इसकी तस़रीह मौजूद है, इस तरह वह कलिमात जो यहाँ हज़रत उमर (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब किये गये हैं, बुख़ारी शरीफ़ में उसके बरअक्स ये है कि अबू क़तादा ने पूछा कि लोगों को क्या हुआ तो हज़रत उमर (ﷺ) ने जवाब दिया, अम्रल्लाह, अल्लाह की मशियत नाफ़िज़ होती है और आख़िर में हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) को दो गवाह अब्दुल्लाह बिन क़ैस और अस्वद बिन ख़ुज़ाई (ﷺ) मिल गये थे, लेकिन सलब उठाने वाले ने ख़ुद ही इक़रार कर लिया। तकमिला, जिल्द: 3, स़फ़ा: 59, और हज़रत अबू क़तादा की हिमायत करने वाले और उसको शेर क़रार देने वाले अबू बक्र (ﷺ) हैं और उमर (ﷺ) ने भी इस मामले में अबू बक्र (ﷺ) की तस़दीक़ की,

मक़्तूल की सलब (जो कुछ अस्लहा, सवारी और लिबास वग़ैरह मक़्तूल के पास था) वह हर सूरत में क़ातिल को मिलेगा, इस हदीस़ का यही तक़ाज़ा है और इमाम शाफ़ेई, इमाम लैस़, अहमद, ओज़ाई, इस्हाक़, अबू उबैद, अबू स़ौर का यही नज़रिया है, लेकिन इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक सलब से पाँचवां हिस्सा नहीं लिया जायेगा, जबकि ओज़ाई के नज़दीक पाँचवां हिस्सा निकालने के बाद, सलब क़ातिल को मिलेगी और इमाम इस्हाक़ के नज़दीक अमीर को इख़्तियार है, अगर वह सलब को ज़्यादा ख़्याल करे तो ख़ुम्स ले सकता है। (अलमुग़नी, जिल्दः 13, स़फ़ाः 69)

इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक और एक क़ौल की रू से इमाम अहमद के नज़दीक, सलब क़ातिल को बतौर अतिया और इनाम मिलेगी, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक इस सूरत में जब अमीर ने ग़नीमत के हुसूल से पहले ये ऐलान कर दिया है कि क़ातिल को सलब मिलेगी और इमाम मालिक के नज़दीक, इमाम ग़नीमत के हासिल करने के बाद, बतौर नफ़ल (ज़्यादा हिस्सा) देगा। अलमुग़नी, जिल्दः 13, स़फ़ाः 70–71 स़ही नज़रिया यही है कि सलब मुकम्मल तौर पर क़ातिल का हक़ है। (ज़ादुल मआद, जिल्दः 3,स़फ़ाः 432)

(4569) हज़रत अब्दुर्रमान बिन औफ़ (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं ग़ज़्व–ए–बद्र के मौक़े पर स़फ़ में खड़ा हुआ था, इस अस़ना में मैंने अपने दायें और बायें देखा तो मैं दो नो उम्र अन्स़ारी लड़कों के दरम्यान था, मैंने आरज़ू की, ऐ काश, मैं उनसे ज़ोरावर, ताक़तवर आदमियों के दरम्यान होता तो उनमें से एक ने मुझे दबाया, (कचोका लगाया) और पूछा, ऐ चचा जान! क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? मैंने कहा, हाँ और तुझे उससे क्या काम है? ऐ मेरे भतीजे, उसने जवाब दिया, मुझे बताया गया है कि वह रसूलुल्लाह(ﷺ) को बुरा भला कहता है और उस ज़ात की क़सम, जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, अगर मैंने उसे देख लिया,तो मैं उससे उस वक़्त तक जुदा नहीं होऊंगा, जब तक हममें से वह मर न जाये, जिसकी मौत पहले आनी है तो मुझे उसकी इस बात से हैरत हूई, इतने में मुझे दूसरे ने दबाया और पहले वाली बात कही,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ، فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَشِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بَيْنَ، غُلاَمَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا . فَقَالَ يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لاَ يُفَارِقُ

سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا . قَالَ فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ فَغَمَزَنِي الآخَرُ فَقَالَ مِثْلَهَا - قَالَ - فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَزُولُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ أَلاَ تَرَيَانِ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلاَنِ عَنْهُ قَالَ فَابْتَدَرَاهُ فَضَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلاَهُ ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَاهُ . فَقَالَ " أَيُّكُمَا قَتَلَهُ " . فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُ . فَقَالَ " هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا " . قَالاَ لاَ . فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ " كِلاَكُمَا قَتَلَهُ " . وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَالرَّجُلاَنِ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ.

थोड़ा ही वक़्त गुज़रा था कि मैंने अबू जहल को लोगों में घूमते फिरते देखा तो मैंने कहा, क्या देख रहे हो? यही वह शख़्स है जिसके बारे में तुम दोनों पूछ रहे थे तो वह दोनों उस पर झपटे और अपनी अपनी तलवार से उसे निशाना बनाया यहाँ तक कि उसे क़त्ल कर दिया, (क़रीबुल मौत कर दिया) फिर दोनों रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ पलटे और आपको इत्तिला दी, आप (ﷺ) ने पूछा: 'तुममें से किस ने उसे क़त्ल किया है?' तो उनमें से हर एक ने कहा, मैंने क़त्ल किया है तो आपने पूछा: 'क्या तुम अपनी तलवारें साफ़ कर ली हैं?' उन दोनों ने कहा, जी नहीं तो आपने दोनों की तलवारों को देखा और फ़रमाया: 'दोनों ने क़त्ल करने की कोशिश की है।' और आपने उसकी सलब का फ़ैसला मुआज़ बिन अम्र बिन जमूह के हक़ में दिया, (और वह दोनों मुआज़ बिन अम्र बिन जमूह और मुआज़ बिन अफ़रा थे)

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3141, 3964.

फ़ायदा : अबू जहल को ज़रबेकारी लगाने वाले, हज़रत मुआज़ बिन अम्र बिन जमूह थे और दूसरी चोट लगाने वाले मुआज़ बिन अफ़रा थे और तीसरी चोट मुअव्विज़ बिन अफ़रा ने लगाई और अभी उसमें ज़िन्दगी की रमक़ बाक़ी थी कि उसकी गर्दन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने तन से जुदा कर दी और उसे सलब समेत लाकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने हाज़िर कर दिया और जब तमाम वाक़िया आप (ﷺ) के सामने आया तो आपने तलवारें देख कर सलब का फ़ैसला मुआज़ बिन अम्र बिन जमूह के हक़ में किया, क्योंकि ज़रबेकारी, जिसकी वजह से, वह ज़िन्दा रहने के क़ाबिल नहीं रहा था, उसने लगाई थी,अगरचे बाद में उसको ख़त्म करने में दूसरों ने भी हिस्सा लिया।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي

(4570) हज़रत औफ़ बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि एक हिम्यरी आदमी ने दुशमन के एक आदमी को क़त्ल कर दिया

مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلاً مِنَ الْعَدُوِّ فَأَرَادَ سَلَبَهُ فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِخَالِدٍ " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ " . قَالَ اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " ادْفَعْهُ إِلَيْهِ " . فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتُغْضِبَ فَقَالَ " لاَ تُعْطِهِ يَا خَالِدُ لاَ تُعْطِهِ يَا خَالِدُ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلاً أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدَرَهُ فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكَدَرُهُ عَلَيْهِمْ " .

और उसकी सलब लेनी चाही तो हज़रत ख़ालिद बिन वलीद(ﷺ) जो उनके अमीर थे, ने उसे रोक दिया, हज़रत औफ़ बिन मालिक (ﷺ) ने आकर रसूलुल्लाह (ﷺ) को बताया तो आप (ﷺ) ने ख़ालिद से पूछा: 'तूने उसे सलब देने से क्यों इंकार किया?' उसने कहा, मैंने उसे ज़्यादा महसूस किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसके हवाले कर दो।' उसके बाद हज़रत ख़ालिद (ﷺ), हज़रत औफ़ (ﷺ) के पास से गुज़रे तो उसने उन (ख़ालिद) की चादर खींच ली, फिर कहा, क्या मैंने तुम्हें रसूलुल्लाह(ﷺ) के बारे में जो कुछ कहा था, वह पूरा कर दिया? इस बात को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सुन लिया और नाराज़ हो गये और फ़रमाया: 'उसे न दो, ऐ ख़ालिद, उसे न दो, ऐ ख़ालिद।' क्या तुम मेरी ख़ातिर, मेरे अमीरों पर तअ़न करने से बाज़ नहीं रहोगे?' पस तुम्हारी मिसाल और उनकी मिसाल उस आदमी की है, जिसको ऊँटों का या बकरियों का चरवाहा मुक़र्रर किया गया, उसने उनको चराया, फिर उसने उनको पानी पिलाने के वक़्त का इन्तेज़ार किया और उन्हें हौज़ पर ले गया, उन्होंने उसे पीना शुरू किया और उसका साफ़ पानी पी लिया और उसका गदला पानी छोड़ दिया तो घाट का ख़ालिस पानी तुम्हारे लिए है और गदला इनके लिए है।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 2719.

फायदा : ये वाक़िया जंगे मौता का है कि हिम्यरी आदमी ने एक रूमी शाहसवार को क़त्ल कर डाला और उसकी सलब ले ली और हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) ने उसको ज़्यादा ख़्याल करते हुए, सलब वापस ले ली तो हज़रत औफ़ बिन मालिक (ﷺ) ने हज़रत ख़ालिद को कहा कि हुज़ूर (ﷺ) का फ़ैसला यही है कि सलब क़ातिल को मिलेगी, इसलिए आप सलब वापस कर दें वरना मैं ये मामला रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में पेश करूंगा। लेकिन हज़रत ख़ालिद (ﷺ) ने सलब ज़्यादा ख़्याल करते हुए वापस करने से इंकार कर दिया तो वापसी पर हज़रत औफ़ (ﷺ) ने ये मामला रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने पेश किया, आप (ﷺ) ने हज़रत ख़ालिद को सलब दे देने का हुक्म दिया तो हज़रत औफ़ ने ख़ालिद पर तन्ज़ की कि क्यों मैंने जो कुछ कहा था, उसको पूरा कर दिखाया ना, इस पर आप (ﷺ) नाराज़ हो गये, क्योंकि अमरा (सिपहसालारों) पर तन्ज़ व तअ़न करना, उनकी इताअ़त और तौक़ीर व तकरीम के मुनाफ़ी है, इससे उनकी बे वक़्अ़ती और बे वक़ारी लाज़िम आती है। इसलिए आप (ﷺ) ने ख़ालिद को सलब रोक देने का हुक्म दे दिया, हालांकि आप देने का फ़ैसला दे चुके थे ताकि अमीर का वक़ार बहाल हो और उस पर तअ़न व तशनीअ़ का दरवाज़ा बंद हो सके, इसलिए आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुम मेरे अमीरों (कमान्डरों) पर तअ़न से बाज़ नहीं रहोगे', फिर एक तमसील (मिसाल) के ज़रिये ये बात समझाई कि तुम्हारे लिए तो ग़नीमत में ख़ालिस़ हिस्सा है, जिसके लिए तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती, लेकिन तमाम ग़नीमत को जमा करना और लश्कर की हिफ़ाज़त करना, उनका दिफ़ा करना, उनके इख़्तिलाफ़ात को दूर करना और ग़नीमत को लश्कर में तक़सीम करना ये तमाम उमूर, अमीर के ज़िम्मे हैं, इसकी ख़ातिर उसे मेहनत व मशक़्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है तो क्या तुम उनकी किसी लग़ज़िश पर तअ़न व तशनीअ़ करने से बाज़ नहीं रह सकते और अगर किसी मसलिहत के तहत, सलब क़ातिल को न मिले तो उसका ये मानी नहीं है कि सलब क़ातिल का हक़ नहीं है, अगर ये इमाम की मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ होता तो आप पहले ख़ालिद को सलब देने का हुक्म क्यों देते।

(4571) हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजई (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं हज़रत ज़ैद बिन हारिसा (ﷺ) के साथ ग़ज़्व-ए-मौता में शिर्कत करने वालों के साथ निकला और यमन से मदद के लिए आने वाला एक आदमी मेरा रफ़ीक़े सफ़र बना, आगे ऊपर दी गई हदीस बयान की, लेकिन इस हदीस में ये इज़ाफ़ा है कि औफ़ (ﷺ) कहते हैं, मैंने कहा, ऐ ख़ालिद (ﷺ) क्या आपको मालूम नहीं है कि

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ، الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ وَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ ‏.‏ وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ

فِي الْحَدِيثِ قَالَ عَوْفٌ فَقُلْتُ يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सलब क़ातिल को देने का फ़ैसला दिया है? उसने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं उसको ज़्यादा ख़्याल करता हूँ।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4545 में देखें।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ، قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَوَازِنَ فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَأَنَاخَهُ ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ فَأَثَارَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ . قَالَ سَلَمَةُ وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ . ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ

(4572) हज़रत सलमा बिन अक्वा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) की मईयत (साथ) में हवाज़िन से जंग लड़ी और हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सुबह का खाना खा रहे थे कि इस दौरान एक आदमी सुर्ख़ ऊँट पर आया और उसने उसे बिठा दिया और अपनी कमर से उसके लिए तस्मा निकाल कर उसके साथ ऊँट को बाँध दिया, फिर लोगों के साथ सुबह का खाना खाने के लिए आगे बढ़ा और जायज़ा लेने लगा, हममें कमज़ोर लोग थे या कमज़ोरी थी और सवारियों की कमी थी और हममें से कुछ लोग पैदल थे, फिर अपने ऊँट के पास आया, उसका तस्मा खोला, फिर उसे बिठाया और उस पर सवार हो गया और उसे उठाया और ऊँट उसे लेकर दौड़ पड़ा, एक आदमी ने ख़ाकिस्तरी ऊँटनी पर उसका तआक़ुब किया और मैं ऊँटनी की सुरीन तक पहुँचा, फिर आगे बढ़ गया यहाँ तक कि ऊँट की सुरीन तक जा पहुँचा, फिर आगे बढ़ा यहाँ तक कि मैंने ऊँट की नकेल पकड़ कर उसको बिठा लिया तो जब उसने अपना घुटना ज़मीन पर रखा मैंने अपनी तलवार सौंत ली और उस आदमी की गर्दन (सर) उड़ा दी तो वह गिर पड़ा, फिर मैं ऊँट को खींच लाया, उसका

عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلاَحُهُ فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ " مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ " . قَالُوا ابْنُ الأَكْوَعِ . قَالَ " لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ " .

पालान और अस्लहा उस पर था, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने लोगों के साथ मेरा इस्तेक़बाल किया और पूछा, 'इस आदमी को किसने क़त्ल किया है।' लोगों ने कहा, इब्ने अक्वा (ؓ) ने, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसकी तमाम सलब उसकी है।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 2654.

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि जासूस को क़त्ल करना दुरूस्त है, इस पर तमाम फ़ुक़हा का इत्तेफ़ाक़ है और मुसलमान जासूस, को इमाम अबू हनीफ़ा, शाफ़ेई और कुछ मालकिया के नज़दीक क़त्ल के सिवा इमाम जो चाहे सज़ा दे सकता है, इमाम मालिक के नज़दीक इमाम का इख़्तियार है, वक़्त के मुताबिक़ जो चाहे करे और कुछ मालकिया का ख़्याल है, उसको क़त्ल कर दिया जाये।

(14)باب التَّنْفِيلِ وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالأَسَارَى

बाब : 14
नफ़ल (अतिया व इनाम) देना और मुसलमानों के फ़िद्ये के तौर पर क़ैदी देना

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، غَزَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ فَوَرَدَ الْمَاءَ فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَى وَأَنْظُرُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا رَأَوُا

(4573) हज़रत सलमा (ؓ) बयान करते हैं कि हम बनू फ़ज़ारा से जंग करने के लिए निकले, अबू बक्र (ؓ) हमारे अमीर थे, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें हमारा अमीर मुक़र्रर किया था, जब हमारे और पानी के दरम्यान एक घड़ी की मसाफ़त रह गई तो अबू बक्र (ؓ) ने हमें रात के आख़री हिस्से में पड़ाव डालने का हुक्म दिया,फिर उन्होंने सख़्त हमला किया और पानी पर पहुँच गये, इस पर क़ाबिले क़त्ल लोगों को क़त्ल किया और (दूसरों को) क़ैदी बनाया और मैं उन लोगों को देख रहा था, जिसमें उनके बीवी बच्चे थे तो मुझे ख़तरा पैदा हुआ, वह मुझ से पहले पहाड़ तक पहुँच जायेंगे, इसलिए मैंने उनके

السَّهْمَ وَقَفُوا فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَيْهَا قِشْعٌ مِنْ أَدَمٍ - قَالَ الْقِشْعُ النِّطَعُ - مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّوقِ فَقَالَ " يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي " يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ " . فَقُلْتُ هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ .

और पहाड़ के दरम्यान तीर फैंका, जब उन्होंने तीर देखा तो ठहर गये और मैं उनको हाँक लाया, उनमें बनू फ़ज़ारा की एक औरत थी, जो पुरानी पोस्तीन (चमड़े की क़मीस़) ओढ़े हुए थी, उसके साथ उसकी इन्तेहाई ख़ूबसूरत बेटी थी, मैंने उनको हाँका यहाँ तक कि अबू बक्र (ﷺ) के पास ले आया तो अबू बक्र ने इनाम के तौर पर उसकी बेटी मुझे दे दी तो हम मदीना पहुँच गये, लेकिन मैंने उसका अभी तक कपड़ा नहीं उठाया था तो बाज़ार में मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) मिल गये और आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ सलमा! ये औरत मुझे हिबा कर दो।' तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! अल्लाह की क़सम! मुझे ये बहुत पसन्द है और मैंने उससे ताल्लुक़ात भी क़ाइम नहीं किये, फिर अगले दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) फिर मुझे बाज़ार में मिल गये और आपने मुझे फ़रमाया: 'ऐ सलमा! औरत मुझे हिबा कर दो, तुम कितने अच्छे हो।' तो मैंने अ़र्ज़ किया, ये आपकी है, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने उसका कपड़ा भी नहीं उठाया तो आपने उसे मक्का वालों के यहाँ कुछ मुसलमान लोगों के फ़िद्ये के तौर पर भेज दिया, जो मक्का में क़ैदी बना लिये गये थे।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 2697, सुनन इब्ने माजा: 2846.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) शन्न अल ग़ारा: उन पर ज़ोरदार हर तरफ़ से हमला किया। उनुक़: जमाअ़त। **(2) क़शअ़:** पुरानी पोस्तीन (चमड़े की क़मीस) **(3) लिल्लाहि अबूक:** जब बेटा क़ाबिले तारीफ़ काम करे तो तारीफ़ व तौसीफ़ के लिए ये कलिमा इस्तेमाल करते हैं।

फायदा : बनू फ़ज़ारा से इस जंग के अमीरे लश्कर हज़रत अबू बक्र (ﷺ) थे, लेकिन हज़रत ज़ैद बिन हारिसा (ﷺ) भी इस इलाक़े से आश्ना होने की बिना पर बतौर अमीर साथ थे, इसलिए उसको ग़ज़्वा ज़ैद बिन हारिसा (ﷺ) से भी ताबीर कर दिया जाता है। ग़ज़्वा 7 हिजरी में पेश आया और उसके क़ैदियों से एक ख़ूबसूरत लड़की बतौर इनाम हज़रत सलमा बिन अक्वा (ﷺ) को मिली तो आपने मुसलमानों के मफ़ाद और बेहतरी के लिए उसे हज़रत सलमा (ﷺ) से माँग लिया ताकि उसको मुसलमान क़ैदियों के फ़िद्ये के तौर पर देकर उनको छुड़ाया जा सके, जिससे मालूम हुआ मुसलमान क़ैदियों को छुड़ाने के लिए बतौर फ़िद्या काफ़िर कैदी देना जायज़ है और बालिग़ बेटी को माँ से अलग करना जायज़ है ये इत्तेफ़ाक़ी इज्माई मसला है और ये लड़की अहले मक्का को दी गई और वहाँ हज़न बिन अबी वहब के हाथ लगी, क्योंकि वह उस वक़्त काफ़िर था, फ़तहे मक्का के बाद मुसलमान हुआ।

बाब : 15 फ़ै का हुक्म

(15)باب حُكْمِ الْفَيْءِ

(4574) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस बस्ती में जाओ और उसमें इक़ामत इख़्तियार करो तो उसमें तुम्हारा हिस्सा होगा और जिस बस्ती ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की तो उसका पाँचवां हिस्सा, अल्लाह और उसके रसूल(ﷺ) का है, फिर वह बाक़ी माल तुम्हारा है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ " .

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3036.

मुफ़रदातुल हदीस़ : फ़ै: वापस आने और लौटने को कहते हैं, अल्लाह तआला का इरशाद है। (मा अफ़ाअल्लाह अला रसूलिही): जो अमवाल (माल) अल्लाह ने अपने रसूल (ﷺ) की तरफ़ पलटा दिये और इस्तेलाह की रू से उस माल को कहते हैं, जो काफ़िरों से जंग किये बग़ैर हासिल हो जाये।

फायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, जिस बस्ती पर मुसलमान चढ़ाई किये बग़ैर काफ़िरों पर ग़ालिब आ जायें और वह सुलह व सफ़ाई से माल हवाले कर दें तो वह माले फ़ै होगा, जो सारे का सारा बैतुल माल में जायेगा और मुसलमानों के मफ़ादात में इस्तेमाल होगा, उसको ग़नीमत की तरह मुजाहिदों में तक़सीम नहीं किया जायेगा, लेकिन जिस बस्ती के लोग अल्लाह और उसके रसूल के साथ बर सरे पैकार होंगे और मुसलमान उन पर बज़ोरे बाज़ू, जंग के ज़रिये ग़ालिब आयेंगे और उनसे माल हासिल होगा तो वह ग़नीमत का माल शुमार होगा, इससे पाँचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ी चार हिस्से मुजाहिदीन में तक़सीम कर दिये जायेंगे।

(4575) इमाम साहब अपने चार उस्तादों की सनद से हज़रत उमर (ﷺ) का फ़रमान नक़ल करते हैं कि बनू नज़ीर के अमवाल, उन अमवाल में से थे, जो अल्लाह ने अपने रसूल की तरफ़ लौटाये थे, मुसलमानों ने उनकी ख़ातिर अपने घोड़े दौड़ाये, न ऊँट, इसलिए वह नबी अकरम(ﷺ) के लिए ख़ास थे तो आप अपने घर वालों को साल भर का ख़र्चा देते थे और बाक़ी माल को जंगी सवारियों और अस्लहा पर जिहाद की तैयार व एहतिमाम के लिए ख़र्च कर देते थे।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2902, 4885, सुनन अबू दाऊद: 2965, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1719.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

(4576) इमाम साहब ऊपर दी गई रिवायत एक और उस्ताद से, ज़ोहरी ही की सनद से बयान करते हैं।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4550 में देखें।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ

(4577) हज़रत मालिक बिन औस (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने मुझे पैग़ाम इर्साल किया तो मैं दिन चढ़ने के बाद उनके पास आया तो मैंने उन्हें अपने घर में चार पाई के बान पर चमड़े के तकिये से टेक लगा कर बैठे हुए पाया तो उन्होंने मुझे कहा, ऐ माल यानी ऐ मालिक (ﷺ), तेरी क़ौम के कुछ लोग तेज़ी से आये थे मैंने उन्हें थोड़ा सा अतिया देने का हुक्म दिया है तो वह ले लो और उनमें बाँट दो, मैंने कहा, ऐ काश, आप (ﷺ) किसी और को हुक्म देते! उन्होंने कहा, ऐ माल, इसे ले लो, इतने में (उनका गुलाम) यरफ़ा आ गया और

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ، حَدَّثَهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ - قَالَ - فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ . فَقَالَ لِي يَا مَالُ إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ وَقَدْ

أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ - قَالَ - قُلْتُ لَوْ أَمَرْتَ بِهَذَا غَيْرِي قَالَ خُذْهُ يَا مَالُ . قَالَ فَجَاءَ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ فَقَالَ عُمَرُ نَعَمْ . فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا ثُمَّ جَاءَ . فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ قَالَ نَعَمْ . فَأَذِنَ لَهُمَا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ الآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ . فَقَالَ الْقَوْمُ أَجَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَاقْضِ بَيْنَهُمْ وَأَرِحْهُمْ . فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ يُخَيَّلُ إِلَىَّ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدَّمُوهُمْ لِذَلِكَ - فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدَا أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " . قَالُوا نَعَمْ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

कहने लगा, ऐ अमीरूल मोमिनीन! क्या आप उस्मान, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, ज़ुबैर और सअद (ﷺ) को इजाज़त देने के लिए तैयार हैं? उस पर हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा, हाँ तो उसने उन्हें इजाज़त दे दी, वह अंदर आ गये, फिर गुलाम दोबारा आकर कहने लगा क्या आप अब्बास और अली (ﷺ) को इजाज़त देने पर रज़ामंद हैं? उन्होंने कहा, हाँ तो उसने उन दोनों को इजाज़त दे दी तो हज़रत अब्बास (ﷺ) ने आकर कहा, ऐ अमीरूल मोमिनीन, आप मेरे और इस झूठे गुनाहगार अहद शिकन और ख़ाइन का फ़ैसला कर दें, बाक़ी सहाबा ने भी उनकी ताईद की कि ऐ अमीरूल मोमिनीन! इनके दरम्यान फ़ैसला कर दीजिये और इनको राहत बख़्शिये, हज़रत मालिक बिन औस (ﷺ) कहते हैं, मुझे यूँ महसूस होता है कि उन्होंने (अब्बास, अली (ﷺ) ने) उन्हें आगे भेजा था तो हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा, ज़रा ठहर जाओ, मैं तुमसे उस अल्लाह के नाम पर सवाल करता हूँ, जिसके हुक्म से आसमान और ज़मीन क़ाइम हैं, क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'हमारा वारिस नहीं बनाया जायेगा हमने जो कुछ छोड़ा सदक़ा होगा?' सब ने कहा, जी हाँ, फिर वह हज़रत अब्बास और अली (ﷺ) की तरफ़ मुतवज्जा हुए और कहा, मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ, जिसकी इजाज़त से आसमान और ज़मीन क़ाइम हैं, क्या तुम दोनों जानते हो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हमारा वारिस नहीं बनाया जायेगा, जो कुछ हमने छोड़ा, वह सदक़ा होगा।' दोनों ने

" لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ " . قَالاَ نَعَمْ . فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم بِخَاصَّةٍ لَمْ يُخَصِّصْ بِهَا أَحَدًا غَيْرَهُ قَالَ { مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} مَا أَدْرِي هَلْ قَرَأَ الآيَةَ الَّتِي قَبْلَهَا أَمْ لاَ . قَالَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَكُمْ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ فَوَاللَّهِ مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَخَذَهَا دُونَكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ . ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ . ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وَعَلِيًّا بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ الْقَوْمَ أَتَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالاَ نَعَمْ . قَالَ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجِئْتُمَا تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ

कहा, हाँ तो हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा, अल्लाह इज़्ज़त व जलाल वाले ने अपने रसूल (ﷺ) के लिए एक चीज़ ख़ास की थी, जो आप(ﷺ) के सिवा किसी के लिए ख़ास नहीं की गई थी, अल्लाह तआला ने फ़रमाया: 'अल्लाह ने बस्तियों वाले की तरफ़ से अपने रसूल की तरफ़ जो कुछ लौटाया है तो वह अल्लाह और उसके रसूल का है, हश्र, आयत नम्बर 7, हज़रत मालिक कहते हैं, मैं नहीं जानता, उन्होंने इससे पहले और बाद वाली आयत पढ़ी या नहीं, हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा, बनू नज़ीर के अमवाल रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तुम्हारे दरम्यान तक़सीम कर दिये, अल्लाह की क़सम! न अपने आपको तुम पर तर्जीह दी और न ही तुम्हें छोड़ के ख़ुद वह माल लिया यहाँ तक कि ये माल बाक़ी रह गया, रसूलुल्लाह (ﷺ) इससे साल भर का ख़र्चा लेते थे, फिर जो बच जाता, उसको बैतुलमाल के माल की तरह इस्तेमाल करते फिर पूछा, मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ, जिसकी इजाज़त से आसमान और ज़मीन क़ाइम हैं! क्या तुम जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ फिर अब्बास और अली (ﷺ) को भी वही क़सम दी, जो उन चारों को दी थी (और पूछा) क्या तुम दोनों ये बात जानते हो? दोनों ने कहा, हाँ हज़रत उमर(ﷺ) ने कहा, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) वफ़ात पा गये, अबू बक्र (ﷺ) ने कहा, मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) का जानशीन हूँ तो तुम दोनों आये, तुम अपने भतीजे की विरासत से हिस्सा माँगते थे और ये अपनी बीवी की बाप के माल से मीरास चाहते थे तो अबू बक्र (ﷺ) ने कहा,

وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " . فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ فَوَلِيتُهَا ثُمَّ جِئْتَنِي أَنْتَ وَهَذَا وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ أَنْ تَعْمَلاَ فِيهَا بِالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذْتُمَاهَا بِذَلِكَ قَالَ أَكَذَلِكَ قَالاَ نَعَمْ . قَالَ ثُمَّ جِئْتُمَانِي لأَقْضِيَ بَيْنَكُمَا وَلاَ وَاللَّهِ لاَ أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَىَّ .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'हमारा वारिस नहीं बनाया जायेगा, जो कुछ हमने छोड़ा सदक़ा होगा।' तो तुम दोनों ने उसे झूठा, हक़ तल्फ़ी करने वाला, अहद शिकन और ख़ाइन ख़्याल किया, अल्लाह जानता है, वह यक़ीनन सच्चे, वफ़ा केश, रास्त रू और हक़ की इत्तेबा करने वाले थे, फिर अबू बक्र (रज़ि.) वफ़ात पा गये और मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) का और अबू बक्र(रज़ि.) का ख़लीफ़ा हूँ तो तुमने मुझे झूठा, हक़ तल्फ़ी करने वाला, अहद शिकन और ख़्यानत करने वाला तसव्वुर किया और अल्लाह जानता है, मैं बेशक सच्चा, वफ़ादार, रास्त रू और हक़ का पैरोकार हूँ, तो मैं इस माल का मुन्तज़िम बना, फिर तुम दोनों मेरे पास आये और तुम्हारी दोनों की राय एक थी और तुम्हारा मुतालबा एक था तो तुम दोनों ने कहा, ये माल हमारे सुपुर्द कर दो, इस पर मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस शर्त पर दे देता हूँ कि तुम इसमें वह तरीकेकार अपनाओगे जो रसूलुल्लाह (ﷺ) का वतीरा था तो तुमने इस शर्त पर माल ले लिया, पूछा, क्या ऐसे ही था? दोनों ने कहा, हाँ, कहा, फिर तुम दोनों मेरे पास इसलिए आये हो कि मैं तुम्हारे दरम्यान कोई और फ़ैसला कर दूँ, नहीं, अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हारे दरम्यान क़यामत के बरपा होने तक इसके सिवा फ़ैसला नहीं कर सकता तो अगर तुम इस तर्ज़े अमल से बेबस हो गये हो तो माल मेरे हवाले कर दो।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3094, 4033, 5358, 6728, 7305, सुनन अबू दाऊद: 2963, 2964, जामेअ तिर्मिज़ी: 1610, नसाई: 7/136.

मुफ़रदातुल हदीस : (1) तआलन्नहारू: सूरज बलन्द हो गया, दिन चढ़ आया। **(2) मुफ़्ज़ियन इला रिमालिही:** उनके और चार पाई के बान के दरम्यान कोई चीज़ हाइल न थी, यानी बिस्तर के बग़ैर खजूर के बान पर तशरीफ़ फ़रमा थे। **(3) दफ़्फ़ा अहलु अबयात:** कुछ घराने तेज़ी और सुरअत के साथ या सहूलत व आसानी के साथ चल कर आये, ये उनकी क़ौम बनू नस्र बिन मुआविया के घराने थे, जो किसी मुसीबत की वजह से मदीना आये। **(4) रज़्ख़ुन:** थोड़ा सा अतिया। **(5) अरिहहुम:** उन्हें इख़्तिलाफ़ और झगड़े से, राहत बख़्शीये, इत्तइदा, सब्र व तहम्मुल से काम लो। **(6) अन्शुदु कुम बिल्लाह:** अल्लाह के नाम से सवाल करता हूँ। **(7) ला नूरिसु:** हमारा कोई वारिस नहीं होगा या हम किसी को वारिस नहीं ठहरायेंगे।

फ़ायदा : हज़रत अब्बास (ﷺ) ने बड़े होने की हैसियत से हज़रत अली (ﷺ) के तर्ज़े अमल को अपने तसव्वुर में दुरूस्त ख़याल न करते हुए, इख़्तिलाफ़ व मुख़ासमत की बिना पर गुस्से की हालत में सख़्त अल्फ़ाज़ से याद किया और ज़ाहिर है, इख़्तिलाफ़ और झगड़े के वक़्त ग़ैज़ व ग़ज़ब की हालत में जो कुछ कहा जाता है, वह हक़ीक़त पर महमूल नहीं होता, जैसे बाप गुस्से की हालत में अपनी औलाद के लिए बहुत ही नामुनासिब अल्फ़ाज़ कह देता है यहाँ तक कि उसको हरामज़ादा क़रार दे देता है तो कोई भी उसको हक़ीक़त पर महमूल नहीं करता, इस तरह हज़रत उमर (ﷺ) ने हज़रत अब्बास और हज़रत अली (ﷺ) दोनों के तर्ज़े अमल पर तब्सरा करते हुए कहा कि तुम अबू बक्र(ﷺ) को और मुझे ऐसा ऐसा क़रार देते हो, हालांकि उन्होंने ज़बान से कुछ नहीं कहा था, मक़सद ये था कि तुम्हारा रवैया ऐसा रहा गोया कि हम तुम्हारे नज़दीक ऐसे ऐसे थे, जबकि हक़ीक़त उसके बिल्कुल बरअक्स (उल्टा) है कि हमने तो सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के तरीक़े और लायहा अमल की पाबन्दी की है और आप (ﷺ) के फ़रमान के मुताबिक़ आपके बाद आपके माल को आपके वारिसों में तक़सीम नहीं किया और तुम सब उसका इक़रार और ऐतराफ़ करते हो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का कोई वारिस नहीं बन सकता, क्योंकि तमाम उम्मत रसूल का ख़ानदान है, इसलिए उसकी मीरास में सबका हिस्सा है और वह सबके मफ़ाद में ख़र्च होगी।

(4578) हज़रत मालिक बिन औस बिन हदसान(ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने मेरी तरफ़ पैग़ाम भेजा और मेरे आने पर कहा, वाक़िया ये है कि तेरी क़ौम के कुछ घराने आये थे, आगे ऊपर दी गई हदीस है, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि इस हदीस में

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ، بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَرْسَلَ إِلَىَّ عُمَرُ بْنُ

الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ . بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ . غَيْرَ أَنَّ فِيهِ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ يَحْبِسُ قُوتَ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

...है कि आप इसे अपने घर वालों पर साल भर ...र्च किया करते थे और बसा औक़ात मअमर ने ये ...हा, आप(ﷺ) उससे घर वालों के लिए साल ...र की ख़ूराक रोक लेते थे या जमा कर लेते ..., फिर जो कुछ बाक़ी बचा रहता, उसको अल्लाह के माल की तरह क़रार देते।

...रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4552 में देखें।

(16)

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ "

बाब : 16
नबी अकरम (ﷺ) का फ़रमान है, हमारा कोई वारिस नहीं होगा, हमने जो कुछ छोड़ा वह सदक़ा होगा

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ " .

(4579) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) वफ़ात पा गये तो नबी अकरम (ﷺ) की बीवियों ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (رضي الله عنه) को हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) के पास भेजने का इरादा किया, ताकि उनसे नबी अकरम (ﷺ) के तर्के से अपना विरसा माँगती थीं, हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने उनसे कहा, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ये नहीं फ़रमा चुके हैं: 'हमारा कोई वारिस नहीं बनाया जायेगा, हमने जो कुछ छोड़ा तो वह सदक़ा होगा?'

तख़रीज: बुख़ारी: 6730, सुनन अबू दाऊद: 2977

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، أَخْبَرَنَا حُجَيْنٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا

(4580) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की बेटी हज़रत फ़ातिमा(رضي الله عنها) ने अबू बक्र सिद्दीक़ (رضي الله عنه) की तरफ़ पैग़ाम भेजा, उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के तर्के से अपना हिस्सा माँगा, जो अल्लाह ने

أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْمَالِ " . وَإِنِّي وَاللَّهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ شَيْئًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ - قَالَ - فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْلاً وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ

आप(ﷺ) की तरफ़ मदीना और फ़दक में लौटाया था और ख़ैबर की ख़ुम्स से जो बचा था तो अबू बक्र (ﷺ) ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'हमारा कोई वारिस नहीं होगा, हमने जो कुछ छोड़ा सदक़ा होगा, रसूलुल्लाह (ﷺ) की आल (ख़ानदान) इस माल से खाता रहेगा और मैं अल्लाह की क़सम, रसूलुल्लाह (ﷺ) के सदक़ा में किसी क़िस्म की तब्दीली नहीं करूंगा, जिस पर वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहद में था, मैं इसमें वही तरीक़ेकार अमल इख़्तियार करूंगा, जिस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) अमल पैरा थे तो अबू बक्र(ﷺ) ने हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) को बतौर विरासत कुछ देने से इंकार कर दिया, इस मामले पर हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) हज़रत अबू बक्र (ﷺ) पर नाराज़ हो गयीं और उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया और उनसे अपनी वफ़ात तक गुफ़्तगू नहीं की और वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद छः माह ज़िन्दा रहीं, उन्हें उनके ख़ाविन्द हज़रत अली(ﷺ) ने अबू बक्र (ﷺ) को आगाह किये बग़ैर रात को दफ़न कर दिया और हज़रत अली(ﷺ) ने ही उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) की ज़िन्दगी में लोगों की हज़रत अली (ﷺ) की तरफ़ कुछ तवज्जा थी, (वह उन्हें कुछ अहमियत देते थे) तो जब वह वफ़ात पा गयीं, हज़रत अली (ﷺ) ने लोगों के चेहरों में तब्दीली महसूस की तो हज़रत अबू बक्र(ﷺ) से सुलह और बैत की ख़्वाहिश की और उन्होंने

وَجْهَةٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنِ ائْتِنَا وَلاَ يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ - كَرَاهِيَةَ مَحْضَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - فَقَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ وَاللَّهِ لاَ تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي إِنِّي وَاللَّهِ لآتِيَنَّهُمْ . فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ . فَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالأَمْرِ وَكُنَّا نَحْنُ نَرَى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَمْوَالِ فَإِنِّي لَمْ آلُ فِيهِ عَنِ الْحَقِّ وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله

उन महीनों में बैत नहीं की तो हज़रत अबू बक्र (ﷺ) की तरफ़ पैग़ाम भेजा कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लायें और हमारे पास आपके साथ कोई और न आये, वह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की आमद को पसन्द नहीं करते थे तो हज़रत उमर (ﷺ) ने हज़रत अबू बक्र (ﷺ) से कहा, अल्लाह की क़सम! आप उनके पास अकेले न जायें, इस पर अबू बक्र (ﷺ) ने कहा वह मेरे साथ क्या सलूक कर सकते हैं, यानी किसी नागवार सलूक का ख़तरा नहीं है, मैं अल्लाह की क़सम! उनके पास ज़रूर जाऊंगा तो अबू बक्र (ﷺ) उनके यहाँ पहुँचे तो हज़रत अली(ﷺ) ने कलिमा शहादत (ख़ुत्बा) पढ़ा और फिर कहा कि हम ऐ अबू बक्र (ﷺ) आपकी फ़ज़ीलत के मोतरिफ़ हैं और अल्लाह तआला ने आपको जो (ख़िलाफ़त) दी है, हम उसको भी पहचानते हैं और जो अच्छाई और ख़ैर अल्लाह तआला ने आपको इनायत की है, हम उस पर आप से हसद नहीं करते, लेकिन बात ये है कि आपने हमारे मशवरा के बग़ैर ख़ुद ही इस ख़िलाफ़त का फ़ैसला कर लिया और हम रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिश्तेदारी की बिना पर (मशवरा में) अपना हक़ समझते थे, इस तरह हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने गुफ़्तगू शुरू की कहा, उस ज़ात की क़सम, जिसके हाथ में मेरी जान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) की रिश्तेदारी का पास, लिहाज़, मुझे अपनी रिश्तेदारी से, सिलह रहमी करने से ज़्यादा अज़ीज़ है, रहा वह इख़्तिलाफ़ जो मेरे और आपके दरम्यान इन

عليه وسلم يصْنَعُهُ فِيهَا إِلاَّ صَنَعْتُهُ . فَقَالَ عَلِيٌّ لأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ . فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلاَةَ الظُّهْرِ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَأَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلاَ إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي الأَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتُبِدَّ عَلَيْنَا بِهِ فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبْتَ . فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ .

अमवाल की बिना पर पैदा हो गया है तो मैंने हक़ को मल्हूज़ रखने में कोई कोताही नहीं की और मैंने कोई ऐसा काम नहीं, छोड़ा, जो रसूलुल्लाह (ﷺ) को मैंने करते देखा है, मैंने ऐसे ही किया है तो हज़रत अली (رضي الله عنه) ने अबू बक्र से कहा, आज सेपहर हम आप से बैत करेंगे, तो जब हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ा दी, वह मिम्बर पर चढ़ गये, तशहहुद यानी कलिमा शहादत पढ़ा, हज़रत अली (رضي الله عنه) का मुक़ाम व मर्तबा बयान किया और बैत से पीछे रहने की बात की और उनका वह उज़्र बयान किया जो उन्होंने पेश किया था, फिर इस्तेग़फ़ार किया, (और मिम्बर से उतर आये) हज़रत अली(رضي الله عنه) ने कलिमा शहादत पढ़ा और अबू बक्र से हक़ की अज़मत को बयान किया और बताया कि मैंने जो कुछ किया है, उस पर मुझे अबू बक्र (رضي الله عنه) से हसद ने आमादा नहीं किया और न इस फ़ज़ीलत से इंकार ने जो अल्लाह ने उसे बख़्शी है, लेकिन बात ये है कि हम इस मामले (ख़िलाफ़त) में अपना हिस्सा समझते थे और हमें इसमें मशवरा देने से महरूम रखा गया, इस वजह से हमने नाराज़ी महसूस की, इससे मुसलमान ख़ुश हो गये और कहने लगे, आपने दुरूस्त कहा और जब वह मारूफ़ बात की तरफ़ लौट आये तो मुसलमान हज़रत अली के ज़्यादा क़रीब हो गये।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3711, 3712, 4035, 4036, 4240,4241,

मुफ़रदातुल हदीस़ : अर्सला इला अबी बक्र: हज़रत अबू बक्र (ﷺ) को पैग़ाम भेजा और फिर हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) और हज़रत अब्बास (ﷺ) दोनों ख़ुद अबू बक्र (ﷺ) के पास आये, और अपना रसूलुल्लाह (ﷺ) के मतरूका अमवाल में से जो नीचे दी गये हैं में हिस्सा तलब किया।

(1) अमवाले मदीना : बनू नज़ीर के बाग़ात, जो आप(ﷺ) को फ़ै में हासिल हुए थे, आपने उनका अक्सर हिस्सा मुहाजिरों में तक़सीम कर दिया, और अन्सार ने जो माल मुहाजिरों को दिये थे, वह उनको वापस कर दिये गये और बनू नज़ीर के बाग़ात से दो ज़रूरत मंद अन्सारियों को भी हिस्सा दिया गया और बाक़ी हिस्सा फ़ै के माल की हैसियत से आप (ﷺ) के पास रहा।

(2) फ़दक: ये मदीना से तीन मराहिल और ख़ैबर से दो दिन के फ़ासले पर एक इलाक़ा था, वहाँ यहूदी आबाद थे, जब ख़ैबर फ़तह हो गया तो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये पेश कश की कि उन्हें कुछ न कहा जाये और वह ये इलाक़ा ख़ाली करने के लिए तैयार हैं तो आपने अहले ख़ैबर के मामले के मुताबिक़, फ़दक की निस्फ़ पैदावार देने पर,उनकी मुसालिहत की पेशकश क़बूल कर ली, इस तरह चूंकि मुसलमानों ने इस पर घोड़े और ऊँट नहीं दौड़ाये थे, इसलिए ये माल फ़ै ठहरा और रसूलुल्लाह(ﷺ) के तसर्रूफ़ व इख़्तियार में आ गया।

(3) ख़ुम्से ख़ैबर: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर की ज़मीन इस शर्त पर यहूद के पास रहने दी कि सारी खेती और तमाम फलों की पैदावार का आधा हिस्सा यहूद को दिया जायेगा और रसूलुल्लाह (ﷺ) की जब तक मर्ज़ी होगी, आप यहूद को इस शर्त पर यहाँ रहने देंगे, फिर ख़ैबर की तक़सीम इस तरह की गई कि उसे छत्तीस (36) हिस्सों में तक़सीम किया गया, हर हिस्सा एक सौ हिस्से पर मुश्तमिल था, इस तरह कुल हिस्से, छत्तीस सौ (3600) हुए, इनमें से निस्फ़ यानी अठारह सौ (1800) हिस्से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुसलमानों की इज्तेमाई ज़रूरियात और हवादिस़ के लिए अलग कर लिये और अठारह सौ हिस्से मुसलमानों में इसलिए तक़सीम किये गये कि वह अहले हुदैबिया के लिए अल्लाह तआला की तरफ़ से एक तोहफ़ा और इनाम था, अहले हुदैबिया की तादाद चौदह सौ (1400) थी, जो ख़ैबर आये, वह अपने साथ दो सौ (200) घोड़े लाये थे और घुड़सवार को तीन हिस्से मिलते हैं, इस तरह दो सौ (200) सवारों को छः सौ हिस्से आये और बाक़ी बारह सौ पैदल हज़रात को 12 सौ हिस्से आये, तफ़्सील के लिए सीरत इब्ने हिशाम मअरौजिल अन्फ़े लिस्सुहैली, जिल्द 2, सफ़ा: 246 और अर्रहीक़ुल मख़्तूम, ग़ज़्वा ख़ैबर देखें।

(4) इन्नमा याकुलु आलु मुहम्मद फ़ी हाज़ल माल: आले मुहम्मद (ﷺ) इस माल से खायेगा, इस बात की दलील है कि हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने आपकी क़राबत को इन मुनाफ़े से महरूम नहीं किया जो उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में हासिल थे, सिर्फ़ बतौर विरासत माल देने से

रसूलुल्लाह(ﷺ) के फ़रमान के मुताबिक़ इंकार किया और अगर इन अमवाल का नज़्मो नसक़ हज़रत अब्बास (رضي الله عنه) और हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) के हवाले कर दिया जाता, जिसके वह ख़्वाहिशमंद थे तो इसमें विरासत वाली सूरते हाल पैदा हो जाती, जैसा कि हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने कुछ अमवाल हज़रत अब्बास (رضي الله عنه) और हज़रत अली (رضي الله عنه) की तौलियत में दिये थे तो इनमें इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया और मामला दूर तक जा पहुँचा।

उमर बिन शैबा तारीख़े मदीना में लिखते हैं, फ़लम तकल्लमहू फ़ी ज़ालिकल माल हत्ता मातत, उन्होंने इसके बारे में अबू बक्र (رضي الله عنه) से वफ़ात तक गुफ़्तगू नहीं की, सुनन अबी दाऊद की हदीस नम्बर 2973 है, हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) ने हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) से कहा, फ़ अन्ता वमा समिअ्ता तू अपने सुने हुए पर अमल करने में आज़ाद है, इसलिए इब्ने कसीर लिखते हैं, इन्नहा सल्लमत लहू या हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) ने हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) का क़ौल तस्लीम कर लिया, (अल बिदाया वन्निहाया, जिल्द: 5, सफ़ा: 289)

(5) फ़ग़ज़िबत फ़ातिमा व वजदत, फ़हजरतहू: ये इमाम ज़ोहरी का अपना तसव्वुर या ख़्याल है जो कई रिवायात के मुनाफ़ी है, तफ़्सील के लिए देखियें, तकमिला, जिल्द: 3, सफ़ा: 92 से 95 तक, बाक़र मजलिसी जिलाउल ऐन, सफ़ा: 172 पर लिखते हैं, हज़रत अली (رضي الله عنه) ने हज़रत फ़ातिमा की तल्क़ीन व ताकीद पर अमल करते हुए बज़ाते ख़ुद उनकी तीमारदारी पर तवज्जो दी और इस सिलसिले में अस्मा बिन्ते उमैस (رضي الله عنها) ने उनका तआवुन किया, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, जिल्द: 3, सफ़ा: 410, पर हज़रत अस्मा (رضي الله عنها) का बयान है कि हज़रत फ़ातिमा(رضي الله عنها) को गुस्ल मैंने और हज़रत अली (رضي الله عنه) ने दिया।

(6) वलम युअज़्ज़िन बिहा अबा बक्र: ये भी ज़ोहरी का ख़याल है और इसके ख़िलाफ़ रिवायात मौजूद हैं, क्योंकि हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) की बीवी, हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (رضي الله عنها) हज़रत फ़ातिमा(رضي الله عنها) की तीमारदारी करती रही हैं और हज़रत अली (رضي الله عنه) के साथ, वह हज़रत फ़ातिमा को गुस्ल देने में शरीक थीं। तफ़्सील के लिए देखिये तकमिला, जिल्द: 3, सफ़ा: 101, 102

(7) सल्ला अलैहा अली: ये भी ज़ोहरी का ख़्याल है और कई मुर्सल रिवायात इसके ख़िलाफ़ मौजूद हैं, जिनसे साबित होता है कि नमाज़े जनाज़ा अबू बक्र (رضي الله عنه) ने पढ़ाई। तकमिला, जिल्द: 3, सफ़ा: 103.

अबू नुऐम (रह.) हिल्यतुल औलिया, जिल्द: 4, सफ़ा: 96 पर लिखते हैं, इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) कहते हैं कब्बरा अबू बक्र अला फ़ातिमा अरबअन अबू बक्र (رضي الله عنه) ने हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) के जनाज़े पर चार तकबीरें कहीं।

(8) वल यकुन बायआ तिल्कल अशहुर: उन्होंने छः माह बैत नहीं की, ये भी ज़ोहरी का कलाम है, तकमिला, जिल्द: 3, सफ़ा: 106.

हज़रत अली (ﷺ) ने दो तीन दिन के अंदर बैत कर ली थी। तकमिला, जिल्द: 3, सफ़ा: 107 से 109, तफ़्सील के लिए देखिये सिद्दीक़े अकबर बहस हज़रत अली की बैत सफ़ा: 89 से 103.

छः माह के बाद तज्दीदे बैत की थी कि हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) की ज़िन्दगी में वह मशग़ूलियत की बिना पर इज्तेमाई उमूर में हिस्सा नहीं ले सकते थे।

हाफ़िज़ इब्ने कसीर लिखते हैं, इस वाक़िये का एक अहम और क़ाबिले ज़िक्र पहलू ये है कि हज़रत अली (ﷺ) ने पहले ही दिन बैत की है या वफ़ात के दूसरे दिन और यही हक़ीक़ते अम्र है, क्योंकि हज़रत अली (ﷺ) ने किसी वक़्त हज़रत अबू बक्र (ﷺ) का साथ नहीं छोड़ा और किसी नमाज़ में भी ग़ैर हाज़िर नहीं रहे, अल बिदाया वन्निहाया, जिल्द: 5, सफ़ा: 249.

मौलाना अली मियां लिखते हैं, इब्ने कसीर और दूसरे अहले इल्म का रूझान इस तरफ़ है कि दूसरी बैत पहली बैत की तौसीक़ व तज्दीद थी, इस सिलसिले में सहीहैन और उनके अलावा दूसरी किताबों में मुतअद्दिद रिवायतें हैं, देखिये, अल बिदाया वन्निहाया, जिल्द: 5, सफ़ा: 246.

(9) लम नन्फ़स अलैक: हमें आपसे हसद व कीना नहीं है।

(10) कान अल मुस्लिमून इला अली क़रीबा: मुसलमान हज़रत अली (ﷺ) के इस तर्ज़े अमल से बहुत ख़ुश हुए और उनके पहले से ज़्यादा क़रीब हो गये।

फ़ायदा : हज़रत अली (ﷺ) ने सिर्फ़ अबू बक्र (ﷺ) को आने की दावत दी और कहा, आपके साथ कोई और न आये, क्योंकि ख़लीफ़ा अबू बक्र थे और वह उनसे अलैहदगी (तन्हाई) में अपना शिक्वा व शिकायत बयान करना चाहते और हज़रत अबू बक्र चूंकि निहायत नर्म दिल, बुर्दबार मुतहम्मिल और रक़ीक़ुल क़ल्ब थे, इसलिए हज़रत अली (ﷺ) समझते थे, वह तमाम शिक्वा शिकायत तहम्मुल और मतानत से सुन लेंगे, अगर उनके साथ कोई और आ गया, ख़ास कर उमर(ﷺ) आ गये तो चूंकि वह ज़रा सख़्त मिज़ाज के थे और उसूल पसन्द थे, शायद वह हमारा शिक्वा पूरी तरह नहीं सुन सकें या उस पर किसी रद्दे अमल का इज़हार करें, इस तरह बाहमी ऐतमाद की फ़िज़ा क़ाइम न रह सके और हज़रत उमर (ﷺ) ने हज़रत अबू बक्र (ﷺ) को अकेले जाने से इसलिए रोका कि शायद वह अपनी नर्म मिज़ाजी की वजह से बात करने में ज़्यादा लचक और नर्मी इख़्तियार करें या उनको अगर कोई सख़्त बात कही जाये तो वह उसका जवाब न दें, इस तरह ख़लीफ़ा का वक़ार मजरूह हो, लेकिन हज़रत अबू बक्र (ﷺ) समझते थे, अब इतना अर्सा हो गया है, वह आग़ाज़ का रंज और ग़ुस्सा ज़ाइल (ख़त्म) हो चुका है, इसलिए उनसे किसी क़िस्म के ग़लत सलूक का ख़तरा नहीं है और उनकी राय के

ऐन मुताबिक़ ऐतमाद की फ़िज़ा में बात चीत हुई, शिक्वा व शिकायत नहीं सुनाये गये और इफ़हाम व तफ़हीम से मसला हल हो गया और उन्होंने तज्दीदे बैत करके, बाद में अपना भरपूर किरदार अदा किया और बुअ्दो दूरी की फ़िज़ा बिल्कुल ख़त्म हो गई।

(4581) इमाम साहब अपने तीन और उस्तादों से हज़रत आयशा (ﷺ) की रिवायत बयान करते हैं कि हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अब्बास (ﷺ) हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के पास, रसूलुल्लाह(ﷺ) के तर्का से अपना हिस्से का मुतालबा करने के लिए आये, वह दोनों आप (ﷺ) की फ़दक की ज़मीन और ख़ैबर का हिस्सा का मुतालबा कर रहे थे तो अबू बक्र (ﷺ) ने दोनों से कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आगे ऊपर दी गई हदीस है, हाँ इतना फ़र्क़ है कि मअमर कहते हैं, फिर हज़रत अली (ﷺ) खड़े हुए और हज़रत अबू बक्र के अज़ीम हक़ को बयान किया, उनकी फ़ज़ीलत की तरफ़ मुतवज्जा हुए और कहने लगे, आपने दुरूस्त किया और आपने अच्छा काम किया और जब हज़रत अली (ﷺ) मारूफ़ बात के क़रीब हुए तो लोग उनके क़रीब आ गये।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ، وَالْعَبَّاسَ، أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ . فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ مِنْ حَقِّ أَبِي بَكْرٍ وَذَكَرَ فَضِيلَتَهُ وَسَابِقَتَهُ ثُمَّ مَضَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ . فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ حِينَ قَارَبَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ .

तख़रीजः ये हदीस बयान की जा चुकी है, 4555 में देखें।

(4582) इमाम साहब अपने दो उस्तादों की सनद से बयान करते हैं कि हज़रत आयशा (ﷺ) ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की लख़्ते जिगर फ़ातिमा (ﷺ) ने हज़रत अबू बक्र (ﷺ) से सवाल किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने लौटाये हुए माल से जो कुछ छोड़

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ

الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " . قَالَ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ .

गये हैं, उससे उनका हिस्सा उन्हें दें तो अबू बक्र (ﷺ) ने उनसे कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'हमारा कोई वारिस नहीं होगा।' हमने जो कुछ छोड़ा, सदक़ा होगा।' वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद छः माह ज़िन्दा रहीं और हज़रत फ़ातिमा (ﷺ), हज़रत अबू बक्र (ﷺ) से उस माल से अपना हिस्सा माँगती थीं, जो आप (ﷺ) ने ख़ैबर, फ़दक और मदीना में अपने सदक़े की सूरत में छोड़ा था तो अबू बक्र (ﷺ) ने ये देने से इंकार किया और कहा, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं छोडूंगा, जिस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) अमल करते थे, मगर मैं उस पर अमल करूंगा, क्योंकि मैं डरता हूँ, अगर मैंने आपके किसी अमल को छोड़ दिया तो मैं राहे रास्त से कजी इख़्तियार करूंगा, रहा आपका मदीना वाला सदक़ा तो हज़रत उमर (ﷺ) ने उसे हज़रत अली और अब्बास (ﷺ) के हवाले कर दिया था और उस पर हज़रत अली (ﷺ) ने ग़ल्बा हासिल कर लिया था, रहा ख़ैबर और फ़दक वाला हिस्सा तो हज़रत उमर (ﷺ) ने इन दोनों को रोक लिया और कहा, ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का वह सदक़ा है, जो आप (ﷺ) पेश आमद हुक़ूक़ और अपने हवादिसात पर ख़र्च करते थे और ये दोनों मामलात हुक्मरान की ज़िम्मेदारी हैं और वह दोनों आज तक इस हाल पर बरक़रार हैं।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4555 में देखें।

फ़ायदा : जब मदीना वाले सदक़ात का इन्तेज़ाम के सिलसिले में हज़रत अब्बास और हज़रत अली (ﷺ)

में इख़्तिलाफ़ पैदा हुआ और हज़रत उमर (ﷺ) ने उसको दोनों में तक़सीम करने से इंकार कर दिया तो हज़रत अब्बास (ﷺ) ने क़दम पीछे हटा लिया और आहिस्ता आहिस्ता इन सदक़ात की तौलियत व इन्तेज़ाम हज़रत अली (ﷺ) के हाथ में चला गया, लेकिन फ़दक और ख़ैबर वाला हिस्सा, ख़लीफ़ा के कन्टरोल में रहा, हज़रत अली (ﷺ) ने भी इसे अपने दौरे हुकूमत में अपनी औलाद को नहीं दिया, क्योंकि उसको मुसलमानों के मफ़ादात और हुकूमत व रियासत की ज़रूरियात पर ख़र्च किया जाता था, बस यही इसके हक़दार थे।

(4583) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे वारिस एक दीनार भी तक़सीम नहीं करेंगे, मैंने जो कुछ छोड़ा है, वह मेरी बीवीयों के ख़र्च और मेरे काम के निगरान (ख़लीफ़ा या सदक़ात की निगरानी करने वाले) की ज़रूरियात के पूरा करने के बाद सदक़ा होगा।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2776, 3096, 6729, सुनन अबू दाऊद: 2974.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ " .

(4584) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ .

(4585) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हमारा कोई वारिस नहीं बनाया जायेगा, हमने जो कुछ छोड़ा वह सदक़ा होगा।' हज़रत अबू बक्र, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली व अब्बास के तनाज़ा की असल हक़ीक़त की तफ़्सील के लिए देखिये, रूहमाउ बैनहुम अव्वल सिद्दीक़ी, सफ़ा 105 से 168. हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) का जनाज़ा किस ने पढ़ा देखिये सफ़ा: 183 से 189 मुसन्निफ़ मौलाना मुहम्मद नाफ़े (रह.)

وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " .

बाब : 17
जंग में हाज़िर लोगों में ग़नीमत तक़सीम करने की सूरत व कैफ़ियत

(17)
باب كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا ‏.‏

(4586) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ग़नीमत में से घोड़े को दो हिस्से दिये और आदमी को एक हिस्सा दिया।

तख़रीज : जामेअ तिर्मिज़ी: 1554.

حَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي النَّفَلِ ‏.‏

(4587) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं और इसमें फ़िन्नफ़ल का लफ़्ज़ नहीं है।

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि घोड़े को दो हिस्से मिलेंगे और आदमी को एक हिस्सा, इस तरह, घुड़ सवार के तीन हिस्से होंगे, एक अपना और दो घोड़े के और जिन हदीसों में ये है कि फ़ारिस (घुड़ सवार) को दो हिस्से हैं और पैदल का एक हिस्सा, उनका मानी ये है कि वह एक अपना हिस्सा लेगा और एक घोड़े का हिस्सा लेगा और घोड़े का हिस्सा दो गुना है, इस तरह हज़रत इब्ने उमर की दोनों हदीसों में तआरूज़ (टकराव) नहीं है और जुम्हूर का यही मौक़िफ़ है, जिसमें अइम्मा हिजाज़ (मालिक, शाफ़ेई, अहमद साहिबैन (अबू यूसुफ़, मुहम्मद) दाख़िल हैं, तफ़्सील के लिए देखिये अलमुग़नी, जिल्द: 13, सफ़ा: 85, मसला नम्बर 1643 और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक घुड़ सवार को दो हिस्से मिलेंगे, एक अपना और एक घोड़े का और घोड़े को भी एक ही हिस्सा मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे।

गुलाम रसूल सईदी साहब लिखते हैं, हासिले बहस ये है कि इस मसले में अइम्मा-ए-सलासा और इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद का नज़रिया बहुत क़वी है, क्योंकि उन्होंने जिन अहादीस से इस्तेदलाल किया है उनकी सनदें बिला शुब्हा उन अहादीस की सनदों से ज़्यादा क़वी हैं, जिनसे इमाम अबू हनीफ़ा ने इस्तेदलाल किया है, शरह सही मुस्लिम, जिल्द: 5, सफ़ा 465.

बाब : 18
ग़ज़्व-ए-बद्र में फ़रिश्तों के ज़रिये इमदाद और ग़नीमत का मुबाह होना

(18)
بَابُ الإِمْدَادِ بِالْمَلاَئِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ

(4588) इमाम साहब अपने मुख़्तलिफ़ उस्तादों की सनदों से बयान करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब(ﷺ) से बयान करते हैं कि जब बद्र का दिन आया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुश्रिकीन को देखा, वह एक हज़ार (1000) थे और आप(ﷺ) के साथी 319 तीन सौ उन्नीस आदमी थे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़िब्ला की तरफ़ रूख़ किया, फिर अपने दोनों हाथ फैला दिये और बलन्द आवाज़ से अपने रब से ये दुआ करने लगे: 'ऐ अल्लाह! तूने मुझ से जो वादा किया है, उसको पूरा फ़रमा, ऐ अल्लाह! तूने मुझसे जो वादा किया है, वह अता फ़रमा, ऐ अल्लाह! अगर अहले इस्लाम की ये जमाअत हलाक हो गई तो रू ए ज़मीन पर तेरी इबादत नहीं की जायेगी।' आप मुसल्सल, दोनों हाथ फैलाये हुए, क़िब्ला की तरफ़ मुँह करके, बलन्द आवाज़ से अपने रब को पुकारते रहे यहाँ तक कि आपकी चादर आपके कंधों से गिर पड़ी तो अबू बक्र(ﷺ) आप (ﷺ) के पास आये, आपकी चादर उठाकर, आपके कंधों पर डाल दी, फिर वह आपके पीछे से चिमट गये और कहा, ऐ अल्लाह के नबी! आपका अपने रब से माँगना

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ - هُوَ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ " اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ لاَ تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ " .

فَمَازَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ . وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَذَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ} فَأَمَدَّهُ اللَّهُ بِالْمَلاَئِكَةِ . قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ أَقْدِمْ حَيْزُومُ . فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ . فَجَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ " . فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ . قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا أَسَرُوا

काफ़ी है, क्योंकि वह यक़ीनन आपसे किया हुआ वादा पूरा करेगा तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी, 'जब तुम अपने रब से मदद तलब कर रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ क़बूल करते हुए फ़रमाया: 'मैं तुम्हारी लगातार आने वाले एक हज़ार फ़रिश्तों से मदद करूंगा।' अन्फ़ाल आयत नम्बर 9. तो अल्लाह ने आपकी फ़रिश्तों से मदद फ़रमाई, अबू ज़ुमैल बयान करते हैं, मुझे इब्ने अब्बास (ﷺ) ने बताया कि इस दौरान कि एक मुसलमान मर्द, उस दिन अपने आगे एक काफ़िर इंसान के पीछे भाग रहा था, अचानक उसने अपने ऊपर कोड़ा पड़ने की आवाज़ सुनी और घूड़सवार की आवाज़ सुनी जो कह रहा था, हैज़ूम आगे बढ़ तो उसने अपने आगे वाले मुश्रिक को देखा, वह चीत गिर पड़ा तो उसने उसका जायज़ा लिया उसकी नाक पर निशान था और उसका चेहरा फट गया था, जिस तरह कोड़े की चोट से होता है और उसका पूरा जिस्म नीला हो गया तो अंसारी ने आकर ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) को बताई तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तूने सच कहा, ये तीसरे आसमान की मदद थी।' तो मुसलमानों ने उस दिन सत्तर (70) मुश्रिकों को क़त्ल किया और सत्तर (70) को क़ैदी बनाया। अबू ज़ुमैल कहते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने बताया तो जब मुसलमानों ने क़ैदियों को गिरफ़्तार कर लिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अबू बक्र व उमर(ﷺ) से पूछा, 'तुम्हारी इन क़ैदियों के बारे में क्या राय

الأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ " مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلاَءِ الأُسَارَى " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلإِسْلاَمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ " . قُلْتُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلاَنٍ - نَسِيبًا لِعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَإِنَّ هَؤُلاَءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا فَهَوِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَىِّ شَىْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

है?' तो अबू बक्र (ﷺ) ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी! ये लोग हमारे चचाज़ाद और ख़ानदान के अफ़राद हैं, मेरी राय है आप उनसे फ़िद्या ले लें, जो हमारे लिये काफ़िरों के ख़िलाफ़ कुव्वत का सबब होगा और हो सकता है, अल्लाह तआला इन लोगों को इस्लाम की तौफ़ीक़ (हिदायत) दे दे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा: 'तेरा नज़रिया क्या है? ऐ ख़त्ताब के बेटे।' मैंने कहा, नहीं, अल्लाह की क़सम! मेरी राय अबू बक्र वाली राय नहीं है, लेकिन मेरी राय है, आप उनको हमारे क़ाबू में दें ताकि हम उनकी गर्दनें उड़ा दें तो आप अक़ील अली (ﷺ) के सुपुर्द करें, ताकि वह उसकी गर्दन मार दे और फ़ुलां (उमर का रिश्तेदार) मेरे हवाले करें, ताकि मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं, क्योंकि ये लोग कुफ़्र के इमाम और उसके सरग़ना हैं, (इनके मारने से कुफ़्र का ज़ोर टूट जायेगा) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अबू बक्र(ﷺ) की बात को पसन्द किया और मेरी बात को पसन्द नहीं फ़रमाया तो जब अगला दिन आया मैं आप (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचा देखा, रसूलुल्लाह (ﷺ) और अबू बक्र (ﷺ) बैठे रो रहे हैं, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मुझे बताइये आप और आपका साथी किस वजह से रो रहे हैं, अगर मुझे रोना आया तो मैं भी रोऊंगा और अगर मुझे रोना न आया तो मैं आप दोनों के रोने के बाइस रोनी सूरत बना लूंगा, इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं पेशकश पर रो रहा हूँ जो तेरे

الله عليه وسلم " أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ " . شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ} إِلَى قَوْلِهِ { فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا} فَأَحَلَّ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ .

साथियों ने, उनसे फ़िद्ये लेने के बारे में मुझ पर पेश की, मुझ पर उन लोगों का अज़ाब उस दरख़्त से भी क़रीब तर पेश किया गया है, (वह दरख़्त अल्लाह के नबी (ﷺ) के क़रीब था) और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई, 'नबी के लिये मुनासिब नहीं था कि वह उन लोगों का ज़मीन पर ख़ून बहाये बग़ैर क़ैदी बनाता से लेकर तो तुम जो ग़नीमत तुम्हें हासिल हुई है, हलाल और पाक समझ कर खाओ।' (अल अन्फ़ाल: आयत नम्बर, 97–98) इस तरह अल्लाह ने उनके लिए ग़नीमत हलाल क़रार दे दी।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 2690, जामेअ तिर्मिज़ी: 3181.

मुफ़रदातुल हदीस : (1) यहतिफ़ बिरब्बिही: बलन्द आवाज़ से, अल्लाह से दुआ करने लगे, ताकि आप (ﷺ) की इस गिर्या व ज़ारी और दुआ को देख कर मुसलमान मुतमइन हो जायें और उनके दिल तक़वियत हासिल कर लें और अबू बक्र (رضي الله عنه) ने जब आपकी ये कैफ़ियत देखी तो उन्हें इत्मिनान हो गया कि अल्लाह आपकी दुआ क़बूल फ़रमायेगा और अपना वादा जल्द पूरा फ़रमायेगा, इसलिए अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! कज़ाक मुनाशदतुक: आपने बुलन्द आवाज़ (नशीद) से जो दुआ फ़रमाई है, वह काफ़ी है, इसलिए आप बस करें, ख़तम अन्फ़ा: उसकी नाक पर निशान पड़ गया। **(2) सनादीद:** सन्दीद की जमा है, लीडर, सरदार। **(3) हबिया:** पसन्द किया तबाकैतु मैं रोने वाली सूरत बना लूंगा, ताकि आपकी मुवाफ़िक़त हो सके। **(4) युस्ख़िन फ़िल अर्ज़ि:** ज़मीन में ख़ून बहाये।

फ़ायदा : ग़ज़्व-ए-बद्र 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिज्री जुमा के दिन पेश आया और ये मुसलमानों की काफ़िरों से बाज़ाब्ता पहली जंग थी, जिसमें हर ऐतबार से ज़ाहिरी वसाइल के लिहाज़ से मुसलमान कमतर थे, इसलिए अल्लाह तआला ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए और उनके इत्मिनाने क़ल्ब के लिए एक हज़ार फ़रिश्ते नाज़िल फ़रमाने की बशारत फ़रमाई, ताकि वह ज़ाहिरी वसाइल व असबाब में फ़ाइक़ होने से ख़ुश होकर पूरी जुर्अत व बसालत से जंग में हिस्सा लें, वरना अल्लाह तआला फ़रिश्तों के बग़ैर भी उनको फ़तहयाब कर सकता था, लेकिन उसकी नुसरत व मदद असबाब के पर्दे में आती है, इसलिए एक फ़रिश्ते की बजाये, जो उनकी तबाही के लिए काफ़ी था, हज़ार फ़रिश्ते भेजे और उनमें से

कुछ ने बाक़ायदा जंग में भी हिस्सा लिया है, जैसा कि इस सही हदीस़ से साबित हो रहा है, जुम्हूर का यही मौक़िफ़ है, जब मुसलमान फ़तहयाब हो गये और सत्तर (70) मुश्रिक क़ैद कर लिये गये तो अल्लाह तआला ने मुसलमानों के सामने दो सूरतें पेश कीं, उनको क़त्ल कर दिया जाये या फ़िद्या लेकर छोड़ दिया जाये, लेकिन इस सूरत में आइन्दा साल इतने ही मुसलमान शहीद होंगे, इन दो सूरतों में एक का इन्तेख़ाब दरअसल मुसलमानों का इम्तेहान था कि वह अपनी राय से किस को इख़्तियार करते हैं, जैसा कि अज़वाजे मुतह्हरात के इम्तेहान व आज़माइश के लिए उन्हें दो सूरतों में से एक को इख़्तियार करने की आप (ﷺ) ने आज़ादी दी थी, जिसकी तफ़्सील सूरह अहज़ाब की आयत, इन कुन्तुन्ना तुरिद्नल हयातुद्दुनिया: अल आयत में है या आप (ﷺ) के सामने वाक़िया मेराज में दूध और शराब और शहद पेश किया गया था। बहरहाल तो आपने सहाबा से राय ली अबू बक्र (رضي الله عنه) ने अपनी तबई नर्म दिली और शफ़क़त की बिना पर ये राय दी कि ये क़ैदी अपने भाई बंद हैं, आप इनको फ़िद्या लेकर छोड़ दें, इस नर्म सलूक और एहसान की बिना पर हो सकता है अल्लाह तआला इनके लिए हिदायत का रास्ता खोल दे और ये लोग और इनके पैरोकार और औलाद मुसलमान होकर हमारे दस्त व बाज़ू बनें और फ़िद्या के माल से हम अपनी जंगी ज़रूरियातें पूरी कर लेंगे, आम सहाबा ने भी इस राय को पसन्द किया और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी अपनी तबई रहम दिली और शफ़क़त व सिलह रहमी की ख़ातिर इस राय को पसन्द किया, लेकिन हज़रत उमर(رضي الله عنه) ने इस राय से इख़्तिलाफ़ करते हुए अपनी राय पेश की कि ये क़ैदी कुफ़्र के इमाम और काफ़िरों के लीडर हैं, इनको ख़त्म कर दिया जाये तो कुफ़्र व शिर्क का ज़ोर टूट जायेगा, तमाम मुश्रिकों पर रौब व दबदबा क़ाइम हो जायेगा और हम कुफ़्र व शिर्क और इन लोगों से इन्तेहाई नफ़रत व बुग़्ज़ का इज़हार करने की ख़ातिर, अपने अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को अपने हाथों से क़त्ल करें और हज़रत सअद बिन मुआज़ ने भी उनकी ताईद की, लेकिन फ़िद्या वालों की राय पर अमल हुआ तो अल्लाह तआला ने इस आयत के ज़रिये अपनी नापसन्दीदगी का इज़हार फ़रमाया और उसको (तुरीदुना अरज़द्दुनिया) तुम दुनिया का साज़ो सामान चाहते हो से ताबीर किया, ये ग़लती बज़ाहिर ऐसी थी कि उस पर मुवाख़िज़ा होता और सख़्त सज़ा मिलती और वह अज़ाब आप(ﷺ) को दिखाया भी गया, लेकिन इस बिना पर ये अज़ाब रोक दिया गया कि अल्लाह तआला इज्तेहादी ग़लती पर सज़ा नहीं देता, आयत में आमद तहदीद व एताब की बिना पर मुसलमान डर गये और माले ग़नीमत से एहतिराज़ करने लगे, इसलिए माले ग़नीमत के हलाल व तय्यब होने का ऐलान कर दिया गया, (तफ़्सील के लिए इस आयत की तफ़्सीर, हाशिया उस्मानी में देखिये।)

बाब : 19
क़ैदी को बाँधने और क़ैद करने और उस पर एहसान करने का जवाज़

(19)
باب رَبْطِ الأَسِيرِ وَحَبْسِهِ وَجَوَازِ الْمَنِّ عَلَيْهِ

(4589) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने घूड़सवार दस्ता नज्द की तरफ़ भेजा तो वह दस्ता बनू हनीफ़ा के सुमामा बिन उसाल नामी आदमी को पकड़ लाया जो अहले यमामा का सरदार था तो उसे मस्जिद के सुतूनों में से एक सुतून के साथ बाँध दिया गया, रसूलुल्लाह (ﷺ) उसके पास तशरीफ़ लाये और पूछा: तेरा क्या ख़याल है, ऐ सुमामा!' तो उसने कहा, ऐ मुहम्मद! मेरा ख़याल अच्छा है, (क्योंकि आप (ﷺ) किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करते) अगर आप क़त्ल करेंगे तो एक ख़ून वाले शख़्स को क़त्ल करेंगे, और अगर आप एहसान करेंगे तो एक शुक्र गुज़ार पर एहसान करेंगे और अगर आप(ﷺ) को माल मतलूब है तो जितना चाहिए ले लिजिये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उसे छोड़ कर चले गये यहाँ तक कि अगले दिन आये और पूछा: 'तेरा क्या तसव्वुर है? ऐ सुमामा।' उसने कहा, जो मैं आपको कह चुका हूँ, अगर आप एहसान करेंगे तो एक शुक्र गुज़ार पर एहसान फ़रमायेंगे और अगर आप क़त्ल करेंगे तो एक साहबे ख़ून को क़त्ल करेंगे और अगर आप माल चाहते हैं तो जितना

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ . فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ " . فَقَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ . فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ " مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ " . قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ . فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ " مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ " . فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ " . فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلاَدِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ أَصَبَوْتَ فَقَالَ لاَ وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله

चाहिए माँग लें, आपको दे दिया जायेगा तो आप उसे छोड़ कर चले गये यहाँ तक कि अगला दिन आ गया तो आपने पूछा: 'तेरा क्या गुमान है? ऐ सुमामा।' तो उसने कहा, मैंने अपना नज़रिया आपको बता दिया है, अगर आप एहसान करेंगे तो एक शुक्र गुज़ार इंसान पर एहसान होगा और अगर आप क़त्ल करेंगे तो आप एक ख़ून के मालिक को क़त्ल करेंगे।' और अगर आप माल चाहते हैं तो माँगें, जो आप चाहें, मिल जायेगा, इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सुमामा को आज़ाद कर दो।' तो वह मस्जिद के क़रीबी नख़्लिस्तान में चला गया और ग़ुस्ल किया, फिर मस्जिद में दाख़िल होकर कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हक़दार नहीं है और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मुहम्मद (ﷺ) उसके बंदे और रसूल हैं, ऐ मुहम्मद! अल्लाह की क़सम! रू ए ज़मीन पर कोई चेहरा (शख़्स) मुझे आपके चेहरे (शख़्सियत) से ज़्यादा मबग़ूज़ न था और अब आप(ﷺ) का चेहरा तमाम चेहरों से मुझे ज़्यादा महबूब है, अल्लाह की क़सम! कोई दीन, मुझे आपके दिन से ज़्यादा नापसन्दीदा न था और अब आपका दीन, तमाम दीनों से मुझे ज़्यादा पसन्द है, अल्लाह की क़सम! कोई शहर मेरे नज़दीक आपके शहर से ज़्यादा क़ाबिले नफ़रत न था और अब आपका इलाक़ा (शहर) मुझे तमाम शहरों से

عليه وسلم وَلاَ وَاللَّهِ لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

ज़्यादा पसन्द है और आपके सवारों ने मुझे उस वक़्त पकड़ा जबकि मैं उम्रा का इरादा कर चुका था तो आपका क्या ख़्याल है? इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे (क़बूलियत की) बशारत सुनाई और उसे उम्रा करने का हुक्म दिया, जब वह मक्का आया तो किसी ने उससे पूछा, क्या बेदीन हो गये हो? उसने कहा, नहीं, लेकिन मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ इस्लाम में दाख़िल हो गया हूँ और नहीं, अल्लाह की क़सम! तुम्हारे पास सुमामा से गन्दूम का एक दाना भी नहीं आयेगा, जब तक रसूलुल्लाह (ﷺ) उसकी इजाज़त नहीं देंगे।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 462, 469, 2422, 2423, 4372, नसाई: 1/109, 110.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) माज़ा इन्दक? या सुमामा: ऐ सुमामा, तेरे ख़्याल में हम तेरे साथ क्या सलूक करेंगे। **(2) इन तक़्तुल तक़्तुल ज़ा दमिन:** अगर क़त्ल करोगे तो एक क़द्र व क़ीमत और साहबे हैसियत का ख़ून बहाओगे, जिसके ख़ून का बदला लिया जाये और उसका ख़ून, उसके दुशमन के लिए तशफ़्फ़ी बख़्श है या वह अपने फ़ेअ़ल व हरकत की बिना पर क़त्ल का मुस्तहिक़ है, इसलिए आप (ﷺ) क़त्ल करके किसी जुर्म के मुर्तकिब नहीं होंगे।

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है, क़ैदी को मस्जिद में बाँधना और क़ैद करना जायज़ है और ज़रूरत या किसी मक़सद के तहत किसी काफ़िर को मस्जिद में लाया जा सकता है, आप (ﷺ) ने एक काफ़िर को तीन दिन तक मस्जिद में बाँधे रखा ताकि वह मुसलमानों की सीरत व किरदार और उनके पैग़ाम से आगाह हो और इस हदीस़ से ये भी मालूम हुआ कि इस्लाम लाने के लिए ग़ुस्ल की ज़रूरत है, इमाम मालिक, इमाम अहमद के नज़दीक, ये फ़र्ज़ है अहनाफ़ के नज़दीक मुस्तहब है और शवाफ़ेअ के नज़दीक अगर काफ़िर जुनबी हुआ हो तो वाजिब है, वरना लाज़िम नहीं है, मुस्तहब है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ،

(4590) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने घुड़सवार सरज़मीने नज्द की तरफ़ रवाना

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلاً لَهُ نَحْوَ أَرْضِ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ الْحَنَفِيُّ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ

किये और वह सुमामा बिन उसाल हनफ़ी नामी इंसान को पकड़ लाये, जो अहले यमामा का सरदार था, आगे ऊपर दी गई हदीस है, सिर्फ़ ये फ़र्क़ है कि यहाँ इन तक़्तुल की जगह इन तक़्तुल्नी है कि अगर आप मुझे क़त्ल करेंगे।

(20) باب إِجْلاَءِ الْيَهُودِ مِنَ الْحِجَازِ

बाब : 20 यहूद को हिजाज़ की सरज़मीन से जला वतन करना

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ " . فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَادَاهُمْ فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا " . فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ذَلِكَ أُرِيدُ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا " . فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ذَلِكَ أُرِيدُ " . فَقَالَ لَهُمُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ " اعْلَمُوا

(4591) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि हम मस्जिद में थे कि इस दौरान रसूलुल्लाह(ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'यहूदीयों की तरफ़ चलो।' तो हम आपके साथ चल पड़े यहाँ तक कि उनके पास पहुँच गये, रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े होकर उनसे बलन्द आवाज़ से फ़रमाया: 'ऐ यहूदीयों की जमाअत! इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे।' उन्होंने जवाब दिया, ऐ अबुल क़ासिम! आपने पैग़ाम पहुँचा दिया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया: 'यही मैं चाहता हूँ, इस्लाम ले आओ, महफ़ूज़ हो जाओगे।' तो उन्होंने जवाब दिया, ऐ अबुल क़ासिम! आपने पैग़ाम पहुँचा दिया है, इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यही मेरा मक़सद है।' तीसरी मर्तबा आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जान लो, ये ज़मीन तो सिर्फ़

أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ " .

अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की है और मैं तुम को इस सरज़मीन से निकालना चाहता हूँ तो जिसे अपने माल के ऐवज़ कुछ मिलता हो, वह उसे बेच दे, वरना जान लो, ये ज़मीन तो अल्लाह और उसके रसूल की है।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3168, 6944, 7348, सुनन अबू दाऊद: 3003.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) क़द बल्लग़्ता: आपका काम पैग़ाम पहुँचाना और इस्लाम की दावत देना है वह आप ने दे दी है, मानना या न मानना हमारा काम है। **(2) ज़ालिक उरीदु:** मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम इसका ऐतराफ़ कर लो कि तुम तक पैग़ाम पहुँच गया है।

फ़ायदा : जंगे बनू क़ुरैज़ा तक जो हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) के इस्लाम लाने और मदीना आने से पहले का वाक़िया है, तमाम यहूदी क़बाइल,बनू क़ैनुक़ा, बनू नज़ीर और बनू क़ुरैज़ा को उनकी अहद शिकनी की बिना पर मदीना से निकाला जा चुका था, लेकिन उनके कुछ छोटे ख़ानदान पीछे रह गये, जो तालीम व तअल्लुम में मशग़ूल थे, अब आपने उनको भी मदीना से निकालना चाहा तो पहले उन्हें इस्लाम की दावत दी और उनके इंकार पर कहा, अब तुम्हारे यहाँ से निकालने का वक़्त आ गया, लिहाज़ा अपना माल असबाब बेच कर यहाँ की ज़मीन ख़ाली कर दो और यहाँ से चले जाओ।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ، إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّالله عليه وسلم فَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ

(4592) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि बनू नज़ीर और बनू क़ुरैज़ा के यहूदीयों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से जंग की तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बनू नज़ीर को निकाल दिया और एहसान करते हुए बनू क़ुरैज़ा को रहने दिया यहाँ तक कि उसके बाद क़ुरैज़ा ने भी जंग लड़ी तो आप(ﷺ) ने उनके मर्दों को क़त्ल कर दिया और उनकी औरतों और बच्चों को मुसलमानों में तक़सीम कर दिया, मगर उनमें से कुछ रसूलुल्लाह (ﷺ) से आ मिले तो आपने उनको पनाह दी और वह मुसलमान हो गये और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना के

صلى الله عليه وسلم فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا وَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ - وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ - وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ .

यहूदीयों, बनू क़ैनुक़ा, जो अब्दुल्लाह बिन सलाम की क़ौम है और बनू हारिसा के यहूदीयों और मदीना के हर यहूदी ख़ानदान को निकाल दिया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 4029, सुनन अबू दाऊद: 3005.

फ़ायदा : बनू नज़ीर की जला वतनी का वाक़िया गुज़र चुका है, बनू कुरैज़ा का ज़िक्र अगले बाब में आ रहा है और बनू क़ैनुक़ा का वाक़िया ये है कि जंगे बद्र के बाद एक अरब औरत सामाने तिजारत लेकर बाज़ार में आई और एक ज़र गर (सोनार) के पास बैठ गई, यहूदीयों ने उससे कहा, अपना मुँह नंगा करो, उसने इंकार कर दिया, इस पर उस सोनार ने, उसके कपड़े का निचला किनारा पिछली तरफ़ बाँध दिया और उस औरत को पता न चला, जब वह उठी तो बेपर्दा हो गई तो वह हँसने लगे, वह चीख़ने चिल्लाने लगी, जिसे सुन कर एक मुसलमान ने उस ज़र गर पर हमला करके उसको क़त्ल कर डाला, जवाबन यहूदीयों ने मुसलमान पर हमला करके उसे क़त्ल कर डाला, इसके बाद मक़्तूल मुसलमान के वारिसों ने शोर मचाया, इस तरह मुसलमानों और बनू क़ैनुक़ा के दरम्यान जंग शुरू हो गई, और आपने शव्वाल 6 हिजरी के आख़री पन्द्रह दिनों में उनका मुहासरा कर लिया, अल्लाह तआला ने उनके दिलों में रौब डाल दिया, चुनांचे उन्होंने इस शर्त पर हथियार डाल दिये कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उनकी जान व माल और आल व औलाद और औरतों के बारे में जो फ़ैसला करेंगे, उन्हें मन्ज़ूर होगा, इसके बाद आप (ﷺ) के हुक्म से उन सब को बाँध लिया गया, लेकिन बिल आख़िर अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफ़िक़ के इन्तेहाई सख़्त और बेजा इसरार पर आपने उन्हें छोड़ दिया और उन्हें मदीना से निकल जाने का हुक्म दिया, (तफ़्सील के लिए अर्रहीक़ुल मख़्तूम देखिये)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَكْثَرُ وَأَتَمُّ.

(4593) इमाम साहब एक और उस्ताद से ये हदीस बयान करते हैं, लेकिन ऊपर दी गई हदीस ज़्यादा मुफ़स्सल और कामिल है।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4567 में देखें।

(21)باب إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

बाब : 21
यहूदीयों और ईसाईयों को जज़ीरतुल अरब से निकालना

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لاَ أَدَعَ إِلاَّ مُسْلِمًا " .

(4594) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना: 'मैं यहूदीयों और ईसाईयों को जज़ीरतुल अरब से ज़रूर निकाल दूंगा यहाँ तक कि सिर्फ़ मुसलमानों को इसमें रहने दूंगा।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 3030, 3031, जामेअ तिर्मिज़ी: 1606.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ - كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(4595) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों की सनदों से अबू ज़ुबैर के वास्ते से ही ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4569 में देखें।

(22)

باب جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ

बाब : 22

अहद शिकनी करने वालों से जंग करना जायज़ है और क़िला वालों को किसी आदिल हाकिम के हुक्म पर, जो फ़ैसला करने की सलाहियत रखता हो, पर उतारना जायज़ है

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، - عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ، الْخُدْرِيَّ قَالَ نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى سَعْدٍ فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلأَنْصَارِ " قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ - أَوْ خَيْرِكُمْ " . ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَؤُلاَءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ " . قَالَ تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ وَتَسْبِي ذُرِّيَّتَهُمْ . قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ - وَرُبَّمَا قَالَ - قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ " . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى وَرُبَّمَا قَالَ " قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ " .

(4596) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि बनू क़ुरैज़ा हज़रत सअद इब्ने मुआज़(ﷺ) के फ़ैसले को क़बूल करते हुए क़िला से उतर आये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत सअद (ﷺ) को बुलवाया, वह एक गधे पर सवार होकर आये तो जब वह मस्जिद के क़रीब पहुँचे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अन्सार से फ़रमाया: 'अपने सरदार या अपने बेहतरीन फ़र्द के इस्तेक़बाल के लिए आगे बढ़ो।' फिर आपने फ़रमाया: 'इन लोगों ने तेरे फ़ैसले पर हथियार डाले हैं।' हज़रत सअद (ﷺ) ने कहा उनके काबिले जंग अफ़राद को क़त्ल कर दिया जाये और औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया जाये तो रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तूने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ फ़ैसला किया है।' और बसा औक़ात आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तूने शाही फ़ैसला दिया है।' और इब्ने अल मुसन्ना की रिवायत में ये नहीं है कि आपने कहा, 'तूने शाही फ़ैसला दिया है।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2043, 3804, 1461, 6262, सुनन अबू दाऊद: 5215, 5216.

फ़ायदा : बनू कुरैज़ा ने जब अहद शिकनी करते हुए, मुश्रिकीन का साथ दिया तो जंगे अहज़ाब के ख़ातिमा के बाद आप (ﷺ) ने हज़रत जिब्राईल के कहने पर बनू कुरैज़ा का मुहासरा कर लिया, अल्लाह तआला ने उनके दिलों में रौब डाल दिया और वह हौसला हार बैठे, हालांकि उनके पास ख़ूरदो नोश का वाफ़िर सामान मौजूद था, पानी के चश्मे और कूएँ थे, मज़बूत और महफ़ूज़ क़िले थे, जबकि मुसलमान मैदान में इन्तेहाई सख़्त सर्दी में, भूख की सख़्तियाँ सह रहे थे और जंगे ख़न्दक़ की मुसल्सल जंगी मसरूफ़ियात की बिना पर थकान से चूर चूर थे, बनू कुरैज़ा ने अपने आपको रसूलुल्लाह (ﷺ) के हवाले कर दिया कि आप जो मुनासिब समझें, वह फ़ैसला फ़रमायें, क़बीला औस के लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अर्ज़ किया कि आपने बनू क़ैनुक़ा के साथ जो सुलूक फ़रमाया था, वह आपको याद है, बनू क़ैनुक़ा, हमारे ख़ज़रजी भाईयों के हलीफ़ थे और ये लोग हमारे हलीफ़ हैं, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या आप लोग इस पर राज़ी हैं कि इनके मुताल्लिक़ आप ही का एक फ़र्द फ़ैसला करे? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, आपने फ़रमाया: 'तो ये मामला सअद बिन मुआज़ (رضي الله عنه) के सुपुर्द है, औस के लोगों ने कहा, हम उस पर राज़ी हैं, इसके बाद आपने हज़रत सअद को बुला भेजा, क्योंकि वह जंगे ख़न्दक़ के दौरान बाज़ू की रग कटने की वजह से लश्कर के साथ नहीं आये थे, जब वह गधे पर सवार होकर आये तो आपने अन्सार को उनके इस्तेक़बाल का हुक्म दिया तो उनके क़बीले के लोगों ने उन्हें दोनों जानिब से घेर लिया और कहने लगे, सअद अपने हलीफ़ों के बारे में एहसान और भलाई से काम लिजियेगा, इसके बाद हज़रत सअद (رضي الله عنه) ने उनके बारे में वह आदिलाना और मुन्सिफ़ाना फ़ैसला दिया, जिसके बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुमने इनके बारे में वह फ़ैसला दिया है, जो बादशाहे हक़ीक़ी अल्लाह तआला का फ़ैसला है।'

मज्लिस में आने वाले की ताज़ीम के लिए खड़े होने का मसला इस हदीस से साबित होता है, अहले ख़ैर और अहले फ़ज़ल की ताज़ीम व इकराम के लिए आगे बढ़ कर इस्तेक़बाल करना जायज़ है, अल्लामा तीबी इसका मानी करते हैं, कूमू वम्शू इलैहि तलक़्क़ियन व इकरामन, खड़े हो और उनके इकराम और मुलाक़ात के लिए उनकी तरफ़ जाओ, इसलिए इस हदीस से ये इस्तेदलाल करना दुरूस्त नहीं है कि आने वाले के लिए अपनी जगह पर खड़े होकर ताज़ीम व इकराम करना जायज़ है, जबकि आप (ﷺ) ने सराहतन ये हुक्म दिया है कि ला तक़ूमू कमा तक़ुमुल अआजिमु अला मुलूकिहिम, जिस तरह अजमी अपने बादशाहों के लिए खड़े होते हैं, उनकी तरह तुम न खड़े हो और हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) की आमद पर जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और इब्ने सफ़वान(رضي الله عنه) खड़े हुए तो उन्होंने उन्हें बैठने के लिए कहा और फ़रमाया: 'मैंने नबी अकरम (ﷺ) से सुना है जो इंसान इससे ख़ूश होकर कि लोग उसके सामने सीधे खड़े हों वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, फ़तहुलबारी,

जिल्द: 11, किताबुल इस्तीज़ान और हुज़ूर अकरम (ﷺ) की आमद पर सहाबा किराम खड़े नहीं होते थे क्योंकि आप (ﷺ) को ये अन्दाज़ पसन्द न था। (तिर्मिज़ी) तफ़्सील के लिए देखिये तकमिला फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द: 3, सफ़ा: 126–127 अज़ फ़तहुलबारी, जिल्द: 11, इस्तीज़ानुल फ़तह.

(4597) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादों से भी यही रिवायत बयान करते हैं, इसमें क़ज़ैता की बजाये हकम्ता का लफ़्ज़ है, लक़द हकम्ता फ़ीहिम बिहुक्मिल्लाह कहा या लक़द हकम्ता बिहुक्मिल मलिक, मक़सद दोनों जुम्लों का एक ही है, अल्लाह का उनके बारे में ये फ़ैसला है, जो तूने किया है।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ " . وَقَالَ مَرَّةً " لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ " .

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4571 में देखें।

(4598) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि हज़रत सअद (رضي الله عنه) जंगे ख़न्दक़ के दिन ज़ख़्मी हो गये, उन्हें इब्ने अरिक़ा नामी क़ुरैशी ने तीर मारा था, जो उनके बाज़ू की रग में लगा, (जिसको रगे हयात कहते हैं) तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनके लिए मस्जिद में ख़ैमा लगवाया ताकि क़रीब से उनकी एयादत कर सकें और जब रसूलुल्लाह (ﷺ) जंगे ख़न्दक़ से वापस लौटे, हथियार उतार दिये और गुस्ल फ़रमा लिया तो आप (ﷺ) के पास जिब्राईल अलैहि. आये, वह अपने सर से ग़र्दो गुबार झाड़ रहे थे और कहने लगे, आपने हथियार उतार दिये हैं, अल्लाह की क़सम! हमने तो हथियार नहीं उतारे हैं, उनकी तरफ़ जाइये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा: 'किधर जाऊं' तो उसने बनू क़ुरैज़ा की तरफ़ इशारा किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे जंग

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ . رَمَاهُ فِي الأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ يَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلاَحَ فَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ وَضَعْتَ السِّلاَحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ اخْرُجْ إِلَيْهِمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَأَيْنَ " . فَأَشَارَ إِلَى

بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحُكْمَ فِيهِمْ إِلَى سَعْدٍ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ .

की (मुहासरा कर लिया) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़ैसले पर क़िला से उतर आये, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके बारे में फ़ैसला हज़रत सअद (रज़ि.) के सुपुर्द कर दिया, हज़रत सअद ने कहा, मेरा उनके बारे में ये फ़ैसला है कि उनके जंग के क़ाबिल अफ़राद को क़त्ल कर दिया जाये और उनके बच्चों, औरतों को क़ैदी बना लिया जाये और उनके अमवाल मुसलमानों में तक़सीम कर दिये जायें।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 463, 3901, 4117, 4122, सुनन अबू दाऊद: 3101, नसाई: 2/45.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ قَالَ أَبِي فَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

(4599) हज़रत उर्वा (रह.) बयान करते हैं मुझे ये बताया गया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तूने उनके बारे में अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का फ़ैसला किया है।'

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4573 में देखें।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَعْدًا، قَالَ وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرْءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ صلى الله عليه وسلم وَأَخْرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَىْءٌ فَأَبْقِنِي أُجَاهِدْهُمْ فِيكَ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ

(4600) हज़रत आयशा (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत सअद (रज़ि.) ने कहा, जबकि उनका ज़ख़्म ठीक हो रहा था, ऐ अल्लाह! जिन्होंने तेरे रसूल को झुठलाया है और उसे वतन से निकाल दिया है, ऐ अल्लाह! अगर क़ुरैश से जंग का अभी कुछ हिस्सा बाक़ी है तो मुझे बाक़ी रख ताकि मैं तेरी ख़ातिर उनसे जंग लड़ूं, ऐ अल्लाह! मैं तो ये समझता हूँ कि तूने हमारे और उनके दरम्यान जंग ख़त्म कर दी है तो अगर वाक़ेई तूने हमारे और उनके दरम्यान जंग ख़त्म कर दी है तो तू ज़ख़्म को जारी कर दे और उसको मेरी मौत का सबब बना दे तो वह ज़ख़्म उनकी हँसली से बहने

الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا . فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ - وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ - إِلاَّ وَالدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ جُرْحُهُ يَغِذُّ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا .

लगा तो उन्हें (साथ के ख़ैमा वालों को) ख़ौफ़ ज़दा न किया, मस्जिद में उनके साथ बनू ग़िफ़ार का भी एक ख़ैमा था, मगर उस चीज़ ने कि ख़ून उनकी तरफ़ बहता आ रहा है तो उन्होंने पूछा, ऐ ख़ैमा वालो, तुम्हारी तरफ़ से हमारी तरफ़ क्या चीज़ आ रही है, देखा तो हज़रत सअद का ज़ख़्म बह रहा था और वह उससे फ़ौत हो गये।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4573 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस : (1) तहज्जरा कल्मुहू लिल बुरइ: ज़ख़्म ठीक होने के लिए ख़ुश्क होने लगा, चूंकि उनकी ख़्वाहिश उस ज़ख़्म से शहादत हासिल करने की थी, जब ज़ख़्म ठीक होने लगा तो उन्होंने ये दुआ की और मौत की दुआ किसी मुसीबत और तंगी से छुटकारा हासिल करने के लिए मना है, शहादत की आरज़ू और तमन्ना करना ममनूअ नहीं है। **(2) यग़िद्दु दमनः** इससे ख़ून बह रहा था, अगर यग़ज़ू हो तो फिर भी यही मानी होगा।

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَانْفَجَرَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَمَازَالَ يَسِيلُ حَتَّى مَاتَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ أَلاَ يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ فَمَا فَعَلَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ غَدَاةَ تَحَمَّلُوا لَهُوَ الصَّبُورُ تَرَكْتُمْ قِدْرَكُمْ لاَ شَىْءَ فِيهَا وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ أَقِيمُوا قَيْنُقَاعُ وَلاَ تَسِيرُوا وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ ثِقَالاً كَمَا

(4601) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, जिसमें ये इज़ाफ़ा है, उस रात ज़ख़्म बहने लगा और वह मुसल्सल बहता रहा यहाँ तक कि वह वफ़ात पा गये और उस वक़्त एक काफ़िर शाइर (जबल बिन जवाल सअलबी) ने ये शेअर कहे। ऐ सअद! सअद बिन मुआज़ सुनो, कुरैज़ा और नज़ीर ने क्या किया, तुम्हारी ज़िन्दगी की क़सम! सअद बिन मुआज़ जिस सुबह उन लोगों ने मसाइब बरदाश्त किये, वह बहुत साबिर थे, तुमने अपनी हाँडी ख़ाली छोड़ दी जबकि क़ौमे ख़ज़रज की हाँडी गर्म है और जोश मार रही है, मुअज्जज शख़्स अबू हुबाब ने कहा था, बनू क़ैनुक़ा ठहरे रहो, मत जाओ, हालांकि बनू

ثَقُلَتْ بِمَيْطَانَ الصُّخُورُ

कुरैज़ा अपने इलाक़े में जमे हुए थे, जिस तरह मैतान पहाड़ के पत्थर भारी हैं।

फ़ायदा : हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ (ﷺ) ने चूंकि अपने हलीफ़ों की रिआयत करते हुए उन्हें अमन व सुकून के साथ, बनू क़ैनुक़ा की तरह निकलने का मौक़ा फ़राहम नहीं किया, जबकि अबू हुबाब अ़ब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफ़िक़ ने अपने हलीफ़ों को बेजा तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करके निकलने का मौक़ा दिया, इसलिए ये काफ़िर शाइर जो बाद में मुसलमान हो गया, हज़रत सअ़द की मज़म्मत करता है तूने अपने हलीफ़ों को जो मज़बूत और मुस्तहकम क़िलों के मालिक थे, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया, अपने आपको मज़बूत हलीफ़ों की नुसरत व हिमायत से महरूम कर लिया और अपनी हाँडी ख़ाली कर ली, जबकि ख़ज़रज के सरदार, अ़ब्दुल्लाह बिन उबय ने अपने हलीफ़ों को बचा कर उनकी नुसरत व हिमायत बरक़रार रखी, इसलिए उनकी हांडियाँ गर्म हैं, यानी हलीफ़ों की नुसरत व मदद हासिल है।

(23)
باب الْمُبَادَرَةِ بِالْغَزْوِ وَتَقْدِيمِ أَهَمِّ الأَمْرَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ

बाब : 23
लड़ाई के लिए जल्दी करना और दो मुतज़ाद कामों में से अहम को मुक़द्दम करना

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الأَحْزَابِ " أَنْ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ " . فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلُّوا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ . وَقَالَ آخَرُونَ لاَ نُصَلِّي إِلاَّ حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ .

(4602) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि जिस दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) जंगे अहज़ाब से लौटे तो आप(ﷺ) ने हम में ऐलान करवाया, कोई इंसान बनू कुरैज़ा के यहाँ पहुँचने से पहले नमाज़ न पढ़े, तो कुछ लोग नमाज़ का वक़्त निकलने से डर गये तो उन्होंने बनू कुरैज़ा के यहाँ पहुँचने से पहले पढ़ ली और दूसरे सहाबा ने कहा, हम तो वहीं नमाज़ पढ़ेंगे, जहाँ हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पढ़ने का हुक्म दिया है, अगरचे वक़्त निकल ही जाये, हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) कहते हैं कि आप (ﷺ) ने किसी एक फ़रीक़ को भी मलामत न की।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 946, 4119.

फ़ायदा : जिस नमाज़ का आप (ﷺ) ने बनू क़ुरैज़ा के यहाँ पढ़ने का हुक्म दिया था, इसकी तअय्युन में इख़्तिलाफ़ है, इमाम बुख़ारी की रिवायत में अस्र है और यहाँ मुस्लिम में ज़ुहर, इसलिए कुछ हज़रात का ख़्याल है कि कुछ लोगों को अभी नमाज़े ज़ुहर पढ़नी थी या वह जल्द तैयार हो गये तो आप(ﷺ) ने उन्हें नमाज़े ज़ुहर बनू क़ुरैज़ा के यहाँ पढ़ने का हुक्म दिया और कुछ लोगों ने आप (ﷺ) के साथ नमाज़े ज़ुहर पढ़ी तो आपने उन्हें नमाज़े अस्र वहाँ पढ़ने का हुक्म दिया और जब ये हज़रात चल दिये तो रास्ते में नमाज़ का वक़्त हो गया इसलिये कुछ सहाबा ने कहा हमें यहीं नमाज़ पढ़ लेनी चाहिये बनू क़ुरैज़ा के पास पहुँचते पहुँचते नमाज़ का वक़्त निकल जायेगा, नमाज़ अपने वक़्त पर पढ़ने का हुक्म है और रसूलुल्लाह (ﷺ) का मक़सद ये था कि तुम बिला ताख़ीर जल्दी वहाँ पहुँचो, किसी और काम की तरफ़ तवज्जा न दो, आप (ﷺ) का ये मक़सद नहीं था कि अगर रास्ते में नमाज़ का वक़्त हो जाये तो नमाज़ न पढ़ना, इसलिए उन लोगों ने नमाज़ पढ़ ली, लेकिन दूसरे सहाबा ने कहा, चूंकि आपका फ़रमान है कि नमाज़ बनू क़ुरैज़ा जाकर पढ़ना, इसलिए हम तो बनू क़ुरैज़ा में जाकर नमाज़ पढ़ेंगे, चाहे वक़्त निकल ही जाये, इसलिए उन्होंने बनू क़ुरैज़ा जाकर नमाज़ पढ़ी, आपको उससे मुत्तलअ किया गया तो आप (ﷺ) ने किसी फ़रीक़ को सरज़निश या मलामत न की, जिससे साबित होता है कि अगर किसी मसले में नेक नियती से इख़्तिलाफ़ किया जाये और उसमें इज्तेहाद की गुंजाइश हो तो कोई फ़रीक़ भी क़ाबिले मुवाख़िज़ा नहीं है, अगरचे राय एक ही की सही है क्योंकि दोनों ने अपनी राय की बुनियाद पर किसी दलील व हुज्जत को बनाया है। पहले गिरोह ने तेज़ रफ़्तारी भी इख़्तियार की और नमाज़ के वक़्त की पाबन्दी भी की और दूसरे गिरोह ने आप के अल्फ़ाज़ के ज़ाहिर को मल्हूज़ रखा।'

बाब : 24
जब मुहाजिर फ़ुतूहात की बिना पर अन्सार के दरख़्तों और पैदावार से मुस्तग़नी हो गये तो उन्होंने उनके अतियात वापस कर दिये

(24)
باب رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ حِينَ اسْتَغْنَوْا عَنْهَا بِالْفُتُوحِ

(4603) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि जब मुहाजिरीन, मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे तो उनके पास कुछ न था और अन्सार ज़मीन और जायदाद के मालिक थे तो अन्सार ने उन्हें इस शर्त पर

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ الْمَدِينَةَ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ

شَيْءٌ وَكَانَ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُونَهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَئُونَةَ وَكَانَتْ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهْيَ تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ - وَكَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ كَانَ أَخًا لأَنَسٍ لأُمِّهِ - وَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِذَاقًا لَهَا فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلاَتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ - قَالَ - فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمِّي عِذَاقَهَا وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أُمِّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ أَبُوهُ فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ

हिस्सेदार बना लिया कि मुहाजिर काम काज करेंगे और अन्सार को मेहनत व मशक़्क़त से बेन्याज़ कर देंगे और अन्सार को हर साल पैदावार का आधा हिस्सा देंगे और हज़रत अनस बिन मालिक की वालिदा जिन्हें उम्मे सुलैम के नाम से पुकारा जाता था और अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा (ﷺ) की भी वालिदा थी, जो हज़रत अनस (ﷺ) के माँ की तरफ़ से भाई थे, हज़रत अनस (ﷺ) की वालिदा ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को कुछ खजूर के दरख़्त दिये और आप(ﷺ) ने वह दरख़्त अपनी आज़ाद करदा लौण्डी, हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) की वालिदा उम्मे ऐमन को इनायत फ़रमा दिये, हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) जंगे ख़ैबर से फ़ारिग़ होकर मदीना पलटे तो मुहाजिरों ने अन्सार के वह अतियात वापस कर दिये जो उन्होंने उन्हें फलों की सूरत में दिये थे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरी वालिदा को भी उनके खजूर के दरख़्त वापस कर दिये और आप (ﷺ) ने उनकी जगह उम्मे ऐमन(ﷺ) को अपने बाग़ से दरख़्त दे दिये, इब्ने शिहाब बयान करते हैं और उम्मे ऐमन (ﷺ) की सूरते हाल ये है कि वह उसामा बिन ज़ैद की वालिदा हैं, जो अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब की लौण्डी थी और हब्शा की बाशिन्दा थी तो जब हज़रत आमिना के यहाँ, अपने बाप की वफ़ात के बाद

تَحْضُنُهُ حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ .

रसूलुल्लाह (ﷺ) पैदा हुए तो वह आप (ﷺ) की परवरिश करती थी। जब आप(ﷺ) बड़े हुए तो आप (ﷺ) ने उसे आज़ाद कर दिया, फिर उसकी शादी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा (ﷺ) से कर दी, फिर वह रसूलुल्लाह(ﷺ) की वफ़ात के पाँच माह बाद वफ़ात पा गई।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी 2630.

मुफ़रदातुल हदीस : (1) इज़ाक़: अज़क़ की जमा है, जिस तरह हब्ल की जमा हिबाल है, मुराद खजूर के दरख़्तों का फल आपको बतौर अतिया देना है। **(2) मनाइह:** मनीहा की जमा है, फ़ायदा उठाने के लिए किसी को कोई चीज़ दे देना कि वह जब उससे बेन्याज़ हो जाये तो वापस कर देगा। **(3) वसीफ़ा:** लौण्डी, बांदी।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، الْقَيْسِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً، - وَقَالَ حَامِدٌ وَابْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَنَّ الرَّجُلَ، - كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّخَلاَتِ مِنْ أَرْضِهِ . حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ . قَالَ أَنَسٌ وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ مَا كَانَ أَهْلُهُ أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِيهِنَّ فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ

(4604) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि कोई आदमी अपनी ज़मीन से कुछ खजूरों के दरख़्त नबी अकरम (ﷺ) को पेश कर देता यहाँ तक कि बनू कुरैज़ा और बनू नज़ीर के इलाक़े फ़तह कर लिये गये तो उसके बाद आप (ﷺ) उस आदमी को जो उसने आपको दिया, उसको वापस करने लगे, हज़रत अनस (ﷺ) कहते हैं, मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि मैं नबी अकरम(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर आपसे दरख़्वास्त करूं कि मेरे घर वालों ने आपको जो दरख़्त दिये थे, वह सब या उनमें से कुछ वापस कर दें और नबी अकरम (ﷺ) वह उम्मे ऐमन(ﷺ) को दे चुके थे, मैं आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आपने वह दरख़्त मुझे दे दिये तो हज़रत उम्मे ऐमन (ﷺ) ने आकर मेरे गले में कपड़ा डाल लिया और कहा, अल्लाह की क़सम! आप वह दरख़्त तुम्हें नहीं दे सकते, जबकि वह मुझे

فِي عُنُقِي وَقَالَتْ وَاللَّهِ لاَ نُعْطِيكَاهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ . فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أُمَّ أَيْمَنَ اتْرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا " . وَتَقُولُ كَلاَّ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ . فَجَعَلَ يَقُولُ كَذَا حَتَّى أَعْطَاهَا عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةِ أَمْثَالِهِ .

दे चुके हैं तो नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ उम्मे ऐमन! उसे छोड़ दे, मैं तुम्हें इतने इतने दरख़्त देता हूँ।' और वह कहती रही हरगिज़ नहीं, उस ज़ात की क़सम! जिसके सिवा कोई बंदगी के लायक़ नहीं, आप फ़रमाते, इतने ले लो यहाँ तक कि आपने उसे उससे दस गुना या उससे दस गुना के क़रीब दरख़्त दिये।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3138, 4030, 4120.

फ़ायदा : मुहाजिरीन, जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे, तो उनके मकानात और जायदादें मक्का मुकर्रमा में रह गईं थीं, इसलिए अन्सार ने उन्हें मकानात फ़राहम किये और उन्हें अपनी ज़मीनों में शरीक करने की पेशकश की, जिसको मुहाजिरीन ने मुज़ारअत बटाई या मुसाक़ात (बाग़बानी) की सूरत में क़बूल किया, लेकिन कुछ लोगों को खजूरों के दरख़्तों का फल उनकी ज़रूरत के तहत मनीहा की सूरत में दिया गया और जब बनू कुरैज़ा के इलाक़े फ़तह हो गये तो आप (ﷺ) ने उनकी जायदादें और बाग़ात मुहाजिरीन में तक़सीम कर दिये, हज़रत उम्मे ऐमन ने ये ख़्याल किया कि मुझे तो दरख़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इनायत फ़रमाये हैं, इसलिए ये मेरे हैं, हालांकि उनको फलों से फ़ायदा उठाने के लिए दिये गये थे, चूंकि उम्मे ऐमन (رضي الله عنها) ने बचपन में आपकी परवरिश व परदाख़्त की थी, इसलिए आपने उसका लिहाज़ रखते हुए उनका नाज़ बरदाश्त किया और उनको राज़ी करके, दरख़्त वापस दिलवाये।

(25) باب أَخْذِ الطَّعَامِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ

बाब : 25 दारूल हरब में, ग़नीमत के तआम में से खाना खाना जायज़ है

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ، بْنُ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ - قَالَ - فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ لاَ أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا - قَالَ - فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَبَسِّمًا .

(4605) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि ख़ैबर के दिन मुझे एक चमड़े की थैली मिली जिसमें चर्बी थी तो मैंने उसको अपने पास रख लिया और जी में कहा, आज मैं इसमें किसी को कुछ नहीं दूंगा, मैंने मुड़ कर देखा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) मुस्कुरा रहे थे।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3153, 3214, 5508, सुनन अबू दाऊद: 2702, नसाई: 447.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ، بْنُ هِلاَلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ، يَقُولُ رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَفَوَثَبْتُ لآخُذَهُ قَالَ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ .

(4606) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल(ﷺ) बयान करते हैं कि ख़ैबर के दिन हमारी तरफ़ एक चमड़े की थैली फेंकी गई, जिसमें ख़ूराक और चर्बी थी, मैं उसको उठाने के लिए झपटा मैंने मुड़ कर देखा तो रसूलुल्लाह(ﷺ) मौजूद थे तो मैं आपसे शर्मा गया।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّعَامَ .

इमाम साहब एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, जिसमें चर्बी वाली थैली का ज़िक्र है और तआम का ज़िक्र नहीं है।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4580 में देखें।

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि दारूल हरब में, मैदाने जंग से उठाई हूई ख़ूराक का खाना जायज़ है, लेकिन उसको दारूल इस्लाम में साथ लाना जायज़ नहीं है, जुम्हूर के नज़दीक खाने की चीज़ के इस्तेमाल के लिए इमाम से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इमाम ज़ोहरी के नज़दीक इजाज़त लेना ज़रूरी है, इस तरह दारूल हरब में सवारियों का और लिबास का इस्तेमाल जायज़ है, जंगी अस्लहा भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उनको मिल्कियत में नहीं लिया जा सकता और ओज़ाई के सिवा किसी के नज़दीक उसके लिए इमाम से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है।

(26)

باب كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلاَمِ

बाब : 26
नबी अकरम (ﷺ) का हिरक़्ल को इस्लाम की दावत देने के लिए नामा या मक़्तूब

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ، حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ

(4607) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मुझे अबू सुफ़ियान ने रू ब रू बताया कि मैं इस मुआहिदा के दौरान जो मेरे और रसूलुल्लाह(ﷺ) का मक्तूब लाया गया और लाने वाले दिहया कल्बी (ﷺ) थे, उसने

وَابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ، أَخْبَرَهُ مِنْ، فِيهِ إِلَى فِيهِ قَالَ انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّأْمِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلَ يَعْنِي عَظِيمَ الرُّومِ - قَالَ - وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالُوا نَعَمْ - قَالَ - فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا . فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ

उसे बुस्रा के हाकिम के हवाले किया और बुस्रा के हाकिम ने वह हिरक़्ल को दे दिया तो हिरक़्ल ने पूछा, क्या इधर इस आदमी की क़ौम का कोई फ़र्द मौजूद है, जो नबी होने का दावा करता है? लोगों ने कहा, जी हाँ तो मुझे क़ुरैश के कुछ अफ़राद के साथ बुलाया गया तो हम हिरक़्ल के पास पहुँचे, उसने हमें अपने सामने बिठाया और पूछा, तुममें से ज़्यादा क़रीबी उस इंसान का रिश्तेदार कौन है जो नबी होने का दावा करता है? अबू सुफ़ियान ने बताया, मैंने कहा, मैं हूँ तो दरबारियों ने मुझे उसके सामने बिठा दिया और मेरे साथियों को मेरे पीछे बिठाया, फिर उसने अपनी तर्जुमानी करने वाले को बुलाया और उसे कहा, इन क़ुरैशियों को कह दे, मैं इस (अबू सुफ़ियान) से उस इंसान के बारे में सवाल करने वाला हूँ, जो अपने आपको नबी समझता है तो अगर ये झूठ बोले तो उसे झुठला देना, अबू सुफ़ियान ने बताया, अल्लाह की क़सम! अगर मुझे ये ख़तरा न होता कि मेरा झूठ नक़ल किया जायेगा तो मैं झूठ बोलता, फिर उसने अपने मुतर्जिम से कहा, इससे पूछो, तुममें उसका ख़ानदान कैसा है? मैंने कहा, वह हममें अच्छे हसब वाला है, उसने पूछा, क्या उसके आबा व अज्दाद (पुर्वजों) में कोई बादशाह गुज़रा है? मैंने कहा, नहीं, उसने पूछा, क्या उसके इस दावे से पहले तुम उस पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम आइद करते थे? मैंने कहा, जी नहीं, उसने पूछा, उसके पैरोकार कौन हैं? बड़े लोग

كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ . قَالَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَايْمُ اللَّهِ لَوْلاَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْثَرَ عَلَيَّ الْكَذِبُ لَكَذَبْتُ . ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ لاَ . قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لاَ . قَالَ وَمَنْ يَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ . قَالَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلْتُ لاَ بَلْ يَزِيدُونَ . قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ قَالَ قُلْتُ لاَ . قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالاً يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ . قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لاَ . وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا . قَالَ فَوَاللَّهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ . قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قَالَ قُلْتُ لاَ . قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ

या मातहत लोग? (यानी आला तबक़ा या अदना तबक़ा) मैंने कहा, बल्कि फ़रोतर तबक़ा (कमज़ोर लोग) उसने पूछा, क्या वह लोग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? मैंने कहा, जी नहीं, घट नहीं रहे बल्कि बढ़ रहे हैं, उसने पूछा, क्या उनमें से कोई दीन से नाराज़ होकर पीछे भी हटता है जबकि वह पहले दीन को क़बूल कर चुका हो? मैंने कहा, नहीं उसने पूछा तो क्या तुमने उससे जंग लड़ी है? मैंने कहा, जी हाँ (लड़ी है) उसने पूछा तो उससे जंग का क्या नतीजा रहा? मैंने कहा, हमारे और उसके दरम्यान लड़ाई डोलों की तरह है, वह हमें नुक़सान पहुँचाता है, हम उसको नुक़सान पहुँचाते हैं, उसने पूछा, क्या वह अहद शिकनी करता है? मैंने कहा, जी नहीं और हमारा उसके साथ सुलह का मुआहिदा हुआ है, हम नहीं जानते, वह उसका क्या हश्र करता है, अबू सुफ़ियान ने कहा, अल्लाह की क़सम! मैं इसके सिवा कोई ऐब लगाने वाला बोल न बोल सका, उसने पूछा, क्या उससे पहले किसी ने ये दावा किया है? मैंने कहा, जी नहीं, उसने अपने मुतर्जिम से कहा, इससे कह दो, मैंने तुझसे उसके ख़ानदान के बारे में सवाल किया तूने इस ख़्याल का इज़हार किया है कि वह अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और रसूलों के बारे में अल्लाह की सुन्नत यही है कि वह अपनी क़ौम के बेहतरीन नसब के मालिक होते हैं और मैंने तुझसे सवाल किया कि क्या उसके आबा व अज्दाद में कोई बादशाह गुज़रा

وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا . وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ . فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ . وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ فَقُلْتَ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ . وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ . فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ . وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَهُ سَخْطَةً لَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ . وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ . وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ . وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَدْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالاً يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ . وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لاَ يَغْدِرُ . وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ . وَسَأَلْتُكَ هَلْ

है? तूने कहा, जी नहीं, मैंने सोच लिया, अगर उसके आबा व अज्दाद में कोई बादशाह होता तो मैं ख़्याल कर लेता, एक आदमी है, जो अपने आबा व अज्दाद की बादशाही का तालिब है और मैंने तुझ से उसके पैरोकारों के बारे में पूछा, क्या वह ज़ेरे दस्त कमज़ोर लोग हैं या साहबे हैसियत, सरदार हैं? तूने कहा, (जी नहीं) वह तो कमतर हैसियत के लोग हैं (मैंने सोच लिया) रसूलों के पैरोकार ऐसे ही होते हैं और मैंने तुमसे सवाल किया, उसने जो दावा किया है, उससे पहले तुम उस पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम आइद करते थे? तो तूने कहा कि नहीं तो मैंने ख़ूब जान लिया, ये मुमकिन नहीं है कि जो लोगों की तरफ़ झूठी बात मन्सूब न करे, फिर अल्लाह की तरफ़ झूठी बात मन्सूब करने लगे और मैंने तुमसे सवाल किया क्या उनमें से कोई उसके दीन में दाख़िल होने के बाद दीन को नापसन्द करते हुए वापस लौट आता है तो तूने कहा, जी नहीं, ईमान की सूरत यही है, जब वह दिलों में रच बस जाता है या उनमें उतर जाता है और मैंने तुझसे पूछा, क्या वह बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? तो तूने कहा, वह बढ़ रहे हैं, ईमान की हालत यही है यहाँ तक कि वह पाया तकमील को पहुंच जाता है और मैंने तुमसे सवाल किया, क्या तुमने उससे जंग लड़ी है? तो तूने कहा, तुमने उनसे जंग लड़ी है और लड़ाई तुम्हारे दरम्यान डोलों की तरह तक़सीम होती है, वह तुम्हें नुक़सान पहुँचाता है और तुम उसे नुक़सान पहुँचाते हो, रसूलों की यही सूरत

قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ . فَقُلْتُ لَوْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ . قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَ يَأْمُرُ كُمْ قُلْتُ يَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ قَالَ إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ . قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ وَ { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}

है, उन्हें आज़माया जाता है, फिर अन्जाम उनके हक़ में होता है और मैंने तुमसे सवाल किया, क्या वह अ़हद शिकनी करता है तो तूने कहा, वह अ़हद शिकनी नहीं करता, रसूलों की सूरत ये है, वह अ़हद शिकनी नहीं करते और मैंने तुमसे सवाल किया, क्या, उससे पहले किसी ने ये दावा किया है? तो तूने कहा, नहीं तो मैंने कहा (दिल में) अगर ये दावा उससे पहले किसी ने किया होता तो मैं सोच लेता, एक आदमी है ऐसी बात की इक़्तेदा कर रहा है जो उससे पहले कही जा चुकी है, फिर उसने पूछा, वह तुम्हें किन बातों का हुक्म देता है? मैंने कहा, वह हमें नमाज़, ज़कात, सिलह रहमी और पाक दामनी की तल्क़ीन करता है, उसने कहा, अगर जो कुछ तू उसके बारे में कहता है, सच है तो वह यक़ीनन नबी है और मैं ख़ूब जानता हूं वह ज़ाहिर होने वाला है, लेकिन मैं उसे तुम (अरबों) में से गुमान नहीं करता था और अगर मैं जान लूँ कि मैं उस तक पहुँच जाऊंगा तो मैं उसकी मुलाक़ात को पसन्द करता और अगर मैं उनकी ख़िदमत में हाज़िर होता तो मैं उनके क़दम धोता और उसका इक़्तेदार यक़ीनन यहाँ तक पहुँच कर रहेगा, फिर उसने रसूलुल्लाह(ﷺ) का नामा मंगवाया और उसे पढ़ा उसमें ये लिखा था, 'अल्लाह के नाम से जो इन्तेहाई मेहरबान और बार बार रहम फ़रमाने वाला है, अल्लाह के रसूल मुहम्मद की तरफ़ से, रूमियों के बड़े हिरक़्ल के नाम, सलामती उसके लिए है जिसने हिदायत को

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغْطُ وَأَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا . قَالَ فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ - قَالَ - فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَىَّ الإِسْلاَمَ .

इख़्तियार किया, उसके बाद मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं, मुसलमान हो जाओ, बच जाओगे और मुसलमान हो जाओ, अल्लाह तआला तुम्हें दुगना अज्र देगा और गर तुमने ऐराज़ किया तो किसानों का गुनाह भी तेरे ज़िम्मे है और ऐ अहले किताब ऐसे बोल की तरफ़ लौट आओ, जो हमारे और तुम्हारे दरम्यान मुश्तरका है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहरायें और हम अल्लाह को छोड़ कर एक दूसरे को रब न बनायेंगे, अगर हम ऐराज़ करें तो तुम कह दो, गवाह हो जाओ, हम तो मुसलमान हैं।' आले इमरान, आयत नम्बर 64. जब वह मक्तूब पढ़ने से फ़ारिग़ हुआ तो उसके सामने आवाज़ें बलन्द हूईं और शोर बढ़ गया और उसने हमारे बारे में हुक्म दिया और हमें निकाल दिया गया, अबू सुफ़ियान ने बताया, जब हम निकले, तो मैंने अपने साथियों से कहा, अबू कब्शा के बेटे का मामला बहुत बढ़ गया है, सूरते हाल ये है, उससे तो रूमी बादशाह भी ख़ौफ़ खाता है, उसके बाद मुझे हमेशा रसूलुल्लाह (ﷺ) के बारे में यक़ीन रहा कि आपका दीन ग़ालिब आकर रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने मेरे दिल में इस्लाम डाल दिया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2681, 2804, 2941, 2978, 3174, 4553, 5980, 6260, सुनन अबू दाऊद: 5136, जामेअ तिर्मिज़ी: 2718.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) फ़िल्मुद्दतिल्लती कानत बैनी व बैना रसूलिल्लाह (ﷺ): इससे मुराद वह अर्सा है, जिसमें कुरैशे मक्का ने हुदैबिया के मुक़ाम पर 6 हिजरी में दस साल तक लड़ाई न करने की

सुलह की थी। (2) **हिरक़्ल:** मशहूर क़ौल के मुताबिक़, हा पर ज़ेर है और रा पर ज़बर, क़ाफ़ साकिन है, अगरचे एक क़ौल के मुताबिक़ रा साकिन है और क़ाफ़ पर ज़ेर है, यानी हिरक़्ल और ये रूम के बादशाह का नाम है। (3) **तर्जुमान:** इमाम नववी के नज़दीक ता पर ज़बर और जीम पर पेश पढ़ना बेहतर है, अगरचे दोनों पर ज़ेर और दोनों पर पेश पढ़ना भी दुरूस्त है, तर्जुमा करने वाला, मुतर्जिम, एक ज़बान को दूसरी ज़बान में मुन्तक़िल करने वाला।' (4) **लौला मख़ाफ़ता अला अय्यूसिरा अलल कज़िब:** अगर अन्देशा न होता कि मेरी तरफ़ से झूठ नक़ल किया जायेगा, जिससे मालूम होता है, उसे ये अन्देशा नहीं था कि वह उसे वहाँ झूठ क़रार दें, लेकिन वह ये समझता था कि मैं जो यहाँ झूठी बात कहूँगा मक्का जाकर वह उसे नक़ल करेंगे तो लोग मुझे झूठा क़रार देंगे, इस तरह वह झूठ बोलता अपने मुक़ाम व मर्तबा के मुनासिब नहीं समझता था, जबकि अब सूरते हाल ये है कि मुसलमान लीडरों का ओढ़ना बिछोना ही झूठ है और उसके बग़ैर उनका काम ही नहीं चल सकता। (5) **अशराफ़:** शरीफ़ की जमा है, मुराद उमूमी और ग़ालिब सूरत है, कि आम तौर पर रईस और चौधरी लोग शुरू शुरू में अम्बिया की मुख़ालिफ़त करते हैं, अगरचे कुछ उनका साथ भी देते हैं। (6) **सख़ततन लहु:** दीन के किसी ऐब या नुक़्स से नाराज़ होकर मुर्तद होना, क्योंकि किसी और सबब से अलग होना नामुमकिन है। (7) **तकूनुल हरबु बैनना व बैनहू सिजालन:** कि हमारे और उसके दरम्यान लड़ाई का उस्लूब डोल खींचने का है, कभी वह ग़ालिब आता है, कभी हम, क्योंकि उस वक़्त तक तीन अज़ीम जंगें हो चुकी थीं, बद्र, उहुद और ख़न्दक़, बद्र में मुसलमान ग़ालिब, उहुद में बज़ाहिर वह ग़ालिब, अगरचे अन्जाम के ऐतबार से मुसलमान फ़ातेह थे और ख़न्दक़ में काफ़िर हमलावर हुए थे, लेकिन नाकाम लौटे थे। (8) **मा अकननी मिन कलिमा:** कि मुझे कहीं ऐसा मौक़ा नहीं मिला, जिसमें आप (ﷺ) की तरफ़ कोई ऐब और कमज़ोरी मन्सूब कर सकूं, लेकिन यहाँ चूंकि मुआहिदा का ताल्लुक़ आइन्दा ज़माना से था, इसलिए मैंने ये जानते हुए भी कि वह अहद शिकनी नहीं करेगा, अपनी ला'इल्मी का इज़हार किया और उनके मकाने रफ़ीअ को गिराने की कोशिश की, लेकिन हिरक़्ल ने उसकी इस बात की कोई अहमियत नहीं दी, इसलिए अपने तब्सरा में कहा, तेरा ख़्याल और क़ौल ये है कि वह अहद शिकनी नहीं करता। (9) **इज़ा ख़ालतता बशाशतल कुलूब:** जब वह दिल के इन्शिराह और गहराई में उतर जाता है, उसमें घर बना लेता है तो वह निकलता नहीं है और कोई इंसान ईमान से फिर कर इरतेदाद इख़्तियार नहीं करता। (10) **अय्यकुन मातक़ूल हक़्क़ा:** अगर तुम्हारी ये बातें सच्ची हैं तो फिर ये ज़मीन जहाँ मैं खड़ा हू, वह भी उनके इक़्तेदार और हुकूमत में आ जायेगी।

हिरक़्ल ने इन्तेहाई बसीरत और होशियारी से अबू सुफ़ियान से आप (ﷺ) के बारे में इन्तेहाई जचे तुले और बुनियादी सवालात किये और उसके जवाबात की रोशनी में, सही सही नताइज अख़ज़ किये और उसे यक़ीन हो गया कि आप वाक़ेई नबी हैं और चूंकि वह तौरात व इन्जील का माहिर था और इल्मे नुजूम

से आगाह था, इसलिए उसको पता चल चुका था कि आख़री नबी पैदा होने वाला है और आपकी अ़लामात (निशानियों) से उसको आपके नबी होने का यक़ीन हो गया, इसलिए उसने आपसे इन्तेहाई अ़क़ीदत और मोहब्बत का इज़हार किया, लेकिन इक़्तेदार की हवस और ख़्वाहिश ने उसे अंधा कर दिया और आपके इस जुम्ले अस्लिम तस्लिम से वह ये सही नतीजा न निकाल सका कि मुसलमान होने के बाद मेरी हुकूमत बरक़रार रहेगी, इसलिए मुसलमान न हुआ बल्कि जंगे मूता 8 हिजरी में मुसलमानों के ख़िलाफ़ मैदाने मुक़ाबला में आया और आपने यहाँ से उसे दोबारा ख़त लिखा, लेकिन उसने फिर भी अपने इस्लाम का इज़हार किया, आपके जवाब में, अपने मुसलमान होने का इज़हार किया, लेकिन मुसलमानों के मुक़ाबले से पीछे न हटा और अपनी क़ौम के सामने इस्लाम का इज़हार न किया, इसलिए आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसने झूठ लिखा है, वह ईसाइयत पर क़ाइम है।'

फ़ायदा : आपने हिरक़्ल के नाम ख़त लिखा है, इससे पता चलता है कि अगर काफ़िर को भी ख़त लिखा जाये तो उसका आग़ाज बिस्मिल्लाह से किया जायेगा, फिर लिखने वाला अपना नाम शुरू में लिख देगा कि ताकि मक्तूब इलैह को पता चल जाये लिखने वाला कौन है और उसके मुताबिक़ ख़त को अहमियत दे, नीज़ मक्तूब इलैह के लिये, उसके मुक़ाम व मर्तबा के मुताबिक़ मुनासिब ताज़ीमी अल्क़ाब लिखे जायेंगे, ताकि वह शुरू ही से नफ़रत व ग़ज़ब का शिकार न हो जाये, इसलिए आपने हिरक़्ल के लिये अ़ज़ीमुर्रूम के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये और इस ख़त से ये भी मालूम हुआ कि काफ़िर को सलाम कहने में पहल नहीं की जायेगी, अक्सर उ़लमा का यही क़ौल है और सही अहादीस से इसका ताईद होती है, बल्कि कुछ उ़लमा का ख़्याल तो ये है कि बिदअ़ती और फ़ासिक़ व फ़ाजिर को भी सलाम नहीं कहा जायेगा और आपने अस्लिम तस्लिम के अल्फ़ाज़ के ज़रिये इन्तेहाई बलीग़ और मुअस्सिर अन्दाज़ में इन्तेहाई जामेइयत और इख़्तेसार के साथ हर क़िस्म की दुनियावी और उख़रवी सलामती की ज़मानत दे दी थी और पूरी क़ौम के अज्र व सवाब के समेटने का शौक़ और तर्ग़ीब दिलाई थी, अगर तुम मुसलमान हो गये तो तुम्हारी रिआ़या भी तुम्हारे सबब मुसलमान हो जायेगी और तुम्हें इसका अज्र व सवाब मिलेगा, अगर तुम मुसलमान न हुए तो तुम्हारे डर और ख़ौफ़ की वजह से तुम्हारी कमज़ोर रिआ़या जिनकी अक्सरियत काश्तकारों और किसानों पर मुश्तमिल है, वह मुसलमान नहीं होगी और उनका वबाल भी तुम पर पड़ेगा और आप(ﷺ) ने ख़त में उसकी तरफ़ एक आयत लिखी जिसके बारे में दो नज़रियात हैं। (1) आपने ये इबारत अपने कलाम के तौर पर लिखी, क्योंकि ये ख़त आपने 7 हिजरी में लिखा जबकि ये आयत वफ़्दे नजरान की आमद पर 9 हिजरी में उतरी, गोया आपके अल्फ़ाज़ आने वाली आयत के मुवाफ़िक़ निकले, (2) ये आयत वफ़्दे नजरान की आमद से पहले उतर चुकी थी और आप (ﷺ) ने वफ़्द की आमद पर उनको पढ़ कर सुनाई, इस सूरत में इससे ये साबित होता है कि काफ़िर को भी दावत व तब्लीग़ के लिए ख़त में आयाते क़ुर्आन लिखी जा सकती हैं।

इब्ने अबी कब्शा से मुराद रसूलुल्लाह (ﷺ) हैं और आपको इस नाम से ताबीर करने की मुख़्तलिफ़ वजह बयान की जाती हैं: (1) अबू कब्शा आपके नाना या दादा का नाम था और अ़रबों का ये दस्तूर था कि जब वह किसी की तहक़ीर करना चाहते तो उसे उसके किसी ग़ैर मारूफ़ दादे या नाने की तरफ़ मन्सूब करते। (2) आपके रज़ाई बाप हारिस़ा की बेटी कब्शा नामी एक बुत परस्त शख़्स़ था, जिसने अपनी क़ौम के दीन बुत परस्ती को छोड़ कर शुअ्रा सितारा की परस्तिश शुरू कर दी थी तो गोया आप(ﷺ) ने उसकी तरह अपनी क़ौम का दीन छोड़ दिया, बहरहाल अबू सुफ़ियान जो उस वक़्त काफ़िर था, उसने आपकी निस्बत आपके मारूफ़ और मशहूर दादे अ़ब्दुल मुत्तलिब की बजाये किसी ऐसी शख़्सियत की तरफ़ की जो गुमनाम और ग़ैर मारूफ़ था, आख़िरकार अल्लाह तआ़ला ने अपनी तौफ़ीक़ से अबू सुफ़ियान को नवाज़ा, उसके दिल में इस्लाम दाख़िल कर दिया और उसे मुसलमान हो जाने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई और वह फ़तहे मक्का के मौक़े पर मुसलमान हो गया।

وَحَدَّثَنَاهُ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا أَبْلاَهُ اللَّهُ ‏.‏ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ‏"‏ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ ‏"‏ إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ ‏"‏ بِدَاعِيَةِ الإِسْلاَمِ ‏"‏ ‏.‏

(4608) इमाम स़ाहब यही हदीस़ अपने दो और उस्तादों की सनदों से इब्ने शिहाब की इस वास्ते से बयान करते हैं और इसमें ये इज़ाफ़ा है कि क़ैस़र शाहे रूम से जब अल्लाह तआ़ला ने ईरानी अफ़वाज को शिकस्त दिलवा दी तो वह अल्लाह की इस नेमत व एहसान के शुक्राना के तौर पर हिम्स़ से चल कर ईलिया (बैतुल मक़्दिस) आया और इस हदीस़ में है, (मुहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल की तरफ़ से) और इसमें है, (अल यरीसिय्यीन) काश्तकारों का गुनाह और दआ़या की जगह दाइया अल इस्लाम, इस्लाम की तरफ़ बुलाने वाला कलिमा।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4583 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मलिकु नबी अलअस़फ़र: रूमियों के जदेअम्जद, रौम बिन अ़ैस़ ने, एक हब्शी शहज़ादी से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उसकी औलाद गन्दूमी रंग की थी या उसकी दादी हज़रत सारा अ़लैहि. ने उसे सोना पहनाया था, इसलिए उसकी औलाद को बनू अल अस़फ़र का नाम दिया गया। **(2) इस्मल यरीसिय्यीन अरीसिय्यीन और यिरीसिय्यीन:** का मानी एक ही है,

जिसका मानी काश्तकार, किसान है, जैसा कि कुछ रिवायात में अकारीन का लफ़्ज़ आया है और एक मुर्सल रिवायत में इस्मुल फ़लाहीन आया है, कुछ ने इसका मानी ख़ुदम व हश्म, नौकर चाकर किया है, कुछ के बक़ौल अब्दुल्लाह बिन अरीस के पैरोकार मुराद हैं और बक़ौल कुछ, रईस और शहज़ादे हैं, जो लोगों को ग़लत राहों पर चलाते हैं, लेकिन सही मानी पहला ही है। **(3) दिआया और दाइया:** दोनों का मानी वहदत है या दाइया से मुराद कलिमा दाइया है, यानी कलिमाँ तौहीद। **(4) शुक्रन लिमा अब्लाहुल्लाहु:** अल्लाह ने इस पर जो नेमत व एहसान फ़रमाया, उसे अपने दुशमन ईरानीयों पर ग़ल्बा दिया, जिन्होंने इसकी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर डाला था और उसे अपने दारूस सल्तनत क़ुस्तुनतुनिया में महसूर कर डाला था।

बाब : 27
रसूलुल्लाह ने काफ़िर बादशाहों को इस्लाम की दावत के सिलसिले में ख़ुतूत लिखे

(27)
باب كُتُبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(4609) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने किसरा, क़ैसर, नजाशी और हर साहबे इक़्तेदार की तरफ़ ख़त लिख कर उसे अल्लाह तआला की तरफ़ बुलाया और ये वह नजाशी नहीं है, जिसकी नबी अकरम (ﷺ) ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई थी।
तख़रीज : जामेअ तिर्मिज़ी: 2716.

حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ .

(4610) इमाम साहब ऊपर दी गई रिवायत एक और उस्ताद से ऊपर वाली हदीस की तरह बयान करते हैं और उसमें आख़री फ़िक़रा, ये वह नजाशी नहीं है जिसकी आपने नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। का तज़्किरा नहीं है
तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4585 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ .

(4611) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं और इसमें भी आख़री जुम्ला कि ये वह नजाशी नहीं है, जिसकी आप (ﷺ) ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई, का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنِيهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .

फ़ायदा : उस दौर में मुख़्तलिफ़ मुल्कों के बादशाहों के अल्क़ाब मुख़्तलिफ़ होते थे, ईरानियों के बादशाह को किसरा, रूम के बादशाह को क़ैसर, हब्शा के बादशाह को नजाशी, तुर्कों के बादशाह को ख़ाक़ान, क़िब्तीयों के बादशाह को फ़िरऔन, हिम्यरों के बादशाह को तुब्बअ, हिन्दूस्तान के बादशाह को राजा, अंग्रेज़ों के बादशाह को जॉर्ज या एर्डोड कहते थे और आप (ﷺ) ने अपने क़ुर्बो जवार के बादशाहों और हुक्मरानों को ख़ुतूत (लेटर्स) लिखे थे।

बाब : 28
ग़ज़्व-ए-हुनैन

(28)
باب فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ

(4612) हज़रत अब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैं ग़ज़्व–ए–हुनैन में रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने हाज़िर था, मैं और अबू सुफ़ियान (رضي الله عنه) बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब आपके साथ साथ रहे, आपसे जुदा न हुए और रसूलुल्लाह(ﷺ) सफ़ेद ख़च्चर पर सवार थे, जो आपको फ़रवा बिन नुफ़ासा जुज़ामी ने तोहफ़ा के तौर पर पेश की थी, तो जब मुसलमानों और काफ़िरों की मुडभेड़ हुई, मुसलमान पीठ फेर कर लौट आये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी ख़च्चर को काफ़िरों की तरफ़ ऐड़ लगाने लगे, हज़रत अब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं, मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़च्चर की लगाम पकड़े हूए उसे रोकने की

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ قَالَ عَبَّاسٌ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نُفَارِقْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُّ فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكُضُ

بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ عَبَّاسٌ وَ أَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لاَ تُسْرِعَ وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَىْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ " . فَقَالَ عَبَّاسٌ وَكَانَ رَجُلاً صَيِّتًا فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ قَالَ فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلاَدِهَا . فَقَالُوا يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ - قَالَ - فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ وَالدَّعْوَةُ فِي الأَنْصَارِ يَقُولُونَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ قَالَ ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَقَالُوا يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ . فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ " . قَالَ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ " انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ " . قَالَ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى - قَالَ - فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلاً وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا .

कोशिश कर रहा था, ताकि वह तेज़ न भागे और अबू सुफ़ियान रसूलुल्लाह (ﷺ) की रिकाब पकड़े हुए था, इस पर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अब्बास! असहाबे समुरा को आवाज़ दो, अब्बास (रज़ि.) जो बहुत बलन्द आवाज़ थे, बयान करते हैं, मैंने बुलन्द आवाज़ से कहा, बैअते रिज़वान करने वाले कहाँ हैं? तो अल्लाह की क़सम! मेरी आवाज़ सुनकर, वह इस तरह मुड़े जिस तरह गाय अपने बच्चों की तरफ़ मुड़ती है या पलटती है, उन्होंने कहा, हाँ हाज़िर हैं, हाँ हाज़िर हैं! और वह दुशमन (काफ़िरों) से टकरा गये और अन्सार को ये कहते हुए बुलाने लगे, ऐ अन्सार की जमाअत! ऐ अन्सार की जमाअत! फिर सिर्फ़ बनू हारिस बिन ख़ज़रज को आवाज़ देने लगे, ऐ हारिस बिन ख़ज़रज की औलाद, ऐ हारिस बिन ख़ज़रज के बेटो! तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी ख़च्चर पर गर्दन उठाते हुए, उनकी लड़ाई पर नज़र डाली और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस वक़्त लड़ाई का तन्नूर गर्म है।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चंद कंकर उठा कर काफ़िरों के चेहरों पर मारे और फिर फ़रमाया: 'हज़ीमत से दो चार, मुहम्मद के रब की क़सम!' अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, मैं देखने लगा तो मेरे ख़याल में, लड़ाई का अन्दाज़ बरक़रार था और अल्लाह की क़सम, जूँ ही आप(ﷺ) ने कंकर उन पर फैंके तो उनकी तेज़ी मुसल्सल घटने लगी और उनका मामला उलटने लगा।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) वल्लल मुस्लिमून मुद्बिरीन: बनू हवाज़िन कमीन गाहों में छुपे हुए थे, उन्होंने अचानक इस ज़ोर से हमला किया कि उनके सामने आने वाले मुसलमान भाग खड़े हुए, रसूलुल्लाह (ﷺ) का दस्ता मुक़ाबले में रहा और पीछे वाला दस्ता, आप (ﷺ) तक न पहुँच सका और एक वक़्त ऐसा भी आया कि आप अकेले ही तेज़ी से ख़च्चर से उतर कर, दुशमन के सामने जा खड़े हुए। **(2) अस्हाबुश्शजरा:** वह लोग जिन्होंने केकर के दरख़्त के नीचे, हुदैबिया के मौक़े पर आप (ﷺ) से बैते रिज़वान की थी और हज़रत अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) की आवाज़ बहुत गरजदार और बलन्द थी। **(3) लकअन्ना अत्फ़तहुम हीना समिऊ स़ौती अत्फ़तुल बक़रे अ़ला औलादिहा:** जिस तरह गाय, अपने छोटे बच्चे की आवाज़ सुन कर फ़ौरी तौर पर उसकी तरफ़ पलटती है, इस तरह स़हाबा किराम (رضی اللہ عنہم) हज़रत अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) की आवाज़ सुनकर फ़ौरन पलटे यहाँ तक कि वह ऊँटों से छलाँगें लगाकर आवाज़ की तरफ़ दौड़ पड़े। **(4) हाज़ा हीना हमियल्वतीसु:** वतीस तन्नूर को कहते हैं और ये मुहावरा उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब लड़ाई इन्तेहाई शदीद हो जाये। **(5) अरा हद्दहुम कलीलन:** उनकी क़ुव्वत व ताक़त कमज़ोर पड़ रही है।

फ़ायदा : जब अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों को फ़तह से नवाज़ा तो अरब क़बीले हैरान रह गये और उनमें से अक्स़र क़बाइल ने हथियार डाल दी, लेकिन चंद क़बाइल ने इसको अपनी इज़्ज़ते नफ़्स और ख़ुदी के ख़िलाफ़ समझा और मुसलमानों पर हमला करने के लिए तैयार हो गये, इनमें सरे फ़ेहरिस्त हवाज़िन और स़क़ीफ़ थे, उनके साथ नस्र, जुसम, सअ़द बिन बक्र के क़बाइल और बनू हिलाल के कुछ लोग शरीक हो गये इन सब क़बाइल का ताल्लुक़ क़ैस ऐलान से था, रसूलुल्लाह(ﷺ) को दुशमन की रवानगी की ख़बर मिली तो आप (ﷺ) ने अ़ब्दुल्लाह बिन उबय हद्रद असलमी (رضی اللہ عنہ) को ये हुक्म देकर रवाना किया कि लोगों के दरम्यान घुस कर उनमें ठहरें और उनके हालात का ठीक ठीक पता लगा कर आयें और आप (ﷺ) को इत्तिला दें, जिन्होंने तमाम हालात मालूम करके आकर आपको सूरते हाल से आगाह किया तो आपने शव्वाल 8 हिजरी को मक्का से हुनैन का रूख़ किया, बारह हज़ार फ़ौज आपके हम रिकाब थी, दस हज़ार (10000) आपके वह साथी जो फ़तहे मक्का के लिए आपके साथ आये थे और दो हज़ार मक्का के बाशिन्दे, जिनमें अक्स़रियत नौ मुस्लिमों की थी, इस्लामी लश्कर 10 शव्वाल को हुनैन पहुँचा और वह दुशमन के वजूद से क़तई बे'ख़बर थे, उसके अचानक हमले से अगले दस्ते के मुसलमान संभल न सके, इसलिए भाग खड़े हुए, इस शदीद भगदड़ के बावजूद आपका रूख़ कुफ़्फ़ार की तरफ़ था और पेश क़दमी के लिए अपने ख़च्चर को ऐड़ लगा रहे थे, फिर हज़रत अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) की आवाज़ पर स़हाबा किराम(رضی اللہ عنہم) इन्तेहाई सुरअ़त से वापस पलटे, तफ़्सीलात के लिए अर्रहीकुल मख़्तूम में ग़ज़्व-ए-हुनैन पढ़ें।

(4613) यही रिवायत इमाम अपने तीन और उस्तादों से, ज़ोहरी की ऊपर दी गई सनद से बयान करते हैं, इसमें थोड़ा सा लफ़्ज़ी फ़र्क़ है कि इसमें ख़च्चर का तोहफ़ा देने वाले का नाम फ़रवा बिन नुआमा जुज़ामी (ﷺ) है और तहज़मू वरब्बि मुहम्मद की जगह इन्हज़मू, वरब्बि अलकअबा है, और ये इज़ाफ़ा है, अल्लाह तआला ने शिकस्त दे दी और गोया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को देख रहा हूँ कि आप उनके पीछे अपने ख़च्चर को ऐड़ लगा रहे हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَرْوَةُ بْنُ نُعَامَةَ الْجُذَامِيُّ . وَقَالَ " انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " . وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّهُ قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَغْلَتِهِ .

(4614) यही रिवायत इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि अब्बास (ﷺ) कहते हैं, मैं हुनैन के दिन नबी अकरम (ﷺ) के साथ था, आगे ऊपर दी गई हदीस है, लेकिन यूनुस और मअमर की ऊपर दी गई रिवायत, इससे ज़्यादा तवील और मुकम्मल है।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي كَثِيرُ، بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ يُونُسَ وَحَدِيثَ مَعْمَرٍ أَكْثَرُ مِنْهُ وَأَتَمُّ .

(4615) अबू इस्हाक़ (रह.) बयान करते हैं कि एक आदमी ने हज़रत बराअ (ﷺ) से पूछा ऐ अबू उमारा! क्या तुम हुनैन के दिन भाग खड़े हुए थे? उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पुश्त नहीं दिखाई, लेकिन आप (ﷺ) के नौजवान साथी और जल्दबाज़, निहत्ते, जिनके पास दिफ़ाई अस्लहा न था या ज़्यादा अस्लहा न था, आगे बढ़े और इन्तेहाई माहिर तीरअंदाज़ लोगों से, जिनका कोई तीर निशाना से

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاؤُهُمْ حُسَّرًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلاَحٌ أَوْ كَثِيرُ سِلاَحٍ فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لاَ يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ جَمْعَ

هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرٍ فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ وَقَالَ " أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ " . ثُمَّ صَفَّهُمْ .

चूकता नहीं था यानी हवाज़िन और बनू नस्र से भिड़ गये और उन्होंने यक बार (एक साथ) इस तरह उन पर तीर फैंके कि उनका कोई तीर निशाना से चूकता न था तो ये लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ बढ़े और रसूलुल्लाह(ﷺ) अपने सफ़ेद ख़च्चर पर थे और अबू सुफ़ियान बिन हारिस़ बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब(ﷺ) उसके आगे से पकड़े हुए थे, आप(ﷺ) उससे उतरे अल्लाह तआ़ला से नुस़रत (मदद) तलब की और फ़रमाया: 'मैं नबी हूँ, इसमें झूठ नहीं, मैं अ़ब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ।' फिर आप (ﷺ) ने उन आने वालों की स़फ़ बंदी की।

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 2930.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अख़िफ़्फ़ाउहुम: ख़फ़ीफ़ की जमा है, जल्द बाज़, जोशीला। **(2) हुस्सर:** हासिर की जमा है, नंगे सर मुराद है, जिनके पास दिफ़ाई अस्लहा न था। **(3) रशक़ू हुम रश्क़ा:** उन्होंने इन्तेहाई ज़ोर से तीर अन्दाज़ी की।

फ़ायदा : चूंकि जंगे हुनैन में सब लोग नहीं भागे थे, ख़ास़ तौर पर लश्कर का सिपहसालार, दुश्मन के मुक़ाबले में डटा हुआ, आगे बढ़ रहा था, इसलिए हज़रत बराअ (ﷺ) ने, कुछ सहाबा के भागने को कोई अहमियत नहीं दी क्योंकि वह भी आवाज़ सुन कर आप (ﷺ) की तरफ़ पलट आये थे और आप (ﷺ) ने अपनी निस्बत, वालिद के बजाये अ़ब्दुल मुत्तलिब की तरफ़ की, क्योंकि वह मारूफ़ व मशहूर शख़्सियत थी और लोगों में ये बात फैली हूई थी कि अ़ब्दुल मुत्तलिब की औलाद में एक नबी होगा, जो ग़ालिब आयेगा, और एक अ़ज़ीम मुक़ाम व मर्तबा का हामिल होगा, इस तरह आपने उनको याद दिलाया, मैं वही हूँ इसलिए ग़ालिब आकर रहूँगा, मैदान से भागने वाला नहीं हूँ।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ أَبِي، إِسْحَاقَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْبَرَاءِ فَقَالَ أَكُنْتُمْ

(4616) अबू इस्हाक़ (रह.) से रिवायत है कि एक आदमी हज़रत बराअ (ﷺ) के पास आकर कहने लगा, क्या तुम हुनैन के दिन भाग गये थे? ऐ अबू उमारा (ﷺ) तो उन्होंने

وَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَا أَبَا عُمَارَةَ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا وَلَّى وَلَكِنَّهُ انْطَلَقَ أَخِفَّاءُ مِنَ النَّاسِ وَحُسَّرٌ إِلَى هَذَا الْحَىِّ مِنْ هَوَازِنَ وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقٍ مِنْ نَبْلٍ كَأَنَّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ فَانْكَشَفُوا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِهِ بَغْلَتَهُ فَنَزَلَ وَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ وَهُوَ يَقُولُ " أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ اللَّهُمَّ نَزِّلْ نَصْرَكَ " . قَالَ الْبَرَاءُ كُنَّا وَاللَّهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ . يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

जवाब दिया, मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के बारे में गवाही देता हूँ आपने पीठ नहीं दिखाई, लेकिन कुछ जल्दबाज़ लोग, ग़ैर मुसल्लह इस हवाज़िन क़बीला की तरफ़ चले और वह तीरअंदाज़ लोग थे तो उन्होंने उन पर तीरों की बाढ़ इस तरह मारी गोया वह टिड्डी दल है तो ये लोग सामने से हट गये और ये लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ आ गये और अबू सुफ़ियान बिन हारिस़ (رضی اللہ عنہ) आपका ख़च्चर आगे से पकड़े हुए था, आप उतरे, दुआ की, मदद चाही और फ़रमाने लगे, 'मैं नबी हूँ, मैं अ़ब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, ऐ अल्लाह! अपनी मदद उतार।' हज़रत बराअ (رضی اللہ عنہ) कहते हैं, जब जंग इन्तेहाई शिद्दत इख़्तियार कर लेती तो हम आप(ﷺ) की औट लेते और हममें से बहादुर शख़्स़ वह था, जो नबी अकरम (ﷺ) के बराबर खड़ा होता।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) रिज्लुम् मिन जराद: टिड्डी दिल, टिड्डीयों की जमाअ़त व लश्कर। **(2) इन्कशफ़ू:** बिखर गये या शिकस्त खा गये। **(3) इह्मर्रल बासु:** लड़ाई सुर्ख़ हो गई, यानी ज़ोर पकड़ गई, शिद्दत इख़्तियार कर गई।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، وَسَأَلَهُ، رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ الْبَرَاءُ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(4617) अबू इस्हाक़ (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत बराअ (رضی اللہ عنہ) से एक क़ैस के आदमी ने सवाल किया, क्या तुम हुनैन के दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) को छोड़ कर भाग गये थे? तो हज़रत बराअ (رضی اللہ عنہ) ने कहा, लेकिन रसूलुल्लाह(ﷺ) तो नहीं भागे थे और हवाज़िन के लोग माहिर तीरअन्दाज़ थे और हमने जब उन पर हमला किया तो वह

عليه وسلم لَمْ يَفِرَّ وَكَانَتْ هَوَازِنُ يَوْمَئِذٍ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمُ انْكَشَفُوا فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا وَهُوَ يَقُولُ " أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ " .

शिकस्त खा गये और हम ग़नीमतों पर टूट पड़े, उन्होंने हमारा इस्तेक़बाल तीरों से किया और मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को अपने सफ़ेद ख़च्चर पर देखा और अबू सुफ़ियान बिन हारिस़ उसके लगाम को थामे हुए था और आप (ﷺ) फ़रमा रहे थे: 'मैं नबी हूँ, झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ।'

तख़रीज : हदीस़ बयान की जा चुकी है।

फ़ायदा : इस हदीस़ से बज़ाहिर ये महसूस होता है कि मुसलमानों में भगदड़ उस वक़्त मची जब वह ग़नीमत समेटने में मशग़ूल हो गये, हालांकि ये सूरते हाल नहीं है, भगदड़ पहले मची है, फिर सहाबा किराम रसूलुल्लाह (ﷺ) के गिर्द जमा हो गये और दुशमन पर हमला किया, जिससे दुशमन शिकस्त खाकर तितर बितर हो गया और मुसलमानों ने उसका तआक़ुब किया, जैसा कि तफ़्सीली रिवायात में आया है।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى، بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَهَؤُلاَءِ أَتَمُّ حَدِيثًا .

(4618) इमाम स़ाहब अपने तीन और उस्तादों से बयान करते हैं कि हज़रत बराअ (رضي الله عنه) से एक आदमी ने पूछा, ऐ अबू उमारा! आगे ऊपर दी गई हदीस़ है, ये रिवायत ऊपर के रावीयों से कम है और उनकी हदीस़ ज़्यादा ताम (मुकम्मल) है।

तख़रीज : स़हीह बुख़ारी: 2874, 4315, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1688.

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ تَقَدَّمْتُ فَأَعْلُو ثَنِيَّةً فَاسْتَقْبَلَنِي

(4619) हज़रत सलमा बिन अक्वा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) की मईयत में जंगे हुनैन लड़ी तो हम दुशमन के मुक़ाबले में आये, मैं आगे बढ़कर एक घाटी पर चढ़ गया, दुशमन का एक आदमी मेरे सामने आया तो मैंने उस पर तीर फेंका और वह मुझसे

رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ فَأَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَتَوَارَى عَنِّي فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثَنِيَّةٍ أُخْرَى فَالْتَقَوْا هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَلَّى صَحَابَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَرْجِعُ مُنْهَزِمًا وَعَلَىَّ بُرْدَتَانِ مُتَّزِرًا بِإِحْدَاهُمَا مُرْتَدِيًا بِالأُخْرَى فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِي فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُنْهَزِمًا وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ رَأَى ابْنُ الأَكْوَعِ فَزَعًا " . فَلَمَّا غَشُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ عَنِ الْبَغْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنَ الأَرْضِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهَهُمْ فَقَالَ " شَاهَتِ الْوُجُوهُ " . فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلاَّ مَلأَ عَيْنَيْهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .

छुप गया, मुझे पता नहीं चला, उसने क्या किया, मैंने दुशमनों पर नज़र दौड़ाई तो वह दूसरी घाटी से चढ़ चुके थे तो उनका नबी अकरम(ﷺ) के साथियों से टकराव हुआ और आप (ﷺ) के साथी पुश्त दिखा गये और मैं शिकस्त ख़ुर्दा लौटा, मेरे ऊपर दो चादरें थीं, एक तहबंद थी और दूसरी मैं ओढ़े हुए था, मेरी तहबंद (उज्लत में) खुल गई तो मैंने दोनों को इकट्ठे कर लिया और मैं शिकस्त ख़ुर्दा रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से गुज़रा और आप (ﷺ) अपने मटयाले सफ़ेद रंग ख़च्चर पर सवार थे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इब्ने अक्वा घबराहट से दो चार हुआ है।' जब दुशमन ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को घेर लिया तो आप (ﷺ) अपने ख़च्चर से उतर आये, फिर ज़मीन की मिट्टी से एक मुट्ठी भरी, फिर उसे दुशमन के चेहरों की तरफ़ फेंका और फ़रमाया: 'चेहरे बिगड़ गये (शिकस्त से रंग उड़ गये)' तो उनमें से कोई अल्लाह का पैदा करदा इंसान नहीं था, जिसकी दोनों आँखें मिट्टी से न भर गई हों, उस एक मुट्ठी से तो वह शिकस्त खाकर पीठ फेर गये और अल्लाह तआला ने उनको शिकस्त दी और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनकी ग़नीमतें मुसलमानों में तक़सीम कर दीं।

मुफ़रदातुल हदीस : (1) इस्तलक़ इज़ारी: भागते हुए तहबंद खुल गया, (जिसको मैंने ऊपर की चादर के साथ पकड़ लिया, क्योंकि बाँधने का मौक़ा न था। **(2) मुन्हज़िमन:** मरर्तु के फ़ाइल से हाल है कि मैं शिकस्त ख़ुर्दा गुज़रा, रसूलुल्लाह (ﷺ) मफ़ऊल से हाल नहीं है कि ये कहा जा सके आप (ﷺ) शिकस्त खा गये थे। **(3) शाहतिल वुजूहु:** आप (ﷺ) की दुआ के नतीजे में शिकस्त से उनके मुँह लटक गये, क्योंकि नाकाम होकर वह क़ैदी बन चुके थे।

बाब : 29
ग़ज़्व-ए-ताइफ़

(29)
باب غَزْوَةِ الطَّائِفِ

(4620) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ताइफ़ वालों का मुहासरा किया और उनको कोई नुक़सान न पहुँचा सके तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हम इन्शाअल्लाह कल वापस लौट जायेंगे।' आप(ﷺ) के साथियों ने कहा, हम इसे फ़तह किये बग़ैर लौट जायेंगे! तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कल जंग के लिए निकलो।' वह उसके लिए निकले और उन्हें ज़ख़्म लगे तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'हम कल वापस चलेंगे।' तो इस पर वह बहुत ख़ुश हुए और रसूलुल्लाह (ﷺ) हँस पड़े।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 4325, 6086, 7480.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الأَعْمَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ " إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ " . قَالَ أَصْحَابُهُ نَرْجِعُ وَلَمْ نَفْتَتِحْهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ " . فَغَدَوْا عَلَيْهِ فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا " . قَالَ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

नोट : मुस्लिम में ये रिवायत हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स (ﷺ) से है, जबकि सही बात ये है कि ये हदीस़ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) की है, जैसा कि बुख़ारी में मरवी है।

फ़ायदा : अहले ताइफ़ ने ग़ज़्व-ए-हुनैन के बाद भाग कर अपने क़िलो में पनाह ली, लिहाज़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुनैन से फ़ारिग़ होकर और जिअ़राना में माले ग़नीमत जमा फ़रमा कर माहे शव्वाल 8 हिजरी में ताइफ़ का रूख़ किया और वहाँ पहुँच कर क़िले का मुहासरा किया, उन लोगों ने साल भर का सामान ख़ुर्दो नोश जमा कर लिया था और मुसलमानों पर इस शिद्दत से तीरअंदाज़ी की कि मालूम होता था टिड्डी दल छाया हुआ है, मुसलमानों ने इस क़िले को फ़तह करने के लिए पहली दफ़ा मिन्जनीक़ से दबाबा को इस्तेमाल किया, लेकिन क़िला क़ाबू होता नज़र न आया तो आप(ﷺ) ने वापसी का ऐलान फ़रमा दिया, लेकिन ये ऐलान सहाबा किराम (ﷺ) पर गिरां गुज़रा कि ताइफ़ फ़तह किये बग़ैर क्यूँ वापसी हों? तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: अच्छा तो कल लड़ाई के लिए निकलो,

दूसरे दिन जब लड़ाई के लिए निकले तो ज़ख़्मों के सिवा कुछ हासिल न हुआ तो उसके बाद आपने फिर फ़रमाया, हम इन्शाअल्लाह कल वापस होंगे, इस पर लोगों में मुसर्रत व शादमानी की लहर दौड़ गई और उन्होंने बे चूं व चरा रख़्ते सफ़र बाँधना शुरू कर दिया, ये कैफ़ियत देख कर रसुलुल्लाह(ﷺ) हँस पड़े कि कल जो लोग कूच के लिए तैयार नहीं, आज ज़ख़्म खा कर किस तरह जल्दी वापसी के लिए तैयार हो गये हैं, तफ़्सील के लिए अर्रहीक़ुल मख़्तूम देखिये।

बाब : 30
ग़ज़्व-ए-बद्र

(30)
باب غَزْوَةِ بَدْرٍ

(4621) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) को अबू सुफ़ियान की आमद की ख़बर मिली तो आपने मशवरा फ़रमाया, हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने गुफ़्तगू की तो आप (ﷺ) ने उस पर तवज्जा न दी, फिर उमर(ﷺ) ने बात की, आपने उससे भी बेरूख़ी बरती, इस पर सअ़द बिन उ़बादा (ﷺ) खड़े हुए और कहने लगे, आप हमारी राय जानना चाहते हैं? ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर आप हमें घोड़े समन्दर में डालने का हुक्म दें तो हम उसमें डाल देंगे और अगर आप उनको बर्कुल गिगाद तक भगाने का हुक्म दें तो हम ये काम करेंगे, तब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने लोगों को बुलाया, वह चल पड़े यहाँ तक कि बद्र में जा पहुँचे और वहाँ उनके पास क़ुरैश के पानी ढूँढने वाले ऊँट आये, उनमें बनू हज्जाज का एक स्याह फ़ाम ग़ुलाम भी था, लोगों ने उसे पकड़ लिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथी इससे अबू सुफ़ियान और उसके साथियों के

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لأَخَضْنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا - قَالَ - فَنَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ وَفِيهِمْ غُلاَمٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ فَأَخَذُوهُ فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ . فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ وَلَكِنْ هَذَا

بارے में पूछने लगे तो वह कहने लगा, मुझे अबू सुफ़ियान का तो कोई पता नहीं है, लेकिन इधर अबू जहल, उत्बा, शैबा, उमैया बिन ख़ल्फ़ मौजूद हैं, जब वह ये कहता तो वह उसे मारते तो वह कहता अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, इधर अबू सुफ़ियान है तो जब उसे छोड़ देते और पूछते तो वह कहता, मुझे अबू सुफ़ियान के बारे में कुछ इल्म नहीं है, लेकिन ये अबू जहल, उत्बा, शैबा और उमैया बिन ख़ल्फ़ लोगों के साथ मौजूद हैं तो जब वह ये कहता, तो फिर उसे मारते और रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे,जब आपने ये सूरते हाल देखी, सलाम फेर दिया और फ़रमाया, उस ज़ात की क़सम, जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, जब वह तुम्हें सच बताता है तो तुम उसे पीटते हो और जब वह तुम्हें झूठ बताता है तुम उसे छोड़ देते हो।' और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उस जगह फ़ुलां काफ़िर ढेर होगा।' और अपने हाथ ज़मीन पर यहाँ यहाँ रख रहे थे तो आप (रसूलुल्लाह) (ﷺ) के हाथ की जगह से उनमें से कोई दूर नहीं हुआ।'

أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ . فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا أُخْبِرُكُمْ هَذَا أَبُو سُفْيَانَ . فَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ . فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضًا ضَرَبُوهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَتْرُكُوهُ إِذَا كَذَبَكُمْ " . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ " . قَالَ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ هَا هُنَا وَهَا هُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) लौ अमर्तना अन नुख़ीज़हल बहर: अगर आप हमें ये हुक्म दें कि हम घोड़ों को समन्दर में डाल दें, यानी समन्दर में कूद जायें तो हम उसके लिए तैयार हैं। **(2) लौ अमर्तना अन नज़्रिबा अक्बादहा इला बर्किल ग़िमाद:** अगर आप(ﷺ) हमें उन्हें दूर तक भगाने का हुक्म दें, (क्योंकि बर्कुल ग़िमाद मदीना से बहुत दूर के फ़ासले पर मक्का से बहुत आगे वाक़े है) तो हम ये काम करने के लिए तैयार हैं, यानी हम आप (ﷺ) के हर हुक्म पर सरे तस्लीम ख़म करेंगे, आप हमारे बारे में इससे बे'ख़ौफ़ हो जायें कि हम आपका साथ नहीं देंगे। **(3) रवाया:** राविया की जमा है, उन ऊँटों को कहते हैं जिन पर पानी पीने के लिए ढोया जाता है। **(4) फ़मा मात:** दूर नहीं

हुआ, जिस जगह आप (ﷺ) ने निशान लगाया वहीं ढेर हुआ और आप (ﷺ) की पेशगोई सच हुई।

फ़ायदा : अबू सुफ़ियान की सर करदगी में अहले मक्का का एक तिजारती क़ाफ़िला शाम की तरफ़ गया, जिसमें एक हज़ार ऊँट और पच्चास हज़ार दीनार की मालियत का साज़ो सामान था, ये जाते वक़्त निकल गया था, वापसी पर अहले मदीना के लिए सुनहरा मौक़ा था कि वह अहले मक्का को इस माले फ़रावां से महरूम करके ज़बरदस्त फ़ौजी सियासी और इक़्तेसादी मार मारें, इसलिए मुसलमानों में, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये ऐलान फ़रमाया कि क़ुरैश का क़ाफ़िला माल व दौलत से माला माल चला आ रहा है, इसके लिए निकल पड़ो हो सकता है, अल्लाह तआला उसे बतौर ग़नीमत तुम्हारे हवाले कर दे, चूंकि मदीना से निकलते वक़्त ये ख़्याल न था कि क़ाफ़िला की बजाये लश्करे क़ुरैश से टकर हो जायेगी, इसलिए आपने तमाम सहाबा के लिए निकलना लाज़िम न ठहराया और निकलते वक़्त लोगों ने इसके लिए कोई ख़ास एहतिमाम न किया और न मुकम्मल तैयारी की, मुसलमानों के लश्कर की तादाद सिर्फ़ तीन सौ तेरह (313) या तीन सौ चौदह (314) या तीन सौ सत्तरह (317) थी। सिर्फ़ दो घोड़े और सत्तर ऊँट (70) थे, अबू सुफ़ियान को भी पता चल गया कि मुसलमान मेरे क़ाफ़िले पर हमला करना चाहते हैं तो उसने फ़ौरन ज़मज़म बिन अम्र ग़िफ़ारी को उजरत देकर मक्का भेजा कि वहाँ जाकर क़ाफ़िले की हिफ़ाज़त के लिए क़ुरैश को दावते आम दे और ख़ुद अबू सुफ़ियान ने हिकमते अमली से काम लेकर क़ाफ़िले को बचा लिया और अहले मक्का को वापस हो जाने का पैग़ाम भेज दिया, लेकिन अबू जहल वापसी के लिए आमादा न हुआ, और लश्करे मक्का ने अपना सफ़र जारी रखा, वादी ज़फ़रान पहुँच कर आपको मक्की लश्कर की आमद का इल्म हुआ और पता चला ख़ून रेज़ जंग यक़ीनी हो चुकी है, हालात की इस अचानक और पुर ख़तर तब्दीली के पेशे नज़र आप (ﷺ) ने अपने साथियों से मशवरा किया, मुहाजिरीन की तादाद चूंकि कम थी, इसलिए आपने मुहाजिरीन कमान्डरों की राय की बजाये, अन्सार की राय मालूम करना चाही, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा थी और बैते उक़्बा की रू से उनके लिए ये लाज़िम न था कि मदीना से बाहर निकल कर जंग करें, आपका मक़सद हज़रत सअद बिन मुआज़ (رضي الله عنه) ने भाँप लिया और पुरज़ोर तक़रीर की, सही मुस्लिम में तक़रीर हज़रत सअद बिन अबादा (رضي الله عنه) की तरफ़ मन्सूब है, ये रावी का वहम है और मशवरा भी मदीना में नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ़ क़ाफ़िले के लिए निकले थे, जिसकी तादाद कुल चालीस (40) अफ़राद थी, तफ़सील के लिए अर्रहीक़ुल मख़्तूम में ग़ज़्व-ए-बद्र अल्कुब्रा पढ़ें।

बाब : 31
फ़तहे मक्का

(4622) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि माहे रमज़ान में बहुत से वफ़द हज़रत मुआविया (ﷺ) के पास आये और हम एक दूसरे के लिए खाना तैयार करते थे और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) अपने ठिकाने पर साथियों को ब'कसरत बुलाते थे, अब्दुल्लाह बिन रबाह कहते हैं, मैंने दिल में कहा, मैं खाना क्यों न तैयार करूं और साथियों को अपने ठिकाने पर बुलाऊं तो मैंने खाना तैयार करने का हुक्म दिया, फिर मैं अबू हुरैरह (ﷺ) को शाम को मिला और कहा आज रात दावत मेरे यहाँ होगी तो उन्होंने कहा, तुम मुझसे सबक़त ले गये हो, मैंने कहा, जी हाँ, मैंने साथियों को बुलाया, हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहने लगे, ऐ गिरोहे अन्सार, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे कारनामों से एक कारनामा न बताऊं? फिर उन्होंने फ़तहे मक्का का ज़िक्र छेड़ दिया और कहने लगे, रसूलुल्लाह (ﷺ) रवाना हुए यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा पहुँच गये तो आपने एक जानिब के दस्ते पर ज़ुबैर (ﷺ) को मुक़र्रर किया और दूसरा जानिब के दस्ते पर ख़ालिद (ﷺ) को मुक़र्रर किया और पैदल दस्ते पर अबू उबैदा(ﷺ) को मुक़र्रर किया, उन्होंने वादी के अन्दर पनाह ली और एक दस्ते में रसूलुल्लाह (ﷺ) थे, आपने मुझे देख कर फ़रमाया, 'ऐ अबू हुरैरह (ﷺ)! मैंने अर्ज़ किया, हाज़िर हूँ, ऐ

(31)
باب فَتْحِ مَكَّةَ

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ الطَّعَامَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوَنَا إِلَى رَحْلِهِ فَقُلْتُ أَلاَ أَصْنَعُ طَعَامًا فَأَدْعُوَهُمْ إِلَى رَحْلِي فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ يُصْنَعُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ فَقُلْتُ الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ فَقَالَ سَبَقْتَنِي . قُلْتُ نَعَمْ . فَدَعَوْتُهُمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَلاَ أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الأُخْرَى وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

فِي كَتِيبَةٍ - قَالَ - فَنَظَرَ فَرَآنِي فَقَالَ " أَبُو هُرَيْرَةَ " . قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ " لاَ يَأْتِينِي إِلاَّ أَنْصَارِيٌّ " . زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ فَقَالَ " اهْتِفْ لِي بِالأَنْصَارِ " . قَالَ فَأَطَافُوا بِهِ وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا وَأَتْبَاعًا . فَقَالُوا نُقَدِّمُ هَؤُلاَءِ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَىْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ . وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ " . ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى ثُمَّ قَالَ " حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا " . قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إِلاَّ قَتَلَهُ وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا - قَالَ - فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ لاَ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ . ثُمَّ قَالَ " مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ " . فَقَالَتِ الأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَجَاءَ الْوَحْىُ وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْىُ لاَ يَخْفَى عَلَيْنَا فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ

अल्लाह के रसूल(ﷺ)! आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे पास सिर्फ़ अन्सारी आयें, 'शैबान के सिवा ने ये इज़ाफ़ा किया, आपने फ़रमाया: 'मेरे लिए अन्सार को आवाज़ दो।' तो उन्होंने आपको घेर लिया और क़ुरैश ने भी मुख़्तलिफ़ क़बाइल के दस्तों को जमा कर लिया और अपने ताबेअ़ लोगों को जमा कर लिया और सोचा, हम उन लोगें को आगे बढ़ाते हैं, अगर उनको कोई कामयाबी हासिल हुई, हम उनके साथ होंगे और अगर उनको नुक़सान पहुँचा तो हम उन लोगों (मुसलमानों) का मुतालबा मान लेंगे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम क़ुरैश के मुख़्तलिफ़ क़बाइल के दस्तों और उनके पैरोकारों को देख रहे हो।' फिर एक हाथ को दूसरे हाथ पर रख कर इरशाद फ़रमाया: (कि इनको मार डालो) फिर फ़रमाया: 'यहाँ तक कि तुम आकर मुझे सफ़ा पर मिलो।' तो हम चल पड़े और हममें से जो शख़्स किसी को क़त्ल करना चाहता, उसको क़त्ल कर डालता और उनमें से कोई हमारा मुक़ाबला नहीं कर पा रहा था, (अपनी मुदाफ़अ़त में कोई अस्लहा हम पर नहीं छोड़ता था) इतने में अबू सुफ़ियान आ गया और कहने लगा ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ) क़ुरैश की जमईयत ख़त्म की जा रही है, आज के बाद कोई क़ुरैशी नहीं बाक़ी रहेगा, फिर आपने फ़रमाया: 'जो अबू सुफ़ियान के घर में दाख़िल हो जायेगा, उसको अमान है।' तो अन्सार एक दूसरे को कहने लगे, हाँ इस आदमी (नबी

طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَنْقَضِيَ الْوَحْىُ فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْىُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ " . قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ " . قَالُوا قَدْ كَانَ ذَاكَ . قَالَ " كَلاَّ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ " . فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلاَّ الضِّنَّ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ " . قَالَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ - قَالَ - وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ - قَالَ - فَأَتَى عَلَى صَنَمٍ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ - قَالَ - وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْسٌ وَهُوَ آخِذٌ بِسِيَةِ الْقَوْسِ فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَمِ جَعَلَ

अकरम) (ﷺ) पर अपनी बस्ती की मोहब्बत और अपने ख़ानदान पर शफ़क़त ग़ालिब आ गई है, हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) बयान करते हैं, आप पर वही का नुज़ूल शुरू हो गया और जब आप पर वही आती तो हम पर ये हालत पोशीदा न रहती तो जब वही आती तो कोई भी आपकी तरफ़ नज़र उठाकर न देखता था, यहाँ तक कि वही पूरी हो जाती तो जब वही की आमद बंद हो गई, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अन्सार के गिरोह' उन्होंने कहा, हम हाज़िर हैं, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! आपने फ़रमाया: 'तुमने कहा है कि इस आदमी पर अपने शहर की मोहब्बत ग़ालिब आ गई है।' उन्होंने जवाब दिया, ऐसा ही हुआ है, आपने फ़रमाया: 'हरगिज़ नहीं, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, मैंने अल्लाह की तरफ़ और तुम्हारी तरफ़ हिजरत की है, मेरी ज़िन्दगी, तुम्हारे पास गुज़रेगी और मुझे मौत तुम्हारे यहाँ आयेगी।' वह आपकी तरफ़ रोते हुए बढ़े और कह रहे थे, अल्लाह की क़सम! हमने जो कुछ कहा, वह अल्लाह और उसके रसूल की हिर्सो व रग़्बत की ख़ातिर कहा, इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें सच्चा गरदान्ते हैं और तुम्हारा उज़्र क़बूल करते हैं।' अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि लोग अबू सुफ़ियान के घर की तरफ़ बढ़े और कुछ लोगों ने अपने दरवाज़े बंद कर लिये और रसूलुल्लाह (ﷺ) आगे बढ़े यहाँ तक कि हज्रे अस्वद की तरफ़ बढ़े, उसे

يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ " جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ " . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلاَ عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ .

बोसा दिया, फिर तवाफ़ किया, फिर एक बुत के पास आये, जो बैतुल्लाह के पहलू में था, लोग उसकी इबादत करते थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) के हाथ में एक क़ौस थी और आपने क़ौस एक तरफ़ पकड़ी हुई थी तो जब आप बुत के पास पहुँचे तो उसकी आँख में उसको चुभोने लगे और फ़रमा रहे थे, 'हक़ आ गया, बातिल मिट गया।' जब आप तवाफ़ से फ़ारिग़ हुए, सफ़ा पर पहुँचे और उसके ऊपर चढ़ गये कि बैतुल्लाह पर नज़र डाली और अपने दोनों हाथ बलन्द किये, अल्लाह की हम्द व सना बयान करने लगे और जो चाहा वह दुआ माँगने लगे।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) वक़दत वुफ़ूदुन इला मुआविया (ﷺ): हज़रत मुआविया (ﷺ) के पास, शाम में बहुत से वफ़्द पहुँचे और मुसाफ़िर होने की बिना पर, अपने ठिकाना पर एक दूसरे के लिए खाना तैयार करते और उसमें एक दूसरे से मुनाफ़सत व मुसाबक़त करते। **(2) अला उअल्लिमुकुमः** (क्या मैं तुम्हें आगाह न करूं) खाना अभी तैयार नहीं हुआ था, उसके इन्तेज़ार में बैठे थे कि अ़ब्दुल्लाह बिन रबाह (ﷺ) की दरख़्वास्त पर, हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने अन्सार के एक कारनामे का ज़िक्र छेड़ दिया। **(3) इह्दल मजिन्नबतैनः** लश्कर के दो जानिब। **(4) मैमना व मैसराः** (दायाँ बायाँ) जिनके दरम्यान क़ल्ब होता है। अ़लल हुस्र, जिनके पास ज़रआ न थी, मुराद पैदल दस्ता है। **(5) इह्तिफ़ बिल अन्सारः** आप (ﷺ) ने अन्सार पर ऐतमाद करते हुए, उनके मुक़ाम व मर्तबा की रिफ़अ़त व बलन्दी का इज़हार करने के लिए, उनको आवाज़ दिलवाई। व बशतः जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया। **(6) अल्औबाशः** वब्श की जमा है, मुख़्तलिफ़ क़बाइल की टोलियाँ। **(7) नुक़द्दिमु हाउलाइः** हम मुसलमानों से जंग के लिए मुख़्तलिफ़ क़बाइल के उन दस्तों को आगे करें ताकि अगर ये मुसलमानों के सामने डट जायें तो हम आगे बढ़ कर उनको कामयाब करें और अगर ये लोग शिकस्त खा जायें तो हम मुसलमानों का मुतालबा क़बूल कर लें, **(8) सुम्मा क़ाला बियदैहिः** आप (ﷺ) ने दोनों हाथों से, काफ़िरों के इत्तेहाद व इज्तेमाअ़ का इशारा करके, सब्र व इस्तेक़लाल और साबित क़दम रहने की तल्क़ीन की, ये इशारा किया उनको पीस कर रख दो, ताकि ये आइन्दा सर न उठा सकें। **(9) वमा अहद मिन्हुम युवज्जिह इलैना शैआः** इनमें से कोई एक

अपने दिफ़ा के लिए अपना अस्लहा इस्तेमाल न कर सका, उनमें से कोई एक अस्लहा का रूख़ हमारी तरफ़ न कर सका। (10) **उबीहत ख़जरा:** क़ुरैश व अरब जमाअत को ख़ज़र और सवार से ताबीर करते हैं, मक़सद ये था कि क़ुरैश की जमाअत को तहे तेग़ कर दिया जायेगा और वह बच नहीं सकेंगे। (11) **अम्मर्रजुलु फ़अद्रकत्हु रग़्बतुन फ़ी क़ुर्बतिही व राफ़तुन फ़ी अशीरतिही:** अन्सार ने जब ये देखा कि आपने अहले मक्का को अमान दे दी है और उनको क़त्ल करने से रोक दिया है तो उन्होंने ये समझा कि अब आप हमेशा के लिए अपने शहर मक्का में, अपने क़बीले व ख़ानदान क़ुरैश के साथ इक़ामत इख़्तियार कर लेंगे और हम आपकी रफ़ाक़त की सआदत से हमेशा के लिए महरूम हो जायेंगे, इसलिए आपने फ़रमाया: **अल्महया महयाकुम वल्ममात ममातुकुम:** अब ज़िन्दगी और मौत तुम्हारे यहाँ ही है। (12) **सुम्मा ताफ़ा बिल बैत:** आप (ﷺ) मक्का में बिला एहराम दाख़िल हुए थे, जिससे साबित होता है, अगर इंसान की हज या उम्रा की नियत न हो तो वह बिला एहराम मक्का में दाख़िल हो सकता है, शवाफ़ेअ और हनाबिला का यही मौक़िफ़ है, लेकिन अहनाफ़ और मालकिया के नज़दीक एहराम बाँधे बग़ैर मक्का में दाख़िल नहीं हुआ जा सकता और फ़तहे मक्का के वक़्त एहराम के बग़ैर दाख़िला, फ़तहे मक्का से ख़ास है, फ़तह के बाद आप(ﷺ) ने तवाफ़ और सई करके उम्रा किया। (13) **सियतुल क़ौस:** कमान का मुड़ा हुआ एक कोना या तरफ़, उससे आपने उनके बुत की आँखों में कचोके लगाये, ताकि पता चल सके जो अपना दिफ़ा नहीं कर सकता, वह दूसरों के नफ़ा व नुक़सान का मालिक कैसे बन सकता है? और इससे उनकी तज़लील और रूस्वाई भी हो कि अब ये लोग अपने माबूद को भी बचा नहीं सकते।

फ़ायदा : जब शाबान 8 हिजरी में बनू बक्र ने बद अहदी करते हुए, रात की तारीकी में बनू ख़ुज़ाआ पर हमला कर दिया तो क़ुरैश ने इस हमले में हथियारों से उनकी मदद की यहाँ तक कि रात की तारीकी की आड़ में उनके कुछ आदमी जंग में शरीक भी हुए, बनू ख़ुज़ाआ के शाइर ने इन्तेहाई मुअस्सिर और फ़सीह व बलीग़ अशआर में आपसे मदद की दरख़्वास्त की, 10 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दस हज़ार (10000) साथियों के साथ मक्का का रूख़ किया, ज़ी तवा में आप(ﷺ) ने लश्कर की तर्तीब व तक़सीम फ़रमाई, ख़ालिद बिन वलीद को अपने दाहिने पहलू पर रखा और उन्हें हुक्म दिया कि वह मक्का के निचले हिस्से से उसमें दाख़िल हों और अगर क़ुरैश में से कोई सामने आये तो उसे काट कर रख दें, यहाँ तक कि सफ़ा पर आप (ﷺ) से आ मिलें और हज़रत ज़ुबैर (رضي الله عنه) को बायें पहलू पर रखा और उन्हें हुक्म दिया कि मक्के में बालाई हिस्से से दाख़िल हों और हुजून में आपका झण्डा गाड़ कर आपकी आमद तक वहीं ठहरे रहें, हज़रत अबू उबैदा (رضي الله عنه) को प्यादा पर मुक़र्रर किया और उन्हें हुक्म दिया कि वह बतने वादी का रास्ता इख़्तियार करें, यहाँ तक कि

मक्का में आपके आगे उतरें, इन हिदायात के बाद तमाम दस्ते अपने अपने मुक़र्ररा रास्तों पर चल पड़े, हज़रत ख़ालिद (ﷺ) और उनके रूफ़क़ा के सामने जो मुश्रिक भी आया, उसे क़त्ल कर डाला गया, ख़न्दमा पहुँच कर उनकी मुडभेड़ क़ुरैश के औबाशों से हुई, मामूली सी झड़प में बारह (12) मुश्रिक कट गये और उसके बाद मुश्रिकीन में भगदड़ मच गई और हज़रत ख़ालिद (ﷺ) मक्का के गली कूचों को रौंदते हुए, कोहे सफ़ा पर रसूलुल्लाह (ﷺ) से जा मिले, तफ़्सील के लिए देखिये, ग़ज़्वा फ़तहे मक्का, अर्रहीक़ुल मख़्तूम।

(4623) इमाम साहब ऊपर दी गई रिवायत अपने एक और उस्ताद से, सुलैमान बिन मुग़ीरा ही की सनद से बयान करते हैं और इसमें ये इज़ाफ़ा है कि फिर आप (ﷺ) ने दोनों हाथों से एक को दूसरे पर रखते हुए इशारा फ़रमाया: 'इनको तलवार से काट कर रख दो।' और इस हदीस में ये है, अन्सार ने कहा, हमने ये कहा है, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तब मेरा नाम क्या होगा? हरगिज़ नहीं, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ।'

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى " احْصُدُوهُمْ حَصْدًا " . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالُوا قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " فَمَا اسْمِي إِذًا كَلاَّ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ " .

मुफ़रदातुल हदीस : फ़मा इस्मी इज़न: तुमने जिस अन्देशा का इज़हार किया है, उस पर अमल करते हुए अगर मैं मक्का को वतन बना लूं और तुमसे अलग हो जाऊं और तुम्हारे यहाँ ठहरने का अ़हद तोड़ दूं तो मेरा नाम क्या होगा, क्या मेरा ये काम क़ाबिले तारीफ़ होगा? इसलिए तुम्हारा अन्देशा बेजा है।

(4624) अ़ब्दुल्लाह बिन रबाह (रह.) बयान करते हैं कि हम हज़रत मुआ़विया बिन अबी सुफ़ियान (ﷺ) के पास गये, हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) भी हमारे हमराह थे और हममें से हर एक एक दिन अपने साथियों के लिए खाना तैयार करता था, जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, ऐ अबू हुरैरह (ﷺ)! आज मेरी बारी है तो सारे साथी मेरे ठिकाने पर आ गये, अभी

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ وَفَدْنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَكَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَصْنَعُ طَعَامًا يَوْمًا لأَصْحَابِهِ

हमारा खाना पका नहीं था तो मैंने कहा, ऐ अबू हुरैरह! काश हमारा खाना पकने तक आप रसूलुल्लाह (ﷺ) के बारे में बातें सुनाएँ तो उन्होंने कहा हम फ़तहे मक्का के दिन रसूल (ﷺ) के साथ थे, आप (ﷺ) ने दायें पहलू पर ख़ालिद बिन वलीद (رضي الله عنه) को मुक़र्रर किया और बायें पहलू पर ज़ुबैर (رضي الله عنه) को मुक़र्रर फ़रमाया और पैदल दस्ते और बतने वादी पर अबू उबैदा (رضي الله عنه) को मुतअय्यन किया और अबू हुरैरह(ﷺ) को फ़रमाया: 'ऐ अबू हुरैरह (رضي الله عنه)! मेरे पास अन्सार को बुलाओ।' तो मैंने उनको आवाज़ दी और वह दौड़ते हुए आये, आपने फ़रमाया: 'ऐ अन्सार की जमाअत! क्या तुम क़ुरैश के औबाश (कमीनों, ज़लीलों) को देख रहे हो?' उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, आपने फ़रमाया: 'देख लो, कल जब तुम्हारा इनसे मुक़ाबला हो तो इनको खेती की तरह काट कर रख देना।' और आपने इशारा करते हुए अपना दायाँ हाथ अपने बायें हाथ पर रखा और फ़रमाया: '(ख़ालिद (رضي الله عنه) और उनके साथियों को) तुम्हारे साथ मुलाक़ात का वादा कोहे सफ़ा पर है।' अबू हुरैरह (رضي الله عنه) कहते हैं, उस दिन जो भी उनके सामने आया, उसे उन्होंने सुला दिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) सफ़ा पर चढ़ गये और अन्सार ने आकर आपको घेर लिया और अबू सुफ़ियान(رضي الله عنه) आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! क़ुरैश की जमाअत तबाह

فَكَانَتْ نَوْبَتِي فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ الْيَوْمُ نَوْبَتِي . فَجَاءُوا إِلَى الْمَنْزِلِ وَلَمْ يُدْرِكْ طَعَامُنَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لَوْ حَدَّثْتَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يُدْرِكَ طَعَامُنَا فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْيُمْنَى وَجَعَلَ الزُّبَيْرَ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْبَيَاذِقَةِ وَبَطْنِ الْوَادِي فَقَالَ " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ادْعُ لِي الأَنْصَارَ " . فَدَعَوْتُهُمْ فَجَاءُوا يُهَرْوِلُونَ فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْشٍ " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ " انْظُرُوا إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَدًا أَنْ تَحْصِدُوهُمْ حَصْدًا " . وَأَخْفَى بِيَدِهِ وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ " مَوْعِدُكُمُ الصَّفَا " . قَالَ فَمَا أَشْرَفَ يَوْمَئِذٍ لَهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ أَنَامُوهُ - قَالَ - وَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّفَا وَجَاءَتِ الأَنْصَارُ فَأَطَافُوا بِالصَّفَا فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبِيدَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ لاَ

قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ . قَالَ أَبُو سُفْيَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السِّلاَحَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ " . فَقَالَتِ الأَنْصَارُ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ . وَنَزَلَ الْوَحْىُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ . أَلاَ فَمَا اسْمِي إِذًا - ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ " . قَالُوا وَاللَّهِ مَا قُلْنَا إِلاَّ ضِنًّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ . قَالَ " فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ " .

व बर्बाद कर दी गई, आज के बाद कोई क़ुरैशी नहीं बचेगा, अबू सुफ़ियान (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो अबू सुफ़ियान के घर में दाख़िल होगा, उसे अमान होगा और जो हथियार डाल देगा, वह भी महफ़ूज़ होगा और जो अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा, उसे भी अमन हासिल है।' इस पर अन्सार ने कहा, हाँ इस आदमी पर अपने क़बीले की शफ़क़त ग़ालिब आ गई है और अपनी बस्ती (वतन) की मोहब्बत ग़ालिब आ गई है और रसूलुल्लाह (ﷺ) पर वही नाज़िल हुई, आपने फ़रमाया: 'तुमने कहा है, हाँ उस आदमी पर अपने ख़ानदान से प्यार और अपनी बस्ती का शौक़ ग़ालिब आ गया है, ख़बरदार! तब मेरा नाम क्या होगा (तीन दफ़ा फ़रमाया) मैं मुहम्मद, अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, मैंने अल्लाह की तरफ़ और तुम्हारी तरफ़ हिजरत की है, ज़िन्दगी और मौत तुम्हारे यहाँ ही होगी, यानी मेरी ज़िन्दगी तुम्हारी ज़िन्दगी और मेरी मौत तुम्हारी मौत है।' अन्सार ने कहा, अल्लाह की क़सम! हमने महज़ अल्लाह और उसके रसूल की हर्स व रग़्बत की बिना पर कहा, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तो अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी तस्दीक़ करते हैं और तुम्हारा उज़्र क़बूल करते हैं, (माज़ूर समझते हैं)'

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अल बयाज़िका: पैदल दस्ता। **(2) फ़मा अशरफ़ यौमइज़िन लहुम इल्ला अनामूहु:** जो भी उस दिन उनके सामने आया, उसे उन्होंने ढेर कर दिया, इससे जुम्हूर अबू

हनीफ़ा, मालिक और अहमद (रह.) ने ये कहा है कि मक्का बज़ोरे बाज़ू फ़तह हुआ है, लेकिन इमाम शाफ़ेई के नज़दीक मक्का सुलह के नतीजे में फ़तह हुआ है। **(3) उबीदत ख़जराउ कुरैश:** कुरैश की जमाअत तबाह व बर्बाद कर दी जा रही है, उनसे कोई बच नहीं सकेगा, ये भी इस बात की दलील है कि मक्का कुव्वत व ताक़त के बलबूते पर फ़तह हुआ है।

बाब : 32
काबा के इर्द गिर्द से बुतों को हटाना

(32)
باب إِزَالَةِ الأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ

(4625) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का में दाख़िल हुए और काबा के इर्द गिर्द तीन सौ साठ बुत थे, आप अपने हाथ की छड़ी से उन्हें कचोका लगाने लगे और फ़रमाने लगे हक़ आ गया, बातिल मिट गया, बातिल मिटने ही वाला है, इस्राअ, आयत नम्बर 81. इब्ने अबी अम्र की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, फ़तहे मक्का के दिन (दाख़िल हुए)

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2478, 4287, 4720, जामेअ तिर्मिज़ी: 3138.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ كَانَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ "{ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} { جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ يَوْمَ الْفَتْحِ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) नुसुबुन या नुस्बुन: इसकी जमा अन्साब है, बुत जिनको अल्लाह को छोड़ कर पूजा जाता है। **(2) जहक़ल बातिलु:** बातिल तबाहो बर्बाद हुआ मिट गया मांद पड़ गया। **(3) मा युब्दिउल बातिलु व मा युईद जमख़शरी के क़ौल के मुताबिक ला युब्दिउ वला युईद:** का जुम्ला उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं, जब कोई चीज़ मिट जाये या ख़त्म हो जाये, इसलिए मानी हुआ हक़ आ गया और उसकी आमद पर ये बातिल मिट गया।

फ़ायदा : फ़ाकेही और तबरानी की रिवायत से साबित होता है, आप (ﷺ) जिस बुत के सामने गये वह ज़मीन में मज़बूत तौर पर पेवस्त होने के बावजूद अपनी गुद्दी के बल गिर गया।

وَحَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ زَهُوقًا . وَلَمْ يَذْكُرِ الآيَةَ الأُخْرَى وَقَالَ بَدَلَ نُصُبًا صَنَمًا .

(4626) इमाम साहब ऊपर दी गई रिवायत अपने दो उस्तादों से, अबू नजीह ही की सनद से, सूरह इस्राअ की आयत तक बयान करते हैं और सूरह सबा की आयत बयान नहीं करते और नुसुबा की बजाये सनमा (बुत) का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4601 में देखें।

(33) باب لاَ يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْفَتْحِ

बाब : 33 फ़तहे मक्का के बाद कोई क़ुरैशी बाँध कर क़त्ल नहीं किया जायेगा

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ " لاَ يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .

(4627) अब्दुल्लाह बिन मुतीअ अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे के दिन फ़रमाया: 'आज के बाद क़यामत तक किसी क़ुरैशी को बाँध कर क़त्ल नहीं किया जायेगा।

फ़ायदा : फ़तहे मक्का के दिन आप (ﷺ) ने ये पेशगोई फ़रमाई कि तमाम क़ुरैशी मुसलमान हो जायेंगे और क़यामत तक किसी क़ुरैशी को मुर्तद होने की बिना पर बाँध कर क़त्ल नहीं किया जायेगा।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَزَادَ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيعٍ كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُطِيعًا .

(4628) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से ज़करिया की ऊपर दी गई सनद ही से ये रिवायत बयान करते हैं, जिसमें ये इज़ाफ़ा है, क़ुरैश के आसी नामी लोगों में से, मुतीअ के सिवा कोई मुसलमान न था, उसका नाम भी अलआसी था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसका नाम मुतीअ रखा।

फ़ायदा : उसात: अलआस़ की जमा है और ये अ़लम है, सिफ़त नहीं है, इस नाम के लोग, आस़ बिन अस्वद के सिवा मुसलमान न थे, अबू जन्दल मुसलमान हो चुका था और उसका नाम भी अलआस़ था, लेकिन वह इसी कुनियत से मशहूर था, अपने नाम से मारूफ़ न था, इसलिए उसको मुस्तस़ना नहीं किया, आस़ बिन अस्वद का नाम आप (ﷺ) ने मुतीअ़ बिन अस्वद रखा और अलआस़ के नाम से ये अश्ख़ास़ मारूफ़ थे, आस़ बिन वाइल समई, आस़ बिन हिशाम अबुल बख़्तरी, आस़ बिन सईद, आस़ बिन उमैया, आस़ बिन हिशाम बिन मुग़ीरा मख़्ज़ूमी और आस़ बिन मुनब्बिह बिन हज्जाज, इनमें से किसी ने भी फ़तहे मक्का तक इस्लाम क़बूल नहीं किया था, अक्सर इससे पहले ही कुफ़्र पर मर गये थे।

बाब : 34
मुक़ामे हुदैबिया पर सुलहे हुदैबिया

(34)
باب صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحُدَيْبِيَةِ

(4629) हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब (ﷺ) बयान करते हैं कि हुदैबिया के दिन नबी अकरम(ﷺ) और मुश्रिकों के दरम्यान सुलह नामा हज़रत अ़ली (ﷺ) ने लिखा, उन्होंने तहरीर किया, (ये वह मुआ़हिदा है, जो मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लिखवाया) मुश्रिकों ने कहा, रसूलुल्लाह न लिखो, क्योंकि अगर हम आप (ﷺ) के रसूल होने का यक़ीन कर लें तो आप (ﷺ) से लड़ाई न लड़ें तो नबी अकरम(ﷺ) ने हज़रत अ़ली (ﷺ) से फ़रमाया: 'इस लफ़्ज़ को मिटा दो।' तो उन्होंने कहा, मैं इसको मिटा नहीं सकता तो उसे नबी अकरम (ﷺ) ने अपने हाथ से मिटा दिया और उनकी शर्तों में से एक शर्त ये भी थी कि मुसलमान मक्का में दाख़िल होने के बाद सिर्फ़ तीन दिन ठहर सकेंगे और इसमें मुसल्लह होकर दाख़िल नहीं होंगे, मगर अस्लहा, ग़िलाफ़ में

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الصُّلْحَ بَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ فَكَتَبَ " هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" . فَقَالُوا لاَ تَكْتُبْ رَسُولُ اللَّهِ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ " امْحُهُ " . فَقَالَ مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ . فَمَحَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ قَالَ وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطُوا أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَيُقِيمُوا بِهَا

रख कर ला सकते हैं, शोबा ने अबू इस्हाक़ से पूछा, जुलुब्बानुस्सिलाह का क्या मानी? उसने जवाब दिया, तलवार म्यान में हो।

तख़रीज: सहीह बुख़ारी: 2698,अबू दाऊद: 1832.

ثَلاَثًا وَلاَ يَدْخُلُهَا بِسِلاَحٍ إِلاَّ جُلُبَّانَ السِّلاَحِ . قُلْتُ لأَبِي إِسْحَاقَ وَمَا جُلُبَّانُ السِّلاَحِ قَالَ الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ .

(4630) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) बयान करते हैं, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अहले हुदैबिया से सुलह की तो उन के दरम्यान, हज़रत अली (ﷺ) ने तहरीर लिखी,इसमें लिखा, मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर ऊपर दी गई रिवायत बयान की और इसमें ये बयान नहीं किया, हाज़ा मा कात–ब अ़लैहि, जिस पर मुआहिदा किया है।

तख़रीज : ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4605 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ كِتَابًا بَيْنَهُمْ قَالَ فَكَتَبَ " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " ثُمَّ ذَكَرَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاذٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ " هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ " .

(4631) हज़रत बराअ (ﷺ) बयान करते हैं, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल्लाह से रोक दिये गये, अहले मक्का ने आपसे इस शर्त पर सुलह की कि आप (ﷺ) इसमें दाख़िल होकर सिर्फ़ तीन दिन ठहर सकेंगे और आप इसमें अस्लहा को ग़िलाफ़ में बंद करके दाख़िल होंगे, तलवार म्यान में होगी और अपने साथ इसके किसी बाशिन्दे को लेकर नहीं जायेंगे और अपने साथियों में से किसी ऐसे फ़र्द को नहीं रोकेंगे जो वहाँ ठहरना चाहे, आप (ﷺ) ने हज़रत अ़ली (ﷺ) से फ़रमाया: 'हमारे दरम्यान शर्तें लिखो, 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वह शर्तें हैं जिन पर मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सुलह का

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ، جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، - وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْبَيْتِ صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا فَيُقِيمَ بِهَا ثَلاَثًا وَلاَ يَدْخُلَهَا إِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ السَّيْفِ وَقِرَابِهِ . وَلاَ يَخْرُجَ بِأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا وَلاَ يَمْنَعَ أَحَدًا يَمْكُثُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ . قَالَ لِعَلِيٍّ " اكْتُبِ الشَّرْطَ بَيْنَنَا بِسْمِ

اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " . فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ تَابَعْنَاكَ وَلَكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لاَ وَاللَّهِ لاَ أَمْحَاهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرِنِي مَكَانَهَا " . فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَحَاهَا وَكَتَبَ " ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ " . فَأَقَامَ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا أَنْ كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ قَالُوا لِعَلِيٍّ هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ فَأْمُرْهُ فَلْيَخْرُجْ . فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ " نَعَمْ " . فَخَرَجَ . وَقَالَ ابْنُ جَنَابٍ فِي رِوَايَتِهِ مَكَانَ تَابَعْنَاكَ بَايَعْنَاكَ .

फ़ैसला किया है।' तो आपसे मुश्रिकों ने कहा, अगर हम यक़ीन कर लें कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो आपकी पैरवी कर लें, लेकिन ये लिखो, मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह, आपने हज़रत अ़ली (ﷺ) को उसके मिटाने का हुक्म दिया तो हज़रत अ़ली(ﷺ) ने कहा, नहीं, अल्लाह की क़सम! मैं इसको नहीं मिटा सकता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे इस लफ़्ज़ की जगह दिखाओ।' तो उन्होंने उसकी जगह दिखाई तो आपने उसे मिटा दिया और इब्ने अ़ब्दुल्लाह लिख दिया और मक्का में तीन दिन ठहरे, तो जब तीसरा दिन आया, मुश्रिकों ने हज़रत अ़ली (ﷺ) से कहा, ये आपके साथी की शर्त के मुताबिक़ आख़री दिन है, उन्हें कहें कि वह चले जायें, उन्होंने आपको इसकी इत्तिला दी तो आपने फ़रमाया: 'हाँ' आप(ﷺ) मक्का से चल दिये, इब्ने जनाब की रिवायत में ताबअ्नाक की जगह बायअ्नक (आप से बैत कर लेते) हैं।

फ़ायदा : क–त–ब 'इब्ने अ़ब्दुल्लाह' से कुछ हज़रात ने ये इस्तेदलाल किया है कि ये लफ़्ज़ आप(ﷺ) ने अपने दस्ते मुबारक से तहरीर फ़रमाया, लेकिन जुम्हूर के नज़दीक लिखने वाले हज़रत अ़ली (ﷺ) हैं, जैसा कि अगली रिवायत में आ रहा है आप (ﷺ) के हुक्म से लिखा, इसलिए आपकी तरफ़ निस्बत की गई है और अगर आप ने ये लफ़्ज़ मोजिज़ाती तौर पर ख़ुद भी लिख दिया हो तो इससे ये साबित नहीं होता कि आपने लिखना पढ़ना जान लिया था, क्योंकि एक लफ़्ज़ लिखने वाले को कातिब नहीं कहते और आपने सुलह के मुआहिदा के मुताबिक़ अगले साल 7 हिजरी में उ़म्रा किया और इसमें तीन दिन मक्का में ठहरे और ये उ़म्रा सुलह के नतीजे में हुआ, इसलिए इसको आ़मुलम क़ाज़ा, उ़म्रतुल क़ज़ा का नाम दिया गया, ये नहीं कि आपने रह जाने वाले उ़म्रा की क़ज़ाई दी थी, इसलिए उ़म्रतुल क़ज़ा कहलाया।

(4632) हज़रत अनस (ؓ) बयान करते हैं कि कुरैश ने नबी अकरम (ﷺ) से मुसालिहत की, उनमें सुहैल बिन अम्र भी था तो नबी अकरम(ﷺ) ने हज़रत अली (ؓ) से फ़रमाया: 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिखो,' सुहैल ने कहा, रहा बिस्मिल्लाह तो हम नहीं जानते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है, लेकिन वह लिख जो हम जानते हैं, 'बिस्मिक अल्लाहुम्मा' आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लिखो, मुहमद रसूलुल्लाह की तरफ़ से।' उन्होंने कहा, अगर हम यक़ीन कर लें कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो आपकी पैरवी इख़्तियार कर लें, लेकिन अपना और अपने बाप का नाम लिख तो नबी अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: 'लिख, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ़ से।' उन्होंने नबी अकरम(ﷺ) के साथ ये शर्त भी की कि तुममें से जो हमारे पास आ जायेगा हम उसे तुम्हें नहीं लौटायेंगे और जो हममें से तुम्हारे पास आ जायेगा, तुम्हें उसे हमारी तरफ़ लौटाना होगा, सहाबा किराम (ؓ) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! क्या हम ये शर्त लिख (मान) लें? आपने फ़रमाया: 'हाँ' वाक़िया ये है कि हममें से जो उनसे जा मिले तो अल्लाह उसे दूर ही रखे और उनमें से जो हमारे साथ आ मिलेगा, अल्लाह तआला यक़ीनन उसके लिए कुशादगी और कोई निकलने की राह पैदा कर देगा।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ قُرَيْشًا، صَالَحُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ " اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " . قَالَ سُهَيْلٌ أَمَّا بِاسْمِ اللَّهِ فَمَا نَدْرِي مَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَكِنِ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ فَقَالَ " اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ " . قَالُوا لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لاَتَّبَعْنَاكَ وَلَكِنِ اكْتُبِ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ " . فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَكْتُبُ هَذَا قَالَ " نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا " .

फ़ायदा : हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने सुलह के नतीजे में हासिल होने वाले इज्तेमाई और दीनी मफ़ादात के हुसूल की ख़ातिर बज़ाहिर दब कर सुलह की और उनकी हर शर्त को मान लिया, क्योंकि मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखने से आप (ﷺ) की रिसालत का इंकार लाज़िम नहीं आता था और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह बिस्मक अल्लाहुम्मा लिखने से अल्लाह तआला की उलूहियत फिर भी साबित हो रही है, जो असल मक़सूद है, इस तरह उनका मुतालबा मानने में कोई शरई और दीनी ख़राबी नहीं थी और उनमें से मुसलमान होने वालों को उनके सुपुर्द करना, बज़ाहिर उनको ज़ुल्म व सितम के हवाले करना था, लेकिन इसकी हिकमत आप (ﷺ) ने ख़ुद बता दी कि अल्लाह यक़ीनन उनके लिए कुशादगी और निकलने की सूरत पैदा करेगा और आप (ﷺ) की ये पेशीनगोई पूरी हूई और इस सुलह के नतीजे में काफ़िर कसीर तादाद में मुसलमान हुए, क्योंकि उनको मुसलमानों के साथ मिलने जुलने का मौक़ा मिला, इस्लामी तालीमात से वह रोशनास हुए, वह नबी अकरम(ﷺ) और मुसलमानों के अख़लाक़ व किरदार से आगाह हुए, उनको आप (ﷺ) के हालात और मोजिज़ात को सुनने का मौक़ा मिला और उसके नतीजे में फ़तहे मक्का का रास्ता हमवार हुआ और फ़तहे मक्का के दिन तमाम मुश्रिकीने मक्का मुसलमान हो गये, बाक़ी रहा ये मसला कि जब आपने हज़रत अली(رضی اللہ عنہ) से ये कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का लफ़्ज़ मिटा दो तो उन्होंने आपकी तौक़ीर व तकरीम को मल्हूज़ रखते हुए ये अर्ज़ किया कि मेरे लिए ये लफ़्ज़ मिटाना मुमकिन नहीं, जैसा कि आपने जब अबू बक्र (رضی اللہ عنہ) से पूछा, जब मैंने तुम्हें नमाज़ पढ़ाते रहने का हुक्म दिया था तो फिर तुम पीछे क्यों हट गये? तो हज़रत अबू बक्र (رضی اللہ عنہ) ने अर्ज़ की, अबू क़ुहाफ़ा के बेटे के लिए आपकी मौजूदगी में नमाज़ पढ़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए आपने दोबारा हज़रत अली (رضی اللہ عنہ) को हुक्म नहीं दिया कि नहीं तुम ज़रूर इसको मिटाओ, वरना आप (ﷺ) अल्अम्रू फ़ौकल अदब के तहत आपके वजूबी हुक्म का इंकार न कर सकते, यही सूरते हाल वाक़िया क़िरतास में पेश आई, हज़रत उमर और दूसरे सहाबा ने, बीमारी की हालत में आपको लिखवाने की तकलीफ़ देना, आपकी ताज़ीम व तौक़ीर के मुनाफ़ी समझा और आपने दोबारा इस पर इस्रार न किया, वरना उनके लिए आपके हुक्म की मुख़ालिफ़त मुमकिन न थी।

(4633) अबू वाइल (रह.) से रिवायत है कि सिफ़्फ़ीन के दिन हज़रत सहल बिन हुनैफ़ (رضی اللہ عنہ) खड़े होकर कहने लगे, ऐ लोगो! अपनी सोच को मुत्तहम क़रार दो, अपने आपको क़सूरवार ख़याल करो, हम हुदैबिया के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे, अगर हम जंग

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ،

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفِّينَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا وَذَلِكَ فِي الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ قَالَ " بَلَى " . قَالَ أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ قَالَ " بَلَى " . قَالَ فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ " يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا " . قَالَ فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبِرْ مُتَغَيِّظًا فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ قَالَ بَلَى . قَالَ أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى . قَالَ فَعَلاَمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا . قَالَ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ

ज़रूरी समझते तो ज़रूर लड़ते और ये उस सुलह की बात है, जो रसूलुल्लाह (ﷺ) और मुश्रिकों के दरम्यान हुई, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! क्या हम हक़ पर और वह बातिल पर नहीं हैं,आपने फ़रमाया: 'क्यों नहीं' उन्होंने कहा तो फिर अपने दीन में हम दबाव क्यों क़बूल करें और इस हाल में लौट जायें कि अभी अल्लाह ने हमारे और इनके दरम्यान फ़ैसला नहीं किया? तो आपने फ़रमाया: 'ऐ ख़त्ताब के बेटे! मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह मुझे कभी ज़ाया नहीं करेगा।' तो उमर(ﷺ) चल दिये और गुस्से पर क़ाबू न पा सके (गुस्से की वजह से रूक न सके) और अबू बक्र (ﷺ) के पास आये और कहा, ऐ अबू बक्र(ﷺ)! क्या हम हक़ पर और वह बातिल पर नहीं हैं? अबू बक्र ने कहा, क्यों नहीं, उमर(ﷺ) ने कहा, क्या हमारे मक़्तूल जन्नत में और उनके मक़्तूल जहन्नम में नहीं होंगे? अबू बक्र(ﷺ) ने कहा, क्यों नहीं, उमर (ﷺ) ने कहा, फिर हम अपने दीन में कमज़ोरी और कोताही क्यों क़बूल करें? और इस हाल में क्यों वापस लौटें कि अभी अल्लाह तआला ने हमारे और उनके दरम्यान फ़ैसला नहीं किया? तो अबू बक्र (ﷺ) ने कहा, ऐ ख़त्ताब के बेटे? आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, हज़रत सहल कहते

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْفَتْحِ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَفَتْحٌ هُوَ قَالَ " نَعَمْ " . فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ .

हैं, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) पर फ़तह की बशारत के सिलसिले में क़ुर्आन उतरा तो आपने उमर (رضي الله عنه) की तरफ़ पैग़ाम भेजा और उन्हें क़ुर्आन पढ़ाया तो उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ये फ़तह है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हाँ' और वह ख़ूश ख़ूश मुतमइन होकर लौट आये।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3181, 3182, 4189, 4844, 7308.

मुफ़रदातुल हदीस़ : क़ामा सहल बिन हुनैफ़ यौम सिफ़्फ़ीनः हज़रत अली और हज़रत मुआविया(رضي الله عنه) के दरम्यान सिफ़्फ़ीन के मुक़ाम पर जंग छिड़ी और वह इन्तेहाई शिद्दत इख़्तियार कर गई तो हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) ने हज़रत अली (رضي الله عنه) को क़ुर्आन मजीद को हकम मानने का पैग़ाम भेजा, हज़रत अली (رضي الله عنه), उसको क़ुबूल करने पर आमादा हो गये तो ख़्वारिज ने जंग जारी रखने पर इस्रार किया तो हज़रत सहल बिन हुनैफ़ (رضي الله عنه) लोगों को सुलह पर आमादा करने के लिए खड़े हुए, और कहने लगे, सुलह का नतीजा हर सूरत में बेहतर निकलता है, अगर्चे वह बज़ाहिर पसन्दीदा अमल नज़र नहीं आता, देखिये सुलह हुदैबिया के वक़्त, मुसलमानों के जज़्बात व एहसासात, इस सुलह के मुख़ालिफ़ थे यहाँ तक कि हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने इस सिलसिले में बड़े ज़ोरदार अन्दाज़ में रसूलुल्लाह(ﷺ) से गुफ़्तगू की, फिर अपने साथ मिलने के लिए हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) से भी मुकालमा किया और सुलह की शर्तों की क़बूलियत को दीन में ख़स्त दबाव और कोताही को क़बूल करना क़रार दिया, लेकिन आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसकी रहनुमाई में बात करता हूँ।' इसलिए उसकी मर्ज़ी और मंशा की मुख़ालिफ़त नहीं कर सकता और ये सुलह हमारे हक़ में जायेगी और अबू बक्र (رضي الله عنه) ने भी रसूलुल्लाह (ﷺ) की ताईद की और फिर इस सिलसिले में क़ुर्आन मजीद का नुज़ूल हुआ और सूरह फ़तह में इस सुलह को फ़तह का नाम दिया गया और बाद में वाक़ियात ने इसकी तस्दीक़ की, इसलिए इत्तहमू अन्फ़ुसकुम, तुम जंग के जारी रखने के इस्रार के सिलसिले में अपने आपको क़ुसूरवार समझो, तुम्हारी ये राय और सोच नाक़िस है कि सुलह की बजाये जंग जारी रहनी चाहिए, सुलह का नतीजा ही बेहतर होता है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ

(4634) हज़रत शक़ीक़ (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत सहल बिन हुनैफ़ (رضي الله عنه) को सिफ़्फ़ीन के मौक़े पर ये कहते सुना, ऐ लोगों!

عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، يَقُولُ بِصِفِّينَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَنِّي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَرَدَدْتُهُ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ قَطُّ إِلاَّ أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ إِلاَّ أَمْرَكُمْ هَذَا . لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ إِلَى أَمْرٍ قَطُّ .

अपनी सोच पर इल्ज़ाम आइद करो, अल्लाह की क़सम! मैंने अबू जन्दल के दिन अपने आपको इस हाल में पाया कि अगर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) का हुक्म रद कर सकने लायक़ होता तो ज़रूर रद कर देता, अल्लाह की क़सम! हमने जब भी किसी मामले के सिलसिले में तलवारें अपने कंधों पर रखीं तो वह आसानी के साथ हमें अच्छी और बेहतरीन नतीजे की तरफ़ ले गईं, मगर तुम्हारा मामला (तलवारों से हल नहीं हो रहा) इब्ने नुमैर की रिवायत में इला अम्रिन क़त्तु के अल्फ़ाज़ नहीं हैं।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4609 में देखे।

मुफ़रदातुल हदीस़ : लक़द रअय्तुनी यौम अबी जन्दल: इसमें हज़रत अबू जन्दल (ؓ) के वाक़िये की तरफ़ इशारा है क वह अपने बाप के क़ैद ख़ाने से, बेड़ियों में जकड़ा हुआ, ज़ुल्म व सितम से निजात पाने के लिए भाग कर बड़ी तकलीफ़ से मुसलमानों के पास पहुँचा और जब उसके बाप ने उसकी वापसी का मुतालबा किया और आप (ﷺ) ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उसका बाप, उसको मुसलमानों के पास छोड़ने पर आमाद हो जाये यहाँ तक कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया, तुम इसे मेरी ख़ातिर ही छोड़ दो, उसने कहा, मैं आप (ﷺ) की ख़ातिर भी नहीं छोड़ सकता यहाँ तक कि इसे अबू जन्दल के चेहरे पर चाँटा रसीद किया और उसको वापस ले जाने के लिए कुरते का गला पकड़ कर घसीटने लगा और हज़रत अबू जन्दल (ؓ) ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहने लगे, ऐ मुसलमानों! क्या मैं मुश्रिकीन की तरफ़ वापस किया जाऊंगा कि वह मुझे और मेरे दीन से बरगश्ता करें, इसके बावजूद सुलह की ख़ातिर, रसूलुल्लाह (ﷺ) अबू जन्दल को वापस करने पर तैयार हो गये और हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान को रद न कर सके और हमने जब भी कंधों पर तलवार रखी और लड़ाई लड़ी तो इससे हमारे लिए आसानी और सहूलत का रास्ता खुला और बेहतर नताइज बरआमद हुए, मगर इस बाहमी जंग का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, इसलिए सुलह पर आमादा होना बेहतर है, अगर काफ़िरों से बज़ाहिर दब कर सुलह करना बेहतरीन नताइज पैदा करता है तो मुसलमानों की बाहमी जंग को ख़त्म करने के लिए सुलह के नताइज क्यों बेहतरीन बरआमद नहीं होंगे, इसलिए जंग पर इस्रार छोड़ो, सुलह के लिए तैयार हो जाओ।

(4635) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की दो सनदों से आमश ही की सनद ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं और उनकी हदीस में ये लफ़्ज़ हैं, इला अम्रिन युफ़्ज़िउना ऐसा मामला जो हमारे लिए ख़ौफ़नाक होता (और हमारे लिए इन्तेहाई नागवारी का बाइस बनता)

तख़रीजः ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4609 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِهِمَا إِلَى أَمْرٍ يُفْظِعُنَا .

(4636) हज़रत अबू वाइल (रह.) बयान करते हैं कि मैंने जंगे सिफ़्फ़ीन के मौक़े पर हज़रत सहल बिन हुनैफ़ (ﷺ) से सुना, दीन के सिलसिले में अपनी सोच और राय को नाक़िस समझो, मैंने अबू जन्दल (ﷺ) के दिन अपने आपको इस कैफ़ियत में पाया कि अगर मेरे लिए रसूलुल्लाह(ﷺ) की बात को रद करना मुमकिन होता (तो मैं ज़रूर कर देता) तुम्हारी राय तो ऐसी है कि हम जब भी कोई किनारा हल करते हैं, (किसी मुश्किल का हल निकालते हैं) तो हमारे ख़िलाफ़ कोई और सूराख़ जारी हो जाता है।

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، بِصِفِّينَ يَقُولُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - مَا فَتَحْنَا مِنْهُ فِي خُصْمٍ إِلاَّ انْفَجَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خُصْمٌ .

नोट : मा फ़तहना मिन्हुः किसी रावी का वहम है, सही लफ़्ज़ मा सद्दना है, जैसा कि बुख़ारी शरीफ़ में है, क्योंकि इन्फ़िजार के मुक़ाबले में सद है कि जब हम कोई सूराख़ बंद करते हैं तो दूसरा सूराख़ खुल जाता है, मक़सद ये है, माज़ी में तलवारें मुसलमानों के लिए सहूलत व आसानी और ख़ैर का बाइस बनती थीं, लेकिन मुसलमानों की बाहमी जंग में तलवारों के नतीजे में ख़राबी और बिगाड़ ही बढ़ रहा है।

(4637) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि जब हुदैबिया से वापसी पर सूरह फ़तह की पाँच इब्तेदाई आयात (इन्ना फ़तह्ना लक फ़तहम् मुबीना) से लेकर

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي، عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ لَمَّا

نَزَلَتْ { إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ} إِلَى قَوْلِهِ { فَوْزًا عَظِيمًا} مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْىَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ " لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَىَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا".

फ़ौज़न अज़ीमा तक उतरीं और मुसलमानों पर ग़म व हुज़्न और मलाल तारी था और आप (ﷺ) ने हुदैबिया में कुर्बानी का ऊँट ज़बह किया था तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझ पर ऐसी आयत उतरी, जो मुझे तमाम दुनिया से ज़्यादा महबूब है।'

फ़ायदा : इन आयात में से पहले आयत में, आप (ﷺ) के लिए फ़तह, मग़फ़िरते आम्मा, इत्मामे नेमत, सिराते मुस्तक़ीम की हिदायत और नसरे अज़ीज की बशारत दी गई है, इसलिए आप (ﷺ) ने इसे तमाम दुनिया से महबूब क़रार दिया।

मुफ़रदातुल हदीस : अलकाबा: ग़म व हुज़्न की वजह पज़मुर्दगी तारी होना, हौसला टूट जाना।

وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ .

(4638) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की सनदों से, ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

फ़ायदा : कुछ हज़रात ने इन अहादीस़ से जिनमें क–त–ब का लफ़्ज़ आया है, जैसे (क–त–ब इला क़ैसर व इला किस्रा क–त–ब इला अह्लिल यमन, कतबन्नबी (ﷺ) वग़ैरह अल्फ़ाज़ से ये इस्तेदलाल किया है कि ये तमाम ख़ुतूत आप (ﷺ) ने बज़ाते ख़ुद लिखे थे, लिहाज़ा आप लिखना जानते थे, हालंकि आपके ख़ुतूत लिखने के लिए, हज़रत ज़ैद बिन साबित और हज़रत मुआविया(رضي الله عنه) मुक़र्रर थे और आपके हुक्म से लिखते थे और जो आप चाहते, वही लिखते थे, इसलिए, लिखने की निस्बत आपकी तरफ़ की गई है और ये मारूफ़ तरीक़ा है कि निस्बत आमिर (हुक्म देने वाला) की तरफ़ की जाती है, जैसे अबू शाह लैनी ने कहा था (उक्तुब या रसूलल्लाह) ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे लिख दीजिये, यानी लिखवा दीजिये, इसलिए आप (ﷺ) ने फ़रमाया: (उक्तुबू लिअबी शाह) अबू शाह को लिख दो।

बाब : 35
अहद को पूरा करना

(35)
باب الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

(4639) हज़रत हुनैफ़ बिन यमान (ﷺ) बयान करते हैं कि मुझे जंगे बद्र में शिर्कत से सिर्फ़ इस चीज़ ने रोका कि मैं और मेरा बाप हुसैल (यमान का नाम है) दोनों निकले तो हमें काफ़िर कुरैशियों ने पकड़ लिया और कहने लगे, तुम मुहम्मद (ﷺ) के पास जाना चाहते हो? तो हमने कहा, हम उसके पास नहीं जाना चाहते, हम तो सिर्फ़ मदीना जाना चाहते हैं तो उन्होंने हमसे अल्लाह के नाम पर अहद और पैमान लिया कि हम मदीने की तरफ़ लौट जायेंगे और आप (ﷺ) के साथ मिलकर जंग में हिस्सा नहीं लेंगे तो हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपको हक़ीक़ते हाल से आगाह किया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'वापस चले जाओ, हम उनसे किया हुआ अहद पूरा करेंगे और उनके ख़िलाफ़ अल्लाह तआला से मदद तलब करेंगे।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، قَالَ مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ، بَدْرًا إِلاَّ أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي - حُسَيْلٌ - قَالَ فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ قَالُوا إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا مَا نُرِيدُهُ مَا نُرِيدُ إِلاَّ الْمَدِينَةَ . فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلاَ نُقَاتِلُ مَعَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ " انْصَرِفَا نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ " .

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि कुफ़्फ़ार से किया गया अहद पैमान पूरा किया जायेगा और काफ़िरों को ये तअ़ना देने का मौक़ा नहीं दिया जायेगा कि मुसलमान अहद तोड़ते हैं, अगरचे इस अहद की पाबन्दी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इमाम के साथ मिलकर काफ़िरों से जिहाद करना दीनी फ़रीज़ा है, इसलिए इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ेई का नज़रिया ये है कि अगर मुसलमान क़ैदी काफ़िरों से अहद कर ले, मैं भागूंगा नहीं तो इस पर इस अहद की पाबन्दी ज़रूरी नहीं है, उसे अगर भागने का मौक़ा मिले तो वह भाग सकता है, लेकिन इमाम मालिक के नज़दीक हदीस का ज़ाहिरी तक़ाज़ा यही है कि अहद की पाबन्दी ज़रूरी है, हाँ अगर वह इससे जबरदस्ती क़सम लें कि वह भागेगा नहीं तो जब्र की बिना पर उस क़सम का ऐतबार नहीं है।

बाब : 36
ग़ज़्व-ए-अहज़ाब (जंगे ख़न्दक़)

(36)
باب غَزْوَةِ الأَحْزَابِ

(4640) इब्राहीम तैमी (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि हम हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) के पास थे तो एक आदमी ने कहा, अगर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को पा लेता तो आप (ﷺ) की मईयत में जंग में शरीक होता और ख़ूब जौहर दिखाता तो हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) ने कहा तू ये काम करता? वाक़िया ये है, हमने अपने आपको अहज़ाब की रात रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ इस हाल में देखा कि सख़्त हवा और सर्दी से हम दो चार थे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या कोई आदमी है जो मुझे दुशमन के हालात मालूम करके बताये, अल्लाह क़यामत के दिन उसे मेरी रफ़ाक़त नसीब करेगा?' तो हम सब ख़ामोश हो गये, हममें से किसी ने आपको जवाब न दिया, आप (ﷺ) ने फिर फ़रमाया: 'क्या कोई आदमी है, जो हमें दुशमन के बारे में मालूमात फ़राहम करे, अल्लाह उसे क़यामत के दिन मेरा साथ इनायत फ़रमायेगा?' तो हम ख़ामोश हो गये और हममें से किसी ने आपको जवाब न दिया, फिर आपने तीसरी बार फ़रमाया: 'क्या कोई मर्द है, जो हमारे पास उन लोगों के हालात मालूम करके लाये, अल्लाह उसे क़यामत के दिन मेरी मईयत नसीब करेगा?' तो हम ख़ामोश हो गये और हममें से किसी ने आपको जवाब न दिया

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ رَجُلٌ لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الأَحْزَابِ وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ " أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ " أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ فَقَالَ " قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ " . فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومَ قَالَ

" اذْهَبْ فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَىَّ " . فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبِدِ الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَىَّ " . وَلَوْ رَمَيْتُهُ لأَصَبْتُهُ فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ " قُمْ يَا نَوْمَانُ " .

तो आपने फ़रमाया: 'ऐ हुज़ैफ़ा, हमें उन लोगों के बारे में मालूमात पहुँचाओ।' तो मेरे लिए जाने के सिवा कोई चारा न रहा क्योंकि आप (ﷺ) ने मेरा नाम लेकर कहा कि मैं उठूं, आपने फ़रमाया, 'जाओ, मेरे पास उनके बारे में मालूमात हासिल करके आओ और उन्हें मेरे ख़िलाफ़ न भड़काना।' तो जब मैं आपके पास से चल पड़ा तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि मैं हम्माम में चल रहा हूँ यहाँ तक कि मैं उनके पास पहुँच गया तो मैंने अबू सुफ़ियान को देखा कि वह आग से अपनी पुश्त ताप रहा है तो मैंने कमान के दरम्यान तीर रख लिया और उसको निशाना बनाना चाहा कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये फ़रमान याद आ गया, 'उन्हें मेरे ख़िलाफ़ न भड़काना।' अगर मैं उस पर तीर फेंकता तो वह निशाना पर लगता तो मैं वापस लौटा और मुझे यूँ लग रहा था, जैसे मैं हम्माम में चल रहा हूँ तो जब मैं आपके पास पहुँचा और आपको उन लोगों के हालात से आगाह करके फ़ारिग़ हुआ तो मुझे सर्दी लगने लगी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे उस चादर (कम्बली) का ज़्यादा हिस्सा पहनाया, (मुझ पर डाल दिया) जिसमें आप (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी तो मैं सुबह तक सोया रहा तो जब सुबह हो गई तो आपने फ़रमाया: 'उठो, ऐ सोतड़।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) **अन्ता कुन्ता तफ़्अलु ज़ालिकः** ये इस्तेफ़हामे इन्कारी है कि तू समझता है, मैं अगर आप (ﷺ) के साथ होता तो आपकी ख़ूब मदद करता और सहाबा (رضي الله عنهم) से ज़्यादा जौहर दिखाता जो नामुमकिन बात है। (2) **कुर्रूनः** शदीद सर्दी (3) **फ़लम युजिब्हु अहदुनः** यानी

इन्तेहाई जानिसार और फ़िदाकार सहाबा, जंगे ख़न्दक़ के हालात से इस क़द्र थके और हार गये कि उस अज़ीम बशारत को बार बार सुन कर भी जाने के लिए तैयार न हुए, हालांकि वह आप(ﷺ) की नुसरत व हिमायत में हर क़िस्म के ख़तरात और मसाइब में कूद जाने के लिए हर वक़्त तैयार रहते थे तो तू आप (ﷺ) की क्या मदद करता। **(4) ला तज़्अर्हुम अलय्या:** उन्हें मेरे ख़िलाफ़ न भड़काना कि तुम कुछ छेड़ख़ानी करो और वह तुम्हारे पीछे लग जायें। **(5) कअन्नमा अम्शी फ़ी हम्माम:** लोग सर्दी में ठिठुर रहे थे, लेकिन मैं तेज़ हवा और सर्दी की ठण्डक से महफ़ूज़ गर्मी में चल रहा था और ये आपके हुक्म के इम्तेसाल और आप (ﷺ) की दुआ का नतीजा था कि जब तक वह आपके काम में मसरूफ़ रहे, उन्हें सर्दी महसूस नहीं हूई और जब उस काम से फ़ारिग़ हो गये तो उन्हें सर्दी लगने लगी। नौमान: सोतड़, बहुत सोने वाला, ये बात आप (ﷺ) ने दिल लगी करते हुए फ़रमाई।

फ़ायदा : हज़रत हुज़ैफ़ा (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान के मुताबिक़, मुश्रिकीने मक्का के दरम्यान जा घुसे और अल्लाह की मार ने उनका बुरा हश्र कर रखा था, उनकी हाण्डियाँ उलट दीं, ख़ैमे उखाड़ दिये, आग बेक़रार हो रही थी तो अबू सुफ़ियान ने उठ कर कहा, ऐ क़ुरैश की जमाअत, हर इंसान अपने इर्द गिर्द देख ले? अपने साथी को पहचान ले (कि कहीं मुसलमानों का जासूस मौजूद न हो) हज़रत हुज़ैफ़ा (رضي الله عنه) कहते हैं, मैंने अपने साथ वाले का हाथ पकड़ लिया और पूछा तू कौन है? उसने कहा, मैं फ़ुलां बिन फ़ुलां हूं, (अपना नाम बताया) फिर अबू सुफ़ियान ने कहा, ऐ क़ुरैश के लोगो! अल्लाह की क़सम! अब यहाँ रहना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, घोड़े और ऊँट हलाक हो रहे हैं, बनू क़ुरैज़ा ने हमारे साथ बद अहदी की है और उनकी तरफ़ से नापसन्दीदा बातें हम तक पहुँचाई हैं और तेज़ हवा ने हमारा जो हश्र किया है, वह तुम्हारे सामने है, कूच करो, मैं तो चल रहा हूं, फिर वह अपने ऊँट का ज़ानू बंद खोला और अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ये तल्क़ीन न होती कि मेरे पास वापस आने तक कोई हरकत न करना तो मैं उसे क़त्ल कर डालता, फिर मैं वापस रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आ गया और आप खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे और आप (ﷺ) पर अज़वाजे मुतहहरात में से किसी की चादर थी, ग़ज़्व–ए–ख़न्दक़ शव्वाल 5 हिजरी में पेश आया और मुश्रिकीन ने तक़रीबन एक माह तक रसूलुल्लाह (ﷺ) और मुसलमानों का मुहासरा जारी रखा, जिसका आग़ाज़ शव्वाल से हुआ और ख़ातिमा ज़ीक़ादा में। तफ़्सीलात के लिए, अर्रहीक़ुल मख़्तूम देखिये।

बाब : 37
ग़ज़्व-ए-उहुद

(37)
باب غَزْوَةِ أُحُدٍ

وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، وَثَابِتٍ، الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُفْرِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ " مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ " . فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضًا فَقَالَ " مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ " . فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِصَاحِبَيْهِ " مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا " .

(4641) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ), जंगे उहुद के दिन सात अन्सारियों और दो क़ुरैशियों के साथ अलग कर दिये गये तो जब दुशमन ने आपको घेर लिया, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, उनको हमारे पास से कौन हटायेगा, उसको जन्नत मिलेगी या वह जन्नत में मेरा रफ़ीक़ होगा?' तो एक अन्सारी आगे बढ़ा और लड़ कर शहीद हो गया, फिर उन्होंने आपको घेर लिया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'इनको हमसे कौन दूर हटायेगा, उसे जन्नत मिलेगी या वह मेरा जन्नत में साथी होगा? 'तो अन्सार में से एक आदमी आगे बढ़ा और लड़ता हुआ शहीद हो गया, इसी तरह यही सूरते हाल जारी रही यहाँ तक कि सातों अन्सारी शहीद हो गये, फिर आपने अपने क़ुरैशी साथियों से कहा: हमने अन्सार साथियों के साथ इन्साफ़ नहीं किया।' (क्योंकि क़ुरैशियों में से कोई भी आगे न बढ़ा था।)

मुफ़रदातुल हदीस़ : मा अन्सफ़ना अस्हाबुना: अगर अस्हाबना मफ़ऊल बिही हो तो मानी होगा, क़ुरैशियों ने, अन्सार से इन्साफ़ नहीं किया कि वह एक एक करके निकल रहे और शहीद होते रहे, लेकिन दोनों क़ुरैशियों में से कोई भी आगे न बढ़ा और अगर अस्हाबुना, फ़ाइल हो तो मानी होगा, हमसे अलग होने वाले, भागने वाले साथियों ने इन्साफ़ नहीं किया और हमें दुशमन के दरम्यान छोड़ गये।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ

(4642) अबू हाज़िम (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत सहल बिन सअ़द (ﷺ) से जंगे

بْنَ سَعْدٍ، يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَغْسِلُ الدَّمَ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لاَ يَزِيدُ الدَّمَ إِلاَّ كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ .

उहुद के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़ख़्मी होने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया, रसूलुल्लाह(ﷺ) का चेहरा ज़ख़्मी हो गया था और आपका एक रूबाई दाँत तोड़ डाला गया और आपके सर पर ख़ुद तोड़ दी गई, रसूलुल्लाह(ﷺ) की लख़्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा(رضي الله عنها), ख़ून धो रही थीं और हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) ढाल से उस पर पानी डाल रहे थे तो जब हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) ने देखा कि पानी से तो ख़ून ज़्यादा निकल रहा है तो उन्होंने चटाई का एक टुकड़ा जलाया यहाँ तक कि वह राख बन गया तो उसे ज़ख़्म पर लगाया तो ख़ून रूक गया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2911, 4075, 5722.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) हुशिमतिल बैज़तुः ख़ूद (लोहे की टोपी) को तोड़ दिया गया। **(2) यस्कुबु अ़लैहा बिल मिजन्निः** वह ख़ुद से ज़ख़्म पर पानी डाल रहे थे।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَمَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ . وَبِمَاذَا دُووِيَ جُرْحُهُ . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ وَجُرِحَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَكَانَ هُشِمَتْ كُسِرَتْ .

(4643) अबू हाज़िम (रह.) से रिवायत है कि हज़रत सहल बिन सअ़द (رضي الله عنه) से रसूलुल्लाह(ﷺ) के ज़ख़्म के बारे में सवाल किया गया, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा, सुनो! अल्लाह की क़सम! मैं ख़ूब जानता हूँ, कौन रसूलुल्लाह (ﷺ) का ज़ख़्म धो रहा था और कौन पानी डाल रहा था और आप (ﷺ) के ज़ख़्म का इलाज किस चीज़ से किया गया, फिर ऊपर दी गई हदीस़ बयान की, हाँ ये इज़ाफ़ा है, आपका चेहरा ज़ख़्मी कर दिया गया और हुशिमत की जगह कुसिरत है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2903, 4075, 5722.

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ، أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ، وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُطَرِّفٍ - كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ، بْنِ سَعْدٍ . بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ أُصِيبَ وَجْهُهُ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُطَرِّفٍ جُرِحَ وَجْهُهُ .

(4644) इमाम साहब अपने मुख़्तलिफ़ उस्तादों की सनदों से अबू हाज़िम की हज़रत सहल बिन सअद (ﷺ) की नबी अकरम (ﷺ) की हदीस़ बयान करते हैं और इब्ने अबी हिलाल की रिवायत में है आपका चेहरा ज़ख़्मी कर दिया गया ऊपर 'जुरिहा' का लफ़्ज़ था यहाँ 'उसीब' जिनका मानी एक ही है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 243, 3037, 5248, जामेअ तिर्मिज़ी: 2085, सुनन इब्ने माजा: 3464.

फ़ायदा : जंगे उहुद में जब मुसलमानों ने शानदार फ़तह हासिल कर ली तो जबले रूमात पर आप(ﷺ) ने जिन तीर अन्दाज़ों को मुतअय्यन फ़रमाया थ, उन्होंने एक ख़ौफ़नाक ग़लती का इरतेकाब किया, आप (ﷺ) ने उन्हें हर हाल में अपने पहाड़ी मोर्चे पर डटे रहने की सख़्त ताकीद फ़रमाई, लेकिन उन ताकीदी अहकामात के बावजूद जब उन्होंने देखा कि मुसलमान दुशमन का माले ग़नीमत लूट रहे हैं तो वह भी इसकी लालच में, अपने मोर्चे को छोड़ने के लिए तैयार हो गये उनके कमांडर ने उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहकामात याद दिलाये, लेकिन उनकी ग़ालिब अक्सरियत ने उनकी बात को अहमियत नहीं दी, पच्चास में से चालीस तीर अन्दाज़ों ने अपने मोर्चे छोड़ दिये और माले ग़नीमत समेटने के लिए आम लश्कर के साथ आ मिले, ख़ालिद बिन वलीद ने इस सुनहरा मौक़ा से फ़ायदा उठाया, चंद लम्हों में हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (ﷺ) के साथ रह जाने वाले चंद साथियों का सफ़ाया करके मुसलमानों पर टूट पड़े, उनके शहवारों ने एक नारा बुलन्द किया, जिससे मुश्रिकीन का शिकस्त ख़ूरदा लश्कर दोबारा जमा हो गया, अब मुसलमान आगे और पीछे से घेरे में आ गये, उस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) सिर्फ़ नौ सहाबा (ﷺ) के साथ पीछे तशरीफ़ फ़रमा थे, आज़माइश के इस नाज़ुक तरीन लम्हे में आप (ﷺ) ने जान बचाकर भागने के बजाये, अपनी जान ख़तरे में डाल कर सहाबा किराम (ﷺ) को बचाने का फ़ैसला किया और निहायत बुलन्द आवाज़ से सहाबा को पुकारा, अल्लाह के बंदो! इधर आओ, मुश्रिकों को पता चल गया कि आप (ﷺ) उधर हैं, लिहाज़ा उनका दस्ता मुसलमानों से पहले आने तक पहुँच गया,

उस वक़्त ये वाक़िया पेश आया कि मुश्रिकों ने आप (ﷺ) पर पूरा बोझ डाल दिया और चाहा कि आपका काम तमाम कर दें, इस हमले में उत्बा बिन अबी वक़्क़ास ने आपको पत्थर मारा, जिससे आप पहलू के बल गिर गये और आपका दाहिना निचला रूबाई दाँत टूट गया और आपका निचला हौंट ज़ख़्मी हो गया, अब्दुल्लाह बिन क़ुमैया ने एक ज़ोरदार तलवार मारी, जो आँख से नीचे की उभरी हुई हड्डी पर लगी, उसकी वजह से ख़ूद की दो कड़ियाँ आपके चेहरा अनवर के अंदर घुस गईं, उसने कहा, लिजिये! मैं क़ुमैया (तोड़ने वाला) का बेटा हूँ, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चेहरे से ख़ून पौंछते हुए फ़रमाया: 'अल्लाह तुझे तोड़ डाले।' जंगे उहुद की तफ़्सीलात सीरत की किताबों में देखिए।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ " كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ " . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ}

(4645) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उहुद के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) का एक रूबाई दाँत तोड़ डाला गया और आप (ﷺ) के सर पर ज़ख़्म लगाया गया तो आप (ﷺ) उससे ख़ून साफ़ करने लगे और फ़रमाते थे: 'वह क़ौम कैसे कामयाब हो सकती है, जिसने अपने नबी का सर ज़ख़्मी कर डाला और उसका रूबाई दाँत तोड़ डाला, हालांकि वह उन्हें अल्लाह की तरफ़ बुलाता है?' तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई, 'इस मामले में तेरा कोई इख़्तियार नहीं है।' (आले इमरान, आयत नम्बर 128)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ " رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ " .

(4646) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) बयान करते हैं, गोया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को देख रहा हूँ कि आप अम्बिया में से एक नबी का वाक़िया नक़ल कर रहे हैं, उसकी क़ौम ने उसे मारा और वह अपने चेहरे से ख़ून पौंछते हुए फ़रमा रहे हैं: 'ऐ रब मेरी क़ौम को बख़्श दे, क्योंकि उन्हें इल्म नहीं है।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3477, 6929, सुनन इब्ने माजा: 4025.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَهُوَ يَنْضِحُ الدَّمَ عَنْ جَبِينِهِ .

(4647) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से आमश ही की ऊपर दी गई सनद से रिवायत बयान करते हैं, मगर इसमें ये अल्फ़ाज़ हैं, वह अपनी पेशानी से ख़ून साफ़ कर रहे हैं।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4622 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस़ : यसल्तु, यम्सहु, यन्ज़हु: तीनों अल्फ़ाज़ का मफ़हूम साफ़ करना और पोंछना है।

(38)
باب اشْتِدَادِ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

बाब : 38
जिस शख़्स को रसूलुल्लाह (ﷺ) क़त्ल कर दें, उस पर अल्लाह की ग़ज़ब की शिद्दत का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا هَذَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " . وَهُوَ حِينَئِذٍ يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

(4648) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला का गुस्सा उस क़ौम पर इन्तेहाई सख़्त होगा जिन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ये सुलूक किया' और आप उस वक़्त अपने रूबाई दाँत की तरफ़ इशारा कर रहे थे और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला का गुस्सा उस शख़्स पर इन्तेहाई सख़्त होता है, जिसे अल्लाह का रसूल, अल्लाह की राह में क़त्ल कर डाले।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 4073.

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, अल्लाह तआला के मुक़र्रब बंदों को तंग करना, अल्लाह तआला के ग़ैज़ व ग़ज़ब को दावत देना है और जिसके ख़िलाफ़ वह हाथ उठाने पर मजबूर हों, वह इन्तेहाई बदबख़्त होता है।

बाब : 39
वह तकलीफ़ जो रसूलुल्लाह (ﷺ) को मुश्रिकों और मुनाफ़िक़ों की तरफ़ से पहुँचे

(39)
باب مَا لَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

(4649) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल्लाह के पास नमाज़ पढ़ रहे थे, अबू जहल और उसके साथी बैठे हुए थे और गुज़िश्ता कल एक ऊँटनी ज़बह की गई थी तो अबू जहल ने कहा तुममें से कौन, बनू फ़ुलां की ऊँटनी की बच्चे दानी उठा लायेगा और जब मुहम्मद सज्दा करेगा तो उसके कंधों के दरम्यान रख देगा? तो सबसे बदबख़्त शख़्स उठा और उसे उठा लाया, फिर जब नबी अकरम (ﷺ) सज्दे में गये, उसे आप (ﷺ) के कंधों के दरम्यान रख दिया और वह एक दूसरे को हँसने लगे और हँसी से लोट पोट होकर एक दूसरे पर गिरने लगे, हज़रत इब्ने मसऊद बयान करते हैं कि मैं खड़ा हुआ ये मन्ज़र देख रहा था, अगर मुझे तहफ़्फ़ुज़ और पनाह हासिल होती तो मैं उसे आप (ﷺ) की पुश्त से फैंक देता, नबी अकरम(ﷺ) सज्दे में पड़े हूए थे, अपना सर नहीं उठा रहे थे यहाँ तक कि एक आदमी गया और उसने हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) को इत्तिला दी, वह आईं जबकि वह एक नौख़ेज़ बच्ची थीं और उन्होंने आपसे उसे फैंक दिया, फिर उनकी तरफ़ मुतवज्जा होकर उन्हें बुरा भला कहने

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالأَمْسِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلاَ جَزُورِ بَنِي فُلاَنٍ فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُهُ فِي كَتِفَىْ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَأَخَذَهُ فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ فَاسْتَضْحَكُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْضٍ وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ . لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَ فَاطِمَةَ فَجَاءَتْ وَهِيَ

جُوَيْرِيَةُ فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ . ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتِمُهُمْ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلاَثًا . وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضِّحْكُ وَخَافُوا دَعْوَتَهُ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ " . وَذَكَرَ السَّابِعَ وَلَمْ أَحْفَظْهُ فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ سَمَّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ غَلَطٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

लगीं तो जब नबी अकरम (ﷺ) अपनी नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो आपने बलन्द आवाज़ से उनके लिये बद दुआ की और आप (ﷺ) जब दुआ फ़रमाते तो तीन दफ़ा दुआ फ़रमाते और जब माँगते तो तीन दफ़ा माँगते, फिर आपने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! क़ुरैश का मुवाख़िज़ा फ़रमा।' तीन दफ़ा फ़रमाया तो जब उन्होंने आप (ﷺ) की आवाज़ सुनी तो उनकी हँसी बंद हो गई और आप (ﷺ) की दुआ से ख़ौफ़ज़दा हो गये, फिर आपने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! अबू जहल बिन हिशाम को पकड़, उत्बा बिन रबीआ, शैबा बिन रबीआ, वलीद बिन उक़्बा, उमैया बिन ख़ल्फ़ और उक़्बा बिन अबी मुऐत को पकड़, रावी कहते हैं, उस्ताद ने सातों का नाम लिया, मुझे याद नहीं रहा, उस ज़ात की क़सम, जिसने मुहम्मद (ﷺ) को हक़ देकर भेजा, मैंने उन लोगों को जिनके आप (ﷺ) ने नाम लिये थे, बद्र के दिन गिरे हुए देखा, फिर उन्हें खींच कर, बद्र के कच्चे कुएँ में फैंक दिया गया, अबू इस्हाक़ कहते हैं, इस हदीस में वलीद बिन उक़्बा का नाम ग़लत है, (क्योंकि वह वलीद बिन उत्बा था)

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 240, 520, 2934, 3185, 3854, 3960, नसाई: 306.

मुफ़रदातुल हदीस : (1) सला जज़ूरिन: बच्चेदानी, हशीमा। **(2) अशक़ल क़ौम:** क़ौम का सबसे बदबख़्त आदमी, ये उक़्बा बिन अबी मुऐत था। **(3) मनअतुन:** मुझे पुश्त पनाही की बिना पर क़ुव्वत व ताक़त हासिल होती क्योंकि मक्का में उनका ख़ानदान मौजूद नहीं था, जो उनकी पुश्त पर होता, अगर उसको मानेअ की जमा बनायें तो मानी होगा, अगर मेरे हिमायती और दिफ़ा करने वाले होते। **(4) जकरस्साबिआ:** अम्र बिन मैमून ने सातवें उमारा बिन वलीद का नाम लिया था लेकिन

अबू इस्हाक़ को याद नहीं रहा और ये सातवां जंगे बद्र में शरीक नहीं था और अलक़लील कल मअदूम के तहत उसको नज़र अंदाज़ कर दिया गया।

फायदा : इस हदीस से साबित होता है कि अगर नमाज़ पर नजासत डाल दी जाये और उसे उसका पता न हो कि मुझ पर क्या डाला गया है तो उसकी नमाज़ हो जायेगी, नीज़ ये वाक़िया मक्की ज़िन्दगी में पेश आया, जहाँ अभी अहकाम की तफ़सीलात का नुज़ूल नहीं हुआ था, इसलिए उसकी नजासत मालूम न थी।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلاَ جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَقَالَ " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلأَ مِنْ قُرَيْشٍ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ أَوْ أُبَىَّ بْنَ خَلَفٍ " . شُعْبَةُ الشَّاكُّ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ غَيْرَ أَنَّ أُمَيَّةَ أَوْ أُبَيًّا تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِئْرِ .

(4650) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि इस दौरान रसूलुल्लाह (ﷺ) सज्दे में थे और आप (ﷺ) के इर्द गिर्द कुछ क़ुरैशी लोग बैठे हुए थे, अचानक उक़्बा बिन अबी मुऐत ऊँटनी की बच्चेदानी उठा लाया और उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की पुश्त पर फैंक दिया तो आप(ﷺ) ने अपना सर न उठाया, फिर हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) आईं और उन्होंने उसे आप (ﷺ) की पुश्त से उठाया और ये हरकत करने वालों को बद दुआ दी और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह, क़ुरैश की जमीअत पर गिरफ़्त फ़रमा, अबू जहल बिन हिशाम, उत्बा बिन रबीआ, उक़्बा बिन अबी मुऐत, शैबा बिन रबीआ, उमैया बिन ख़ल्फ़ या उबय बिन ख़लफ़ (शैबा को शक है) पर गिरफ़्त फ़रमा।' हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) कहते हैं, मैंने उनको बद्र के दिन मक़्तूल देखा और उन्हें एक कूएँ में डाल दिया गया, मगर उमैया या उबय के जोड़ अलग अलग हो गये तो उसे कूएँ में न डाला गया।

तख़रीजः ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4625 में देखें।

नोट : सही बात ये है कि बद्र में मरने वाला उमैया बिन ख़ल्फ़ था जैसा कि दूसरी रिवायात से साबित है।

मुफ़रदातुल हदीस : तक़त्तअत औसालुहू: उसके जोड़ अलग अलग हो गये।

(4651) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद अबू इस्हाक़ की ऊपर दी गई सनद से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं, इसमें ये इज़ाफ़ा है आप(ﷺ) तीन दफ़ा दुआ करना पसन्द फ़रमाते, आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! कुरैश की गिरफ़्त फ़रमा, ऐ अल्लाह! कुरैश का मुवाख़िज़ा फ़रमा, ऐ अल्लाह! तू कुरैश को पकड़।' तीन दफ़ा कहा, आपने उनमें वलीद बिन उत्बा, उमैया बिन ख़ल्फ़ का ज़िक्र किया, रावी ने शक का इज़हार नहीं किया। (कि उमैया या उबय) और अबू इस्हाक़ ने कहा मैं सातवें का नाम भूल गया।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4625 में देखें।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي، إِسْحَاقَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ ثَلاَثًا يَقُولُ " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ " . ثَلاَثًا وَذَكَرَ فِيهِمُ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ وَلَمْ يَشُكَّ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَنَسِيتُ السَّابِعَ .

(4652) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह करके कुरैश के छ: अफ़राद के ख़िलाफ़ दुआ की, उनमें अबू जहल, उमैया बिन ख़ल्फ़, उत्बा बिन रबीआ, शैबा इब्ने रबीआ, उक़्बा बिन अबी मुऐत दाख़िल हैं, मैं अल्लाह की क़सम खा कर कहता हूँ कि मैंने उन्हें बद्र के मैदान में गिरे पड़े देखा, सूरज की तैश ने उनके रंग बदल डाले थे और वह सख़्त गर्म दिन था।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4625 में देखें।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ فَدَعَا عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ . فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى عَلَى بَدْرٍ . قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا .

(4653) हुज़ूर अकरम (ﷺ) की ज़ौजा हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, ऐ अल्लाह

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ

الْعَامِرِيُّ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ فَقَالَ " لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ قَالَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ . ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ " . فَقَالَ

के रसूल(ﷺ)! क्या आप पर उहुद के दिन से ज़्यादा सख़्त दिन गुज़रा है? तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे तेरी क़ौम की तरफ़ से बहुत तकलीफ़ पहुँची और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अक़्बा के दिन पहुँची, जब मैंने अपने आपको इब्ने अब्दे यालील बिन अब्दे कुलाल के सामने पेश किया, (उसको इस्लाम की दावत दी) तो उसने मेरी ख़्वाहिश के मुताबिक़, मेरी बात क़ुबूल न की और मैं रंजीदा हालत में, अपने सामने वाले रूख़ पर चल पड़ा और क़र्ने सआलिब पर पहुँच कर मैं अपने आप में आया (ग़म की हालत से निकला) और मैंने अपना सर उठाया तो मैंने अचानक एक बादल को अपने ऊपर साया किये हुए पाया, मैंने देखा तो उसमें जिब्राईल अलैहि.थे तो उसने मुझे आवाज़ दी और कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तेरी क़ौम ने तुझे जो कुछ कहा सुन लिया और जो उन्होंने तुम्हें जवाब दिया (वह सुन लिया) और उसने आपके पास पहाड़ों का मुन्तज़िर फ़रिश्ता भेजा है, ताकि आप उसे जो चाहें, उनके बारे में हुक्म दें, आपने फ़रमाया तो मुझे पहाड़ों के फ़रिशते ने आवाज़ दी और मुझे सलाम कहा, फिर कहा, ऐ मुहम्मद! अल्लाह तआला ने तेरी क़ौम का तुझे जवाब सुन लिया है और मैं पहाड़ों का फ़रिश्ता हूँ और मुझे तेरे रब ने तेरे पास इसलिए भेजा कि आप मुझे उनके बारे में अपना हुक्म फ़रमायें तो आप क्या चाहते हैं?

لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا " .

अगर आप चाहें तो मैं उन पर दोनों पहाड़ों को मिला दूं।' तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे जवाब दिया, बल्कि मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह उनकी पुश्तों से ऐसे लोग निकालेगा, जो सिर्फ़ अल्लाह की बंदगी करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहरायेंगे।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3231, 7389.

मुफ़रदातुल हदीस : (1) यौमुलअक़बाः इससे मुराद अक़्ब-ए-ताइफ़ है, क्योंकि आप (ﷺ) हज़रत ख़दीजा (رضي الله عنها) और अबू तालिब की वफ़ात के बाद दस (10) नबूवत, शव्वाल में, बनू सक़ीफ़ के सरदारों को इस्लाम की दावत देने ताइफ़ गये, लेकिन उन्होंने आप (ﷺ) से बदतरीन सलूक किया, औबाश लोग आपके पीछे लगा दिये। **(2) फ़लम अस्तफ़िक़ः** मैं अपने आप में नहीं आया, मुझे अफ़ाक़ा नहीं हुआ। **(3) क़र्नुस्सआलिबः** यही क़र्ने मनाज़िल है, जो अहले नज्द का मीक़ात है और मक्का से एक दिन रात के फ़ासले पर है। **(4) उत्बिक़ अलैहिम अलअख़्शबैनः** अख़्शबान से मुराद शारेहीन ने मक्का के दो पहाड़ अबू क़ुबैस, क़ैक़आन लिये हैं, जो मक्का के शिमाल व जुनूब में वाक़े हैं और उस वक़्त मक्का की आबादी इन दोनों के दरम्यान वाक़े थी, लेकिन सवाल ये है कि संगीन तरीन सलूक जो आप (ﷺ) से अहले ताइफ़ ने किया और उन्हीं के इस बद तरीन सलूक के बाद पहाड़ों का फ़रिश्ता आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ कि अगर आप ये चाहें कि मैं उनको दो पहाड़ों में पीस कर रख दूँ तो मैं आपकी ख़्वाहिश के मुताबिक़ उनको पीस कर रख दूँगा तो फिर अहले मक्का को मुराद लेना क्यों कर दुरूस्त हो सकता है, इसलिए सही बात यही है कि अख़्शबान मक्का के दो पहाड़ों को उनकी मज़बूती और सलाबत की वजह से कहा गया है, इसलिए मुराद ये है कि मक्का के उन मज़बूत व मुस्तहकम पहाड़ों जैसे पहाड़ों में, अहले ताइफ़ को पीस कर रख दूं या मक्का के उन दो पहाड़ों को वहाँ ले जाकर उनमें पीस दूँ, क्योंकि पहाड़ों के फ़रिश्ते के लिए उन पहाड़ों का वहाँ ले जाना मुश्किल न था या फिर ये मुराद लिया जाये कि बनू सक़ीफ़ ने आप (ﷺ) से ये बद सलूकी सिर्फ़ इसलिए किया कि आपकी क़ौम अहले मक्का ने आपकी दावत को क़बूल नहीं किया था, अगर वह क़बूल करते तो आप (ﷺ) को उन मसाइब से दो चार न होना पड़ता, इसलिए इसका असल सबब वह थे, इसलिए फ़रिश्ते ने कहा कि आप (ﷺ) हुक्म दें तो मैं अहले मक्का को दो पहाड़ों के दरम्यान पीस डालूं।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ دَمِيَتْ إِصْبَعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ فَقَالَ " هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ " .

(4654) हज़रत जुन्दुब बिन सुफ़ियान (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की किसी जंग में उंगली ज़ख़्मी हो गई तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू एक उंगली ही तो है, जो ज़ख़्मी हुई है और तुझे जो तकलीफ़ पहुँची है, वह अल्लाह की राह में है।'

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2802, 6146, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 3345.

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ فَنُكِبَتْ إِصْبَعُهُ

(4655) यही रिवायत इमाम स़ाहब अपने दो और उस्तादों से, अस्वद बिन क़ैस ही की सनद से बयान करते हैं, इसमें है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक ग़ार में थे तो आप (ﷺ) की उंगली पत्थर से ज़ख़्मी हो गई।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4630 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस़ : ग़ार: से मुराद कुछ के नज़दीक लश्कर और जमाअ़त है और कुछ के नज़दीक पहाड़ की ग़ार, लेकिन स़ही बात ये है कि एक जंग में आप (ﷺ) पहाड़ की ग़ार में थे, नमाज़ के लिए निकले तो पत्थर लगने से उंगली ज़ख़्मी हो गई, इसलिए रिवायतों में कोई तज़ाद (टकराव) नहीं है और ग़ार का मानी लश्कर करने की ज़रूरत नहीं है, रहा ये मसला कि आप (ﷺ) ने ये शेअ़र कहा है तो इसका कुछ ने ये जवाब दिया है कि ये रजज़ है, शेअ़र नहीं है और कुछ ने कहा है, जिस कलाम को क़सद और इरादे से मौज़ूं और मुक़फ़्फ़ा किया जाये, वह शेअ़र होता है और जो कलाम ग़ैर इरादी तौर पर मौज़ूं हो जाये, उसको शेअ़र नहीं कहा जाता और बक़ौल कुछ ये शेअ़र आप (ﷺ) का नहीं है, बल्कि अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा का शेअ़र है, जिसका आप (ﷺ) ने तमस़ील किया है और आप दूसरों के अशआ़र पढ़ देते थे।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا، يَقُولُ أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4656) हज़रत जुन्दूब (ﷺ) बयान करते हैं कि जिब्राईल ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आने में ताख़ीर कर दी तो मुश्रिकीन कहने लगे, मुहम्मद को छोड़ दिया गया है तो

فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}

अल्लाह तआला ने ये आयात नाज़िल फ़रमाईं, शाहिद है रोज़े रोशन और रात जब छा जाये, तुम्हारे रब ने तुम्हें नछोड़ा है और न वह नाराज़ हुआ है।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 1125, 4983, 4950, जामेअ तिर्मिज़ी: 3345.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ، يَقُولُ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}

(4657) हज़रत जुन्दूब (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बीमार हो गये तो दो या तीन रातें क़याम न कर सके तो एक औरत आप (ﷺ) के पास आकर कहने लगी, ऐ मुहम्मद! मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया है, मैं उसे दो तीन रात से तेरे क़रीब आता नहीं देख रही तो अल्लाह तआला ने ये आयात नाज़िल फ़रमाईं, क़सम है रोज़े रोशन की और क़सम है रात की, जब वह छा जाये, तेरे रब ने न तुझे छोड़ा है और न नाराज़ हुआ है।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4632 में देखें।

फ़ायदा : ये आने वाली औरत आपके चचा की बीवी उम्मे जमील बिन्ते हरब थी और उसने मुश्रिकों की हम नवाई करते हुए ये बात कही थी। इन दोनों रिवायतों में कोई तज़ाद (टकराव) नहीं है, या मुश्रिक भी इसकी इस बात पर ख़ुश थे इसलिए उनकी तरफ़ निस्बत कर दी गई।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُلاَئِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا .

(4658) इमाम साहब अपने मुख़्तलिफ़ उस्तादों की दो सनदों से ऊपर दी गई रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4632 में देखें।

(40)

باب فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى اللَّهِ وَصَبْرِهِ عَلَى أَذَى الْمُنَافِقِينَ

बाब : 40
नबी अकरम (ﷺ) का दुआ फ़रमाना और मुनाफ़िक़ों की तकलीफ़ात पर सब्र करना

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَاكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَىٍّ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَىٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لاَ تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا . فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(4659) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) गधे पर सवार हुए, जिस पर काठी थी और उसके नीचे फ़दक इलाक़े की चादर थी और आप (ﷺ) ने अपने पीछे हज़रत उसामा को बिठाया हुआ था और आप बनू हारिस बिन ख़ज़रज में हज़रत सअद बिन उबादा (ﷺ) की एयादत करना चाहते थे और ये वाक़िया बद्र से पहले का है यहाँ तक कि आप एक मज्लिस से गुज़रे, जिसमें मुसलमान, बुत परस्त मुश्रिक और यहूद मिले जुले थे, उनमें अब्दुल्लाह बिन उबय भी थे और मज्लिस में अब्दुल्लाह बिन रवाहा (ﷺ) भी मौजूद थे, जब मज्लिस पर जानवर की गर्दो गुबार पड़ी, अब्दुल्लाह बिन उबय ने अपनी चादर से अपनी नाक ढाँप ली, फिर कहा, हम पर गर्दो गुबार न उड़ाओ, नबी अकरम (ﷺ) ने अहले मज्लिस को सलाम कहा, फिर वहाँ रूक कर सवारी से उतर आये, उन्हें अल्लाह की तरफ़ बुलाया और उन्हें क़ुर्आन मजीद सुनाया तो अब्दुल्लाह बिन उबय ने कहा, ऐ इंसान! इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं, अगर आप जो कुछ कह रहे हैं, हक़ है तो आप हमारी

ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَىٍّ أَيُّهَا الْمَرْءُ لاَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلاَ تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ . قَالَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاثَبُوا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ " أَىْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ - يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَىٍّ - قَالَ كَذَا وَكَذَا " . قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاصْفَحْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَهُ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ . فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .

मज्लिसों में हमें तकलीफ़ न पहुँचायें और अपने घर लौट जायें तो हममें से जो आपके पास आ जाये, उसे अपनी बात सुनाइये, इस पर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा (ﷺ) ने अ़र्ज़ किया, हमारी मज्लिसों में आप तशरीफ़ लायें, क्योंकि आपकी आमद हमें महबूब (अच्छा लगता) है तो मुसलमान, मुश्रिक और यहूद एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे पर हमलावर होना चाहा और आप उन्हें मुसल्सल ठण्डा करते रहे, फिर अपनी सवारी पर सवार होकर हज़रत सअ़द बिन अ़बादा(ﷺ) के पास पहुँच गये और फ़रमाया: 'ऐ सअ़द! अबू हुबाब ने जो कुछ कहा तूने सुन लिया है? अबू हुबाब से मुराद अ़ब्दुल्लाह बिन उबय था, उसने ये ये कहा है, हज़रत सअ़द (ﷺ) ने कहा, उसको माफ़ फ़रमाइये, ऐ अल्लाह के रसूल! और दरगुज़र फ़रमाइये, अल्लाह तआ़ला ने आपको जो मर्तबा बख़्शा है, बख़्श दिया है, इस शहर के लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुए थे कि उसको ताज पहनायें और उसके सर पर सरदारी की पगड़ी बाँधें तो जब अल्लाह ने इस हक़ के ज़रिये जो आपको इनायत फ़रमाया है, उसको रद कर दिया तो वह उससे ग़ज़बनाक हो गया, जो कुछ आपने देखा, उस हसद ने उसका ये हश्र किया है तो आपने उससे दरगुज़र फ़रमाया।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2987, 4566, 5663, 5964, 9207, 6254.

(4660) इमाम स़ाहब एक और उस्ताद से ज़ोहरी की ऊपर दी गई सनद से ये रिवायत बयान करते हैं, इसमें ये इज़ाफ़ा है, ये उस वक़्त की बात है, जब उसने मुसलमान होने का इज़हार नहीं किया था।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنَّى - حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ .

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4635 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) इकाफ़: गधे की काठी, अजाजतुद दाब्बा: जानवर के पाँव के सबब उठने वाला गर्दो गुबार। **(2) सल्लमा अलैहिम:** इस मुश्तरका मज्लिस को सलाम किया, जिससे मालूम हुआ, मुसलमानों और काफ़िरों की मुश्तरका मज्लिस के हाज़िरीन को मुसलमानों की नियत करते हुए सलाम कहना दुरूस्त है। **(3) ला अहसनु मन हाज़ा अलख़:** आप जो कुछ कहते हैं, अगर हक़ है तो फिर इससे बेहतर कोई बात नहीं, गोया दबे अल्फ़ाज़ में उसके हक़ होने का इंकार किया। **(4) अय्यतवासबू:** एक दूसरे पर पिल पड़ें, एक दूसरे पर हमला कर दें। **(5) अबू हुबाब:** आप (ﷺ) ने उसके तहक़ीर आमेज़ लब व लहजा के बावजूद उसको क़ाबिले एहतिराम अन्दाज़ में याद किया। **(6) अय्युअस़्सिबूहु:** उसे सरदारी की पगड़ी बाँध दें, शहर वालों का रईस तस्लीम कर लें। **(7) शरिक़ा बिज़ालिक:** गुस्सा हल्क़ में फँस गया है, हसद से जल भुन गया है।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, दाइये हक़ को मुख़ालिफ़ों के तहक़ीर आमेज़ और शर्मनाक सलूक पर भी स़ब्र व तहम्मुल और बरदाश्त से काम लेते हुए उनसे दरगुज़र करना चाहिए और जवाबन उन्हीं जैसा उस्लूब व लब व लहजा नहीं अपनाना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना तो बहुत दूर की बात है, ईंट का जवाब ईंट से भी नहीं देना चाहिए, नीज़ मुख़ालिफ़त के पसे मन्ज़र को सामने रखते हुए, उनको राहे रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए।

(4661) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से गुज़ारिश की गई, ऐ काश! आप अब्दुल्लाह बिन उबय के पास जायें, (उसको इस्लाम की दावत दें) तो आप गधे पर सवार होकर उसकी तरफ़ चल पड़े और मुसलमान भी चल पड़े, वह ज़मीन गर्दो गुबार वाली थी, जब आप (ﷺ) उसके पास पहुँचे, वह कहने लगा,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَىٍّ قَالَ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وَرَكِبَ حِمَارًا وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِلَيْكَ عَنِّي

فَوَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ . قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَاللَّهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ - قَالَ - فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ - قَالَ - فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ - قَالَ - فَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَبِالأَيْدِي وَبِالنِّعَالِ - قَالَ - فَبَلَغَنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} .

मुझसे दूर हो जाइये, अल्लाह की क़सम, मुझे तेरे गधे की बू ने अज़ियत पहुँचाई है तो एक अन्सारी आदमी ने कहा, अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह (ﷺ) के गधे की बू तुझसे ज़्यादा पाकीज़ा है, इस पर अब्दुल्लाह की क़ौम का एक आदमी उसकी ख़ातिर गुस्से में आ गया, इस तरह हर आदमी के साथी, उसकी ख़ातिर गुस्से में आ गये और वह एक दूसरे को खजूर की जड़ों, हाथों और जूतों से मारने लगे, हज़रत अनस(﵁) कहते हैं, हमें ये बात पहुँची है कि उन्हीं के बारे में ये आयत नाज़िल हुई है, 'अगर मोमिनों के दो गिरोह बाहम लड़ पड़ें तो उनके दरम्यान सुलह सफ़ाई करा दो।' (अलहुजुरात, आयत नम्बर 9)

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2691.

फ़ायदा : हज़रत उसामा बिन ज़ैद (﵁) ने जो वाक़िया बयान किया है, इसमें असल मक़सूद हज़रत सअद बिन उबादा की एयादत थी और रास्ते में गुज़र अब्दुल्लाह बिन उबय के पास से हुआ, यहाँ असल मक़सूद, अब्दुल्लाह बिन उबय को दावते इस्लाम देना था, क्योंकि वह ख़ज़रज का सरदार था और उसका अपने क़बीले पर असर था, उसके ईमान लाने की सूरत में पूरा क़बीला मुसलमान हो जाता और इस वाक़िये में वहाँ यहूद और मुश्रिक मौजूद न था, अब्दुल्लाह बिन उबय के क़बीले के लोग ही थे और जो मुसलमान थे, लेकिन उसकी गुस्ताख़ी की बिना पर, जब एक मुसलमान ने उसकी बदकलामी का जवाब दिया तो ख़ानदानी ग़ैरत की बिना पर, उसके ख़ानदान का एक मुसलमान आदमी भड़क उठा, इस तरह बाहमी इस्लाम के नाम लैवाओं में जूतों और मुक्कों का तबादला शुरू हो गया और हज़रत अनस (﵁) का ये कहना कि हमें ये बात पहुँची है कि सूरह हुजुरात की आयत नम्बर 9 इस सिलसिले में उतरी, इसका मक़सद ये है, इस वाक़िया पर भी ये आयत सादिक़ आती है और सहाबा किराम (﵁) नज़लत कज़ा का लफ़्ज़ इस सूरत में भी इस्तेमाल कर लेते थे, जब आयत किसी और वक़्त उतरी होती, लेकिन वह दूसरे वाक़िये पर भी चस्पां होती, क्योंकि सूरह हुजुरात का नुज़ूल तो बहुत बाद में हुआ है, जब कि वुफ़ूद की आमद शुरू हो गई थी और वुफ़ूद की आम आमद फ़तहे मक्का के बाद शुरू हूई, मगर ये कि ये मान लिया जाये इसका नुज़ूल बहुत पहले हो गया था।

बाब : 41
अबू जहल का क़त्ल

(41)
باب قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ

(4662) हज़रत अनस बिन मालिक (ؓ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कौन हमें ये देख कर बतायेगा कि अबू जहल का क्या बना?' तो हज़रत इब्ने मसऊद (ؓ) चल पड़े और उसे इस हाल में देखा कि उसे अफ़रा के दो बेटों ने तलवार मार कर ज़मीन पर गिरा दिया है। तो इब्ने मसऊद (ؓ) ने उसकी दाढ़ी पकड़ कर पूछा, क्या तू ही अबू जहल है? तो उसने जवाब दिया, क्या इस आदमी से बड़ा भी तुमने क़त्ल किया है, या उसकी क़ौम ने क़त्ल किया है? अबू मिज्लज़ कहते हैं, अबू जहल ने कहा, ऐ काश मुझे एक किसान के अलावा किसी और ने क़त्ल किया होता।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ " . فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَكَ - قَالَ - فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ آنْتَ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ - أَوْ قَالَ - قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ قَالَ أَبُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِي .

तख़रीज : सहाह बुख़ारी: 3962, 3963, 4020.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) हत्ता बरक: यहाँ तक कि वह गिर गया, कुछ नुस्ख़ों में है। हत्ता बरद यहाँ तक कि वह ठण्डा हो गया। यानी उसको इतना गहरा ज़ख़्म लग चुका था कि अब उसका ज़िन्दा रहना मुमकिन न था, आख़री साँसों पर था। **(2) हल फ़ौक़ रजुलिन क़तल्तुमूह:** इमाम नववी ने मानी किया है, तुम्हारा मुझे क़त्ल करना मेरे लिए आर व तंग का बाइस़ नहीं है, यानी लड़ कर मरना शर्म व आर का बाइस़ नहीं है। **(3) फ़लौ ग़ैर अक्कारिन क़तलनी:** ऐ काश मुझे एक किसान के अलावा कोई क़त्ल करता। मुआज़ और मुअव्विज़ दोनों अन्सारी थे और अन्सार काश्तकार लोग थे, जिनको अरब हक़ीर और कम हैसियत ख़्याल करते थे, इसलिए उसने इस ख़्वाहिश का इज़हार किया कि ऐ काश मुझे मेरे हम पल्ला क़ुरैशी क़त्ल करते।

फ़ैसला कुन वार करने वाले तो हज़रत मुआज़ बिन अम्र बिन जमूह थे, लेकिन उस पर वार करने में मुआज़ और मुअव्विज़ दोनों भाई ठीक थे और सर काट कर लाने वाले हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद(ؓ) हैं और आपने सल्ब मुआज़ बिन अम्र बिन जमूह को दी थी।

(4663) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: कौन है जो मेरे लिए ये मालूम करेगा कि अबू जहल का क्या किया? इब्ने उलय्या की तरह हदीस़ बयान की और अबू मिज्लज़ का क़ौल नक़ल किया।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4638 में देखें।

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ يَعْلَمُ لِي مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ " . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَقَوْلِ أَبِي مِجْلَزٍ كَمَا ذَكَرَهُ إِسْمَاعِيلُ .

बाब : 42
यहूद के सरग़ना कअ़ब बिन अशरफ़ का क़त्ल

(42)
باب قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ طَاغُوتِ الْيَهُودِ

(4664) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कअ़ब बिन अशरफ़ से कौन निपटेगा? क्योंकि उसने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है।' तो मुहम्मद बिन मस्लमा (ﷺ) ने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप पसन्द करते हैं कि मैं उसे क़त्ल कर दूं? आपने फ़रमाया: 'हाँ' उन्होंने अ़र्ज़ किया, तो आप मुझे कुछ कहने की इजाज़त इनायत फ़रमायें, आपने फ़रमाया: 'कह सकते हो।' तो वह कअ़ब के पास आये और उससे इधर उधर की बातें कीं, अपनी फ़र्ज़ी कशीदगी का तज़किरा किया। या कअ़ब से अपने राब्ता का तज़किरा किया और कहा इस आदमी ने यानी हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने हमसे स़दक़ा तलब किया है और उसने हमें मशक़्क़त में डाल रखा है, तो जब उसने ये सुना, कहने लगा, वल्लाह तुम अभी और उकताओगे,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ، الزُّهْرِيُّ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - وَاللَّفْظُ لِلزُّهْرِيِّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ " . فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ ائْذَنْ لِي فَلأَقُلْ قَالَ " قُلْ " . فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا بَيْنَهُمَا وَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَرَادَ صَدَقَةً وَقَدْ عَنَّانَا . فَلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ

हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा ने कहा, अब हम उसके पैरोकार बन चुके हैं और हम उसको छोड़ना नापसन्द करते हैं, यहाँ तक कि ये देख लें उसका अन्जाम किया होता है और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे कुछ क़र्ज़ दे, तो उसने कहा, तो तुम मेरे पास क्या रहन रखोगे? हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा ने कहा, आप क्या चाहते हैं, उसने कहा, अपनी औरतों को मेरे पास रहन रख दो, उन्होंने कहा, आप अरब के सबसे ख़ूबसूरत इंसान हैं, तो क्या हम आपके पास अपनी औरतें रहन रख दें? उसने, उनसे कहा, तुम मेरे पास अपने बेटों को रहन रख दो, उन्होंने कहा, हमारे बेटों को गाली दी जायेगी, उन्हें कहा जायेगा, तुम्हें खजूर के दो वस्क़ के ऐवज़ रख दिया गया था, लेकिन हम तुम्हारे पास ज़िरह यानी हथियार रहन रख देते हैं। उसने कहा, हाँ, हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा ने उससे वादा किया कि उसके पास हारिस़, अबू अब्स बिन जब्र और अब्बाद बिन बिश्र को लेकर आयेंगे, तो वह रात को आये और उसे बुलाया, तो वह उनकी तरफ़ (क़िले से) नीचे उतरा, सुफ़ियान कहते हैं, अम्र के दूसरे रावी ने कहा, उसकी बीवी ने उसे कहा, मैं ऐसी आवाज़ सुन रही हूं, गोया वह ख़ून बहाने वाले की आवाज़ है, उसने कहा, ये तो बस मुहम्मद बिन मस्लमा, उसका रज़ाई भाई और अबू नाइला है, मुअज़्ज़ज़ आदमी को अगर रात को भी नेज़ा बाज़ी की दावत दी जाये तो वह क़बूल करता है, मुहम्मद (ﷺ) ने अपने साथियों से

وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ . قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ الآنَ وَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَىِّ شَىْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ - قَالَ - وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِفَنِي سَلَفًا قَالَ فَمَا تَرْهَنُنِي قَالَ مَا تُرِيدُ . قَالَ تَرْهَنُنِي نِسَاءَكُمْ قَالَ أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ أَنَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا قَالَ لَهُ تَرْهَنُونِي أَوْلاَدَكُمْ . قَالَ يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ رُهِنَ فِي وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرٍ . وَلَكِنْ نَرْهَنُكَ اللأْمَةَ - يَعْنِي السِّلاَحَ - قَالَ فَنَعَمْ . وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِالْحَارِثِ وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ فَجَاءُوا فَدَعَوْهُ لَيْلاً فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ إِنِّي لأَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْتُ دَمٍ قَالَ إِنَّمَا هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيعُهُ وَأَبُو نَائِلَةَ إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلاً لأَجَابَ . قَالَ مُحَمَّدٌ إِنِّي إِذَا جَاءَ فَسَوْفَ أَمُدُّ يَدِي إِلَى رَأْسِهِ فَإِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَدُونَكُمْ قَالَ فَلَمَّا نَزَلَ نَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ فَقَالُوا نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الطِّيبِ قَالَ نَعَمْ تَحْتِي فُلاَنَةُ هِيَ أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ . قَالَ فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ مِنْهُ

قَالَ نَعَمْ فَشُمَّ . فَتَنَاوَلَ فَشَمَّ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعُودَ قَالَ فَاسْتَمْكَنَ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ دُونَكُمْ . قَالَ فَقَتَلُوهُ .

कहा, जब वह आ जायेगा, मैं अपना हाथ उसके सर की तरफ़ बढ़ाऊंगा, तो जब मैं उसको क़ाबू कर लूं, तो तुम अपना काम कर डालना, तो जब वह उतरा, तो वह चादर ओढ़े हुए था, उन्होंने कहा, हमें आपसे ख़ूशबू की महक आ रही है, उसने कहा, हाँ मेरी बीवी फ़ुलां है जो अरब औरतों में से सब से ज़्यादा अतर साज़ी की माहिर है, मुहम्मद बिन मस्लमा ने कहा, क्या आप मुझे ख़ूशबू सूंघने की इजाज़त देते हैं? उसने कहा, हाँ, तो सूंघीये, तो उन्होंने सर पकड़ कर सूंघा, फिर कहा, क्या आप दोबारा सूंघने की इजाज़त देते हैं? तो उसका सर मज़बूती से क़ाबू कर लिया, फिर कहा, अपना काम कर गुज़रो, तो साथियों ने उसे क़त्ल कर डाला।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2510, 3031, 3032, 4037, सुनन अबू दाऊद: 2768.

फवाइद : (1) कअ़ब बिन अशरफ़, क़बीला तै की शाख़ बनू नबहान से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए नसल के एतिबार से अ़रबी था, उसके बाप अशरफ़ ने किसी को क़त्ल कर डाला, इसलिए भाग कर मदीना आ गया और बनू नज़ीर से दोस्ताना तअ़ल्लुक़ क़ाइम कर लिया और अबू अल हुक़ैक़ यहूदी की बेटी अ़क़ीला से शादी कर ली, जिससे कअ़ब पैदा हुआ, वाक़िय–ए–बद्र के बाद उसने मुसमानों की हिजू (गाली–गलोच) शुरू कर दी और दुशमनाने इस्लाम की मदह सराई करने लगा, फिर मुश्रिकीन की ग़ैरत भडकाने, उनकी आतिशे इन्तेक़ाम तेज़ करने और उन्हें मुसलमानों के ख़िलाफ़ आमाद–ए–जंग करने के लिए अशआ़र कह कह कर उन सरदाराने कुरैश का नौहा व मातम करने लगा, जिन्हें जंगे बद्र में क़त्ल करने के बाद कूएँ में फैंक दिया गया था, फिर सहाबा किराम की औरतों के बारे में वाहियात शेअ़र कहने लगा और अपनी ज़बान दराज़ी और बदगोई के ज़रिये मुसलमानों को सख़्त अज़ियत पहुँचाई, इन हालात से तंग आकर आपने उसका काम तमाम करने का फ़ैसला किया। **(2)** रज़ीआ़ और अबू नाइला के दरम्यान वाव वहम है क्योंकि रज़ीआ़ से मुराद अबू नाइला ही है। अबू नाइला, मुहम्मद बिन मस्लमा और कअ़ब बिन अशरफ़ तीनों रज़ाई भाई थे, उसके बावजूद कमीना

ख़स्लत और मुसलमानों का दुशमन महम्मद बिन मस्लमा बीवी और बेटा गिरवी रखने का मुतालबा करता है, इससे मालूम हो सकता है कि वह किस क़द्र बेशर्म इंसान था, जो सिर्फ़ आपका ही नहीं बल्कि सब मुसलमानों और दीन का दुशमन था, इसलिए ऐसे मूज़ी इंसान का क़त्ल करवाना सब को आराम और सकून पहुँचाना है। तफ़्सील के लिए अर्रहीकुल मख़्तूम देखिये।

बाब : 43
ग़ज़्व-ए-ख़ैबर

(43)
باب غَزْوَةِ خَيْبَرَ

(4665) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर का रूख़ किया, तो हमने उसके क़रीब सुबह की नमाज़ अन्धेरे में पढ़ी, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) सवार हुए और अबू तलहा (ﷺ) भी सवार हो गये, मैं अबू तलहा(ﷺ) के पीछे सवार था, तो नबी अकरम(ﷺ) ने अपनी सवारी ख़ैबर की गलियों में दौड़ाई और मेरा घुटना नबी अकरम (ﷺ) के घुटने को मस कर रहा था, नबी अकरम (ﷺ) की रान से तहबंद हट गई और मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की रान की सफ़ेदी देख रहा था, तो जब आप बस्ती में दाख़िल हुए, आपने फ़रमाया: 'अल्लाह सब से बड़ा है, ख़ैबर तबाह व बर्बाद हो गया, हम जब किसी क़ौम के मैदान में उतरते हैं, तो उन लोगों की सुबह बहुत बुरी होती है, जिन्हें अज़ाब से आगाह किया जा चुका है, आपने ये जुम्ला तीन दफ़ा फ़रमाया और लोग अपने कामकाज के लिए निकल खड़े हुए थे, इसलिए कहते थे, मुहम्मद, (आ गये) अब्दुल अज़ीज़ बयान करते हैं, कुछ हमारे

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَانْحَسَرَ الإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنِّي لأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ " . قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا - وَالْخَمِيسَ قَالَ

साथियों ने कहा और लश्कर या लश्कर के साथ, हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं, हमने उसे बज़ोरे बाज़ू फ़तह किया।

وأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً .

तख़रीजः ये हदीस बयान की जा चुकी है: 3482 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अल ख़मीसः लश्कर को कहते हैं, क्योंकि वह पाँच दस्तों पर मुश्तमिल होता है। मुक़द्दमा (अगला दस्ता) साक़ा (पिछला दस्ता) क़ल्ब (दरम्यानी दस्ता) मैमना (दायाँ बाज़ू व दस्ता) मैसरा (बायाँ दस्ता) **(2) ग़न्वतः** क़हर व जब्र से, ज़क़ाक़ ज अज़िक़्क़ा, गली कूचे।

फायदा : आपने मुहर्रम 7 हिजरी के आख़री अय्याम में ख़ैबर का रूख़ किया था और ख़ैबर आठ मज़बूत और मुस्तहकम क़िलों पर मुश्तमिल था, इनके अलावा मज़ीद क़िले और गढ़ियाँ भी थीं, अगरचे वह छोटी थीं और कुव्वत व हिफ़ाज़त में उन क़िलों के हम पल्ला न थीं, ख़ैबर की आबादी दो मन्तक़ों में बंटी हुई थी, एक मन्तक़े में पाँच क़तऐ थे और दूसरे में तीन, लड़ाई पहले मन्तक़े में हूई, दूसरे मन्तक़े के तीनों क़िले लड़ने वालों की कसरत के बावजूद जंग के बग़ैर ही मुसलमानों के हवाले कर दिये गये, तो जिन अइम्मा ने पहले मन्तक़ा का लिहाज़ रखा, उन्होंने कहा, ख़ैबर बज़ोरे कुव्वत, जबरन फ़तह हुआ है और जिन्होंने दूसरे मन्तक़े का लिहाज़ किया, उन्होंने कहा, सुलह से फ़तह हुआ है और ग़ज़्व-ए-ख़ैबर में सिर्फ़ वह चौदह सौ (1400) सहाबा शरीक हुए थे, जिन्होंने हुदैबिया में दरख़्त के नीचे बैते रिज़वान की थी और मअरका का आग़ाज़ क़िला नाइम पर हमला से हुआ था, क्योंकि ये यहूद की पहली दिफ़ाई लाइन की हैसियत रखता था और इसमें मरहब नामी शह ज़ोरावर जाँबाज़ यहूदी मौजूद था, जिसे एक हज़ार मर्दों के बराबर माना जाता था। तफ़्सील के लिए देखिये, अर्रहीकुल मख़्तूम।

(4666) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं, मैं ख़ैबर के दिन हज़रत अबू तलहा (ﷺ) के पीछे सवार था और मेरा क़दम रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़दम को मस कर रहा था और हम उनके पास सूरज तलूअ होने के बाद पहुँचे और उन्होंने अपने मवेशियों को निकाल लिया था और ख़ुद अपने कुल्हाड़े टोकरियाँ और रस्सियाँ लेकर निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा, मुहम्मद, लश्कर समेत आ गये और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'ख़ैबर तबाह

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُئُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَرِبَتْ

خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ " . قَالَ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

हुआ, हम जब किसी क़ौम के दरम्यान में उतरते हैं, तो उन डराये गये लोगों की सुबह बुरी हो जाती है।' हज़रत अनस (ﷺ) कहते हैं, अल्लाह तआला ने उन लोगों को शिकस्त से दो चार कर दिया।

तख़रीजः ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 3485 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस़ : फ़ुऊसः फास की जमा है, कुल्हाड़ा, तैशा, मकातल, मिक्तल की जमा है। मुरूरः मर की जमा है। मक़सूद ये है वह खेती बाड़ी के लिए निकले, उन्हें मुसलमानों की फ़ौज की आमद का इल्म ही न हो सका।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ قَالَ " إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ " .

(4667) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ैबर पहुँचे, फ़रमाया, 'हम जब किसी क़ौम के मैदान में उतर पड़ते हैं, तो डराये गये लोगों की सुबह बुरी हो जाती है।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ عَبَّادٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ فَتَسَيَّرْنَا لَيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الأَكْوَعِ أَلاَ تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً

(4668) हज़रत सलमा बिन अक्वा (ﷺ) बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ख़ैबर के लिए निकले, तो हम रात भर चलते रहे, तो लोगों में से किसी आदमी ने हज़रत आमिर बिन अक्वा (ﷺ) से कहा, क्या आप हमें अपने जंगी अशआर नहीं सुनायेंगे और आमिर (ﷺ) एक शाइर इंसान थे, तो वह उतर कर लोगों के ऊँटनियों के लिए हदी ख़्वानी करने लगे, वह कह रहे थे, ऐ अल्लाह अगर तेरी तौफ़ीक़ शामिले हाल न होती तो हम राहयाब न होते, न हम स़दक़ा करते और न हम नमाज़ पढ़ते। बख़्श दे हम तुझ पर निसार, जो

شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ هَذَا السَّائِقُ " . قَالُوا عَامِرٌ . قَالَ " يَرْحَمُهُ اللَّهُ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْلاَ أَمْتَعْتَنَا بِهِ . قَالَ فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْكُمْ " . قَالَ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا هَذِهِ النِّيرَانُ عَلَى أَىِّ شَىْءٍ تُوقِدُونَ " . فَقَالُوا عَلَى لَحْمٍ . قَالَ " أَىُّ لَحْمٍ " . قَالُوا لَحْمُ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا " . فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ يُهَرِيقُوهَا وَيَغْسِلُوهَا فَقَالَ " أَوْ ذَاكَ " . قَالَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيهِ قِصَرٌ فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ

गुनाह हमने किये और अगर मुडभेड़ हो तो हमारे क़दम जमा दे। हम पर सकीनत नाज़िल फ़रमा, हमें जब बुलाया जाता है तो हम आ जाते हैं और चीख़ के ज़रिये बुलाकर उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ मदद तलब की है।

इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा: 'ये हदी ख़्वानी के ज़रिये ऊँटों को हाँकने वाला कौन है?' सहाबा किराम ने कहा, आमिर है, आपने फ़रमाया: 'अल्लाह उस पर रहम फ़रमाये' तो लोगों में से एक आदमी ने कहा, उसके लिए शहादत लाज़िम हो गई, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने हमें इससे क्यों फ़ायदा उठाने नहीं दिया।

तो हम ख़ैबर पहुँचे और उनका मुहासरा कर लिया, यहाँ तक कि हम सख़्त भूख से दो चार हो गये, फिर आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने इसे तुम्हारे लिए फ़तह कर दिया।' तो जब लोगों ने उस दिन की शाम की, जिस दिन वह फ़तह हुआ था, लोगों ने बहुत सी आग रोशन कीं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा: 'ये आग किस लिए हैं? उन्हें किस चीज़ के पकाने के लिए जलाया गया है।'तो सहाबा किराम ने कहा, गोश्त के लिए, आपने पूछा: 'कौन सा गोश्त' लोगों ने जवाब दिया, घरेलू गधों का गोश्त, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हाण्डियाँ उलट दो और उन्हें तोड़ दो।' तो एक आदमी ने अर्ज़ किया, या उन्हें उण्डेल कर उन्हें धोयें, आपने फ़रमाया: 'या इस तरह कर लो।' हज़रत सलमा(ؓ) बयान करते हैं, जब सहाबा किराम ने सफ़ बंदी की,

ذُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي قَالَ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاكِتًا قَالَ " مَا لَكَ " . قُلْتُ لَهُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ " مَنْ قَالَهُ " . قُلْتُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ " كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لأَجْرَيْنِ " . وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ " إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ " . وَخَالَفَ قُتَيْبَةُ مُحَمَّدًا فِي الْحَدِيثِ فِي حَرْفَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّادٍ وَأَلْقِ سَكِينَةً عَلَيْنَا .

तो आमिर (ﷺ) की तलवार छोटी थी, तो उन्होंने मारने के लिए एक यहूदी की पिण्डली को निशाना बनाया, तो तलवार की धार लौट कर आमिर (ﷺ) के घुटने पर लगी और वह उससे शहीद हो गये, तो जब सहाबा किराम वापस लौटे, तो हज़रत सलमा (ﷺ) ने यज़ीद बिन अबी उबैद का हाथ पकड़े हुए, उन्हें बताया, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे चुप चाप देखा, फ़रमाया, 'तुम्हें क्या हुआ?' मैंने आपसे अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर क़ुर्बान! लोगों का ख़याल है, आमिर (ﷺ) के आमाल रायगां गये, आपने पूछा: 'किसने ये बात कही है?' मैंने कहा, फ़ुलां, फ़ुलां और उसैद बिन हुज़ैर अन्सारी ने, आपने फ़रमाया: 'जिसने भी ये बात कही है ख़ता की है, उसके लिए दो अज्र हैं।' आपने अपनी दो ऊंगलियों को मिला लिया और फ़रमाया वह इन्तेहाई कोशिश करने वाला मुजाहिद है, अरब की सरज़मीन में उस जैसा कम ही अरबी चला है।' कुतैबा ने दो लफ़्ज़ों में मुहम्मद बिन अब्बाद की मुख़ालिफ़त की है, इब्ने अब्बाद की रिवायत में है, अल्क़ि सकीनतन अलैना और क़ौम पर सकीनत डाल दी।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी, 4477, 4196, 5497, 6146 6331, 6891, सुनन इब्ने माजा: 3195.

मुफ़रदातुल हदीस : (1) हनीहातुक: हनैहा की जमा है और हुनैहा, हनतुन की तसग़ीर है, हर चीज़ पर इसका इतलाक़ हो जाता है और यहाँ रज़मिया गीत मुराद है। **(2) फ़िदाअन लक:** अल्लाह तआला पर फ़ना नहीं है, इसलिए उसके बचाने के लिए कोई उस पर क़ुर्बान नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ मुराद उसका दीन या उसका नबी है और महज़ मोहब्बत और ताज़ीम मक़सूद है। **(3) मक़्तफ़ैना:** जिन

गुनाहों के हम पीछे चले, उनका इरतेकाब किया। **(4) इज़ा सीहा बिना अतैना:** जब हमें लड़ाई या हक़ के लिए बुलाया जाता है, या हम से मदद तलब की जाती है, हम पहुँच जाते हैं। **(5) बिस्सबाहि अव्वलू अलैना:** उन्होंने हमें मदद के लिए बुलाकर हम पर ऐतमाद किया है, क्योंकि तअवील का मानी है, ऐतमाद करना या अव्वल्तु अला फ़ुलानिनया बिफ़ुलानिन का मानी होता है। इससे मैंने मदद तलब की। **(6) फ़क़ाल रजुलुम मिनल क़ौम वजबत:** जब जंग के मौक़े पर किसी इंसान को यर्हमुहुल्लाहु की दुआ देते, तो उसका ये मतलब होता, ये इंसान इस जंग में शहीद हो जायेगा, इसलिए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने ये अल्फ़ाज़ कहे। **(7) मख़मसा शदीदा:** शदीदतरीन भूख। **(8) अल्हुमुरूल इन्सिय्या:** घरेलू या पालतू गधे, जो इंसान से मानूस होते हैं, क्योंकि जंगली गधा, नील गाय, हलाल है। **(9) कज़ब मन क़ाल:** जो ये समझता है ये ख़ुदकुशी है, इसलिए अमल रायगां गये, वह ग़लती पर है, क्योंकि उसके लिए जिहाद और शहादत दोनों का अज्र व सवाब है। **(10) जाहिदुन मुजाहिदुन:** उसने ज़िन्दगी भर इल्म व अमल और इताअते इलाही के लिए कोशिश की और अब अल्लाह की राह में जिहाद किया, या ख़ूब मेहनत व कोशिश से जिहाद किया।

नोट : हज़रत आमिर बिन अक्वा, हज़रत सलमा बिन अक्वा जो दर हक़ीक़त सलमा बिन अम्र बिन अक्वा हैं, के चचा हैं, इसलिए लोगों की बात सुन कर वह परेशान हो गये और नबी अकरम (ﷺ) सलमा बिन अक्वा का हाथ पकड़े हुए थे, जैसा कि सही बुख़ारी में है।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - وَنَسَبَهُ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - أَنَّ سَلَمَةَ، بْنَ الأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالاً شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ وَشَكُّوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ فِي

(4669) हज़रत सलमा बिन अक्वा (ﷺ) बयान करते हैं, जब ख़ैबर का दिन था, तो मेरे भाई ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मिलकर बड़ी शदीद जंग लड़ी और उसके तलवार पलट कर उसे लगी और उसे क़त्ल कर डाला, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथियों ने इस सिलसिले में नुक्ता चीनी की और उसकी शहादत में शक किया, ये आदमी अपने ही अस्लहा से फ़ौत हुआ है और उसके कुछ मामले में (शहादत में) शक किया, हज़रत सलमा (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ैबर से वापस लौटे, तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे रजज़िया अशआर

سِلاَحِهِ . وَشَكُّوا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ . قَالَ سَلَمَةُ فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي أَنْ أَرْجُزَ لَكَ . فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَعْلَمُ مَا تَقُولُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَوْلاَ اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَدَقْتَ " . وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا قَالَ فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَالَ هَذَا " . قُلْتُ قَالَهُ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَرْحَمُهُ اللَّهُ " . قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاَحِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ - حِينَ قُلْتُ إِنَّ نَاسًا يَهَابُونَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "

सुनाने की इजाज़त दें, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे इजाज़त दे दी, उस पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने कहा, जो कहना चाहते हो उसको सोच समझ लो, मैंने कहा, अल्लाह की क़सम! अगर अल्लाह की तौफ़ीक़ न होती, हम राहयाब न होते, न सदक़ा देते, न नमाज़ पढ़ते, इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: (तूने सच कहा) और हम पर सकीनत नाज़िल फ़रमा और मुडभेड़ की सूरत में हमें साबित क़दम रख। मुश्रिकों ने यक़ीनन हम पर ज़्यादती की है।

तो जब मैंने रजज़िया कलाम ख़त्म किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा: 'ये कलाम किसका है?' मैंने जवाब दिया, मेरे भाई ने कहा है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला उस पर रहम फ़रमाये।' मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! कुछ लोग उसकी नमाज़े जनाज़ पढ़ने से ख़ौफ़ महसूस करते हैं, कहते हैं, ऐसा आदमी है, जो अपने अस्लहा से फ़ौत हुआ है, इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इन्तेहाई कोशिश से जिहाद करते हुए फ़ौत हुआ है।' इब्ने शिहाब कहते हैं, फिर मैंने सलमा बिन अक्वा (ﷺ) के एक बेटे से पूछा, तो उसने अपने बाप से मुझे इस तरह रिवायत सुनाई, सिर्फ़ ये फ़र्क़ था कि उसने कहा, जब मैंने ये कहा, कुछ लोग उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ने से हैबत खाते हैं, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'उन्होंने ग़लत कहा, वह इन्तेहाई कोशिश से जिहाद करते हुए फ़ौत हुआ,

इसलिए उसके लिए दोहरा सवाब है।' और आपने अपनी दोनों ऊंगलियों से इशारा किया।

كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ " . وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ .

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 2538, नसाई: 3150.

नोट : इब्ने वहब इस सनद को यूँ बयान करते थे, अख़बरनी अ़ब्दुर्रहमान व अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब, लेकिन दूसरे इस तरह बयान करते हैं, अख़बरनी अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब बिन मालिक और इमाम मुस्लिम के नज़दीक यही सही है, इसलिए उन्होंने इब्ने वहब का क़ौल नक़ल नहीं किया।

फवाइद : (1) आ़मिर बिन अक्वा, एक लिहाज़ से हज़रत सलमा (ﷺ) के चचा हैं, तो दूसरे लिहाज़ से उनके अख़्याफ़ी भाई हैं, कि जाहिलियत के रिवाज के मुताबिक़, अक्वा ने आ़मिर की वालिदा को जो उनके बाप की बीवी है, लेकिन उसकी माँ नहीं है, अपने घर डाल लिया था, तकमिला, जिल्द: 3, सफ़ा: 225 (2) इस हदीस से साबित होता है, अगर निशाना ख़ता होकर अपने आपको लग जाये और इंसान उससे फ़ौत हो जाये, तो वह ख़ुदकुशी शुमार नहीं होगा, ये अशआ़र ही आपने आ़मिर से सुने थे, अब सलमा (ﷺ) ने पढ़े, इसलिए आपने पूछा, ये रजज़िया कलाम किस का है।

बाब : 44
ग़ज़्व-ए-अहज़ाब जिसे ग़ज़्व-ए-ख़न्दक़ भी कहा जाता है

(44)
باب غَزْوَةِ الأَحْزَابِ وَهِيَ الْخَنْدَقُ

(4670) हज़रत बराअ (ﷺ) बयान रते हैं, कि अहज़ाब के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे साथ मिट्टी मुन्तक़िल कर रहे थे, जबकि मिट्टी ने आपके पेट की सफ़ेदी को छुपा रखा था और आप फ़रमा रहे थे: 'अल्लाह की क़सम! (ऐ अल्लाह) अगर तू न होता, तो हम हिदायत न पाते, न हम सदक़ा देते न नमाज़ पढ़ते।

सो ऐ अल्लाह हम पर सकीनत नाज़िल फ़रमा ... उन लोगों ने हमारा दीन क़बूल करने से इंकार कर दिया है, (एक नुस्ख़े के मुताबिक़, वह लोग हम पर चढ़ दौड़े हैं) और कभी आप यूँ फ़रमाते, इस जमीयत या सरदारों ने हमारी

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَحْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ وَلَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ " وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ الأُلَى قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا " .

قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ " إِنَّ الْمَلاَ قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا " . وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ .

बात मानने से इंकार कर दिया है, जब वह हमें दीन से बरगश्ता करना चाहते हैं, हम इंकार कर देते हैं, इन अल्फ़ाज़ को आप बुलन्द आवाज़ से कहते।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 2836, 2837, 4104, 7236.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، . فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ الأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا " .

(4671) इमाम साहब एक दूसरे उस्ताद की सनद से नक़ल करते हैं, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है, इसमें क़द अबौ की जगह क़द बग़ो अलैना कहा (उन्होंने हम पर हमला कर दिया है)

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4646 में देखें।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَافِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ " .

(4672) हज़रत सहल बिन सअद (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास उस वक़्त तशरीफ़ लाये, जबकि हम ख़न्दक़ खोद कर अपने कंधों पर मिट्टी मुन्तक़िल कर रहे थे, तो आपने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! ज़िन्दगी तो बस आख़िरत की ज़िन्दगी है, इसलिए तू मुहाजिरीन और अन्सार को माफ़ फ़रमा दे।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3797.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ، جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ " .

(4673) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! ज़िन्दगी तो बस आख़िरत की ज़िन्दगी है, सो तू अन्सार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फ़रमा।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3795, 6413.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ " . قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ " اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهْ فَأَكْرِمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ " .

(4674) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमा रहे थे, 'ऐ अल्लाह! ज़िन्दगी, आख़िरत ही की ज़िन्दगी है, शोबा ने कहा, या यूँ कहा, 'ऐ अल्लाह! ज़िन्दगी नहीं, मगर आख़िरत की ज़िन्दगी, सो तू अन्सार और मुहाजिरीन को इज़्ज़त से नवाज़।

तख़रीज: सहीह बुख़ारी: 3795, जामेअ तिर्मिज़ी: 3857.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ، شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ كَانُوا يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهْ فَانْصُرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ بَدَلَ فَانْصُرْ فَاغْفِرْ .

(4675) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि सहाबा किराम रसूलुल्लाह(ﷺ) की मईयत में ये रजज़ पढ़ते थे। ऐ अल्लाह! भलाई तो बस आख़िरत की भलाई है, सो तू अन्सार और मुहाजिरों की नुसरत फ़रमा।' और शैबान की रिवायत में फ़न्सुर की जगह है फ़ग़्फ़िर, माफ़ फ़रमा।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَصْحَابَ، مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَقُولُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الإِسْلاَمِ مَا بَقِينَا أَبَدًا أَوْ قَالَ عَلَى الْجِهَادِ . شَكَّ حَمَّادٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ " .

(4676) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं मुहम्मद (ﷺ) के सहाबा ख़न्दक़ के दिन कह रहे थे, हमने मुहम्मद (ﷺ) से इस्लाम पर ता'हयात बैत की है, हम्माद को शक है, कि शायद अलल इस्लाम की जगह अलल जिहाद है और नबी अकरम (ﷺ) फ़रमा रहे थे, 'ऐ अल्लाह, ख़ैर तो सिर्फ़ आख़िरत की ख़ैर है, सो तू अन्सार और मुहाजिरों की मग़फ़िरत फ़रमा।'

फायदा : मदीना के शिमाल के अलावा बाक़ी अतराफ़ लावे की चट्टानों, पहाड़ों और बाग़ात से घिरे हुए थे, इसलिए रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक माहिर और तजुर्बेकार कमाण्डर की हैसियत से ख़न्दक़ सिर्फ़ शिमाल की जानिब खुदाई कि बड़ा लश्कर सिर्फ़ उधर ही से हमलावर हो सकता है, आपने हर दस आदमियों को चालीस हाथ ख़न्दक़ खोदने का काम सौंपा और मुसलमानों ने पूरी मेहनत और दिलजमई से ख़न्दक़ खोदनी शुरू कर दी, रसूलुल्लाह (ﷺ) इस काम की तर्ग़ीब भी देते और अम्लन भी इसमें पूरी तरह शरीक भी रहते थे।

बाब : 45
ग़ज़्व-ए-ज़ीक़रद वग़ैरह

(45)
باب غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا

(4677) हज़रत सलमा बिन अक्वा (رضي الله عنه) बयान करते हैं, कि अभी सुबह की अज़ान नहीं हूई थी, मैं निकला और रसूलुल्लाह (ﷺ) की ऊँटनियाँ ज़ीक़रद मुक़ाम पर चरती थीं, मुझे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) का ग़ुलाम मिला और उसने बताया, रसूलुल्लाह (ﷺ) की ऊँटनियाँ पकड़ी गई हैं, तो मैंने पूछा, उन्हें किसने पकड़ा है? उसने कहा, ग़तफ़ान ने, तो मैंने तीन दफ़ा चिल्लाकर कहा, मदद के लिए पहुँचो, (हाय सुबह का हमला) इस तरह मैंने अपनी आवाज़ तमाम अहले मदीना को सुना दी (जो दो हर्रों के दरम्यान वाक़े है) फिर मैं सरपट दौड़ा, यहाँ तक कि मैंने उन्हें ज़ीक़रद मुक़ाम पर जा लिया और वह वहाँ पानी पी रहे थे, मैं उन पर अपने तीर फैंकने लगा और मैं ख़ूब तीर अन्दाज़ था और मैं कह रहा था, मैं अक्वा का बेटा हूँ और आज पता चलेगा, कौन जंग का माहिर है, या किसने शरीफ़ माँ का दूध पिया है, या कमीनों की हलाकत का

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي، عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ، يَقُولُ خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ، بِالأُولَى وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ - قَالَ - فَلَقِيَنِي غُلاَمٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلاَثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهْ . قَالَ فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتَىِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ بِذِي قَرَدٍ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْقُونَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي وَكُنْتُ رَامِيًا وَأَقُولُ أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَأَرْتَجِزُ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ

दिन है, मैं रजज़ कह रहा था। यहाँ तक कि मैं उनसे तमाम ऊँटनियाँ छुड़वा लीं और उनसे तीस (30) चादरें छीन लीं, नबी अकरम(ﷺ) और लोग भी पहुँच गये, तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी! मैंने उनको पानी पीने से हटा दिया है और वह प्यासे हैं, अभी उनके तआक़ुब में दस्ता रवाना फ़रमाइये, आपने फ़रमाया: 'ऐ अक्वा के बेटे, तुम क़ाबू पा गये, तो अब ज़रा नर्मी बरतो।' फिर हम वापस आ गये और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे अपनी ऊँटनी पर पीछे बिठा लिया, यहाँ तक कि हम मदीना पहुँच गये।

اللِّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلاَثِينَ بُرْدَةً - قَالَ - وَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ " يَا ابْنَ الأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ " . - قَالَ - ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ .

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 3041, 4194.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) क़ब्ल अय्युअ्ज़ना बिल ऊला: अभी सुबह की अज़ान नहीं हुई थी। **(2) लिक़ाह:** लिक़्हा की जमा है, दूध देने वाली ऊँटनियाँ जिनकी तादाद बीस थीं, हज़रत अबू ज़र का बेटा और उसकी बीवी उनके निगरान थे, या सबाहा: हमला आम तौर पर सुबह के वक़्त होता था, इसलिए लोगों को इससे आगाह करने के लिए ये कलिमा इस्तेमाल होता था, ताकि वह मुक़ाबले के लिए तैयार हो जायें। **(3) इन्दफ़अ्तु अला वज्ही:** इधर उधर देखे बग़ैर सीधा सरपट दौड़ा। **(4) अल्यौम यौमुर्रूज़्ज़इ:** दोनों पर रफ़अ या पहले पर नसब और दूसरे पर रफ़अ है रूज़्ज़अ, राज़िऊन की जमा है, कमीने को कहते हैं, इसलिए मुराद है, आज कमीनों की हलाकत का दिन है और बक़ौल कुछ आज पता चलेगा, किसने शरीफ़ माँ का दूध पिया है और किसकी माँ कमीनी थी, या आज पता चलेगा, किसने बचपन से ही लड़ाइयों में ज़िन्दगी गुज़ारी है और इनमें महारत हासिल की है। **(5) हमैतुल क़ौमल माअ:** लोगों को मैंने पानी से मना कर रखा है, फ़स्जिअ: नर्मी और सहूलत इख़्तियार कर।

फ़ायदा : ये ग़ज़्वा जंगे ख़ैबर से सिर्फ़ तीन दिन पहले पेश आया, तफ़्सील के लिए अर्रहीक़ुल मख़्तूम देखिये।

(4678) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की सनदों से हदीस़ बयान करते हैं, ये अल्फ़ाज़ अब्दुल्लाह अद्दारमी के हैं कि इयास बिन सलमा, अपने बाप हज़रत सलमा (رضي الله عنه) से

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ، إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، كِلاَهُمَا عَنْ

عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ - وَهَذَا حَدِيثُهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، - وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ - حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لاَ تُرْوِيهَا - قَالَ - فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَسَقَ فِيهَا - قَالَ - فَجَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا . قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ . قَالَ فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ " بَايِعْ يَا سَلَمَةُ " . قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ قَالَ " وَأَيْضًا " . قَالَ وَرَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَزِلاً - يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ سِلاَحٌ - قَالَ فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً ثُمَّ بَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ قَالَ "

बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की मईयत में हुदैबिया पहुँचे और हमारी तादाद चौदह सौ (1400) थी और जब हुदैबिया का चश्मा पच्चास बकरियों को भी सैराब नहीं आ सकता था, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) कूएँ की मुंडेर पर बैठ गये और आपने दुआ फ़रमाई, या इसमें अपना लुआबे मुबारक डाला, तो वह जोश मार उठा, (पानी बलन्द हो गया) हमने ख़ुद भी पानी पिया और अपने जानवरों को भी पिलाया, फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दरख़्त के दामन में बैठ कर हमें बैत करने के लिए बुलाया, तो मैंने आपसे लोगों के आग़ाज़ में बैत कर ली, फिर लोग मुसल्सल बैत करते रहे, यहाँ तक कि जब आधे लोगों ने बैत कर ली, आपने फ़रमाया: 'ऐ सलमा! बैत करो।' मैंने अ़र्ज़ किया, मैं तो आपसे बैत कर चुका हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल! लोगों के आग़ाज में, आपने फ़रमाया, 'दोबारा करो।' आपने मुझे अ़ज़ल यानी ग़ैर मुसल्लह देखा, तो आपने मुझे एक ढाल अ़ता फ़रमाई, फिर आप बैत लेने लगे, यहाँ तक कि जब आप लोगों के आख़िर में पहुँचे, (सबसे बैत ले ली) आपने फ़रमाया: 'क्या तू मेरी बैत नहीं करेगा! ऐ सलमा।' मैंने कहा, मैं तो आपकी बैत कर चुका हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल! लोगों के आग़ाज में और लोगों के दरम्यान, आपने फ़रमाया, 'फिर बैत करो।' तो मैंने आपसे तीसरी दफ़ा बैत की, फिर आपने मुझे फ़रमाया, 'ऐ सलमा! मैंने तुझे हजफ़ा या दरक़ा ढाल दी थी, वह कहाँ है?'

मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे मेरे चचा आमिर ग़ैर मुसल्लह मिले, तो वह मैंने उन्हें दे दी, तो आप (रसूलुल्लाह) (ﷺ) हँस पड़े और फ़रमाया, 'तू उस पहले इंसान की तरह है जिसने कहा था, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा दोस्त दे, जो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ हो।' फिर मुश्रिकों ने हमारे साथ सुलह के लिए मुरासलत की थी, यहाँ तक कि हम एक दूसरे के पास गये और हमने सुलह कर ली और मैं हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह का ख़ादिम था, मैं उनके घोड़े को पानी पिलाता था, उसको खरखरा करता और उनकी ख़िदमत करता था और उनके साथ खाना खाता था और मैंने अपना अहल व माल अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ हिजरत करते हुए छोड़ दिया था, तो जब हमारी और अहले मक्का की सुलह हो गई और हम एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, मैं एक दरख़्त के पास गया और उसके नीचे के काँटों को साफ़ किया और उसके दामन में लेट गया, तो मेरे पास अहले मक्का में से चार मुश्रिक आ गये और वह रसूलुल्लाह (ﷺ) पर तअ़न व तश्नीअ़ करने लगे, तो मैंने उनसे नफ़रत की और मैं दूसरे दरख़्त की तरफ़ फिर गया, और उन्होंने अस्लहा लटकाया और वह लेट गये, वह इस तरह लेटे हुए थे कि अचानक वादी के नशीब से किसी आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी, ऐ मुहाजिरो! इब्ने ज़ुनैम को क़त्ल कर दिया गया है, तो मैंने अपनी तलवार सौंती, फिर मैंने उन चारों पर हमला कर दिया, और वह सोए हुए

أَلاَ تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ " . قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ قَالَ " وَأَيْضًا " . قَالَ فَبَايَعْتُهُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ قَالَ لِي " يَا سَلَمَةُ أَيْنَ حَجَفَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلاً فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا - قَالَ - فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الأَوَّلُ اللَّهُمَّ أَبْغِنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِي " . ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ وَاصْطَلَحْنَا . قَالَ وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحُسُّهُ وَأَخْدُمُهُ وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا - قَالَ - فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَبْغَضْتُهُمْ فَتَحَوَّلْتُ إِلَى

شَجَرَةٍ أُخْرَى وَعَلَّقُوا سِلاَحَهُمْ وَاضْطَجَعُوا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي يَا لَلْمُهَاجِرِينَ قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ . قَالَ فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ فَأَخَذْتُ سِلاَحَهُمْ . فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا فِي يَدِي قَالَ ثُمَّ قُلْتُ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لاَ يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلاَّ ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ . قَالَ ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ - وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلاَتِ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ . يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ " فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْزَلَ اللَّهُ { وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ} الآيَةَ كُلَّهَا . قَالَ ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ وَهُمْ

थे और मैंने उनका अस्लहा क़ब्ज़े में ले लिया और उसे जमा कर के अपने हाथ में ले लिया, फिर मैंने कहा, उस ज़ात की क़सम, जिसने मुहम्मद (ﷺ) को इज़्ज़त बख़्शी, तुममें से जो भी अपना सर उठायेगा, मैं उसका वह हिस्सा उड़ा दूंगा, जिसमें उसके दोनों आँखें हैं (सर क़लम कर दूंगा) फिर उन्हें हाँक कर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ले आया और मेरे चचा आमिर अब्लात के मुक्रिज़ नामी आदमी को एक झल डाले घोड़े पर सवार होकर सत्तर मुश्रिकों के साथ खींच लाये, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन पर नज़र दौड़ाई और फ़रमाया: 'इन्हें छोड़ दो, ताकि अहद शिकनी के गुनाह का आग़ाज़ और तकरार उन्हीं की तरफ़ से हो।' इस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें माफ़ कर दिया और अल्लाह तआला सूरह फ़तह की आयत नम्बर 24 मुकम्मल उतारी, 'वही तो है जिसने मक्का की वादी में तुमसे उनके हाथ रोक लिये, और तुम्हारे हाथ उनसे रोक लिये, इसके बाद कि वह तुम्हें उन पर ग़ालिब कर चुका था और जो कुछ तुम कर रहे थे, अल्लाह वह सब कुछ देख रहा था।' फिर हम मदीना की तरफ़ लौट कर चल दिये और हमने एक जगह पड़ाव किया, हमारे और बनू लिहयान के दरम्यान एक पहाड़ हाइल था और वह मुश्रिक थे और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उस शख़्स के लिए मग़फ़िरत की दुआ फ़रमाई, जो उस रात को पहाड़ पर चढ़ कर नबी अकरम (ﷺ) और आपके साथियों का पहरा दे, हज़रत सलमा

(ﷺ) कहते हैं, मैं उस रात उस पर दो या तीन दफ़ा चढ़ा, फिर हम मदीना लौट आये और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी सवारियों को अपने ग़ुलाम रबाह के साथ रवाना कर दिया और मैं भी हज़रत तलहा के घोड़े पर उसके साथ निकला कि मैं धीरे–धीरे उसे सवारियों के साथ आहिस्ता आहिस्ता पानी और चरागाह में लाना चाहता था, जब हम सुबह उठे, तो अचानक अब्दुर्रहमान फ़ज़ारी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) की सवारियों पर हमला कर दिया और उन्हें हाँक ले गया और उनके चरवाहे को क़त्ल कर डाला, तो मैंने कहा, ऐ रबाह! ये घोड़ा लो और उसे तलहा बिन उबैदुल्लाह को पहुँचा दो और रसूलुल्लाह (ﷺ) को बता देना कि मुश्रिकों ने आपके चरने वाले ऊँटों पर हमला किया है और सब को हाँक कर ले गया है, फिर मैंने एक टीले पर खड़े होकर, मदीना की तरफ़ रूख़ करके, तीन दफ़ा यह आवाज़ दी, या सबाहा, फिर मैं उन लोगों के पीछे, उन्हें तीर मारते हुए निकला और मैं ये रजज़ कह रहा था, मैं अक्वा का बेटा हूँ और आज कमीनों की मौत का दिन है, मैं उनमें से एक आदमी तक पहुँचता, उसके पालान पर तीर मारते, यहाँ तक कि तीर का फाला उसके कंधे तक जा पहुँचता और मैं कहता, ये लीजिये और मैं अक्वा का बेटा हूँ और आज कमीनों की हलाकत का दिन है और अल्लाह की क़सम! मैं मुसल्सल उन पर तीर बरसाता और उन्हें ज़ख़्मी करता रहा, जब कोई शहसवार मेरी तरफ़ पलटता, तो मैं किसी

الْمُشْرِكُونَ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ رَقِيَ هَذَا الْجَبَلَ اللَّيْلَةَ كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ - قَالَ سَلَمَةُ - فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِظَهْرِهِ مَعَ رَبَاحٍ غُلاَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ أُنَدِّيهِ مَعَ الظَّهْرِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ وَقَتَلَ رَاعِيَهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَبَاحُ خُذْ هَذَا الْفَرَسَ فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ - قَالَ - ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ فَنَادَيْتُ ثَلاَثًا يَا صَبَاحَاهْ . ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ وَأَرْتَجِزُ أَقُولُ أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَأَلْحَقُ رَجُلاً مِنْهُمْ فَأَصُكُّ سَهْمًا فِي رَحْلِهِ حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ إِلَى كَتِفِهِ - قَالَ - قُلْتُ خُذْهَا

وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ فَإِذَا رَجَعَ إِلَىَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَايُقِهِ عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ - قَالَ - فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي وَخَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِينَ بُرْدَةً وَثَلاَثِينَ رُمْحًا يَسْتَخِفُّونَ وَلاَ يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلاَّ جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايِقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلاَنُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ فَجَلَسُوا يَتَضَحَّوْنَ - يَعْنِي يَتَغَدَّوْنَ - وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ قَالَ الْفَزَارِيُّ مَا هَذَا الَّذِي أَرَى قَالُوا لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرْحَ وَاللَّهِ مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَسٍ يَرْمِينَا حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَىْءٍ فِي أَيْدِينَا . قَالَ فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ . قَالَ فَصَعِدَ

दरख़्त के पास आकर उसके दामन में बैठ जाता, फिर उसे तीर मारता और उसे ज़ख़्मी कर देता, यहाँ तक कि ये लोग पहाड़ के तंग रास्ते पर पहुँच कर उसके तंग रास्ते में दाख़िल हो गये, मैं पहाड़ पर चढ़ गया और उन पर पत्थर गिराने लगा, इस तरह मैंने मुसल्सल उनका पीछा किये रखा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की जितनी भी सवारियाँ थीं, मैं उन सब को अपने पीछे छोड़ गया और उन लोगों ने उन सब को मेरे लिए छोड़ दिया, फिर मैंने उन पर तीर बरसाते हुए उनका तआक़ुब जारी रखा, यहाँ तक कि उन्होंने बोझ कम करने के लिए तीस से ज़्यादा चादरें और तीस से ज़्यादा नेज़े फेंक दिये और वह जो कुछ भी फ़ेंकते, मैं बतौर अलामत उन पर पत्थर रख देता, ताकि रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके साथी उसे पहचान लें, यहाँ तक कि वह घाटी के एक तंग मोड़ पर पहुँच गये, तो अचानक उनके पास फ़ुलां बिन बद्र फ़ज़ारी पहुँच गया और वह बैठ कर दोपहर का खाना खाने लगे और मैं पहाड़ी की चोटी पर बैठ गया, फ़ज़ारी ने पूछा, मैं ये क्या देख रहा हूँ? उन्होंने कहा, इसने हमें बहुत तकलीफ़ में डाल रखा है, अल्लाह की क़सम इसने मुँह अंधेरे से हमारा पीछा नहीं छोड़ा, हम पर तीर बरसाता रहा है, यहाँ तक कि उसने हमसे हर चीज़ छीन ली है, उसने कहा, तुममें से चार अफ़राद इसकी तरफ़ जायें, तो उनमें से चार, पहाड़ पर मेरी तरफ़ चढ़ने लगे, तो जब मेरे लिए उनसे गुफ़्तगू करना मुमकिन हो गया, मैंने

कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उन्होंने कहा, नहीं, तू कौन है? मैंने कहा, मैं सलमा बिन अक्वा हूं, उस ज़ात की क़सम, जिसने मुहम्मद (ﷺ) को इज़्ज़त बख़्शी है, मैं तुमसे जिसका भी तआक़ुब करूंगा, उसको जा लूंगा और तुममें से कोई आदमी भी मेरा तआक़ुब करके मुझे पहुँच नहीं सकेगा, इनमें से एक ने कहा, मेरा यही ख़्याल है, तो वह लौट गये, मैं अपनी जगह ही पर था कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के सवारों को दरख़्तों के दरम्यान आते हुए देख लिया और उनमें सबसे आगे अख़रम असदी था, उसके पीछे अबू क़तादा अन्सारी और उनके पीछे मिक़्दाम बिन अस्वद किन्दी था, तो मैंने अख़रम के घोड़े की लगाम पकड़ ली और वह लोग पुश्त फेर कर भागने लगे, मैंने कहा, ऐ अख़रम, उनसे बच कर रहना (एहतियात करना) कहीं तुम्हें काट न दें, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके साथी आ मिलें, उन्होंने (अख़रम) ने ये कहा, ऐ सलमा! अगर तुम्हारा अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान है और तुम्हें मालूम है, जन्नत हक़ है और आग हक़ है, तो मेरे और शहादत के दरम्यान हाइल न हो, तो मैंने उसे छोड़ दिया, उसका और अ़ब्दुर्रहमान का मुक़ाबला हुआ और उसने अ़ब्दुर्रहमान के घोड़े को ज़ख़्मी कर दिया और अ़ब्दुर्रहमान ने नेज़ा मार कर हज़रत अख़रम को शहीद कर डाला, और उनके घोड़े पर जा बैठा और रसूलुल्लाह (ﷺ) का सवार अबू क़तादा अ़ब्दुर्रहमान को

إِلَيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ - قَالَ - فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلاَمِ - قَالَ - قُلْتُ هَلْ تَعْرِفُونِي قَالُوا لاَ وَمَنْ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لاَ أَطْلُبُ رَجُلاً مِنْكُمْ إِلاَّ أَدْرَكْتُهُ وَلاَ يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ . فَيُدْرِكَنِي قَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَظُنُّ . قَالَ فَرَجَعُوا فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ - قَالَ - فَإِذَا أَوَّلُهُمُ الأَخْرَمُ الأَسَدِيُّ عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ - قَالَ - فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الأَخْرَمِ - قَالَ - فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ قُلْتُ يَا أَخْرَمُ احْذَرْهُمْ لاَ يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ . قَالَ يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ فَلاَ تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ . قَالَ فَخَلَّيْتُهُ فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ - قَالَ - فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَرَسَهُ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ وَتَحَوَّلَ عَلَى

जा मिला और उसे नेज़ा मार कर क़त्ल कर डाला और उस ज़ात की क़सम, जिसने मुहम्मद (ﷺ) को इज़्ज़त बख़्शी, मैं पैदल दौड़ कर उनका तआक़ुब करता रहा, यहाँ तक कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथियों से कोई अपने पीछे नज़र नहीं आ रहा था और न उनकी कुछ गर्दो गुबार दिखाई देती थी, यहाँ तक कि ग़ुरूबे शम्स से पहले वह पानी की एक घाटी की तरफ़ जिसे ज़ीक़रद कहा जाता है, बढ़े, ताकि उससे पानी पीयें, क्योंकि वह प्यासे थे, तो उन्होंने मुझे अपने पीछे दौड़ते हुए देख लिया और मैंने उन्हें वहाँ से भगा दिया, यानी उनको उससे हटा दिया और वह उससे एक क़तरा भी न पी सके और वह दौड़ते हुए एक सनिया (घाटी) से निकले और मैं दौड़ कर एक आदमी तक पहुँच गया और उसके कंधे के पट्ठे पर तीर मारा और मैंने कहा, लीजिये! और मैं अक्वा का बेटा हूँ और आज कमीनों की हलाकत का दिन है, उसने कहा, हाय इसकी माँ इसे गुम पाये, सुबह से तो अक्वा ही हमारे पीछे है, मैंने कहा, हाँ, ऐ अपनी जान के दुशमन! सुबह से अक्वा ही तुम्हारे तआक़ुब में है और उन्होंने दो घोड़े घाटी पर छोड़ दिये और मैं उन्हें हाँक कर रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ ले आया और मुझे आमिर मिले, उनके पास एक मशकीज़ा था, जिसमें थोड़ा सा दूध था और दूसरे मशकीज़े में पानी था, मैंने वुज़ू किया और दूध पिया, फिर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और आप उस पानी पर थे, जिससे मैंने उन्हें भगाया था और

فَرَسِهِ وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَتَبِعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَىَّ حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَلاَ غُبَارِهِمْ شَيْئًا حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ ذُو قَرَدٍ لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ - قَالَ - فَنَظَرُوا إِلَىَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ - يَعْنِي أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ - فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً - قَالَ - وَيَخْرُجُونَ فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ - قَالَ - فَأَعْدُو فَأَلْحَقُ رَجُلاً مِنْهُمْ فَأَصُكُّهُ بِسَهْمٍ فِي نُغْضِ كَتِفِهِ . قَالَ قُلْتُ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالَ يَا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ أَكْوَعُهُ بُكْرَةَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ أَكْوَعُكَ بُكْرَةَ - قَالَ - وَأَرْدَوْا فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ قَالَ فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ - وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنٍ وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الإِبِلَ وَكُلَّ شَىْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكُلَّ رُمْحٍ وَبُرْدَةٍ وَإِذَا بِلاَلٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الإِبِلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْمِ وَإِذَا هُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا - قَالَ - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلِّنِي فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَةَ رَجُلٍ فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ فَلاَ يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلاَّ قَتَلْتُهُ - قَالَ - فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ فَقَالَ " يَا سَلَمَةُ أَتُرَاكَ كُنْتَ فَاعِلاً " . قُلْتُ نَعَمْ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ . فَقَالَ " إِنَّهُمُ الآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ " . قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ فَقَالَ نَحَرَ لَهُمْ فُلاَنٌ جَزُورًا فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَارًا فَقَالُوا أَتَاكُمُ الْقَوْمُ فَخَرَجُوا هَارِبِينَ . فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ " . قَالَ ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ

रसूलुल्लाह (ﷺ) उन ऊँटों में से एक ऊँटनी को नहर कर चुके थे, जिनको मैंने उन लोगों से छुडाया था और वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिए उसकी कलेजी और कोहान से कुछ हिस्सा भून रहे थे, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इजाज़त दीजिये, मैं सहाबा किराम में से सौ आदमियों का इन्तेख़ाब करूं और उन लोगों का तआक़ुब करूं और उनमें से किसी को भी ख़बर देने के लिए ज़िन्दा न रहने दूं, रसूलुल्लाह (ﷺ) हँस पड़े, यहाँ तक कि आग की रोशनी में आपके नुकीलेदार दाँत ज़ाहिर हो गये और आपने फ़रमाया: 'ऐ सलमा! क्या तुम ये समझते हो ये कर गुज़रोगे?' मैंने कहा, जी हाँ, उस ज़ात की क़सम! जिसने आपको इज़्ज़त बख़्शी, आपने फ़रमाया: 'इस वक़्त सर ज़मीने ग़तफ़ान में उनकी मेहमान नवाज़ी हो रही है।' तो एक ग़तफ़ानी आदमी आया और उसने कहा, फुलां आदमी ने उनके लिए ऊँट नहर किया था, तो जब उन्होंने उसका चमड़ा उतारा, उन्होंने गर्दो गुबार देखा, तो कहने लगे, मुसलमान लोग आ गये, तो निकल कर भाग खड़े हुए, जब सुबह हुई, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'आज हमारा बेहतरीन घुड़सवार अबू क़तादा है और बेहतरीन प्यादा सलमा है।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे दो हिस्से दिये, एक हिस्सा सवार का और एक हिस्सा पैदल का, आपने मेरे लिए दोनों को जमा कर दिया, तो मदीना की तरफ़ वापसी में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे अपने पीछे अज़्बा ऊँटनी पर बिठा लिया,

صلى الله عليه وسلم سَهْمَيْنِ سَهْمُ الْفَارِسِ وَسَهْمُ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعًا ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ - قَالَ - فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لاَ يُسْبَقُ شَدًّا - قَالَ - فَجَعَلَ يَقُولُ أَلاَ مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ - قَالَ - فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلاَمَهُ قُلْتُ أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلاَ تَهَابُ شَرِيفًا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي ذَرْنِي فَلأُسَابِقَ الرَّجُلَ قَالَ " إِنْ شِئْتَ " . قَالَ قُلْتُ اذْهَبْ إِلَيْكَ وَثَنَيْتُ رِجْلَىَّ فَطَفَرْتُ فَعَدَوْتُ - قَالَ - فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِي نَفَسِي ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ - قَالَ - فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ - قَالَ - قُلْتُ قَدْ سُبِقْتَ وَاللَّهِ قَالَ أَنَا أَظُنُّ . قَالَ فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا لَبِثْنَا إِلاَّ ثَلاَثَ لَيَالٍ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

इस बीच में कि हम चल रहे थे, एक अन्सारी आदमी ने कहा दौड़ में कोई उससे आगे नहीं निकल सकता, वह कहने लगा, क्या कोई मदीना तक दौड़ में मुक़ाबला करेगा? क्या कोई दौड़ में मुक़ाबला करेगा? वह इन अल्फ़ाज़ का तकरार करने लगा, जब मैंने उसकी बात सुनी, मैंने कहा, क्या तुम किसी बुज़ुर्ग की बुज़ुर्गी का लिहाज़ नहीं करते, किसी मुअज़्ज़ज़ से हैबत नहीं खाते? उसने कहा, रसूलुल्लाह(ﷺ) के सिवा किसी का लिहाज़ नहीं, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप क़ुर्बान, मुझे इजाज़त दीजिये, मैं इस आदमी का दौड़ में मुक़ाबला करूं? आपने फ़रमाया: 'तेरी मर्ज़ी है।' मैंने कहा, चलो, मैं तेरी तरफ़ आता हूं और मैंने (रिकाब से निकालने के लिए) अपने पाँव मोड़े, फिर छलांग लगाई और दौड़ पड़ा, मैंने एक दो टीले अपने आपको उससे आगे निकलने से रोके रखा, मैं अपने आपको साँस उखड़ने से बचाता था, फिर मैं उसके पीछे दौड़ा और अपने आपको उससे एक दो टीले रोके रखा, फिर मैंने अपनी रफ़्तार तेज़ की यहाँ तक कि उसको जा मिला और उसके कंधों के दरम्यान हाथ मारा और मैंने कहा, तुम पीछे रह जाओगे, अल्लाह की क़सम! उसने कहा, मेरा भी यही ख़याल है, (तुम आगे निकल जाओगे) और मैं उससे पहले मदीना पहुँच गया, हज़रत सलमा कहते हैं, अल्लाह की क़सम! हम तीन ही रातें ठहरे, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की मईयत में

صلى الله عليه وسلم قَالَ فَجَعَلَ عَمِّي عَامِرٌ يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ تَاللَّهِ لَوْلاَ اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ هَذَا " . قَالَ أَنَا عَامِرٌ . قَالَ " غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ " . قَالَ وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لإِنْسَانٍ يَخُصُّهُ إِلاَّ اسْتُشْهِدَ . قَالَ فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْلاَ مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ . قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ قَالَ خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ وَيَقُولُ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلاَحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ قَالَ وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ فَقَالَ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرٌ شَاكِي السِّلاَحِ بَطَلٌ مُغَامِرٌ قَالَ فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْسِ عَامِرٍ وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ . قَالَ سَلَمَةُ فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى

ख़ैबर की तरफ़ चल पड़े और मेरे चचा आमिर, लोगों को रजज़ सुनाने लगे, अल्लाह की क़सम! अगर अल्लाह न होता, हम हिदायत याफ़्ता न होते, न हम सदक़ा करते और न हम नमाज़ अदा करते और हम तेरे फ़ज़ल व करम से बेन्याज़ नहीं हो सकते, अगर हमारा दुशमन से मुक़ाबला हो जाये, तो हमें साबित क़दम रखना और हम पर सकीनत नाज़िल फ़रमा। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा: 'ये कौन है?' उसने कहा, आमिर हूँ, आपने फ़रमाया: 'तेरा रब तुझे बख़्श दे।' और रसूलुल्लाह (ﷺ) जिस इंसान के लिए भी खुसूसी मग़फ़िरत तलब करते, वह शहीद हो जाता, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अपने ऊँट से आवाज़ दी, ऐ अल्लाह के नबी! आपने हमें आमिर से मुस्तफ़ीद क्यों नहीं होने दिया? (आपने उसकी शहादत की दुआ फ़रमा दी है) तो जब हम ख़ैबर पहुँचे, उनका सरदार मरहब तलवार घुमाता हुआ ये रजज़ कहता हुआ निकला: ख़ैबर को ख़ूब मालूम है कि मैं मरहब हूँ, हथियार पोश, तजुर्बाकार, बहादुर, जब जंग व पैकार शोला ज़न हों। सलमा (رضي الله عنه) कहते हैं, मेरा चचा आमिर उसके सामने ये कहता हुआ आया। ख़ैबर को ख़ूब मालूम है, मैं आमिर हूं हथियारों से लैस, बहादुर, जंगजू,(लड़ाईयों में घुस जाने वाला) फिर दोनों ने एक दूसरे पर वार किया और मरहब की तलवार, आमिर की ढाल पर जा लगी और आमिर उसको नीचे से मारने लगे और उनकी तलवार (छोटी होने की बिना पर)

الله عليه وسلم يَقُولُونَ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَتَلَ نَفْسَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَالَ ذَلِكَ " . قَالَ قُلْتُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ . قَالَ " كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ " . ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ وَهُوَ أَرْمَدُ فَقَالَ " لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ " . قَالَ فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلاَحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ قَالَ فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ عِكْرِمَةَ،

वापस उन्हें ही आ लगी और उनकी बड़ी शरयान कट गई, जिससे वह फ़ौत हो गये। हज़रत सलमा (ﷺ) कहते हैं, मैं निकला तो रसूलुल्लाह(ﷺ) के कुछ साथी कह रहे थे, आमिर के अमल रायगां गये, उसने अपने आपको क़त्ल कर डाला, तो मैं रोता हुआ नबी अकरम (ﷺ) के पास आया और मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! आमिर के अमल ज़ाया हो गये? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा: 'ये किसने कहा?' मैंने कहा, आपके कुछ साथियों ने, आपने फ़रमाया: 'जिसने कहा, ग़लत कहा, बल्कि उसके लिए दोहरा अज्र है।' फिर आपने मुझे हज़रत अली (ﷺ) की तरफ़ भेजा, जबकि उनकी आँखें दुखती थीं और आपने फ़रमाया: 'मैं झण्डा उस शख़्स को दूंगा, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है या उससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं।' तो मैं हज़रत अली (ﷺ) के पास आया और उन्हें आगे से पकड़ कर लाया, क्योंकि उनकी आँखों में तकलीफ़ थी, यहाँ तक कि मैं उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ले आया, आपने उनकी आँखों में लुआबे मुबारक डाला, वह तंदुरूस्त हो गये और आपने उन्हें झण्डा दे दिया, मरहब ये कहता हुआ नमूदार हुआ। ख़ैबर को ख़ूब मालूम है, मैं मरहब हूँ, हथियारों से लैस, दिलेर, अज़मूदाकार, जब हरब व पैकार शौला ज़न आगे बढ़ती है। और हज़रत अली (ﷺ) ने कहा, मैं वह हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर (शेर) रखा है, जंगलों के शेर की तरह

بْنِ عَمَّارٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ . وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ، عَمَّارٍ بِهَذَ.

ख़ौफ़नाक, डरावना, मैं उन्हें साअ के बदले में बड़ा नाप देता हूँ, यानी दुशमन को बहुत जल्द मौत के घाट उतारता हूँ, हज़रत अली (ﷺ) ने मरहब के सर पर तलवार मारी और उसे क़त्ल कर डाला, फिर हज़रत अली (ﷺ) ही के हाथों फ़तह हासिल हुई।

इमाम मुस्लिम के शागिर्द इब्राहीम, अपनी आली सनद से यही रिवायत मुकम्मल तौर पर बयान करते हैं।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अलैहा ख़म्सून शातुन ला तुर्वीहा: हुदैबिया का पानी इतना कम था, कि उससे पचास बकरियाँ भी सैराब नहीं होती थीं। **(2) जबर्रकिया:** जबा, उस मिट्टी को कहते हैं, जो कूआँ खोद कर बाहर निकालते हैं और कुएँ के इर्द गिर्द फैला देते हैं, जाशत: कुएँ का पानी जोश मारने लगा और बुलन्द हो गया, ये हुदैबिया में आपके पहले मोजज़े का इज़हार था, कि आपने उसके कुएँ में अपना लुआबे दहन डाला और उसका पानी चौदह सौ (1400) अफ़राद और उनके सवारियों के लिए काफ़ी हो गया, हालांकि वह पचास बकरियों को भी सैराब नहीं कर सकता था। **(3) बायअतुहुस्सालिसा:** हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने हज़रत सलमा बिन अक्वा (ﷺ) की जुर्अत व शुजाअत पर ऐतमाद का इज़हार करते हुए, उनसे तीन दफ़ा बैत ली, जिसका ज़ुहूर तीन क़रीबी ग़ज़वात, हुदैबिया, ज़ीक़रद और फ़तहे ख़ैबर में हुआ। अज़िलन: ग़ैर मुसल्लह, बिला हथियार। हजफ़तन औ दरक़तन: दोनों का मानी ढाल है। **(4) अबग़नी:** अगर ये बग़ाया से है तो मानी होगा, मेरे लिए तलाश कीजिये और अगर इब्ग़ाअन से हो तो मानी होगा, तलब व जुस्तजू में मेरी मदद कीजिये। **(5) मुरासलूना:** हमारे साथ मुरासलत की, पैग़ामों का तबादला किया, कुन्तु तबीअन: मैं पीछे पीछे चलता था, यानी उनका ख़िदमत गुज़ार था। अहुस्सुहू: मैं घोडे की पुश्त पर खर खरा करता था। **(6) कसहतु शौकहा:** (आराम के लिए) दरख़्त के नीचे से काँटों को मैंने साफ़ किया। **(7) फ़ख़्तरत्तु सैफ़ी:** (जंग के ख़तरे के पेशे नज़र) मैंने अपनी तलवार नियाम से निकाल ली। **(8) जअल्तुहू ज़िग़सन फ़ी यदी:** मैंने (चारों मुश्रिकों के अस्लहा को) तिनकों या लकड़ियों के गटटे की तरह हाथ में ले लिया। **(9) अबलात:** ये कुरैश का एक ख़ानदान है, जो अपनी माँ अबला की तरफ़ मन्सूब है और उनको उमैया सुग़रा भी कहा जाता था, फ़रसुन मुजफ़्फ़ुन: घोड़ा जिसको अस्लहा की ज़द से बचाने के लिए उस पर झल या आथर डालते हैं, लेकिन लहुम बदअल फ़ुजूर सनाहू: नक़्ज़े अहद का आग़ाज और एआदा उन्हीं की तरफ़ से हों, कि वह इब्ने जुनैम को शहीद करके, मुसलमानों पर पत्थर और तीर फैंक कर नक़्ज़े अहद का आग़ाज

कर चुके हैं। **(10) असुकु सक्का:** का असल मानी थप्पड़ मारना होता है, लेकिन यहाँ तीर फैंकना मुराद है। **(11) आराम:** इरमुन की जमा है, अलामती पत्थर, जो निशानी और अलामत के तौर पर रखा या गाड़ा जाता है। **(12) क़रन:** अलग थलग पहाड़ी, करासे क़र्न पहाड़ी की चोटी, मुतज़ायक़, तंग जगह, मा हाजल्लज़ी अरा: मुराद है, मन हाज़ा, तहक़ीर के लिए मा कहा, ये कौन है जिसे मैं देख रहा हूँ। **(13) अलबरहु:** मशक़्क़त व शिद्दत, अम्किनूनी मिनल कैलाम: मेरे इस क़द्र क़रीब हो गये, कि मेरे लिये उनको अपनी बात सुनाना मुमकिन हो गया, ला यक़तअूक: तुम्हें तेरे साथियों से अलग थलग न कर लें, तुम अकेले उनके क़ाबू में न आ जाओ, **(14) हल्लैतुहुम अन्हु:** मैंने उन्हें इससे हटा दिया, दूर कर दिया। **(15) नुग़ज़ु:** पट्ठा, अक्वउहू बिक्रतन: क्या वह अक्वा ही सुबह से हमारे तआकुब में है। **(16) अर्दु फ़रसैन:** ख़ौफ़ और डर के मारे दो घोड़े छोड़ गये। **(17) सतीहा:** मशकीज़ा। **(18) मज़क़ा:** थोड़ा सा। **(19) युक़रून:** उनकी मेहमान नवाज़ी का एहतिमाम हो रहा है, ये आपकी पेशीनगोई थी, कि उनकी मेहमान नवाज़ी का एहतिमाम ग़तफ़ान कर रहे हैं। **(20) ला यस्बुकु शद्दा:** दौड़ में कोई उससे सब्क़त नहीं ले जा सकता था। **(21) रबत्तु अलैहि:** मैंने अपने आपको रोके रखा, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, तफ़र्तु मैं कूद गया। **(22) इस्तबक़ी नफ़्सी:** मैं शुरू में भाग कर अपना साँस उखेड़ना नहीं चाहता, आहिस्ता आहिस्ता रफ़्तार तेज़ करना चाहता था, ताकि साँस न फूले। **(23) शाकिस्सिलाह:** मुसल्लह, हथियार बंद। **(24) तलहहुब:** शौला भड़कना। **(25) बतल:** बहादुर, दिलेर। **(26) मुजर्रब:** तजुर्बेकार **(27) मुग़ामिरू:** शदाइद में कूद जाने वाला। **(28) यस्फ़िलु लहू:** नीचे से निशाना लेने लगा। **(29) अक्हल:** रगे हयात, बाज़ू की रग। **(30) हैदर:** शेर, हज़रत अली (ﷺ) की वालिदा फ़ातिमा बिन्ते असद ने बेटे का नाम हैदर रखा था, क्योंकि उनके नाना का नाम असद था, अबू तालिब ने नाम अली रखा और मरहब ने ख़्वाब देखा था, कि मुझे एक शेर क़त्ल कर रहा है, हज़रत अली (ﷺ) ने उसे याद दिलाया, वह शेर मैं ही हूँ।

इस तरह हुज़ूर अकरम (ﷺ) के इस मोजिज़ा का ज़ुहूर हुआ कि आपके लुआबे दहन से हज़रत अली(ﷺ) की दुखती आँखें फ़ौरन ठीक हो गईं और आपकी ये पेशीनगोई भी पूरी हूई कि मैं झण्डा उसको दूंगा जिसके हाथों, अल्लाह तआला ख़ैबर फ़तह करवायेगा और सही हदीस़ की रू से मरहब को हज़रत अली ने क़त्ल किया है, हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा ने क़त्ल नहीं किया, जैसा कि इब्ने इस्हाक़ का दावा है, मुहद्दिसीन और सीरत निगारों की अक्सरियत के बक़ौल, मरहब को हज़रत अली ही ने जहन्नम रसीद किया, इसलिए वाक़दी का ये क़ौल दुरूस्त नहीं है कि आपने मरहब की सल्ब हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा को दी। **(31) अस्सन्दर:** खुला पैमाना, कि मैं उनको ख़ूब मौत के घाट उतारूंगा, या सन्दर का मानी उजलत है, कि मैं फ़ौरन दुशमन को क़त्ल कर देता हूँ।

फ़ायदा : ज़ीक़रद, मदीना से बारह (12) मील या एक दिन की मसाफ़त पर, एक चश्मा है, जहाँ

हुज़ूर अकरम (ﷺ) की दूधियारी ऊँटनियाँ चरती थीं, सुलह हुदैबिया से वापसी पर आपने अपने गुलाम रबाह की निगरानी में और सवारियाँ वहाँ भेजीं, वहाँ हज़रत अबू ज़र के बेटे और उनकी बीवी मौजूद थे और हज़रत रबाह (رضي الله عنه) के साथ हज़रत सलमा बिन अक्वा (رضي الله عنه) भी हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह के घोड़े पर थे, अभी वह रास्ते में ही थे, कि उन्हें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) के गुलाम ने ये इत्तिला दी कि हुज़ूर अकरम (ﷺ) की दूधियारी ऊँटनियों पर हमला हो गया है, तो हज़रत सलमा बिन अक्वा ने घोड़ा हज़रत रबाह के हवाले किया और ख़ुद, उन हमलावरों के तआक़ुब में दौड़ पड़े, वाक़िये की तफ़्सील हदीस में मौजूद है।

बाब : 46
क़ौलुल्लाहि तआला व हुवल्लज़ी कफ़्फ़ ऐदियहुम अन्कुम की तफ़्सीर

(46)
باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ} الآيَةَ:

(4679) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि अहले मक्का से अस्सी आदमी मुसल्लह होकर जबले तन्ईम से रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ उतरे, वह रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके साथियों पर बेख़बरी में हमला करना चाहते थे, आपने उनको लड़ाई के बग़ैर ही पकड़ लिया और उन्हें ज़िन्दा छोड़ दिया, तो उस पर अल्लाह तआला ने सूरह फ़तह की ये आयत उतारी 'वह ही ज़ात है, जिसने उनके हाथों को तुमसे रोक दिया और तुम्हारे हाथों को उनसे रोक दिया, मक्का के अन्दर, उसके बाद कि वह तुम्हें उन पर ग़ल्बा दे चुका था। (आयत नम्बर 24)

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 6888, जामेअ तिर्मिज़ी: 3264.

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ ثَمَانِينَ، رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ فَأَخَذَهُمْ سَلَمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ}

मुफ़रदातुल हदीस : (1) मुतसल्लिहीन, मुसल्लहः हथियारों से लैस, ग़िर्रतनः ग़फ़लत व बेख़बरी। **(2) सलमनः** बक़ौल क़ाज़ी अयाज़, इसका मानी है, उनको क़ैदी बना लिया और बक़ौल

ख़त्ताबी, उन्होंने हथियार डाल दिये, जैसा कि क़ुर्आन मजीद में है। **(3) व अल्क़ौ अलैकुमुस्सलमः** उन्होंने तुम्हारे सामने हथियार डाल दिये, तुम्हारे मुतीअ हो गये, क्योंकि वह मुक़ाबले की ताब न ला सके। **(4) फ़स्तहूयाहुमः** आपने उनको ज़िन्दा रखा, यानी आपने उनको माफ़ कर दिया। ताकि सुलह हो सके और आग़ाज़ ही में ख़त्म न हो जाये।

फ़ायदा : हुदैबिया में क़याम के दौरान जबले तन्ईम से हथियार बंद मक्का के अस्सी (80) जवानों का एक दस्ता आप और मुसलमानों के ख़िलाफ़ छेड़ छाड़ के लिए उतरा, मुसलमानों ने उन सब को ज़िन्दा गिरफ़्तार कर लिया, (मुसलमानों के गिरफ़्तार करने को आपका गिरफ़्तार करना क़रार दिया गया है, यही हाल कतब का है, कि आपके हुक्म से लिखा गया, इसलिए मुख़्तलिफ़ अहादीस़ में लिखने की निस्बत आपकी तरफ़ कर दी गई) आप (ﷺ) चूंकि सुलह चाहते थे, इसलिए आपने सबको रिहा करने का हुक्म दिया, तो ये आयत उतरी।

बाब : 47
औरतों का मर्दों के साथ मिल कर जिहाद करना

(47)
باب غَزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

(4680) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि हज़रत उम्मे सुलैम (رضي الله عنها) ने जंगे हुनैन के दिन एक ख़न्जर लिया, जो उसके पास था, तो उसे हज़रत अबू तलहा (رضي الله عنه) ने देख लिया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! ये उम्मे सुलैम हैं, इसके पास ख़न्जर है, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे पूछा: 'ये ख़न्जर किस लिए है, कैसा है?' उसने जवाब दिया, मैंने इसलिए पकड़ा है कि अगर कोई मुश्रिक मेरे क़रीब आया, तो मैं उससे उसका पेट चाक कर दूंगी, रसूलुल्लाह (ﷺ) हँसने लगे, उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे सिवा जो तुलक़ा हैं उन्हें क़त्ल कर दीजिये, वह आपके साथ होते हुए शिकस्त खा कर पीछे भाग गये

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خَنْجَرٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا هَذَا الْخَنْجَرُ " . قَالَتِ اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ . فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ انْهَزَمُوا بِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم " يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ " .

थे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल काफ़ी हो गया और उसने एहसान फ़रमाया: (हमारा कोई नुक़्सान नहीं हुआ)

मुफ़रदातुल हदीस़ : **(1) ख़न्जर:** दो धारी छुरा। **(2) बक़र्तु बिही बत्नहू:** मैं इससे उसका पेट फाड़ दूंगी। **(3) मन बअ़्दना:** हमारे सिवा, हमारे अ़लावा। **(4) तुलक़ा:** अहले मक्का जिनको रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एहसान करते हुए क़ैद व बंद से आज़ाद कर दिया था और अभी तक उनका इस्लाम कमज़ोर था, इसलिए वह जंगे हुनैन में शिकस्त खा गये थे, इसलिए उम्मे सुलैम ने कहा, उन्हें क़त्ल कर दें, लेकिन आपने फ़रमाया: इन्नल्लाहा क़द कफ़ा व अहसना: अल्लाह हमारे लिए काफ़ी हुआ और इस शिकस्त से हमारा नुक़्सान नहीं हुआ और अंजाम हमारे हक़ में रहा।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي قِصَّةِ أُمِّ سُلَيْمٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ حَدِيثِ ثَابِتٍ .

(4681) ऊपर दी गई रिवायत, इमाम स़ाहब अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं, जिसमें उम्मे सुलैम का वाक़िया है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى .

(4682) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जंग में उम्मे सुलैम को साथ ले जाते और उसके साथ कुछ अन्स़ारी औरतें होतीं, वह पानी पिलातीं और ज़ख़्मों का इलाज मुआ़लिजा करतीं।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 253, जामेअ़ तिर्मिज़ी: 1575.

फ़ायदा : जंगी ज़रूरत के तहत बड़ी औरतों को साथ लिया जा सकता है, वह पर्दे के साथ उनके लिए खाना तैयार कर सकती हैं, पानी पिला सकती हैं और अपने शौहरों और महरमों की तीमारदारी और ज़ख़्मों का इलाज कर सकती हैं, ज़रूरत पड़ने पर जिस्म मस किये बग़ैर ग़ैर महरम का इलाज भी कर सकती हैं, लेकिन इस क़िस्म की हदीस़ों से औरतों का मर्दों के साथ ज़िन्दगी के तमाम शौबों में हिस्सा लेना, यानी उनको एसेम्बलियों की मेम्बर बनाना, वज़ीर या मुशीर बनाना और उनका समाजी

सरगर्मियों के लिए शमअ़े महफ़िल बनाना और उसके लिए भाग दौड़ करना, एयर हॉस्टेस और नर्स बन कर मुसलमानों और मरीज़ों का दिल बहलाना, निजी और सरकारी दफ़्तरों में अजनबी मर्दों के साथ काम करना, स्कूलों, कॉलिजों और यूनिवर्सिटीयों में लड़कों के साथ तालीम हासिल करना, सैक्रेटरी और इस्तेक़बालिया के फ़राइज़ अंजाम देना, जदीद तालीम के हुसूल के लिए बैरूनी ममालिक में जाना और नेशनल कौन्सिल, आर्ट कौन्सिल, रेडियो, टी.वी. और फ़िल्म स्टूडियो में काम करना ये कैसे साबित हो सकता है? जबकि शरई रू से औरत का पूरा जिस्म औरत है, जिसका अजनबियों से ढाँपना ज़रूरी है, क्योंकि हिजाब और सतर में फ़र्क़ है, हिजाब का ताल्लुक़ पूरे जिस्म से है, जैसा कि सूरह अहज़ाब की आयत से साबित होता है और सतर का ताल्लुक़, हाथ और चेहरे के अलावा जिस्म से है, जैसा कि सूरह नूर की आयत से मालूम होता है, इसलिए औरत घर में, चेहरे और हाथ नंगे रखेगी, लेकिन जब बाहर निकलेगी तो उनको भी ढाँप लेगी। (इसके लिए मौलाना एहसान इलाही का पैम्फ़लेट सतर और हिजाब क़ाबिले दीद (स्टडी के क़ाबिल) है।)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، - وَهُوَ أَبُو مَعْمَرٍ الْمِنْقَرِيُّ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ - عَنْ أَنَسٍ، بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ - قَالَ - وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ وَكَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا - قَالَ - فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ انْثُرْهَا لأَبِي طَلْحَةَ . قَالَ وَيُشْرِفُ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بِأَبِي

(4683) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि उहुद के दिन कुछ लोगों ने शिकस्त खाई और रसूलुल्लाह (ﷺ) को छोड़ दिया और हज़रत अबू तलहा (ﷺ) नबी अकरम(ﷺ) के सामने ढाल से औट किये हुए थे और हज़रत अबू तलहा (ﷺ) बहुत सख़्त तीरअंदाज़ थे। और उन्होंने जंगे उहुद में दो या तीन कमानें तोड़ीं, कोई आदमी गुज़रता जिसके पास तीरों का तरकश होता तो आप (ﷺ) फ़रमाते, उसे अबू तलहा के आगे फैला दो और रसूलुल्लाह (ﷺ) दुशमनों को देखने के लिए गर्दन उठा कर झाँकते, तो अबू तलहा अ़र्ज़ करते, ऐ अल्लाह के नबी! आप न झाँकें, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कहीं दुशमन का तीर आपको न लग जाये, मेरा सीना, आपके सीने के लिए सपर है, हज़रत अनस (ﷺ) कहते हैं, मैंने हज़रत आयशा

أَنْتَ وَأُمِّي لاَ تُشْرِفْ لاَ يُصِبْكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُلاَنِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِهِمْ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلآنِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَىْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلاَثًا مِنَ النُّعَاسِ .

बिन्ते अबी बक्र और उम्मे सुलैम (ﷺ) को देखा, दोनों ने कपड़े ऊपर किये हुए थे। मैं उनकी पिण्डलियों के पाज़ेब देख रहा था, वह अपनी पुश्तों पर मशकें उठा कर लाती थीं और उन्हें मुसलमानों के मुँहों में खाली करती थीं (उन्हें पानी पिलाती थीं) फिर वापस चली जातीं और उन्हें भर लातीं, फिर आकर मुसलमानों के मुँह में ख़ाली करतीं, यानी उन्हें पानी पिलातीं, उस दिन हज़रत अबू तलहा (ﷺ) के हाथ से दो या तीन दफ़ा ऊंघ की वजह से तलवार गिर गई।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 1880, 3811.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मुजव्विब अलैह: आपको ओट किये हुए थे, लोगों से बचाये हुए थे। **(2) शदीदुन्नज़अ:** ज़बरदस्त तीरअन्दाज़ थे, बड़े ज़ोर से तीर फैंकते थे। **(3) अल जअबा:** तरकश, जिसमें तीर होते हैं। **(4) उन्सुर्हा:** तरकश से तीर अबू तलहा के सामने निकाल कर रख दीजिये, ताकि वह उनको दुशमन पर चला सकें। **(5) नह्‌री दूना नह्‌रिका:** मेरा सीना आपके लिए ढाल है, मैं अपने आपको आप पर कुर्बान करता हूँ, ख़दम, ख़दमा की जमा है। **(6) ख़ल्ख़ाल:** पाज़ेब। **(7) सूक़:** पिण्डली।

फ़ायदा : हज़रत आयशा (ﷺ) और हज़रत उम्मे सुलैम (ﷺ) के पाज़ेब देखने का वाक़िया जंगे उहुद का है, उस वक़्त तक हिजाब के अहकाम नाज़िल नहीं हुए थे, इसलिए औरतों को देखना हराम नहीं था, नीज़ हज़रत अनस रसूलुल्लाह (ﷺ) के ख़ादिमे ख़ास थे, आपके घर आमद व रफ़्त हर वक़्त रहती थी और उम्मे सुलैम उनकी वालिदा थीं, इसलिए उन्हें उन पर नज़र जमाने की ज़रूरत न थी, अचानक उनके पाज़ेब पर नज़र पड़ गई, इसके अलावा हालते अमन को हालते जंग पर क़यास नहीं किया जा सकता।

बाब : 48
जिहाद में शरीक होने वाली औरतों को कुछ अतिया दिया जाएगा बा क़ायदा हिस्सा नहीं मिलेगा और अहले हर्ब (दुशमन) के बच्चों को क़त्ल करना ममनूअ (मना) है

(48)
باب النِّسَاءُ الْغَازِيَاتُ يُرْضَخُ لَهُنَّ وَلاَ يُسْهَمُ وَالنَّهْىُ عَنْ قَتْلِ صِبْيَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ

(4684) यज़ीद बिन हुर्मुज़ से रिवायत है कि नज्दा नामी ख़ारजी ने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) को ख़त लिख कर उनसे पाँच ख़स्लतों के बारे में सवाल किया, इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर किल्माने इल्म का डर ना होता तो मैं उसे जवाब न लिखता, नज्दा ने उन्हें लिखा, हम्द व सलात के बाद! मुझे बताइये क्या रसूलुल्लाह(ﷺ) औरतों को जंग में ले जाते थे? और क्या उन्हें ग़नीमत से मुक़र्रर हिस्सा देते थे? और क्या बच्चों को क़त्ल करते थे? और यतीम की यतीमी कब ख़त्म होगी? और ग़नीमत का ख़ुम्स (पाँचवा हिस्सा) किसका है? इब्ने अब्बास (ﷺ) ने उसे ख़त लिखा, तूने ख़त लिख कर मुझसे पूछा है, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) जिहाद में औरतों को शरीक करते थे? आप उनको जिहाद में ले जाते थे और वह ज़ख़्मियों का इलाज करती थीं और ग़नीमत से कुछ अतिया दिया जाता था, लेकिन रहा मुक़र्ररा हिस्सा, तो वह उनको नहीं दिया जाता था और रसूलुल्लाह(ﷺ) बच्चों को क़त्ल नहीं करते थे

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ، خِلاَلٍ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلاَ أَنْ أَكْتُمَ، عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ . كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ فَلاَ تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ وَكَتَبْتَ

تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الأَخْذِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا . فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ .

(बच्चों के क़त्ल की इजाज़त नहीं देते थे) इसलिए तू बच्चों को क़त्ल न कर और तूने ख़त के ज़रिये मुझसे पूछा है, यतीम की यतीमी कब ख़त्म होगी? तो मुझे अपनी उम्र की क़सम, इंसान की दाढ़ी निकल आती है और उसके बावजूद, वह अपना हक़ लेने में कमज़ोर होता है और अपनी तरफ़ से उनका हक़ देने में कमज़ोर होता है (यानी उसे लेने, देने का सलीक़ा नहीं होता) तो जब वह अपना हक़ लेने में लोगों की तरह सलाहियत का इज़हार करे और उसमें शऊर व इदराक हो जाये तो उसकी यतीमी ख़त्म हो जायेगी और तूने मुझसे ख़त के ज़रिये पूछा है, ख़ुम्स किसका है? तो हम कहते हैं, वह हमारा है और हमारी क़ौम (बनू उमैया) ने हमें देने से इंकार कर दिया है।

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 2727, 2728,

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) युह्ज़ैन: उन्हें कुछ अतिया दिया जायेगा। **(2) मता यन्क़ज़ी युत्मुल यतीम:** यतीम कब यतीम के हुक्म में नहीं होगा। **(3) इन्नहू लज़ईफुल अख़्ज़:** उसे बालिग़ होने के बावजूद लेन देन का सलीक़ा नहीं होता, वह हुक़ूक़ व फ़राइज़ की सूझबूझ नहीं रखता। **(4) फ़इज़ा अख़ज़ा लिनफ़्सिही:** जब वह लोगों से मामला करने में सूझ बूझ दिखाये, जिस तरह लोग अच्छी तरह अपना हक़ लेते हैं।

फ़ायदा : नज्दा ख़ारजी ने ख़त के ज़रिये हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से चंद बातों के बारे में सवाल किया, हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) दीन में उनके गुलू और इन्तेहा पसन्दी की बिना पर उसको जवाब लिखना पसन्द नहीं करते थे, लेकिन कित्माने इल्म की वईद से डर कर उसका जवाब देने पर आमादा हो गये, औरतों के जिहाद में शरीक होने और ग़नीमत में हिस्सा होने के बारे में जवाब दिया, कि वह इलाज मुआलिजा वग़ैरह की ज़रूरत के लिए जा सकती हैं, लेकिन उन्हें ग़नीमत में से मुजाहिदों वाला हिस्सा नहीं मिलेगा, हाँ उन्हें कुछ अतिया के तौर पर दिया जायेगा, जुम्हूर फ़ुक़हा इमाम अबू हनीफ़ा,

इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद वग़ैरहुम का यही मौक़िफ़ है, इमाम मालिक के नज़दीक औरतों को कुछ भी नहीं दिया जायेगा और गुलामों का भी यही हुक्म है, इस तरह जो बच्चे जंग में शरीक न हों, उन्हें क़त्ल नहीं किया जायेगा और बुलूग़त के बाद यतीमी का हुक्म इस हदीस में उस वक़्त ख़त्म होगा जब उसके अन्दर अक़्ल व शऊर पैदा हो जाये, उसे लेन देन का सलीक़ा और सूझ बूझ हासिल हो जाये, अइम्म–ए–हिजाज़ (इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद) और साहबैन (इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद) का भी यही मौक़िफ़ है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक पच्चीस साल का हो जाये, तो उसका माल उसके हवाले कर दिया जायेगा और ये समझा जायेगा, उसमें सलीक़ा और अक़्ल व शऊर पैदा हो गया है और वह लोगों से सही तरीक़े से लेन देन कर सकता है, हालांकि क़ुर्आन मजीद ने आनस्तुम मिन्हुम रश्दा, रूश्दो सलीक़ा नज़र आये, की क़ैद लगाई है, किसी उम्र का तअय्युन नहीं किया, इसी तरह नज्दा ने ग़नीमत के ख़ुम्स के बारे में सवाल किया, तो हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने जवाब दिया, हमारी क़ौम के घरानों ने हमें ये नहीं दिया, जबकि मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये आपके कराबदारों का हक़ है, इमाम शाफ़ेई का मौक़िफ़ भी यही है कि ग़नीमत के ख़ुम्स को पाँच हिस्सों में तक़सीम किया जायेगा और पाँचवां हिस्सा, बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब में बिला इम्तियाज़ ग़नी और फ़क़ीर में तक़सीम होगा, मर्द व औरत को मिलेगा, इमाम अहमद का मौक़िफ़ भी यही है, लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक ग़नीमत का ख़ुम्स, तीन हिस्सों में तक़सीम होगा (1) यतामा (2) मसाकीन (3) और मुसाफ़िरों को मिलेगा और फ़ुक़रा में कराबदार फ़ुक़रा भी दाख़िल हैं, लेकिन मालदारों को नहीं मिलेगा और अबा अलैना क़ौमुना से मुराद अहनाफ़ के नज़दीक ख़ुल्फ़ा–ए–राशिदीन हैं और शवाफ़ेअ के नज़दीक यज़ीद बिन मुआविया और बाद के ख़ुल्फ़ा मुराद हैं।

(4685) हज़रत यज़ीद बिन हुर्मुज़ (रह.) से रिवायत है कि नज्दा ने इब्ने अब्बास (ﷺ) को चंद बातों के बारे में सवाल लिख भेजा, जैसा कि ऊपर की हदीस में सुलैमान बिन बिलाल ने बयान किया है, लेकिन इस हदीस में हातिम ने बयान किया है, रसूलुल्लाह (ﷺ) बच्चों को क़त्ल नहीं करते थे, तू भी क़त्ल न कर, मगर ये कि तुझे भी बच्चे के बारे में ख़िज़्र अलैहि. की तरह इस बात का इल्म हो जाये, जिसके बाइस उन्होंने बच्चे को क़त्ल किया

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلاَهُمَا عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلاَلٍ، . بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ غَيْرَ أَنَّ فِي، حَدِيثِ حَاتِمٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ فَلاَ تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ

الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ . وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَاتِمٍ وَتُمَيِّزُ الْمُؤْمِنَ فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ .

था और इस्हाक़ ने हातिम से ये इज़ाफ़ा किया है और तू मोमिन का इम्तियाज़ कर ले, तो काफ़िर को क़त्ल कर देना और मोमिन को छोड़ देना।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4661 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस : इल्ला अन तकून तअ्लमु मा अलिमल ख़ज़िरू: हज़रत ख़िज्र अलैहि. को अल्लाह की तरफ़ से बता दिया गया था कि ये बच्चा काफ़िर होगा और वालिदैन के लिए भी फ़ित्ने का बाइस बनेगा, इस तरह अगर तुम काफ़िर और मोमिन के दरम्यान इम्तियाज़ कर सको और अल्लाह तआला तुम्हें इससे आगाह कर दे, तो तुम काफ़िर बनने वाले बच्चों को क़त्ल कर सकते हो और अगर ये इम्तियाज़ तेरे लिए मुमकिन नहीं है, तो फिर तेरे लिए बच्चों को क़त्ल करना जायज़ नहीं है।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ فَقَالَ لِيَزِيدَ اكْتُبْ إِلَيْهِ فَلَوْلاَ أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ اكْتُبْ إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا شَيْءٌ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُحْذَيَا وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

(4686) यज़ीद बिन हुर्मुज़ (रह.) बयान करते हैं, कि नज्दा बिन आमिर हरूरी ने, इब्ने अब्बास(﵄) को लिख कर उस ग़ुलाम और उस औरत के बारे में पूछा, जो जंग में शरीक होते हैं, क्या उनको हिस्सा दिया जायेगा? और बच्चों के क़त्ल का क्या हुक्म है? और यतीम की यतीमी कब ख़त्म होगी? और कराबदारों से मुराद कौन हैं? तो हज़रत इब्ने अब्बास (﵄) ने यज़ीद को कहा, उसे ख़त लिखो और अगर मुझे ये डर न होता कि वह हिमाक़त में मुब्तला हो जायेगा, तो मैं उसे ख़त का जवाब न देता, लिखो! तूने मुझ से ये लिख कर पूछा है कि औरत और ग़ुलाम, ग़नीमत की तक़सीम के वक़्त मौजूद हैं, क्या उन्हें भी कुछ दिया जायेगा? और वाक़िया ये है, उनके लिए ग़नीमत में कोई हिस्सा नहीं है, हाँ उन्हें कुछ अतिया दिया जा सकता है और तूने मुझ से बच्चों के क़त्ल के बारे में पूछा है? और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें क़त्ल नहीं किया,

وسلم لَمْ يَقْتُلْهُمْ وَأَنْتَ فَلاَ تَقْتُلْهُمْ إِلاَّ أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلاَمِ الَّذِي قَتَلَهُ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ وَإِنَّهُ لاَ يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا .

इसलिए तू भी उन्हें क़त्ल न कर, मगर ये कि तू उनके बारे में जान ले, जो मूसा अलैहि. के साथी (ख़िज़्र) ने उस बच्चे के बारे में जान लिया था, जिसे उसने क़त्ल किया था। और तूने मुझ से यतीम के बारे में सवाल किया है कि उससे यतीम का नाम कब ख़त्म होगा? और सूरते हाल ये है उससे यतीम का नाम ख़त्म नहीं होगा, यहाँ तक कि वह बालिग़ हो जाये और उससे रूश्द (सूझ बूझ, सलीक़ा) मालूम हो जाये और तूने लिख कर क़राबदारों के बारे में पूछा है, वह कौन हैं? और हमारा नज़रिया ये है कि वह हम हैं, लेकिन हमारी क़ौम ने हमारी बात को तस्लीम नहीं किया।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4661 में देखें।

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ.

(4687) यज़ीद बिन हुर्मुज़ (रह.) से रिवायत है कि नज्दा ने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) को लिखा, आगे ऊपर दी गई रिवायत है।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4661 में देखें।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ قَيْسًا، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ،

(4688) यज़ीद बिन हुर्मुज़ (रह.) बयान करते हैं, नज्दा बिन आमिर ने हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) को ख़त लिखा, जब इब्ने अब्बास(ﷺ) ने उसका ख़त पढ़ा और जब उसका जवाब लिखा, मैं भी मौजूद था इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! अगर मुझे ये एहसास न होता कि मैं

حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنٍ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلاَ نُعْمَةَ عَيْنٍ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مَنْ هُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُمْ نَحْنُ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَسَأَلْتَ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَدُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ وَسَأَلْتَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأَنْتَ فَلاَ تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلاَمِ حِينَ قَتَلَهُ وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلاَّ أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ.

उसको गंदगी बदबू में गिरफ़्तार होने से बाज़ रख सकूंगा, तो मैं उसे जवाब न लिखता, उसकी आँखों को आसूदगी नसीब न हो, उसे लिख, तूने कराबदारों के हिस्से के बारे में पूछा है, जिनका अल्लाह ने ज़िक्र किया है, कि वह कौन है? और हम समझते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) के रिश्तेदार, वह हम हैं, लेकिन हमारी क़ौम ने हमारी बात तस्लीम नहीं की और तूने यतीम के बारे में पूछा है कि उसकी यतीमी कब ख़त्म होगी? और वाक़िया ये है जब वह निकाह की उम्र को पहुँच जायेगा और उससे सूझ बूझ (अक़्ल व शऊर और सलीक़ा) मालूम हो और उसका माल उसे दे दिया जायेगा, तो उसकी यतीमी ख़त्म हो जायेगी और तूने दरयाफ़्त किया है, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) मुश्रिकों के बच्चों में से किसी को क़त्ल करते थे? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उनमें से किसी को क़त्ल नहीं करते थे और तू भी उनमें से किसी को क़त्ल न कर, मगर ये कि तू उनमें वह बात जान ले, जो ख़िज़्र अलैहि. ने उस बच्चे के बारे में जान ली थी, जिसे उन्होंने क़त्ल किया था और तूने औरत और गुलाम के बारे में सवाल किया है, क्या उनके लिए मुक़र्ररा हिस्सा था? जबकि जंग में शरीक होते थे? तो उनके लिए मुतअय्यन हिस्सा न था, मगर ये कि मुसलमानों की ग़नीमतों से उनको कुछ अतिया दे दिया जाता।

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4661 में देखें।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) लौ ला अन अरूद्दहू अन नत्नि यक़उ फ़ीहि: अगर मैं ये ख़्याल न करता

कि मैं उसे नापसन्दीदा उमूर और कामों से बाज़ रख सकूंगा (यानी मेरे जवाब से वह हिमाक़त में मुब्तला होकर नापसन्दीदा कामों का इरतेकाब करने से बाज़ रहेगा) तो मैं उसको जवाब न लिखता। (2) **व ला नुअ्मता ऐनिन:** उसकी आँखों को मुसर्रत हासिल न हो, यानी मैंने उसकी आँखों को मुसर्रत बख़्शने के लिए जवाब नहीं लिखवाया, मेरा मक़सद सिर्फ़ उसको नापसन्दीदा कामों से रोकना है।

وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ . فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُتِمَّ الْقِصَّةَ كَإِتْمَامِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ .

(4689) यज़ीद बिन हुर्मुज़ (रह.) बयान करते हैं कि नज्दा ने इब्ने अब्बास (ﷺ) को ख़त लिखा, आगे हदीस का कुछ हिस्सा है, पूरा वाक़िया बयान नहीं किया गया, जैसा कि ऊपर दी गई हदीसों में मुकम्मल वाक़िया बयान किया है।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4661 में देखें।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى.

(4690) हज़रत उम्मे अतिया अन्सारिया (ﷺ) बयान करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सात ग़ज़्वात में शिर्कत की है, मैं उनके ख़ैमों में पीछे रहती, उनके लिए खाना तैयार करती और ज़ख़्मियों की मरहम पट्टी करती और बीमारों की बीमार पुर्सी करती।

तख़रीज : सुनन इब्ने माजा: 2856.

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(4691) इमाम साहब एक और उस्ताद से हिशाम बिन हस्सान की ऊपर दी गई सनद से इस तरह रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4667 में देखें।

बाब : 49
नबी अकरम (ﷺ) के ग़ज़्वात की तादाद

(49)
باب عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(4692) अबू इस्हाक़ (रह.) से रिवायत है कि अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद, लोगों को नमाज़े इस्तिस्क़ा पढ़ाने के लिए निकले, तो दो रकअ़तें पढ़ कर बारिश के लिए दुआ माँगी, उस दिन मेरी मुलाक़ात हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) से हुई, मेरे और उनके दरम्यान एक आदमी के सिवा और कोई न था, या मेरे और उनके दरम्यान एक आदमी था, तो मैंने उनसे पूछा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कितने ग़ज़्वात में शिर्कत की? उन्होंने जवाब दिया, उन्नीस (19) में, मैंने पूछा, तूने आपके साथ कितने ग़ज़्वात में हिस्सा लिया? उन्होंने जवाब दिया, सत्तरह (17) में, मैंने पूछा, आपका सबसे पहला ग़ज़्वा कौन सा था? उन्होंने जवाब दिया, ज़ातुल उ़सैर या ज़ातुल उ़शैर।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَسْقَى قَالَ فَلَقِيتُ يَوْمَئِذٍ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - وَقَالَ - لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُ رَجُلٍ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ - قَالَ - فَقُلْتُ لَهُ كَمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَقُلْتُ كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً - قَالَ - فَقُلْتُ فَمَا أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَالَ ذَاتُ الْعُسَيْرِ أَوِ الْعُشَيْرِ .

तख़रीज: ये हदीस़ बयान की जा चुकी है: 4667 में देखें।

फायदा : ग़ज़्वा से मुराद वह जंग है, जिसमें आपने बनफ़्से नफ़ीस शिर्कत फ़रमाई और उनकी तादाद में इख़्तिलाफ़ है, जिसकी वजह ये है, कुछ ने मामूली ग़ज़्वात को नज़र अन्दाज़ कर दिया, या क़रीबी ग़ज़्वात को एक दूसरे में दाख़िल कर दिया, जैसा कि हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) ने पहला ग़ज़्वा ज़ातुल उसैर या ज़ातुल उ़शैर को क़रार दिया है हालांकि इससे पहले ग़ज़्व–ए–अब्वा या वदान, ग़ज़्व–ए–बवात और ग़ज़्व–ए–तआ़कुल कुर्ज बिन जाबिर फ़हरी हो चुके थे और ग़ज़्व–ए–ज़ातुल उसैर चौथा ग़ज़्वा था, मूसा बिन उ़क़्बा, मुहम्मद बिन इस्हाक़ और मुहम्मद बिन सअ़द वग़ैरहुम से ग़ज़्वात की तफ़्सीली तादाद सत्ताईस (27) लिखी है, जिनमें नौ ग़ज़्वात में जंग में हिस्सा लिया और ग़ज़्व–

ए–अहज़ाब और ग़ज़्व–ए–बनी क़ुरैज़ा को एक शुमार करें तो तादाद आठ होगी, सही तादाद ये है, कुछ ने तादाद उन्नीस (19), इक्कीस (21), बाईस (22), चौबीस (24), पच्चीस (25) और छब्बीस (26) भी लिखी है।

(4693) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्नीस (19) ग़ज़्वात में शिर्कत की थी और हिजरत के बाद सिर्फ़ एक हज, हज्जतुल विदा किया, इसके अलावा कोई हज नहीं किया।

तख़रीजः ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4669 में देखें।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، سَمِعَهُ مِنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَحَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً لَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ .

(4694) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ उन्नीस (19) ग़ज़्वात में शिर्कत की, जाबिर(ﷺ) बयान करते हैं, मैं ग़ज़्व–ए–बद्र और ग़ज़्व–ए–उहुद में शरीक नहीं हुआ क्योंकि मेरे बाप अब्दुल्लाह, उहुद के दिन शहीद हो गये, तो मैं किसी ग़ज़्वा में कभी रसूलुल्लाह (ﷺ) से पीछे न रहा।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً - قَالَ جَابِرٌ - لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَلاَ أُحُدًا مَنَعَنِي أَبِي فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ قَطُّ .

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है, हज़रत जाबिर (ﷺ) के नज़दीक पहला ग़ज़्वा, ग़ज़्व–ए–बद्र था, इसलिए उनके बक़ौल ग़ज़्वात की तादाद इक्कीस (21) हुई।

(4695) अब्दुल्लाह बिन बुरैदा (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्नीस (19) ग़ज़्वात में शिर्कत की और उनमें से आठ में जंग लड़ी, अबू बक्र की रिवायत में मिन्हुन्न (इनमें से) का ज़िक्र नहीं है। और अन अब्दुल्लाह की बजाये हद्दसनी अब्दुल्लाह है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، . قَالَ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَاتَلَ فِي ثَمَانٍ مِنْهُنَّ

. وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ مِنْهُنَّ . وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ .

फ़ायदा : आप (ﷺ) ने, बद्र, उहुद, मरीसीअ, ख़न्दक़, क़ुरैज़ा, ख़ैबर, मक्का, हुनैन और ताइफ़ के ग़ज़्वात में हिस्सा लिया, हज़रत बुरैदा ने ख़न्दक़ और क़ुरैज़ा को या हुनैन और ताइफ़ को एक शुमार किया, इसलिए तादाद आठ बताई, इस तरह क़रीबी ग़ज़्वात को एक शुमार करने से तादादे ग़ज़्वात कम हो जाती है।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً .

(4696) इब्ने बुरैदा (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सौलह् (16) ग़ज़वात में शिर्कत की।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 4473.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ، يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ

(4697) हज़रत सलमा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सात ग़ज़्वात में शिर्कत की और जो सराया (दस्ता) आपने भेजे, उनमें से नौ (9) के साथ मैं निकला, एक दफ़ा हमारे अमीर हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) थे और एक दफ़ा हज़रत उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنه) थे।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 4270, 4271, 4272.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي كِلْتَيْهِمَا سَبْعَ غَزَوَاتٍ .

(4698) इमाम साहब ऊपर दी गई रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं, इसमें दोनों जगह तादाद सात है।

तख़रीज: ये हदीस बयान की जा चुकी है: 4674 में देखें।

फ़ायदा : सराया और बऊस जिनमें हुज़ूर अकरम (ﷺ) ख़ुद शरीक नहीं हुए, उनकी तादाद, मुहम्मद बिन सअद ने तब्क़ात अलकुबरा की जिल्द: 2 में तादाद छप्पन (56) लिखी है और बक़ौल कुछ उनकी तादाद, 53, 36, 38, 47, 48, 52, 60, 70 है, यहाँ भी वजहे इख़्तिलाफ़ मज़कूरा बाला है।

बाब : 50
ग़ज़्व-ए-ज़ातुर रिक़ाअ

(50)
باب غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ، - وَاللَّفْظُ لأَبِي عَامِرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ - قَالَ - فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا فَنَقِبَتْ قَدَمَاىَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نُعَصِّبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقِ . قَالَ أَبُو بُرْدَةَ فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ . قَالَ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ . قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَزَادَنِي غَيْرُ بُرَيْدٍ وَاللَّهُ يَجْزِي بِهِ .

(4699) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक ग़ज़्वा के लिए निकले, हम छः अफ़राद के लिए एक ऊँट था, जिस पर हम बारी बारी सवार होते थे, इसलिए हमारे पाँव (नंगे होने की वजह से) ज़ख़्मी हो गये, मेरे दोनों पाँव ज़ख़्मी हो गये और नाख़ुन गिर गये, इसलिए हमने अपने पैरों पर चिथड़े लपेटे, इसलिए इसका नाम ग़ज़्व–ए–ज़ातुर रिक़ाअ कहा गया, क्योंकि हम अपने पैरों पर चिथड़े बाँधे हुए थे, अबू बुर्दा कहते हैं, अबू मूसा (ﷺ) ने ये हदीस़ सुनाई, फिर उसके बयान करने को नापसन्द किया, गोया कि वह अपने किसी अमल का इज़हार करना नापसन्द करते थे, अबू उसामा कहते हैं, बुरैदा के अलावा ने मुझे ये इज़ाफ़ा सुनाया और अल्लाह उन्हें इसका सिला देगा।

तख़रीज : सहीह बुख़ारी: 4128.

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) नअ्तक़िबुहू: हम उस पर यके बाद दीगरे (बारी–बारी) सवार होते, क्योंकि सबका एक ही बार में बैठना मुमकिन न था। **(2) नक़िबत:** ज़ख़्मी हो गये। **(3) ख़रिक़ुन:** ख़िरक़ा की जमा है, चिथड़े, कपड़ों के टुकड़े। **(4) नअसिबु या नुअस्सिबु:** हम बाँधते थे।

फ़ायदा : ग़ज़्वा ज़ातुर रिक़ाअ की वजहे तस्मिया यही सही है, जो ख़ुद रावी ने बयान की है, क्योंकि रिक़ाअ, रिक़अत की जमा है, जिसका मानी टुकड़ा या पैवंद है, बक़ौल कुछ इसका सबब वहाँ एक रंग बिरंग पहाड़ था, या उस नाम का दरख़्त था, या झण्डों को पैवन्द लगे हुए थे।

बाब : 51
ग़ज़्वा में काफ़िर से मदद तलब करना दुरूस्त नहीं है

(51)
باب كَرَاهَةِ الاِسْتِعَانَةِ فِي الْغَزْوِ بِكَافِرٍ

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي، عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَأَوْهُ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جِئْتُ لأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ " . قَالَ لاَ قَالَ " فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ " . قَالَتْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ

(4700) हज़रत आयशा (ؓ), नबी अकरम(ﷺ) की ज़ोजा मोहतरमा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बद्र की तरफ़ निकले, जब आप हर्रतुल वबरा नामी मुक़ाम पर पहुँचे, तो आपको एक आदमी मिला, जिसकी जुर्अत और शुजात व दिलेरी का चर्चा था, तो उसे देख कर रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथी ख़ुश हो गये, जब वह आपको मिला, तो उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा, मैं इसलिए आया हूँ ताकि आपका साथ दूं और आपको जो कुछ मिले, उससे हिस्सा लूं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे पूछा: 'तूने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया है?' उसने कहा, नहीं, आपने फ़रमाया, वापस चला जा, मैं मुश्रिक से हरगिज़ मदद नहीं लूंगा।' हज़रत आयशा (ؓ) बयान कती हैं, फिर वह चला गया, या आप चलते रहे, यहाँ तक कि हम शजरा जगह पर पहुँच गये, वह आदमी आपको मिला और उसने आपसे वही बात कही, जो पहली दफ़ा कही थी और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी उसे पहली ही बात कही, फ़रमाया: 'लौट जा, मैं हरगिज़ मुश्रिक से मदद नहीं लूंगा।' फिर वह लौट आया और

قَالَ " فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ " . قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ " تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ " . قَالَ نَعَمْ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَانْطَلِقْ " .

आपको बैदा के मुक़ाम पर मिला और आपने उसे पहली दफ़ा वाली बात कही, 'तू अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है?' उसने कहा, जी हाँ इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़रमाया: 'तो चल।'

तख़रीज : सुनन अबू दाऊद: 2732, जामेअ तिर्मिज़ी: 1558, सुनन इब्ने माजा: 2832.

फायदा : अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक अगर काफ़िर मुसलमानों के अमीर के अहकाम व हिदायात की पाबन्दी करे और मुसलमानों के बारे में उसकी राय अच्छी हो, और उससे उसकी जंगी महारत की वजह से मदद लेने की ज़रूरत हो और वह ख़ुद ख़्वाहिश का इज़हार करे तो उससे मदद लेना जायज़ है, लेकिन उसको ग़नीमत में से मुक़र्ररा हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन बतौर अतिया और इनाम उसको कुछ दिया जायेगा। और अगर उससे मदद लेने की ज़रूरत न हो, या उसके बारे में ख़तरा हो कि वह फ़साद या ख़राबी का बाइस बनेगा, तो फिर उससे मदद नहीं ली जायेगी और यहाँ आपने इंकार इसलिए फ़रमाया, कि आपने फ़रासते नबूवत से ये भाँप लिया था, वह मुसलमान हो जायेगा, या ये पहली जंग थी और आप उसकी मदद की ज़रूरत महसूस नहीं फ़रमाते थे, क्योंकि आप मदीना से क़ाफ़िले पर हमला करने के लिए निकले थे, अभी लश्कर से मुठभेड़ का इल्म नहीं हुआ था।